प्रेषक,

डॉ0 पिंकी जोवल,
मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
16, ए0पी0सेन रोड, मण्डी परिषद भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्याः–एस0पी0एम0यू0/नियोजन/17/2023–24/ 3338 दिनांक 21.07.2023

विषयः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की जनपदीय कार्ययोजना की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ0नं0–10(12)/2022–एन0एच0एम0–। दिनांक 01.08.2022 द्वारा एन0एच0एम0, इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टीनेन्स एवं इम्युनाइजेशन काइण्ड ग्राण्ट सहित वर्ष 2023–24 हेतु रु0 13,42,327.31 लाख की धनराशि पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित किये जाने के उद्देश्य से आपको विस्तृत दिशा–निर्देश तथा मदवार धनराशियों का आवंटन FAMS portal के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25 एवं 26 अप्रैल, 2023 को प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जनपदों को आवंटित धनराशि की फांट एवं भौतिक दिशा–निर्देशों की संकलित 'रेफरेन्स पुस्तिका' प्रेषित की जा रही है एवं भविष्य में भी कतिपय गतिविधियों हेतु आवश्यकतानुसार अनुपूरक धनराशि एवं दिशा–निर्देश राज्य स्तर से प्रेषित किये जायेंगे।

पूर्व के वर्षों की भांति ही इस वर्ष भी जनपद हेतु निर्धारित आवंटन के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराये गये दिशा–निर्देशानुसार धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये, कि जनपद स्तरीय चिकित्सालयों/ब्लॉक हेतु भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय फांट सहित वार्षिक कार्ययोजना तैयार कराते हुए उनको उपलब्ध कराई जाये।

आपको निर्देशित किया जाता है कि ब्लॉकवार धनराशि का आवंटन तैयार करने हेतु सम्बंधित जनपदीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन करें, ताकि आवंटन तैयार किये जाने में उनका भी सहयोग प्राप्त किया जा सके। तत्पश्चात जनपद स्तर से संचालित की जाने वाली गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए पूरे जनपद की कार्ययोजना (DAP) तैयार कराकर ज़िला स्वास्थ्य समिति (DHS) से एकमुश्त अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

साथ ही जिन चिकित्सा इकाइयों को गतिविधियों के संचालनार्थ धनराशि आवंटित की जा रही है, उन इकाइयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को गतिविधि के क्रियान्वयन एवं धनराशि के व्यय से सम्बन्धित समुचित दिशा–निर्देश उपलब्ध कराना मुख्य चिकित्सा अधिकारी का उत्तरदायित्व है।

समस्त कार्यक्रमों के संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय तथा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के स्तर से किया जा रहा है। अतः समय–समय पर इनके स्तर से अथवा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्तर से यदि किसी कार्यक्रम के संशोधित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं, तो उनका पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाये।

1.परिवार नियोजन कार्यक्रम

1.1 परिवार नियोजन

महिला नसबंदी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशिः–

➢ **सरकारी चिकित्सा इकाईयों में महिला नसबंदी (अन्तराल) हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (FMR-RCH.6.42.DBT.01.a)**–शासनादेश संख्या–60/2022/544/पॉच–9– 2022–9(6)/17 दिनॉक 04 जुलाई 2022 के अनुसार मिशन परिवार विकास कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रभावी है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2023–24 से प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य ईकाईयों पर होने वाले महिला नसबंदी हेतु निम्न तालिकानुसार क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की जानी हैः–

(धनराशि रू0 में)

क्र0	विवरण	महिला नसबन्दी (अन्तराल)दर
1	लाभार्थी	2000.00
2	प्रेरक/आशा	300.00
3	ड्रग/ड्रेसिंग/आई0पी0 सप्लाई	100.00
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	200.00
5	एनेस्थेटिस्ट/सहयोगी चिकित्सक	50.00
6	नर्स/ए.एन.एम	40.00
7	ओ0टी0 टैक्नीशियन/सहायक/एल0टी0	20.00
8	वार्ड ब्वाय/आया	12.00
9	स्वीपर	08.00
10	क्लर्क/दस्तावेजीकरण	30.00
11	रिफ्रेशमेन्ट	20.00
12	अन्य विविध	20.00
कुल योग		**2800.00**

➢ **सरकारी चिकित्सा ईकाईयों में प्रसव पश्चात् नसबन्दी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (FMR-RCH.6.42.DBT.01.b)**– शासनादेश संख्या–60/2022/544/पॉच–9–2022–9(6)/17 दिनॉक 04 जुलाई 2022 के अनुसार मिशन परिवार विकास कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रभावी है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2023–24 से से प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य ईकाईयों पर होने वाले प्रसव पश्चात् नसबन्दी हेतु निम्न तालिकानुसार क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की जानी हैः–

(धनराशि रू0 में)

क्र0	विवरण	प्रसव पश्चात् नसबन्दी
1	लाभार्थी	3000.00
2	प्रेरक/आशा	400.00
3	ड्रग/ड्रेसिंग/आई0पी0 सप्लाई	100.00
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	325.00
5	एनेस्थेटिस्ट/सहयोगी चिकित्सक	75.00
6	नर्स/ए.एन.एम	50.00
7	ओ0टी0 टैक्नीशियन/सहायक/एल0टी0	25.00
8	वार्ड ब्वाय/आया	15.00
9	स्वीपर	10.00
10	क्लर्क/दस्तावेजीकरण	–
11	रिफ्रेशमेन्ट	–
12	अन्य विविध	–
कुल योग		**4000.00**

➢ **लैप इन्डक्शन प्रशिक्षण–FMR-RCH.6.42.CB.1)**-वर्ष 2023–24 में 12 दिवसीय लैप इन्डक्शन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्साधिकारी एवं 04 स्टाफनर्स/ओ.टी.टेक्निशियन का प्रशिक्षण होना है। उक्त प्रशिक्षण हेतु **प्रति बैचवार धनराशि रू0 224870/–**प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार हैः–

Laparoscopic Tubectomy Induction Training	
Duration of Training	12 working days for doctors & 6 working days for SN

Number of trainees		4 Doctors & 4 Staff Nurse/OT Technician			
Trainers		2 Doctor trainers & 1 SN trainer			
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of Participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA - Mos	2000	4	1	8000
2	TA - SN	1500	4	1	6000
3	Honorarium per diem to trainer - Doctor	1000	2	12	24000
3	Honorarium per diem to trainer - SN	500	1	6	3000
4	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	13	26000
5	Honorarium per diem to participants - SNs/OT Technician	300	4	6	7200
6	Accommodation to participants - Mos	1500	4	13	78000
7	Accommodation to participants - SNs/OT Technician	1000	4	6	24000
8	Refreshment to Doctors trainees	250	4	12	12000
9	Refreshment to participants - 2 SNs/OT Technician	250	4	6	6000
10	Refreshment to trainers	250	3(6), 2(6)	12	7500
11	Stationary including certificate	150	8	1	1200
12	Training Manual	350	8	1	2800
	Sub total				**205700**
13	**Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA**				**19170**
	Total for 01 Batch				**224870**

➢ **मिनि लैप इन्डक्शन प्रशिक्षण–(FMR-RCH.6.42.CB.2)-** वर्ष 2023–24 में 12 दिवसीय मिनीलैप इन्डक्शन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्सा अधिकारी का प्रशिक्षण होना है। उक्त प्रशिक्षण हेतु **प्रति बैचवार धनराशि रू0 170800/–**प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार हैः–

Minilap Induction Training					
Site of training		CTC			
Duration of Training		12 working days for doctors			
Number of trainees		4 Doctors			
Trainers		2 trainers			
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA - Mos	2000	4	1	8000
2	Honorarium per diem to trainer - Doctor	1000	2	12	24000
3	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	13	26000
4	Accommodation to participants - Mos	1500	4	13	78000
5	Refreshment to Doctors trainees	250	4	12	12000
6	Refreshment to trainers	250	2	12	6000
7	Stationary including certificate	150	4	1	600
8	Training Manual	350	4	1	1400
	Sub total				**156000**
9	**Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA**				**14800**
	Total for 01 Batch				**170800**

➢ **महिला एवं पुरूष नसबन्दी नियत दिवस सेवा (FMR-RCH.6.42.OOC)-** वर्ष 2023–24 हेतु प्रति नियत दिवस सेवा के लिए रू0 3500.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/FDOS/196/ 2022–23/6142 दिनांक–24.11.2022 के माध्यम से प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार इस वर्ष भी किया जाना है।

पुरूष नसबंदी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशिः–

➢ **सरकारी चिकित्सा ईकाईयों में पुरूष नसबंदी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (FMR-RCH.6.43.DBT.01)–**शासनादेश संख्या–60/2022/544/पॉच–9–2022–9(6)/17 दिनॉक 04 जुलाई 2022 के अनुसार मिशन परिवार विकास कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रभावी है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2023–24 से सरकारी स्वास्थ्य ईकाईयों में पुरूष नसबंदी हेतु निम्न तालिकानुसार धनराशि प्रदान की जानी हैः–

(धनराशि रू0 में)

क्र0	विवरण	पुरूष नसबन्दी (एन0एस0वी0)
1	लाभार्थी	3000.00
2	प्रेरक / आशा	400.00
3	ड्रग / ड्रेसिंग / आई0पी0 सप्लाई	50.00
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	400.00
5	एनेस्थेटिस्ट / सहयोगी चिकित्सक	–
6	नर्स / ए.एन.एम	40.00
7	ओ0टी0 टैक्नीशियन / सहायक / एल0टी0	20.00
8	वार्ड ब्वाय / आया	12.00
9	स्वीपर	08.00
10	क्लर्क / दस्तावेजीकरण	30.00
11	रिफ्रेशमेन्ट	20.00
12	अन्य विविध	20.00
कुल योग		**4000.00**

- **प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन में लाभार्थी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान (FMR-RCH.6.44.DBT.2)**–लाभार्थी को प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन किए जाने के पश्चात गुणवत्ता एवं फॉलोअप सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से इनसर्शन के पश्चात कुल रु0 300.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि प्राविधानित है। पी0पी0आई0यू0सी0डी0 लाभार्थी का भुगतान जननी सुरक्षा योजना के भुगतान के साथ ही किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि लाभार्थी से पुनः खाता संख्या एवं अन्य दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन स्वास्थ्य केन्द्रों पर पी0पी0आई0यू0सी0डी0 विधा में प्रशिक्षित सेवा प्रदाता उपलब्ध हैं तथा पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, केवल उन्हीं केंन्द्रों पर राज्य स्तर से अवमुक्त धनराशि को हस्तांतरित किया जाए।

नोट–समस्त पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन अपनाने वाले लाभार्थी से केस शीट पर सहमति लिया जाना अनिवार्य है तथा निर्धारित फॉलोअप कार्ड भी लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाये एवं सम्बन्धित विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाये।

- **गर्भ समापन पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन हेतु लाभार्थी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान (FMR-RCH.6.44.DBT.3)** – सुरक्षित गर्भ समापन के पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन किए जाने पर गुणवत्ता एवं लाभार्थी का फॉलोअप सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से लाभार्थी को इनसर्शन के पश्चात कुल **रु0 300.00 प्रति लाभार्थी की दर** से धनराशि प्राविधानित है।

नोट–समस्त पी0ए0आई0यू0सी0डी0 निवेशन अपनाने वाले लाभार्थी से केस शीट पर सहमति लिया जाना अनिवार्य है तथा निर्धारित फॉलोअप कार्ड भी लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाये एवं सम्बन्धित विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाये।

- **कम्प्रीहेन्सिव प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी प्रशिक्षण (CHOs/SNs/ANMs हेतु)–(FMR-RCH.6.44.CB.1)**- वर्ष 2023–24 में 05 दिवसीय कम्प्रहेन्सिव प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 10 CHOs/SNs/ANMsका प्रशिक्षण होना है। उक्त प्रशिक्षण हेतु **प्रति बैचवार धनराशि रू0 121650/–** प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार हैः–

Comprehensive IUCD & PPIUCD for CHOs/SNs/ANMs					
	Site of training	Divisions HQ DWH			
	Duration of Training	5 days			
	Number of trainees	10 CHOs/SNs/ANMs			
	Number of trainers	2 Trainers			
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of Participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA - CHOs/SNs/ANMs	1000	10	1	10000
3	Honorarium per diem to trainer -Doctors	1000	2	5	10000
4	Honorarium per diem to participants - CHOs/SNs/ANMs	300	10	5	15000
6	Accommodation to participants - CHOs/SNs/ANMs	1000	10	5	50000
8	Refreshment to CHOs/SNs/ANMs	250	10	5	12500
9	Refreshment to trainers	250	2	5	2500
10	Stationary including certificate	150	10	1	1500
11	Training Manual, training aids & Kelly forceps	1000	10	1	10000
	Sub total				**111500**

12	**Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA**		**10150**
	Total for 01 Batch		**121650**

नोट–विभिन्न क्लिनिकल परिवार नियोजन सम्बन्धित प्रशिक्षण (उक्त तालिका के अनुसार) में अंकित हेतु बजट सम्बन्धित प्रशिक्षण स्थल यथा – मेडिकल कालेज एवं जिला महिला चिकित्सालय के प्रभारी को सम्बन्धित जनपद के जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्राविधानित धनराशि एक मुश्त आंवंटित की जाएगी।

- **परिवार नियोजन कार्यक्रम के अर्न्तगत आशा को प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन राशि–**

➢ **प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन करवाने हेतु लाभार्थी को प्रेरित किए जाने पर आशा प्रोत्साहन राशि (FMR-RCH.6.44.ASHA.1)**– धनराशि **रू0 150/– प्रति** पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की दर से प्रोत्साहन राशि आशा को प्रदान की जानी है।

➢ **गर्भ समापन पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन हेतु आशाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान (FMR-RCH.6.44.ASHA.2)**– धनराशि **रू0 150/– प्रति** पी0ए0आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की दर से प्रोत्साहन राशि आशा को प्रदान की जानी है।

➢ **अन्तरा इंजेक्शन हेतु आशाओं को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि – (FMR-RCH.6.45.ASHA)**– समस्त जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण आशाओं के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को अन्तरा की सेवा सुनिश्चित कराने के उपरान्त आशा हेतु **रू0 100/–प्रति डोज**की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी है।

➢ **सास–बेटा–बहू सम्मेलन के आयोजन हेतु आशा को प्रोत्साहन राशि (FMR-RCH.6.46.ASHA.1)**- मिशन परिवार विकास गतिविधि के अन्तर्गत समस्त जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण आशाओं के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय के मध्य सास–बेटा–बहू सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। सास–बेटा–बहू सम्मेलन के सफल आयोजन के पश्चात सम्बन्धित ग्रामीण आशा को उसके ब्लॉक मुख्यालय तथा शहरी आशा को एन0यू0एच0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित प्रक्रिया के माध्यम से **रू0 100/– प्रति सम्मेलन की दर** से आशा हेतु धनराशि प्रदान की जानी है।

➢ **शगुन किट (नई पहल किट) वितरण हेतु आशा को प्रोत्साहन राशि (FMR-RCH.6.46.ASHA.2)**–समस्त जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण आशाओं के माध्यम से नव विवाहित दम्पत्तियों को परिवार नियोजन साधनों के बारे में अवगत कराने हेतु प्रदान की जाने वाली शगुन किटको अपने क्षेत्र के नवविवाहितों को वितरित करने पर आशा को **रू0 100/–** की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

➢ **इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत अस्थायी विधि के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि (FMR-RCH.6.50.ASHA.1.1)**–विवाह के उपरांत 2 वर्शो तक अस्थायी विधियों का परामर्श प्रदान कर उपयोग सुनिश्चित कराने व प्रथम गर्भधारण में कम से कम दो वर्षों का विलम्ब सुनिश्चित कराने पर **रू0 500/–प्रति केस** की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।

➢ **इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत अस्थायी विधि के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि (FMR-RCH.6.50.ASHA.1.2)**–ऐसे दम्पत्ति जिनके 01 बच्चा है, को पहले एवं दूसरे बच्चे के जन्म में 03 वर्षों तक अस्थायी विधियों का परामर्श प्रदान कर उपयोग सुनिश्चित कराने पर **रू0 500/–प्रतिकेस** की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।

➢ **इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत स्थायी विधि के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि–(FMR-RCH.6.50.ASHA.2)**-02 बच्चों तक परिवार सीमित रखने वाले पात्र दम्पत्तियों को स्थाई विधियों (महिला/पुरूष नसबन्दी) का परामर्श प्रदान कर नसबन्दी सेवा सुनिश्चित कराने पर **रू0 1000/–प्रति केस** का भुगतान आशा को किया जाना है।

नोट–इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वास्तविक केसों के सापेक्ष समस्त आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त ही भुगतान किया जाये एवं भौतिक रिपोर्ट का सत्यापन एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों से मिलान करके किया जाये। इस हेतु सत्यापन की जिम्मेदारी जनपद स्तर पर जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर व ब्लाक स्तर पर ब्लाक कम्युनिटी प्रासेस मैनेजर की होगी।

➢ **अन्तरा इंजेक्शन हेतु लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि (FMR-RCH.6.45.DBT)**–वित्तीय वर्ष 2023–24 सेमिशन परिवार विकास गतिविधि सभी जनपदों में लागू किया जा चुका है जिसके तहत सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में इच्छुक लाभार्थियों को अंतरा इंजेक्शन की

सेवायें दी जानी है। अन्तरा के लाभार्थी को प्रोत्साहन राशिरू0 100/– प्रति डोज, प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है।

➢ **नव विवाहित दम्पत्तियों को परिवार नियोजन साधनों के बारे में अवगत कराने हेतु शगुन किट (नई पहल किट) का क्रय (FMR-RCH.6.50.DS)**–समस्त 75 जनपदों मे नव विवाहित दम्पत्तियों को परिवार नियोजन साधनों के बारे में अवगत कराते हुये शगुन किट वितरित किया जाना है। पत्र संख्या–एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.पी.–एम.पी.वी./165/2022–23/4899–2, दिनांक 08.10.2022 का संज्ञान लेते हुए प्रदत दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकतम रू0 220.00 प्रति शगुन किट क्रय की दर से धनराशि का उपयोग किया जाना है।

➢ **मिशन परिवार विकास अभियान (प्रत्येक तिमाही) (FMR- RCH.6.46.OOC.03)**–प्रदेश के समस्त जनपदों में मिशन परिवार विकास गतिविधि के अन्तर्गत प्रत्येक तिमाही मिशन परिवार विकास अभियान क्रमशः जुलाई 2023, नवम्बर 2023, जनवरी 2024 एवं मार्च 2024 में आयोजित किए जायेंगे। मिशन परिवार विकास अभियान की सेवाप्रदायगी अधिकतम सात दिवसीय होगी। अभियान के दौरान नियत दिवसों पर शल्यकों को प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त टी0ए0/डी0ए0 के रुप में रू0 1000.00 प्रतिदिन देय होगा। उक्त धनराशि कार्य आधारित प्रोत्साहन है, इसलिए यह राशि तभी प्रदान की जायेगी जब चिकित्सक द्वारा न्यूनतम 10 नसबन्दी केस सफलतापूर्वक सम्पादित कर लिए जायेंगें।

➢ **सास–बेटा–बहू सम्मेलन के आयोजन हेतु (FMR-RCH.6.46.OOC.01)**–मिशन परिवार विकास गतिविधि के अन्तर्गत समस्त जनपदों में प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी आशा के कार्यक्षेत्र में सास–बेटा–बहू सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। सास–बेटा–बहू सम्मेलन का आयोजन सास, बेटा एवं बहू की उपस्थिति में किया जायेगा। परिवारों के चयन का आधार वे समस्त परिवार होंगे, जिनमें लक्ष्य दम्पत्ति हो। उक्त कार्य हेतु आशाओं एवं ऑगनबाड़ी की मदद ली जाए, क्योंकि उनके पास क्षेत्र के परिवारों की समस्त जानकारी उपलब्ध रहती है। उक्त कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु प्रति सम्मेलन रू0 1500/– की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिनका व्यय निम्न तालिकानुसार ब्लॉक स्तर से किये जा रहे अन्य भुगतानों की भॉति नियमानुसार किया जाए–

(धनराशि रू0 में)

क्रमसं0	मद	दर
1	सास–बहू सम्मेलन के आयोजन हेतु	500.00
2	प्रतिभागी हेतु गिफ्ट	1000.00
	कुल योग	**1500.00**

➢ **प्रचार–प्रसार वाहन ''सारथी'' (प्रत्येक तिमाही) (FMR-RCH.6.46.OOC.02)**– समस्त जनपदों में जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर एक सुसज्जित वाहन (ई–रिक्शा) जो संचार एवं प्रचार प्रसार के आधुनिक साधनों से सुसज्जित हो, में परिवार नियोजन गतिविधियों से सम्बन्धित आवश्यक प्रचार प्रसार तथा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। जागरूकता वाहन को मिशन परिवार विकास पखवाड़े के मध्य जनपदों के दूर–दराज के इलाकों में परिवार नियोजन के संदेशों को प्रसारित किए जाने और समुदायों को संवेदनशील बनाने हेतु उपयोगित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2023–24 में सारथी वाहन का संचालन एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.पी.–एम.पी.वी./165/2022–23/5569–2, दिनांक 04.11.2022 में प्रदत दिशा निर्देशों के अनुसार धनराशि का उपयोग एवं जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सारथी वाहन का संचालन किया जाना है। जनपद एवं ब्लाक स्तर पर सारथी वाहन के संचालन हेतु प्रत्येक जनपद को प्रत्येक चरण हेतु निम्न तालिकानुसार धनराशि प्राविधानित हैः–

(अ) जनपद स्तर पर प्रत्येक चरण हेतु सारथी वाहन के संचालन हेतु वित्तीय प्राविधान			
कुल सारथी वाहन की संख्या (ई रिक्शा)	कुल कार्यदिवस	प्रति वाहन दर	कुल धनराशि
2	4	2000	16000
(ब) ब्लाक स्तर पर प्रत्येक चरण हेतु सारथी वाहन के संचालन हेतु वित्तीय प्राविधान			
कुल सारथी वाहन की संख्या (ई रिक्शा)	कुल कार्यदिवस	प्रति वाहन दर	कुल धनराशि
3	4	2000	24000

➢ **फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी (FPIS) स्कीम (FMR-RCH.6.47.DBT)**–फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम के अन्तर्गत नसबंदी के पश्चात होने वाले असफल/जटिलता/मृत्यु के केसों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु धनराशि प्राविधानित है। जो समय–समय पर राज्य स्तरीय फेमिली इण्डेमनिटी उपसमिति के अनुशंसा पर सम्बन्धित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाता है।

➢ **परिवार नियोजन सेवाओं सम्बन्धी सामग्रियों को राज्य औषधि भण्डारण गृह से मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक के औषधि भण्डारण गृह तक पहुँचाने हेतु यात्रा व्यय–**परिवार नियोजन सेवाओं सम्बन्धी समस्त सामग्रियों को राज्य औषधि भण्डारण गृह से मण्डल, जनपद एवं ब्लाक के औषधि भण्डारण गृह तक पहुँचाने हेतु बजट का प्राविधान किया गया है। प्राविधानित बजट से, समस्त 18 मण्डलीय भण्डारण गृह एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से किये गये इन्डेण्ट अनुसार राज्य मुख्यालय के परिवार नियोजन सामग्री सम्बन्धित भण्डार गृह से प्राप्त करेंगे इसी प्रकार समस्त 75 जनपद सम्बन्धित मण्डल मुख्यालय के भण्डार गृह से तथा जनपद के समस्त चिकित्सा ईकाईयॉ जनपद भण्डार गृह से एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से किये गये इन्डेण्ट अनुसार परिवार नियोजन सेवाओं सम्बन्धी सामग्री प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे जनपदों का दायित्व होगा कि इसी मद का उपयोग करते हुए समस्त ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों पर ब्लाक के समस्त प्राथमिक (ग्रामीण व शहरी) स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों हेतु परिवार नियोजन सेवाओं सम्बन्धी सामग्रियों का आपूंर्ति एवं वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही आवंटित धनराशि वित्तीय व शासकीय नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि में समस्त प्रकार के टैक्स आदि सम्मिलित हैं। इस हेतु विभिन्न औषधि भण्डार गृह हेतु निम्नानुसार बजट का प्राविधान किया गया हैं–

- **मण्डलीय औषधि भण्डारण गृह हेतु (FMR-RCH.6.48.OOC.1.A)** एकमुश्त धनराशि रू0 1.75 लाख प्रति वर्ष।
- **जनपदीय औषधि भण्डारण गृह हेतु (FMR-RCH.6.48.OOC.1.B)** एकमुश्त धनराशि रू0 0.84 लाख प्रति वर्ष।
- **ब्लाक स्तरीय औषधि भण्डारण गृह हेतु (FMR-RCH.6.48.OOC.1.C)** एकमुश्त धनराशि रू0 0.05 लाख प्रति वर्ष

➢ **परिवार नियोजन परामर्शदात्रियों हेतु मानेदय (FMR-HSS.9.184.C.S0522)–का**र्यरत परिवार नियोजन परामर्शदात्रियों हेतु 12 माह (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) हेतु ई0पी0एफ0,मानेदयएवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन अनुभाग द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही वेतन वृद्वि प्रदान की जाए।

➢ मण्डल स्तर पर तैनात संविदा **मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर का मानदेय (FMR-HSS.9.184.C.S1109)–**मण्डल स्तर पर कार्यरत संविदा मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर हेतु 12 माह (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) हेतु मानेदयएवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।इस हेतु सम्बन्धित मण्डलीय जनपद के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में बजट का प्राविधान किया गया है। सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0 के खाते में बजट अवमुक्त किये जाने के उपरान्त मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई मे कार्यरत अन्य एन0एच0एम0 के संविदा कर्मियों की भॉति भुगतान किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन अनुभाग द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही वेतन वृद्वि प्रदान की जाए।

नोट–यह सुनिश्चित किया जाए कि मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर के मानदेय में वेतन वृद्वि का भुगतान एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 के मानव संसाधन अनुभाग द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही प्रदान किया जाए।

➢ **मण्डल स्तर पर तैनात संविदा मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर हेतु मैनेजमेंट कॉस्ट (FMR-RCH.6.48.OOC.2.A)–** मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर द्वारा अनुश्रवण, सर्पोटिव सुपरविजन, हैंण्ड होल्डिग, प्रशिक्षण तथा राज्य मुख्यालय पर बैठकों आदि में प्रतिभाग करने हेतु पी0ओ0एल0, यात्रा भत्ता, टी0ए0/डी0ए0 एवं बोर्डिग लॉजिंग का भुगतान एवं अन्य विविध व्यय का भुगतान मैनेजमेण्ट कास्ट से किया जायेगा। जिसमें धनराशि रू0 12500/– प्रति माह की दर से एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.पी–रिक्रू0/142/2022–23/6828–2, दिनांक 19.12.2022 मे प्रेषित विस्तृत दिशा निर्देश के अनुसार धनराशि का उपयोग किया जाना है।

➢ **जनपद स्तर पर तैनात संविदा जिला एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर हेतु मानदेय मद का व्यय–(FMR-HSS.9.184.C.S1110)**जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा जिला एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर हेतु12 माह (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) हेतु मानेदयएवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु धनराशि का

प्राविधान किया गया है।यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन अनुभाग द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही वेतन वृद्वि प्रदान की जाए।

नोट–यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपदीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर के मानदेय में वेतन वृद्वि का भुगतान एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 के मानव संसाधन अनुभाग द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही प्रदान किया जाए।

➢ **जनपद स्तर पर तैनात संविदा जिला एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर हेतु मैनेजमेंट कॉस्ट (FMR-RCH.6.48.OOC.2.B)**– जनपदीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर द्वारा अपने जनपद के विकास खण्डों में अनुश्रवण, सर्पोटिव सुपरविजन, हैंण्ड होल्डिग, प्रशिक्षण तथा राज्य मुख्यालय पर बैठकों आदि में प्रतिभाग करने हेतु पी0ओ0एल0, यात्रा भत्ता, टी0ए0/डी0ए0 एवं बोर्डिग लॉजिंग का भुगतान एवं अन्य विविध व्यय का भुगताना मैनेजमेण्ट कास्ट से किया जायेगा। जिसमें धनराशि **रू0 10380/–** प्रति माह की दर सेएस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–एन.एच.एम./एस.पी.एम. यू./एफ.पी–रिक्रू0/142/2022–23/6828–2, दिनांक 19.12.2022 मे प्रेषित विस्तृत दिशा निर्देश के अनुसार धनराशि का उपयोग किया जाना है।

➢ **विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा आयोजन से सम्बंधित गतिविधियॉ–**

(FMR-RCH.6.49.IEC.01)–विश्व जनसंख्या दिवस पर विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु**प्रति जनपद रू0 80,000.00** एवं **प्रति ब्लाक रू0 9,000.00**

(FMR-RCH.6.49.PME.1)–जनपद स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति जनपद रू0 20,000.00

(FMR-RCH.6.49.PME.3)–ब्लाक स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति ब्लाक रू0 1,000.00

➢ **पुरुष नसबन्दी दिवस पखवाड़ा आयोजन से सम्बंधित गतिविधियॉ–**

(FMR-RCH.6.49.IEC.02)–पुरुश नसबन्दी दिवस पखवाड़ा के विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रति जनपद रू0 20,000.00 एवं प्रति ब्लाक रू0 9,000.00

(FMR-RCH.6.49.PME.2)–पुरुश नसबन्दी दिवस पखवाड़ा के दौरान जनपद स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति जनपद रू0 5,000.00

(FMR-RCH.6.49.PME.4)–पुरुश नसबन्दी दिवस पखवाड़ा के दौरान ब्लाक स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति ब्लाक रू0 1,000.00

➢ **समस्त जनपदों के ग्रामीण ए.एन.एम. का त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक (FMR-RCH.6.50.CB.1.a)**– प्रदेश के 75 जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक पर ए0एन0एम0 के क्षमता वर्धन हेतु त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी है, जिसमें नवीन गर्भनिरोधक साधनो एवं एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 के सन्दर्भ में अभिमुखीकरण तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों का समीक्षा भी किया जायेगा। उक्त बैठकों का उद्देश्य ए.एन.एम. कार्यकत्रियों द्वारा समुदाय को विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध मे जागरूक किये जाने, समुदाय में गर्भनिरोधक साधनो की ग्राह्यता बढाने, समुदाय की जिज्ञासा को उत्तरित किये जाने, कार्यकत्रियों का क्षमतावर्द्धन, किए गये कार्यों का मूल्यांकन एवं उनकी कमियों को दूर करना है। साथ ही कार्यक्षेत्र के लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन सेवायें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु एवं काउन्सलिंग की आधारभूत जानकारियॉ प्रदान करके क्षमता वर्धन भी किया जाएगा, ताकि समुदाय स्तर पर लक्ष्य दम्पत्तियों को परिवार नियोजन साधनों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्रदान की जा सके। आशाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन राशियों के बारे में जागरूक किया जाना भी इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है। बैठक हेतु **प्रति ब्लॉक प्रति त्रैमास अधिकतम रू0 1000.00 की दर** से धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है। जो निम्न तालिकानुसार व्यय किया जाना हैः–

क्र0	मद	कुल अधिकतम व्यय (रू0 में)
1	उपस्थित प्रतिभागियों हेतु बैठक व्यवस्था, स्टेशनरी एवं जलपान आदि	रु0 1,000.00

➢**समस्त जनपदों के शहरी ए0एन0एम0 व आशा का त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक (FMR-RCH.6.50.CB.1.b)**–प्रदेश के 75 जनपदों के **शहरी ए.एन.एम. व आशा** के क्षमता वर्धन हेतु

त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी है, जिसमें नवीन गर्भनिरोधक साधनो एवं एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 के सन्दर्भ में अभिमुखीकरण तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों का समीक्षा भी किया जायेगा।सभी शहरी प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के शहरी आशा एवं ए0एन0एम0 द्वारा समुदाय को विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध मे जागरूक किये जाने, समुदाय में गर्भनिरोधक साधनो की ग्राह्यता बढाने, समुदाय की जिज्ञासा को उत्तरित किये जाने, कार्यकत्रियों का क्षमतावर्द्धन, किए गये कार्यों का मूल्यांकन एवं उनकी कमियों को दूर करना है। साथ ही कार्यक्षेत्र के लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन सेवायें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु एवं काउन्सलिंग की आधारभूत जानकारियॉ प्रदान करके क्षमतावर्धन भी किया जाएगा, ताकि समुदाय स्तर पर लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन साधनों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्रदान की जा सके। आशाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन राशियों के बारे में जागरूक किया जाना भी इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है। बैठक हेतु प्रति नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र प्रति त्रैमास **अधिकतम रू0 250.00 की दर** से प्रति बैठक धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। इस गतिविधि के ससमय सम्पादन की जिम्मेदारी अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर की होगी।

उक्त बैठक के आयोजन हेतु प्राविधानित धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

क्र0	मद	कुल अधिकतम व्यय
1	उपस्थित प्रतिभागियों हेतु बैठक व्यवस्था, स्टेशनरी एवं जलपान आदि	रु0 250.00

➢ **जनपद फतेहपुर और सीतापुर में गर्भपात के बाद परिवार नियोजन सेवाओं पर एक दिवसीय आशा संगिनीयों का उन्मुखीकरण(FMR–RCH.6.50.CB.6)**– वर्ष 2015 में किये गये एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में केवल 42% महिलाएं ही गर्भधारण की इच्छा रखती है। जबकि गर्भावस्था की समाप्ति में अनपेक्षित गर्भधारण का बहुमत(64%)समाप्त हो गया है। गर्भपात पश्चात परिवार नियोजन विधियों के अपनाने के बारे में अभी भी योग्य लाभार्थियों में बहुत अधिक जागरूकता की आवश्यकता है और इसे ए.एन.एम., सी.एच.ओ., आशा एवं आशा संगनि जैसे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है। चूकि आशा पहले से ही अपने कार्यक्षेत्र में परिवार नियोजन लाभार्थियों के फालोअप में लगी हुई हैं, इसलिए उन महिलाओं को परिवार नियोजन सेवाएं सुनिश्चित करना महत्वपुर्ण है जिनका हाल हीं में गर्भपात हुआ है। इस गतिविधि का उद्देश्य बार–बार अनपेक्षित गर्भधारण और अवांछित जन्म या गर्भपात के दुश्चक्र को तोड़ना है। हेल्थ वेलनेस सेन्टर(HWC)में वी. एच.एन.डी. और खुशहाल परिवार दिवस एक ऐसा मंच है जहां तत्काल प्रसव पश्चात् और गर्भपात के बाद महिलाएं ए.एन.एम. और सी.एच.ओ. के माध्यम से परिवार नियोजन पद्धति के महत्व को समझ सकती है और सही परिवार नियोजन पद्धति को चुनने में सहायता कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के दो जिलों सीतापुर एवं फतेहपुर में ब्लाक स्तर पर सी.एच.ओ, स्टाफ नर्स,ए.एन.एम., और आशा संगिनी के दो घण्टे के सत्र उन्मुखीकरण की योजना है। ए.एन.एम बैठकों एवं अन्य ब्लाक स्तरीय बैठकों जैसे मौजूदा अवसरों का उपयोग इस उन्मुखीकरण के संचालन के लिए किया जा सकता है। आशा संगिनीयों के माध्यम से आशा कोAAAबैठक में प्रशिक्षित किया जायेगा। **उक्त प्रशिक्षण हेतु जनपद फतेहपुर व सीतापुर हेतु प्रति बैच धनराशि रू0 30750/– की दर से कुल 02 बैच हेतु धनराशि रू0 61500/–प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार हैः–**

Orientation on PAFP (Post Abortion Family Planning) - Fatehpurand Sitapur

Sl	Component	Category	Rate (In Rs.)	No. of Days	Unit	Amount in Rs.
1	TA for Participants	Participants	150	1	50	7,500
2	Working Lunch & Tea, Snacks, Water etc.	Participants + extra 15	250	1	65	16,250
3	Stationery	Participants	100	1	50	5,000
4	Contingency (Banner, LCD Projector, Generator etc.)	2000	1	2,000		
	Total Budget for 1 Batch					**30,750**
	Total Budget for 02 Batch"s @ 30,750/- per Batch					**61,500**

➢ **जनपद सीतापुर में एकीकृत क्लीनिकल सपोर्ट टीम (ICST) के गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए पूरे स्टाफ के क्लीनिकल सेवाओं के लिए आनसाइट सलाह(FMR–RCH.6.50.CB.7)**–मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाएं अक्सर एक हीं सेवाप्रदाता द्वारा दिया जाता है, वर्तमानमेंमातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन अपने कार्यक्षेत्र में अलग–अलग कार्य कर रहे है। विभिन्न स्तरों पर समय–समय पर पर्यवेक्षण, सलाह एवं

कार्यक्रम से सम्बन्धित सहयोग प्रदान किया जाता है। यह भी स्पष्ट है किकर्मचारियों के कौशल, ज्ञान और व्यवहार में सुधार के लिए निरंतर सलाह देना महत्वपूर्ण है। मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन की सेवाओं के समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए जिले का क्षमता निमार्ण करने के लिए एक एकीकृत क्लीनिकल सपोर्ट टीम की आवश्यकता है। इस टीम का उद्देश्य समग्र गुणवत्ता सेवाओं में सुधार सुनिश्चित करने हेतु सुविधाओं के लिए डाटा प्रबन्धन, लॉजिस्टिक और क्लीनिकल सेवाओं के सहयोग के सन्दर्भ में परामर्श सहायता प्रदान करना है।

उक्त गतिविधि हेतु जनपद सीतापुर हेतु एकमुश्त धनराशि रू0 85000/–प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार हैः–

One day orientation on Integrated Clinical support Team (Sitapur)						
Sl No	**Component**	**Category**	**Rate (In Rs.)**	**No. of Days**	**Unit / Person**	**Amount in Rs.**
1	Working Lunch, Tea, Snacks, Water etc.	CMO/ACMO/DPM/OBGYN/BMO/SN	350	1	100	35,000
2	Stationery		30	1	100	3,000
	Training hall		4000	3	1	12,000
3	Contingency (Banner, LCD Projector, Generator etc.)		5000	3	1	15,000
4	Transportation		200	1	100	20,000
Total Budget						**85,000**

- **सर्जन टीम हेतु परिवहन व्यवस्था के लिए POL (FMR-RCH.6.50.OOC.1)**–जनपद में नसबंदी हेतु लगाए जाने वाले नियत दिवस शिविर सेवाओं में सर्जन टीम के आवागमन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शिविर हेतुरू0 1000/–की दर से अतिरिक्त धनराशि पी0ओ0एल0 (परिवहन व्यवस्था) हेतु प्राविधानित है जो निम्न परिस्थितियों में दी जानी हैः–
  - यदि सर्जन एवं टीम दोनों अलग अलग स्थान से आ रहे हो और सर्जन द्वारा स्वयं के वाहन का प्रयोग किया जा रहा है तो इस दशा में शासन द्वारा निर्धारित प्रति किलोमीटर की दर से सर्जन को भुगतान किया जाएगा। ध्यान यह देना है की भुगतान की जाने वाली राशि रु0 1000/–से अधिक न हो और वित्तीय नियमों का पालन किया गया हो।
  - यदि सर्जन द्वारा नियत सेवा दिवस में आने के लिए शासकीय वाहन का प्रयोग किया जाता है तो वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था शासकीय नियमानुसार इसी मद से किया जा सकता है।
  - यदि कोई सर्जन टीम अपने जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद में नसबन्दी सेवा देने हेतु जाता है तो ऐसी स्थिति में जिस जनपद में सेवा प्रदान की गयी है उसी जनपद द्वारा पी0ओ0एल का वहन अथवा पी0ओ0एल मद में आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
- **प्राइवेट एफ.एम(FM) द्वारा प्रचार–प्रसार (FMR-RCH.6.50.IEC.8)**–ऑडियो स्पॉट्स का प्रसारण आगरा, अलीगढ, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज एवं वाराणसी के जनपदों में जिनमें प्राइवेट एफ.एम. स्टेशन स्थापित है, में किया जायेगा। प्रत्येक प्राइवेट एफ.एम. स्टेशन के माध्यम से गतिविधि को अधिक से अधिक जनपदों में आच्छादित करते हुए नियमानुसार संपादित कराना सुनिश्चित करें।
- **आकाशवाणी (AIR) (FMR-RCH.6.50.IEC.9)**–जनपद यथा–आगरा, बरेली, बिजनौर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, रामपुर, सोनभद्र एवं वाराणसी में आकाशवाणी से परिवार नियोजन कार्यक्रम से जुडी ऑडियो स्पॉट्स के प्रसारण जिनमें आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल, जिसके स्टेशन 12 जनपदों में स्थापित है तथा जनपद प्रयागराज लखनऊ, कानपुरनगर एवं वाराणसी से विविध भारती, जिसके 04 जनपदों में स्टेशन स्थापित हैं, के माध्यम से ऑडियो स्पॉट्स के प्रसारण गतिविधि को अधिक से अधिक जनपदों में आच्छादित करते हुए नियमानुसार संपादित कराना सुनिश्चित करें।
- **मण्डल स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक (FMR-RCH.6.50.PME.1)** वर्ष 2023–24 में मण्डल स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा हेतु समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। जिसमें मण्डल के समस्त जनपदों के परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपकेन्द्र स्तर तक के समस्त शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य इकाईयों की भौतिक प्रगति, सेवाप्रदाताओं के भौतिक उपलब्धि ऑकलन, एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के क्रियान्वयन की स्थिति, मिशन परिवार विकास गतिविधि की भौतिक प्रगति, विभिन्न मुद्रित कराये जाने वाले सामग्रियों के क्रय की स्थिति, आशा एवं

लाभार्थियों के भुगतान, गर्भनिरोधक सामग्रियों की उपलब्धता एवं वित्तीय प्रगति आदि विषयों पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा।

मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि वो त्रैमासिक आधार पर मण्डलीय अपर निदेशक के अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित करेंगें। इस बैठक में मण्डल के समस्त जनपदों के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल आफिसर (परिवार कल्याण), मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, क्षेत्रीय एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, जिला लेखा प्रबन्धक, मण्डलीय एवं जनपदीय एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 मैनेजर्स, मण्डलीय एवं जनपदीय एन0यू0एच0एम0 कोआर्डिनेटर महिला चिकित्सालय के हॉस्पिटल मैनेजर एवं जिला फैमिली प्लानिंग स्पेशलिस्ट (टी0एस0यू0) आदि प्रतिभाग करेंगे सम्बन्धित मण्डल के जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मण्डलीय मुख्यालय को एकमुश्त धनराशि

अवमुक्त की जाएगी। उक्त बैठक के आयोजन हेतु प्रति तिमाही **प्रति मण्डल रू0 20,000.00 की दर** से धनराशि का प्रावधान किया गया है।

- **क्षेत्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक (FMR-RCH.6.50.PME.2)**-परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा हेतु प्रदेश में वर्ष 2023–24 में **क्षेत्रीय स्तर पर–झांसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, एवं वाराणसी में कुल 06 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा।** मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि वो जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के समन्वयन से उक्त समीक्षा बैठक आयोजित करेंगें। इस बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल आफिसर (परिवार कल्याण), मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, क्षेत्रीय एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, जिला लेखा प्रबन्धक, मण्डलीय एवं जनपदीय एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 मैनेजर्स, मण्डलीय एवं जनपदीय एन0यू0एच0एम0 कोआर्डिनेटर महिला चिकित्सालय के हॉस्पिटल मैनेजर एवं जिला फैमिली प्लानिंग स्पेशलिस्ट (टी0एस0यू0) प्रतिभाग करेंगे उक्त बैठक में राज्य स्तरीय अधिकारियों के द्वारा इकाईवार, विधिवार सेवाप्रदातावार उपलब्धि की समीक्षा के साथ संसाधनों की उपलब्धता एवं वित्तीय प्रगति आदि की समीक्षा की जायेगी।क्षेत्रीय स्तर पर बैठक के आयोजन हेतु सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय मुख्यालय के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में रू0 1,25,000.00 प्रति समीक्षा बैठक की दर से धनराशि का प्रावधान किया गया है।

नोट–बैठक के निर्धारण की तिथि की सूचना राज्य स्तर से पृथक से दी जायेगी।

- **जनपद के शहरी सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (HSS(U).5.143.OOC.1)**–रू0 150/– प्रति पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की दर से **कार्य आधारित** प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। यदि Each one teach one विधि द्वारा किसी मेडिकल ऑफिसर/स्टाफ नर्स/ए.एन.एम. को जिला अस्पताल या एफ.आर.यू. में मास्टर ट्रैनर अथवा परफार्मिंग सेवा प्रदाता द्वारा पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन की ट्रेनिंग कराई जाती है तो उक्त स्टाफ को ट्रेन्ड माना जाएगा एवं पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
- **जनपद के शहरी सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर सुरक्षित गर्भपात सेवा के पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (HSS(U).5.143.OOC.2)**– रू0 150/– प्रति पी0ए0आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की दर से कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।
- **जनपद के जिला चिकित्सालय/शहरी शासकीय स्वास्थ्य इकाईयों पर परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन (FMR-HSS(U).5.143.OOC.3)**–यह योजना संख्या आधारित है। इस योजना के तहत कार्यरत परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के मानक निम्नानुसार हैं:–

पी.पी.आई.यू.सी.डी–किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित कर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 35 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. निवेशन करवाए जाने की स्थिति में परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 35 प्रतिशत से अधिक हुए केसों हेतु **प्रति केस रू0 50.00 की दर** से प्रोत्साहन राशि दिया जाये।

उदाहरणार्थ– यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किए जाते है जिसके सापेक्ष 50 पी.पी.आई.यू. सी.डी निवेशन होता है जिसमें से परामर्शदात्री द्वारा 35 पी.पी.आई.यू.सी.डी निवेशन कराया जाता है, उस स्थिति में 35 प्रतिशत से अधिक (36 से 40 केस तक अर्थात कुल 05 केस) केस पर रू0 50/–प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि परिवार कल्याण परामर्शदात्री को देय होगी।

प्रसव पश्चात नसबंदी सेवाः–किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित करने पर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 15 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात नसबंदी करवाए जाने की स्थिति में, परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 15 प्रतिशत से अधिक हुए केस पर **रू0 50.00 प्रति केस की दर** से प्रोत्साहन राशि देय होगी।

नोट–जनपदों की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिन परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों द्वारा उपरोक्तानुसार उत्कृश्ट कार्य किया गया हो, उन्हें ही कार्य आधारित प्रोत्साहन धनराशि प्रदान किया जाए।

- **लेप्रोस्कोप मरम्मत हेतु बजट प्राविधान–(HSS.8.183.OOC.01)–**जनपदों एवं यू0पी0टी0एस0यू0 से प्राप्त फीडबैक के आधार पर वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में लेप्रोस्कोप के मरम्मत हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। उक्त धनराशि के माध्यम से जनपदों में प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत योग्य लेप्रोस्कोप को वास्तविक व्यय के आधार पर नियमानुसार धनराशि उपयोगित किया जाना है।
- **जनपद के ग्रामीण सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (HSS.9.185.OOC.02)–**यदि Each one teach one विधि द्वारा किसी मेडिकल ऑफिसर/स्टाफ नर्स/ए.एन.एम. को जिला अस्पताल या एफ.आर.यू. में मास्टर ट्रैनर अथवा परफार्मिंग सेवा प्रदाता द्वारा पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन की ट्रेनिंग कराई जाती है तो उक्त स्टाफ को ट्रेन्ड माना जाएगा एवं पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाएगा। **रू0 150/– प्रति पी0पी0आई0यू0सी0डी0** इनसर्शन की दर से कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।
- **जनपद के ग्रामीण सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर सुरक्षित गर्भपात सेवा के पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (HSS.9.185.OOC.03)–**रू0 150/– प्रति पी0ए0आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की दर से कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।
- **जनपद के ग्रामीण सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन (FMR-HSS.9.185.OOC.4)–**यह योजना संख्या आधारित है। इस योजना के तहत कार्यरत परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के मानक निम्नानुसार हैंः–

पी.पी.आई.यू.सी.डी–किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित कर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 35 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. निवेशन करवाए जाने की स्थिति में परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 35 प्रतिशत से अधिक हुए केसों हेतु **प्रति केस रू0 50.00 की दर** से प्रोत्साहन राशि दिया जाये। **उदाहरणार्थ**– यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किए जाते है जिसके सापेक्ष 50 पी.पी.आई.यू. सी.डी निवेशन होता है जिसमें से परामर्शदात्री द्वारा 45 पी.पी.आई.यू.सी.डी निवेशन कराया जाता है, उस स्थिति में 35 प्रतिशत से अधिक (36 से 40 केस तक अर्थात कुल 05 केस) केस पर**रू0 50/–प्रति केस** की दर से प्रोत्साहन राशि परिवार कल्याण परामर्शदात्री को देय होगी।

प्रसव पश्चात नसबंदी सेवाः–किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित करने पर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 15 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात नसबंदी करवाए जाने की स्थिति में, परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 15 प्रतिशत से अधिक हुए केस पर **रू0 50.00 प्रति केस की दर** से प्रोत्साहन राशि देय होगी। **उदाहरणार्थ**–यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किए जाते है जिसके सापेक्ष 25 प्रसव पश्चात नसबन्दी होता है जिसमें से परामर्शदात्री द्वारा 20 प्रसव पश्चात नसबन्दी कराया जाता है, उस स्थिति में 15 प्रतिशत से अधिक (16 से 20 केस तक अर्थात कुल 05 केस) केस पर रू0 50/–प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि परिवार कल्याण परामर्शदात्री को देय होगी।

नोट–जनपदों की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिन परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों द्वारा उपरोक्तानुसार उत्कृश्ट कार्य किया गया हो, उन्हें ही कार्य आधारित प्रोत्साहन धनराशि प्रदान किया जाए।

1.2 सुरक्षित गर्भपात सेवायें कार्यक्रम –

देश में होने वाली मातृ मृत्यु में से 08 प्रतिशत से अधिक मृत्यु असुरक्षित गर्भपात के कारण होती हैं, जिससे महिला के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। देश में गर्भपात कानूनन वैध है तथा सुरक्षित गर्भपात अधिनियम 1971 के अन्तर्गत सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान की जाती है।

- **सर्जिकल मेथड से गर्भपात कराये जाने की स्थिति में आशा को प्रोत्साहन (FMR–RCH.1.10.ASHA.1)**–सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने हेतु सर्जिकल मेथड से गर्भपात किए जाने की स्थिति में आशा को यात्रा भत्ता के रुप में प्रतिपूर्ति राशि दिया जाना है। इस योजना के तहत आशा द्वारा यदि किसी महिला को सर्जिकल गर्भपात सेवा दिलाने हेतु प्रेरित किया जाता है तो आशा को एकमुश्त धनराशि रु0 150.00 प्रति केस दिया जाएगा।
- **मेडिकल मेथड से गर्भपात कराए जाने की स्थिति में आशा को प्रोत्साहन(FMR–RCH.1.10.ASHA.2)**–सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने हेतु मेडिकल मेथड से गर्भपात किए जाने की स्थिति में आशा को यात्रा भत्ता के रुप में प्रतिपूर्ति राशि दिया जाना है। इस योजना के तहत आशा द्वारा यदि किसी महिला को मेडिकल मेथड से गर्भपात सेवा दिलाने हेतु प्रेरित कर सेवा दिलायी जाती हैं तो आशा को एकमुश्त धनराशि रु0 225.00 प्रति केस दिया जाएगा।
- **सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण(FMR–RCH.1.10.CB.1)**–सुरक्षित गर्भपात सेवा टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण लखनऊ के वीरांगना अवन्तीबाई चिकित्सालय में Ipasसंस्था के सहयोग से आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार रु0 1,92,000.00 के उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है–

Comprehensive Abortion Care trainings (Including MVA/ EVA and Medical abortion) for Trainers-FY-2023-24					
1	Programme Budget for - **TOT on CAC services**				
2	Duration - **04 Working days**				
3	Participants- **12 per Batch**				
4	Training Conducted By- **NHM**				
5	Total no. of Batches Proposed for Year 2023-24 - **1 Batch**				
6	Budget for one batch-**Rs. 1,92,000.00**				
Sl.No	**Activities**	**Rate in Rs.**	**No of participant**	**Days**	**Total**
1	Honararium per diem to Trainer- Doctor	1000	2	4	8000
2	Honararium per diem to Trainer- SN	500	1	4	2000
3	Honararium per diem to Participants-MOs	500	12	4	24000
4	Accomodation to Participants- MOs	1000	12	4	48000
5	Food- 12 Participants + 2 Trainers	250	14	4	14000
6	MVA kits for Participants	3000	12		36000
7	Incidental expenses -MOs	300	12	4	14400
	Total excluding TA				**146400**
8	TA -MO	2000	12	1	24000
	Total including TA				**170400**
9	Institutional Over Head 15 % excluding TA				**21600**
	Total Budget for 1 Batch in Rupees				**192000**

- **सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों का प्रशिक्षण (FMR- RCH.1.10.CB.2)**–सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों का 12 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदेश के चिन्हित जनपदों में आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार धनराशि रु0 1,39,800.00 उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है–

CAC Training for Medical Officers 2023-24	
1	Duration - **12Working days for Medical Officers**
2	Participants- **03 Medical Officers per Batch**
3	Training Conducted By-**Training Centers**
4	Budget for one batch - **Rs.139800/batch**

Sl.No	Activities	Rate in Rs.	No of participant	Days	Total
1	Honararium per diem to Trainer- Two Doctor	1000	2	12	24000
2	Honararium per diem to Participants MO	1000	3	12	36000
3	Accomodation for Participants	1000	3	12	36000
4	Honararium per diem to trainer nurse	500	1	12	6000
5	Food to Participants and Trainers	250	5	12	15000
6	MVA Kits for Participatnts	3000	3	1	9000
7	Incidental expenses	300	3	12	10800
	Total Budget Excluding TA				**136800**
8	TA for Participants-MO	1000	3	1	3000
	Total including TA				139800
	Total Budget for 1 Batch Rupees				**139800**

- **सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ का प्रशिक्षण (FMR-RCH.1.10.CB.3)**–सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ का 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदेश के चिन्हित 12 जनपदों में आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैः–

CAC Training for Obs & Gynae 2021-22					
1	Duration **- 5 Working days for Obs & Gynae**				
2	Participants- 04 **per Batch (03 Obs & Gynae)**				
3	Budget for one batch- **Rs.82200 /Batch**				
Sl.No	**Activities**	**Rate in Rs.**	**No of participant**	**Days**	**Total**
1	Honararium per diem to Trainer- Two Doctor	1000	2	5	10000
2	Honararium per diem to Trainer- SN	500	1	5	2500
3	Honararium per diem to Participants- **Obs & Gynae**	500	4	5	10000
4	Accomodation for Participants	1000	4	5	20000
5	Food to Participants and Trainers	250	6	5	7500
6	MVA Kit	3000	4	1	12000
7	Incidental expenses	300	4	5	6000
	Total Budget Excluding TA				68000
8	TA for Participants-(On Actual Basis)	1000	4	1	4000
	Total including TA				**72000**
9	Institutional Over Head 15 % of total training expenses excluding TA				**10200**
	Total Budget for 01 Batch				**82200**

- **सुरक्षित गर्भपात के अर्न्तगत औषधि यों द्वारा गर्भपात का प्रशिक्षण (FMR–RCH.1.10.CB.5)**–सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के सुदृढीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए नये कदम स्वरुप औषधि यों द्वारा विशिष्ट प्रशिक्षण कराना तय किया गया है। जिसके अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2022–23 में सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रम में औषधि यों द्वारा गर्भपात विशिश्ट (डड।) का प्रशिक्षण राज्य के 14 सुरक्षित गर्भपात प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण 04 दिवसीय होगा, जिसके प्रत्येक बैच में 10 एम0बी0बी0एस0 सेवा प्रदाता प्रशिक्षित किये जायेंगे। यह प्रशिक्षण आइपास डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा 04 दिवसीय प्रशिक्षित सेवा प्रदाता अपने स्वास्थ्य इकाइयों पर मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन की सेवाएं दे सकेंगे। उक्त प्रशिक्षण हेतु संबधित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार धनराशि रु०1,35,550.00 उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं –

CAC -MMA Training					
Site of training		Disrticts			
Duration of Training		4 working days for doctors			
Number of trainees		10 Doctors			
Trainers		2 trainers			
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA - Mos	2000	10	1	20000
2	Honorarium per diem to trainer - Doctor	1000	2	4	8000
3	Honorarium per diem to participants - Mos	500	10	4	20000
4	Accommodation to participants - Mos	1500	10	4	60000
5	Refreshment to Doctors trainees	250	10	4	10000

CAC -MMA Training					
Site of training		Disrticts			
Duration of Training		4 working days for doctors			
Number of trainees		10 Doctors			
Trainers		2 trainers			
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
6	Refreshment to trainers	250	2	4	2000
7	Stationary including certificate	150	10	1	1500
8	Training Manual	350	10	1	3500
	Sub total				**125000**
9	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA				**10500**
	Total				**135500**

1.3 पी0सी0पी0एन0डी0टी0कार्यक्रम –

प्रदेश में घटता हुआ बाल लिंगानुपात गम्भीर चिन्ता का विषय है।कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग परीक्षण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में ''प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994'' पूर्व में ही प्रख्यापित किया जा चुका है, जोकि उत्तर प्रदेश में भी लागू है। वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधित करते हुए इसका नाम ''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) अधिनियम, 1994'' कर दिया गया है। अधिनियम के अनुसार ऐसे सभी केन्द्र जहाँ गर्भधारण से पूर्व अथवा प्रसव पूर्व गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की पहचान की जा सकती है, का पंजीकरण अनिवार्य है। किसी प्रकार से भी भ्रूण लिंग की जाँच कर उसका परिणाम बताना अथवा गर्भधारण पूर्व अथवा प्रसव पूर्व लिंग चयन करना व करवाना गैर कानूनी है। इस अधिनियम के अन्तर्गत गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन से सम्बन्धित विज्ञापन भी पूर्णतया निषेध है। इस कानून की एक अहम बात यह भी है कि भ्रूण लिंग की जाँच करने वाले चिकित्सक तथा जाँच करवाने वाले व्यक्ति दोनो को कैद तथा जुर्माना हो सकता है।

प्रदेश में घटतें हुये बाल लिंगानुपात की रोकथाम हेतु ''डिक्वाय ऑपरेशन'' संचालित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ''**मुखबिर योजना**'' 01 जुलाई 2017 से लागू की गयी। आवश्यक है कि लिंग चयन एवं लिंग चयन के पश्चात विशेष लिंग के भ्रूण की हत्या के अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/केन्द्रों/संस्थाओं की गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाये व ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं/स्थलों पर ''डिक्वाय ऑपरेशन'' के माध्यम से इस अवैध कार्य में सलिप्त व्यक्तियों /संस्थाओं/केन्द्रों के विरूद्व साक्ष्य एकत्रित करते हुये उनके विरूद्व मा0 न्यायालय में दण्डादेश पारित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये। ''**मुखबिर योजना**'' लागू होने के उपरान्त प्रदेश में अब तक कुल 13 सफल ''डिक्वाय ऑपरेशन'' ही सम्पादित किये गये है। अतः बाल लिंगानुपात में कमी लाने हेतु जनपदों द्वारा अधिक से अधिक सफल ''डिक्वाय ऑपरेशन'' किया जाना आवश्यक है।

''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) अधिनियम, 1994'' के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27 नवम्बर, 2013 को एक वेबसाइट www.pyaribitiya.inलांच की गयी। जिसके माध्यम से जनपद स्तर पर पंजीकृत ईकाइयों का अनुश्रवण किया जाता है। दिनांक 12 नवम्बर, 2020 से पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पोर्टल www.pyaribitiya.inके माध्यम से इकाईयों के पंजीयन/नवीनीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाईन कर दिया गया है। वर्तमान में आनलाईन प्रक्रिया के अन्तर्गत इकाईयों के पंजीयन हेतु प्राप्त 2040 आवेदनों का आनलाईन पोर्टल के माध्यम से निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही आवश्यक है कि इकाईयो का पंजीयन/नवीनीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाये।

उत्तर प्रदेश में हेल्थ मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम से मार्च 2022 की निर्गत रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का जन्म के समय बाल लिंगानुपात 934 है जो कि NFHS-5 (2020-21) में प्रदर्शित उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात 941 से 07 कम है जो कि चिंता का विषय है। जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में बाल लिंग अनुपात में गिरावट परिलक्षित हुई है। जबकि 2001 में प्रदेश का बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) 916 था, जो कि वर्ष 2011 में गिरकर 902 रह गया है। SRS 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जन्म पर बाल लिंगानुपात 880 है जो कि राष्ट्रीय स्तर से 19 कम है। उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपातकी गिरावट 19 अंकों की दर्शायी गयी है तथा यह गिरावट प्रदेश के अधिकतर जनपदों में है। गिरते हुए बाल लिंगानुपात का मुख्य कारण आधुनिक निदान तकनीकों का

दुरुपयोग कर गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की जानकारी प्राप्त कर उसके कन्या होने की दशा में उसका अवैध तरीके से गर्भपात कराना है। गिरते हुए बाल लिंगानुपात पर नियंत्रण प्राप्त करने तथा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा ''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) अधिनियम, 1994'' प्रख्यापित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी लागू है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा जिला–मजिस्ट्रेट को जनपदीय समुचित प्राधिकारी तथा तहसील स्तर पर उपजिला–मजिस्ट्रेट को तहसील स्तरीय समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद एवं मण्डल स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन हेतु अनुमोदित धनराशि के आवंटित सीमा तक का व्यय नियमानुसार की जानी है। जनपद स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन का मुख्य दायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का एवं मण्डल स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन का दायित्व मण्डलीय अपर निदेशक– चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का है।

वर्ष 2023–24 में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 सम्बंधी गतिविधियो के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में प्रदत दिशा निर्देशों का ही अनुपालन किया जाये।

जनपद/मण्डलस्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों का मानदेय

- **मण्डलीय स्तरीय डाटा असिस्टेन्ट– (FMR-HSS.9.184.C.P001)** गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) अधिनियम, 1994 के मण्डल स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन एवं गतिविधियों के सफलता पूर्वक सम्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में प्रदेश के प्रत्येक मण्डल हेतु 01 डाटा असिस्टेंन्ट का पद स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में मण्डल **सहारनपुर** को छोड़कर समस्त 17 मण्डलीय जनपदों में एक–एक डेटा असिस्टेंट मण्डलीय अपर निदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय में तैनात है। भारत सरकार द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर कार्यरत डाटा असिस्टेंट हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 की कार्ययोजना में @ 27957/– रूपये प्रतिमाह की दर से 12 माह का मासिक मानदेय एवं वर्तमान में देय मानदेय पर @ 05 प्रतिशत की वेतन वृद्वि स्वीकृत की गयी है। साथ ही **मण्डलीय जनपद– आगरा, अलीगढ़ एवं आजमगढ़, बॉदा, बस्ती, देवीपाटन, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद,** में मण्डलीय अपर निदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय में सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत डेटा असिस्टेंट हेतु वर्ष 2023–24 में देय मासिक मानदेय पर 10 प्रतिशत का सर्विस चार्ज, 18 प्रतिशत का सर्विस टैक्स, 3.25 का ई0एस0आई का भी प्राविधान 12 माह के लिए किया गया है।
- **जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री आपरेटर–(FMR-HSS.9.184.C.P002)**भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में प्रदेश के प्रत्येक जनपद हेतु 01–01 जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री आपरेटर का पद स्वीकृत किया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों में से 08 जनपदों–**औरैया, बदायू, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, पीलीभीत, सुल्तानपुर, सम्भल** को छोड़कर शेष 67 जनपदों में डेटा इन्ट्री आपरेटर कार्यरत हैं। जिसके 12 माह के मानदेय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 की कार्ययोजना में @ 15513/– रूपये प्रतिमाह की दर से 12 माह का मासिक मानदेय एवं वर्तमान में देय मानदेय पर @ 05 प्रतिशत की वेतन वृद्वि स्वीकृत की गयी है। सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री आपरेटर हेतु वर्ष 2023–24 में देय मासिक मानदेय पर अधिकतम 10 प्रतिशत का सर्विस चार्ज, 18 प्रतिशत का सर्विस टैक्स, 13. 36 प्रतिशत का ई0पी0एफ0, 3.25 का ई0एस0आई का भी प्राविधान 12 माह के लिए किया गया है। जनपद **मुरादाबाद, सम्भल, औरैया, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायू, पीलीभीत एवं फिरोजाबाद** के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि रिक्त डेटा इन्ट्री आपरेटर के पदों पर चयन तब तक नहीं किया जाए, जब तक इस सम्बन्ध में राज्य स्तर से निर्देश न प्रेषित किये जाएं।
- **जनपद स्तरीय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर–(FMR-HSS.9.184.C.P008)** प्रदेश के चयनित 24 जनपदों में जनपद स्तरीय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर की पदस्थापना की गयी है। 03 जनपदों हापुड, वाराणसी एवं जौनपुर को छोडकर 21 जनपदों में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर कार्यरत है। जिनके मासिक मानदेय हेतु रु0 26626/–प्रतिमाह की दर से धनराशि दिए जाने की व्यवस्था की गयी है। समस्त कार्यरत पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर को भारत सरकार द्वारा परफारमेन्स के आधार पर वर्तमान देय मानदेय पर 05 प्रतिशत की वेतन वृद्वि वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत की गयी

है। पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर हेतु मानदेय की धनराशि एफ0एम0आर0 कोड संख्या–HSS.9.184.C.P008के अर्न्तगत प्राविधानित की गयी है।

- **<u>कन्टीजेन्सी धनराशि का प्राविधान</u>–(RCH.2.19.PME.4)** भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में प्रत्येक जनपद एवं मण्डल स्तर हेतु रू0 10000 प्रतिवर्ष की दर से धनराशि कन्टीजेन्सी मद में स्वीकृत की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यकालापों/मदों के लिये किया जा सकेगा।
- **<u>मुखबीर योजना के अन्तर्गत पुरस्कार का प्राविधान</u>(RCH.2.19.PME.3)** प्रदेश में घटता हुआ बाल लिंगानुपात गम्भीर चिन्ता का विषय है। आवश्यक है कि लिंग चयन एवं लिंग चयन के पश्चात विशेष लिंग के भ्रूण की हत्या के अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/केन्द्रों/संस्थाओं की गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाएव ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं/स्थलों पर ''डिक्वाय ऑपरेशन'' के माध्यम से इस अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/संस्थाओं/केन्द्रों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करते हुए उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय से दण्डादेश पारित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।

  उक्त योजना के संबंध में शासनादेश संख्याः–37/2017/383/पॉच–9–2017–9(37)/2017 दिनॉक 23 जून 2017 का संज्ञान लिया जाये एवं शासनादेश में निहित व्यवस्थानुरुप तथा राज्य समुचित प्राधिकारी के स्तर से इस सम्बंध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये डिक्वाय ऑपरेशन सम्पादित किये जाये तथा भुगतान हेतु प्रपत्र अग्रसारित किये जाये।

  जनसमुदाय द्वारासफल डिक्वॉय ऑपरेशन करवाने पर ''मुखबिर'' को रु0 60,000/– व ''मिथ्या ग्राहक'' को रु0 1,00,000/– एवं ''मिथ्या ग्राहक सहायक'' को रु0 40,000/– की धनराशि पुरस्कार के रूप में 03 किश्तों में दावा करने पर अनुमन्य की जायेगी।

  नोट– मुखबीर योजना के तहत धनराशि का भुगतान जनपदों से प्राप्त मॉग पत्र के आधार पर राज्य स्तर से नियमानुसार किया जाएगा।

- **<u>मण्डल एवं जनपद स्तरीय निरीक्षण टीमों हेतु मोबिलिटी सपोर्ट</u>–(FMR Code-RCH.2.19.PME.5)**

- मण्डल एवं जनपदस्तरीय अधिकारियों के मोबिलिटी सपोर्ट हेतु नियमानुसार टी0ए0/डी0ए0 के भुगतान के लिए **प्रत्येक मण्डल को रु0 25,000.00** की धनराशि एवं **प्रत्येक जनपद को रू0 50000.00** की धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड संख्या–RCH.2.19.PME.5** के अर्न्तगत प्राविधानित की गयी है।
- पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 से विनियमित सेवायें प्रदान करने वाले केन्द्रों का निरीक्षण मण्डल स्तर से मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मण्डलीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा किया जाये।
- मण्डल स्तरीय निरीक्षण में मण्डलीय अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक के साथ सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) का उपकरणों व अभिलेखों को सील/सीज करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी का होना अनिवार्य है।
- जनपद स्तरीय निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक/जनपदीय नोडल पी0सी0पी0एन0डी0टी0 के साथ सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का उपकरणों व अभिलेखों को सील/सीज करने हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
- निरीक्षण के समय यदि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित केन्द्र की समस्त अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के साथ–साथ ऐसे समस्त उपकरण जिनके द्वारा गर्भधारण पूर्व अथवा प्रसव पूर्व लिंग चयन सम्भव है, को निरीक्षण के समय ही सील किया जाये। इसके अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेखों को मूल रूप में जब्त भी किया जाए इस हेतु पृथक से सीलिंग/सीजर मैमो आवश्यक रूप से बनाया जाये।

- जब्त किए गए अभिलेखों/उपकरणों के साथ–साथ निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग मैमो व सीजर मैमो की मूल प्रति जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सम्बन्धित केन्द्र की पत्रावली में सुरक्षित रखीं जायें।
- अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में केन्द्र के पंजीकरण के निलम्बन/निरस्तीकरण के साथ–साथ दोशी व्यक्तियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में परिवाद योजित किए जाने की कार्यवाही जनपदीय समुचित प्राधिकारी द्वारा अमल में लायी जायेगी। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व है कि वे मूल निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग व सीजर मैमो के साथ–साथ समस्त साक्ष्य/अभिलेख जिलाधिकारी के समक्ष पत्रावली पर प्रस्तुत करें।
- निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग मैमो व सीजर मैमो की एक छायाप्रति मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निरीक्षणोपरान्त सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी, (पी0सी0पी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) के साथ–साथ अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, जगत नारायण रोड, लखनऊ–226003 को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।
- निरीक्षण हेतु प्रारूप पूर्व में जनपदों को उपलब्ध कराया जा चुका है।

2. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम

2.1 जननी सुरक्षा योजनाः–

प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ''जननी सुरक्षा योजना'' शासनादेश सं0–जी0आई0 176/5–9–07–9 (113)/05 टी0सी0 दिनांक 08.06.2007, शासनादेश सं0–3668/5–9.7–9(113) /2005, दिनांक 19.01.2008 तथा शासनादेश सं0–3667/5–9–08–9 (113)/05, दिनांक 05.03.2008 के अधीन संचालित की जा रही हैं।

भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 की स्वीकृतियों के अनुसार ''जननी सुरक्षा योजना'' वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु 27,90,000 लाभार्थियों के संस्थागत प्रसव के लक्ष्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जननी सुरक्षा योजना हेतु आर0ओ0पी0 में स्वीकृत कुल धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत की धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है–

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड	वित्तिय आगणन हेतु भौतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित कुल धनराशि (रू0 में)
1	ग्रामीण प्रसवों का भुगतान रू0 1400 की दर से	RCH.1.3.DBT.1	25,01,000	262,60,50,000
2	शहरी प्रसवों का भुगतान रू0 1000 की दर से	RCH.1.3.DBT.2	2,89,000	21,67,50,000
3	बी0पी0एल0 घरेलू प्रसव रू0 500 की दर से	RCH.1.3.	615	3,07,000
4	आशाओं को प्रोत्साहन धनराशि रू0 600 की दर से	RCH.1.3.ASHA	23,74,800	106,86,60,000
5	जनपद स्तरीय प्रशासनिक मद	RCH.1.3.OOC	4%	15,64,70,680
कुल जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि				**406,82,37,680**

कार्यक्रम क्रियान्वयन सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

I. गर्भवती महिलाओं का आर0सी0एच0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशनः–

भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 01 अप्रैल 2016 से जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान हेतु लाभार्थियों का एम0सी0टी0एस0पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसको आर0सी0एच0 पोर्टल में परिवर्तित कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना का भुगतान उन्हीं लाभार्थियों को दिया जायेगा जिनका आर0सी0एच0 पोर्टलपर रजिस्ट्रेशन हुआ हो, अतः सभी जे0एस0वाई0 के लाभार्थियों का भुगतान किये जाने हेतु छाया वी0एच0एस0एन0डी0/यू0एच0एस0एन0डी0 के समय चिन्हित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का भी आर0सी0एच0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रसव पूर्व जाँचों के आधार पर प्रत्येक लाभार्थी को दी गयी सेवाओं का पोर्टल पर अपडेशन भी सुनिश्चित किया जाना है।

II. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधानः–

वर्तमान में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशा के भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–657 /पॉच–9–2013–9(113)/05 दिनांक 15 मई 2013 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अनुपालन में मिशन निदेशक द्वारा पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वास्थ्य/जे0एस0वाई0/8–6/13–14/ 934–75 दिनांक–30.05.2013 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना'' एक निरन्तर संचालित की जाने वाली योजना है एवं इसका लाभ राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, अन्य जिला स्तरीय चिकित्सालय तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीनस्थ समस्त स्वास्थ्य इकाइयों पर लागू है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सम्बन्धी दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

- ग्रामीण प्रसवों का भुगतान रू0 1400/–प्रति लाभार्थी की दर से स्वीकृत एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.DBT.1
- शहरी प्रसवों का भुगतान रू0 1000/–प्रति लाभार्थी की दर से स्वीकृत एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.DBT.2
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं के घरेलू प्रसव हेतु रू0 500/–प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि स्वीकृत है (एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.DBT.3)

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या– 176 /5–9–07–9(113)/05 टीसी दिनांक 08.06.2007 के प्रस्तर पाँच में दिये गये निर्देश में आंशिक संशोधन करते हुये नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली सभी आयु वर्ग की गर्भवती महिलाओं, जो घर पर कुशल सेवाप्रदाता (ए.एन.एम/एल.एच.वी./स्टाफ नर्स/सिस्टर अथवा चिकित्सक) के माध्यम से प्रसव कराती हैं, को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्येक बच्चे के जन्म पर प्रति प्रसव रू0– 500/– की आर्थिक सहायता अनुमन्य की गयी है, जिसके लिये आवश्यक निर्देश प्रमुख सचिव चिकि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश पत्रांक–373/पॉच–9–2014–9 (113) 05 दिनांक 04 मार्च 2014 के द्वारा निर्गत किये गये हैं।

- आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू0 600/–की दर से ग्रामीण प्रसवों हेतु (राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू0–300/– प्रति लाभार्थी एवं लाभार्थी के एम0सी0पी0 कार्ड पर आर0सी0एच0 नम्बर, मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप हेतु रू0–300/– प्रति लाभार्थी) स्वीकृत एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.ASHA
- आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू0 400/–की दर से शहरी प्रसवों हेतु (राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू0–200/– प्रति लाभार्थी एवं लाभार्थी के एम0सी0पी0 कार्ड पर आर0सी0एच0 नम्बर, मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप हेतु रू0–200/– प्रति लाभार्थी) स्वीकृत एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.ASHA

III. **जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत (प्रशासनिक मद हेतु)**–जनपद स्तर पर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि की 4 प्रतिशत धनराशि प्रशासनिक मद के अन्तर्गत आवंटित की गयी है, जनपदों में जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय/जिला स्तरीय चिकित्सालय एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज को प्रसव भार के अनुसार आवंटित धनराशि का 4 प्रतिशत (प्रशासनिक मद हेतु) का आवंटन भी सुनिश्चित किया जाये है। इस धनराशि का उपयोग निम्नवत् किया जाना हैएफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.OOC

- ए0एन0सी0, लेबर रूम एवं मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी रजिस्टरों का मुद्रण।
- मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम सम्बन्धी प्रचार प्रसार सामग्री।
- जे0एस0वाई0 वार्ड एवं लेबर रूम हेतु रख रखाव, साफ सफाई एवं साज–सज्जा की व्यवस्था।
- जनपद में मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों की कम्प्यूटराज्ड रिपोर्टिंग हेतु आवश्कतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था।

IV. **मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय में संस्थागत प्रसव कराने की व्यवस्था–**

आयुषमान भारत योजना के अर्न्तगत चिन्हित मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय में Health Benefit Package में पात्र लाभार्थियों हेतु जटिल प्रसवों एवं सिजेरियन प्रसवों की सुविधा प्रदान की जा रही है।

V. **जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान –**

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के भुगतान में पारदर्शिता लाने, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को रोकने तथा एक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के लिये भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/5067 दिनांक 04.02.15 के द्वारा सभी भुगतान पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों/महिलाओं का 'आधार' क्रमांक अथवा आधार लिंक्ड बैंक खाते का विवरण पंजीकरण के समय अथवा एन्टीनेटल चेकअप के दौरान आर0सी0एच0 पोर्टल डेटाबेस/एम.सी.पी. कार्ड में अंकित किये जाने का प्राविधान है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार डी0बी0टी0 योजना के तहत जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान लाभार्थियों के आधार कार्ड संख्या से सम्बद्ध बैंक खाते में ही किया जायेगा। आशा द्वारा लाभार्थियों का आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाता खुलवाने तथा उसे आधार से लिंक कराना अपेक्षित है। ए0एन0एम0 द्वारा भी गर्भवती महिलाओं को सूचीबद्ध कर उनके खाते खुलवाने एवं आधार कार्ड से सम्बद्ध कराने की कार्यवाही में आवशयक सहयोग प्रदान किया जायेगा। ***समस्त जे0एस0वाई0 भुगतान केवल लाभार्थी महिला के खाते में ही किये जायेंगे।***

चिकित्सालय से छुट्टी के समय जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी को पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से उसके बैंक खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। धनराशि की जानकारी ''जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र'' के माध्यम से दे दी जाये, जिसकी एक प्रति लाभार्थी को एवं एक प्रति चिकित्सालय पर संरक्षित की जाये। सभी इकाईयों को जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र एक बुकलेट के रूप में मुद्रित कराकर उपलब्ध कराना सुनिशिचत करें। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान इस बुकलेट के उपयोग की समीक्षा की जाये। जे0एस0वाई0 फार्म का प्रारूप समस्त प्रसव इकाईयों पर उपलब्ध करायें। इसे सभी प्रसव इकाईयों पर बी0पी0एल0 लाभार्थियों के घरेलू प्रसव के भुगतान हेतु भी आवश्यक कर दें।

राज्य स्तर से प्रेषित पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8–9/2021–22/2611–2 दिनांक 13.08.2021 में दिये गये निर्देश के अनुसार–

- गर्भवती महिलाओं के बैंक खाता के पूर्ण विवरण सहित आर0सी0एच0 पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य किया जा रहा है। बैंक खाता का विवरण एम0सी0पी0 कार्ड एवं आर0सी0एच0 रजिस्टर पर अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- पंजीकरण उपरान्तजिन लाभार्थियों के पास बैंक खातासंख्या उपलब्ध नहीं है, आशाओं के माध्यम से उनके खाते खुलवाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाये। प्रत्येक दशा में प्रसव पूर्व समस्त लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवा लिये जायें, ताकि प्रसव उपरान्त जे0एस0वाई भुगतान में कोई विलम्ब न हो।
- दिशा निर्देश के अनुसार जे0एस0वाई के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव हेतु लाभार्थियों का भुगतान 48 घण्टे के अंदर किया जाना आवश्यक है एवं भुगतान विलम्बित होने पर जनपद स्तर से साप्ताहिक समीक्षा की जाये तथा भुगतान न होने की स्थिति में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायें।

VI. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग–

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त रिपोर्ट एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर की जायेंगी। समस्त रिपोर्टिंग प्रपत्रो एवं राज्य अधारित पोर्टल को एकीकृत कर तैयार किये गये एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर समस्त आंकड़ो को गुणवत्तायुक्त तरीके से एकत्र करने की व्यवस्था बनायी गयी है। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का उत्तरदायित्व स्पष्टता निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि समस्त आंकड़ों को दी गयी व्यवस्था के अनुसार गुणवत्ता के साथ फीड किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे कि मासिक समीक्षा हेतु एच0एम0आई0एस0 पर उपलब्ध आंकड़ो/सूचना के आधार पर जनपदों द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा की जा सके।

समस्त राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों पर हुये संस्थागत प्रसवों की सूचना प्रति दिन ''मंत्र'' पोर्टल पर किया जाना अति आवश्यक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में जे0एस0वाई0 की त्रैमासिक रिपोर्ट **''प्रपत्र 18''** पर प्रत्येक त्रैमास समाप्ति के बाद 05 दिवसों के अन्दर राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

VII. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारण एवं वित्तीय फांट–

वित्तीय वर्ष 2022–23 में जननी सुरक्षा योजना की जनपदों से उपलब्ध करायी गयी त्रैमासिक भौतिक प्रगति **''प्रपत्र 18''**के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 में जननी सुरक्षा योजना हेतु कुल 27,90,000 लाभार्थियों के संस्थागत प्रसव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में जननी सुरक्षा योजना हेतुस्वीकृत कुल धनराशि के सापेक्ष 25 प्रतिशत की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है। जिला लेखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि जनपद की समस्त अधीनस्थ इकाइयों को ससमय वित्तीय आहरण सीमा (Limit) जारी की जाये।

उपयफ्रक्त हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना हेतु कुल रू0 406,82,37,680/–(रू0 चार सौ छः करोड़ बयासी लाख सैंतीस हजार छः सौ अस्सी मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है, शेष 25 प्रतिशत जनपदों को नौ माह की प्रगति की समीक्षा के आधार पर आवंटित की जायेगी। यह धनराशि जनपदों द्वारा व्यय की गयी धनराशि के आंकलन के आधार पर आवंटित की जायेगी।

2.2 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमः–

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2011 से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान चिकित्सकीय देखभाल व प्रसव सम्बन्धी सेवायें पूर्णतया निःशुल्क प्रदान करना है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला को पाँच निःशुल्क सेवाएं–निःशुल्क, परिवहन सुविधा, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, निःशुल्क उपचार (औषधि एवं कंज्यूमेबिल्स) निःशुल्क जाँचे, एवं निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था प्रदान की जा रही है।

प्रसवोपरान्त प्रथम 48 घंटे माँ व बच्चे दोनों के लिये अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अधिकतर जटिलतायें व मृत्यु इस अवधि में ही होती हैं। हमारी पूरी कार्यनीति प्रसूताओं एवं नवजात शिशु ओं हेतु इस अति संवेदनशील अवधि (प्रथम 48 घंटे) में चिकित्सकों की देख–रेख में होनी चाहिए। इसके लिये सभी प्रसव इकाईयों पर प्रसवोपरान्त महिलाओं को कम से कम 48–72 घंटे तक रोकने की पर्याप्त व्यवस्था किये

जाने का प्राविधान है। सभी निःशुल्क सेवाओं के साथ चिकित्सालय का वातावरण भी सहयोगात्मक होना आवश्यक है, जिससे प्रसूताओं को चिकित्सालय परिसर में ससम्मान रहने का अवसर प्राप्त हो।

1. **निःशुल्क जाँच की व्यवस्थाः–**
   - जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जाँच की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। प्रदेश में सम्भावित 67.06 लाख गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 की राज्य कार्ययोजना में कुल 50 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा निःशुल्क जाँचें उपलब्ध कराने हेतु रैपिड टेस्टिंग किट्स एवं कन्ज्यूमेबिल्स आदि की व्यवस्था की जानी है, परन्तु जनपदों में अतिआवश्यक जांचों हेतु उपयोग होने वाले रीएजेन्ट, रैपिड टेस्टिंग किट्स तथा कन्ज्युमेबिल्स एवं अल्ट्रासाउण्ड हेतु 20 प्रतिशत धनराशि जनपदों को जनपदवार फांट के अनुसार आवंटित की जा रही है। जनपदों द्वारा इस धनराशि का उपयोग रीएजेन्ट, रैपिड टेस्टिंग किट्स, कन्ज्युमेबिल्स एवं अल्ट्रासाउण्ड हेतु इकाई पर सुविधा की उपलब्धता न होने की स्थिति में ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में इकाई में रीएजेन्ट, रैपिड टेस्टिंग किट्स तथा कन्ज्युमेबिल्स की आवश्यकता का आंकलन करते हुये जनपद स्तर से यू0पी0एम0एस0सी0एल0 से समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यकतानुसार सीमित मात्रा में ही क्रय किया जाये।
   - पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में आने वाली 1.5 लाख गर्भवती महिलाओं हेतु पी0पी0पी0 मोड पर रू0 300/– की दर से अल्ट्रासाउण्ड जाँच की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।
   - छाया वी0एच0एन0डी0 सत्र पर गर्भवती महिलाओं हेतु एच0आई0वी0 एवं सिफलिस की जांच किट ले जाने की व्यवस्था हेतु 2426424 छाया वी0एच0एन0डी0 सत्रों में रू0 40/– प्रति सत्र की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है।

क्र. सं.	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड	भौतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित धनराशि (रू0 में)
1	पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं हेतु ई रूपी वाउचर के माध्यम से अल्ट्रासाउण्ड की जाँच की व्यवस्था रू0 300/– की दर से	RCH.1.4.DI.2	1,50,000 अल्ट्रासाउण्ड हेतु	4,50,00,000
2	2426424 छाया वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र में गर्भवती महिलाओं हेतु एच0आई0वी0 एवं सिफलिस की जाँचें रू0 40/–की दर से ए.वी.डी.	RCH.1.4.DI.3	2426424 वी0एच0एस0 एन0डी0 सत्र	9,70,56,960
3	गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जाँचें रू0 200/–की दर (15 प्रतिशत धनराशि)	RCH.1.4.DI.1	50,00,000 ए0एन0सी0	15,00,00,000
	कुल योग			29,20,56,960

- **निःशुल्क जाँच हेतु सामान्य निर्देशः–**

प्रत्येक गर्भवती महिला की न्यूनतम 4–5 बार हीमोग्लोबिन, यूरीन एल्ब्यूमिन/शुगर की जाँच, एक बार ब्लड गफ्रपिंग/Rh Typing, जी0डी0एम0 (गर्भजनित मधुमेह), एच0आई0वी0 एवं सिफ्लिस की जाँचें भी की जायेगी। छाया वी0एच0एस0एन0डी0/यू0एच0एन0डी0पर होने वाली गर्भवती महिलाओं की जांचों में यदि उपरोक्त सभी जांचें नहीं हो पा रही हैं तो प्रत्येक माह 01, 09, 16 एवं 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर इन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रसव के दौरान एवं प्रसव के पश्चात् भर्ती के दौरान सभी आवश्यक जाँचें इसी मद से उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही ब्लाक व जनपद स्तरीय चिकित्सालयों पर चिन्हित एच0आर0पी0 गर्भवती महिलाओं की अतिरिक्त जाँचें इसी मद से उपलब्ध करायी जायेंगी।

प्रत्येक माह की 01, 09, 16 एवं 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक के आयोजन हेतु सभी जाँचों की व्यवस्था एवं पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं हेतु पी0पी0पी0 मोड से अल्ट्रासाउण्ड की जाँच की व्यवस्था भी इसी मद से की जायेगी।

प्रत्येक स्तर की इकाई (L-1, L-2 & L-3) पर उपलब्ध करायी जाने वाली न्यूनतम आवश्यक निःशुल्क जाँचें निम्नवत हैं–

- पी0एच0सी0 एवं उपकेन्द्र (L-1) तथा छाया वी0एच0एस0एन0डी0 (आउटरीच)/यू0एच0एन0डी0 स्तर पर–हीमोग्लोबिन, यूरीन (एल्ब्यूमिन व शुगर), एच0आई0वी एवं सिफ्लिस की निःशुल्क जाँच।

- ब्लॉक स्तरीय पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 (L-2) जहाँ लैब टेक्नीशियन/लैब असिस्टेण्ट की नियुक्ति है वहाँ–हीमोग्लोबिन, यूरीन (एल्ब्यूमिन व शुगर), ब्लडग्रुप/Rh Typing, जी0डी0एम0, हेपेटाइटिस–बी टेस्ट, एच0आई0वी एवं सिफ्लिस की निःशुल्क जाँच की सुविधा।
- जनपद स्तरीय व सभी L-3 स्तर की चिकित्सा इकाइयों पर– हीमोग्लोबिन, यूरीन की जाँच, ब्लडग्रुप/Rh Typing, OGTT, HbsAg, VDRL, HIV, T3/T4/TSH एवं सेमीऑटो एनालाइज़र के माध्यम से की जाने वाली अन्य जांचें।
- T3,T4,TSH तथा अन्य आवश्यक जाँचों हेतु सेवाओं की अनुपलब्धता की दशा में जनपदों के जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर नियमानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध डायग्नोस्टिक सर्विसेज का लाभ भी लिया जा सकता है।
- छाया वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र पर गर्भवती महिलाओं हेतु एच0आई0वी0 एवं सिफलिस की जांच हेतु छाया वी0एच0एन0डी0 सत्र पर किट (ए0वी0डी0) ले जाने की व्यवस्था है।
- प्रदेश में जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं कि वर्तमान में जिन स्वास्थ्य इकाइयों पर यह सुविधा उपलब्ध है उन पर गर्भवती महिलाओं को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये। इसमें उपयोग होने वाले कन्ज्यूमेबिल्स (फिल्म, जेल एवं टिशू पेपर आदि) का क्रय राजकीय नियमानुसार इस मद से किया जा सकता है। जिन स्वास्थ्य इकाइयों पर USG की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ गर्भवती महिलाओं को पुरूष चिकित्सालय में USG की सुविधा उपलब्ध करायी जाये तथा आवश्यकतानुसार उन्हें भी इस मद से कन्ज्यूमेबिल्स उपलब्ध कराये जा सकते हैं। अन्य स्वास्थ्य इकाइयों पर उपलब्ध USG मशीनों को

प्रयोग में लाने हेतु आवश्यक व्यवस्था मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जाये। पी0पी0पी0 मोड पर 75 जनपदों को पूर्व में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार गर्भवती महिलाओं हेतु अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा नियमानुसार उपलब्ध करायी जानी है।

- पी0पी0पी0 मोड पर अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था के लिये सी0जी0एच0एस0, लखनऊ के निर्धारित मानकों के अनुरूप एन0ए0बी0एल0 एक्रेडेटेड तथा नॉन–एन0ए0बी0एल0 एक्रेडेटेड अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर के लिये रू0 300/– प्रति केस की दर निर्धारित की गयी है। चिन्हित सभी स्वास्थ्य केन्द्र के समीप क्रियाशील रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के प्रबन्धकों से सहमति प्राप्त कर उपयफ्रक्त निर्धारित दरों पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) के आधार पर अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

भुगतान की व्यवस्थाः–

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अल्ट्रासाउण्ड का भुगतान ई रूपी वाउचर के माध्यम से किया जाएगा एवं ई रूपी वाउचर की वैधता एक माह होगी। प्रमुख सचिव के स्तर से निर्गत पत्र संख्या **एस0पी0एम0यू0/मातृ0स्वा0/जे0एस0एस0के0 /93–5/टी0सी0–2/2023–24/8361–2 दिनांक–07.02.2023 एवं एस0पी0एम0यू0/मातृ0स्वा0/पी0एम0एस0एम0ए0/134/2023–24/359–2 दिनांक–17.04.2023** के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

2. **निःशुल्क उपचार व्यवस्थाः–**

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। प्रदेश में सम्भावित 67.06 लाख गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 की राज्य कार्ययोजना में कुल 50 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शासनादेश संख्या–23/2017/1981/पॉच–1–2016–5 (36)/2017 दिनांक 03 अक्टूबर 2017 के अनुसार औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स का क्रय उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जाना है परन्तु राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27 मई 2019 में लिए गए निर्णय के अनुसार औषधि यों हेतु स्वीकृत धनराशि की 80 प्रतिशत धनराशि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन को निर्गत की जायेगी तथा 20 प्रतिशत धनराशि जनपदों द्वारा स्थानीय क्रय किये जाने हेतु आवंटित की जायेगी।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 के संचालन हेतु प्रसव पूर्व एवं प्रसवोंपरान्त दी जाने वाली औषधि की आपूर्ति उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से की जा रही है। राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में चिकित्सा इकाई में प्रसव के दौरान उपयोग में आने वाली अति आवश्यक औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स हेतु स्वीकृत धनराशि में से 15 प्रतिशत धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से अधिकांश औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स की आपूर्ति की जा रही है। अतः जनपदों को आवंटित की गयी

धनराशि से जे0एस0एस0के0 के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स की सूची के अनुसार अति आवश्यक औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स, क्रय किये जाने हैं, जो उस अवधि में यू0पी0एम0सी0एल0 द्वारा सप्लाई न किये जा रहे हों। इस सम्बन्ध में इकाई में औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स की आवश्यकता का आंकलन करते हुये यू0पी0एम0एस0सी0एल0 से समन्वय स्थापित करने उपरान्त उनके द्वारा उपलब्ध न कराये जाने की दशा में सीमित मात्रा में ही क्रय किया जाये। किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति एवं वित्तीय अनियमितता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी0एम0एस0डी0) एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे

- **राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स की व्यवस्थाः–**

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में 26 राजकीय मेडिकल कॉलेज को (आगरा, बस्ती, बहराइच, एटा, मिर्जापुर, शाहजहॉपुर, अयोध्या, झांसी, प्रयागराज, कानपुर नगर, इटावा, कन्नौज, मेरठ, आजमगढ़, वाराणसी, अलीगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, जालौन, गौतमबुद्वनगर, बदायू, बांदा, अम्बेडकरनगर, सिदार्थ नगर, के0जी0एम0यू0 एवं आर0एम0एल0आई0एम0एस0, लखनऊ) को प्रसव हेतु औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स के लिये धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
समस्त प्रसव इकाई हेतु औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स हेतु निम्नवत् व्यवस्था की गयी है–

क्र. सं.	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड	भौतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित धनराशि (रू0 में)
1	चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 400/– की दर से (15 प्रतिशत धनराशि)	RCH.1.4.DS.5	26,05,000	15,63,00,000
2	मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 400/– की दर से	RCH.1.4.DS.5	55,000	2,20,00,000
	कुल योग		**26,60,000**	**17,83,00,000**

नोट– इस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था के उपरान्त मेडिकल कॉलेजों से अपेक्षा की जाती है कि मेडिकल कॉलेज में होने वाले प्रसव (सामान्य अथवा जटिल) के लिये लाभार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक मेडिकल कॉलेज द्वारा अपने यहां प्रसव के लिये होने वाले व्यय (ड्रग्स, कन्ज्यूमेबिल्स) को उपरोक्त धनराशि से वहन किया जायेगा। यहाँ यह भी संज्ञान में लाना है कि जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष ए0एन0सी0 ड्रग्स यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा आपूर्ति करायी जा रही है। अतः जनपदों में संचालित मेडिकल कॉलेजों में भी यू0पी0एम0एस0सी0एल0 माध्यम से निःशुल्क ए0एन0सी0 ड्रग्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- **निःशुल्क उपचार हेतु सामान्य दिशा–निर्देशः–**

सभी गर्भवती महिलाओं को द्वितीय व तृत्रीय त्रैमास (छःमाह) में सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन 01 गोली आयरन की दी जानी हैं तथा प्रसव पश्चात भी 06 माह तक प्रतिदिन 01 गोली आयरन की दी जानी हैं। इस प्रकार गर्भावस्था में 180 गोलियां एवं **प्रसवोत्तर 180 गोलियाँ गर्भवती महिला को दी जानी है, जो छुट्टी के समय एवं बच्चें के टीकाकरण के समय आने पर दी जायेगी**। एनीमिया होने की स्थिति में प्रतिदिन 02 आयरन की गोली दी जायेंगी एवं प्रसव पश्चात भी 06 माह तक प्रतिदिन 01 गोली आयरन की दी जानी हैं। इसी प्रकार एनीमिक गर्भवती महिला को गर्भावस्था में 360 गोलियां एवं प्रसवोत्तर 180 गोलियाँ दी जानी है। प्रदेश में 50 प्रतिशत एनीमिक गर्भवती महिलाओं के दृष्टिगत समस्त गर्भवती महिलाओं के लिये 450 आई0एफ0ए0 गोली प्रति महिला आवश्यक होंगी। उपयफ्रक्त के अतिरिक्त गर्भकाल में गम्भीर एनीमिया में आयरन सुक्रोज भी दिया जाना है।
सभी गर्भवती महिलाओं को द्वितीय व तृत्रीय त्रैमास (छःमाह) में कैल्शियम की, 02 गोली (1–1 गोली सुबह शाम) दिया जाना है। **प्रसव पश्चात भी छः माह तक प्रतिदिन 02 गोली कैल्शियम (1–1 गोली सुबह शाम) खाने के तुरन्त बाद दी जानी हैं, जो छुट्टी के समय एवं बच्चें के टीकाकरण के समय आने पर दी जायेगी।** इस प्रकार प्रत्येक गर्भवती को **कैल्शियम** की **720 गोली** दी जानी है।
ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स प्रत्येक गर्भवती को द्वितीय त्रैमास में एलबेन्डाजॉल की 01 गोली छाया वी0एच0एस0एन0डी0/यू0एच0एस0एन0डी0 सत्र अथवा पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में अपने सामने खिलाना सुनिश्चित करेगी।
प्रथम त्रैमास में प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रतिदिन 400 माइक्रो ग्रा0 फोलिक एसिड की 1 गोली दी जानी है।
नोट– किसी भी प्रसूता से बाहर से औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स अथवा कोई अन्य सामग्री नहीं मंगवायी जानी है।

निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद की भौतिक प्रगति की रिपोर्ट भेजते समय आउटरीच सेवाओं व ए0एन0सी0 क्लीनिकों से उन गर्भवती महिलाओं की संख्या भी सम्मिलित की जाये जिनको एलबेन्डॉजॉल, कैल्शियम तथा आई0एफ0ए0 आदि प्रसव पूर्व सेवाओं की सुविधा प्रदान की गयी हो। किसी भी स्थिति में **01 गर्भवती महिला को दोबारा न गिना जाये**। उचित होगा कि प्रविष्टी के समय आर0सी0एच0 एवं ई–कवच पोर्टल से ही भौतिक प्रगति का सत्यापन किया जाये।

3. निःशुल्क भोजन व्यवस्थाः– FMR

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में प्रत्येक जनपद की समस्त 24X7 स्वास्थ्य इकाईयों (एल 2 एवं एल 3 प्रसव इकाईयों) पर निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। इस हेतु जनपदों से प्राप्त एच0एम0आई0एस0 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 23,55,000 (22,35,000 सामान्य प्रसव व 1,20,000 सिजेरियन प्रसव) लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। सभी जनपद/ब्लाक स्तरीय/शहरी स्वास्थ्य इकाइयों (एल–2 एवं एल–3 प्रसव इकाईयों) में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निःशुल्क भोजन हेतु रू0 100/–प्रति दिन की अधिकतम दर स्वीकृत है। गर्भवती महिला को भर्ती के दौरान निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा सामान्य प्रसव में 03 दिवस व सिजेरियन प्रसव में 07 भर्ती दिवसों हेतु अनुमति प्रदान की गयी है, परन्तु गत वर्षों के व्यय की प्रगति के अनुसार बजट आवंटन के उद्देश्य से सामान्य प्रसव में औसतन 02 दिवस व सिजेरियन प्रसव में औसतन 05 दिवस की अवधि की दर से धनराशि का आंगणन कर जनपदों को धनराशि आवंटित की गयी है।

नोट– यदि गर्भवती महिला प्रसव से पूर्व या प्रसवोंपरान्त उपरोक्त दिवसों से ज्यादा दिन प्रसव कारणों से स्वास्थ्य इकाई पर भर्ती है, तो भी उसे जे0एस0एस0के0 डाईट के मद से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक है।

क्र. सं.	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड	भौतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित धनराशि (रू0 में)
1	निःशुल्क भोजन सामान्य प्रसव–दो दिन एवं सिजेरियन प्रसव–पॉच दिन	**RCH.1.4.OOC.1**	23,55,000 लाभार्थी	38,02,50,000
2	पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं हेतु सूक्ष्म जल–पान	**RCH.1.4.OOC.2**	1649 पीएमएसएमए फैसलिटी	5,40,96,000
	कुल योग			43,43,46,000

- पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस हेतु मेडिकल कॉलेज, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में आयोजित होने वाले पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक हेतु रू0 2,000/–प्रति इकाई दर से।
- पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस हेतु सी0एच0सी0 एवं अन्य स्वास्थ्य इकाई, जहाँ पर पी0एम0एस0एम0ए0 का आयोजन किया जाता है, वहाँ रू0 1,000/– प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक की दर से।
- निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी रू0 100/–प्रति दिन की अधिकतम दर भारत सरकार से स्वीकृत है, अतः उक्त सीमा तक धनराशि व्यय की जा सकती है, जिसमें सुबह का नाश्ता एवं दो समय का भोजन सम्मिलित होगा।

नाश्ता	दोपहर भोजन–लन्च	रात्रि का भोजन–डिनर
प्रातः 07 बजे से 8:30 बजे	दोपहर 01 बजे से 02 बजे	सायं 07 बजे से 8:30 बजे
अनुमानित दर रु0 20–30	अनुमानित दर रु0 35–40	अनुमानित दर रु0 35–40
एक ग्लास दूध (200 ml)के साथ 02 अण्डे/दलिया/पोहा/ब्रेड (4 स्लाइस) व 10 ग्राम मक्खन।	4 रोटी ,दाल ,मौसमी सब्जी, चावल एवं सलाद/दही।	4 रोटी, मौसमी सब्जी, चावल एवं मौसमी फल (सेब, सन्तरा केला आदि)/एक गिलास दूध।

- जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति निम्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने स्तर से निर्णय ले, जिससे कि प्रसूता को ससमय गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेः–

1. निविदा प्रक्रियाके माध्यम से (Outsourcing Basis-Per Meal Based/Monthly Contract Based)।
2. उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों के द्वारा।
3. जिन जिला चिकित्सालयों में प्रेरणा कैन्टीन के माध्यम से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था संचालित है, उनको प्राथमिकता दी जाए।

जनपद उक्त विकल्पों में से सम–सामयिक स्थिति व गुण दोषों के आधार पर किसी एक विकल्प का चयन कर, जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निःशुल्क भोजन व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।

राज्य स्तर से प्रेषित पत्रांक–एस.पी.एम.यू/जे.एस.एस.के./93वॉ0–4/2015–16/2556–2 दिनांक 16.07.2015 के अनुसार भोजन की गुणवत्ता बने रहने हेतु रू0 90/– या अधिक के दर अनुबन्ध ही किया जाये।

- जिन जनपदों में उपरोक्त दिये गये विकल्पों के अनुसार निःशुल्क भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो अन्तिम विकल्प के रूप में स्थायी व्यवस्था न होने तक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गर्भवती महिला/प्रसूता को दोनों समय आधे लीटर दूध की एक–एक थैली, फल अथवा अण्डे, अच्छे ब्राण्ड की डबलरोटी तथा 20 ग्राम पैकेड् मक्खन उपलब्ध कराया जा सकता है।

नोट–प्रत्येक स्थिति में प्रसूता को मानकानुसार निःशुल्क भोजन की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित करायी जाये।

- जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत भोजन की सुविधा प्रदान कर रही प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई को पूर्व से प्रचलित प्रारूप पर **जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर** व्यवस्थित करना अनिवार्य है। यह डाइट **रजिस्टर भर्ती प्रसूताओं की वास्तविक संख्या व उनके द्वारा प्राप्त किये गये भोजन के आधार पर ही प्रभारी नर्स द्वारा भरा जायेगा, जिसे चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिदिन सत्यापित किया जाना है।** रजिस्टर के रख रखाव का उत्तरदायित्व प्रभारी वार्ड नर्स का होगा और इकाई के प्रभारी इसको प्रतिदिन अवलोकित करेंगे राज्य, मण्डल अथवा जिला स्तरीय अधिकारी जब भी अनुश्रवण हेतु चिकित्सा इकाइयों पर भ्रमण करें तो रजिस्टर का अवलोकन अवश्य किया जाना है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस में यदि कोई गर्भवती महिला किसी कारणवश चिकित्सालय में उस दिन भर्ती होती है, भोजन की व्यवस्था जे0एस0एस0के0 डाइट के बजट से किया जाना है।

4. निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा

उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या–1019/पांच–1–2011 दिनांक 19.04.2011 द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त लाभार्थी महिलाओं को रक्त/रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज में छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार शासन के स्तर से जननी शिशु सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों को ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की स्थिति में कन्ज्यूमेबिल्स तथा जांचों की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिये सभी गर्भवती महिलायें अर्ह (पात्र) होंगी।

रक्त की कमी से किसी भी गर्भवती/प्रसूता की मृत्यु होना अत्यन्त खेदजनक है। कृपया इस सम्बन्ध में **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय व प्रभारी चिकित्साधिकारी, ब्लड बैंक को निर्देशित करें कि किसी भी गर्भवती महिला/प्रसूता को आवश्यकता पड़ने पर ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये और परिवार के सदस्यों द्वारा रक्तदान की बाध्यता न रखी जाये।**

5. निःशुल्क परिवहन सुविधाः–

प्रत्येक जनपद को राजकीय चिकित्सा इकाईयों पर प्रदेश में संचालित ''102'' एम्बुलेन्स से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करानी है। यह 102 एम्बुलेन्स सेवा गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं 01 वर्ष तक के शिशु ओं को घर से चिकित्सा इकाई तक आने, चिकित्सा इकाई से घर तक जाने एवं चिकित्सा इकाई से उच्च इकाई के लिये सन्दर्भन की सभी परिवहन आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी।

प्रायः यह देखा गया है कि प्रसूतायें समय से पूर्व ही जल्दी घर चली जाती हैं ऐसी स्थिति में चिकित्सालय पर 48 घण्टे तक माँ व बच्चे को विशेष ध्यान रखना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः यह ध्यान रखा जाये कि **चिकित्सा इकाइयों से 102 की ड्रॉप–बैक सुविधा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित की जाये।**

6. **ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्थाः–**

- ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था के अन्तर्गत जिला व ब्लॉक स्तर पर एक नोडल आफिसर नामित कर उसका सी0यू0जी0 नम्बर चिकित्सा इकाई के बाहर नोटिस बोर्ड, ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0 आदि में पेन्ट से प्रदर्शित कर प्रचारित दिया जाये। ब्लॉक स्तर पर एक साप्ताहिक दिवस निर्धारित कर शिकायतों का प्रति सप्ताह निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
- गर्भवती महिलाओं से सम्बन्धित ग्रीवान्स रिड्रेसल हेतु 104 एवं सुमन पोर्टल का उपयोग किया जाए।

- प्रत्येक प्रसव इकाई पर रक्षित शिकायत पेटिका को निर्धारित दिवस पर खोलकर शिकायतों का निस्तारण किया जाये।

- **योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार**

यह योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी तथा जन हितकारी कदम है तथा इसके अन्तर्गत मिलने वाली समस्त निःशुल्क सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों तक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पंचायत घर, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी वॉल राइटिंग के माध्यम से जन–सामान्य को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले निःशुल्क प्रावधानों से अवगत कराया जाये।
- समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं विशेष कर आशा, आंगनबाड़ी एवं ए0एन0एम0 को जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के बारे में सत्त रूप से ब्लाक स्तरीय बैठकों में जानकारी प्रदान की जाये। उन्हें अर्न्त वैयक्तिक संवाद द्वारा समुदाय में जे0एस0एस0के0 के प्रचार–प्रसार हेतु प्रेरित भी किया जाये।

पर्यवेक्षण व अनुश्रवणः–

कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी, जनपदीय नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाये। पर्यवेक्षकों द्वारा लाभार्थियों का 48 घण्टे रूकना, डाईट रजिस्टर का रख रखाव, प्रसव के दौरान कोई शुल्क न लिया जाना आदि पर विशेष रूप से लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया जाये।

मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी व कार्यक्रम पर्यवेक्षक आवश्यक औषधि यों व जाँचों की उपलब्धता, नियमित रूप से क्रयादेशों के निर्गत किये जाने, ससमय फर्मों के भुगतान आदि बिन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

रिपोर्टिंगः–

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय भौतिक प्रगति हेतु मैनुअल रिपोर्टिंग की व्यवस्था को समाप्त कर पेपरलेस रिपोर्टिंग व्यवस्था संचालित करने हेतु व सूचनाओ को एच0एम0आई00एस0 एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया है।

जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमकी ब्लांकवार समीक्षा के उपरांत प्रत्येक माह की जिला स्तरीय भौतिक प्रगति रिपोर्ट आगामी माह 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में नवीन एच0एम0आई00एस0 एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड की जाए ।

वित्तीय सूचनाओं का आधार केवल पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया गया भुगतान होगा। किसी भी रिपोर्ट में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान किये बिना उसे भुगतान के रूप में प्रदर्शित न किया जाये। सभी भौतिक प्रगति के आंकड़ों का आर0सी0एच0 पोर्टल से मिलान आवश्यक है।

क्रय एवं वित्तीय व्यवस्था–

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जनपद की समस्त प्रसव इकाइयों, उपकेन्द्रों तथा आउटरीच सत्रों पर कार्यभार के आधार पर आवश्यक औषधियों, जांच, रिएजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स का मांग–पत्र इकाइयों के प्रभारियों से प्राप्त कर लें तथा इस सम्बन्ध में इकाई में औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स, रीएजेन्ट, किट एवं अन्य सामग्री की आवश्यकता का आंकलन करते हुये यू0पी0एम0एस0सी0एल0 से समन्वय स्थापित करने उपरान्त उनके द्वारा उपलब्ध न कराये जाने की दशा में सीमित मात्रा में ही क्रय किया जाये। किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति एवं वित्तीय अनियमितता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी0एम0एस0डी0) एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे
- प्रसव पूर्व देखभाल हेतु सभी आवश्यक औषधियाँ, जाँचें, रिएजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स की उपलब्धता डी0वी0डी0एम0एस0 के माध्यम से सुनिश्चित करना मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व है। प्रत्येक माह औषधि यों की उपलब्धता की सूचना एच0एम0आई00एस0 एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पर भी अंकित करवा दें।
- प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जाये। प्राविधानित धनराशि का मदवार व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।

2.3 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानः–

''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' का संचालन शासनादेश संख्या–30/2016/634/पॉच–9–2016–9 (127)/12 टी0सी0 दिनांक 19 मई 2016 द्वारा किया गया है। इस अभियान के अर्न्तगत प्रत्येक माह की 01, 09, 16 एवं 24 तारीख को समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भ की द्वितीय/तृतीय त्रैमास में राजकीय चिकित्सालयों में ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक'' का आयोजन कर कम से कम एक बार विशेषज्ञ अथवा एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक की देख–रेख में निःशुल्क प्रसव पूर्व गुणवत्तापरक जाँचों एवं उपचार से आच्छदित किया जा रहा है।

प्रदेश के सभी 75 जनपदों में प्रत्येक माह की 09 तारीख को यह अभियान समस्त ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों, जनपदीय महिला चिकित्सालयों व शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मेडिकल कॉलेजों तथा प्रत्येक माह की 01, 16 एवं 24 तारीख को पी0एम0एस0एम0ए0 प्लस दिवस का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी एवं ग्रामीण), जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाइयों एवं राजकीय मेडिकल कॉलेजों में किया जा रहा है। अभियान में स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं अन्य प्राइवेट चिकित्सक भी राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में अपना योगदान दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संचालन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं–

- समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भ के द्वितीय/तृतीय त्रैमास में कम से कम एक बार एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपचार सेवाएं प्रदान की जायें।
- निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों/चिकित्सकों को हर महीने उनके जिलों के सरकारी चिकित्सालयों में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।
- समस्त ए0एन0एम0 एवं आशा के द्वारा गर्भावस्था के द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में प्रथम बार ए0एन0सी हेतु डियू लिस्ट तैयार करें एवं पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस हेतु भी बुलावा पर्ची भेजें।
- पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर समस्त ए0एन0एम0 एवं आशाओं को गर्भवती महिलाओं को द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में चिन्हित स्वास्थ्य इकाइयों पर मोबिलाइजेशन हेतु निर्देशित करे।
- अभियान दिवस पर स्वास्थ्य इकाईमें आयी गर्भवती महिलाओं के बैठनें की व्यवस्था एवं जल–पान की व्यवस्था की जायेगी।
- अभियान दिवस पर आने वाली गर्भवती महिलाओं की ब्लड प्रेशर, वजन की जांच, समस्त आवश्यक खून की जांचें, एच0आई0वी0/सिफलिस, पेशाब, अल्ट्रासाउण्ड तथा पेट की निःशुल्क जाँचें एवं ग्रुप काउन्सलिंग/परामर्श प्रदान किया जाये। यदि सम्बन्धित चिकित्सालय पर कोई जाँच उपलब्ध नहीं है, तो जांच हेतु उच्च स्तरीय इकाई पर संदर्भित किया जाये।
- समस्त औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये, गर्भवती महिलाओं को आवश्यक औषधियों का निःशुल्क वितरण किया जाये।
- पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में सभी लाभार्थियों को निःशुल्क औषधि एवं डाइग्नोस्टिक सेवायें प्रदान करने के दृष्टिगत चिकित्सालय में ए0एन0सी0 सर्विसेस दे रहे चिकित्सकों को स्वास्थ्य इकाई पर उपलब्ध औषधियों एवं डाइग्नोस्टिक सेवाओं की विस्तृत सूची उपलब्ध करा दी जाये।
- प्रथम बार प्रसव पूर्व जाँच कराने आयी गर्भवती महिला का आर0सी0एच0पोर्टल पर पंजीकरण उसी दिन कराना सुनिश्चित करें।
- पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर आने वाली समस्त गर्भवती महिलाओं की गुणवत्ता पूर्ण जाँच सुनिश्चित किया जाये एवं पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में आई सभी गर्भवती महिलाओं के एम0सी0पी0 कार्ड पर **पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस** की मोहर लगाऐं।
- गर्भवती महिलाओं के एम0सी0पी0 कार्ड नियमित रूप से भरे जायेगें एवं ए0एन0सी0 रजिस्टर पर अंकन भी किया जायेगा। अति जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनके मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पर लाल रंग एच0आर0पी0 मोहर लगायी जाये। एच0आर0पी0 महिलाओं का उनके प्रसव की कार्ययोजना सहित रिकॉर्ड स्वास्थ्य इकाई पर सुरक्षित रखा जाये।
- स्वास्थ्य इकाइयों पर उपलब्ध ए0एन0सी0 रजिस्टर में अभियान के दौरान सेवायें लेने आयी गर्भवती महिलाओं का विस्तृत रिकॉर्ड रखते हुये पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल पर सूचना को अपलोड कराने हेतु जनपदीय नोडल अधिकारी सम्बन्धित को निदेर्शित करेंगे। प्रत्येक दशा में जनपद की संकलित रिपोर्ट प्रतिमाह पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल पर अवश्य ही अपलोड कर दी जाये।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर आने वाली गर्भवती महिलाओं की जाँच, काउन्सलिंग व उपचार आदि के लिये काउन्टर्स तथा छायादार बैठने के स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। चिकित्सालय में चिकित्सकों, लैब टेक्नीशियन्स तथा पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी होने पर

समीपस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से चिकित्सकों एवं अन्य मानव संसाधन को पूल कर सुगमात से सेवायें प्रदान की जाये।

वित्तीय व्यवस्था एवं आवश्यक निर्देश–

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 संख्याएवं फैम्स कोड	लक्ष्य / इकाइयाँ	दर	स्वीकृत धनराशि
1.	त्रैमासिक जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक	RCH.1.6.OOC.1	75 ×4बैठक	3,000	9,00,000
2.	निजी क्षेत्र के स्वैच्छिक सेवा प्रदाता चिकित्सकों द्वाराग्रामीण स्वास्थ्य इकाई में स्वैच्छिक सेवा प्रदान करने हेतु मोबिलिटी	RCH.1.6.OOC.2	50 सेवा प्रदाता ×12 माह	1,000	6,00,000
3.	चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) गर्भवती महिला की 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 विजिट हेतु आशा को प्रोत्साहन धनराशि	RCH.1.6.ASHA.1	2,25,000 एच0आर0पी0 ×03 विजिट	100	1,68,75,000
4.	चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) गर्भवती महिला के सुरक्षित संस्थागत प्रसव एवं प्रसवोंपरान्त 45 दिनों तक देखभाल हेतु आशा को प्रोत्साहन धनराशि	RCH.1.6.ASHA.2	2,25,000 एच0आर0पी0	500	2,81,25,000
5.	चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) गर्भवती महिला को चिकित्सक/स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 जांचें कराने हेतु गर्भवती महिला को यात्रा व्यय	RCH.1.6.DBT	2,25,000 एच0आर0पी0 ×03 विजिट	100	1,68,75,000
6.	जनपद स्तरीय **l Pledge for 9 Achievers** सम्मान समारोह समारोह	RCH.1.6.OOC.3	75 सम्मान समारोह	40,000	30,00,000
कुल जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि					6,63,75,000

1 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान त्रैमासिक जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक–

मातृत्व स्वास्थ्य के सभी कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा बैठकों हेतु रू0 3,000/–प्रति समीक्षा बैठक की दर से व्यवस्था की गयी है।

सभी बैठकों में आई0एम0ए0, रोटरी, फॉग्सी, लॉयन्स तथा अन्य समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि एवं सेवा प्रदाताओं को सुझाव एवं सहयोग हेतु आमंत्रित किया जाये। जनपद स्तरीय पी0एम0एस0एम0ए0 समिति के सुझावों पर अमल तथा शिकायतों का निवारण किया जाये। बैठकों के कार्यवृत्त रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखे जायें। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच/पी0एम0एस0एम0ए0 नोडल इस हेतु उत्तरदायी होंग।

2 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में योगदान देने वाले प्राइवेट चिकित्सकों हेतु मोबिलिटी –

पी0एम0एस0एम0ए0 के दौरान पोर्टल पर पंजीकृत स्वयं सेवी प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों पर योगदान देने हेतु रू0 1000/–प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस मोबिलिटी की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक चिकित्सक को आवागमन हेतु स्वयं के साधन का प्रयोग करना होगा। ग्रामीण चिकित्सा इकाई द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रत्येक योगदान के लिये एक मुश्त रू0 1000/–की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 द्वारा हस्तान्तारित की जायेगी। ***यह धनराशिनगरीय क्षेत्र में योगदान देने वाले चिकित्सकों को देय नहीं होगी।***

3 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर आयी गर्भवती महिलाओं हेतु जल–पान की व्यवस्था

पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में अपनी जांच हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को 6–8 घण्टे अस्पताल में व्यतीत करने पड़ते है। इसको ध्यान में रखकर गर्भवती महिलाओं के लिये पेयजल एवं अल्पाहार उपलब्ध कराने हेतु प्राविधान किया गया है–

- पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस हेतु मेडिकल कॉलेज, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में आयोजित होने वाले पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक हेतु रू0 2,000/– प्रति इकाई दर से।
- पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस हेतु सी0एच0सी0 एवं अन्य स्वास्थ्य इकाई, जहाँ पर पी0एम0एस0एम0ए0 का आयोजन किया जाता है, वहाँ रू0 1,000/– प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक की दर से धनराशि की व्यवस्था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन के मद में अलग से एफ0एम0आर0 संख्या एवं फैम्स कोड RCH.1.4.OOC.2 के अर्न्तगत की गई है।
- अल्पाहार में प्रसूताओं को दी जा रही जे0एस0एस0के0 निःशुल्क भोजन के दिशा–निर्देश के अनुसार उसी भांति फल एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ का वितरण सुनिश्चित किया जाये एवं किसी

कारणवश गर्भवती महिला को भर्ती किया जाता है तो सम्बन्धित को जे0एस0एस0के0 निःशुल्क भोजन मद से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाए।

4 गर्भवती महिलाओं हेतु पी0पी0पी0 मोड पर अल्ट्रासाउण्ड जाँच की व्यवस्था–

वर्तमान में ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों पर अल्ट्रासाउण्ड व्यवस्था न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को जनपद स्तरीय इकाइयों पर सन्दर्भित करना पड़ता है। इस कारण काफी अधिक संख्या में गर्भवती महिलायें अल्ट्रासाउण्ड सुविधा से वंचित रह जाती है। इसके दृष्टिगत गर्भवती महिलाओं को पी0एम0एस0एम0ए0 दिवसों पर प्रसव पूर्व के दौरान स्वास्थ्य केन्द्र में पी0पी0पी0 मोड से अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था की गई है। इस हेतु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क डाइग्नोस्टिक के मद में अलग से एफ0एम0आर0 संख्या एवं फैम्स कोड RCH.1.4.DI.2 में व्यवस्था की गई है। प्रमुख सचिव के स्तर से निर्गत पत्र संख्या–**एस0पी0एम0यू0/मातृ0स्वा0/जे0एस0एस0के0/93–5/टी0सी0–2 /2023–24/ 8361–2 दिनांक–07.02.2023 एस0पी0एम0यू0/मातृ0स्वा0/पी0एम0एस0एम0ए0/134/2023–24/ 359–2 दिनांक–17.04.2023** के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर के चयन के लिये निर्धारित मानकः–

जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी उनके जनपद की चयनित स्वास्थ्य इकाई के नजदीक स्थित कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ पी0सी0पी0एन0डी0टी0 ऐक्ट–1994 के अन्तर्गत पंजीकृत अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर से इस सम्बन्ध में सहमति प्राप्त कर पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर इस सेवा को सुनिश्चित करायें। अल्ट्रासाउण्ड कार्यभार के दृष्टिगत एक से अधिक सेन्टर से अनुबन्ध अपेक्षित है। मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा चिन्हित केन्द्रों से अनुबन्ध करने के पश्चात जिला स्वास्थ्य समिति को इस गतिविधि के विषय में अवगत कराना अपेक्षित है।

लाभार्थी का चयन एवं रेफरल की प्रक्रियाः–

सामान्यतः गर्भावस्था की द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में प्रसव पूर्व जाँचों हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को 01 अल्ट्रासाउण्ड जाँच से आच्छादित किया जाना अपेक्षित है। गर्भावस्था की विशेष परिस्थितियों यथा विगत गर्भावस्था में जन्म दोष क्रोमोसोमल डिस्आर्डर अथवा स्त्रीरोग विशेषज्ञ द्वारा चिन्हित होने की दशा में आवश्यकतानुसार 01 से अधिक बार भी अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था की जा सकती है। ध्यान रहें कि अनावश्यक अल्ट्रासाउण्ड की जाँचें न करायी जाये। अल्ट्रसाउण्ड सेन्टर से अपेक्षित है कि वह लाभार्थी की परीक्षण रिपोर्ट उसी दिन लाभार्थी को उसके मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड में स्टैपल करते हुये उपलब्ध करायेंगे।

5 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक की व्यवस्था

प्रचार प्रसार व मानव संसाधन प्रबंधनः –

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के मॉडल क्लीनिक के विषय वस्तु को आई0एम0ए0, रोटरी, फॉग्सी, लॉयन्स तथा अन्य समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि, सेवा प्रदाताओं, स्वास्थ्य इकाई के स्टाफ ए0एन0एम0व आशा के साथ साझा किया जाये।
- सेवा प्रदाताओं व स्वास्थ्य इकाई के स्टाफ को कार्य दायित्व सौंपा जाये।
- आशा के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं को वी0एच0एस0एन0डी0के दौरान सूचित व पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
- स्वास्थ्य इकाई स्तर पर मॉडल पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक की साज सज्जा ऐसी कि जायेकी पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस विशेष दिवस के रूप में दिखे।

क्लीनिक की व्यवस्था :–

- ओ0पी0डी0 पंजीकरण कक्ष में गर्भवती महिलाओं को बता दिया जाये कि उन्हें किस विशेष कक्ष/पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में जाना है।
- मॉडल पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिकके स्वागत कक्ष में सर्वप्रथम उनके एम0सी0पी0 कार्ड जॉच लिए जाये एवं यदि एम0सी0पी0 कार्ड न बना हो तो वहीं बना दिया जाये।
- यदि आर0सी0एच0पोर्टल पर पंजीकरण न हुआ हो तो तत्काल पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाये।
- ए0एन0सी0 रजिस्टर पर अंकन किया जाये।
- इसके बाद वहीं उनके वजन एवं ब्लड प्रेशर की जांच की जाये।
- खून एवं पेशाब के नमूनें एकत्र कियें जायें एवं जांच के लिए लैब भेजा जाये।
- अल्ट्रासाउन्ड जांच की जाये।
- इसके बाद जांच की रिपोर्ट आने तक के अन्तराल के दौरान गर्भवती महिलाओं की परामर्शदाता द्वारा काउन्सलिंग की जाये एवं सूक्ष्म जलपान दिया जाये।

- सारी जांच की रिपोर्ट के साथ गर्भवती महिला को स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के पास विस्तृत जांच के लिए भेजा जाये।
- स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा जांच के उपरान्त पुनः विशेष कक्ष में ही दवाईयो का वितरण किया जाये एवं जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पर लाल रंग की एच0आर0पी0 मोहर लगायी जायें। जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं को परामर्शदाता द्वारा जोखिम की विशेष काउन्सलिंग भी कि जाये।
- परामर्शदाता (Counselor) द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित किया जाये तथा अति जोखिम युक्त गर्भवती महिला को अगली फॉलो–अप विजिट के विषय में बताया जाये।
- प्रत्येक उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव एफ0आर0यू0 अथवा उससे उच्च चिकित्सा इकाई पर कराया जाना सुनिश्चित करें।

6 I Pledge for 9 Achievers अवार्ड वितरण समारोह की व्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत उत्कृष्ट सेवा एवं योगदान हेतु राज्य व जनपद स्तर पर I Pledge for 9 Achievers Awards का सलाना आयोजन 09 मार्च 2023 पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक के तुरन्त बाद दिया जाना है। जनपद में पी0एम0एस0एम0ए0 के दौरान श्रेष्ठ सेवायें देने वाले प्राईवेट तथा राजकीय सेवा के चिकित्सकों को सम्मानित किया जाये। बैठकों हेतु निर्धारित धनराशि से प्रशस्ति पत्र एवं प्रतिक चिन्ह का वितरण किया जाना है। इस हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत एकमुश्त रू0 40,000/–प्रति जनपद की दर से धनराशि की व्यवस्था की गई है।

7 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत एच0आर0पी0 ट्रैकिंग हेतु अभियान के विस्तारणः–

- प्रत्येक आशा की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह अपने क्षेत्र की प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर चिन्हित स्वास्थ्य इकाइयों पर आने हेतु प्रोत्साहित करेंगी।
- पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में चिन्हित समस्त उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं का उपचार एवं परामर्श दिया जायेगा। साथ ही स्वास्थ्य इकाइयों एवं आशा/ए0एन0एम0 द्वारा लाइन लिस्टिंग तैयार की जाए एवं पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर आने वाली उच्च जोखिमयुक्त गर्भवती महिलाओं की सूची प्रभारी चिकित्साधिकारी कार्यालय में भी उपलब्ध रहे।
- गर्भवती महिला जैसे उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिला के रूप में चिन्हित हो जायेगी वैसे ही आशा/ए0एन0एम0 द्वार विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा प्रसूति रोग विशेषज्ञ की देखरेख में उनकी 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 जाँच कराना सुनिश्चित करेंगी। इन अतिरिक्त 03 जाँचों के दौरान आशा चिन्हित गर्भवती महिला के साथ आयेगी।
- यह आवश्यक होगा कि समस्त चिन्हित उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं की 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 विजिट अगले पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस अथवा उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा सुझावित चिकित्सा केन्द्र पर किया जायेगा।
- यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार की जटिलता के दृष्टिगत समस्त चिन्हित उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं का उपचार किये जाने हेतु निकटतक प्रथम सन्दर्भन इकाई पर लिंक करते हुये सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जाये।
- आशा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रसव के समय प्रथम सन्दर्भन इकाई पर ले जाने हेतु निःशुल्क परिवहन की सुविधा हो।
- पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0/यू0सी0एच0सी0 पर तैनात समस्त चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक रूपसे BEmONC (Basic Emergency Obstetric and Newborn Care) का प्रशिक्षण प्रदान किया जाये ताकि गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान की जा सके।
- जहाँ प्रशिक्षित चिकित्सकों अनुपलब्धता है वहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय पर तैनात OBGY Specilist / CEmONC/BEmONC Trained Doctor को माह में एक बार पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर भेजा जाये।
- ऐसी स्वास्थ्य इकाइयां जहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं है वहाँ पर टेली कन्सलटेशन की व्यवस्था की जाये।

8 वित्तीय व्यवस्था एवं आवश्यक निर्देश–

- चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) गर्भवती महिला की 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 विजिट हेतु रू0 100/– प्रति विजिट आशा को प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने का प्राविधान।

- चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) गर्भवती महिला के सुरक्षित संस्थागत प्रसव एवं प्रसवोंपरान्त देखभाल 45 दिनों बाद ए0एन0एम0/चिकित्सक द्वारा माँ एवं शिशु के स्वस्थता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर आशा को रू0 500/– प्रसूता महिला प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने का प्राविधान।
- चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) गर्भवती महिला को चिकित्सक/स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 जांचें कराने हेतु पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस/चिकित्सालय आने पर रू0 100/– प्रति विजिट धनराशि दिये जाने का प्राविधान।

9 <u>पर्यवेक्षण व अनुश्रवणः–</u>

- पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल पर प्रत्येक त्रैमास प्रारम्भ होने के पॉच दिन पूर्व पंजीकृत स्वास्थ्य इकाइयों के स्वामूल्यांकन प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड किये जायें।
- RMNCH+A पार्टनर एवं राज्य स्तरीय मॉनीटर के साथ DQAs जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति द्वारा जनपद स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का प्लान बनाकर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक सभी Key Stake Holders एवं राज्य स्तर पर मातृ स्वास्थ्य अनुभाग के साथ साझा करें ।
- जनपद स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्लान के अनुसार Key Stake Holders के द्वारा प्रत्येक पंजीकृत स्वास्थ्य इकाई(चिकित्सा इकाई) के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक माह की 09 तारीख को भ्रमण किया जाये एवं निर्धारित प्रारूप में भ्रमण आख्या चिन्हित गैप के साथ जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति को 10 तारीख तक सौंपा जायें एवं जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण चेक लिस्ट पोर्टल पर 11 तारीख तक अपलोड किया जाये।
- प्रत्येक माह 15 तारीख से पूर्व पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल की समस्त पंजीकृत स्वास्थ्य इकाई (चिकित्सा इकाई) स्तर पर रिपोर्ट को अपलोड करायें एवं समय समय पर रिपोर्ट का मूल्यांकन अपने स्तर से भी करते हुये सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयो को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
- जब तक आर0सी0एच0 पोर्टल के साथ पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल एकीकृत (Integrated) नहीं हो जाता है, तब तक रिर्पोटिंग, वेराफिकेशन एवं भुगतान पी0एम0एस0एम0ए0 रजिस्टर के माध्यम नियमित रूप से किया जायेगा।
- इस हेतु पी0एम0एस0एम0ए0 रजिस्टर में निम्न अतिरिक्त कॉलम जोडे जायेंगे–
  - चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) गर्भवती महिला की 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 विजिट हेतु कॉलम (द्वितीय विजिट, तृतीय विजिट एवं चतुर्थ विजिट)।
  - गर्भवती महिला के सुरक्षित संस्थागत प्रसव हेतु इकाई का चिन्हींकरण।
  - प्रसव का समय, दिनांक एवं प्रकार (सामान्य प्रसव/सिजेरियन प्रसव)।
  - प्रसवोंपरान्त 45 दिन तक माँ एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य की स्थिति।
  - चिकित्साधिकारी/ए0एन0एम0 (हस्ताक्षर सहित) द्वारा माँ एवं नवजात शिशु का स्वस्थ्यता प्रमाणीकरण।
- **निम्न संकेताकों के आधार पर राज्य एवं जिला स्तर पर समीक्ष एवं मूल्यांकन–**
  - चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) के सापेक्ष 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 विजिट करने वाली गर्भवती महिला का प्रतिशत।
  - चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) के सापेक्ष 45 दिन तक माँ एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य की स्थिति का प्रतिशत।

- पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल पर प्रत्येक त्रैमास प्रारम्भ होने के पॉच दिन पूर्व पंजीकृत स्वास्थ्य इकाइयों के स्वामूल्यांकन प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड किये जायें।
- RMNCH+A पार्टनर एवं राज्य स्तरीय मॉनीटर के साथ DQAs जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति द्वारा जनपद स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का प्लान बनाकर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक सभी Key Stake Holders एवं राज्य स्तर पर मातृ स्वास्थ्य अनुभाग के साथ साझा करें ।
- जनपद स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्लान के अनुसार Key Stake Holders के द्वारा प्रत्येक पंजीकृत स्वास्थ्य इकाई (चिकित्सा इकाई) के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक माह की 09 एवं 24 तारीख को भ्रमण किया जाये एवं निर्धारित प्रारूप में भ्रमण आख्या चिन्हित गैप के साथ जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति को 10 एवं 25 तारीख तक सौंपा जायें एवं जनपद स्तरीय

क्वालिटी एश्योरेन्स समिति द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण चेक लिस्ट पोर्टल पर 11 एवं 26 तारीख तक अपलोड किया जाये।

- प्रत्येक माह15 एवं 27 तारीख से पूर्व पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल की समस्त पंजीकृत स्वास्थ्य इकाई (चिकित्सा इकाई) पर रिपोर्ट को अपलोड करायें एवं समय समय पर रिपोर्ट का मूल्यांकन अपने स्तर से भी करते हुये सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयो को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
- कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी, जनपदीय नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाये।
- मुख्य चिकित्साधिकारी व अपर मुख्य चिकित्साधिकारी अनुश्रवण आख्या का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
- ***जिला लेखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि जनपद की समस्त अधीनस्थ इकाइयों को ससमयवित्तीय आहरण सीमा (Limit) जारी की जाये।***

2.4 हाई रिस्क प्रेगनेन्सी (उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था) का चिन्हींकरण, उपचार एवं फॉलो–अप

आप अवगत हैं कि कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 10 से 15 प्रतिशत महिलाओं में उच्च जोखिम युक्त गर्भवस्था (हाई रिस्क प्रेगनेन्सी) होने की सम्भावना रहती है, जिसका समय पर चिन्हींकरण, उपचार एवं नियमित फॉलो–अप तथा संस्थागत प्रसव होना अत्यन्त ही अनिवार्य है।

हाई रिस्क प्रेगनेन्सी के प्रमुख कारण निम्नवत है–

- रक्तस्राव (antipartum/ postpartum)
- गम्भीर एनीमिया (Hb <7 ग्राम/डीएल)
- गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप (Pre-eclampsia/eclampsia)
- पूर्व की गर्भावस्था की जटिलताएं
- बाधित प्रसव (Obstructed Labour)
- अन्य चिकित्सकीय बीमारियाँ जो गर्भावस्था में अनियंत्रित हो जायें जैसे– डायबिटीज, हृदयरोग, टी0बी0, मलेरिया, आदि।

गर्भवती महिला में जटिलता के चिन्हींकरण हेतु मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है–

(1) पूर्व की गर्भावस्था से सम्बन्धित हाई रिस्क फैक्टर	(2) वर्तमान गर्भावस्था के हाई रिस्क फैक्टर
• पूर्व में मृत शिशु का जन्म/नवजात शिशु की मृत्यु • पूर्व में प्री टर्म शिशु पैदा होना • पूर्व में बार–बार गर्भपात होना • नवजात शिशु का ब्लड ग्रुप/आर0एच0 सम्बन्धी विकार, हिमोलिटिक बीमारी • पूर्व में कम वजन का शिशु पैदा होना (2.5 किग्रा से कम) • एक्लेम्पसिया की हिस्ट्री या प्री एक्लेम्पसिया (हाई ब्लड प्रेशर/झटके) • पूर्व में सिजेरियन होना • पूर्व में भ्रूण में जन्मजात विकृति की हिस्ट्री • पूर्व प्रसव में पी0पी0एच0 की हिस्ट्री	• वर्तमान के भ्रूण की असामान्य स्थिति • प्लेसेन्टा की विकृति या असामान्य स्थिति • प्री एकलेम्पसिया (हाई ब्लड प्रेशर/पेशाब में एल्ब्यूमिन/सूजन) • Polyhydramnios or oligohydramnios • मधुमेह (Diabetes) • गुर्दा रोग (Kidney disease) • गम्भीर एनीमिया • ectopic pregnancy • Vaginal bleeding • अत्यधिक तम्बाकू एवं अल्कोहल का सेवन • Birth defects or genetic conditions in the fetus • IUGR
(3) फिजिकल रिस्क फैक्टर	**(4) मेडिकल हाई रिस्क फैक्टर**
• आयु 15 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक • छोटा कद (145 से0मी0 से कम) • Abnormality of cervix and uterus मां का वजन कम होना (35 किग्रा0 से कम)	• Severe anaemia • Hypertension • Heart disease • kidney disease • Epilepsy • Tuberculosis • Thyroid disorder • TORCH positive • HIV/HbsAg positive • Covid positive • Poly cystic ovarian disease • Blood clotting disorder

	• Mental health disorders like depression

किसी गर्भवती महिला में उपयफ्रक्त कोई भी लक्षण पाये जाने पर ए0एन0एम0 मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पर प्रदर्शित तालिका में टिक (√) लगाते हुये ***कार्ड के प्रथम पृष्ठ व काउन्टर फॉइल पर लाल HRP मोहर या लाल पेन से HRP लिखेंगी।***

गर्भावस्था के दौरान खतरे के लक्षण

गर्भावस्था के दौरान कुछ लक्षण गर्भवती महिलाओं में गम्भीर बीमारियों के सूचक होते हैं, जिसमें तुरंत चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता होती है। खतरे के इन लक्षणों की विस्तृत जानकारी प्रत्येक गर्भवती महिला/परिजनों को ए0एन0सी0 जांच के दौरान दी जाये तथा उन्हें यह भी बताया जाये कि गर्भवती महिला में खतरे के इन लक्षणों के उत्पन्न होने की दशा में तुरन्त इसके विषय में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को सूचित किया जाये तथा 102 एम्बुलेंस आदि का प्रयोग करते हुये निकटतम स्वास्थ्य इकाई पर चिकित्सकीय सलाह ली जाये। खतरे के कुछ लक्षण निम्नवत है–

- 24 घण्टे से अधिक के लिए 101.3 °C या उससे अधिक का बुखार।
- सर दर्द एवं धुंधला दिखना।
- चक्कर/झटके आना या बेहोशी
- शरीर में सूजन एवं चेहरे पर सूजन।
- तेज धड़कन, जल्दी थकान महसूस होना एवं सांस उखड़ना।
- पेट में दर्द।
- योनि से रक्त स्राव/पानी आना।
- बच्चे की हलचल बंद या कम होना।
- खुद को या भ्रूण को नुकसान पहुंचाने के विचार

उच्च रक्तचाप

उच्च रक्तचाप संबंधी विकार लगभग 10 प्रतिशत गर्भधारण को जटिल बनाते हैं।

गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप को किसी भी समय लगातार दो रीडिंग में बीपी 140/90 से अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है। इस स्थिति में प्रत्येक ए0एन0सी0 परगर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर एवं वजन की जांच (Abnormal Weight Gain) की जाए, जिससे सम्बन्धित को ससमय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके।

रोगी को बताए जाने वाले खतरे के संकेत

सिरदर्द, दृष्टि का धुंधला होना, epigastric pain या oliguria और चेहरे/पैर और शरीर में सूजन, बढ़ता बीपी, ब्लीडिंग पीवी या अनुपस्थित/कमी हुई भ्रूण की हरकतें।

गम्भीर एनीमिया

भारत में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का प्रसार 53.1 प्रतिशत है। गर्भावस्था के दौरान 7g/dl से कम के हीमोगलोबिन को सीवियर एनीमिया की श्रेणी में रखा जाता है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया सबसे साधारण एनीमिया है। एनीमिया से सम्बन्धित विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये गये है।

जी0डी0एम0 (गर्भकालीन मधुमेह)

गर्भावस्था में मधुमेह से पीडित महिलाओं में यदि समय से उपचार नहीं हो पाता है, तो आगे चलकर प्रसूता एवं गर्भस्थ शिशु में जटिलातायें हो सकती है एवं प्रसूता एवं शिशु भविष्य में टाइप–2 मधुमेह से ग्रसित हो सकता है।

गर्भावस्था में मधुमेह से होने वाली जटिलतायें–

1. गर्भवती में होने वाली जटिलतायें
   - Polyhydramnios
   - Pre eclampsia
   - Prolonged Labour
   - Obstructed Labour
   - Caesarean Section
   - Uterine Atony
   - Postpartum Haemorrhage
   - Infection
2. गर्भस्थ शिशु में होने वाली जटिलतायें–
   - Spontaneous Abortion

- Intrauterine death of foetus
- Still Birth
- Shoulder Dystocia
- Birth defects
- Birth Injuries
- Hypoglycemia in newborn
- Infant respiratory distress

सामुदायिक स्तर पर मधुमेह की जाँच एवं उपचार हेतु फ्लो–चार्ट निम्नवत् है–

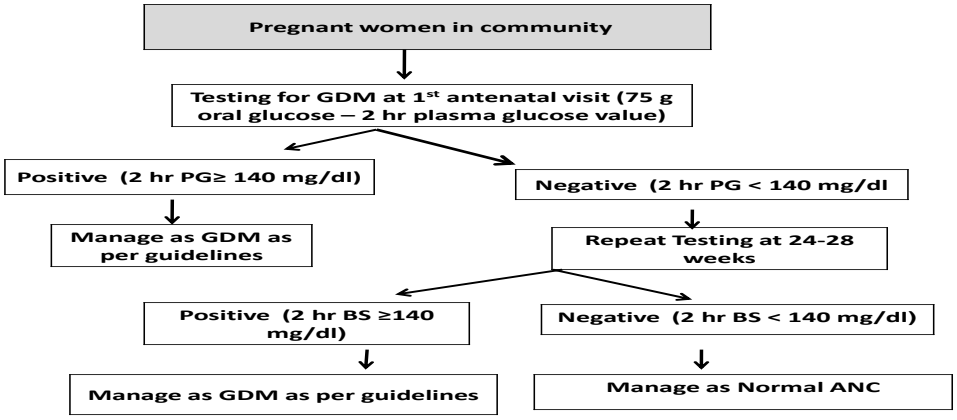

<u>75 grams Glucose packets के प्रयोग हेतु दिशा–निर्देशः</u> कुल ए0एन0सी0 का लगभग 10 से 14 प्रतिशत गर्भवती महिलायें गर्भावस्था जनित मधुमेह से पीड़ित हो सकती हैं।
अतः समस्त गर्भवती महिलाओं की 02 बार (प्रथम भ्रमण पर एवं 24–28 हफ्ते में) जी0डी0एम0 की जाँच अवश्य की जानी है।

- गर्भवती महिला की प्रथम ए0एन0सी0 चेकअप के दौरान मधुमेह की जाँच की जानी है, जिसके लिये गर्भवती महिला को 75 ग्राम ग्लूकोज का एक पैकेट 300 मिली पानी मेंघोल कर पिलाने के उपरान्त, 02 घण्टे पश्चात प्लाजमा ग्लूकोज की जाँच की जायेगी। यदि यह जाँच नकारात्मक–Negative(02hrPG<140mg/dl) होती है तो 24–28 हफ्ते में यह जाँच पुनः की जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक गर्भवती महिला की ए0एन0सी0 के दौरान 02 बार 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाकर मधुमेह की जाँच की जानी है।
- यदि मधुमेह की जाँच पॉजीटिव (02hrPG≥140mg/dl) है तो गर्भवती महिला को मधुमेह के लिये पॉजीटिव माना जायेगा। इसके पश्चात गर्भवती महिला को स्वास्थ्य इकाई पर चिकित्सकों द्वारा उपचार हेतु रिफर किया जायेगा, जहाँ चिकित्सक द्वारा उसे 02 सप्ताह के लिये मेडिकल न्यूट्रिशिन थैरेपी (MNT) (अर्थात् भोजन एवं हल्के–फुल्के व्यायाम) द्वारा प्लाजमा ग्लूकोज को कम करने हेतु प्रबन्धन किया जायेगा। 02 सप्ताह पश्चात पोस्ट पैरेन्डियल प्लाज्मा ग्लूकोज (पी0पी0पी0जी0–दोपहर के भोजन के 02 घण्टे के पश्चात ग्लूकोमीटर द्वारा ग्लूकोज की जाँच) ए0एन0एम0 द्वारा किया जायेगा। यदि 02 घण्टे पश्चात पी0पी0पी0जी0 नकारात्मक–Negative (02hrPPPG<120mg/dl) है तो यह जाँच द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास (प्रत्येक 02 हफ्ते पश्चात) में प्रसव तक की जायेगी। यदि जाँच पॉजीटिव है तो दिशा निर्देशों के अनुसार चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य इकाई पर Metformin/Insulin Inj. उपलब्ध कराये जायेंगे। पॉजीटिव जी0डी0एम0 वाली गर्भवती महिलाओं में से 10 प्रतिशत को Insulin Inj. लेने की आवश्यकता हो सकती है।
- Insulin लेने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला की पी0पी0पी0जी0 (भोजन के 02 घण्टे के बाद) जाँच प्रत्येक 15 दिन बाद की जायेगी, जब तक उसका प्रसव नहीं हो जाता है। यह जाँच Insulin की खुराक को रेग्युलेट करने हेतु की जानी है। जिन महिलाओं में मधुमेह की जाँच पॉजीटिव पायी जाये उनकी पुनः जाँच के लिये 75 gm Glucose का उपयोग नहीं किया जाना है। इन महिलाओं का केवल PPPG-Post Prandial Plasma Glucose (दोपहर के भोजनके 02 घण्टे उपरान्त किया जाना है।
- प्रसवोपरान्त 06 सप्ताह बाद इन महिलाओं में पुनः 75 gm glucose का एक पैकेट घोल कर पिलाने के 02 घण्टे उपरान्त प्लाजमा ग्लूकोज की जाँच की जायेगी।

खतरे के लक्षण–

- हाथ काँपना, पसीना आना, दिल का तेज तेज धड़कना, सिर दर्द, आसानी से थकान होना, मुँह का सूखना एवं झुनझुनी इत्यादि।
- गम्भीर लक्षण–घबराहट, झुलझुलाहट, आँखों के सामने अन्धेरा छा जाना, आसामन्य व्यवहार करना इत्यादि।
- कभी–कभी दौरे भी पड़ सकते है अथवा पीड़िता बेहोश भी हो सकती है।
- यह एक खतरनाक स्थिति है जिसमें विलम्ब करने पर पीड़िता की जान भी जा सकती है।

गर्भजनित मधुमेह में आशा/ए0एन0एम0 की भूमिका–

- ग्राम स्तर पर आशा का कार्य गर्भवती महिलाओं को जाँच कराने हेतु प्रेरित करना है, जिससे अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं की समय से जी0डी0एम0 की जाँच की जाये। जाँच के पश्चात मधुमेह से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य इकाइयों पर ले जाना एवं उनका फालो–अप किया जाना है।

ए0एन0एम0 का कार्य–

- छाया वी0एच0एस0एन0डी0/यू0एच0एस0एन0डी0 एवं उपकेन्द्र पर मधुमेह की जाँच करना एवं पॉजीटिव गर्भवती महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य केन्द्र पर संदर्भित कर उनका उपचार सुनिश्चित कराना।
- चिन्हित मधुमेह पीडित गर्भवती महिलाओं को पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर अवश्य जांच के लिये ले जायें।
- समय समय पर ए0एन0एम0 मधुमेह से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का फॉलो–अप करेगी एवं उन्हें खान–पान, हल्के–फुल्के व्यायाम एवं इन्स्युलिन के प्रयोग के अद्ययत्न स्थिति से अवगत करायेगी।
- रिपोर्ट प्रेषित करना एवं उसका फॉलो–अप करना एवं सम्बन्धित दस्तावेजों का उचित रख–रखाव करना।

सिफलिस (Syphilis)

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक गर्भवती महिला का सिफलिस स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य किया गया है। सिफलिस एक प्रकार की Sexually Transmitted Infections (STI) है। गर्भवती महिला में STI होने के अधिक सम्भावना निम्न कारणों से हो सकती हैः–

- पूर्व से/वर्तमान से Sexually Transmitted Infections (STI) की हिस्ट्री
- एक से अधिक Sexual Partner
- Sex Worker
- इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वाली महिलाएं

सिफलिस में गर्भावस्था में होने वाली समस्याः–

- बच्चे का वजन कम होना।
- भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु।
- मां से शिशु को होने वाला सिफलिस (vertical transmission)
- मृत शिशु (Still Birth) पैदा होना।
- Spontaneous Abortion
- Co-morbidबीमारियाँ जैसे कि– एच0आई0वी0 का होना आदि।

(Diagnosis) निदानः– समस्त गर्भवती महिलाओं को प्रथम ए0एन0सी0 विजिट में पी0ओ0सी0 किट का प्रयोग करते हुए सिफलिस की जांच किया जाना अनिवार्य है। जिन गर्भवती महिलाओं को सिफलिस का जोखिम अत्यधिक हो, उनकी तृतीय त्रैमास में सिफलिस की जांच पुनः जांच की जाए। सिफलिस पॉजिटिव गर्भवती महिला के पति की सिफलिस की जांच भी किया जाना आवश्यक है।

वित्तीय व्यवस्था–

भारत सरकार द्वारा गतवर्ष की उपलब्धियों के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 2,57,000 उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल एवं संस्थागत प्रसव का प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिये निम्नानुसार वित्तीय व्यवस्था की गयी है–

वर्ष 2022–23 में मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि का विवरण –

क्र0 सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0/ एफ0ए0एम्0एस0 कोड	लक्ष्य	जनपदों को आवंटित धनराशि (रू0)
1	अत्यधिक जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के चिन्हींकरण हेतु	RCH.1.2.OOC	2,57,000	5,14,00,000

	लाइन लिस्टिंग एवं फॉलो–अप हेतु ए0एन0एम0 के लिए रू0 200/– प्रति केस की प्रोत्साहन धनराशि ।			
2	अत्यधिक जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के चिन्हींकरण, फॉलो–अप, लाइन लिस्टिंग एवं संस्थागत प्रसव तक फॉलो–अप हेतु आशा के लिए रू0 300/– प्रति केस की प्रोत्साहन धनराशि ।	RCH.1.2.ASHA	2,57,000	7,71,00,000
कुल धनराशि				**12,85,00,000**

- **<u>ए0एन0एम0 हेतु प्रोत्साहन धनराशि –</u>**

छाया ग्राम/शहरी स्वास्थ्य, स्वछता एवं पोषण दिवस पर ए0एन0एम0 गर्भवती महिला की जाँच एवं पूर्व के प्रसवों/गर्भावस्थाओं के इतिहास के आधार पर हाई रिस्क गर्भवती महिला को पहचान कर ई–कवच तथा आर0सी0एच0 पोर्टल में दर्ज करते हुए, एम0सी0पी0 कार्ड में अंकन कराने एवं कार्ड में लाल HRPमोहर लगाने पर ए0एन0एम0 को रू0 200/– प्रति एच0आर0पी0 की दर से प्रोत्साहन धनराशि देय होगी। इस हेतु एफ0एम0आर0 एवं एफ0ए0एम्0एस0 कोड–RCH.1.2.OOC में को कुल धनराशि रू0 5,14,00,000/– (रू0 पांच करोड़ चौदाह लाख मात्र) आवंटित की जा रही है।

- **<u>आशा हेतु प्रोत्साहन धनराशि –</u>**

अपने क्षेत्र में छाया ग्राम/शहरी स्वास्थ्य, स्वछता एवं पोषण दिवस पर ए0एन0एम0 द्वारा हाई रिस्क गर्भवती महिला का चिन्हींकरण होने पर आशा –

- उसे अपने वी0एच0आई0आर0/यू0एच0आई0आर0 रजिस्टर में दर्ज करेंगी।
- ए0एन0एम0 से उसका एम0सी0पी0 कार्ड भरवाते हुए आर0सी0एच0 नं0 अंकित करवायेंगी।
- उसका ब्लाक/जिला स्तरीय चिकित्सालय पर नियमित रूप से फॉलो–अप एवं संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करेंगी एवं गर्भवती की सुरक्षित प्रसव तक की सभी सूचनायें ई–कवच तथा आर0सी0एच0 पोर्टल पर अंकित करवायेंगी, इस हेतु आशा को रू0 300/– प्रति एच0आर0पी0 की प्रोत्साहन धनराशि देय होगी।
- इस हेतु एफ0एम0आर0 एवं एफ0ए0एम्0एस0 कोड–RCH.1.2.ASHA में कुल धनराशि रू0 7,71,00,000/– (रू0 सात करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) आवंटित की जा रही है।
- इसके अतिरिक्त सरकारी/निजी संस्था में सुरक्षित प्रसव करवाने के पश्चात ई–कवच तथा आर0सी0एच0 पोर्टल पर इसे अंकित कराने पर भी आशा को यह प्रोत्साहन धनराशि देय होगी।
- यह प्रोत्साहन धनराशि जे0एस0वाई के प्रोत्साहन धनराशि के अतिरिक्त होगी।

आशा का उत्तरदायित्व होगा कि ए0एन0एम0 के सहयोग से जटिलता वाली गर्भवती महिला के परिवार को जटिलता का प्रकार एवं उससे होने वाले खतरे के लक्षणों के विषय में विस्तार से समझाये। आशा को प्रत्येक गर्भवती महिला मेंए0एन0सी0 हेतु कम से कम 03 विजिट कराना अनिवार्य है। इन प्रयासों से राज्य में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित संस्थागत प्रसवों को सुनिश्चित कर मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है।

<u>कार्यक्रम क्रियान्वयन</u>–

- सभी मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0, इस कार्यक्रम की महत्ता के दृष्टिगत कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करें।
- सभी स्वास्थ्य इकाई के प्रभारियों द्वारा हाई रिस्क प्रेगनेन्सी का चिन्हींकरण, उपचार व फॉलो–अप सम्बन्धी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए एक रणनीति विकसित की जाये। हाई रिस्क प्रेगनेन्सी के चिन्हींकरण के लिये शीघ्र पंजीकरण के महत्व पर विशेष जोर दिया जाये।
- प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर सभी ब्लॉक प्रभारियों एवं चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं की पुनः बैठक कर ''हाई रिस्क प्रेगनेन्सी'' का चिन्हींकरण, उपचार व फॉलो–अप पर चर्चा की जाये। इसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक पर भी एक बैठक कर इस विषय पर चर्चा की जाये जिससे कार्यक्रम का अनुश्रवण हो सकें।
- ब्लॉक स्तरीय बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी के साथ बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0 व एच0ई0ओ0 सभी ए0एन0एम0 एवं आशाओं को ''हाई रिस्क प्रेगनेन्सी'' का चिन्हींकरण, उपचार व फॉलो–अप के विषय में विस्तार से बतायें तथा क्वालिटी ए0एन0सी0 के घटक व महत्ता पर प्रकाश डालें। आर0सी0एच0,एच0एम0आई0एस0 व ई–कवच पोर्टल पर सूचनाओं के अंकन पर सुनिश्चित करायें।

- प्रत्येक प्रभारी चिकित्साधिकारी अपने क्षेत्र की हाई रिस्क गर्भवती महिलाओ की ब्लॉकवार सूची अपने पास रखना सुनिश्चित करें।
- प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि समस्त हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव प्रथम सन्दर्भन इकाई सी0एच0सी0 या उससे उच्च चिकित्सा इकाइयों पर कराया जाये।
- मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद की सभी चिकित्सा इकाइयों पर स्पष्ट निर्देश प्रेषित करें कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला को उपचार हेतु लगी हुई कतार में न खड़ा रहने दें, वरन उस गर्भवती महिला को विशेष महत्व देते हुये उसे जाँच एवं उपचार तुरन्त उपलब्ध करवाया जाये। सम्भव हो तो एक पृथक से हाई रिस्क क्लीनिक भी बनायी जाये।
- उच्च खतरे वाली गर्भवती महिलाओं की सूचना आर0सी0एच0 रजिस्टर में ''कॉम्प्लीकेशन इन प्रेगनेन्सी'' वाले कॉलम में नियमित रूप से अंकित कर इसका नियमित अनुश्रवण किया जाये।
- प्रत्येक जनपद की सभी इकाइयों पर यह प्रोटोकॉल भी प्रदर्शित किया जाये कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के उपचार की सुविधा किन चिकित्सा इकाइयों पर उपलब्ध है। इससे ए0एन0एम0 अथवा आशाओं को उचित इकाई पर सन्दर्भन में सुविधा होगी।
- प्रत्येक माह चिकित्सा इकाई के प्रभारी नयी चिन्हींकृत उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं की विस्तृत सूचना एवं सुरक्षित संस्थागत प्रसव के आर0सी0एच0 पोर्टल पर अंकित डाटा का अनुश्रवण करेंगे अपने जनपद/ब्लॉक में संभावित हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की संख्या (कुल गर्भवती महिलाओं का 10 से 15 प्रतिशत) का आंकलन कर, उसके सापेक्ष कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।
- प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान आर0सी0एच0 व ई–कवच पोर्टल पर प्रसव तक की सेवाओं के अंकन का साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने पर ही देय होगा। ब्लाक स्तर पर प्रभारी द्वारा यह साक्ष्य सत्यापित किया जायेगा।
- जिला लेखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करे कि जनपद की समस्त अधीनस्थ इकाइयों को ससमय वित्तीय आहरण सीमा (limit) जारी की जाये।

2.5 मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड एवं केसशीट के मुद्रणः

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं के अन्तर्गत सुचारू रूप से सेवायें प्रदान करने हेतु मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड तथा केसशीट का मुद्रण जनपद स्तर पर किया जाना है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार ससमय मुद्रण कराते हुए मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड गर्भवती महिलाओं को वितरित करने हेतुतथा केसशीट सभी प्रसव केन्द्रों (एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

क्र0सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0/एफ0ए0एम्0ए स0कोड	भौतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित कुल धनराशि (रू0 में)
1	मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0 कार्ड) का मुद्रण	RCH.1.2.IEC	67,06,324 कार्ड का मुद्रण	11,40,07,508
2	केसशीट का मुद्रण	RCH.1.14.IEC	27,90,000 केसशीट का मुद्रण	2,79,00,000
	कुल योग			**14,19,07,508**

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड एवं केसशीट के मुद्रण हेतु निम्नानुसार वित्तीय व्यवस्था की गयी है–

मातृ एवं शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड हेतु स्पेसिफिकेशन–

भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र सं0T-13011/ 38/2011-CC and V(Part-1) dated 08.05.2018 के क्रम में 40 पेज के मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड को मुद्रण कराते हुये उपयोग में लाया जाना है, जिसका स्पेसीफिकेशन निम्नवत है–

कार्ड का साइज	4 इंच चौड़ा X 11.25 इंच लम्बा।
कागज की गुणवत्ता	150 जी0एस0एम0 माइक्रोन सिंथेटिक पेपर, नॉनटियरेबिल, स्मजप्रूफ पेपर, जिसपर किसी भी प्रकार के पेन से लिखा जा सके।
पृष्ठों की संख्या	40 (छपाई दोनो तरफ)–20 लीफलेट (कवर एवं बैक पेज सहित)। केवल हिन्दी में।
रंग/डिजाइन	चार रंग प्रिंटिंग/विभागीय नमूने के अनुसार बहुरंगीय।
बाइडिंग	पृष्ठों की सेन्टर स्टिच/तीन स्थानों पर स्टेपलिंग किया हुआ
परफोरेटेड लाइन से पृथक होने की व्यवस्था	अन्तिम 2 पृष्ठ (काउन्टर फाइल) के लिये।
पैकेजिंग	चिन्हित कार्टून बॉक्स में उपलब्ध करायें।

एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1 प्रसव इकाई केसशीट हेतु स्पेसिफिकेशन–

पृष्ठ साइज	ए–4 शीट पर
कागज	80 GSM
कलर	सफेद कागज पर
डिजाइन	संलग्न प्रसव इकाईवार (एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1) रंगीन प्रोटोटाइप के अनुसार मुद्रण

एम0सी0पी0कार्ड एवं केसशीट के उपयोग हेतु निर्देश –

- एक ही एम0सी0पी0 कार्ड का उपयोग माँ व बच्चे दोनों के लिये किया जाना है। एम0सी0पी0 कार्ड में गर्भावस्था के पंजीकरण से प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान, प्रसव पश्चात एवं बच्चे की 05 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाने वाली सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं एवं जानकारियों के अंकन का प्राविधान किया गया है। अतः गर्भवती महिला के प्रथम पंजीकरण के दौरान ही प्रारम्भिक सूचनायें अंकित करते हुये, उन्हें निःशुल्क मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड उपलब्ध करा दिया जाये। परिवार के सदस्यों को इन सूचनाओं के विषय में जानकारी भी दें।
- एम0सी0पी0 कार्ड में गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सेवायें जैसे–जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी भी उपलब्ध है। क्षेत्रीय ए0एन0एम0/स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस जानकारी को लाभार्थी तक पहुँचाने हेतु उत्तरदायी होंगे जिला स्तरीय चिकित्सालय/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 स्वास्थ्य इकाईयों पर सीधे पहुँचने वाली गर्भवती महिला का पंजीकरण उसी स्वास्थ्य इकाई पर एम0सी0पी0 कार्ड भरते हुये किया जाना है। *समस्त चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को आगामी (ए0एन0सी0/प्रसव/प्रसव पश्चात जांच/शिशु के टीकाकरण हेतु) भ्रमण में एम0सी0पी0 कार्ड साथ लाने हेतु प्रेरित किया जाना अपेक्षित है।*
- डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (DBT) योजना के अनुसार राजकीय लाभ प्राप्त करने के लिये प्रत्येक गर्भवती महिला के पास आधार कार्ड से लिंक्ड बैंक खाता, आर0सी0एच0 नं0 एवं मोबाइल नं0 की अनिवार्यता है। अतः गर्भवती महिला के द्वितीय ए0एन0सी0 के दौरान उनके एम0सी0पी0 कार्ड पर टीकाकरण, ए0एन0सी0 जांच, औषधि वितरण तथा अन्य आवश्यक पृविष्टियों का अंकन सुनिश्चित किया जाये।
- जिन महिलाओं के पास पंजीकरण के समय आधार कार्ड संख्या या बैंक खाता न हो उन्हें आगामी माह के छाया यू0एच0एन0डी0/वी0एच0एस0एन0डी एवं पी0एम0एस0एम0ए0 सत्र तक यह नम्बर प्राप्त कर आर0सी0एच0 नं0 के साथ ही एम0सी0पी0 कार्ड पर अंकित करवाने के लिये आशाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। आशा/ए0एन0एम0 को निर्देश दें कि प्रत्येक स्थिति में प्रसव के पूर्व सभी गर्भवती महिलाओं के पास आधार कार्ड से लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए, जिसके लिये ग्राम प्रधानों से भी सहयोग प्राप्त करें।
- प्रत्येक एम0सी0पी0 कार्ड पर ससमय मातृ एवं शिशु आर0सी0एच0 नम्बर अंकित किया जाये। सभी प्रसव पूर्व जाँचों का विवरण एम0सी0पी0 कार्ड पर अंकित कराना सुनिश्चित किया जाना है। प्रसव जाँचों में हीमोग्लोबिन, यूरिन एल्बुमिन एण्ड शुगर, ब्लड शुगर ओ0जी0टी0टी प्रथम एवं द्वितीय विजिट (24 से 28 सप्ताह) के अन्दर करा कर, एच0आई0वी0, सिफलिस एवं अल्ट्रासाउण्ड की जांच तथा वैकल्पिक जांचों में थायराइड उत्तेजक हार्मोन, HbsAg आदि एम0सी0पी0 कार्ड पर अंकित की जानी है। आयरन, कैल्शियम एवं एल्बेंडाजोल की मात्रा एवं दिनांक का अंकन भी किया जाना आवश्यक है। *जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं के कार्ड पर एच0आर0पी0 मुहर लगाकर प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें।*
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश न में DIO/ACMO-RCH द्वारा एम0सी0पी0 कार्ड की उपलब्धता समस्त जनपदीय (राजकीय मेडिकल कॉलेज, एम0सी0एच0 विंग, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाई एवं शहरी स्वास्थ्य इकाईयों तथा ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस सत्रों पर भी सुनिश्चित की जाये। इस हेतु प्रिन्टिंग जनपद स्तर पर लाभार्थियों (गर्भवती महिलाओं) के लक्ष्य के अनुसार की जानी है। स्वास्थ्य इकाइयों पर एम0सी0पी0 कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये एम0सी0पी0 कार्ड में गर्भवती महिला व गर्भावस्था के प्रारम्भ से लेकर प्रसव पश्चात् बच्चे की ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाये।

- समस्त ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करें कि छाया ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस सत्रों पर प्रत्येक ए0एन0एम0 द्वारा न्यूनतम 05 एम0सी0पी0 कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा केसशीट की उपलब्धता समस्त जनपदीय (राजकीय मेडिकल कॉलेज, एम0सी0एच0 विंग, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाई एवं शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर सुनिश्चित की जाये।
- यहाँ पर यह भी संज्ञान में लाना है कि पूर्व पर्यवेक्षण में पाया गया है कि जनपदों पर प्रसव इकाइयों द्वारा केसशीट एवं ए0एन0एम0 द्वारा एम0सी0पी0कार्ड पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा है। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि जनपदों द्वारा इन केसशीट/एम0सी0पी0कार्ड को पूर्ण रूप से भरा जाये।
- जनपद/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण के समय केसशीट/एम0सी0पी0कार्ड की उपलब्धता एवं उस पर अंकित की जाने वाली वांछित सूचना की पूर्णता का अपने स्तर से परीक्षण अवश्य सुनिश्चित करें।

वित्तीय व्यवस्था –

- प्रदेश में कुल सम्भावित 67,06,324 गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण समय एम0सी0पी0 कार्ड वितरित किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये एम0सी0पी0 कार्ड के मुद्रण हेतु रू0 17/– प्रति एम0सी0पी0 कार्ड की दर से कुल 67,06,324 एम0सी0पी0 कार्ड के मुद्रण के लिये एफ0एम0आर0/एफ0ए0एम0एस0 कोड RCH.1.2.IEC में रू0 11,40,07,508/– (रू0 ग्यारह करोड़ चालीस लाख सात हजार पांच सौ आठ मात्र) की धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये समस्त प्रसव इकाइयों (एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1) पर कुल 27,90,000 प्रसव हेतु केसशीट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु औसतन रू0 10/– प्रति केसशीट की दर से एफ0एम0आर0/एफ0ए0एम्0एस0 कोड RCH.1.14.IEC में रू0 2,79,00,000/– (रू0 दो करोड़ उन्यासी लाख मात्र) की धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है।
- भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 2022–23 में निर्देशित किया गया है कि– "State should follow competitive bidding process/government press may be used for printing of MCP cards." उक्त के दृष्टिगत एम0सी0पी0 कार्ड एवं केसशीट का मुद्रण नियमानुसार, मानकानुसार एवं वित्तीय नियमों के अनुसारकिया जाना है।
- एम0सी0पी0 कार्ड एवं केसशीट की प्रिटिंग उपरोक्त दिये गये प्रोटोटाइप के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ACMO-RCH/Nodal Officer पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे

2.6 एफ0आर0यू0 पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को ऑन–कॉल पर बुलाने की व्यवस्थाः–

वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रदेश की चिन्हित प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर नियमित/संविदा स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञ या EMOC एवं LSAS प्रशिक्षित चिकित्साधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में ऑन–कॉल स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञों की व्यवस्था अनुमन्य की गयी है। यह सम्पूर्ण व्यवस्था जनपदों में अक्रियाशील एफ0आर0यू0 को क्रियाशील करने के साथ–साथ किसी अन्य क्रियाशील एफ0आर0यू0 जहां पर विशेषज्ञ की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता होने पर सिजेरियन कराये जाने के लिये स्वीकृत की गयी है। यह व्यवस्था राजकीय (नियमित/संविदा) व निजी क्षेत्र में कार्यरत स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञ के लिये अनुमन्य है। **EMOC एवं LSAS प्रशिक्षित चिकित्साधिकारी को ऑन–कॉल पर बुलाना अनुमन्य नहीं है।**

जनपद में राजकीय नियमित/संविदा सेवा के स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञ को केवल एफ0आर0यू0 पर ही तैनात किया जाना है। इस हेतु स्वास्थ्य इकाइयों पर तैनात विशेषज्ञों की सूची बनाकर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उन्हें एफ0आर0यू0 पर ही समायोजित कर एफ0आर0यू0 को क्रियाशील कराया जाना है। ऑन–कॉल सेवा प्रदान करने में रूचि दिखाने वाले नियमित एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत स्त्री व प्रसूति रोग/निश्चेतक विशेषज्ञों (EMOC एवं LSAS को छोड़कर) की सूची बनाकर जिला स्वास्थ्य समिति में ऑन–कॉल विशेषज्ञ के रूप में अधिकृत कर लिया जाये। इस सूची को प्रत्येक एफ0आर0यू0 पर उपलब्ध कराते हुए एक प्रति राज्य स्तर पर प्रेषित की जाये।

स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञ (राजकीय एवं निजी चिकित्सक) हेतु ऑन–कॉल व्यवस्था जनपद के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सन्दर्भन चिकित्सा इकाइयों पर लागू है।

जनपद की एफ0आर0यू0 इकाइयों के लिये ऑन कॉल सुविधा निम्नवत है–

a) जिला चिकित्सालयों पर सिजेरियन प्रसव का भार अत्यधिक होने के कारण मात्र ऑन–कॉल व्यवस्था से कार्य कराना सम्भव नहीं होगा। अतः जनपद में प्राथमिकता के आधार पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय पर राजकीय नियमित अथवा संविदा विशेषज्ञों की व्यवस्था पूर्ण की जाये। जिला चिकित्सालयों पर कोई भी स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञ न होने की दशा में ग्रामीण क्षेत्रों से नियमित विशेषज्ञों को जनपद स्तरीय इकाई पर तैनात/संबद्ध किया जाना है। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार ऑन–कॉल व्यवस्था का उपयोग किया जा सकता है।

b) एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0 पर राजकीय नियमित/संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण टीम अपूर्ण होने की स्थिति में यह व्यवस्था की जानी है।

c) जिन एफ0आर0यू0 पर ई–मॉक टीम में केवल एक–एक विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात है एवं उनमें से किसी एक के आकस्मिक अवकाश अथवा लम्बी छुट्टी (उपार्जित/मातृत्व/शिशु देखभाल/चिकित्सकीय अवकाश/बिना सूचना के गैर हाजिर) पर जाने के कारण टीम अधूरी हो, के सम्बन्ध में जनपद स्तर को अवगत कराते हुये ऑन–कॉल सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

d) ऑन–कॉल सुविधा वाले समस्त एफ0आर0यू0 द्वारा सिजेरियन का विवरण (ऑन–कॉल विशेषज्ञ का नाम, मोबाइल नंबर, विशेषज्ञता, तैनाती का स्थान, सिजेरियन प्रसव की तिथि, महिला का नाम, आदि) संलग्न प्रारूप पर अंकित किया जाना है।

e) उक्त Monthly line-list सूचना प्रत्येक माह एफ0आर0यू0 द्वारा, जनपद मुख्यालय को प्रेषित की जानी है। यह monthly line-list की संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक राज्य स्तर पर महानिदेशक परिवार कल्याण की ई– मेल mchjsy2022@gmail.com एवं एस0पी0एम0यू0 की ई– मेल gmmhup2019@gmail.com पर प्रेषित किया जाना है।

f) ऑन–कॉल विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य इकाई छोड़ने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना है, कि लाभार्थी केवाइटल स्टेबल हों तथा उस समय स्वास्थ्य इकाई पर उपस्थित चिकित्सक को फॉलो–अप हेतु लाभार्थी की स्थिति से अवगत करा दें।

g) एफ0आर0यू0 पर उपलब्ध चिकित्सकों द्वारा सिजेरियन प्रसव के पश्चात डिस्चार्ज तक प्रसूता का फॉलो अप भलीभांति किया जाना है।

h) ऑन–कॉल पर आने वाले स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा सिजेरियन प्रसव के उपरान्त 01 फॉलो अप विजिट कर प्रसूता की आवश्यक जांच किया जाना अनिवार्य है।

i) यदि किसी इकाई पर 01 विजिट में ऑन–कॉल विशेषज्ञ एक से अधिक सिजेरियन प्रसव कराते है, तो उन्हें प्रति सिजेरियन धनराशि देय होगी परन्तु यात्रा भत्ता एक ही देय होगा।

j) किसी भी स्थिति में यह सुविधा चिन्हित एफ0आर0यू0 की सूची से बाहर की इकाइयों में अनुमन्य नहीं होगी।

1. **राजकीय नियमित सेवा क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को ऑन–कॉल पर बुलाने की व्यवस्था–**

राजकीय नियमित सेवा में कार्यरत विशेषज्ञों को निम्नानुसार ऑन–कॉल पर कार्य करना अनुमन्य है–

- मण्डल/जनपद स्तर एवं जिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय केचिकित्सकीय/प्रशासनिक पदों (अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, एस0आई0सी0/सी0एम0एस0, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, डी0एल0ओ0, डी0टी0ओ0, संयुक्त निदेशक, आदि) पर तैनात विशेषज्ञों को संबंधित विधा के विशेषज्ञ की अनुपलब्धता पर एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0/जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सिजेरियन प्रसव हेतु ऑन–कॉल पर बुलाया जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्र में तैनात स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक विशेषज्ञ को किसी अन्य ग्रामीण एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0/एस0डी0एच0/PPC पर ऑन–कॉल अनुमन्य है। ऑन–कॉल अनुमन्य करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि वे अपने तैनाती स्थल पर भी सिजेरियेन प्रसव करा रहे हों।
- विशेष परिस्थितियों में, बिन्दु संख्या 1c) में वर्णित, की स्तिथि में जिला स्तरीय चिकित्सालय पर तैनात विशेषज्ञों को ग्रामीण एफ0आर0यू0 इकाइयों तथा ग्रामीण एफ0आर0यू0 पर तैनात

विशेषज्ञों को जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर सिजेरियन प्रसव हेतु ऑन–कॉल पर बुलाया जा सकता है।

2. **निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को ऑन–कॉल पर बुलाने की व्यवस्था–** जनपद पर चिन्हित एफ0आर0यू0 इकाईयों पर नियमित अथवा संविदा विशेषज्ञों की उपलब्धता न होने पर निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ (निश्चेतक या स्त्री व प्रसूति रोग) को सिजेरियन प्रसव हेतु कॉल करने की व्यवस्था निम्नानुसार है–
   - इस कार्य के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रचार–प्रसार के माध्यम से जनपद की समस्त राजकीय एफ0आर0यू0 स्वास्थ्य इकाईयों में ऑन–कॉल पर कार्य करने के इच्छुक विशेषज्ञों से सहमति पत्र प्राप्त कर उन्हें जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा इम्पैनल करा लिया जाये। इस पैनल में चयनित विशेषज्ञों को एफ0आर0यू0 इकाईयों में से एक या एक से अधिक इकाई का चयन करने का अवसर दिया जा सकता है। यह सूची जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने के पश्चात सभी सम्बन्धित इकाईयों पर इन विशेषज्ञों को ऑन कॉल के आधार पर बुलाने हेतु प्रदर्शित भी करा दी जाये।
   - ऑनकॉल चिकित्सकों की सेवायें प्राप्त करने के पश्चात् प्रति सीजेरियन की दर से भुगतान ससमय किया जाये।

3. **स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञों की ऑन–कॉल पर उपलब्धता न होने की स्थिति में शल्य चिकित्सक (एम0एस0, जनरल सर्जरी) को ऑन–कॉल पर बुलाये जाने की व्यवस्था–** जनपद में नियमित अथवा संविदा स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की स्थिति में शल्य चिकित्सक (एम0एस0–जनरल सर्जरी) जो भारत सरकार के दिशा–निर्देश ानुसार सीजेरियन प्रसव में प्रशिक्षित हो, को सूचीबद्ध कर उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं।

4. **वित्तीय व्यवस्था–**
   - ऑन–कॉल का उपयोग केवल सिजेरियन प्रसव के लिए ही किया जायेगा। 01 सीजेरियन प्रसव के लिये 01 ही विशेषज्ञ (निश्चेतक या स्त्री व प्रसूति रोग) की ऑन–कॉल अनुमन्य होगी, जिससे नियमित/EmOC टीम के पूर्णकालिक विशेषज्ञ द्वारा सिजेरियन केस की प्रसवोंपरान्त देखभाल की जा सके।
   - ऑन–कॉल विशेषज्ञों (निश्चेतक या स्त्री व प्रसूति रोग) हेतु Honorarium रू0 2000/– की दर से प्रति केस अनुमन्य होगा। इस हेतु एफ0एम0आर0 कोड–RCH.1.12.OOC.1के अर्न्तगत जनपदों को सिजेरियन प्रसव भार के अनुसार रू0 74.82 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही हैं।
   - ऑन–कॉल विशेषज्ञों (निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट) को ग्रामीण इकाईयों पर कॉल पर बुलाने हेतु यात्रा भत्ता रू0 1000/– की दर से अनुमन्य होगा। इस हेतु एफ0एम0आर0 कोड–RCH.1.12.OOC.2 के अर्न्तगत जनपदों को रू0 27.83 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही हैं।
   - ऑन–कॉल स्त्री रोग विशेषज्ञों को 01 follow-up visit हेतु भुगतान रू0 1500/– (रू0 1000/– यात्रा भत्ता + रू0 500/–per visit) की दर से अनुमन्य होगा।
   - इस हेतुएफ0एम0आर0 कोड–RCH.1.12.OOC.3के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि रू0 27.83 लाख आवंटित की जा रही हैं।

ऑनकॉल विशेषज्ञ हेतु honorarium, यात्रा भत्ता एवं 01 फॉलोअप विजिट की वित्तीय व्यवस्था निम्न तालिकानुसार है–

S.n.	Sector	Type of Specialist	Honorarium (in Rs)	Traval allowance (in Rs)	01 Follow-up visit (in Rs)
1	Government sector	Regular gynaecologist	2000	1000	1500
2		Regular anaesthetist	2000	1000	Not applicable
3		Contractual gynaecologist	2000	1000	1500
4		Contractual anaesthetist	2000	1000	Not applicable
5	Private sector	Private gynaecologist	2000	1000	1500
6		Private anaesthetist	2000	1000	Not applicable

5. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग–

- जनपद स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्वास्थ्य समिति उत्तरदायी होगी। इस हेतु जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाये।
- प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने जनपद की सभी प्रस्तावित एफ0आर0यू0 को क्रियाशील किये जाने के लिये स्वीकृत ''विशेषज्ञों को ऑन कॉल पर बुलाने की व्यवस्था'' योजना की जानकारी इकाई प्रभारियों तक अवश्य पहुँचाये।
- प्रत्येक प्रभारी चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे अपनी चिकित्सा इकाई पर आने वाले ऑन–कॉल विशेषज्ञों की सूची प्रसव कक्ष में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में उपस्थित चिकित्साधिकारी/स्टॉफ नर्स द्वारा सम्बन्धित को आवश्यकतानुसार बुलाया जा सके।
- ऑन–कॉल विशेषज्ञों (निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट) द्वारा किये गए सिजेरियन प्रसव हेतु धनराशि का भुगतान, एफ0आर0यू0 के प्रभारी चिकित्साधिकारी के सत्यापन के पश्चात ही किया जायेगा।
- एफ0आर0यू0 के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा ऑन–कॉल विशेषज्ञों का भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जायेगा एवं उक्त की नियमित रूप से से समीक्षा भी की जायेगी।
- जनपद स्तर पर ऑन–कॉल विशेषज्ञों को किये गये भुगतान का माहवार अनुश्रवण किया जायेगा। इस हेतु अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर0सी0एच0, डी0एम0एच0सी0, डी0पी0एम्0 उत्तरदायी होंगे
- जनपद द्वारा प्रत्येक माह ऑन–कॉल विशेषज्ञों को किये गये भुगतान की मासिक सूचना संलग्न रिपोर्टिंग प्रपत्र पर अध्यक्ष जिला कार्यकारी समिति को अवलोकित करायी जायेगी। नियमित रूप से राज्य स्तर पर महानिदेशक परिवार कल्याण की ई– मेलmchjsy2022@gmail.comएवं एस0पी0एम0यू0 की ई– मेल gmmhup2019@gmail.com पर प्रेषित की जायेगी।
- ऑन–कॉल हेतु धनराशि मासिक आधार पर देना सुनिश्चित किया जाए, इस धनराशि का भुगतान एफ0आर0यू0 के प्रभारी द्वारा कराये गये सिजेरियन प्रसवों का सत्यापन करने के पश्चात ही किया जाये।

2.7 Maternal Death Surveillance and Response (MDSR):–

अवगत कराना है कि प्रदेश में मातृ मृत्यु सर्विलान्स समीक्षा कार्यक्रम Maternal Death Surveillance and Response (MDSR) समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु की समीक्षा कर उनके कारणों एवं कारकों (स्वास्थ्य इकाई, समुदाय, जनपद एवं राज्य स्तर पर) की विस्तृत जानकारी एकत्र कर एक रणनीति तैयार करते हुये महत्वपूर्ण स्तरों में सुधार कर मातृ मृत्यु में कमी लाना है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) 2018–20 के अनुसार उ0प्र0 का मातृ मृत्यु अनुपात 167 प्रति 1 लाख जीवित जन्म है, जिसे सतत विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0) के अर्न्तगत वर्ष 2030 तक 70 से कम किया जाना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु जनपदों में MDSR कार्यक्रम के क्रियान्वयन के विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं–

1. मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग–

- आशा द्वारा अपने क्षेत्र में होने वाली 15–49 वर्ष के आयु की प्रत्येक महिला की मृत्यु की सूचना जल्द से जल्द दूरभाष पर सम्बन्धित ए0एन0एम0 को 24 घण्टे के अन्दर तथा ए0एन0एम0 द्वारा प्रारूप–1 पर ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी।
- 15 से 49 वर्ष की समस्त महिलाओं की मृत्यु की सूचना प्रत्येक माह प्रारूप–2 पर प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सुरक्षित की जायेगी।

- समस्त संसूचित 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की मृत्यु की सूचना में से मातृ मृत्यु समीक्षा के उपरान्त चिन्हित वास्तविक मातृ मृत्यु की सूचना प्रारूप–3 पर सुरक्षित की जायेगी।
- ***जनपद में हुई समस्त मातृ मृत्यु की ब्लॉकवार लाइन लिस्ट की सूचना प्रत्येक माह की 7 तारीख तक निर्धारित प्रारूप (Google sheet) पर अपडेट कराते हुये (एम0सी0पी0 कार्ड ,केसशीट समस्त अभिलेखों आदि की छाया प्रति) राज्य स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा हेतु भेजना सुनिश्चित करें।***
- मातृ मृत्यु की सूचना देना न्यायोचित है। कोई भी राजकीय अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता तथा समुदाय का कोई भी व्यक्ति मातृ मृत्यु की सूचना दे सकता है। अतः मातृ मृत्यु की सूचना देने पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/सेवा प्रदाता को दण्डित न किया जाये।
- किसी भी वास्तविक मातृ मृत्यु की सूचना जानबूझकर छिपाने वाली आशा के निष्कासन हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान को सूचित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। क्षेत्रीय ए0एन0एम0 तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भी ऐसी परिस्थिति में चेतावनी दी जायेगी तथा पुनरावृत्ति की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक दशा में प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा बी0सी0पी0एम0 के सहयोग से मासिक क्लस्टर मीटिंग के दौरान आशाओं को मातृ मृत्यु की सूचना 24 घण्टे के भीतर देने की उपयोगिता तथा सूचना को छिपाने के दुष्परिणाम के सम्बन्ध में भली भांति नियमित अवगत कराया जायेगा। इस योजना का जनपद/ब्लॉक स्तरीय बैठकों में वृहद प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।

2. <u>सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा (CBMDR)</u>–

- प्रत्येक मातृ मृत्यु (संस्थागत/एम्बुलेन्स/घर इत्यादि) की सामुदयिक स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा अपेक्षित है। इस के लिये 03 सदस्यीय टीम बनायी जाये जिसके सदस्य चिकित्साधिकारी/स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/एल0एच0वी0/क्षेत्र की ए0एन0एम0 एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, आदि हो सकते है। यदि चिकित्सा अधिकारी इस दल के सदस्य होंग तो मृत्यु का कारण उनके द्वारा निर्धारित किया जायेगा। अन्यथा की दशा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर टीम द्वारा की गयी वर्बल आटॉप्सी के आधार पर मृत्यु के कारणों को चिन्हित किया जायेगा। **यह सुनिश्चित किया जाये की टीम में एक महिला सदस्य अवश्य हो।**
- इस गतिविधि के फलस्वरूप मातृ मत्यु समीक्षा प्रपत्र–5 व 6 पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाये। प्रत्येक माह मृत्यु के कारणों का विश्लेषण व सुधार के लिये की गयी कार्यवाही पर आख्या मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु मानक क्रियान्वयन निर्देश पुस्तिका के प्रपत्र–3 पर अवश्य बनायें।
- प्रत्येक समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा के लिये रू0 600/– की धनराशि (एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 SRRE.1) प्राविधानित है। इस धनराशि का विभाजन दलों के 03 सदस्यों (चिकित्साधिकारी/एल0एच0वी0 अथवा क्षेत्र की ए0एन0एम0एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी) को वास्तविक रूप में मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु भ्रमण करने पर रू0 200/–प्रति सदस्य देय होगा।
- ब्लॉक नोडल मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक में एम0डी0एस0आर0 सम्बन्धी प्रत्येक व्यवस्था के लिये जिम्मेदार होंगे एवं मातृ मृत्यु से प्राप्त समस्त सूचनाओं को 24 घण्टे के भीतर जनपद स्तरीय नोडल ऑफिसर को प्रेषित करेंगे उनके द्वारा ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध समस्त आँकड़ों की समीक्षा करते हुये मासिक बैठकों में फैसेलिटी व फील्ड स्टाफ को जागरूक किया जायेगा।
- प्रत्येक मातृ मृत्यु की समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा (CBMDR) उस मातृ मृत्यु की सूचना के 15 दिनों के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

3. <u>फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा (FBMDR)</u> –

- प्रत्येक संस्थागत–मेडिकल कॉलेज, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर होने वाली मातृ मृत्यु की फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा (MDSR) अपेक्षित है।
- **जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सन्दर्भित हुयी गर्भवती महिलायें, जिनकी मृत्यु रास्ते में हुयी हो (In Transit) का FBMDR, सन्दर्भित करने वाली स्वास्थ्य इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।**
- इस हेतु प्राविधानित प्रारूप–4 व 6 को पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाये।
- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी मातृ मृत्यु सम्बन्धी सूचना मृत्यु के 24 घण्टे के अन्दर दूरभाष/प्रारूप–1 पर प्रभारी नोडल अधिकारी को देते हुये 24 घण्टे के भीतर फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा सुनिश्चित करेंगे एवं सम्बन्धित केस शीट की छाया प्रति भविष्य में समीक्षा के लिये संलग्न करेंगे

- फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा की एक प्रति इकाई पर सुरक्षित रखते हुये दूसरी प्रति जनपद स्तरीय मातृ मृत्यु नोडल अधिकारी को उसी माह प्रेषित करेंगे
- प्रत्येक माह होने वाली मृत्यु के कारणों का विश्लेषण व सुधार के लिये की गयी कार्यवाही पर आख्या मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु मानक क्रियान्वयन निर्देश पुस्तिका के प्रारूप–3 (एम0डी0आर0 हेतु केस सारांश) पर अवश्य बनायें।
- फैसेलिटी नोडल मेडिकल ऑफिसर स्वास्थ्य इकाई पर एम0डी0एस0आर0 सम्बन्धी प्रत्येक व्यवस्था के लिये जिम्मेदार होंग एवं मातृ मृत्यु से प्राप्त समस्त सूचनाओं को 24 घण्टे के भीतर जनपद स्तरीय नोडल ऑफिसर को प्रेषित करेंगे उनके द्वारा फैसेलिटी पर उपलब्ध समस्त आँकड़ों की समीक्षा करते हुये मासिक बैठक में फैसेलिटी स्टाफ को संवेदित किया जायेगा।

4. प्रवासी (Migrant) मातृ मृत्यु–

अन्य जनपद/राज्य की मातृ मृत्यु के सम्बन्ध में फैसेलिटी आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा उसी इकाई में की जायेगी, परन्तु समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा के लिये सम्बन्धित जनपदीय एवं राज्य नोडल को सूचित करते हुये समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी। प्रवासी मातृ मृत्यु के सम्बन्ध में मातृ मृत्यु का जनपद गर्भावस्था में अधिकांश समय व्यतीत करने वाला/मृत्यु का कारण प्रारम्भ होने वाला जनपद माना जायेगा एवं उसी जनपद में यह मातृ मृत्यु संगणित की जायेगी।

मातृ मृत्यु कारणों का वर्गीकरण –

M01- Pregnancies with abortive outcome (Maternal death: Direct)
M02- Hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and puerperium (Maternal death: Direct)
M03- Obstetric hemorrhage (Maternal death: Direct)
M04- Pregnancy related infections (Maternal death: Direct)
M05- Other obstetric complications (Maternal death: Direct)
M06- Unanticipated complications of Management (Maternal death: Direct)
M07 - Non obstetric complications (Maternal death: Indirect)
M08- Unknown/ undetermined (Maternal death: unspecified)
M09- Co-incidental causes (Death during pregnancy, child birth and puerperium)

Annexure II provides a detailed enumeration of causes for each of the above categories which must be referred to while filling up the MDSR formats. All medical officers/faculties in the facility must be trained on MCCD, MDSR guidelines and use of FBMDSR form. (Annexure attached)

5. जनपद स्तर पर MDSR कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन–

- जनपद स्तर पर प्रत्येक माह में एक बार, मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में MDSR कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला नोडल अधिकारी (MDSR) सुनिश्चित करेंगे इसमें सभी मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग एवं मातृ मृत्यु (समुदाय आधारित एवं स्वास्थ्य इकाई आधारित) की समीक्षाओं का विस्तृत अनुश्रवण किया जाये। इस बैठक में समस्त प्रारूप–1 से 6 भी प्रस्तुत होंगे जिससे एकत्रित सूचनाओं की गुणवत्ता का आंकलन किया जा सके। इसी बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले केसों का चयन किया जाये, जिनमें संवेदनशील कार्यवाही योग्य बिन्दु हों। प्रत्येक माह जनपद स्तर पर उक्त आयोजित की गयी बैठक के कार्यवृत्त निर्धारित Template-2 के अनुसार ही बनाये जाये।
- जनपद स्तर पर प्रत्येक 3 माह में एक बार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर MDSR कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जाये। इस बैठक में मातृ मृत्यु के विभिन्न कारकों, देरियों और मृत्यु के स्थान में से कुछ चुने हुये केसों की समीक्षा रिपोर्ट विस्तृत विश्लेषण के साथ प्रस्तुत की जाये। विशेषकर मातृ मृत्यु के सामाजिक कारणों जिन पर अन्य विभागों के सहयोग की आवश्यकता हो, को इस बैठक में प्रस्तुत किया जाये। क्षेत्रवार मातृ मृत्यु के क्षेत्रीय कारणों का विश्लेषण कर विभिन्न विभागों द्वारा लिये जाने वाले कार्यवाही पर भी चर्चा की जाये एवं गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर प्रगति भी प्रस्तुत की जाये। इस बैठक को डी0एच0एस0 के साथ अथवा जनपदीय एम0डी0आर0 रिव्यू बैठक के साथ ही किये जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
- इन बैठकों के कार्यवृत्त को मण्डल स्तर पर त्रैमासिक रिव्यू के समय अवश्य प्रस्तुत किया जाये। प्रत्येक माह सभी मातृ मत्यु समीक्षा (MDSR) नवीन प्रारूप (NewTemplate) 1, 2 व 3 पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मृत्यु के कारणों का विश्लेषण व सुधार के लिये की गयी कार्यवाही पर आख्या बनाई जाये।

- ब्लॉक/जनपद/मण्डल स्तरीय बैठकों में सुझायी गयी रणनीतियों पर परिणामी कार्यवाही करें, जिससे क्षेत्र में सम्भावित मातृ मृत्यु में प्रभावी कमी लायी जा सके। इस विषय पर की कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- जनपद स्तरीय कुल 12 मासिक (प्रत्येक माह में एक बार) बैठकों के लिये वित्तीय वर्ष 2023–24 में एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 SRRE.3पररू0 1,500/– प्रति बैठक के दर से कुल धनराशि रू0 13,50,000/– (रू0 तेरह लाख पचास हजार मात्र) प्राविधानित है।

6. मण्डल स्तर पर त्रैमासिक MDSR कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन–

- मण्डल स्तर पर अपर निदेशक की अध्यक्षता में त्रैमासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन करें। इस बैठक में मण्डल के अन्तर्गत आने वाले सभी जनपदों के कार्यक्रम प्रभारी व सभी जनपदीय समितियों के अध्यक्ष प्रतिभाग करें। सभी जनपदों के प्रभारी इस बैठक के आयोजन से पूर्व जनपद स्तरीय बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें।
- बैठक में प्रत्येक जनपद में किये जा रहे रिव्यू की गुणवत्ता की जाँच करने हेतु भरे हुये प्रारूप 4, 5 एवं 6 के अनुसार मृत्यु के कारणों एवं प्रपत्रों की गुणवत्ता का विश्लेषण करें।
- इन बैठकों का अच्छा मीडिया कवरेज सुनिश्चित किया जाये। मीडिया के समक्ष मातृ मृत्यु कम करने सम्बन्धी जनपदों/मण्डल के प्रयासों को उजागर किया जाये। इस बैठक का कार्यवृत्त अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर भी प्रेषित किया जाये। इन बैठकों के कार्यवृत्त मातृ स्वास्थ्य अनुभाग एस0पी0एम0यू0 एवं एम0सी0एच0 अनुभाग परिवार कल्याण महानिदेशालय को क्रमशः gmmhup2019@gmail.com एवं mchjsy@gmail.com अवश्य प्रेषित किये जायें।
- मण्डल स्तरीय बैठक हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये प्रति मण्डल प्रति बैठक रू0 10,000/– की दर से 04 त्रैमासिक बैठकों के लिये कुल धनराशि रू0 7,20,000/–(रू0 सात लाख बीस हजार मात्र) एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 SRRE.4 पर प्राविधानित है।

7. मातृ–मृत्यु से सम्बन्धित फॉर्म्स एवं विभिन्न रिपोर्टिंग प्रपत्र की वार्षिक छपाई–

मातृ–मृत्यु से सम्बन्धित फॉर्म्स एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र की छपाई हेतु सभी जनपदों को रू0 30/– प्रति रिपोर्टिंग प्रपत्र के दर से कुल 13500 प्रपत्र हेतु कुल धनराशि रू0 3,08,100/–(रू0 तीन लाख आठ हजार एक सौ मात्र) एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9.IEC.1 पर अनुमन्य है। इस धनराशि से सभी इकाईयों पर मातृ मत्यु समीक्षा नवीन प्रपत्र–1, 2, 3, 4, 5 व 6 की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

8. सुमन कार्यक्रम के अन्तर्गत मातृ मृत्यु की सूचना देने वाला प्रथम व्यक्ति (Primary Informant) हेतु प्रोत्साहन धनराशि–

- सुमन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम सूचना प्रदाता (Primary Informant) हेतु रू0 1,000/–प्रति मातृ मृत्यु की दर से कुल धनराशि रू0 35,91,000/–(रू0 पैंतीस लाख इक्यान्बे हजार मात्र) की प्रोत्साहन धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रेषित आर0ओ0पी0 में स्वीकृत हुयी है।
- ***''प्रथम सूचना प्रदाता के अन्तर्गत आशा, आंगनवाडी कार्यकत्री, पंचायती राज विभाग का कोई भी व्यक्ति तथा सामुदाय से कोई भी व्यक्ति (स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित किसी भी अधिकारी/कर्मी को छोडकर) इस प्रोत्साहन धनराशि को प्राप्त करने हेतु अर्ह होंगे''***
- प्रथम सूचना प्रदाता (Primary Informant) द्वारा सूचित मातृ मृत्यु **की** समीक्षा कर भुगतान 104 पोर्टल Entry कराना सुनिश्चित किया जाये।

9. एम0डी0एस0आर0 कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 सम्बन्धी तालिका निम्नवत हैं–

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड	दर (रू0 में)	राज्य स्तर से निर्धारित लक्ष्य	जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रू0 में)
1.	कम्युनिटी बेस्ड मैटरनल डेथ रिव्यू–ब्लॉक दल को	RCH.1.9 SRRE.1	600	9952	59,71,200
2.	प्रिटिंग ऑफ एम0डी0एस0आर0 फॉर्मेट	RCH.1.9.IEC.1	30	13500	4,05,000
3.	जनपद स्तर पर 12 समीक्षा बैठकों हेतु (प्रत्येक माह में एक बार)रू0 1,500/ प्रति बैठक की अधिकतम सीमा तक	RCH.1.9 SRRE.3	1500	450	13,50,000
4.	मण्डल स्तर पर 04 त्रैमासिक समीक्षा बैठकों हेतु रू0 10,000/ प्रति बैठक की अधिकतम सीमा तक	RCH.1.9 SRRE.4	10,000	72	7,20,000
5.	सुमन कार्यक्रम के अन्तर्गत Primary informant हेतु रू0 1,000/प्रति मातृ मृत्यु हेतु प्रोत्साहन धनराशि	RCH.1.9 SRRE.2	1,000	2989	29,89,000
	जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि				1,14,35,200

- ब्लॉक स्तर दल को कम्युनिटी बेस्ड मैटरनल डेथ रिव्यू हेतु दी जाने वाली धनराशि एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 SRRE.1 में रू0 600/–प्रति रिव्यू की दर से कुल सम्भावित मातृ मृत्यु (9952) हेतु कुल धनराशि रू0 59,71,200/– आवंटित की गयी है।
- प्रिटिंग ऑफ एम0डी0एस0आर0 फॉर्मेट 13500 हेतु एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 IEC.1 में प्रति सम्भावित मातृ मृत्युओं के लिये रू0 30/– की दर से कुल धनराशि रू0 04,05,000/– आवंटित की जा रही है।
- मण्डल स्तरीय त्रैमासिक मातृ मृत्यु कार्यक्रम समीक्षा बैठकों के आयोजन हेतु प्रति मण्डल प्रति बैठक रू0 10,000/–की दर से कुल 04 त्रैमासिक बैठकों के लिये कुल धनराशि रू0 7,20,000/– (रू0 सात लाख बीस हजार मात्र) एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 SRRE.4 में एवं जनपद स्तर पर 12 समीक्षा बैठकों हेतु (प्रत्येक माह में एक बार) के लिये एफ0एम0आर0 कोड RCH.1.9 SRRE.3 में रू0 1,500/– प्रति बैठक की दर से कुल धनराशि रू0 13,50,000/– की दर से जनपदों को आवंटित की जा रही है।
- उपयफ्क्त हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में एम0डी0एस0आर0 कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जनपदों को कुल धनराशि रू0 1,14,35,200/– राज्य स्तर से जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में आवंटन की जा रही है।

10. अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग –

- प्रत्येक माह मातृ मृत्यु की लाइन लिस्टिंग एवं समीक्षा की सूचना ई–मेल आई0डी0 gmmhup2019@gmail. com /mdsrup@gmail.com&mchjsy@gmail.com पर प्रेषित की जाये।
- एम0डी0एस0आर0 कार्यक्रम सम्बन्धी सूचनाओ को एम0पी0सी0डी0एस0आर0/एच0एम0आई0एस0/आर0सी0 एच0 पोर्टल पर शत्प्रतिशत अपलोड किया जाये। यह सूचना जनपद/ब्लॉक स्तर वेलिडेशन कमेटी के सत्यापन उपरांत ही पोर्टल पर अपलोड की जाये।
- जिला नोडल अधिकारी एम0डी0एस0आर0 मातृ मत्यु समीक्षा प्रपत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पोर्टल में समस्त त्रुटि रहित सूचनाओं का अंकन तथा उसकी समीक्षा सुनिश्चित करेंगे।
- प्रत्येक जनपद मातृ मत्यु समीक्षा के पश्चात् प्रत्येक त्रैमास 2–3 केस स्टडी का डॉक्यूमेन्टेशन कर मण्डल को प्रेषित करे। मण्डल स्तर पर संकलित इन केस स्टडीज़ की एक प्रति राज्य स्तर पर प्रेषित की जाये।

विभिन्न स्तर पर नोडल अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व –

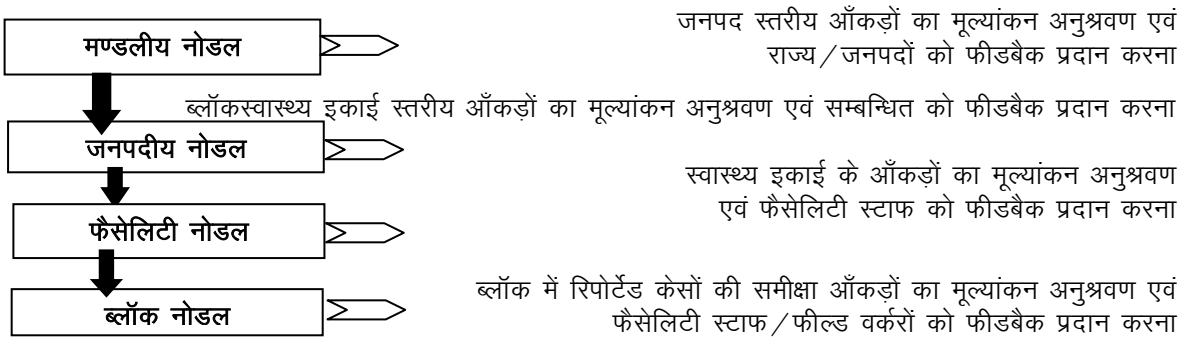

2.8 एल0एस0ए0एस0 एवं ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्साधिकारियों के लिये उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि

अवगत कराना है कि प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से मातृ एवं शिशु सम्बन्धी रोगों एवं जटिलताओं के चिन्हांकन, उनके प्रबन्धन तथा Mortality and Morbidity दर में कमी लाने हेतु प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के एल0एस0ए0एस0/ई–मॉकप्रशिक्षित चिकित्सकों की प्रतिभा एवं कौशल में वृद्धि कर उनकी सेवाओं को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग कर असक्रिय एफ0आर0यू0 को क्रियाशील बनाने हेतु शासनादेश–चिकि0अनु0–2/628/सेक–2–पाँच–2019 दिनांक 27.02.2019 एवं संख्या–45/2020/864/पॉच–9–2020 दिनांक 08.12.2020 के माध्यम से कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत सरकार से प्राप्त की आर0ओ0पी0 में प्रदेश के समस्त जनपदों में सिजेरियन प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु एल0एस0ए0एस0 एवं ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्साधिकारियों के लिये उपलब्धि आधारित ''प्रोत्साहन धनराशि'' दिये जाने की व्यवस्था अनुमन्य की गयी है।

- सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 पर होने वाले कुल प्रसवों के सापेक्ष केवल 15 प्रतिशत सिजेरियन सेक्शन हेतु प्रोत्साहन धनराशि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है।
- सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 पर नियमित चिकित्साधिकारियों (एल0एस0ए0एस0 एवं ई–मॉक) द्वारा तैनाती के उपरान्त प्रथम छः माह में 03 अथवा 03 से अधिक सी–सेक्शन करने पर ही प्रति सिजेरियन प्रसव पर प्रोत्साहन धनराशि देय होगी। इस प्रकार यदि किसी एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0 पर चिकित्सक द्वारा 04 सिजेरियन प्रसव कराये जाते हैं तो इस दशा में उन्हें 04 सिजेरियन प्रसव हेतु प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी।
- इसी प्रकार उनकी तैनाती के प्रथम छः माह के पश्चात में 05 अथवा 05 से अधिक सी–सेक्शन करने पर ही प्रति सिजेरियन प्रसव पर प्रोत्साहन धनराशि देय होगी। इस प्रकार यदि किसी एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0 पर चिकित्सक द्वारा प्रथम छः माह पश्चात 04 सिजेरियन प्रसव कराये जाते हैं तो इस दशा में उन्हें किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन धनराशि नहीं दी जायेगी। प्रोत्साहन धनराशि न्यूनतम 05 सिजेरियन प्रसव के उपरान्त ही देय होगी। यथा चिकित्सक द्वारा 07 सिजेरियन प्रसव कराये जायेंगे तो उन्हें समस्त 07 सिजेरियन प्रसव कराये जाने हेतु धनराशि देय होगी।
- एल0एस0ए0एस0 एवं ई–मॉकप्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा किसी अन्य चिकित्सा इकाई पर सिजेरियन प्रसव नहीं कराये जायेंगे न ही उन्हें किसी भी स्थिति में ऑन–कॉल के अन्तर्गत कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।

उक्त के सम्बन्ध में निम्नवत गतिविधि हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है–

क्रसं	गतिविधि	एल0एस0ए0एस0 एवं ई–मॉक (बडी–बडी) के अन्तर्गत संचालित एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0	टिप्पणी
1	एल.एस.ए.एस./ई.एम.ओ.सी. प्रशिक्षित एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की जोड़ी एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा असक्रिय प्रथम संदर्भन इकाईयों (सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0) पर निष्पादित सीजेरियन प्रसव हेतु वित्तीय प्रोत्साहन @ रु0 4000/-प्रति सिजेरियन प्रसव प्रति टीम	• **स्त्रीरोग विशेषज्ञ (नियमित/संविदा)/ई–मॉक**–रू0 1200/– **(ऑन कॉल को छोड़कर)** • निश्चेतक **(नियमित/संविदा)** /एल0एस0ए0एस – रू0 1200/– **(ऑन कॉल को छोड़कर)** • बाल रोग विशेषज्ञ/एफ0–एम0 एन0 सी0 आई0 प्रशिक्षित चिकित्सक /मेडिकल ऑफिसर –रू0 600/– • ओ0टी0 टैक्निशियन –रू0400/– • स्टाफ नर्स एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी –रू0 600/–(रू0 400 स्टाफ नर्स + रू0 200 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)	सम्बन्धित जनपदों को रु0 321.48 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है। शेष धनराशि आवश्यकतानुसार आवंटित की जाएगी।

वित्तीय व्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस कार्यक्रम के माध्यम से वर्तमान में 63 जनपदों में 138 एल0एस0ए0एस0 एवं ई–मॉक (बडी–बडी) के अन्तर्गत संचालित एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0 हेतु वर्ष 2022–23 में माह अप्रैल से माह दिसम्बर तक किये गये सी–सेक्शन की उपलब्धि के आधार पर Incentivization and legal indemnity-FMR Code RCH.1.17.ooc.4 के अंतर्गत सम्बन्धित जनपदों को रु0 321.48 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है। सभी 138 एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0 जहां पर एल0एस0ए0एस0 एवं ई–मॉक प्रशिक्षित एम0बी0बी0एस0 चिकित्साधिकारी की तैनाती है, उनकी नियमित त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करने के उपरान्त एवं जनपदों द्वारा अतिरिक्त बजट की मांग के सापेक्ष राज्य स्तर पर शेष धनराशि में से आवश्यकतानुसार आवंटन की जाएगी।

उपरोक्त धनराशि रु0 321.48 लाख एल0एस0ए0एस0 एवं ई–मॉक (बडी–बडी) के अन्तर्गत संचालित एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0 पर एल0एस0ए0एस0 एवं ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा निष्पादित सीजेरियन प्रसव हेतु वित्तीय प्रोत्साहन राशि सम्बंधित जनपदों की जिला स्वस्थ्य समिति को आवंटित किया जाना है, जिसे जिला स्वस्थ्य समिति द्वारा ब्लॉक स्तर को आवंटन किया जायेगा।

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंगः–

- जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इस प्रोत्साहन धनराशि के ससमय आवंटन हेतु जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाये।
- सभी मुख्य चिकित्साधिकारी इस प्रोत्साहन धनराशि की विस्तृत जानकारी सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धकों को प्रदान करने के लिये जनपद स्तर पर एक बैठक का आयोजन करें। बैठक में चर्चा के माध्यम से सभी ब्लॉक प्रभारियों को प्रोत्साहन धनराशि के आंगणन हेतु

जानकारी दें एवं उन्हें स्पष्ट निर्देश दें कि वे ब्लॉक पर सभी स्टाफ नर्सों को इस प्रोत्साहन धनराशि की जानकारी दें।

- यह प्रोत्साहन धनराशि एल0एस0ए0एस0/ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं नियमित/संविदा दोनों प्रकार के विशेषज्ञों/कर्मियों (ऑन कॉल को छोड़कर) को अनुमन्य होगी। यह प्रोत्साहन धनराशि मासिक आधार पर वितरित की जायेगी।

2.9 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों की Comprehensive Emergency Obstetrics and Newborn Care (CEmONC) एवं Life Saving Anesthetic Skills (LSAS) प्रशिक्षण हेतु मेडिकल कॉलेजों को धनराशि का आवंटन

विशेषज्ञ चिकित्सकों (स्त्रीरोग विशेषज्ञ/निश्चेतक) की अत्यन्त कमी के दृष्टिगत वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में Emergency Obstetrics Care (EmOC) एवं Life Saving Anesthetic Skills (LSAS) प्रशिक्षित एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग करके असक्रिय एफ0आर0यू0 को क्रियाशील करने हेतु रणनीति तैयार की गयी थी, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या–628/सेक–2–पॉच–2019 दिनांक 27.02.2019 के माध्यम से कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। इसी क्रम में शासनादेश संख्या 45/2020/864/पॉच–9–2020 दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 के माध्यम से प्रदेश में आपातकालीन प्रसूति सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ई–मॉक एवं एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण के लिए एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों के नामांकन निर्धारण के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सख्या–45/2020/864/पांच–9–2020 दिनांक 08 दिसम्बर 2020 के माध्यम से ई–मॉक एवं एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण के लिये एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों के नामांकन निर्धारण हेतु दिशा–निर्देशों के अनुरूप चिकित्साधिकारियों को असक्रिय एफ0आर0यू0 पर स्थानान्तरण उपरान्त ही ई–मॉक एवं एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण दिया जाना है।

तत्क्रम में चिकित्सा अनुभाग–8 के कार्यालय ज्ञाप File No 5-8099/65/2022 -8- दिनांक 10/04/2023 के माध्यम से ई–मॉक एवं एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण हेतु 33 चिकित्सकों को एफ0आर0यू0 पर स्थानान्तरण किया गया है। तत्क्रम में महानिदेशक, प्रशिक्षण, (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के पत्रांक–प्रशि0प्रको0/08/2021/653 दिनांक 17.04.2023 के माध्यम से स्थानान्तरित चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु आवंटित मेडिकल कॉलेज में ई–मॉक एवं एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में भारत सरकार द्वारा "Training of Medical Officers in Comprehensive Emergency Obstetric and Neonatal care (CEmONC) एवं Life Saving Anesthesia skills (LSAS)" प्रशिक्षण हेतु एफ0एम0आर0 मद RCH.1.12 में कुल धनराशि रू0 880.00 लाख स्वीकृत की गयी है। मेडिकल कॉलेज एवं सम्बन्धित जिला महिला चिकित्सालयों को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से 01–01 बैच ई–मॉक एवं एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण हेतु निम्न तालिकानुसार धनराशि आवंटन किया जाना प्रस्तावित हैः–

उपरोक्त के क्रम में मेडिकल कॉलेजो एवं जिला महिला चिकित्सालय को आवंटित की जाने वाली धनराशि जनपदवार् वित्तीय फांट निम्नवत् है–

Budget allocation for LSAS & EmOC training to be Started in 2023-24								
S.No.	**District**	**Medical Colleges**	**No of CemONC Trainees per batch**	**Funds in Rs for CEmOC training to Medical college**	**Funds in Rs for CEmOC training to District women**	**No of LSAS Trainees per batch**	**Funds in Rs for LSAS training to Medical college**	**Funds in Rs for LSAS training to District women**
1	Agra	S.N. Medical College, Agra	0	-		1	7,89,700	90,750
2	Aligarh	JLN MC, Aligarh (AMU)	4	15,81,200	5,28,563	3	14,21,100	2,72,250
3	Jhansi	MLB MC Jhansi (MLB)	3	12,96,300	3,96,422	0	-	
4	Kanpur Nagar	G.S.V.M. Medical College, Kanpur	4	15,81,200	5,28,563	4	17,36,800	3,63,000
5	Lucknow	KGMU Lucknow (KGMU)	4	15,81,200	5,28,563	4	17,36,800	3,63,000
6	Varanasi	I.M.S., Banaras Hindu University, Varanasi	3	12,96,300	3,96,422	0	-	-
7	Prayagraj	M.L.N. Medical College Prayagraj	3	12,96,300	3,96,422	0	-	-
Total Funds to be allocated in Rs			**21**	**86,32,500**	**27,74,955**	**12**	**56,84,400**	**10,89,000**
Total funds to be allocated to the districts in Rs				**1,81,80,855**				

भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रति बैच बजट व्यय किये जाने हेतु विस्तृत वित्तीय दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

LSAS Training Budget

1	Cost of Training at each Medical College training centre					
	Trainees/ batch for 140 days (16+4 weeks) Trainers / batch for 120 working days	**No of Days/times**	**Total Cost for 1 trainee in Rs**	**Total Cost for 2 trainee in Rs**	**Total Cost for 3 trainee in Rs**	**Total Cost for 4 trainee in Rs**
A	Travelling Allowance for Trainees once during training @ (Rs.2500 per person, from place of posting to MC and back)(As per actuals & state rules)	2	5000	10000	15000	20000
B	Accommodation @ Rs 1000/day/ person	140	140000	280000	420000	560000
C	Food (Lunch + Tea)@ Rs 500/day/ person	140	70000	140000	210000	280000
D	Honorarium to Trainers @ (Rs. 1000 x 2 persons/ day	120	240000	240000	240000	240000
E	Honorarium to Trainee @ Rs. 500 per persons/day	140	70000	140000	210000	280000
F	Teaching material, Stationery, Photocopy etc. @ Rs 2000/ trainee	1	2000	4000	6000	8000
	Sub Total		527000	814000	1101000	1388000
G	Institutional charges (10%)for batch		**52,700**	**81,400**	**1,10,100**	**1,38,800**
	SUB TOTAL for batch of 1 trainee		**5,79,700**	**8,95,400**	**12,11,100**	**15,26,800**

2	Centre running cost of Medical College Training centre			
	Activity	**No of Persons**	**No of Months/ days**	**Amount in Rs**
A	Coordinator (Senior Faculty/ HOD) at Medical College Training Center (@ Rs.10000/ month)	1	6	60,000
B	Nodal person at Medical College Training Center (@ Rs.5000/ month)	1	6	30,000
c	1 Administrative Assistant at Medical College Training Center (@ Rs.500/ day)	1	120	60,000
	SUB TOTAL			**1,50,000**

3	Monitoring visit to DH(by Faculty MC)			
A	1 Expert visits each training site for 2 days	**No of Persons**	**No of days**	**Amount in Rs**
	Travel allowance @Rs. 2000/day(As per actuals & state rules)x 4 sites x 2 days	4	2	16,000
B	Accommodation @ Rs 3000/day/ personx 4 sites x 2 days	4	2	24,000
C	Food (Breakfast + Lunch + Tea) @ Rs 500/day/person x 4 sites x 2 days	4	2	4,000
D	Honorarium @ Rs 2000/day/ person x 4 sites x 2 days	4	2	16,000
	SUB TOTAL			**60,000**
	Note- If visit is of 1 day, reimbursement to be done accordingly No accommodation, if no night stay i.e. if the visit is of<2 days			

	Activity	Total Cost for 1 trainee in Rs	Total Cost for 2 trainee in Rs	Total Cost for 3 trainee in Rs	Total Cost for 4 trainee in Rs
1	**Cost of LSAS Training at each Medical College training centre**	**7,89,700**	**11,05,400**	**14,21,100**	**17,36,800**

Cost of Training at each District Hospital

Cost of Training at each DH training centre					
Trainees/ batch for 28 days and 1 trainer for 24 working days	No of Days	**Total Cost for 1 trainee in Rs**	**Total Cost for 2 trainee in Rs**	**Total Cost for 3 trainee in Rs**	**Total Cost for 4 trainee in Rs**
Travelling Allowance for each Trainees @(Rs.1250x2 per person) MC to DH & back(As per actuals & state rules)	2	2500	5000	7500	10000
Accommodation @ Rs 1000/day/ person	28	28000	56000	84000	112000
Food (Lunch + Tea)@ Rs 500/day/ person	28	14000	28000	42000	56000
Honorarium to Trainers @ (Rs. 1000 per day per person	24	24000	48000	72000	96000
Honorarium to Trainee @ Rs. 500 per day per person	28	14000	28000	42000	56000
Institutional charges @ 10%		8250	16500	24750	33000
Cost of LSAS Training at each District Hospital training centre		**90750**	**181500**	**272250**	**363000**
Total cost for LSAS Training (at Medical college and district Hospital per batch		**8,80,450**	**12,86,900**	**16,93,350**	**20,99,800**

CEmONCTraining Budget

1	Activity	Cost of Training at each Medical College training centre				
	Trainees/ batch for 126 days (16+2 weeks, all 7 days a week) 4 Trainers / day for 108 working days (16+2 weeks, 6 days	**No of Days /**	**Total Cost for 1 trainee**	**Total Cost for 2 trainee**	**Total Cost for 3 trainee**	**Total Cost for 4 trainee**

		times	in Rs	in Rs	in Rs	in Rs
A	Travelling Allowance for each trainees once during training @ (Rs.2500 per persons, from place of posting to MC and back)(As per actuals & state rules)	2	5000	10000	15000	20000
B	Accommodation @ Rs 1000/day/ person x 126 Days	126	126000	252000	378000	504000
C	Food (Lunch + Tea)@ Rs 500/day/ person x 126 Days	126	63000	126000	189000	252000
D	Honorarium to 2 Trainers @ (Rs. 1000 per persons/day) for two trainers	108	216000	216000	216000	216000
E	Honorarium to Trainee @ Rs. 500 per persons/day	126	63000	126000	189000	252000
F	Teaching material, Stationery, Photocopy etc. @Rs 2000/ trainee	1	2000	4000	6000	8000
g	**Institutional charges (10%)**		**47,500**	**73,400**	**99,300**	**1,25,200**
	SUB TOTAL		**5,22,500**	**8,07,400**	**10,92,300**	**13,77,200**

2	**Centre running cost of Medical College Training centre**			
	Activity	**No of people**	**No of months/days**	**Amount in Rs**
A	Coordinator (Senior Faculty/ HOD) at Medical College Training Center (@ Rs.10000/ month)	1	6	60,000
B	Nodal person at Medical College Training Center (@ Rs.5000/ month)	1	6	30,000
C	1 Administrative Assistant at Medical College Training Center (@ Rs.500/ day)	1	108	54,000
	SUB TOTAL			**1,44,000**

3	**Monitoring visit to DH(by Faculty MC)**			
	1 Expert visits each training site for 2 days	**No of sites**	**No of Days/times**	**Amount**
A	Travel allowance @Rs. 2000/day(As per actuals & state rules)x 4 sites x 2 days	4	2	16,000
B	Accommodation @ Rs 3000/day/ personx 4 sites x 2 days	4	2	24,000
C	Food (Breakfast + Lunch + Tea) @ Rs 500/day/person x 4 sites x 2 days	4	2	4,000
D	Honorarium @ Rs 2000/day/ person x 4 sites x 2 days	4	2	16,000
	SUB TOTAL			**60,000**
	Note- If visit is of 1 day, reimbursement to be done accordingly No accommodation, if no night stay i.e. if the visit is of<2 days			

		Total Cost for 1 trainee	**Total Cost for 2 trainee**	**Total Cost for 3 trainee**	**Total Cost for 4 trainee**
1	**Cost of CEmONC Training at each Medical College training centre**	**7,26,500**	**10,11,400**	**12,96,300**	**15,81,200**

District Hospital

2	**Trainees/ batch for 42 days and 1 trainer for 36 working days**	**No of Days/times**	**Total Cost for 1 trainee**	**Total Cost for 2 trainee**	**Total Cost for 3 trainee**	**Total Cost for 4 trainee**
A	Travelling Allowance for Trainees @(Rs.1250x 2 per person) MC to DH & back (As per actuals & state rules)	2	2500	5000	7500	10000
B	Accommodation @ Rs 1000/day/ person for 42 Days	42	42000	84000	126000	168000
C	Food (Lunch + Tea)@ Rs 500/day/ person for 42 Days	42	21000	42000	63000	84000
D	Honorarium to Trainers @ (Rs. 1000 per day for each trainer)	36	36000	72000	108000	144000
E	Honorarium to Trainee @ Rs. 500 per day for 42 days	42	21000	42000	63000	84000
F	Institutional charges @ 7.87% to District Hospital		9,641	19,282	28,922	38,563
	Cost of Training at each District Hospital Training centre		**1,32,141**	**2,64,282**	**3,96,422**	**5,28,563**
	Grand total For CEmONC training at Medical College and District Hospital		**8,58,641**	**12,75,682**	**16,92,722**	**21,09,763**

उपरोक्तानुसार "Training of Medical Officers in "Comprehensive Emergency Obstetric and Neonatal care (CEmONC) एवं Life Saving Anesthesia skills (LSAS)" प्रशिक्षण हेतु धनराशि रू0 181.81 लाख सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में आवंटित की जा रही है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में धनराशि आवंटन के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज एवं सम्बन्धित जिला महिला चिकित्सालय को ससमय धनराशि आवंटित की जायेगी, जिससे प्रशिक्षण की प्रक्रिया ससमय पूर्ण की जा सके।

मेडिकल कॉलेज हेतु वित्तीय व्यवस्था –

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में व्यय हेतु धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.1.12.CB.5 एवं RCH.1.12.CB.6 पर जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति के

माध्यम से यह धनराशि मेडिकल कॉलेज एवं सम्बन्धित जिला महिला चिकित्सालय को आवंटित की जायेगी।

- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

2.10 सुरक्षित मातृत्व आश्वासन 'सुमन' कार्यक्रम के क्रियान्वनः–

सभी निवारणीय मातृ एवं शिशु मृत्यु और रूग्णता समाप्त करना एवं मातृत्व की सम्मानपूर्ण देखभाल, प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। स्वास्थ्य इकाइयों पर आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला हेतु सेवाओं से इन्कार के लिये शून्य सहिष्णुता और आश्वासनयुक्त, गरिमामय, सम्मानपरक और निःशुल्क गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल हेतु सुरक्षित मातृत्व आश्वासन ''सुमन'' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है। ''सुमन'' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के अनुसार समस्त जनपदों के मेडिकल कॉलेज/जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय/अन्य स्वास्थ्य इकाई/NQAS/LaQshya हेतु चयनित स्वास्थ्य इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से ''सुमन'' इकाई के रूप में अधिसूचित किया जाना है।

उपरोक्त के क्रम में शासनादेश संख्या–938/पांच–9–2021 चिकित्सा अनुभाग–9 दिनांक 24 जून 2021 के माध्यम से 200 स्वास्थ्य इकाइयों को, शासनादेश संख्या–2341/पांच–9–2021 चिकित्सा अनुभाग–9 दिनांक 12 जनवरी 2022 के माध्यम से 382 स्वास्थ्य इकाइयों को तथा शासनादेश संख्या–2023/103(A)/पांच–9–2023 चिकित्सा अनुभाग–9 दिनांक 24 अप्रैल 2023 के माध्यम से 518 स्वास्थ्य इकाइयों को 'सुमन' इकाइयों के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस प्रकार अभी तक कुल 1100 स्वास्थ्य इकाइयों को 'सुमन' इकाइयों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

समस्त अधिसूचित ''सुमन'' इकाइयों का हर 06 माह जनपद स्तर से मूल्यांकन किया जाना तथा मूल्यांकन में आयी कमियों को मानकानुसार पूर्ण भी किया जाना है।

'सुमन' कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य–

- उच्च गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सुविधा, आपातकालीन सेवाएं तथा रेफरल प्रदान करना।
- संस्थागत तथा अन्य समुदाय आधारित प्लेटफार्मों जैसे गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज संस्थानों और समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सहयोग से जागरूकता फैलाना, जिससे मातृ मृत्यु की 100% रिपोर्टिंग एवं समीक्षा करने में सहायता मिल सके।
- मातृ सेवाओं के लिए Patient Feedback Machanism तथा शिकायतों के निवारण की एक प्रणाली क्रियान्वित करना।
- समस्त सेवा प्रदाताओं में जागरूकता बढ़ाना एवं क्षमतावर्धन करना।
- अन्तर्विभागीय समन्वय हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना।
- सुधारात्मक कार्यों के लिए रणनीति तैयार करने, पर्यवेक्षण और कार्यक्रम की समीक्षा सहित प्रभावी संचालन हेतु समिति का गठन।

'सुमन' कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधायें–

- प्रत्येक गर्भवती महिला को कम से कम 04 ए0एन0सी0 चेकअप तथा द्वितीय/तृतीय त्रैमास में पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस के अन्तर्गत विषेशज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम से कम 01 परीक्षण।
- ए0एन0सी0 हेतु आने वाली समस्त गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराते हुए एम0सी0पी0 कार्ड में अंकन।
- निःशुल्क सामान्य/सिजेरियन प्रसव तथा प्रसव के दौरान जटिलताओं का प्रबन्धन।
- शत–प्रतिशत मातृ एवं शिशु मृत्यु रिपोर्टिंग और समीक्षा।
- नवजात शिशुओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं।
- होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर सम्बन्धी 06/07 भ्रमण।
- जीरो डोज टीकाकरण।
- निःशुल्क एम्बुलेंस सेवायें (102/108) के माध्यम से मुफ्त परिवहन।
- प्रसवोपरान्त परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श।
- कम्प्रीहेन्सिव अबॉर्शन केयर।
- वेब पोर्टल, हेल्प लाइन और हेल्प डेस्क के माध्यम से शिकायतों का निवारण।
- चयनित स्वास्थ्य इकाई पर Patient Feedback Machanism का सुदृढ़ीकरण।
- ''सुमन'' कार्यक्रम से आच्छादित स्वास्थ्य इकाइयों की ब्रांडिंग।

- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति तथा स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से बेहतर सामुदायिक सहभागिता।
- ''सुमन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित स्वास्थ्य इकाइयों का परिभाषित समय सीमा के अन्दर एन0क्यू0ए0एस0/लक्ष्य प्रमाणीकरण।
- ''सुमन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित स्वास्थ्य इकाइयों पर आई0पी0एच0एस0 मानकानुसार मानव संसाधन की उपलब्धता।

'सुमन' कार्यक्रम के अर्न्तगत चिन्हित स्वास्थ्य इकाइयाँ –

वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1000 अतिरिक्त स्वास्थ्य इकाइयों को 'सुमन' इकाइयों के रूप में अधिसूचित किया जाना है। इस हेतु प्रत्येक जनपद से पूर्व में अधिसूचित स्वास्थ्य इकाईयों के अतिरिक्त स्वास्थ्य इकाइयों (मेडिकल कॉलेज, जिला महिला चिकित्सालय, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0, उपकेंद्र) का निर्धारित संलग्न चेकलिस्ट पर गैप असेसमेंट उपरान्त, नामांकन कर राज्य स्तर पर उपलब्ध कराया जाना है।

'सुमन' कार्यक्रम के संचालन हेतु विभिन्न समितियां –

प्रदेश में कार्यक्रम के सफल संचालन एवं नियमित समीक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समितियां गठित की जायेगीं, जिनका विवरण तथा कार्य एवं दायित्व निम्नवत है–

➢ **जिला स्तरीय समिति–**

जिला स्तरीय समिति कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगी। समिति की बैठक मासिक आयोजित की जायेगी।

समिति की रूपरेखा निम्नवत है–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति– अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी– सदस्य सचिव एवं संयोजक
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज/जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय–सदस्य
4. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0– सदस्य
5. जिला कार्यक्रम प्रबंधक– सदस्य
6. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता– सदस्य
7. जिला क्वालिटी एश्योरेंस, परामर्शदाता– सदस्य
8. विभागों से प्रतिनिधि– वित्त, आयुष, महिला और बाल विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, जल और स्वच्छता, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आदिवासी/एस0सी0 कल्याण, निदेशक आयुष, शहरी विकास– सदस्य
9. नगर आयुक्त, नगर निगम/नगर पालिका– सदस्य
10. जनपदीय सूचना एवं जन सम्पक अधिकारी– सदस्य
11. प्रतिनिधि–यू0पी0टी0एस0यू0, यूनीसेफ एवं डब्ल्यु0एच0ओ0 आदि– सदस्य
12. प्रतिनिधि–आई0एम0ए0, फॉग्सी– सदस्य
13. अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य

समिति के कार्य एवं दायित्व –

- 'सुमन' कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करना।
- 'सुमन' कार्यक्रम सम्बन्धी अधिकारी एवं कर्मचारी का अभिमुखीकरण एवं कौशल वर्धन सुनिश्चित करना।
- कार्यक्रम सम्बन्धी सेवाओं एवं गतिविधियों का चिकित्सा इकाई स्तर पर सफल संचालन सुनिश्चित कराना।
- कार्यक्रम के अर्न्तगत आच्छादित चिकित्सा इकाइयों का NQAS/LaQshya का प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराना।
- कार्यक्रम विस्तारीकरण हेतु नवीन चिन्हित चिकित्सा इकाइयों का चिन्हींकरण कर नामांकन हेतु राज्य स्तर पर प्रस्ताव प्रेषित करना।
- 'सुमन' कार्यक्रम के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान हेतु प्रस्ताव तैयार कर वार्षिक राज्य कार्ययोजना (PIP) में सम्मिलित किये जाने हेतु राज्य स्तर पर प्रेषित करना।

➢ **ब्लॉक स्तरीय समिति–**

ब्लॉक स्तरीय समिति ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगी। समिति की बैठक माह में एक बार अथवा दो बार आयोजित की जायेगी।

समिति की रूपरेखा निम्नवत है–

1. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी– अध्यक्ष
2. ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा– अधिकारी
3. ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक– सदस्य
4. ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक– सदस्य
5. वरिष्ठ स्टाफ नर्स/फार्मासिस्ट/लैब टेक्नीशियन– सदस्य
6. ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधि– बाल विकास परियोजना अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग आदि–सदस्य
7. ब्लॉक स्तरीय सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि– सदस्य
8. ब्लॉक में कार्यरत एल0एच0वी0/सी0एच0ओ0– सदस्य

समिति के कार्य एवं दायित्व–

- ''सुमन'' कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा करना।
- कार्यक्रम सम्बन्धी सेवाओं एवं गतिविधियों का चिकित्सा इकाई स्तर पर सफल संचालन सुनिश्चित कराना।
- मातृ एवं शिशु मृत्यु का एम0पी0सी0डी0एस0आर0 पोर्टल पर 100% पंजीकरण तथा घटित मातृ मृत्यु की नियमानुसार (इकाई स्तरीय एवं समुदाय आधारित) समीक्षा सुनिश्चित कराना।
- कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु अर्न्तविभागीय सहयोग स्थापित करना।
- कार्यक्रम के अर्न्तगत आच्छादित चिकित्सा इकाइयों का NQAS/LaQshya का प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराना।
- कार्यक्रम विस्तारीकरण हेतु नवीन चिन्हित चिकित्सा इकाइयों का चिन्हींकरण कर प्रस्ताव जनपद स्तर पर प्रेषित कराना।
- ANM द्वारा टैबलेट के उपयोग कर कार्यक्रम से सम्बिन्धित रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग और सेवा प्रावधान सम्बन्धी गतिविधियां सुनिश्चित कराना।

''सुमन'' कार्यक्रम हेतु इकाइयों का चयन –

''सुमन'' कार्यक्रम के संचालन हेतु जनपद के मेडिकल कॉलेज, जिला स्तरीय चिकित्सालय, उच्च प्रसव भार वाले प्रसव इकाई, आदि को प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से शहरी/ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों/उपकेंद्रों जहाँ गुणवत्तापरख ए0एन0सी0 सेवाएं दी जा रही हो, को निम्नलिखित चरणों का पालन करते हुए सुमन इकाइयों के रूप में अधिसूचित किया जाना है।

- **Step 1** •Identification of facilities
- **Step 2** •Self assessment by the facilities on the given checklist
- **Step 3** •Notification of the facilities by the State/District once the assessment is found satisfactory
- **Step 4** •District adminisration to ensure facilites provide SUMAN Service Packages and propogate it through citizen charter and other mass media
- **Step 5** •List of SUMAN facilities to shared and displayed at Panchayat, ZP, WCD, NRLM, Health facilities, etc
- **Step 6** •Link SUMAN facilities through online and IT enabled system
- **Step 7** •Monitor & review every 6 months and accordingly notify the revised list of facilities

''सुमन'' कार्यक्रम के अर्न्तगत सेवा गारंटी पैकेज–

''सुमन'' कार्यक्रम के अर्न्तगत चिकित्सा स्वास्थ्य इकाइयों पर आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु हेतु मुफ्त सेवा गारंटी पैकेज सुनिश्चित किया जाना है। सेवा गारंटी पैकेज को 03 प्रकार से विभाजित किया गया है– Basic, BEmONC और CEmONC।

मातृ मृत्यु हेतु प्रथम सूचना प्रदाता को देय धनराशि –

मातृ मृत्यु रिपोर्टिंग में गुणवत्तापरक सुधार लाने के उद्देश्य से प्रथम सूचना प्रदाता (Primary Informant) को सामुदाय स्तर पर हुई मातृ मृत्यु की सूचना, 104 कॉल सेन्टर के माध्यम से सूचित किये जाने पर प्रति मातृ मृत्यु हेतु रू0 1,000/– दिए जाने का प्राविधान है, जिस हेतु धनराशि Maternal Death Surviellance & Review (MDSR) कार्यक्रम के अर्न्तगत FMR code- RCH.1.9.SRRE.2 में आवंटित की गयी है।

- प्रथम सूचना प्रदाता की परिभाषा के अन्तर्गत आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, पंचायती राज विभाग का कोई भी व्यक्ति तथा समुदाय से कोई भी व्यक्ति (स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित किसी भी अधिकारी/ कर्मी को छोडकर) इस प्रोत्साहन धनराशि को प्राप्त करने हेतु अर्ह होंगे
- प्रथम सूचना प्रदाता द्वारा समुदाय स्तर पर हुई मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग केवल 104 कॉल सेन्टर द्वारा ही अनुमन्य होगी। स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भी स्वतः सज्ञांन लेकर उनके क्षेत्र में हुई मातृ मृत्यु की सूचना को 104 कॉल सेन्टर पर पंजीकृत करायेंगे।
- प्रथम सूचना प्रदाता समुदाय स्तर पर हुई मातृ मृत्यु की सूचना 104 कॉल सेन्टर पर दूरभाष के माध्यम से प्रदान करेगा।
- कॉल सेन्टर पर कार्यरत ऑपरेटर मातृ मृत्यु की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र पर दर्ज करेंगे जिस पर मृतक गर्भवती महिला की विस्तृत जानकारी जैसे नाम, आयु, पति/पिता का नाम, निवास स्थान आदि होगा।
- साथ ही प्रथम सूचना प्रदाता का पूरा नाम, पता, दूरभाष नम्बर एवं पहचान संख्या (भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आई0डी0 कार्ड जैसे आधार, वोटर आई0डी0, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि अंकित करेंगे
- काल को पंजीकृत करने के बाद कॉल सेन्टर ऑपरेटर सम्बन्धित जनपद के जनपदीय नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित ब्लॉक एम0ओ0आई0सी0 को सूचित करेंगे जनपदीय नोडल अधिकारी एवं ब्लॉक एम0ओ0आई0सी0 द्वारा 104 कॉल सेन्टर ऑपरेटर से प्राप्त मातृ मृत्यु की सूचना 104 कॉल सेन्टर के वेब पोर्टल पर लॉग–इन कर के भी प्राप्त की जा सकती है। लॉग–इन आई0डी0 एवं पासवर्ड समस्त जनपदों को पृथक से प्रेषित किया गया है।
- तत्पश्चात ब्लॉक एम0ओ0आई0सी0 द्वारा ब्लॉक स्तर पर समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु गठित टीम के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर सी0बी0एम0डी0आर0 (Community Based Maternal Death Review) करना सुनिश्चित करेंगे
- सी0बी0एम0डी0आर0 से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ब्लॉक एम0ओ0आई0सी0 मातृ मृत्यु के कारणों का निर्धारण करते हुए समुदाय स्तर की मातृ मृत्यु के रूप से सत्यापित करेंगे
- उक्त सत्यापन के उपरान्त ब्लॉक एम0ओ0आई0सी0 अपने जनपद के नोडल अधिकारी एवं 104 कॉल सेन्टर पर दूरभाष एवं 104 वेब पोर्टल के माध्यम से सूचित करेंगे
- ब्लॉक एम0ओ0आई0सी0 प्रोत्साहन धनराशि के ऑनलाइन हस्तांतरण हेतु बैंक विवरण भेजने के लिए प्रथम सूचना प्रदाता को भी सूचित करेंगे
- प्रोत्साहन धनराशि के हस्तांतरण उपरान्त 104 कॉल सेन्टर आपरेटर प्रथम सूचना प्रदाता से पुष्टि करने के पश्चात अपने स्तर पर Report Close करेंगे
- पंजीकृत राजकीय एवं निजी एम्बुलेंस में हुयी मातृ मृत्यु (Transit Death) की सूचना देने पर यह प्रोत्साहन धनराशि देय नहीं होगी।
- निजी वाहन में हुयी मातृ मृत्यु की प्रदाता द्वारा प्रथम सूचना देने पर यह धनराशि ब्लॉक एम0ओ0आई0सी0 के सत्यापन उपरान्त ही देय होगी।
- प्रथम सूचना प्रदाता को देय धनराशि हेतु सम्बन्धित ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे महिला मृत्यु की सूचना प्राप्ति के 01 सप्ताह में मातृ मृत्यु की पुष्टि सुनिश्चित की जाए।
- मातृ मृत्यु की पुष्टि उपरान्त नियमानुसार सम्बन्धित के खाते में 07 दिनों में देय धनराशि का भुगतान ब्लॉक अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी/बी0सी0पी0एम0 स्तर से सुनिश्चित किया जाए।
- समस्त प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान ऑनलाइन पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जायेगा।

'सुमन' कार्यक्रम के अर्न्तगत शिकायत निवारण (Grievance Redressal) की प्रक्रिया –

गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु लाभार्थी सन्तुष्टि आवश्यक है। सेवाओं में गुणवत्ता की कमी होने पर शिकायतें उत्पन्न होती हैं, जिनका समय पर निवारण अनिवार्य है। सुमन कार्यक्रम के अर्न्तगत एक सुदृढ़ शिकायत–निवारण तंत्र द्वारा शिकायतों का निस्तारण करने को प्राथमिकता दी जानी है।

प्रदेश की चिन्हित समस्त सुमन इकाइयों पर 02 स्तर पर शिकायत निवारण किया जाना है–

1) उच्च प्रसव भार वाली इकाइयों पर हेल्प डेस्क।
2) 104 कॉल सेण्टर।

❖ **हेल्प डेस्क के माध्यम से शिकायतों का निवारण–**

'सुमन' कार्यक्रम के अर्न्तगत शिकायतों का निवारण उच्च प्रसव भार वाली इकाइयों पर स्थापित हेल्प डेस्क के माध्यम से भी किया जा सकता है। हेल्प डेस्क पर कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सम्बन्धित शिकायत दर्ज करा सकता है। ब्लॉक/जनपद/राज्य स्तर से इन शिकायतों का निवारण सीमित समयावधि के अर्न्तगत किया जायेगा।

नोट– शिकायत निवारण (Grievance Redressal) हेतु जनपद/ब्लॉक स्तर पर क्वालिटी एश्योरेन्स टीम उत्तरदायी होगी।

❖ **104 कॉल सेण्टर के माध्यम से शिकायतों का निवारण–**

'सुमन' कार्यक्रम के अर्न्तगत शिकायत निवारण हेतु 104 कॉल सेण्टर, राज्य स्तर पर पूर्व से ही स्थापित है। 104 कॉल सेण्टर पर कोई भी व्यक्ति दूरभाष के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बन्धित शिकायत दर्ज करा सकता है।

'सुमन' स्वयं सेवक (SUMAN volunteers)

समाज के सशक्त और सम्मानित सदस्य जैसे पंचायती राज्य समिति प्रतिनिधि, नेता, स्कूल शिक्षक, समाज के प्रतिनिधि, एस0एच0जी0 सदस्य आदि सुमन स्वयंसेवक बन सकते है, जिनके पास समय एवं प्रतिबद्धता है। वे किसी भी आयु, समुदाय, जाति एवं लिंग के हो सकते हैं।

'सुमन' स्वयं सेवकों का कार्यक्षेत्र –

'सुमन' स्वयं सेवकों की अपेक्षित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां–

- 'सुमन' कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाली समस्त सुविधाओं के विषय में समुदाय को जागरूक करना।
- 'सुमन' स्वयं सेवकों द्वारा स्वास्थ्य इकाइयों पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के साथ समन्वय स्थापित किया जाना है।
- छाया यू0/वी0एच0एस0एन0डी0, वी0एच0एस0एन0सी0, पंचायत, एम0ए0एस0 बैठकों में भाग लेते हुए उनके सदस्यों को सुमन कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले सेवाओं के विषय में उन्मुखीकरण किया जाना है।
- समुदाय में 'सुमन' कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले अधिकारों के विषय में जागरूक करना।
- सुमन स्वयं सेवकों को समुदाय से मिलकर उन्हें मिलने वाली समस्त सेवाओं के विषय में बताते हुये गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व सेवा में सहयोग प्रदान करना है। उन्हें सुनिश्चित करना है कि सभी गर्भवती महिलाएं पंजीकृत हैं और उन्हें उनके अधिकार प्राप्त हैं।
- 'हाई–रिस्क प्रेगनेन्सी' वाली गर्भवती महिलाओं का चिन्हींकरण, उपचार व फॉलो–अप हेतु PMSMA दिवस पर जाने हेतु प्रेरित करना।
- आपात स्थिति में यह सुनिश्चित करना कि गर्भवती महिला को ससमय उचित स्थान पर सन्दर्भित करने हेतु परिवहन की सुविधा प्राप्त हो।
- निकटतम सन्दर्भन स्वास्थ्य इकाइयों पर भ्रमण कर यह सुनिश्चित करना कि वहाँ पर सभी प्रकार की औषधियाँ, जाँच आदि की सुविधा उपलब्ध हो। तत्पश्चात सेवाओं में गुणवत्तापरक सुधार हेतु रोगी कल्याण समिति एवं पंचायती राज्य समिति से चर्चा भी की जानी है।
- अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं से हर तिमाही में उनको प्राप्त स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में फीडबैक प्राप्त करते हुये उपलब्धियों और कमियों के बारे में रिपोर्ट तैयार करते हुय एम0ओ0आई0सी0, ए0एन0एम0, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ साझा करें।
- गर्भवती महिलाएं या उनके परिवार से निःशुल्क सेवाओं की कमी, अनौपचारिक भुगतान, सम्मानजनक देखभाल की कमी आदि की शिकायत प्राप्त होने पर उन शिकायतों को एम0ओ0आई0सी0 के साथ साझा करना सुनिश्चित करें ताकि समय पर शिकायत का समाधान किया जा सके।

संक्षेप में, सुमन स्वयं सेवकों द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली और समुदाय/लाभार्थी के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने का प्रयास करना है, जिससे कि स्वास्थ्य योजना को लाभार्थियों तक सुगमता से पहुँचाया जा सके।

'सुमन' स्वयं सेवकों का पंजीकरण और क्षमतावर्धन –

- प्रत्येक सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेंद्र, एच0डब्ल्यू0सी0 एवं आंगनवाड़ी केंद्र को स्वयं सेवकों के पंजीकरण को अभियान के रूप में चलाते हुये स्वयं सेवकों का चयन कर उनकी ग्रामवार सूची बनाते हुये उसे जनपद स्तर पर साझा किया जाना है।
- प्रत्येक जनपद पंजीकृत स्वयं सेवकों के लिए अर्ध दिवसीय (Half Day) उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें 'सुमन' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं एवं विभिन्न प्रावधानों, गर्भवती महिलाओं के अधिकारों और स्वयं सेवकों से अपेक्षित भूमिका पर उन्मुख करें।
- प्रत्येक सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेंद्र, एच0डब्ल्यू0सी0 एवं आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकृत स्वयं सेवकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के समय उन्हें उनके क्षेत्र में पंजीकृत स्वयंसेवकों की जानकारी साझा करें।

'सुमन' स्वयं सेवकों को पुरस्कार– सुमन चैम्पियन

'सुमन' चैम्पियन पुरस्कार उस गांव/क्षेत्र के समग्र प्रदर्शन पर आधारित होंगे जहां स्वयं सेवकों द्वारा उत्कृष्ट सेवायें प्रदान की गयी है। ये चैम्पियन आबादी में से कोई भी हो सकता है जो स्वयं सेवक, आशा, ए0एन0एम0, स्टाफ नर्स, चिकित्सक या कोई अन्य सेवा प्रदाता, जिसने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अनुकरणीय कार्य किया है।

यह जनपद का विशेषाधिकार है कि वह उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले सुमन स्वयं सेवक की पहचान करें तथा उन्हें प्रमाण–पत्र एवं स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित करें। राज्य स्तर से इस कार्य हेतु किसी प्रकार की प्रोत्साहन धनराशि प्राविधानित नहीं है।

'सुमन' कार्यक्रम हेतु आई0ई0सी0 की व्यवस्था –

- 'सुमन' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली समस्त सेवाओं एवं सुविधाओं एवं विभिन्न Grievance Redressal प्रक्रिया का समुदाय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार– समाचार पत्रों, सोशल मीडिया एवं विभिन्न बैठकों में चर्चा कर किया जाना है।
- समुदाय स्तर पर हुयी मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग में गुणवत्तापरक सुधार लाने हेतु प्रथम सूचना प्रदाता (Primary Informant) को मातृ मृत्यु की सूचना प्रदान करने पर रू0 1,000/– की धनराशि का प्रावाधान है, जिसको जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार विभिन्न मीडिया संसाधन जैसे– समाचार पत्र, कम्युनिटी रेडिया, प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से साक्षात्कार, जनपद/ब्लॉक स्तर पर मासिक/साप्ताहिक बैठकों में चर्चा कर, ए0एन0एम0/आशा, आदि के माध्यम से किया जाना है।
- 'सुमन' कार्यक्रम की आई0ई0सी0 हेतु जनपद स्तर पर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक मद में आवंटित की गयी धनराशि का उपयोग, सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त किया जा सकता है।
- 'सुमन' कार्यक्रम के अन्तर्गत फैसिलिटी ब्रांडिंग हेतु दिशा–निर्देश एवं बजट प्रथक से जनपदों को आवंटित किया जायेगा।

2.11 मातृ स्वास्थ्य के अर्न्तगत संविदा पर कार्यरत मानव संसाधन

1 संविदा ए0एन0एम0

संविदा ए0एन0एम0 के कार्य एवं उत्तरदायित्व –

1. संविदा ए0एन0एम0 नियमित ए0एन0एम0 की भाँति सभी कार्य करेंगी। प्रत्येक संविदा ए0एन0एम0 अपने आवंटित क्षेत्र का सर्वे करेगी तथा आर0सी0एच0 रजिस्टर में सूचनाओं को अपडेट करेगी।
2. संविदा ए0एन0एम0 द्वारा छाया वी0एच0एस0एन0डी0 में कुशल प्रसव पूर्व सेवायें (बी0पी0, खून की जाँच एवं पेशाब की जॉच) प्रदान करने, नियमित टीकाकरण, उच्च जोखिम युक्त एवं गम्भीर एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं को पहचान कर लाईन लिस्टिंग, उपकेन्द्रों पर प्रसव सेवायें, फॉलो–अप एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य प्रबन्धन आदि सेवायें प्रदान की जायेंगी।
3. यदि संविदा ए0एन0एम0 का उपकेन्द्र प्रसव केन्द्र के रूप में संसूचित है, तो संविदा ए0एन0एम0 द्वारा गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापरक प्रसव सेवायें प्रदान की जायेगी।
4. समस्त गर्भवती महिलाओं को द्वितीय/तृतीय ट्रामिस्टर में पी0एम0एस0एम0ए0 दिवसों पर जाने के लिये प्रेरित किया जायेगा।

5. आर0सी0एच0/एच0एम0आई0एस0 पोर्टल में सभी आंकड़ों को एकत्रित कर ब्लाक स्तर पर अंकित करवायेंगी जिसके आधार पर ही उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।
6. छाया–वी0एच0एस0एन0डी0 एवं अन्य समस्त कार्यक्रमों की रिपोर्ट ई–कवच पर ससमय इन्ट्री करना।
7. राज्य स्तर से समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।

कार्यरत संविदा ए0एन0एम0 का मानदेय, मानदेय वृद्धि एवं लॉयल्टी के भुगतान हेतु निर्देश–

1. जनपद में कार्यरत संविदा ए0एन0एम0 के 12 माह के मानदेय, 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि, ई0पी0एफ0 एवं लॉयल्टी बोनस हेतु समस्त जिला स्वास्थ्य समिति को धनराशि आवंटित की गयी है।
2. संविदा ए0एन0एम0 का 15000/– मानदेय सीमा तक 13.36 प्रतिशत ई0पी0एफ0 देय है यदि किसी संविदा ए0एन0एम0 का प्रतिमाह 15000/–से मानदेय अधिक है उनको केवल रू0 15000/– मानदेय सीमा तक ही ई0पी0एफ0 देय होगा।
3. रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदों को वर्तमान में कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है।
4. ऐसे कर्मी जिनका 01 वर्ष का कार्यकाल वर्ष 2023–24 के मध्य में पूर्ण हो रहा है उन्हें 01 वर्ष काकार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम मे 05 प्रतिशत की प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि कर्मी के योगदान माह की प्रथम (पहली) तिथि से प्रदान की जायेगी।
5. ऐसे कर्मी जो 01 अप्रैल 2023 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें 01 अप्रैल 2023 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम में 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।
6. वित्तीय वर्ष 2023–24 में कर्मियों को संतोषजनक परफॉरमेन्स एप्रेजल (समुचित अधिकारी द्वारा) के आधार पर 05 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिये जिला स्वास्थ्य समिति हेतु अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया गया है। समस्त कर्मियों एप्रेजल का संकलन जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में किया जायेगा, जिससे भ्रमण के दौरान मांगने पर उपलब्ध कराये जा सके।
7. ऐसे संविदाकर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय में 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेंगे। जिस माह संविदाकर्मी का 03 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
8. ऐसे संविदाकर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय मे 05 प्रतिशत (उनको 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका हैं एवं शेष 05 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस देय है) लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का 05 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
9. ऐसी महिला संविदाकर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस की पात्र होंगी।
10. ऐसे पुरुष संविदाकर्मी जो पितृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस के पात्र होंगे
11. जिन संविदाकर्मियों को लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्रता अवधि में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे
12. जिन संविदाकर्मियों द्वारा 03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह का अवकाश लिया गया है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे ।

सामान्य निर्देश–

1 वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु संविदा ए0एन0एम0 के कुल स्वीकृत 19115 पदों में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किये गये सभी पद समाहित हैं।

2 वर्तमान में संविदा ए0एन0एम0 की नियुक्ति राज्य स्तर से की जा रही है तथा अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित मानव संसाधन पालिसी के नियमों का

पालन करते हेतु नियमानुसार किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2024 तक के लिये ही किये जायेंगे। इस अवधि में भी जिला स्वास्थ्य समिति जनपद में एल–1 प्रसव इकाइयों एवं रिक्तियों की स्थिति परिवर्तित होने की स्थिति में इनका स्थानान्तरण आवश्यकतानुसार रिक्त अथवा एल–1 प्रसव केन्द्रों पर करने के लिये सक्षम होगी। रिक्त उपकेन्द्रों को भरा जाना प्राथमिकता होगी। किसी भी स्थिति में किसी भी संविदा ए0एन0एम0 को उसके तैनाती स्थल से अन्यंत्र इकाई पर अटैच (सम्बद्व) नहीं किया जायेगा।

3 चयनित किये गये संविदा ए0एन0एम0 का उच्च अधिकारी/निरीक्षण कर्ता द्वारा स्किल परीक्षण किया जाता है, और वह अपने कार्य में निपुण नहीं पाया जाता है, उस स्थिति में उसे दक्ष कराने हेतु प्रशिक्षण में नामित किया जाए, इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का होगा।

4 जनपदों द्वारा यह धनराशि कार्यरत संविदा ए0एन0एम0 की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। सभी संविदा ए0एन0एम0 का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दिया जायेगा। किसी भी ए0एन0एम0 को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

2 प्रथम सन्दर्भन इकाइयों (एफ0आर0यू0) कार्यरत संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के मानदेयः–

संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के कार्य एवं दायित्व–

1 संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन द्वारा एफ0आर0यू0 पर एफ0आर0यू0 के नोडल के अधीन सिजेरियन प्रसव से सम्बन्धित कार्यो का निर्वाहन करना।
2 ओ0टी0 की समुचित व्यवस्था का दायित्व जैसे शल्य चिकित्सा से पहले ओ0टी0 तैयार करना, ओ0टी की साफ–सफाई एवं स्ट्रेलाईजेशन सुनिश्चित करना, उपकरणों की ड्रेसिंग आदि को ऑटोक्लेव करना।
3 ओ0टी0 में प्रयोग होने वाले समस्त उपकरणों की प्रतिदिन परीक्षण कर, क्रियाशीलता सुनिश्चित करना।
4 गर्भवती महिला का सिजेरियन प्रसव के दौरान स्त्री एवं प्रसूतिरोग/सर्जन एवं निश्चेतक विशेषज्ञ चिकित्सक को पूर्ण सहयोग प्रदान करना।
5 क्रैश कार्ट में रखी समस्त दवाओं की एक्सपायरी चेक करना एवं ओ0टी0 में प्रयोग होने वाले गैस सिलेण्डर की नियमित जॉच तथा स्टाक रजिस्ट्रर अपडेट करना।
6 ड्रग एवं कन्जूमेबिलस की उपलब्धता सुनिश्चित कर स्टाक रजिस्ट्रर अपडेट करना।
7 इलेक्टिव सिजेरियन प्रसव हेतु पूर्व से ओ0टी0 बुक करना।
8 ओ0टी0 रजिस्ट्रर में प्रत्येक सिजेरियन प्रसव की विस्तृत विवरण अंकित करना।
9 डिपार्टमेन्टल आडिट एवं रिसर्च में प्रतिभाग करना।
10 संक्रमण रोकथाम हेतु ओ0टी0 काम्पलेक्स में जोन (Protective, Clean, Sterile, Disposal) का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना।

संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियनका मानदेय, मानदेय वृद्वि एवं लॉयल्टी के भुगतान हेतु निर्द्रेश–

1. जनपद में कार्यरत संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के 12 माह के मानदेय, 05 प्रतिशत मानदेय वृद्विएवं लॉयल्टी बोनस हेतु समस्त जिला स्वास्थ्य समिति को धनराशि आवंटित की गयी है।
2. रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदों को वर्तमान में कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है।
3. ऐसे कर्मी जिनका 01 वर्ष का कार्यकाल वर्ष 2023–24 के मध्य में पूर्ण हो रहा है उन्हें 01 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम मे 05 प्रतिशत की प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि कर्मी के योगदान माह की प्रथम (पहली) तिथि से प्रदान की जायेगी।
4. ऐसे कर्मी जो 01 अप्रैल 2023 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें 01 अप्रैल 2023 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम में 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।
5. वित्तीय वर्ष 2023–24 में कर्मियों को संतोषजनक परफॉरमेन्स एप्रेजल (समुचित अधिकारी द्वारा) के आधार पर 05 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिये जिला स्वास्थ्य समिति हेतु अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया गया है। समस्त कर्मियों एप्रेजल का संकलन जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में किया जायेगा, जिससे भ्रमण के दौरान मॉगने पर उपलब्ध कराये जा सके।

6. ऐसे संविदाकर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय में 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का 03 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
7. ऐसे संविदाकर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय मे 05 प्रतिशत (उनको 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका है एवं शेष 05 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस देय है) लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का 05 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
8. ऐसी महिला संविदाकर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस की पात्र होंगी।
9. ऐसे पुरुष संविदाकर्मी जो पितृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस के पात्र होंगे
10. जिन संविदाकर्मियों को लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्रता अवधि में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे।
11. जिन संविदाकर्मियों द्वारा 03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह का अवकाश लिया गया है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे

संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन की तैनाती एवं सामान्य निर्देश–

1. जिन जनपदों में 100 शैययायक्त एम0सी0एच0 विगं स्थापित है तथा वह जिला सयुक्त/महिला चिकित्सालय के साथ एक ही इकाई के रूप में क्रियाशील है ऐसी एफ0आर0यू0 पर ओ0टी0 टैक्नीशियन की तैनाती नहीं की जायेगी।
2. ओ0टी0 टैक्नीशियन की तैनाती क्रियाशील प्रथम सन्दर्भन इकाई (एफ0आर0यू0) में सिजेरियन प्रसव हेतु ओ0टी में की जायेगी।
3. संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन को उसके तैनाती स्थल से अन्यंत्र इकाई पर अटैच (सम्बद्व) नहीं किया जायेगा परन्तु जिला स्वास्थ्य समिति जनपद में सिजेरियन प्रसव हेतु अक्रियाशील एफ0आर0यू0 से सिजेरियन प्रसव हेतु क्रियाशील एफ0आर0यू0 पर स्थानान्तरण करने के लिये सक्षम होगी।
4. रिक्त पदों पर संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन की नियुक्ति राज्य स्तर से की जा रही है तथा अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित मानव संसाधन पॉलिसी के नियमों का पालन करते हेतु नियमानुसार किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2024 तक के लिये ही किये जायेंगे।
5. भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 वर्ष 2023–24 में संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के लिये 05 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि, धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसका भुगतान मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के नियमानुसार किया जायेगा।
6. चयनित किये गये संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन का उच्च अधिकारी/निरीक्षण कर्ता द्वारा स्किल परीक्षण किया जाता है, और वह अपने कार्य में निपुण नहीं पाया जाता है, उस स्थिति में उसे दक्ष कराने हेतु प्रशिक्षण में नामित किया जाए, इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का होगा।
7. जनपदों द्वारा यह धनराशि कार्यरत संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही देय होगा तथा वित्त अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान किया जायेगा।
8. जनपद में कार्यरत/नवचयनित संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के सभी दस्तावेजो के रख–रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।
9. कार्यरत संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के सम्बन्ध में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को प्रत्येक त्रैमास अवश्य ही उपलब्ध करा दें।

3 एफ0आर0यू0 पर कार्यरत संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों (स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक) के मानदेय

मातृ एवं शिशु सम्बन्धी रोगों एवं जटिलताओं के चिन्हांकन, उनके प्रबन्धन तथा Mortality and Morbidity दर में कमी लाने हेतु प्रथम सन्दर्भन इकाई (एफ0आर0यू0) का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में 87 जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय एवं 334 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इस प्रकार कुल 421 इकाईयां एफ0आर0यू0 के रूप में चिन्हित है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.आर.यू./84 डी0–वॉ–2/2015–16/7401–75 दिनांक 16.10.2015 द्वारा प्रदेश के प्रथम सन्दर्भन इकाइयों को जनपद एवं स्वास्थ्य इकाई की भौगोलिक स्थिति यथा जनपद मुख्यालय/तहसील/ब्लॉक इकाई मुख्यालय से दूरी, इकाई द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल/जनसंख्या, दुर्गमता, क्षेत्र का पिछड़ापन, नक्सली प्रभावित क्षेत्र तथा लम्बे समय से विशेषज्ञों की अनुपलब्धता आदि के अनुसार केटेगरी ए, केटेगरी बी एवं केटेगरी सी में वर्गीकृत किया गया। विभिन्न केटेगरी के लिये मानदेय के स्लैब भी निर्धारित किये गये है। इन एफ0आर0यू0 पर नियमित/संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम (प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा निश्चेतक) की तैनाती की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम में राज्य कार्ययोजना पर भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश में एफ0आर0यू0 पर कार्यरत संविदा विशेषज्ञों चिकित्सकों के मानदेय एवं कार्य सम्बन्धित दिशा–निर्देश निम्नवत है–

1. **प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक की तैनाती–**

वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु संविदा 318 स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं 283 एनेस्थेटिस्ट के कुल स्वीकृत पदों में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किये गये सभी पद समाहित हैं।

2. प्रदेश में पूर्व से चिन्हित प्रथम सन्दर्भन इकाई (एफ0आर0यू0) केटेगरी ए, केटेगरी बी एवं केटेगरी सी में वर्गीकृत है।

संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ/शल्यक एवं निश्चेतक हेतु मानदेय व्यवस्था–

- राज्य स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 में एफ0आर0यू0 की केटेगरी ए, बी, सी के अनुसार संविदा चिकित्साधिकारियों का मानदेय का भुगतान निम्नवत किया जाना है–

क्र0सं0	एफ0आर0यू0 केटेगरी	नियत मानदेय (रू0)	दूरस्थ क्षेत्र अतिरिक्त मानदेय (रू0)	कुल देय मानदेय प्रतिमाह (रू0)
1	ए केटेगरी	100000/–	शून्य	100000/–
2	बी केटेगरी	100000/–	20000/–	120000/–
3	सी केटेगरी	100000/–	40000/–	140000/–

- पूर्व से कार्यरत_संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत सरकार द्वारा 05 प्रतिशत मानदेय बढ़ोत्तरी स्वीकृत प्रदान की गयी है, जोकि नियत मानदेय रू0 1,00,000/– के गुणांक पर लागू होगी।
- **भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाले 03 व 05 वर्ष पर दिया जाने वाले लॉयल्टी बोनस के लिये चिकित्सक का कार्यकाल 01 अप्रैल, 2020 से आगामी वर्षो में आगणन किया जायेगा एवं नियत मानदेय पर तद्दिनॉक को प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत मानेदय बढ़ोत्तरी उपरान्त देय मानदेय पर देय होगा, तथा दूरस्थ क्षेत्र हेतु अतिरिक्त मानदेय पर लागू नहीं होगा।**
- कतिपय जनपदों में संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों के तैनाती स्थल स्थिर नहीं किये गये हैं, जिससे उनके मानदेय के स्लैब भी लागू नहीं किये जा सके हैं। यह सर्वथा अनुचित है। सभी पूर्व से कार्य कर रहे संविदा विशेषज्ञों के उपयफ्रक्त तालिकानुसार तैनाती स्थल व स्लैब में मानदेय निर्धारण का प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति से अतिशीघ्र स्वीकृत करायें। **किसी भी परिस्थिति में नॉन एफ0आर0यू पर तैनात नहीं किया जाना है।**
- जनपदों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किये गये कार्यों की राज्य स्तर पर समीक्षा करने पर संज्ञान में आया है कि प्रायः जनपद स्तर पर उनके कार्यों का नियमित मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार सरकार के निर्देशों के अनुसार एफ0आर0यू0 को क्रियाशील कराये जाने हेतु जनपदीय स्तरीय एफ0आर0यू0 पर न्यूनतम 10 सीजेरियन प्रसव तथा सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 पर न्यूनतम 05 सिजेरियन प्रसव कराया जाना अपेक्षित है।
- **मुख्य चिकित्साधिकारी अधोउपलब्धि वाले विशेषज्ञों के साथ समय–समय पर बैठक आयोजित कर स्थानीय स्तर पर गतिरोध अथवा सहयोग की कमी का निराकरण करना सुनिश्चित किया जाना है।** अतः कम उपलब्धि के लिये एफ0आर0यू0 प्रभारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी

आर0सी0एच0 तथा मुख्य चिकित्साधिकारी समान रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे। आवश्यकतानुसार सीजेरियन हेतु टीम पूर्ण करने के लिये ऑन–कॉल विशेषज्ञ चिकित्सक के प्राविधान का उपयोग किया जाये एवं इलेक्टिव सीजेरियन प्रसव आरम्भ करने हेतु समुचित व्यवस्थायें सुनिश्चित किया जाना है।

3. **कार्य एवं उत्तरदायित्व–**
   - किसी भी माह में शून्य अथवा औसतन 05 सीजेरियन सेक्शन प्रति माह (ग्रामीण इकाई पर) अथवा औसतन 10 सीजेरियन सेक्शन प्रति माह (जनपद स्तर पर) से कम उपलब्धि वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को चेतावनी निर्गत कर प्रशासनिक सहयोग से उपलब्धि बढ़ाने का प्रयास करें। **प्रायः देखा जा रहा है कि जनपद स्तर पर संविदा विशेषज्ञों द्वारा कम उपलब्धि होने पर उनका मानदेय रोक दिया जाता जो कि उचित नहीं है। वरन् लगातार तीन माह तक अधोप्रगति होने पर अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर राज्य स्तर पर इसकी सूचना प्रेषित की जानी है।** संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों से मेडिको लीगल/पोस्टमार्टम कार्य नहीं कराया जाना है।
   - प्रत्येक सक्रिय प्रथम सन्दर्भन इकाई (जिला महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग अथवा एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0) के लिए संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा आउटडोर (ओ0पी0डी), ए0एन0सी0 क्लीनिक, हाई रिस्क एवं Severe Anemia से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का प्रबन्धन, सामान्य एवं जटिल प्रसवों का उपचार, सिजेरियन प्रसव (Elective/Emergency), प्रसव कक्ष/शल्य कक्ष की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण, भर्ती मरीजों की देखभाल, केसशीट में चिकित्सक सम्बन्धी सभी बिन्दुओं को पूर्णतः से भरना तथा अन्य बिन्दुओं को भी सम्बन्धित स्टाफ से पूर्ण कराना।
   - इसी प्रकार संविदा निश्चेतक का उत्तरदायित्व होगा कि वे रूटीन इलेक्टिव सर्जरी में सहयोग करेंगे एवं आवश्यकतानुसार 24 घंटे जटिल सीजेरियन प्रसव प्रबन्धन हेतु भी उपलब्ध रहेंगे।
   - जहाँ पर 01 से अधिक स्त्री रोग/निश्चेतक विशेषज्ञ हैं वहाँ शिफ्ट ड्यूटी रोस्टर बनाकर 24 घण्टे सीजेरियन प्रसव सुविधा उपलब्ध कराया जाना है।
   - एफ0आर0यू0 पर तैनात सभी चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों (नियमित अथवा संविदा) की पोस्ट ऑपरेटिव केयर एक सामूहिक जिम्मेदारी होगी जो रोस्टर ड्यूटी के आधार पर इसे सम्पादित करेंगे इस हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी प्रथम सन्दर्भन इकाई यथा सम्भव सहयोग देते हुए आवश्यक संसाधन की उपलब्धता एवं समन्वय सुनिश्चित कराया जाना है।

4. **वित्तीय व्यवस्था–**
   - वाक–इन–इन्टरव्यू माध्यम से कार्यरत संविदा स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक के मानदेय का भुगतान– (FMR Code-HSS.9.184.C.S0113) एवं संविदा निश्चेतकों का (FMR Code-HSS.9.184.C.S0144) से किया जायेगा।

उपरोक्त हेतु संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार धनराशि डैप में आवंटित की गयी है तथा यह आवंटित धनराशि डैप का अंश है।

प्रथम सन्दर्भन इकाइयों के संचालन हेतु वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से कार्यरत संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों (स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक) के मानदेय, मानदेय वृद्धि एवं लॉयल्टी के भुगतान

1. जनपद में प्रथम सन्दर्भन इकाइयों के संचालन हेतु वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से कार्यरत संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों (स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक) के 12 माह के मानदेय, 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस हेतु समस्त जिला स्वास्थ्य समिति को धनराशि आवंटित की गयी है।
2. रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदों को वर्तमान में कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है।
3. ऐसे कर्मी जिनका 01 वर्ष का कार्यकाल वर्ष 2023–24 के मध्य में पूर्ण हो रहा है उन्हें 01 वर्ष काकार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम मे 05 प्रतिशत की प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि कर्मी के योगदान माह की प्रथम (पहली) तिथि से प्रदान की जायेगी।
4. ऐसे कर्मी जो 01 अप्रैल 2023 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर चुके है, उन्हें 01 अप्रैल 2023 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम में 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।
5. वित्तीय वर्ष 2023–24 में कर्मियों को संतोषजनक परफॉरमेन्स एप्रेजल (समुचित अधिकारी द्वारा) के आधार पर 05 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिये जिला स्वास्थ्य समिति

हेतु अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया गया है। समस्त कर्मियों एप्रेजल का संकलन जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में किया जायेगा, जिससे भ्रमण के दौरान मॉगने पर उपलब्ध कराये जा सके।

6. ऐसे संविदाकर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय में 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का 03 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
7. ऐसे संविदाकर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय मे 05 प्रतिशत (उनको 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका हैं एवं शेष 05 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस देय है) लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का 05 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
8. ऐसी महिला संविदाकर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस की पात्र होंगी।
9. ऐसे पुरुष संविदाकर्मी जो पितृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस के पात्र होंगे
10. जिन संविदाकर्मियों को लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्रता अवधि में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे
11. जिन संविदाकर्मियों द्वारा 03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह का अवकाश लिया गया है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे

5. <u>सामान्य निर्देश–</u>

- राज्य व जनपद स्तर से वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से नियुक्ति/कार्यरत संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट का अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित मानव संसाधन पालिसी के नियमों का पालन करते हेतु नियमानुसार किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2024 तक के लिये ही किये जायेंगे। इस अवधि में भी जिला स्वास्थ्य समिति जनपदों में एफ0आर0यू0 पर रिक्तियों की स्थिति परिवर्तित होने की स्थिति में इनका स्थानान्तरण आवश्यकतानुसार अन्य एफ0आर0यू0 पर करने के लिये सक्षम होगी। किसी भी स्थिति में किसी भी संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट को उसके तैनाती स्थल से अन्यंत्र इकाई पर अटैच (सम्बद्व) नहीं किया जायेगा।
- ***राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक–648/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एच0आर0/2022–23/8663 दिनांक 15.02.2023 के माध्यम से प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्तमान में जनपद स्तर पर आयोजित किये जाने वाले वॉक–इन इन्टरव्यु प्रक्रिया स्थगित है तथा राज्य स्तर से ऑन–लाइन बिडिंग के माध्यम से संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन प्रक्रियाधीन है, जिसके दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेगें।***
- जनपद में कार्यरत/नवचयनित संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट के सभी दस्तावेजों के रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।
- कार्यरत संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट के सम्बन्ध में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना नियमित रूप एच0एम0आई0एस0 तथा यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अंकित की जानी है तथा प्रत्येक त्रैमास में के0पी0आई0 पर सूचना अंकित करते हुये मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को अवश्य ही उपलब्ध कराया जाना है।
- जनपदों द्वारा यह धनराशि कार्यरत संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। सभी संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दिया जायेगा तथा वित्त अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान कराया जाना है।

<u>4</u> <u>संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के लिये मानदेय</u>

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 के एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.P267 में कुल 75 संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय, यात्रा–व्यय एफ0एम0आर0 कोड RCH.1.17.PME एवं आफिस व्यवस्था हेतु एफ0एम0आर0 कोड

HSS.11.193.PME.11 में धनराशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें कार्यरत 60 का मानदेय जनपदों को आवंटित किया गया है। जिसके दिशा–निर्देश निम्नवत है–

जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय की व्यवस्था–

1. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय का राज्य स्तर से एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.P267 में धनराशि निम्नवत आवंटित की गयी है–

क्र0सं0	अवधि	कुल कार्यरत पद	वित्तीय वर्ष 2023–24 में	वित्तीय वर्ष 2023–24 में नियमानुसार 05% मानदेय बढ़ोत्तरी	टिप्पणी
1	पूर्व से कार्यरत	59	50715/–	05%	03 वर्ष पूर्ण करने पर 10% नियमानुसार लॉयल्टी बोनस वित्तीय वर्ष 2023–24 में भुगतान किया जा चुका है।

2. डैप में जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित धनराशि वर्तमान में लागू प्रक्रिया के अनुसार जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में कार्यरत अन्य संविदाकर्मियों की भॉति जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के माध्यम से जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
3. कार्यरत संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता का ही मानदेय जनपदों को आवंटित किया गया है।

जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के भ्रमण हेतु वाहन की व्यवस्था– FMR Code-RCH.1.17.PME

4. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु क्षेत्र भ्रमण एवं राज्य स्तर पर समीक्षा बैठकों में प्रतिभाग हेतु भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2023–24 में एफ0एम0आर0 कोड **RCH.1.17.PME** में प्रति जनपद हेतु रू0 10,000/– प्रतिमाह की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है।
5. जनपद के अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने पर यात्रा–व्यय रू0 750/– प्रति विजिट की दर से किसी भी माह में अधिकतम 12 विजिट का भुगतान अनुमन्य है जिसका नियमानुसार एवं मानकानुसार भुगतान किया जायेगा। जनपद में किसी भी माह में 12 विजिट से अधिक किये गये विजिट का भुगतान अनुमन्य नहीं है जिसका भुगतान निम्नवत किया जायेगा–
   - जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में उपलब्ध मूल्यांकन एवं अनुश्रवण वाहन का ही भ्रमण के लिये सर्वप्रथम उपयोग किया जायेगा। भ्रमण मान्य होगा परन्तु मूल्यांकन एवं अनुश्रवण वाहन से भ्रमण करने पर यात्रा व्यय का भुगतान देय नहीं होगा।
   - जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में उपलब्ध मूल्यांकन एवं अनुश्रवण वाहन की अनुपलब्धता अथवा आवश्यक होने पर अपने निजी वाहन/व्यय से भ्रमण किया जायेगा जिसका प्रति भ्रमण रू0 750/– देय होगा।
   - जिला मुख्यालय से 05 किलोमीटर की परिधि में किये भ्रमण का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। जिला मुख्यालय से 05 किलोमीटर की परिधि में भ्रमण के लिये जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के ही वाहन का उपयोग किया जायेगा।
   - नोडल अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा प्रयास किया जाये कि जिला स्तरीय अधिकारियों की सयुक्त रूप से भ्रमण कार्ययोजना बनवायी जायें तथा मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के वाहन से दो या दो से अधिक जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण किया।
   - भ्रमण के उपरान्त प्रतिमाह यात्रा व्यय के भुगतान हेतु भ्रमण रिपोर्ट के साथ जनपद स्तर यात्रा व्यय हेतु उपलब्ध वाउचर प्रेषित किया जाये तथा यात्रा व्यय का नोडल अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 से सत्यापन उपरान्त समय भुगतान सुनिश्चित किया जायें।
   - **उक्त मद का बजट पृथक से आवंटित किया जायेगा तथा गतिविधि लगातार चलती रहेगी।**
6. मण्डल, राज्य स्तर एवं राज्य के बाहर कार्य हेतु यात्रा करने पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के मानकों के समतुल्य यात्रा भत्ता डी.ए. तथा बोर्डिग लॉजिंग का भुगतान मानकानुसार एवं नियमानुसार जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के ऑपरेशन मद से किया जायेगा।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0 एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक से समन्वय करते हुये माह में कम से कम 8 सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किये जायेंगे।
8. प्रतिमाह अग्रिम मासिक भ्रमण कार्यक्रम बनायेंगे। भ्रमण योजना की एक प्रति राज्य स्तर पर भी साझा करेंगे क्षेत्र भ्रमण/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिये जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक अथवा

मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन हेतु जनपदों में उपलब्ध वाहनों का अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये उपयोग किया जाना है।

<u>आफिस की अन्य व्यवस्था हेतु–FMR Code-HSS.11.193.PME.11</u>

9. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के आफिस आपरेशन मद में वनटाइम (12 माह के लिये स्टेशनरी, कार्टेज, कन्टीजेन्सी, इन्टरनेट आदि) धनराशि रू0 10,000/– प्रति जनपद भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2023–24 में एफ0एम0आर0 कोड HSS.11.193.PME.11 में स्वीकृत की गयी है।
10. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के कार्यालय का संचालन हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के कार्यालय में स्थान सुनिश्चित किया जायेगा।
11. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता की उपस्थिति जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई मे कार्यरत अन्य संविदाकर्मियों की भांति जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के रजिस्टर में अंकित/हस्ताक्षरित की जायेगी।
12. रिपोर्ट तैयार करने एवं अन्य कार्यो हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के कार्यालय का कम्प्यूटर/लैपटाप, प्रिन्टर एवं नेट का उपयोग किया जायेगा।
13. **उक्त मद का बजट पृथक से आवंटित किया जायेगा तथा गतिविधि लगातार चलती रहेगी।**

<u>जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के दायित्व–</u>

1. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0 के निर्देशों के अनुसरण में कार्य करेंगे
2. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम की वार्षिक कार्ययोजना तैयार किया जाना एवं कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु रणनीति एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना/कराना।
3. सभी कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना।
4. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रिक्त पदों हेतु जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली वॉक–इन–इन्टरव्यू की समस्त प्रक्रिया (दिशा–निर्देशों के अनुसार विज्ञापन, इन्टरव्यू की प्रक्रिया को सम्पन्न कराते हुये नियमानुसार अनुमोदन हेतु समसय सूचना का प्रेषण इत्यादि) को सम्पादित कराना।
5. जनपद की समस्त चिकित्सा इकाईयों का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित करना।
6. जनपद स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों (जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मातृ मृत्यु समीक्षा, प्रथम सन्दर्भन इकाई, मिडवाइफरी कार्यक्रम, जी0डी0एम0, नर्स मेण्टर कार्यक्रम, पी0एम0एस0एम0ए0, एम0सी0एच0 विंग, प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम तथा राज्य एवं जनपद स्तर से समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना/कराना।
7. जिला क्वालिटी कन्सलटेन्ट द्वारा प्रसव कक्ष की क्वालिटी इम्प्रूमेन्ट हेतु किये गये लक्ष्य असिसमेन्ट में पायी कमियों चिकित्सा अधीक्षिक/प्रभारी चिकित्साधिकारी के सहयोग से पूर्ण कराना।
8. नर्स मेन्टर कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा नर्स मेन्टर द्वारा किये जा रहे कार्यो का समय–समय पर मूल्यांकन कर सहयोग प्रदान करना।
9. एम0डी0एस0आर0 के दिशा–निर्देशों के अनुरूप मातृ मृत्यु हेतु गठित समितियों की समन्वय स्थापित कर नियमानुसार बैठकें आयोजित करना/कराना तथा बैठकों में दिये गये निर्देशों का पालन करना/कराना।
10. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा एवं नियमित मानव संसाधन का डाटाबेस बनाना एवं नियमित अपडेट करना तथा राज्य स्तर से मांगे जाने पर ससमय प्रेषित करना।
11. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा एवं नियमित मानव संसाधन की सूचना प्रतिमाह **<u>प्रपत्र</u>** पर प्रेषित किया जाना।
12. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत संविदाकर्मियों की उपस्थिति का समय–समय पर सत्यापन करना।
13. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदाकर्मियों का ससमय मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराना।
14. राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तर पर आयोजित होने वाली समस्त बैठकों में आवश्यक अभिलेखों/सूचनाओं के साथ ससमय प्रतिभाग करना।

15. राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों को समस्त सम्बन्धित को उपलब्ध कराना।
16. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम की समस्त रिपोर्टिंग, एच.एम.आई.एस./आर.सी.एच./एम.सी.टी.एस./यू.पी.एच.एम.आई.एस/पी0एम0एस0एम0ए0 एवं अन्य सभी पोर्टल पर ससमय डाटा अपलोड कराना एवं मुख्यचिकित्साधिकारी, कार्यक्रम नोडल अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के अवलोकनापरान्त राज्य स्तर पर सूचनाओं का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करना/कराना।
17. पोर्टल पर उपलब्ध ऑकड़ों के आधार पर जनपद स्तरीय बैठकों में प्रस्तुतीकरण करना/कराना।
18. गुणवत्तापरक सेवाओं के लिये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण।
19. इकाईवार समीक्षा बैठकों का आयोजन, तैयारी, प्रस्तुतीकरण, दस्तावेजों का रखरखाव।
20. राज्य एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
21. राज्य एवं जिला स्तर से जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना एवं कराना।
22. समय–समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा दिये निर्देशों/दायित्वों का निर्वान्हन।
23. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त गतिविधियों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना एवं पर्यवेक्षण के दौरान मातृ स्वास्थ्य एवं अन्य से संबंधित पायी गयी कमियों को ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से साझा कर समस्या का निदान कराने में सहयोग करेंगे। नियमित रुप से इसकी जानकारी जनपदीय नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी देगें।
24. प्रत्येक माह की भ्रमण आख्या के प्रमुख बिन्दु तथा उन पर की गयी कार्यवाही को संकलित कर जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले त्रैमासिक बैठक में चर्चा की जायेगी एवं उसकी एक प्रति राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी।
25. जनपद स्तर पर होने वाली मासिक बैठकों एवं जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में मातृ स्वास्थ्य की प्रगति एजेण्डा बिन्दु के रूप में सम्मिलित करवाना।
26. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर आयोजित होने वाले समस्त प्रकार के प्रशिक्षण में शत्प्रतिशत प्रतिभाग कर सहयोग प्रदान करना। प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण की रिपोर्ट जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर साझा करना।
27. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर क्रियान्वित समस्त कार्यक्रम की बिन्दुवार प्रतिमाह समीक्षा करना तथा आख्या राज्य स्तर पर प्रेषित करना।

<u>संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता मानदेय, मानदेय वृद्वि एवं लॉयल्टी के भुगतान हेतु निर्देश–</u>

1. जनपद में कार्यरत संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के 12 माह के मानदेय, 05 प्रतिशत मानदेय वृद्वि एवं लॉयल्टी बोनस हेतु समस्त जिला स्वास्थ्य समिति को धनराशि आवंटित की गयी है।
2. रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदों को वर्तमान में कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है।
3. ऐसे कर्मी जिनका 01 वर्ष का कार्यकाल वर्ष 2023–24 के मध्य में पूर्ण हो रहा है उन्हें 01 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम मे 05 प्रतिशत की प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि कर्मी के योगदान माह की प्रथम (पहली) तिथि से प्रदान की जायेगी।
4. ऐसे कर्मी जो 01 अप्रैल 2023 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर चुके है, उन्हें 01 अप्रैल 2023 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम में 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।
5. वित्तीय वर्ष 2023–24 में कर्मियों को संतोषजनक परफॉरमेन्स एप्रेजल (समुचित अधिकारी द्वारा) के आधार पर 05 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिये जिला स्वास्थ्य समिति हेतु अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया गया है। समस्त कर्मियों एप्रेजल का संकलन जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में किया जायेगा, जिससे भ्रमण के दौरान मांगने पर उपलब्ध कराये जा सके।
6. ऐसे संविदाकर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय में 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का 03 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
7. ऐसे संविदाकर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय मे 05 प्रतिशत (उनको 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका हैं एवं शेष 05 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस देय है) लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का

05 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।

8. ऐसी महिला संविदाकर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस की पात्र होंगी।
9. ऐसे पुरुष संविदाकर्मी जो पितृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस के पात्र होंगे
10. जिन संविदाकर्मियों को लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्रता अवधि में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे
11. जिन संविदाकर्मियों द्वारा 03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह का अवकाश लिया गया है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे

5 35 नग 100 शैययायुक्त एम0सी0एच0 विंग में कार्यरत संविदा स्टाफ के मानदेय

1. **संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ–** जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग के लिए संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा आउटडोर (ओ0पी0डी), ए0एन0सी0 क्लीनिक, हाई रिस्क एवं सीवियर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का प्रबन्धन, सामान्य एवं जटिल प्रसवों का उपचार, सिजेरियन प्रसव (Elective/Emergency), प्रसव कक्ष/शल्य कक्ष की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण, भर्ती मरीजों की देखभाल, केसशीट में सभी बिन्दुओं को पूर्णरूप से भरकर केसशीट की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
2. **निश्चेतक विशेषज्ञ–**संविदा निश्चेतक का उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रीऑपरेटिव एनेस्थिटिक चैकप करते हुये इलेक्टिव एवं इमरजेन्सी सीजेरियन प्रसव में 24x7 के रूप में सहयोग प्रदान करेंगे
3. **संविदा बालरोग विशेषज्ञ** द्वारा न्यूबोर्न केयर कार्नर की क्रियाशीलता, एस0एन0सी0यू0 में मानकानुसार सेवायें, चिकित्सालय में जन्मे सभी शिशुओं की 01 घंटे के भीतर वजन एवं Inj. VitK लगवाने का प्रबन्ध, सभी जन्मे शिशुओं को 01 घंटे के भीतर स्तनपान करवाने हेतु स्टाफ को प्रशिक्षण, जटिल प्रसव एवं सिजेरियन प्रसव के समय उपस्थित रहते हुये सेवायें प्रदान करना, समय समय पर समस्त लेबर रूम स्टाफ की क्षमतावृद्धि हेतु Essential Newborn care/NSK के सम्बन्ध में ओरिएंटेशन करना एवं प्रतिदिन ओ0पी0डी0 सेवायें सुनिश्चित किया जाना है।
4. **संविदा चिकित्साधिकारी–पैथोलॉजिस्टः–**नियमित सेवा से तैनात पैथोलॉजिस्ट की भाँति पैथॉलॉजी से सम्बन्धित सभी कार्यो का सम्पादन किया जायेगा तथा पैथॉलॉजी की सेवायें 24x7 के रूप से प्रदान की जायेगी।
5. **संविदा चिकित्साधिकारी–रेडियोलाजिस्ट–** समस्त प्रकार के एक्स–रे की सेवायें प्रदान करना, अल्ट्रासाउण्ड एवं डॉपर, कलर डॉपर, एम0आर0आई0, एवं सी0टी स्केन आदि सभी सेवायें प्रदान करना तथा सभी सेवायें 24x7 के रूप से प्रदान की जायेगी।
6. **संविदा नर्सिंग सिस्टर–**प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक द्वारा एम0सी0एच0 विंग मे कार्यरत नियमित नर्सिंग सिस्टर को इकाई के विभिन्न पटलों (प्रसव कक्ष, एस0एन0सी0यू0, ओ0टी0 अथवा आवश्यकता एवं मानकानुसार) में तैनाती एवं समय–समय रूटीन बेस पर पटलों में परिवर्तन किया जायेगा, कार्यरत संविदा नर्सिंग सिस्टर को मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन कार्य करना होगा, कार्यरत नियोटोलॉजी प्रशिक्षित संविदा स्टाफ नर्स की ऑन–जॉब ट्रेनिग, प्रसव कक्ष का सुद्द्वणीकरण, वार्ड के क्वालिटी पूर्ण संचालन में पूर्ण दायित्व होगा तथा वार्ड, प्रसव कक्ष एवं ओ0टी0 में कार्यरत समस्त स्टाफ के बीच क्वार्डीनेशन एवं कम्युनिकेशन करना एवं सभी सेवायें 24x7 प्रदान की जायेगी।
7. **संविदा नियोटोलॉजी प्रशिक्षित स्टाफ नर्स–** प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक द्वारा एम0सी0एच0 विंग में कार्यरत नियोटोलॉजी प्रशिक्षित संविदा स्टाफ नर्स को इकाई के विभिन्न पटलों (प्रसव कक्ष, एस0एन0सी0यू0, ओ0टी0) में तैनाती की जायेगी, एवं समय–समय रूटीन बेस पर पटलों में परिवर्तन (Rotational posting) किया जायेगा, कार्यरत नियोटोलॉजी प्रशिक्षित संविदा स्टाफ नर्स को नर्सिंग सिस्टर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन कार्य करना होगा तथा सभी सेवायें 24x7 प्रदान की जायेगी।

8. **संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन–**
   - ओ0टी0 की समुचित व्यवस्था का दायित्व जैसे शल्य चिकित्सा से पहले ओ0टी0 तैयार करना, ओ0टी की साफ–सफाई सुनिश्चित करना, स्ट्रेलाईजेशन, उपकरणों एवं ड्रेसिंग आदि को ऑटोक्लेव करना।

- ओ0टी0 में प्रयोग होने वाले समस्त उपकरणों की प्रतिदिन परीक्षण कर, क्रियाशीलता सुनिश्चित करना।
- गर्भवती महिला का सिजेरियन प्रसव के दौरान स्त्री एवं प्रसूतिरोग/सर्जन एवं निश्चेतक विशेषज्ञ चिकित्सक को पूर्ण सहयोग प्रदान करना।
- क्रेश कार्ड में रखी समस्त दवाओं की एक्सपायरी चेक करना एवं ओ0टी0 में प्रयोग होने वाले गैस सिलेण्डर की नियमित जॉच तथा स्टाक रजिस्ट्रर अपडेट करना।
- ड्रग एवं कन्जूमेबिलस की उपलब्धता सुनिश्चित कर स्टाक रजिस्ट्रर अपडेट करना।
- इलेक्टिव सिजेरियन प्रसव हेतु पूर्व से ओ0टी0 बुक करना।
- ओ0टी0 रजिस्टर में प्रत्येक सिजेरियन प्रसव की विस्तृत विवरण अंकित करना।
- डिपार्टमेन्टल आडिट एवं रिसर्च में प्रतिभाग करना।
- संक्रमण रोकथाम हेतु ओ0टी0 काम्पलेक्स में जोन (Protective, Clean, Sterile, Disposal) का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना।

9. **लैब टेक्नीशियन**– लैब से सम्बन्धित समस्त (ब्लड सेम्पल लेना, जॉच करना, रिपोर्ट तैयार करना आदि) सेवायें प्रदान की जायेगी एवं लैब के समस्त उपकरणों का रखरखाव सुनिश्चित करेंगे इनका डयूटी रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाये कि एम0सी0एच0 विंग में 24X7 पैथोलॉजी सेवायें सुनिश्चित की जा सके।

100 शैययाययुक्त 35 एम0सी0एम0 विंग में कार्यरत संविदा स्टाफ के मानदेय, मानदेय वृद्धि एवं लॉयल्टी के भुगतान हेतु निर्देश–

1. जनपद में 100 शैययाययुक्त 35 एम0सी0एम0 विंग में कार्यरत संविदा स्टाफ के 12 माह के मानदेय, 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस हेतु समस्त जिला स्वास्थ्य समिति को धनराशि आवंटित की गयी है।
2. रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदों को वर्तमान में कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है।
3. ऐसे कर्मी जिनका 01 वर्ष का कार्यकाल वर्ष 2023–24 के मध्य में पूर्ण हो रहा है उन्हें 01 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम मे 05 प्रतिशत की प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि कर्मी के योगदान माह की प्रथम (पहली) तिथि से प्रदान की जायेगी।
4. ऐसे कर्मी जो 01 अप्रैल 2023 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें 01 अप्रैल 2023 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम में 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।
5. वित्तीय वर्ष 2023–24 में कर्मियों को संतोषजनक परफॉरमेन्स एप्रेजल (समुचित अधिकारी द्वारा) के आधार पर 05 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिये जिला स्वास्थ्य समिति हेतु अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया गया है। समस्त कर्मियों एप्रेजल का संकलन जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में किया जायेगा, जिससे भ्रमण के दौरान मॉगने पर उपलब्ध कराये जा सके।
6. ऐसे संविदाकर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय में 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का 03 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
7. ऐसे संविदाकर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय मे 05 प्रतिशत (उनको 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका हैं एवं शेष 05 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस देय है) लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का 05 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
8. ऐसी महिला संविदाकर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस की पात्र होंगी।
9. ऐसे पुरुष संविदाकर्मी जो पितृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस के पात्र होंगे
10. जिन संविदाकर्मियों को लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्रता अवधि में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे

11. जिन संविदाकर्मियों द्वारा 03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह का अवकाश लिया गया है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे

महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश–

1. सभी एम0सी0एच0 विंग, जिला महिला चिकित्सालय की तरह 24X7 के रूप में कार्य करेंगे
2. जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय की प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग की नोडल होगी।
3. एम0सी0एच0 विंग में तैनात समस्त विशेषज्ञ एवं अन्य पैरामेडिकल प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय के अधीनस्थ कार्य सम्पादित करेंगे
4. किसी भी माह में शून्य अथवा औसतन 10 सीजेरियन सेक्शन प्रति माह से कम उपलब्धि वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों (स्त्रीरोग एवं निश्चेतक) को चेतावनी निर्गत कर प्रशासनिक सहयोग से उपलब्धि बढ़ाने का प्रयास करें। **प्रायः देखा जा रहा है कि जनपद स्तर पर संविदा विशेषज्ञों द्वारा कम उपलब्धि होने पर उनका मानदेय रोक दिया जाता जो कि उचित नहीं है। वरन् लगातार तीन माह तक अधोप्रगति होने पर अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर राज्य स्तर पर इसकी सूचना प्रेषित की जानी है।** संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों से मेडिको लीगल/पोस्टमार्टम कार्य नहीं कराया जाना है।
5. पोस्ट ऑपरेटिव केयर हेतु एम0सी0एच0 विंग में तैनात सभी चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों (नियमित अथवा संविदा) की सामूहिक जिम्मेदारी होगी एवं वे ड्यूटी रोस्टर के आधार पर इसे सम्पादित करेंगे इस हेतु प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी एवं नोडल, एम0सी0एच0 विंग, यथासम्भव सहयोग देते हुए आवश्यक संसाधन की उपलब्धता एवं समन्वय सुनिश्चित करायेंगे।
6. उपरोक्त सभी मानव संसाधन का चयन मात्र नवनिर्मित 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग को क्रियाशील करने हेतु की गयी है।
7. समस्त विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा नियमित प्रतिदिन एम0सी0एच0 विंग में ओ0पी0डी0 की जायेगी।
8. सभी जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता प्रत्येक माह एम0सी0एच0विंग की प्रगति रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 के सहयोग से तैयार कर मण्डलीय कार्यालय को तथा gmmhup2019@gmail.com पर ससमय प्रेषित करें।
9. वर्तमान में जनपदों द्वारा संविदा विशेषज्ञ की वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से जनपदों द्वारा एवं पैरामेडीकल स्टाफ की नियुक्ति राज्य स्तर से की जा रही है। सभी का अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित मानव संसाधन पालिसी के नियमों का पालन करते हेतु नियमानुसार किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2024 तक के लिये ही किये जायेंगे। समस्त तैनाती मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा की जायेगी।
10. सभी संविदा स्टाफ द्वारा अपनी सेवायें 24x7 के रूप प्रदान की जायेगी। सभी संविदा स्टाफ को मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन/निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा।
11. समस्त चिकित्सकों द्वारा नियमित प्रतिदिन एम0सी0एच0 विंग में ओ0पी0डी0 की जायेगी।
12. क्रियाशील 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग में कार्यरत संविदा स्टाफ को अन्य किसी चिकित्सा इकाई में किसी भी परिस्थिति में स्थानान्तिरित अथवा सम्बद्व नहीं किया जायेगा।
13. सभी संविदा स्टाफ द्वारा अपनी सेवायें 24x7 के रूप प्रदान की जायेगी।
14. समस्त अभिलेखों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर संकलित किया जाये।
15. अपने जनपद में सभी स्वीकृत संविदा पदों पर कर्मियों की औचित्यपूर्ण तैनाती का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला स्वास्थ्य समिति एवं मुख्य चिकित्साधिकारी का ही है।
16. जनपदों द्वारा यह धनराशि 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग में कार्यरत मानव संसाधन की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। सभी संविदाकर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दे होगा तथा वित्त अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान किया जायेगा।
17. भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 में 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग में पूर्व वर्ष से कार्यरत मानव संसाधन के लिये 05 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि, धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसका भुगतान मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के नियमानुसार किया जायेगा।
18. संविदाकर्मी अपने विनियमितिकरण एवं स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे।

19. संविदाकर्मी कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे
20. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पूर्व में समय–समय पर जो भी मानव संसाधन हेतु अवकाश स्वीकृत किये गये हैं उसी के अनुरुप अवकाश देय होंगे
21. संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेंगी।
22. उक्त के साथ–साथ 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग में कार्यरत मानव संसाधन हेतु समस्त नियम मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देश भी अनुमन्य होंगे
23. ***राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक–648/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एच0आर0/2022–23/8663 दिनांक 15.02.2023 के माध्यम से प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्तमान में जनपद स्तर पर आयोजित किये जाने वाले वॉक–इन इन्टरव्यु प्रक्रिया स्थगित है तथा राज्य स्तर से ऑन–लाइन बिडिंग के माध्यम से संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन प्रक्रियाधीन है, जिसके दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेगें।***

6 संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सकों के मानदेयः–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2023–24 आर0ओ0पी0 के एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.S0282 में भारत सरकार द्वारा एफ0आर0यू0 पर स्वीकृत 250 संविदा महिला चिकित्साधिकारियों के पदों हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है राज्य स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 में एफ0आर0यू0 की केटेगरी ए, बी, सी के अनुसार संविदा चिकित्साधिकारियों का मानदेय का भुगतान निम्नवत किया जाना है–

क्र0सं0	एफ0आर0यू0 केटेगरी	कुल देय मानदेय प्रतिमाह (रू0)
1	ए केटेगरी	60000/–
2	बी केटेगरी	65000/–
3	सी केटेगरी	70000/–

नोट–जनपदों को आवंटित धनराशि में मानदेय के साथ 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि भी सम्मिलित है।

- **वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूर्व से कार्यरत संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों को उक्त दर से ही नियमानुसार भुगतान किया जाना है।**
- **संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की तैनाती जनपद के प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर ही की जायेगी। एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की तैनाती में वरीयता रिक्त क्रियाशील प्रथम सन्दर्भन इकाइयों को ही दी जायेगी।** यदि किसी जनपद में संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की तैनाती नॉन एफ0आर0यू0 इकाइयों पर है तो उन्हें तत्काल जनपद की एफ0आर0यू0 इकाई पर स्थानान्तरित कर दें।
- ऐसे एफ0आर0यू0 चिकित्सालय, जहाँ औसतन 200 प्रसव प्रति माह से अधिक भार हो वहाँ संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती को प्राथमिकता दी जाये। जिला महिला चिकित्सालयों पर 24 घण्टे नियमित सेवा के EMO की भांति संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी को भी रोस्टर बनाकर EMO की भांति पोस्ट किया जाये।

कार्य एवं उत्तरदायित्व–

1. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत महिला चिकित्सक द्वारा गुणवत्तापरक प्रसव सेवायें प्रदान करना।
2. चिकित्सालय में आउटडोर/ए0एन0सी0/एच0आर0पी0 क्लीनिक का संचालन।
3. पी0एन0सी0 वार्ड का नियमित भ्रमण करना।
4. हाई रिस्क एवं गम्भीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की लाइन लिस्टिंग व उपचार।
5. जटिल प्रसवों का उपचार।
6. स्टाफ नर्सों के प्रसव कार्यों की समीक्षा।
7. एस0बी0ए0 मानकों पर प्रसव–कक्ष का पर्यवेक्षण, भर्ती मरीजों की देखभाल।
8. परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करना।
9. ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' में सहयोग देना इनका दायित्व होगा।
10. ऑन कॉल विशेषज्ञ द्वारा किये गये सीजेरियन ऑपरेशन के पश्चात पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल एवं समय से महिला एवं नवजात शिशु की समस्त स्थिति केसशीट मे भरना।
11. केसशीट एवं अन्य रजिस्टरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

प्रथम सन्दर्भन इकाइयों के संचालन हेतु वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से कार्यरत संविदा एम0बी0बी0एस0महिला चिकित्सकों के मानदेय, मानदेय वृद्धि एवं लॉयल्टी के भुगतान हेतु निर्देश–

1. जनपद में प्रथम सन्दर्भन इकाइयों के संचालन हेतु वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से कार्यरत संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सकों के 12 माह के मानदेय, 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस हेतु समस्त जिला स्वास्थ्य समिति को धनराशि आवंटित की गयी है।
2. रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदों को वर्तमान में कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है।
3. ऐसे कर्मी जिनका 01 वर्ष का कार्यकाल वर्ष 2023–24 के मध्य में पूर्ण हो रहा है उन्हें 01 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम मे 05 प्रतिशत की प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि कर्मी के योगदान माह की प्रथम (पहली) तिथि से प्रदान की जायेगी।
4. ऐसे कर्मी जो 01 अप्रैल 2023 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर चुके है, उन्हें 01 अप्रैल 2023 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम में 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।
5. वित्तीय वर्ष 2023–24 में कर्मियों को संतोषजनक परफॉरमेन्स एप्रेजल (समुचित अधिकारी द्वारा) के आधार पर 05 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिये जिला स्वास्थ्य समिति हेतु अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया गया है। समस्त कर्मियों एप्रेजल का संकलन जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में किया जायेगा, जिससे भ्रमण के दौरान मांगने पर उपलब्ध कराये जा सके।
6. ऐसे संविदाकर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय में 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का 03 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
7. ऐसे संविदाकर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय मे 05 प्रतिशत (उनको 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका हैं एवं शेष 05 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस देय है) लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का 05 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
8. ऐसी महिला संविदाकर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस की पात्र होंगी।
9. ऐसे पुरुष संविदाकर्मी जो पितृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस के पात्र होंगे
10. जिन संविदाकर्मियों को लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्रता अवधि में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे
11. जिन संविदाकर्मियों द्वारा 03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह का अवकाश लिया गया है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे

सामान्य निर्देश–

1 वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों के कुल स्वीकृत 250 पदों में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किये गये सभी पद समाहित हैं।

2 वर्तमान में संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति राज्य व जनपद स्तर से वॉक–इन–इन्टरव्यू के द्वारा की जा रही है तथा अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित मानव संसाधन पालिसी के नियमों का पालन करते हेतु नियमानुसार किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2024 तक के लिये ही किये जायेंगे। इस अवधि में भी जिला स्वास्थ्य समिति जनपदों में एफ0आर0यू0 पर रिक्तियों की स्थिति परिवर्तित होने की स्थिति में इनका स्थानान्तरण आवश्यकतानुसार अन्य एफ0आर0यू0 पर करने के लिये सक्षम होगी। किसी भी स्थिति में किसी भी संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों को उसके तैनाती स्थल से अन्यंत्र इकाई पर अटैच (सम्बद्व) नहीं किया जायेगा।

3 जनपदों द्वारा यह धनराशि कार्यरत संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। सभी संविदाकर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि एवं **एफ0आर0यू0 केटगरी के अनुसार** पर ही दे होगा तथा वित्त

अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान किया जायेगा।

4 पूर्व से कार्यरत/नवचयनित संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों के सभी दस्तावेजों के रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।

5 एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सकों को उपयफ्रक्त क्षेत्रों में कुशलता वृद्धि प्रशिक्षण के लिए नामित भी किया जाना आवश्यक है।

6 कार्यरत संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को प्रत्येक त्रैमास अवश्य ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7 संविदा स्टाफ नर्स के मानदेय

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2023–24 हेतु मातृ स्वास्थ्य से सम्बन्धित संविदा स्टाफ नर्स के लिये दिशा–निर्देश निम्नवत है–

संविदा स्टाफनर्स के कार्य एवं उत्तरदायित्व –

1. संविदा स्टाफ नर्सों के पदों को आवश्यकतानुसार चिन्हित L-2 व L-3 प्रसव इकाईयों पर चौबीस घंटे प्रसव सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2. संविदा स्टाफ नर्सों की तैनाती किसी भी स्थिति में L-2 व L-3 प्रसव इकाईयों के बाहर अथवा ऐसी चिकित्सा इकाई जहां पर प्रसव सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसी अक्रियाशील प्रसव इकाई पर नहीं की जानी है। सभी इकाइयों के प्रसव भार तथा उपलब्ध नियमित स्टाफ नर्सों की स्थिति के आधार पर ही औचित्यपूर्ण आवंटन का प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रसव इकाईवार तैनाती दी जानी है।
3. नवनियुक्त संविदा स्टाफनर्स में सर्वप्रथम प्रत्येक HWC प्रसव इकाईयों (पी0एच0सी0) पर 03 संविदा स्टाफनर्स की तैनाती अनिवार्य रूप से की जानी है।
4. संविदा स्टाफ नर्स नियमित स्टाफ नर्स की भांति ही सभी कार्य सम्पादित करेंगी। उनका उत्तरदायित्व जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसव सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। चिकित्सालय में Maternal and Newborn Health Tool Kit (एम0एन0एच0 टूल किट) में दिये गये मानकों के अनुसार लेबर रूम, ओ0टी0, ए0एन0सी0 व पी0एन0सी0 वार्ड में कार्य किया जायेगा तथा समय–समय पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी/समतुल्य अधिकारी द्वारा आवंटित किये गये अन्य कार्य इनके उत्तर दायित्व होंगे
5. प्रसव कक्ष में मानकानुसार लॉजस्टिक, ड्रग्स एवं कन्ज्यूमेबिल्स का रख–रखाव।
6. मुख्यचिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा इन स्टाफ नर्सों को समय–समय पर अपने स्तर से प्रसव, ओ0टी0 एवं अन्य कार्यो में अभिमुखीकरण कराना एवं राज्य स्तर द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित किया जाये।

कार्यरत संविदा स्टाफनर्स का मानदेय, मानदेय वृद्वि एवं लॉयल्टी के भुगतान हेतु निर्देश–

1. जनपद में कार्यरत संविदा स्टाफनर्स के मानदेय, 05 प्रतिशत मानदेय वृद्वि, एवं लॉयल्टी बोनस हेतु एफ0एम0आर0 कोड–HSS.9.184.C.S0015 में समस्त जिला स्वास्थ्य समिति को धनराशि आवंटित की गयी है।
2. रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदों को वर्तमान में कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है।
3. ऐसे कर्मी जिनका 01 वर्ष का कार्यकाल वर्ष 2023–24 के मध्य में पूर्ण हो रहा है उन्हें 01 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम मे 05 प्रतिशत की प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि कर्मी के योगदान माह की प्रथम (पहली) तिथि से प्रदान की जायेगी।
4. ऐसे कर्मी जो 01 अप्रैल 2023 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर चुके है, उन्हें 01 अप्रैल 2023 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम में 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।
5. वित्तीय वर्ष 2023–24 में कर्मियों को संतोषजनक परफॉरमेन्स एप्रेजल (समुचित अधिकारी द्वारा) के आधार पर 05 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिये जिला स्वास्थ्य समिति हेतु अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया गया है। समस्त कर्मियों एप्रेजल का संकलन जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में किया जायेगा, जिससे भ्रमण के दौरान मांगने पर उपलब्ध कराये जा सके।
6. ऐसे संविदाकर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय में 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस

प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का 03 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।

7. ऐसे संविदाकर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय मे 05 प्रतिशत (उनको 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका है एवं शेष 05 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस देय है) लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का 05 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
8. ऐसी महिला संविदाकर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस की पात्र होंगी।
9. ऐसे पुरुष संविदाकर्मी जो पितृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस के पात्र होंगे
10. जिन संविदाकर्मियों को लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्रता अवधि में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे।
11. जिन संविदाकर्मियों द्वारा 03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह का अवकाश लिया गया है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे

सामान्य निर्देश–

1 वित्तीय वर्ष 2023–24 मे भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में संविदा स्टाफ नर्स के कुल स्वीकृत 6231 (HWC प्रसव इकाईयों पर संविदा स्टाफनर्स सहित) पदों में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किये गये सभी पद समाहित हैं।

2 वर्तमान में संविदा स्टाफनर्स की नियुक्ति राज्य स्तर से की जा रही है तथा अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित मानव संसाधन पालिसी के नियमों का पालन करते हेतु नियमानुसार किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2024 तक के लिये ही किये जायेंगे। इस अवधि में भी जिला स्वास्थ्य समिति जनपद में प्रसव इकाइयों एवं रिक्तियों की स्थिति परिवर्तित होने की दशा में इनका स्थानान्तरण आवश्यकतानुसार प्रसव इकाइयों पर करने के लिये सक्षम होगी। किसी भी परिस्थिति में किसी भी संविदा स्टाफनर्स को उसके तैनाती स्थल से अन्यंत्र इकाई पर अटैच (सम्बद्व) नहीं किया जायेगा।

3 चयनित किये गये कर्मी का उच्च अधिकारी/निरीक्षण कर्ता द्वारा स्किल परीक्षण किया जाता है, और यदि वह अपने कार्य में निपुण नहीं पाया जाता है, उस स्थिति में उसे दक्ष कराने हेतु प्रशिक्षण में नामित किया जाए, इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का होगा।

4 जनपदों द्वारा यह धनराशि कार्यरत संविदा स्टाफ नर्स की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दे होगा तथा वित्त अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान किया जायेगा।

5 भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 वर्ष 2023–24 में संविदा स्टाफ नर्स के लिये 05 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि, एवं नियमानुसार लॉयल्टी बोनस की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसका भुगतान मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के नियमानुसार किया जायेगा।

6 पूर्व से कार्यरत/नवचयनित संविदा स्टाफ नर्स के सभी दस्तावेजों के रख–रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।

7 कार्यरत संविदा स्टाफ नर्स के सम्बन्ध में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को प्रत्येक त्रैमास अवश्य ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8 मेडिकल कालेज में स्थापित ऑब्सटेट्रिक एच0डी0यू0/आई0सी0यू0 में कार्यरत संविदा स्टाफ के मानदेयः–

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022–24 की राज्य कार्ययोजना में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेज–जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, (अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सटी), अलीगढ़, मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज, महारानी लक्ष्मीबाई, मेडिकल कॉलेज, झांसी, बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज, कानपुर नगर एवं राजकीय इन्सटीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, नोयडा (जी0बी0नगर) में ऑब्सटेट्रिक हाइब्रिड एच0डी0यू0/

आई0सी0यू0 (6 Bedded HDU+2 bedded ICU), के0जी0एम0यू0, लखनऊ में ऑब्सटेट्रिक हाइब्रिड एच0डी0यू0 (6+2 Bedded HDU) एवं ऑब्सटेट्रिक आई0सी0यू0 (4 bedded ICU) स्थापित एवं क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 2023–24 के एफ0एम0आर0 कोड HSS.9 में कुल धनराशि रू0 926.78 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 द्वारा आवंटित की गयी धनराशि रू0 903.46 लाख वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु संविदा मानव संसाधन के मानदेय की स्वीकृति प्राप्त हुई है–

इसके अतिरिक्त 13 (8 Bedded Obs. HDU) जिला महिला चिकित्सालय–कानपुर नगर, वीरांग्ना अवंतीबाई एवं झलकारी बाई, लखनऊ, आगरा, अमेठी, बरेली, गोण्डा, महोबा, रायबरेली, सहारनपुर, सीतापुर सन्तकबीरनगर तथा आजमगढ, मुरादाबाद में 1–1 (6+2 Bedded Obs. Hybrid ICU) एवं जनपद बुलन्दशहर में 01 (4+1 bedded Hybrid ICU), इस प्रकार कुल 15 जनपदों के 16 जिला महिला चिकित्सालय में ऑब्सटेट्रिक एच0डी0यू0/आई0सी0यू0 की स्थापना एवं क्रियाशीलता हेतु भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 2023–24 के एफ0एम0आर0 कोड HSS.9 में कुल धनराशि रू0 1186.75 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 द्वारा आवंटित की गयी धनराशि रू0 1089.50 लाख वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु संविदा मानव संसाधन के मानदेय की धनराशि स्वीकृति प्राप्त हुई है। मानव संसाधन की तैनाती उपरान्त दिशा–निर्देश एवं बजट का आवंटन पृथक से किया जायेगा।

मेडिकल कालेज में स्थापित ऑब्सटेट्रिक हाइब्रिड एच0डी0यू0/आई0सी0यू0 का जनपदवार विवरण निम्नवत है–

Details of Obs. HDU, ICU Medical College 2023-24															
S. No.	Name of District	Name of DWH	HDU, ICU Type	Anaesthetics (Specialist)			Medical Officer			Staff Nurse			M&E Assistant		
1	Aligarh	JNMC, AMU	8 Bedded (6+2) Hybrid ICU-HDU	1	1	0	4	1	3	20	11	9	1	1	0
2	Prayagraj	MLNMC	8 Bedded (6+2) Hybrid ICU-HDU	1	0	1	4	1	3	20	0	20	1	1	0
3	Jhansi	MLBMC	8 Bedded (6+2) Hybrid ICU-HDU	1	0	1	4	0	4	20	0	20	1	0	1
4	Gorakhpur	BRD MC	8 Bedded (6+2) Hybrid ICU-HDU	1	0	1	4	0	4	20	0	20	1	0	1
5	Kanpur Nagar	GSVMC	8 Bedded (6+2) Hybrid ICU-HDU	1	0	1	4	0	4	20	0	20	1	0	1
6	Lucknow	KGMC	8 Bedded (6+2) Hybrid ICU-HDU and 4 Bedded ICU	1	0	1	8	0	8	28	25	3	1	1	0
7	GB Nagar	Gov.Ins.MC, Noida	8 bedded Hybrid ICU	1	0	1	4	0	4	20	0	20	1	0	1
Total				**7**	**1**	**6**	**32**	**2**	**30**	**148**	**36**	**112**	**7**	**3**	**4**

Obstetric ICUs/ HDUs (as per operational guidelines of ICUs and HDUs) for Medical College

जनपदवार फॉट–1

HDU, ICU Medical College DHAP HR Budget 2023-24									
S. No.	Name of District	Name of Medical College		Anaesthetics (Specialist)1@ Rs.1,20,000 PM for 12 month FMR HSS.9.184.C.S0469, Old FMR 8.1.10.1					
				Total Sanctioned	In Position from 2021	Vacant	Budget in Position@ Rs.1,26,000 PM for 12 month	05% Annual Increment in fill position	Total Budget
1	Aligarh	JNMC, AMU	Old	1	1	0	15,12,000	75,600	15,87,600
2	Prayagraj	MLNMC	Old	1	0	1	-	-	-
3	Jhansi	MLBMC	Old	1	0	1	-	-	-
4	Gorakhpur	BRD MC		1	0	1	-	-	-
5	Kanpur Nagar	GSVMC	New	1	0	1	-	-	-
6	Lucknow	KGMC	New	1	0	1	-	-	-
7	GB Nagar	Government Institute of Medical Sciences Noida	New	1	0	1	-	-	-
Budget allocated in position				**7**	**1**	6	15,12,000	75,600	15,87,600

जनपदवार फॉट–2

HDU, ICU Medical College DHAP HR Budget 2023-24												
S. No.	Name of District	Name of Medical College		Medical Officer 4@ Rs.60,000 PM Month FMR HSS.9.184.C.S0475 Old FMR-8.1.10.1								
				Total Sanctioned	In Position from 2021	In Position from 2022	Vacant	Budget of in position from 2021@Rs. 63,000 PM	Budget of in position 2022@Rs. 60,000 PM	05% Annual Increment in fill position 2021	05% Annual Increment in fill position 2022	Total Budget (Rs.)
1	Aligarh	JNMC, AMU	**Old**	4	0	1	3	-	7,20,000	-	36,000	7,56,000
2	Prayagraj	MLNMC	**Old**	4	1	0	3	7,56,000	-	37,800	-	7,93,800
3	Jhansi	MLBMC	**Old**	4	0	0	4	-	-	-	-	-
4	Gorakhpur	BRD MC		4	0	0	4	-	-	-	-	-
5	Kanpur Nagar	GSVMC	New	4	0	0	4	-	-	-	-	-
6	Lucknow	KGMC	New	8	0	0	8	-	-	-	-	-
7	GB Nagar	Government Institute of	New	4	0	0	4	-	-	-	-	-

		Medical Sciences, Noida										
Budget allocated in position				32	1	1	30	7,56,000	7,20,000	37,800	36,000	15,49,800

जनपदवार फॉट–3

HDU, ICU Medical College DHAP HR Budget 2023-24															
				Staff Nurse 20@ Rs.30,000 PM FMR HSS.9.184.C.S0482 Old FMR- 8.1.10.3											
S. No.	**Name of District**	**Name of Medical College**		**Total Sanctioned**	**In Position from 2020**	**In Position from 2021**	**In Position 2022**	**Vacant**	**Budget of in position from 2020@Rs. 34,729 PM**	**Budget of in position from 2021@Rs. 31,500 PM**	**05% Annual Increament in fill position 2020**	**Loylity Bonus@ 10%fill position 2020**	**05% Annual Increament in fill position 2021**	**Total Budget (Rs.)**
1	Aligarh	JNMC, AMU	**Old**	20	11	0	0	9	45,84,228	-	2,29,211	4,58,423	-	52,71,862
2	Prayagraj	MLNMC	**Old**	20	0	0	0	20	-	-	-	-	-	-
3	Jhansi	MLBMC	**Old**	20	0	0	0	20	-	-	-	-	-	-
4	Gorakhpur	BRD MC		20	0	0	0	20	-	-	-	-	-	-
5	Kanpur Ngr	GSVMC	New	20	0	0	0	20	-	-	-	-	-	-
6	Lucknow	KGMC	New	28	0	25	0	3	-	94,50,000	-	-	4,72,500	99,22,500
7	GB Nagar	Government Institute of Medical Sciences, Noida	New	20	0	0	0	20	-	-	-	-	-	-
Budget allocated in position				**148**	**11**	25	0	112	45,84,228	94,50,000	2,29,211	4,58,423	4,72,500	1,51,94,362

जनपदवार फॉट–4

HDU, ICU Medical College DHAP HR Budget 2023-24																	
				M&E Assistant 1@ Rs.16,600 PM FMR HSS.9.184.C.P131 Old FMR- 16.4.2.1.5													
S. No.	**Name of District**	**Name of Medical College**		**Total Sanctioned**	**In Position from 2020**	**In Position from 2021**	**In Position 2022**	**Vacant**	**Budget of in position from 2020@Rs.19,217 PM**	**Budget of in position from 2021@Rs. 17,430 PM**	**Budget of in position from 2022@Rs 16,600 PM**	**05% Annual Increament in fill position 2020**	**Loylity Bonus@ 10%**	**05% Annual Increament in fill position 2021**	**05% Annual Increament in fill position 2022**	**Total Budget**
1	Aligarh	JNMC, AMU	Old	1	1	0	0	0	2,30,604	-	-	11,530	23,060	-	-	2,65,194
2	Prayagraj	MLNMC	Old	1	0	0	1	0	-	-	1,99,200	-	-	-	9,960	2,09,160
3	Jhansi	MLBMC	Old	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gorakhpur	BRD MC		1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kanpur Ngr	GSVMC	New	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lucknow	KGMC	New	1	0	1	0	0	-	2,09,160	-	-	-	10,458	-	2,19,618
7	GB Nagar	Government Institute of Medical Sciences, Noida	New	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Budget allocated in position				7	1	1	1	4	**2,30,604**	**2,09,160**	**1,99,200**	**11,530**	**23,060**	**10,458**	**9,960**	**6,93,972**

एम0 एण्ड0 डी0 असिस्टेन्ट के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

1. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 एवं 2017 में Obstetric आई0सी0यू0/एच0डी0यू0 की स्थापना एवं क्रियाशीलता के संबंध में प्रेषित दिशा–निर्देश Operational Guideline के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें एवं भर्ती मरीजों से सम्बन्धित रिकार्ड कीपिंग की व्यवस्था पूर्णतः की जाये तथा समस्त अभिलेखों को चिकित्सा इकाई पर सुरक्षित रखने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाये। Obstetric आई0सी0यू0/एच0डी0यू0 प्रत्येक माह में भर्ती किये गये मरीजों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर राज्य स्तर को प्रेषित की जाये।
2. ऑब्सटेट्रिक हाइब्रिड एच0डी0यू0/आई0सी0यू0 भर्ती मरीजों की रिपोर्ट प्रत्येक भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किया जाना।

संविदा स्टाफनर्स के कार्य एवं उत्तरदायित्व –

1. स्टाफ नर्स द्वारा औषधियों एवं कन्ज्युमेबिल्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
2. गर्भवती महिलाओं को भर्ती के दौरान सम्मानपरक गुणवत्तापूर्ण मातृत्व सेवाएं उपलब्ध करायी जायें।
3. डयुटी के दौरान एच0डी0यू0/आई0सी0यू0 में भर्ती मरीजों की स्थिति के बारे में चिकित्सक को अवगत कराया जाये।
4. स्टाफ नर्स द्वारा भर्ती मरीजों को Intensive Monitoring सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

5. भर्ती मरीजों से सम्बन्धित रिकार्ड कीपिंग की व्यवस्था पूर्णता की जाये तथा समस्त अभिलेखों को चिकित्सा इकाई पर सुरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
6. समस्त संविदा स्टाफ एच0ओ0डी0 के निर्देशन में कार्य करेगा।

<u>आब्सट्रेटिक्स एच0डी0यू0/आई0सी0यू0 मेडिकल कालेज में कार्यरत संविदा स्टाफ का मानदेय, मानदेय वृद्धि</u>

<u>एवं लॉयल्टी के भुगतान हेतु निर्देश–</u>

1. जनपद में आब्सट्रेटिक्स एच0डी0यू0/आई0सी0यू0 मेडिकल कालेज में कार्यरत संविदा स्टाफ के मानदेय, 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि, एवं लॉयल्टी बोनस हेतु जिला स्वास्थ्य समिति को धनराशि आवंटित की गयी है।
2. रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदों को वर्तमान में कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है।
3. ऐसे कर्मी जिनका 01 वर्ष का कार्यकाल वर्ष 2023–24 के मध्य में पूर्ण हो रहा है उन्हें 01 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम मे 05 प्रतिशत की प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि कर्मी के योगदान माह की प्रथम (पहली) तिथि से प्रदान की जायेगी।
4. ऐसे कर्मी जो 01 अप्रैल 2023 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर चुके है, उन्हें 01 अप्रैल 2023 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम में 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।
5. वित्तीय वर्ष 2023–24 में कर्मियों को संतोषजनक परफॉरमेन्स एप्रेजल (समुचित अधिकारी द्वारा) के आधार पर 05 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिये जिला स्वास्थ्य समिति हेतु अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया गया है। समस्त कर्मियों एप्रेजल का संकलन जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में किया जायेगा, जिससे भ्रमण के दौरान मांगने पर उपलब्ध कराये जा सके।
6. ऐसे संविदाकर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय में 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का 03 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
7. ऐसे संविदाकर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय मे 05 प्रतिशत (उनको 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका हैं एवं शेष 05 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस देय है) लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का 05 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
8. ऐसी महिला संविदाकर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस की पात्र होंगी।
9. ऐसे पुरुष संविदाकर्मी जो पितृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस के पात्र होंगे
10. जिन संविदाकर्मियों को लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्रता अवधि में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे।
11. जिन संविदाकर्मियों द्वारा 03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह का अवकाश लिया गया है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे ।

सामान्य निर्देश–

1 वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु संविदा स्टाफ के पदों में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किये गये सभी पद समाहित हैं।

2 राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक–648/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एच0आर0/2022–23/8663 दिनांक 15.02.2023 के माध्यम से प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार वर्तमान में जनपद स्तर पर आयोजित किये जाने वाले वॉक–इन इन्टरव्यु प्रक्रिया स्थगित है तथा राज्य स्तर से ऑन–लाइन बिडिंग के माध्यम से संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन प्रक्रियाधीन है, जिसके दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेगें।

3 **पैरा मेडिकल संविदा स्टाफ (स्टाफनर्स एवं एम0 एण्ड ई0 असिस्टेन्ट) का चयन राज्य स्तर से किया जायेगा।**

4 अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित मानव संसाधन पालिसी के नियमों का पालन करते हेतु नियमानुसार किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2024 तक के लिये ही किये जायेंगे।

5 जनपदों द्वारा यह धनराशि कार्यरत संविदा स्टाफ की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि पर ही दे होगा तथा वित्त अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान किया जायेगा।

2.12 मिड्वाईफरी कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा मिड्वाईफरी इनिसेटिव कार्यक्रम के अर्न्तगत गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापरक चिकित्सीय एवं सम्मानपूर्ण देखभाल सुनिश्चित करने हेतु कालेज ऑफ नर्सिंग, मेरठ को एन0एम0टी0आई0 के रुप में घोषित किया गया है। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0 –एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/मिडवाई./149–1/2022–23/4976 दिनांक 11.10.2022 के माध्यम से कालेज ऑफ नर्सिंग, मेरठ का सुदृढ़ीकरण तथा इससे सम्बद्ध जिला महिला चिकित्सालय मेरठ में एम0एल0सी0यू0 की स्थापना हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित की गई थी। साथ ही जून– दिसम्बर 2022 के मध्य मिड्वाईफरी एजुकेटर के छः माह का एक बैच का आवसीय प्रशिक्षण भी पूर्ण कराया जा चुका है।

उपयफ्रक्त के क्रम में कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा मिडवाइफरी एजूकेटर के प्रशिक्षण तथा कार्यरत नेशनल मिडवाइफरी एजूकेटर के मानदेय, इन्क्रीमेन्ट हेतु निम्न तालिकानुसार धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति, मेरठ को आवंटित जारी की जा रही है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

जिला स्वास्थ्य समिति, मेरठ हेतु कुल आवंटित धनराशि (रू0 में)

Sl	Activity	Target	FMR Code	Total budget to be allocated	Remark
1	State level Midwifery Educators (HR) for Nursing School/Institution:- Midwifery Educators (Contractual working in Position)	4	HSS.9.141.C.S1040	42,33,600.00	Allocated to NMTI Meerut for the salary of 4 National Midwifery Educator @ Rs 84000/PM + 05% Increment Increament will be applicable as per spmu, Hr Norms
2	Additional Incentive for Midwifery Educators during training	21	RCH.1.8.CB.1	25,20,000.00	Allocated to NMTI Meerut for Provision of Incentive/Stipend to 21 ME trainees during training @ Rs 20000/-PM for 06 months
3	Cost of training of Midwifery Educators trainee at NMTI -Meerut for 06 Months (185 days)	21	RCH.1.8.CB.3	33,02,250.00	Allocated to NMTI Meerut for training of 21 Midwifery Educators trainees @ Rs. 157250/- per ME (Food Rs 350/- & Accommodation Rs 500/- per day).
4	Contingency and Consumables	1	RCH.1.8.CB.6	50,000.00	Allocated to 1 NMTI Meerut @ Rs 50,000/- per year as Contingency and Consumables (One time)
5	Travel cost for participant- State to NMTI (to & fro) (as per actual)	21	RCH.1.8.CB.11	2,94,000.00	Allocated to NMTI Meerut for training of 21 Midwifery Educators trainees @ Rs. 14000/- per ME but payment as per actual expenditure.
6	Registration & Examination Fee ME for MCI/NCI	21	RCH.1.8.CB.19	3,09,750.00	Allocated to NMTI Meerut for Registration & Examination Fee of 21 ME to be trained at NMTI Meerut @ Rs 14,750/- per Candidate. (As Additional Qualification- for UP Candidates)
	Total			107,09,600.00	

मानदेय एवं स्टाइपेंड की व्यवस्थाः–

- संविदा पर कार्यरत 04 National Midwifery Educator हेतु 12 माह का मानदेय रू0 84,000/– (चौरासी हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से अनुमन्य है तथा परफोरमेन्स अप्रेजल के आधार पर नियमानुसार 05% इन्क्रीमेन्ट की धनराशि देय होगी, जिसका भुगतान एन0एम0टी0आई0 से प्राप्त उपस्थिति के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति, मेरठ द्वारा किया जायेगा।
- एन0एम0टी0आई0 मेरठ में आगामी बैच के 21 Midwifery Educator के प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि रू0 20,000/–(बीस हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से 06 माह हेतु प्राविधानित है।

कन्टीजेंसी एवं कंजुमेबल्स की व्यवस्थाः– इस हेतु रु0 50,000/–की एक मुश्त धनराशि स्वीकृत है। जिसका भुगतान एन0एम0टी0आई0 को नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति मेरठ द्वारा किया जायेगा। उक्त धनराशि से स्टेशनरी, प्रिन्टिंग, कन्ज्यूमेबल्स इत्यादि का व्यय किया जाना है।

रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्कः– इस हेतु अधिकतम रु0 14,750/– प्रति अभ्यर्थी की दर से धनराशि स्वीकृत है। (As Additional Qualification- for UP Candidates but payment as per actual expenditure) जिसका उपयोग नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

अन्य व्यवस्थाः–

- अभ्यर्थियों के मूल जनपद से प्रशिक्षण सेन्टर तक आने–जाने हेतु अधिकतम रु0 14,000/– (प्रति अभ्यर्थी) की धनराशि अनुमन्य है, टी0ए0 बीजको का भुगतान नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर किया जाना है।

- अभ्यर्थियों के आवास एवं भोजन हेतु @ Rs. 1,57,250/- per ME (Food Rs 350/- & Accommodation Rs 500/- per day) धनराशि आवंटित की गयी है, जिसका उपयोग वास्तविकता के आधार पर स्वीकृत धनराशि की सीमा तक किया जायेगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नर्सिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा पर प्रोग्राम अस्सिटेन्ट तैनात किये गये है। उक्त कर्मी से पूर्व में आवंटित कार्यों के साथ–साथ मिडवाईफरी सम्बन्धी कार्य सम्पादित कराया जाए।

वित्तीय व्यवस्था–

1 एन0एम0टी0आई0, नर्सिंग कालेज, ऑफ मेरठ को अपने यहॉ एन0एच0एम0 का पृथक से खाता खुलवाना होगा, जिसका संचालन एन0एच0एम0, के वित्तीय नियमों के अनुसार होगा।

2 प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये। धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाये।

मिड्वाईफरी कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बंध में विस्तृत दिशा–निर्देश

भारत सरकार द्वारा मिड्वाईफरी इनिसेटिव कार्यक्रम के अर्न्तगत गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापरक चिकित्सीय एवं सम्मानपूर्ण देखभाल सुनिश्चित करने हेतु कालेज आफ नर्सिंग कानपुर, के0जी0एम0यू0, लखनऊ एवं आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 वाराणसी को एस0एम0टी0आई0 के रूप में विकसित किये जाने हेतु स्वीकृती प्रदान की गई है तथा इनसे सम्बद्ध जिला महिला चिकित्सालयों में एम0एल0सी0यू0 की स्थापना भी की जानी है। पूर्व में इस कार्यालय के पत्र सं0 –एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/मिडवाई./149–2/2021–22/3086–3 दिनांक 31.08.2021 के माध्यम से कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर नगर को एस0एम0टी0आई0 के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित की गई थी। साथ ही उक्त सेन्टरों पर एन0पी0एम0 एक छः माह का आवसीय प्रशिक्षण कराया जाना है।

उपयफ्रक्त के क्रम में कार्यक्रम के क्रियान्वयन व एन0पी0एम0 के प्रशिक्षण तथा कार्यरत मिडवाइफरी एजूकेटर के मानदेय हेतु निम्न तालिकानुसार धनराशि सम्बंधित जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

S.No	Activity	Target	FMR Code	SMTI Kanpur Nagar	SMTI Lucknow	SMTI Varanasi	Remark
1	Honorarium for Program Coordinator at SMTI	5	RCH.1.8.CB .2	60,000	60,000	60,000	Allocated to 3 SMTI (Kanpur Nagar, KGMU, Lucknow and BHU Varanasi) for Honorarium to Program Coordinator (HoD OBG / Principal) for coordination and Management of NPM Course@ Rs 5000/-PM (applicable during training period only)
2	Cost of training of NPM trainee at SMTI for 18 Months (550 days)	60	RCH.1.8.CB .4	1,89,75,000	1,89,75,000	1,89,75,000	Allocated to SMTI (Kanpur, KGMU, Lucknow and IMS, BHU Varanasi) for training of 90 NPM trainees (Batch of 30 NPM trainees at each center) @ Rs. 632500/- per NPM (DA-Rs 400/-, Food Rs 250/- & Accommodation Rs 500/- per day)
3	Infrastructure Upgradation for 2 SMTI	2	RCH.1.8.CB .5		10,00,000	10,00,000	Allocated to SMTI (KGMU, Lucknow and IMS, BHU Varanasi) as Onetime expenditure for cost of Repair/renovation/refurbishment of existing facility, training infrastructure (models/AV aids etc) @ Rs 10,00,000/-
4	Contingency and Consumables of 6 training institutes 1 NMTI and 5 SMTI-Kanpur, Lucknow & Varanasi	6	RCH.1.8.CB .6	50,000	50,000	50,000	Allocated to 3 SMTI (College of Nursing GSVM Kanpur Nagar, KGMU, Lucknow and IMS, BHU Varanasi) @ Rs 50,000/- per year as Contingency and Consumables
5	Travel cost for trainers - State to SMTI (to & fro) (as per actual)	12	RCH.1.8.CB .14	3,000	3,000	3,000	Allocated to 3 SMTI (Kanpur, Lucknow and Varanasi) @ Rs. 1000/- per trainer (SMTI) but payment as per actual expenditure. *As only 09 ME are being trained which will be posted to 3 SMTI*

S.No	Activity	Target	FMR Code	SMTI Kanpur Nagar	SMTI Lucknow	SMTI Varanasi	Remark
6	Infrastructure Upgradation for MLCU	2	RCH.1.8.CB .15	20,00,000	20,00,000	20,00,000	Allocated to DWH Avanti Bai hospital Lucknow and AHM Kanpur Nagar& DWH Varanasi@ Rs 20.00 lakh per MLCU as One time cost of Repair/ renovation/ refurbishment of existing facility, training infrastructure (models/AV aids etc) .
7	Travel cost for NPM from SMTI to MLCU for clinical teaching @ 1000 per month(Per batch 30000/- per Month)	2	RCH.1.8.CB .16	5,40,000	5,40,000	5,40,000	Allocated to 3 SMTI (Kanpur, Lucknow& Varanasi) @ Rs 1000 per month per trainee or Rs 30000/-per Month per batch of 30 NPM for 18 Month.
8	Registration & Examination Fee NPM for UP State Nursing Council MCI/NCI	60	RCH.1.8.CB .20	2,32,500	2,32,500	2,32,500	Allocated to 3 SMTI (Kanpur, Lucknow & Varanasi) for Registration & Examination of 60 NPM to be trained at 2 SMTI @ Rs 7750/- per Candidate. (As Additional Qualification- for UP Candidates)
	Total			**21860500**	**22860500**	**22860500**	

उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 में कालेज आफ नर्सिंग कानपुर नगर को रू0 2,18,60,500/- (रूपये दो करोड़ अट्ठारह लाख साठ हजार पाँच सौ मात्र) कालेज आफ नर्सिंग के0जी0एम0यू0, लखनऊ को रू0 2,28,60,500/- (रूपये दो करोड़ अट्ठाईस लाख साठ हजार पाँच सौ मात्र) तथा कालेज आफ नर्सिंग आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 वाराणसी को रू0 2,28,60,500/- (रूपये दो करोड़ अट्ठाईस लाख साठ हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि का आवंटन जिला स्वास्थ्य समिति, कानपुर नगर, लखनऊ, एवं वाराणसी को आवंटित की गयी है। जिसके सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निम्नवत है–

एस0एम0टी0आई0 हेतु सुद्ढ़ीकरण व्यवस्थाः–

- इस गतिविधि हेतु कालेज ऑफ नर्सिंग कानपुर को पूर्व में धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा प्रति नवीन एस0एम0टी0आई0 के सुदृढ़ीकरण हेतु कालेज आफ नर्सिंग के0जी0एम0यू0, लखनऊ एवं आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी को रु0 10,00,000/– की धनराशि आवंटित किये जाने का प्रविधान है। जिसका उपयोग भारत सरकार से प्राप्त चेकलिस्ट के अनुसार गैप एनालिसिस के उपरान्त पायी गयी कमियों को पूर्ण करने हेतु किया जायेगा।
- कॉलेज आफ नर्सिंग, कानपुर नगर एवं कॉलेज आफ नर्सिंग के0जी0एम0यू0, लखनऊ से सम्बद्ध जिला महिला चिकित्सालयों यथा जिला महिला चिकित्सालय, डफरिन, कानपुर नगर एवं वीरागंना अवन्तीबाई जिला महिला चिकित्सालय लखनऊ में प्रति एम0एल0सी0यू0 की स्थापना किये जाने हेतु रु0 20,00,000/– की धनराशि का प्राविधान है, जिसका व्यय नियमानुसार एम0एल0सी0यू0 के विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए।

प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का मानदेयः–

- प्रशिक्षण के सफल संचालन हेतु Program Coordinator (HoD OBG / Principal) के लिए Part time honorarium @Rs 5000/-PM की दर से धनराशि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के उपरान्त अनुमन्य है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नर्सिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा पर प्रोग्राम अस्सिटेन्ट तैनात किये गये है। उक्त कर्मी से पूर्व में आवंटित कार्यों के साथ–साथ मिडवाईफरी सम्बन्धी कार्य सम्पादित कराया जाए।

कन्टीजेंसी एवं कंजुमेबल्स की व्यवस्थाः–

इस हेतु रु0 50,000/– की एक मुश्त धनराशि स्वीकृत है। जिसका भुगतान एन0एम0टी0आई0 को नियमानुसार सम्बंधित जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त धनराशि से स्टेशनरी, प्रिन्टिंग, कन्ज्यूमेबल्स इत्यादि का व्यय किया जायेगा।

रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्कः–इस गतिविधि हेतु कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर एवं के0जी0एम0यू0 लखनऊ को रु0 7750/– प्रति अभ्यर्थी की दर से धनराशि स्वीकृत है। (As Additional Qualification- for UP Candidates) जिसका उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

प्रशिक्षण हेतु व्यवस्थाः–

- कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर एवं के0जी0एम0यू0 लखनऊ को अभ्यर्थियों के आवास एवं भोजन हेतु @ Rs. 632500/- per ME (DA-Rs 400/-, Food Rs 250/- & Accommodation Rs 500/- per day) धनराशि आवंटित की जा रही है।

- अभ्यर्थियों के मूल जनपद से प्रशिक्षण सेन्टर तक आने–जाने हेतु रु0 1,000/– प्रति अभ्यर्थी की दर से धनराशि अनुमन्य है, टी0ए0 बीजको का भुगतान नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर किया जाना है।
- तालिका की क्रम संख्या 07 पर अंकित Travel cost for NPM from SMTI to MLCU for clinical teaching @ 1000 per month(Per batch of 30 NPM@ 30000/-per Month) हेतु 03 SMTI (Kanpur, Lucknow & Varanasi) को आवंटन किया जा रहा है।

वित्तीय व्यवस्था–

1 सम्बन्धित एस0एम0टी0आई0 को अपने यहां एन0एच0एम0 का पृथक से खाता खुलवाना होगा, जिसका संचालन एन0एच0एम0, के वित्तीय नियमो के अनुसार होगा।

2 प्राविधानित धनराशि का व्यय आबंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये। धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाये।

3 व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियां, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपयफ्क्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये प्रधानाचार्य, एस0एम0टी0आई0, नर्सिंग कालेज, ऑफ कानपुर नगर, के0जी0एम0यू0 लखनऊ एवं बी0एच0यू0 वाराणसी/जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे

4 भारत सरकार के स्तर से एस0एम0टी0आई0 को संचालित किये जाने हेतु निर्धारित मानकानुसार धनराशि का व्यय सुनिश्चि किया जायेगा।

3. ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम

3.1 ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम –

वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रदेश में ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम संचालन हेतु डैप के माध्यम से जनपदों को आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निम्नवत है–

1. **एफ0एम0आर0 मद HSS.2.154.DI–**के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में रक्तकेन्द्र जे0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़, तथा के0जी0एम0यू, लखनऊ में पूर्व से स्थापित केमील्यूमिसेंन्स उपकरण तथा जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ एवं प्रयागराज, आर0एम0एल0 चिकित्सा संस्थान, लखनऊ को प्रदत्त करायी जा रही केमील्यूमिसेंन्स उपकरण के द्वारा परीक्षण हेतु प्रति रक्त यूनिट रू0 250 मात्र की दर से आवंटन किया जा रहा है।
2. भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में परिधिगत इकाईयों में संचालित समस्त रक्तकेन्द्रों को विभिन्न प्रकार के टेस्टिंग किट्स, ब्लड बैग्स, टेस्टींग पैड आदि की उपलब्धता हेतु कुल रू0 143.56 लाख बजट आवंटन किया जा रहा है। जिसका उपयोग किसी अन्य श्रोत (राज्य स्तर अथवा भारत सरकार) द्वारा टेस्टिंग किट्स, ब्लड बैग्स, टेस्टिंग पैड आदि की उपलब्धता न कराये जाने अथवा रक्तकोष की संचालन की आवश्यकता की दशा में रक्तकेन्द्रों द्वारा उपयोगित किया जायेगा।

- **एफ0एम0आर0 मद HSS.2.154.OOC1**– के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बजट की स्वीकृति के क्रम में प्रदेश में थैलेसीमिया प्रबन्धन के अन्तर्गत थैलेसीमिया से ग्रसित व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधाओं हेतु निम्न तालिकानुसार 17 केन्द्रों को धनराशि का आवंटन किया गया है–

S.N.	Name of Districts	Name of Medical College	Establishment of Day Care (for paitent support & care along with development of dedicated transfusion space)	Manpower support under day care centre (Remuneration)	Budget for Iron chelation	Budget for Leukofilteration	Budget for investigation	Contigency	Total Budget to center
1	Agra	Agra Medical College							
2	Allahabad	Allahabad Medical College							
3	Aligarh	JLN Medical College							
4	Bareilly	District Hospital							
5	Gorakhpur	Gorakhpur Medical College							
6	Kanpur	GSVM Kanpur							
7	Lucknow	Lucknow KGMU*							
8		Lucknow SGPGIMS*							
9		RMLIMS, Lucknow							
10	Meerut	LLRM Meerut Medical College							
11	Varanasi	Varanasi Medical College							
12	Jhansi	MLB Medical College							
13	GB Nagar	Superspeciality pediatric Institute, NOIDA							
14		GMIC, GB Nagar							
15	Bulandsahar	District Hospital							
16	Saharanpur	District Hospital							
17	Azamgarh	District Hospital							

1. **एफ0एम0आर0 मद HSS.2.154.OOC2**– के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बजट की स्वीकृति के क्रम में प्रदेश में हीमोफीलिया प्रबन्धन के अन्तर्गत हीमोफीलिया ट्रिटमेन्ट सेन्टर्स पर हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्तियों हेतु फैक्टर्स की उपलब्धता हेतु नोडल संस्थान एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ को निम्नानुसार प्रस्तुत फांट के अनुसार धनराशि का आवंटन किया जा रहा है।

S.No.	Discription	Total Allocated Budget (Rs. in Lakhs)
1.	Factor VIII (R+PD) & EHL VIII	**1300.00** (11.00 VIII+2 VIII EHL)
2.	Factor IX & EHL IX	**700.00** (5.00 IX+2 IX EHL)
3.	Mimics	**600.00**
4.	Factor X,XIII & Others	**331.09**
5.	Factor VII	**1000.00**
Total		**3931.09**

2. भारत सरकार द्वारा बजट की स्वीकृति के क्रम में हीमोफीलिया प्रबन्धन हेतु नोडल संस्थान हिमैटोलॉजी विभाग एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ को संचालन के दैनिक कार्यालय व्यय एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि का आवंटन किया जा रहा है।
3. भारत सरकार द्वारा बजट की स्वीकृति के क्रम में प्रदेश में Hemophilia Strenthening in UP के क्रियान्वयन हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है।
4. भारत सरकार द्वारा बजट की स्वीकृति के क्रम में हिमैटोलॉजी विभाग एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के द्वारा एन0एच0एम0 पोषित दो परियोजनाओं Strategies towards Early Diagnosis एवं Improving Treatment Adherence in Thalassemia हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है। सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संस्थान से उक्त दोनों परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की त्रैमासिक आख्या अनिवार्य रूप से प्राप्त

करते हुए स्टेट ब्लड सेल, एस0पी0एम0यू0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाना है।

1. **एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.2.154.IEC–** के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों को स्वैच्छिक रक्तदान प्रोत्साहन, रक्तकेन्द्र से सम्बन्धित आई0ई0सी0/रक्तकेन्द्र हेतु आवश्यक अभिलेखों का निर्माण एवं रक्तदान से सम्बन्धित विशेष दिवसों के अन्तर्गत विभिन्न प्रचार–प्रसार एवं जन जागरूकता गतिविधियों के आयोजन हेतु बजट आवंटन किया गया है।
2. भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के राजकीय जिला चिकित्सालयों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों को ब्लड डिसआर्डर (हीमोफीलिया तथा हिमोग्लोबीनोपैथी) के सम्बन्ध में जनमानस को जागरूक करने तथा सम्बन्धित विशेष दिवसों के आयोजन हेतु बजट का आवंटन किया गया है।

- **एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.2.155.OOC– (राजकीय चिकित्सालयों/ चिकित्सा केन्द्रों/चिकित्सा संस्थानों में भर्ती मरीजों को रक्त एवं रक्त अवयव की निःशुल्क उपलब्धता हेतु)–** के अन्तर्गत प्रदेश के 71 जनपदों के राजकीय चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान में संचालित रक्तकेन्द्रों को राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा केन्द्रों/चिकित्सा संस्थानों में भर्ती मरीजों को रक्त/रक्त अवयव की निःशुल्क उपलब्धता कराने हेतु प्रोसेसिंग चार्जेज के सापेक्ष प्रति यूनिट की दर से प्रतिपूर्ति धनराशि (Free Blood Compensation amount) आवंटित की जा रही है, जोकि रक्तकेन्द्र द्वारा मरीजों को निर्गत की जाने वाली रक्त यूनिटों के सापेक्ष आवंटित है। निजी/चैरिटेबल चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को निर्गत होने वाली रक्त यूनिटों पर राजकीय दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रोसेसिंग चार्जेज लागू होंगे। **किसी भी दशा में राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा केन्द्रों/चिकित्सा संस्थानों में भर्ती मरीजों से प्रोसेसिंग चार्ज न लिया जाये।**

  उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग Processing/User charges के उपयोग हेतु पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार व रक्तकेन्द्र सुदृढ़ीकरण हेतु यथा उपकरण के रख–रखाव, आवश्यकतानुसार किट/ब्लड बैग/ रिएजेन्ट/कन्ज्यूमेबल/हिमोग्लोबीन एस्टीमेशन किट व पैड आदि की उपलब्धता, रक्तकेन्द्र के संचालन हेतु आवश्यक दैनिक आवश्यकता की उपलब्धता हेतु रेकरिंग के रूप (रक्तकेन्द्र एवं बी0सी0टी0वी0 में कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर राज्य स्तर द्वारा आयोजित बैठक/प्रशिक्षण/समीक्षा/कार्यशाला आदि में प्रतिभागिता करने की दशा में प्राप्त निर्देशानुसार प्रतिभागियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 की प्रतिपूर्ति) में Hospital transfusion Committee या रक्तकेन्द्र हेतु चिकित्सालय स्तर पर गठित समकक्ष समिति से अनुमोदन प्राप्त कर सम्बन्धित आवश्यकता की पूर्ति/उपलब्धता हेतु किया जाना है।

- **एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.2.156.DI–** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में चिन्हित 25 केन्द्रों के0जी0एम0यू0, लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ, आर0एम0एल0 चि0 लखनऊ, डॉ एस0पी0एम0 चि0 लखनऊ, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ, एम0एल0एन0 चि0 संस्थान, प्रयागराज, चाइल्ड पी0जी0आई0, जी0बी0 नगर, एम0एल0बी0 चि0 संस्थान, झांसी, ए0एम0यू0 अलीगढ, जी0एस0वी0एम0, कानपुर, यू0एच0एम0 चि0 कानपुर, एस0एन0 चि0 संस्थान आगरा, पी0एल0 शर्मा चि0 मेरठ, एल0एल0आर0एम0 चि0 संस्थान, मेरठ, रिम्स आर सैफई, इटावा, जिला चि0, इटावा, चि0 संस्थान, फिरोज़ाबाद, जिला चि0 मथुरा, जिला चिकित्सालय बरेली, जि0 चि0 गोरखपुर, बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, एस0एस0पी0जी0 चिकित्सालय, वाराणसी, पं0 डी0डी0यू0 चि0, वाराणसी, ट्रामा सेन्टर बी0एच0यू0 वाराणसी एवं आई0एम0एस0,बी0एच0यू0, वाराणसी में स्थापित रक्तकेन्द्र के रक्त यूनिटों की एडवान्स प्री ट्रान्सफ्यूजन टेस्टिंग निम्नानुसार की जानी है–

  पूर्व की भांति रक्तकेन्द्र जी0एस0वी0एम0, कानपुर यू0एच0एम0 चि0 कानपुर, एस0एन0 चि0 संस्थान आगरा, एस0एस0पी0एच0 एन्ड पी0जी0टी0आई0, जी0बी0 नगर, एम0एल0बी0 चि0 संस्थान, झांसी, पी0एल0 शर्मा चि0 मेरठ, एल0एल0आर0एम0 चि0 संस्थान, मेरठ, रिम्स आर सैफई, इटावा, जिला चि0, इटावा, चि0 संस्थान, फिरोज़ाबाद, जिला चि0 मथुरा तथा जिला चिकित्सालय बरेली के रक्त यूनिटों का परीक्षण ए0एम0यू0 अलीगढ़ में स्थापित उपकरण के माध्यम से किया जाना है।

  उक्त के अतिरिक्त रक्तकेन्द्र डॉ. एस0पी0एम0 चि0 लखनऊ रक्तकेन्द्र के रक्त यूनिटों का परीक्षण के0जी0एम0यू0, लखनऊ में स्थापित उपकरण से किया जाना है तथा एम0एल0एन0 चि0 संस्थान, प्रयागराज, एस0एस0पी0जी0 चिकित्सालय, वाराणसी तथा पं0 डी0डी0यू0 चि0, वाराणसी के रक्त यूनिटों का परीक्षण आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी में स्थापित उपकरण से किया जाना है। रक्तकेन्द्र जि0 चि0 गोरखपुर, बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर तथा रक्तकेन्द्र, बलरामपुर

चि0, लखनऊ के रक्त यूनिटों का परीक्षण आर0एम0एल0आई0एम0एस0, संस्थान लखनऊ के रक्त केन्द्र में स्थापित उपकरण के माध्यम से किया जाना है। एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के रक्त यूनिटों का एडवान्स प्री–ट्रान्सफ्यूजन टेस्टिंग परीक्षण उनके द्वारा अपने प्रस्ताव के क्रम में नियमानुसार अभिकर्मक किराया प्रक्रिया (Reagent Rental) के आधार पर रक्तकेन्द्र स्तर पर ही किया जाना है।

उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में एन0एच0एम0, उ0प्र0 को प्रेषित एडवान्स प्री ट्रान्सफ्यूजन टेस्टिंग परीक्षण प्रस्ताव के अतिरिक्त किसी अन्य परीक्षण/परीक्षणों हेतु नहीं किया जायेगा। यदि चिकित्सा संस्थान/इकाई द्वारा ऐसा किया जाता है तो उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता के अन्तर्गत आच्छादित होगा।

- **एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.2.156.OOC–** के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों को Rational Use of Blood & Blood Products पर CME के आयोजन हेतु का आवंटन किया गया है। जिसके अन्तर्गत रक्ताधान से सम्बन्धित मेडिकल तथा पैरा मेडिकल (स्टाफ नर्स आदि) को उन्नमुखिकृत/प्रशिक्षित किया जाना है।

- **एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.2.157.OOC–(बी0सी0टी0वी0 पी0ओ0एल0 एवं रेकरिंग)–** के अन्तर्गत 18 मण्डलीय जनपद के राजकीय रक्तकेन्द्र पर स्थापित बी0सी0टी0वी0 पी0ओ0एल0 एवं रेकरिंग (Maintenance, Servicing etc.) के लिए बजट का आवंटन किया गया है। जिसके अन्तर्गत बी0सी0टी0वी0 पी0ओ0एल0,मरम्मत व अन्य रेकरिंग आदि के साथ–साथ बी0सी0टी0वी0 स्टाफ के मण्डलीय जनपद जहाँ बी0सी0टी0वी0 स्थापित है, के अतिरिक्त मंण्डल के अन्य जनपदों में शिविर आयोजन हेतु भ्रमण की दशा में डी0ए0 (चिकित्साधिकारी–रू0 350/दिन, लैब टेक्नीशियन व पी0आर0ओ0–रू0 150/दिन एवं ड्राइवर व अटेन्डेन्ट–रू0 100/दिन की दर से) धनराशि का आवंटन किया गया है। ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांस्पोर्टेशन वैन के संचालन (स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन हेतु), वार्षिक बीमा एवं आवश्यकता की दशा में वैन की मरम्मत हेतु व्यय सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर उक्त आवंटित बजट के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से ही किया जाना है।

- **एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.2.156.OOC–(ब्लड स्टोरेज यूनिट के रेकरिंग हेतु)**– के अन्तर्गत रक्त भण्डारण इकाई में आवश्यकतानुसार केमिकल्स, रीजेन्ट, ग्लासवेयर्स, कन्ज्यूमेबल, स्टेशनरी, अभिलेख एवं रिकार्ड निर्माण आदि हेतु एवं रक्त भण्डारण इकाई में कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर राज्य स्तर द्वारा आयोजित बैठक/प्रशिक्षण/समीक्षा/कार्यशाला आदि में प्रतिभागिता करने की दशा में प्राप्त निर्देशानुसार प्रतिभागियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 की प्रतिपूर्ति रेकरिंग मद में प्रदत्त धनराशि से किया जाना है।
  1. **एफ0एम0आर0 मद HSS.2.158.DI–** के अन्तर्गत प्रदेश में हिमोग्लोबीनोपैथी प्रबन्धन के दृष्टिगत राजकीय चिकित्सा केन्द्रों के अन्तर्गत पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की प्रथम त्रैमास में हिमोग्लोबीनोपैथी (थैलेसीमिया, सिकल सेल आदि) के **निःशुल्क** थैलेसीमिया स्क्रीनिंग करने हेतु सी0बी0सी0 टेस्ट हेतु प्रति परीक्षण रू0 50 प्रति तथा HbA2 परीक्षण हेतु रू0 250 प्रति की दर से तथा **निःशुल्क** सीकल सेल स्क्रीनिंग करने हेतु रू0 100 प्रति की दर से धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। उक्त धनराशि का जिला चिकित्सालयों में हस्तान्तरण कर उपयोगिता कराना सुनिश्चित करे।
  2. प्रदेश में संस्थान जनपद आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ (04), मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर एवं प्रयागराज में एन0एच0एम0 द्वारा प्रदत्त **HPLC** उपकरणों तथा 11 मण्डलीय चिकित्सालयों के अन्तर्गत प्रदत्त करायी जा रही **HPLC** उपकरण से हिमोग्लोबीन वैरिएन्ट के परीक्षण के लिए आवश्यक Consumables, Reagents & Chemicals की उपलब्धता हेतु रेकरिंग मद में प्रति परीक्षण रू0 250 प्रति की दर से धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत हिमोग्लोबीनोपैथी के उपरोक्तानुसार प्रारम्भिक परीक्षण सी0बी0सी0 परीक्षण तथा HbA2 परीक्षण से प्राप्त संभावित ग्रसितो तथा उनके Spouse के पुष्टि परीक्षण एवं हिमोग्लोबीन वैरिएन्ट के परीक्षण **HPLC** उपकरण के माध्यम से सम्पादित कराये जाने है।

- **एफ0एम0आर0 मद HSS.2.158.IEC2–** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों हेतु आउटडोर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन हेतु प्रति शिविर रू0 2500.00 मात्र की धनराशि का आवंटन किया जा रहा है।

1. **एफ0एम0आर0 मद HSS.2.158.IEC3–** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों में कार्यरत पी0आर0ओ0 के कम्यूनीकेशन एवं यात्रा के प्रतिपूर्ति हेतु प्रति माह रू0 1000.00 मात्र की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है।
2. भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों में कार्यरत काउन्सलर (एन0एच0एम0 तथा यूपीसैक से सहायतित) के कम्यूनीकेशन एवं यात्रा के प्रतिपूर्ति हेतु प्रति माह रू0 1500.00 मात्र की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है।

- **एफ0एम0आर0 मद HSS.2.158.IEC4–** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों में रक्तदान करने वाले प्रत्येक रक्तदाता को Refreshment उपलब्ध कराने के लिए प्रति रक्तदाता रू0 25.00 मात्रा की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.2.158.IEC4–** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों के द्वारा ई–रक्तकोष पर Daily Reporting एवं Stock updation के लिए Internet Support हेतु प्रति माह रू0 1000.00 की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है।

3.2 ब्लड सर्विसेज एवं हिमोफीलिया प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय

वर्ष 2023–24 में ब्लड सर्विसेज ब्लड सर्विसेज एवं ब्लड डिसआर्डर कार्यक्रम के अन्तर्गत **ब्लड बैंक, ब्लड स्टोरेज सेन्टर एवं बी0सी0टी0वी0** तथा **हिमोफिलिया ट्रीटमेन्ट सेन्टर** अन्तर्गत स्वीकृत मानव संसाधन हेतु मानव संसाधन अनुभाग द्वारा प्राप्त 80% बजट आवंटन पर राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन के क्रम में परिधिगत इकाईयों में कार्यरत मानव संसाधन हेतु मानदेय एवं नियमानुसार Loyality Bonus/ experience/EPF (संविदा कर्मियों हेतु), Increment, ESI/EPF/GST/Service Charges (सेवा प्रदाता ऐजेन्सी हेतु) कुल रू0 3352.92 लाख धनराशि का आवंटन गया है।

आवंटित की गई धनराशि का उपयोग उन्हीं मद में किया जाएगा जिस मद के लिए धनराशि आवंटित की गई है।

1. कार्यरत मानव संसाधन का मानदेय भुगतान मानदेय निर्धारण के आधार पर किया जायेगा मानव संसाधन हेतु Annual Increment, EPF, experience bonous आदि नियमानुसार प्रदत्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। डैप में आवंटित धनराशि बजट मात्र है। Annual Increment की देयता कर्मी के 01 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण होने के पश्चात् Performance Appraisal के आधार पर देय होगा तथा आउटसोर्स स्टाफ के सम्बन्ध में राज्य स्तर से निर्गत दिशा–निर्देश अनुरूप Increment/ ESI/EPF/GST,Service Charges देयता सुनिश्चित की जानी है।
2. मानव संसाधन के मानदेय निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये की सम्बंधित मानव संसाधन की नियुक्ति ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम के अन्तर्गत रक्तकेन्द्र मे ही है एवं संविदाकर्मी वर्तमान में कार्यरत है। तकनीकी तथा गैर तकनीकी मानव संसाधन द्वारा उनके कार्य एवं दायित्वों के अंतर्गत सम्बन्धित इकाईयों में अनवरत योगदान प्रदान किया जा रहा है।
3. डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के वेतन को निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि नियुक्ति किये गये रक्तकेन्द्र में ई–रक्तकोष का संचालन किया जा रहा है एवं दैनिक स्टाक इन्ट्री की जा रही है।

4. बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व से संचालित एवं नवीन कार्यक्रमों/गतिविधियों के संचालन **हेतु** एवं बिडिंग मॉडल, संविदा तथा आउट सोर्सिगं **के मानव संसाधन के मानदेय हेतु FMR Code के विभिन्न मदों में**धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

तद्नुसार कार्यक्रमों/गतिविधियों के सुचारु रुप से संचालन हेतु धनराशि व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं, जिनका उपयोग दिये गये मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना है।

4.1 होम बेस्ड न्यूबार्न केयर कार्यक्रम (HBNC)

होम बेस्ड न्यूबार्न केयर कार्यक्रम (HBNC)के क्रियान्वयन हेतु महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 के स्तर से जारी पत्र संख्या–प0क0/आर0सी0एच0/एच0बी0एन0सी0/2015–16/ 3699–75, दिनांक 28.03.2016 एवं पत्र संख्या–प0क0/आर0सी0एच0/एच0बी0एन0सी0/VOL.iii/2019–20/950–75, दिनांक 10.10.2019 के माध्यम से एच0बी0एन0सी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नवजात शिशुओं एवं माताओं की प्रसवोपरान्त घरेलू देखभाल के उपरान्त आशाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समस्त जनपदों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। तद्नुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

FMR Code-RCH.3.23.ASHA.1 पर होम बेस्ड न्यूबार्न केयर कार्यक्रम (HBNC) के अन्तर्गत आशा द्वारा नवजात शिशुओं एवं माताओं की प्रसवोपरान्त घरेलू देखभाल के उपरान्त आशाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

4.2 होमबेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड (HBYC) कार्यक्रम

इसके अन्तर्गत बाल्यकाल में होने वाली मृत्युओं, बीमारियों (जैसे–न्यूमोनिया, डायरिया इत्यादि) एवं कुपोषण से बचाव करते हुए उनका शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवहारों को बढ़ावा देने हेतु शिशुओं की आयु 3, 6, 9, 12 एवं 15 माह की होने पर आशा द्वारा अतिरिक्त गृह भ्रमणों की व्यवस्था की गयी है।

होमबेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड (HBYC) कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं द्वारा शिशुओं की घरेलू देखभाल के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/HBYC/70/2022–23/5819, दिनांक 15.11.2022का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से आशाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समस्त जनपदों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। तद्नुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

FMR Code-RCH.3.23.ASHA.2 पर होमबेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड (HBYC) कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु प्रति आशा को रू0 50.00 प्रोत्साहन राशि त्रैमासिक आधार पर भुगतान करने हेतु प्रति भ्रमण के अनुसार धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

03–FMR Code-RCH.3.23.IEC.1 पर होमबेस्ड न्यूबार्न केयर कार्यक्रम (HBNC)के अन्तर्गत आशा द्वारा नवजात शिशुओं एवं धात्री माताओं के गृह भ्रमण हेतु फार्मेट एवं रिपोर्टिंग प्रपत्रों की मुद्रण/छपायी जनपद स्तर पर स्पेशिफिकेशन के अनुसार कराये जाने हेतु रू0 0.50 पैसा प्रति पेज की दर से समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि आवंटित की जा रही है।

04–FMR Code-RCH.3.24.CB.2 पर 02 दिवसीय एन0एस0एस0के0 प्रशिक्षण प्रदेश के समस्त जनपदों के प्रसव केन्द्रों पर कार्यरत स्टाफ नर्सो, ए0एन0एम0 एवं एल0एच0वी0 के क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है। इस हेतु दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

05– सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों(SNCUs) में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्स को 04 दिवसीय फैसीलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर (FBNC) माड्यूलर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के उपरान्त 12 दिवसीय फैसीलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर (FBNC)

ऑब्सरवर–शिप प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs)में कार्यरत मानव संसाधन को इस प्रशिक्षण को प्राप्त करना अनिवार्य है।

FMR Code-RCH.3.24.CB.3 पर एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ, एवं स्टाफ नर्सों को 04 दिवसीय फैसीलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर (FBNC) माड्यूलर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

06–FMR Code-RCH.3.24.CB.4 पर एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्सों को 04 दिवसीय फैसीलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर (FBNC) माड्यूलर प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त 12 दिवसीय फैसीलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर (FBNC) ऑब्सरवर–शिप प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

07–FMR Code-RCH.3.24.PME.2 पर एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्सों की क्षमता वर्धन के लिए स्टेट रिसोर्स सेंटर के0ज0एम0यू0 लखनऊ, बी0एच0यू0 वाराणसी एवं मेडिकल कॉलेज गोरखपुर द्वारा चिन्हित मेंटर्स द्वारा मेंटरिंग विजिट हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

08–FMR Code-RCH.3.24.CB.10 पर न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों, मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्सों को 03 दिवसीय एन0बी0एस0यू0 प्रशिक्षण बालरोग विभाग, जे0एन0 मेडिकल कॉलेज अलीगढ, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज कानपुर, किगंजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कॉलेज मेरठ, बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज गोरखपुर एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर एवं एम0एल0बी0 मेडिकल कॉलेज झांसी में प्रदान किया जाना है, इस हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को डैप में आवंटित की जा रही है।

09–FMR Code-RCH.3.24.IC.2 पर बालरोग विभाग जे0एन0 मेडिकल कॉलेज, ए0एम0यू0 अलीगढ़में स्टेट रिसोर्स सेन्टर (SRC) की स्थापनाहेतु **रू0 11.50** लाख की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति अलीगढ़ को डैप में आवंटित की जा रही है। इस हेतु दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

10–FMR Code-RCH.3.24.IEC.1 पर नवजात शिशु देखभाल सप्ताह दिनांक 15–21 नवम्बर 2023 में विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रति जनपद रू0 50000/– की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है। इस हेतु दिशा निर्देश भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

4.3 सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित मेडिकल कालेजों के बालरोग विभाग एवं जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयो में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयां चरणवद्ध रूप से क्रियाशील की गई हैं अथवा क्रियाशील की जा रही हैं। पूर्व में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों के संचालन हेतु ऑपरेशनल कास्ट, एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट एवं बीडिगं मॉडल/संविदा/आउट सोर्सिंग मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये थे। तद्नुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

11.1–FMR Code-RCH.3.24.OOC.01 पर एस0एन0सी0यू0 ऑपरेशनल कॉस्ट–

जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/मेडिकल कालेजों में क्रियाशील/क्रियाशील किये जा रहे सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयोंके लिये ऑपरेशनल कॉस्ट की 60 प्रतिशत धनराशि औषधियों, कन्जूमेबिल्स, डायपर, शिशु मिल्क पाउडर (न्यूट्रीशनल सप्लीमेन्ट के रूप में उपयोग किये जाने हेतु Govt. of India FBNC Operational Guidelines के अनुसार) कंगारू मदर केयर (KMC) इकाई हेतु आवश्यक सामग्री आदि तथा 40 प्रतिशत धनराशि से ए0एम0सी0 एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे–मोटे उपकरण के क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार क्रय किये जायें। जिन उपकरणों के अनुरक्षण एवं रख–रखाव का कार्य बायोमेडिकल इक्यूपमेन्ट मेन्टीनेन्स के अन्तर्गत सेवा प्रदाता द्वारा किया जा रहा है, उनका रख–रखाव उपरोक्त सेवा प्रदाता के माध्यम से ही किया जाये। प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग द्वारा बिना एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज के लिखित परामर्श से धनराशि का उपयोग न किया जाये। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

11.2— एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट (Format Printing)FMR Code RCH.3.24.IEC.5 पर Printing of SNCU Case Record & Monitoring Sheet/treatment and Discharge Card (केस रिकार्ड शीट, मानीटीरिगं डिस्चार्ज कार्ड आदि Mother and newborn Care unit (MNCU) के अन्तर्गत Sick Newborn care Unit (SNCU)/KMC Lounge/Step down वार्ड में भर्ती नवजात शिशुओं हेतु भी उपयोग किया जायेगा)। क्रियाशील/क्रियाशील की जा रही इकाईयों हेतु रू0 0.75 लाख प्रति इकाई के अनुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि आवंटित की जा रही है।

11.3— एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट,FMR Code RCH.3.24.PME.1 पर Stationary, Printer Cartridge, Paper Rim, Internet, Mobile Recharge Monthly Expenses etc.- (कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, पेपर रिम, इन्टरनेट एवं मोबाइल आदि) का उपयोग Mother and newborn Care unit (MNCU) के अन्तर्गत Sick Newborn care Unit (SNCU)/KMC Lounge/Step down वार्ड में भर्ती नवजात शिशुओं हेतु भी उपयोग किया जायेगा)। क्रियाशील की जा रही इकाईयों हेतु रू0 50,000.00 प्रति इकाई के अनुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

11.4— एस0एन0सी0यू0 में भर्ती नवजात शिशुओं को निःशुल्क जांच की सुविधा—FMR Code-RCH.3.28.DI.1 पर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय/मेडिकल कालेजों में संचालित एस0एन0सी0यू0 में भर्ती एवं डिस्चार्ज हो चुके नवजात शिशुओं को फॉलोअप के समय 01 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो जांचें चिकित्सालय में उचित इलाज प्रदान करने हेतु नहीं हो पा रहीं है वह जांच अन्य चिकित्सालयों/संस्थानों से कराने हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

4.4 न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) ऑपरेशनल कास्ट

FMR Code-RCH.3.24.OOC.02 पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रियाशील/क्रियाशील की जा रही एन0बी0एस0यू0 इकाईयों के लिये ऑपरेशनल कॉस्ट मद में प्रति इकाई रू0 5,000.00 प्रति माह की दर से धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

4.5 बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के संचालन हेतु कार्यालय के पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0/CH/CDR/38/2021—22/3081—75, दिनांक 31.08.2021 पत्र संख्या— एस0पी0एम0यू0/CH/CDR/38/2021—22/6562—75, दिनांक 14.01.2022 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में बाल मृत्यु समीक्षा (CDR) कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे। तद्नुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

13—FMR Code-RCH.3.25.SRRE.1 पर बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल मृत्यु के कारणों का (Verbal autopsy) निरीक्षण/जांच—पडताल बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रय क्रियान्वयन हेतु आशा द्वारा रिपोर्टिंग करने हेतु प्रति केस रू0 50.00 की दर से और ए0एन0एम0 को प्रति केस रू0 100.00 की दर से तथा वर्बल आटाप्सी करने हेतु दो व्यक्तियों हेतु रू0 250.00 की दर से जनपद के ब्लॉक में वर्बल आटाप्सी के अन्तर्गत प्रति टीम के आवागमन हेतु रू0 250.00 की दर के अनुसार प्रदान किये जाने हेतु बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

14—FMR Code-RCH.3.25.SRRE.2 पर बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत Wage Compensation for parents हेतु रू0 200/— की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

15—FMR Code-RCH.3.25.IEC.1 पर बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में प्रपत्रों के मुद्रण हेतु प्रति प्रपत्र रू0 0.50 पैसा प्रति पेज के अनुसार धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

16—FMR Code- RCH.3.25.CB.1 पर बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत Divisional Level Child Death Review Cum Orentation Training हेतु प्रति बैच रू0 28000.00 की दर से धनराशि समस्त मण्डलीय जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

4.6 SAANS (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully) कार्यक्रम

निमोनिया की रोकथाम एवं ससमय समुचित इलाज प्रदान कर Under-5 मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से समुदाय स्तर पर निमोनिया से ग्रसित बच्चों की पहचान कर उपचार किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा न्यूमोनिया से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से SAANS (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully) कार्यक्रम वर्ष 2019 में प्रारम्भ किया गया है। इसी क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0 / CH/SAANS / 79 / 2022—23 / 6216—75, दिनांक 28. 11.2022 के माध्यम से SAANS (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully) कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये हैं। तद्नुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

FMR Code-RCH.3.26.CB.1 पर **SAANS** कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एवं ब्लाक स्तरीय SAANS campaign तथा District & Block for Planning & Review Meeting हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है। इस हेतु दिशा निर्देश भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

18—FMR Code-RCH.3.27.CB.2 पर आई0एम0एन0सी0आई0 प्रशिक्षण ए0एन0एम0 एवं एल0एच0वी0 के जनपद स्तरीय प्रशिक्षण हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है। इस हेतु दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

4.7 एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम (AMB)

19—FMR Code-RCH.7.52.ASHA पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के संचालन हेतु आशा द्वारा 06 माह से 59 माह तक के समस्त बच्चों को वी0एच0एन0डी0 सत्र पर मोबलाइज करने तथा IFA Syrup 50 ml Bottle with auto dispenser के आयरन सीरप का वितरण सुनिश्चित करने हेतु रू0 50 / — प्रति माह की दर से आशाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है। पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

20—FMR Code-RCH.7.52.CB.1 पर एनीमिया मुक्त भारत **(AMB)** कार्यक्रम के संचालन हेतु समस्त जनपदों में आशा एवं ए0एन0एम0 के ब्लाक स्तरीय ओरिएण्टेशन कम प्रशिक्षण हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है। इस हेतु दिशा—निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

4.8 पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गंम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों के उपचार के उद्देश्य से प्रदेश के जनपदों के जिला पुरूष / संयुक्त चिकित्सालयों / सी0एच0सी0 / मेडिकल कालेजों में पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना कर क्रियाशील की गयी हैं। पूर्व में, पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) में सीवियर अक्यूट मालन्यूट्रीशन (SAM) से प्रभावित कुपोषित बच्चों की पहचान व भर्ती के मानकों के साथ संचालन हेतु आपरेशनल कास्ट, आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा—निर्देश निर्गत किये गये हैं। तद्नुसार इकाईयों का संचालन किया जाना है।

21—FMR Code-RCH.7.54.OOC पर पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) ऑपरेशनल कॉस्ट

जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेजों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रियाशील किये जा रहे पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs)के संचालन हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट मद में धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

22—FMR Code-RCH.7.54.ASHA पर **आशा/आंगनवाड़ी (सन्दर्भन एवं फालोअप) को प्रोत्साहन राशि—**

एन0आर0सी0 में गम्भीर रूप से कुपोषित (Severe Acute Malnutrition-SAM) बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर संदर्भित करने हेतु आशा/आंगनवाडी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु रू0 50/— प्रति बच्चे तथा 4 फॉलोअप कराने हेतु रू0 100/— इस प्रकार प्रति बच्चे कुल रू0 150/— की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

4.9 माँ कार्यक्रम "MAA" (Mother's Absolute Affection)

23—FMR Code-RCH.7.56.ASHA पर माँ कार्यक्रम "MAA" (Mother's Absolute Affection) के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि—आशाओं द्वारा की जाने वाली बैठकों के उपरान्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु माह में 03 मीटिंग तथा त्रैमासिक आधार पर 08 से 10 मीटिंग की जानी है। इन तीन महीनों में आशा को प्रत्येक गर्भवती तथा धात्री महिला तक पहुंचना है। आशा वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में मातृ सम्मेलनों को दोहराती रहेगी। आशा को रु0 100.00 प्रोत्साहन राशि त्रैमासिक आधार पर प्रदान करने हेतु 04 त्रैमास के लिये धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

24—FMR Code-RCH.7.56.IEC पर माँ कार्यक्रम "MAA" (Mother's Absolute Affection) के अन्तर्गत आशाओं द्वारा की जाने वाली बैठकों की रिपोर्टिंग हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्रों की मुद्रण/छपायी जनपद स्तर पर स्पेशिफिकेशन के अनुसार कराये जाने हेतु रू0 1.00 प्रति फार्मेटकी दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

4.10 LMU and CLMC-

प्रदेश के चयनित मेडिकल कॉलेजों/जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में स्थापित/क्रियाशील सिक न्यूबार्न केयर इकाई (SNCU) के निकट एक Lactation Management Unit (LMU) की स्थापना की जानी है। एल0एम0यू0 सभी जिला स्तरीय प्रसव इकाईयों पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें प्रशिक्षित Lactation Support Staff द्वारा माताओं को स्तनपान कराने हेतु सहयोग प्रदान किया जायेगा।

25—FMR Code-RCH.7.57.OOC.1 पर **Lactation Management Unit (LMU)** की आपरेशनल कास्ट हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

26—FMR Code-RCH.7.57.OOC.2 पर **Comprehensive Lactation Management Center (CLMC)** के लिये किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के बालरोग विभाग में संचालित **CLMC** हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट मद में धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति लखनऊ को डैप में आवंटित की जा रही है।

4.11 सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF)

प्रदेश के समस्त जनपदों में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) पूर्व की भाँति इस वर्ष 2023 में भी प्रदेश के समस्त जनपदों में मनाया जाना है। इस हेतु दिशा—निर्देश भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

27.1—FMR Code-RCH.7.58.IEC.1 पर **IEC for IDCF** कार्यक्रम हेतु **IEC** सामग्री **Printing cost for monitoring format, printing of Training material and Treatment protocols for display in health facilities and IEC material Printing like banners, posters, pamphlets** हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

27.2—FMR Code- RCH.7.58.ASHA पर IDCF कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु रू0 100/— प्रति आशा के अनुसार धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप आवंटित की जा रही है।

27.3—FMR Code- RCH.7.58.CB.1 पर प्रदेश के समस्त जनपदों में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) कार्यक्रम के अन्तर्गत One day orientation meeting for IDCF हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप आवंटित की जा रही है।

28—बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन—

28.1—FMR Code-HSS.9.184.C.S0405,410,415,425,829 पर एन0आर0सी0 के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स एवं फिडिंग डिमान्स्ट्रेटर तथा संविदा एवं आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कुक कम केयर टेकर एवं सफाई कर्मचारियों के मानदेय हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

28.2—FMR Code-HSS.9.184.C.S0430,440,461,462 पर एस0एन0सी0यू0 में संविदा एवं बिडिंग के माध्यम से कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ, संविदा स्टाफ नर्स एवं संविदा एवं आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर, एव आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत वार्ड आया, सिक्योरिटी गार्ड एवं सफाई कर्मचारियों के मानदेय हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

28.3— FMR Code-HSS.9.184.C.S0441 पर एन0बी0एस0यू0 में कार्यरत/नवीन संविदा स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

28.4—FMR Code-HSS.9.184.C.S0431,435,442,463 पर एस0पी0एम0 चिकित्सालय लखनऊ में संचालित पीकू में संविदा बालरोग विशेषज्ञ, संविदा मेडिकल ऑफीसर, संविदा स्टाफ नर्स एवं आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत वार्ड आया, के मानदेय हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपद जिला स्वास्थ्य समिति लखनऊ को डैप में आवंटित की जा रही है।

28.5—FMR Code-HSS.9.184.C.S0443,444,445 पर चयनित मेडिकल कालेजों के बालरोग विभाग, में स्थापित स्टेट रिसोर्स सेन्टर के संविदा ट्रेनिगं कोऑर्डिनेटर, नर्सिगं कोऑर्डिनेटर एवं प्रशासनिक कम डाटा सहायक के मानदेय हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

28.6—FMR Code-HSS.9.184.C.S0446,447,448,449 पर बालरोग विभाग किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, एवं बालरोग विभाग आई0एम0एस0—बी0एच0यू0 वाराणसी में संचालित सी0एल0एम0सी0 में संविदा सी0एल0एम0सी0 मैनेजर, सी0एल0एम0सी0 लैब टैक्नीसियन एव आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत हाईजीन हेल्पर तथा क्वीनमेरी चिकित्सलय किंगजार्ज मेडिकल यूनिवसिर्टी लखनऊ में संचालित एल0एम0यू0 में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत एल0एम0यू0 काउंसलर के मानदेय हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

- जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से नियुक्त एस0एन0सी0यू0 के अन्तर्गत बालरोग विशेषज्ञों को रू0 120000/ माह की दर से भुगतान किया जाना है तथा पूर्व से बिडिंग के माध्यम से नियुक्त बाल रोग विशेषज्ञों को बिडिंग में स्वीकृत फिक्स्ड धनराशि एवं पी0बी0एफ का भुगतान पूर्व में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार दिया जायेगा।
- जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से नियुक्त एन0आर0सी0 के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत नवीन मेडिकल आफिसर को रू0 60000/— माह की दर से भुगतान किया जाना है।
- एन0बी0एस0यू0, एस0एन0सी0यू0 एवं एन0आर0सी0 में नियुक्त नवीन स्टाफ नर्स को रू0 20500/— माह की दर से भुगतान किया जाना है।
- **5 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि** एस0एन0सी0यू0 बालरोग विशेषज्ञ को छोडकर अन्य सभी संविदा एवं आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि देय है।
- **लॉयल्टी बोनस** एस0एन0सी0यू0 बालरोग विशेषज्ञ एवं आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को छोडकर सभी कर्मियों द्वारा निरन्तर 03 वर्ष एवं 05 वर्ष की सेवा संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार लॉयल्टी बोनस देय होगा।
- एस0एन0सी0यू0 हेतु प्रति नवीन डाटा इन्ट्री आपरेटर (आउट सोर्सिग के माध्यम) को रू0 12,000/— प्रतिमाह की दर से मानदेय एवं **ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0एवं एजेन्सी सर्विस चार्ज** का नियमानुसार भुगतान किया जाना है।

- एस0एन0सी0यू0 हेतु नवीन वार्ड आया/सिक्योरटी गार्ड/सफाईकर्मी (आउट सोर्सिंग के माध्यम) के लिये प्रति कर्मचारी को रू0 9500/– प्रतिमाह की दर से मानदेय एवं **ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0एवं एजेन्सी सर्विस चार्ज** का नियमानुसार भुगतान किया जाना है।
- एन0आर0सी0 हेतु नवीन कुक कम केयरटेकर (आउट सोर्सिंग के माध्यम) हेतु रू0 10500/– प्रतिमाह की दर से मानदेय एवं सफाई कर्मी हेतु रू0 9500/– प्रतिमाह की दर से एवं **ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0एवं एजेन्सी सर्विस चार्ज** का नियमानुसार भुगतान किया जाना है।

वित्तीय व्यवस्था हेतु विशेष निर्देशः–

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखा पुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियां, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट ऑडिटर, स्टेटच्यूरी ऑडिटर, महालेखाकार की ऑडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा–निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
- किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **नोडल अधिकारी/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग** तथा सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
- प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
- जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाये, इसको शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

वर्ष 2023–24 में कार्यक्रमों/गतिविधियों हेतु डैप में आवंटित धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाना है, डैप के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जाये साथ ही व्यय विवरण Financial Accounts Management System (FAMS) पोर्टल पर अपडेट किया जाये।

किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मो0न0 9415085790 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 7897829999 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

5. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0)

5.1 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन–

प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 4 Ds- Defects at Birth, Deficiency, Diseases and Developmental delays leading to disability से ग्रसित बच्चों के पहचान हेतु 6 सप्ताह से 6 वर्ष के बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्रों पर एवं 6 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों का सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ब्लाक स्तरीय मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।

प्रसव केन्द्रों पर प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा नवजात शिशुओं में जन्मजात दोशों तथा आशा द्वारा गृह भ्रमण के दौरान अन्य जन्मे बच्चों का जन्मजात दोशों एवं विकास में देरी हेतु स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियों का संचालन जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जाना है। कार्यक्रम के सुचारु रुप से संचालन हेतु निम्न मदों में धनराशि व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं, जिनका उपयोग दिये गये मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना है। निम्न गतिविधियों हेतु आवंटित की जाने वाली धनराशि जनपद के एलोकेशन/डैप का अंश है।

मोबाइल टीम हेतु वाहन की व्यवस्था– FMR Code- RCH.3.21.OOC.1

- प्रत्येक मोबाइल हेल्थ टीम के लिए एक टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।
- जनपदों में वाहन के संचालन हेतु रु0 33,000.00 प्रतिमाह प्रतिवाहन की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। वाहन का भुगतान ई–टेण्डर द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि (अधिकतम सीमा रु0 33,000 तक) के अनुसार ही किया जायेगा।
- वाहन की व्यवस्था हेतु प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र दिनांक 01.08.2017 तथा कार्यालय के पत्र दिनांक 02.02.2018, 03.05.2018, 13.08.2020, 08.10.2020 में दिये गये निर्देशों के आलोक में वर्तमान में प्रचलित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- आर.बी.एस.के वाहन पर 07 प्रकार के विजिबिलिटी प्रोटोकॉल लगाया जाना अनिवार्य है।
- अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर समय से प्रति दिन कम से कम 8 घंटे अनिवार्य हो।
- वाहन का उपयोग माह में कम से कम 25 दिन किया जाये तथा माइक्रोप्लान के अनुसार फील्ड विजिट/जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भन अथवा फील्ड विजिट न होने पर अन्य निर्दिष्ट कार्य कराये जाने के उपरान्त ही पूरे माह का भुगतान किया जाये। यदि वाहन का उपयोग माह में 25 दिन से कम किया गया है तो जितने दिन वाहन का उपयोग किया गया उतने ही दिन का भुगतान किया जाए।
- माइक्रोप्लान के अनुसार विजिट के उपरान्त वाहन लॉगबुक पर मोबाइल हेल्थ टीम के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर अनिवार्य रुप से होने चाहिए।
- जनपदीय नोडल अधिकारी–आर.बी.एस.के द्वारा जी.पी.आर.एस. डेटा को लागबुक के साथ सत्यापन के उपरान्त ही बीजकों का भुगतान किया जाये।
- वाहन अनुबंध पत्र में दर्शाये गये टेण्डर दर के अनुसार ही भुगतान किया जाना है। बिना टैक्सी परमिट वाहन के भुगतान होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंग।

सपोर्ट फॉर आर.बी.एस.के. सी0यू0जी0 (इन्टरनेट कनेक्शन एण्ड रेन्टल) FMR Code- RCH.3.21.OOC.2

- कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम को लैपटाप एवं डाटा कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं। डाटा कार्ड के रीचार्ज हेतु रु0 300.00 प्रति टीम प्रतिमाह की दर से 9 माह हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

मोबाइल हेल्थ टीम हेतु उपकरणों की व्यवस्था–FMR Code- RCH.3.21.EQ

कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम के क्षेत्र भ्रमण के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के उपयोग हेतु निम्नानुसार उपकरणों की व्यवस्था की जानी है।

Equipment list for each Mobile Health Team	No. of equipment for each team

Vision charts	2
toys, torch, bangle (red ring), crayon rattle, bell, 1 inch cubes, cups, head circumference tape, MUAC tape, picture book and magnifying lens	2
Weighing scale Adult	1
Weighing scale infant	1
Height scale standing	1
Length scale (infant)	1
Stethoscope	2
Sphygmomanometer - BP instrument [cuff of 2 size adult & children]	1

उपरोक्तानुसार टीमों हेतु पुराने उपकरणों की मरम्मत अथवा नवीन उपकरणों की व्यवस्था हेतु रू0 5,000/– प्रति टीम की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। नवीन उपकरणों की व्यवस्था जैम पोर्टल के माध्यम अथवा अन्य प्रक्रिया के माध्यम से नियमानुसार की जायेगी।

ब्लाक स्तर पर मोबाइल हेल्थ टीम को उपलब्ध कराये गये लैपटॉप की मरम्मत कार्य हित में आर0के0एस0 मद में उपलब्ध धनराशि से की जा सकती है।

आर.बी.एस.के. कार्ड/रजिस्टर/प्रपत्र FMR Code- RCH.3.21.IEC.1

- कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के दौरान बच्चों का आर.बी.एस.के. स्क्रीनिंग फार्मेट (स्क्रीनिंग टूल कम रेफरल कार्ड) भरा जाना है। आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों को आर.बी.एस.के. कार्ड के मुद्रण के लिए रू0 1.50 प्रति कार्ड की दर से (वर्ष में दो बार दिये जाने हेतु) एवं स्कूली बच्चों हेतु आर.बी.एस.के. कार्ड के लिए रू0 1.50 प्रति कार्ड की दर से (वर्ष में एक बार दिये जाने हेतु) धनराशि आवंटित की जा रही है। इस व्यय को कम्पीटेटिव बिडिंग के आधार पर किया जाए। स्कीनिंग एवं रेफरल कार्ड (आंगनवाड़ी एवं स्कूल) का पुनरीक्षित प्रोटोटाइप पृथक से भेजा जायेगा।
- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र/स्कूल के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों एवं स्कूली बच्चों का विस्तृत विवरण अलग–अलग रजिस्टर में अंकित किया जाना हैं। दोनों तरह के रजिस्टर हेतु रू0 100 प्रति रजिस्टर की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। रजिस्टर ऐसे होने चाहिए जिसमें कम से कम 1000 बच्चों का विवरण अंकित हो सके। इस व्यय को कम्पीटेटिव बिडिंग के आधार पर किया जाए।
- ब्लाक स्तर पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम के लिए माइक्रोप्लान एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के लिए रू0 1,000.00 प्रति ब्लाक की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। प्रोटोटाइप पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है। तैयार माइक्रोप्लान की एक–एक प्रति बाइण्डिंग कराकर शिक्षा विभाग, आई.सी.डी.एस. एवं ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करवायें। उक्त तीनों गतिविधियों हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

आर.बी.एस.के. कन्वर्जेन्स एवं मॉनीटरिंग मीटिंग– FMR Code- RCH.3.21.PME

- जनपद स्तर पर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग एवं कन्वर्जेन्स हेतु कार्यालय के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के./01/2019–20/5865–75 दिनांक 09.10.2019 में दिये गये निर्देश के क्रम में **मुख्य विकास अधिकारी** की अध्यक्षता में नियमित अन्तर्विभागीय समीक्षा बैठक की जानी है। बैठक में शिक्षा विभाग, आई.सी.डी.एस., सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, केन्द्र विद्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी तथा मोबाइल हेल्थ टीम के समस्त सदस्य उपस्थित रहेंगे। बैठक में कम्यूनिटी प्रोसेस, बाल स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य से संबन्धित नोडल अधिकारी भी प्रतिभाग करेंगे इस बैठक में टीम के सदस्यों को नवीन जानकारिया देते हुए उनके कार्य के संबंध में संवेदीकृत किया जाये। जनपद स्तर पर समीक्षा बैठक के आयोजन हेतु रू0 500.00 प्रति बैठक/ब्लाक की दर से 2 बैठक हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। आवश्यकतानुसार मुख्य विकास अधिकारी के अक्ष्यक्षता में मासिक बैठक भी की जा सकती है।
- ब्लाक स्तर पर बी.पी.एम द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आई0सी0डी0एस0 विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेंगे तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में मासिक बैठक कराते हुए समस्त सूचनाओं/फीडबैक को डी.ई.आई.सी मैनेजर/जनपदीय नोडल अधिकारी से साझा करेंगे

आर0बी0एस0के0 एम.एच.टी. हेतु कन्टिंजेन्सी (ऑपरेशनल कॉस्ट)–FMR Code- RCH.3.21.OOC.4

- ब्लाक स्तर पर कार्यरत मोबाइल हेल्थ टीम को उपलब्ध करायी गयी सामग्री, आई.ई.सी. उपकरण आदि के रख–रखाव हेतु स्टील रेक एवं कटिन्जेन्सी (स्टेशनरी, पेन, पैड, पेपर आदि) की व्यवस्था हेतु रु0 1000.00 प्रति टीम की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

रेफरल सपोर्ट फॉर सेकण्डरी/टरशियरी केयर- FMR Code- RCH.3.22.OOC.3

- कार्यक्रम के अन्तर्गत संदर्भित बच्चों के उपचार हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज/विश्वविद्यालय /संस्थान स्तर पर चिन्हित स्वास्थ्य अवस्थाओं की निःशुल्क शल्य चिकित्सा हेतु निम्न तालिका के अनुसार धनराशि का प्राविधान किया गया है।

Sl.No.	District	Name of Medical college	Rs. (in lakh)
1	Agra	S.N. Medical College, Agra	5.00
2	Aligarh	JN Medical College & Hospital AMU	290.00
3	Prayagraj (Allahabad)	M. L. N. Medical College	5.00
4	Budaun	Goverment Medical College	5.00
5	Etawah	RIMS, Safai Etawah (UPUMS)	10.00
6	GB Nagar	SSPHPGTI GB Nagar	40.00
7	Gorakhpur	B.R.D. Medical College, Gorakhpur	5.00
8	Jhansi	M.L.B. Medical College, Jhansi	20.00
9	Kanpur Nagar	L.P.S. HRS Kanpur Nagar	5.00
10	Lucknow	K.G.M.U. Lucknow	15.00
11	Lucknow	SGPGI Lucknow	5.00
12	Lucknow	Dr. RML IMS Lucknow	30.00
13	Meerut	L.L.R.M. Medical College,Meerut	5.00
14	Sitapur	Regional Eye Institute Sitapur	25.00
15	Varanasi	Sir Sundarlal Hospital, BHU	5.00
		Total	**470.00**

संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सारणी के अनुसार संबंधित मेडिकल कालेज/संस्थान को धनराशि हस्तांतरित करने का कष्ट करें।

नोटः– भविष्य में चिन्हित समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज द्वारा आवश्यकतानुसार मांग पत्र राज्य स्तर को भेजे जाने के उपरान्त धनराशि जनपदों को आवंटित की जा सकती है।

डी0ई0आई0सी0 मैनेजर हेतु फोन एवं इन्टरनेट चार्जेज–FMR Code- RCH.3.22.OOC.2

- जनपद स्तर पर तैनात डी0ई0आई0सी0 मैनेजर को मोबाइल हेल्थ टीम, संदर्भित इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक एवं डी0ई0आई0सी0 में पंजीकृत बच्चों के उपचार तथा फॉलोअप हेतु उनके अभिभावकों से समन्वय कर लिंकेजेज स्थापित सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल फोन एवं इन्टरनेट चार्जेस हेतु वार्षिक कुल रू0 3600/– प्रति डी0ई0आई0सी0 मैनेजर की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

Operational cost for Paediatric Cardiac Evaluation and Cardiac Surgery Unit-FMR Code-RCH.3.31.OOC

- कार्यक्रम के अन्तर्गत जे.एन. मेडिकल कालेज ए.एम.यू. अलीगढ़ में स्थापित पीडियाट्रिक कार्डियक इवैलुवेशन एण्ड कार्डियक सर्जरी यूनिट के संचालन हेतु आपरेशनल कॉस्ट मद में **रु0 2.98 लाख** की धनराशि आवंटन की जा रही है, जिसका उपयोग ए0बी0जी0 सेन्सर केसेट, बेबी टॉय इत्यादि मदों में व्यय किया जाना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को जे0एन0 मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल अलीगढ़ के खाते में हस्तांतरित करने का कष्ट करें।

मोबाइल हेल्थ टीम हेतु औषधियां–FMR Code- HSS.7.179.DS.4

- कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान आर.बी.एस.के. ई.डी.एल. के अनुसार औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जानी है। इसके लिए रु0 5000.00 प्रति टीम की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- प्रत्येक टीम का दायित्व है कि मौके पर उपचारित बच्चों की संख्या तथा उनको दी गयी औषधियों को स्टॉक रजिस्टर में अंकित करना अनिवार्य है।
- आर.बी.एस.के. ई.डी.एल. की जो औषधियां ब्लाक सी.एच.सी./पी.एच.सी. स्तर पर उपलब्ध हैं, के अतिरिक्त औषधियों के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाए। औषधियों की व्यवस्था यूपी मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन की उपलब्ध दर अनुबंध के अनुसार की जायेगी। यदि आर0बी0एस0के0 ई0डी0एल0 मे उल्लेखित औषधियों में से कोई औषधि की दर अनुबंध उपलब्ध न हो तो उसकी व्यवस्था अन्य प्रक्रिया के माध्यम से नियमानुसार सुनिश्चित की जाये।

5.2 मानव संसाधन– FMR Code- HSS.9.184.C

कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर पूर्व से संविदा पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों/कर्मियों के मानदेय हेतु धनराशि वर्ष 2022–23 में दिये जा रहे मानदेय से 5 प्रतिशत बढ़ाकर आवंटित की जा रही है। संविदा कर्मियों के मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि उनके परफार्मेंन्स अप्रेजल के आधार पर ही की जानी है। जिन कर्मियों का मूल मानदेय रु0 15000.00 प्रतिमाह या उससे कम है, के लिए नियमानुसार ई0पी0एफ0 हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। मानव संसाधन का विवरण निम्नवत हैः–

क्रम	एफ0एम0आर0 संख्या	पद नाम	नव नियुक्त कर्मियों का मानदेय (रु0)/माह
1	HSS.9.184.C.S0310	चिकित्सा अधिकारी आयुष (महिला/पुरुष)	32000.00
2	S0315	चिकित्सा अधिकारी एम.बी.बी.एस.	नवीन चयन नहीं किया जाना है।
3	S0316	चिकित्सा अधिकारी बी.डी.एस	नवीन चयन नहीं किया जाना है।
4	S0320	स्टाफ नर्स	नवीन चयन नहीं किया जाना है।
5	S0325	ए.एन.एम	12500.00
6	S0330	पैरामेडिकल स्टॉफ	नवीन चयन नहीं किया जाना है।
7	S0331	एलोपैथिक फार्मासिस्ट	13500.00

उपरोक्त समस्त कर्मियों के 9 माह के मानदेय की धनराशि का प्राविधान संबंधित एफ.एम.आर. कोड पर किया गया है।

नोटः–

- मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों को अन्य कार्य के लिए एवं अन्य स्थानों पर संबद्ध नहीं किया जाए।
- मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यो को प्रत्येक कार्य दिवस में 8 घण्टे की सेवा प्रदान करना आवश्यक है तथा क्षेत्र भ्रमण स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के खुलने के समयानुसार किया जाए।
- प्रत्येक मोबाइल हेल्थ टीम में मानकानुसार (चिकित्सक–2 (पुरुष–1, महिला–1), स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम–1 एवं पैरामेडिकल/फार्मासिस्ट–1) मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- मोबाइल हेल्थ टीम में पद रिक्त होने पर इसकी सूचना अनुभाग को तल्काल उपलब्ध करा दी जाये ताकि राज्य स्तर पर मानव संसाधन अनुभाग द्वारा चयन प्रकिया प्रारम्भ की जा सके।
- महत्वाकांक्षी जनपदों के मोबाइल हेल्थ टीम में पद रिक्त होने पर कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/आर.बी.एस.के./6/2019–20/6339–2 दिनांक 23.10.2019 में दिये गये निदेर्शों के अनुसार भर्ती प्रकिया जनपद स्तर पर पूर्ण कर ली जाए।

डी.ई.आई.सी. मैनेजर का मानदेय FMR Code- HSS.9.184.C.P260 & C.P261 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को सुचारु रुप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर डी.ई.आई.सी. मैनेजर की तैनाती की गई है। नवनियुक्त डी.ई.आई.सी. मैनेजर के मानदेय के लिए रु0 33,000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि का प्राविधान पर किया गया है। कार्यरत कर्मियों के मानदेय की धनराशि गत वर्ष 2022–23 में दिये जा रहे मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि की धनराशि सहित आवंटित की जा रही है। संविदा कर्मियों के मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि उनके परफार्मेंन्स एप्रेजल के आधार पर ही की जानी है। डी0ई0आई0सी0 मैनेजर के 9 माह के मानदेय हेतु धनराशि का प्राविधान संबंधित एफ.एम.आर.कोड पर किया गया है।

डी.पी.एम.यू. ऑपरेशनल कॉस्ट FMR Code- HSS.11.193.PME.9.1

- डी.ई.आई.सी. मैनेजर द्वारा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु फील्ड विजिट व राज्य स्तर पर आयोजित आर.बी.एस.के. समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करने के लिए टीए/डीए की व्यवस्था हेतु **मानव संसाधन अनुभाग** की ओर से डी.पी.एम.यू. ऑपरेशनल कॉस्ट मद में रु0 10000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है। धनराशि का उपयोग निम्न मानकानुसार किया जाना है–
    - प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 दिन फील्ड विजिट किया जाना है। प्रत्येक माह का विजिट प्लान एवं भ्रमण आख्या बनाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी से अनुमोदन कराकर

राज्य स्तर को भेजना अनिवार्य है। भ्रमण के दौरान पायी गई कमियों का उचित स्तर से निस्तारण कराया जाना अपेक्षित है।

- फील्ड विजिट हेतु दैनिक आधार पर टैक्सी परमिट छोटा वाहन जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर इम्पैनेल्ड एजेंसी से अनुमन्य दर के आधार पर लिया जा सकता है।
- बस द्वारा यात्रा किये जाने पर भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर किया जायेगा।
- मोटर साइकिल/स्कूटर या अन्य वाहन द्वारा की गई यात्रा के लिए रु0 5.00 प्रति कि0मी0 की दर से धनराशि देय होगी।
- राज्य स्तर पर प्रशिक्षण/बैठक में प्रतिभाग करने पर उक्त मद में उपलब्ध धनराशि से टीए0/डीए0 का भुगतान डी0पी0एम0 के समतुल्य किया जाना है।

Peadiatric Speech Therapist at SGPGI Lucknow– FMRCode- HSS.9.184.C.S0348

- कार्यक्रम के अर्न्तगत चिन्हित 47 स्वास्थ्य अवस्थाओं में से जन्मजात बहरापन एक अवस्था है, जिसके लिये भारत सरकार द्वारा निशुल्क उपचार किये जाने का प्राविधान है। उक्त के क्रम में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के Neurotology unit, Department of Neurosurgery विभाग द्वारा Cochlear Implant Services प्रारम्भ किया गया है, जहां पर जन्म से बधिर बच्चों को Cochlear Implant से सबन्धित सेवाओं हेतु उपचार किया जा रहा है। संदर्भित बच्चों के पूर्ण उपचार हेतु सेवा प्रदान करने के लिए पूर्व से तैनात **पीडियाट्रिक स्पीच थेरेपिस्ट** के मानदेय की धनराशि गत वर्ष 2022–23 में दिये जा रहे मानदेय से 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त मानदेय की धनराशि SGPGI लखनऊ को स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

माइक्रोप्लान तैयार करना–

कार्यक्रम के सुचारु रुप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए ब्लाक स्तर पर शिक्षा विभाग एवं आई.सी.डी.एस. के सहयोग से माइक्रोप्लान तैयार किया जाना है। इस हेतु जनपद के समस्त ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे अपने स्तर पर तत्काल अन्तर्विभागीय अधिकारियों (Block official of education, ICDS, Social justice and empowerment, tribal welfare for Ashram school, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya and Kendriya Vidyalya) की बैठक आयोजित करके 31 मार्च 2024 तक का माइक्रोप्लान बनवाना सुनिश्चित करें। तैयार माइक्रोप्लान (बुकलेट) की एक प्रति शिक्षा विभाग, आई.सी.डी.एस. ए.एन.एम एवं आशा को देते हुए एक सॉफ्ट कॉपी राज्य स्तर को प्रेषित की जाए। ए.एन.एम. आशा, एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्री की मासिक बैठक में मोबाइल हेल्थ टीम के क्रियाकलाप की जानकारी साझा की जाये एवं यथासंभव टीम का प्रतिभाग करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि मोबाइल हेल्थ टीम के भ्रमण के संबन्ध में सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी प्राप्त हो जाये। इससे स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के शत–प्रतिशत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कराने में सहायता मिलेगी।

5.3 शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन–

कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए इसका विस्तार नगरीय क्षेत्र में भी किया जा रहा है। प्रथम चरण में प्रदेश के 15 जनपद तथा द्वितीय चरण में 16 जनपदों में कार्यक्रम के संचालन हेतु मोबाइल हेल्थ टीम का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जनपदवार टीम का विवरण निम्नवत है–

Ist Phase (2020-21)			IInd Phase (2022-23)		
Sl. No.	District	No. of Urban MHT	Sl. No.	District	No. of Urban MHT
1	Agra	3	1	Azamgarh	**1**
2	Aligarh	2	2	Banda	1
3	Allahabad (Prayagraj)	3	3	Barabanki	1
4	Bareilly	2	4	Bulandshahar	1
5	Faizabad (Ayodhya)	1	5	Chandauli	1
6	Firozabad	3	6	Farrukhabad	1
7	Ghaziabad	3	7	Fatehpur	1
8	Gorakhpur	3	8	Gonda	1
9	Jhansi	1	9	Hathras	1
10	Kanpur Nagar	4	10	Jalaun	1
11	Lucknow	4	11	Kushinagar	1
12	Meerut	2	12	Mathura	1
13	Moradabad	3	13	Mirzapur	1
14	Saharanpur	2	14	Rampur	1

15	Varanasi	4	15	Shahjahanpur	1
			16	Sitapur	1
	Total	**40**			**16**

अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम हेतु उपकरण की व्यवस्था– FMR Code- HSS(U).2.134.EQ.1

- कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात द्वितीय फेज जनपद के प्रत्येक अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम को क्षेत्र भ्रमण के दौरान निम्न विवरण के अनुसार समस्त उपकरणों की व्यवस्था की जानी है।

Equipment list for each Mobile Health Team	Number for each team
Vision charts	2
toys, torch, bangle (red ring), crayon rattle, bell, 1 inch cubes, cups, head circumference tape, MUAC tape, picture book and magnifying lens	2
Weighing scale Adult	1
Weighing scale infant	1
Height scale standing	1
Length scale (infant)	1
Stethoscope	2
Sphygmomano meter - BP instrument [cuff of 2 size adult & children]	1

उपरोक्त उपकरणों की व्यवस्था हेतु रू0 15,000/– प्रति टीम की दर से धनराशि प्राविधान किया गया है।

नोट–उक्त 31 जनपदों के अर्बन एम.एच.टी. हेतु उपकरणों की व्यवस्था के लिए रु0 15000.00 प्रति टीम की दर से गत वर्ष 2020–21 एवं 2022–23 में धनराशि आवंटित की जा चुकी है। अतः उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। शीघ्र ही मानव संसाधन की तैनाती उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

5.4 डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टरवेशन सेन्टर (डी.ई.आई.सी) का संचालन–

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 Ds- Defects at Birth, Deficiency, Diseases and Developmental delays leading to disability से ग्रसित बच्चों की पुष्टि, टर्शरी लेवल इकाईयों से लिंकेज स्थापित करते हुए निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने एवं उनका फालोअप सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टरवेन्शन सेन्टर की स्थापना किये जाने का प्राविधान है।

वर्तमान समय में डी.ई.आई.सी. का संचालन निम्न जनपदों में किया जा रहा है/जाना है।

Sl.No.	Name of Distrtict	DEIC establishment	Status
1	Aligarh	DEIC-COE- JN Medical College & Hospital AMU	Functional
2	Aligarh	DEIC- District Women Hospital	Functional
3	GB Nagar	DEIC-COE- SSPHPGTI GB Nagar	Functional
4	Lucknow	DEIC-COE- K.G.M.U. Lucknow	Functional
5	Ghaziabad	DEIC- District Combind Hospital	Functional
6	Moradabad	DEIC- District Women Hospital	Functional
7	Jhansi	DEIC- MLB Medical College	To be functional
8	Unnao	DEIC- District Hospital	To be functional
9	Chitrakoot	DEIC- District Women Hospital	To be functional
10	Pratapgarh	DEIC- District Women Hospital	To be functional
11	Sonebhadra	DEIC- District Women Hospital	To be functional
12	Amedkar Nagar	DEIC-MCH Wing, CHC, Tanda	To be functional
13	Etah	DEIC- District Women Hospital	To be functional
14	Gonda	DEIC- MCH wing, 5th floor, DWH	To be functional
15	Gorakhpur	DEIC-DWH	To be functional
16	Varanasi	DEIC-SNCU Building, SSH- BHU	To be functional

ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर डी0ई0आई0सी0 सेन्टर- FMR Code- RCH.3.22.OOC.1

कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित निम्न डी0ई0आई0सी0 की क्रियाशीलता हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट (कन्ज्यूमेबल, मेडिकल एवं मिसलेनियस गतिविधियों) हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है। व्यय वास्तविक भुगतान के आधार पर बुक किया जायेगा। ऑपरेशनल कॉस्ट का विवरण निम्नवत है–

क्र.सं.	डी0ई0आई0सी0 का नाम	Operational cost (in lakh)
1	डी.ई.आई.सी.–सी.ओ.ई. जी.बी. नगर	9.00
2	डी.ई.आई.सी.–सी.ओ.ई. ए.एम.यू. अलीगढ	16.00
3	डी.ई.आई.सी.–सी.ओ.ई. के.जी.एम.यू. लखनऊ	3.00
4	डी.ई.आई.सी. गाजियाबाद	3.00
5	डी.ई.आई.सी. जिला महिला चिकित्सालय अलीगढ़	3.00
6	डी.ई.आई.सी. जिला महिला चिकित्सालय मुरादाबाद	3.00
	कुल धनराशि	**37.00**

उपरोक्तानुसार आपरेशनल कॉस्ट की धनराशि का प्राविधान संबंधित एफ.एम.आर.कोड पर किया गया है। डी0ई0आई0सी0 हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट के **Administrative** मद में सपोर्ट स्टॉफ जैसे रिसेप्शनिस्ट, Group D स्टॉफ एव सुरक्षा गार्ड की तैनाती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जानी है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से सपोर्ट स्टॉफ का चयन के मानक सारिणी–1 में दी गई है। **सारणी–1**

S.No	Class of Employment	Unskilled	Semi Skilled	Skilled
1	Total Minimum wages Per Month (In Rupees)	9184	10102	11316
	Increment@5%	459.20	505.10	565.80
	(A)	9643.20	10607.10	11881.80
2	EPF @13.36%(employers contribution) (B)	1288.33	1417.11	1587.41
3	ESI @3.25%(Employers contribution) (C)	313.40	344.73	386.16
4	Agency charges upto 10% (D)	964.32	1060.71	1188.18
	(A+B+C+D)	12209.26	13429.65	15043.55
5	GST @ 18%	2197.67	2417.34	2707.84
	Total salary	**14406.92**	**15846.99**	**17751.39**

Category	Some Example of Category
1. Skilled	Driver (Heavy Vehilce), Accountant, Cashier, Store keeper, clerk, Godown keeper
2. Semi Skilled	Sorter/checker, Driver (Light Vehicle), Billman
3. Unskilled	Loader, Un-loader, sweeper and chowkidar.

आउटसोर्स स्टॉफ का विवरण निम्नवत है–

क्र.सं.	डी0ई0आई0सी0 का नाम	Receptionist	Group-D	Security Guard
1	डी.ई.आई.सी.–सी.ओ.ई. जी.बी. नगर	1	2	1
2	डी.ई.आई.सी.–सी.ओ.ई. ए.एम.यू. अलीगढ	1	2	1
3	डी.ई.आई.सी.–सी.ओ.ई. के.जी.एम.यू. लखनऊ		1	
4	डी.ई.आई.सी. गाजियाबाद		1	
5	डी.ई.आई.सी. जिला महिला चिकित्सालय अलीगढ़		1	
6	डी.ई.आई.सी. जिला महिला चिकित्सालय मुरादाबाद		1	

5.5 मानव संसाधन–डी.ई.आई.सी– FMR Code- HSS.9.184.C.S

- कार्यक्रम के अन्तर्गत संबंधित मेडिकल कॉलेज/संस्थान/जिला चिकित्सालय स्तर पर संचालित डी0ई0आई0सी0 में पूर्व से कार्यरत स्टॉफ के मानदेय हेतु धनराशि वर्ष 2022–23 में दिये जा रहे मानदेय से 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि की धनराशि सहित आवंटित की जा रही है। संविदा कर्मियों द्वारा निरन्तर एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि उनके परफार्मेंन्स अप्रेजल के आधार पर किया जाना है।

डी.ई.आई.सी के नव नियुक्त स्टॉफ के मानदेय का विवरण निम्नवत है–

FMR code	DEIC HR	Basic Honoraria (Rs.)/Month
HSS.9.184.C.S0341	Paediatrician	100000
S0342	Pathologist	100000
S0347	MO, MBBS	60000
S0354	MO, Dental	50000
S0355	Training Coordinator	50000
S0360	Staff Nurse (SN)	25000
S0365	Physiotherapist	30000
S0370	Audiologist & speech therapist	40000
S0375	Psychologist	35000
S0380	Optometrist	30000
S0385	Early interventionist cum special educator	35000
S0390	Social worker	30000
S0395	Lab technician	25000
S0400	Dental technician	25000
S0401	Counsellor	25000
HSS.9.184.C.P261	DEIC Manager (at Medical college/institution)	33000

उपरोक्तानुसार डी.ई.आई.सी.के स्टॉफ के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि का प्राविधान संबंधित एफ0एम0आर0 कोड पर किया गया है।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कर्तव्य एवं दायित्व–

मोबाइल हेल्थ टीम का दायित्व–

- **प्रत्येक टीम द्वारा प्रतिदिन लगभग 110–120 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाये।**
- टीम द्वारा वर्ष में विद्यालयों में कम से कम एक एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में 2 बार भ्रमण अपेक्षित है।
- संज्ञान में आया है कि कतिपय स्कूल/आंगनवाड़ी केन्द्र भ्रमण से छूट जाते हैं। अतः प्रत्येक दशा में शत प्रतिशत विद्यालयों एवं आगनवाड़ी केन्द्रों का वर्ष में एक बार भ्रमण अवश्य सुनिश्चित किया जाये।
- एक दिन में आवश्यकतानुसार एक स्कूल एवं एक आंगनवाड़ी केन्द्र अथवा दो या दो से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रो का भ्रमण सुनिश्चित किया जाये। तद्नुसार वार्षिक माइक्रोप्लान तैयार कर आई. सी.डी.एस. एवं शिक्षा विभाग के संबन्धित अधिकारियों को प्रति उपलब्ध करायें।
- 44 ऐसे जनपद जहॉ पर अर्बन एम0एच0टी0 का प्राविधान नहीं किया गया है, के पेरीअर्बन (नगरीय क्षेत्र के चारो ओर फैले) ब्लाक की टीम द्वारा नगरीय क्षेत्र के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के भ्रमण की कार्ययोजना बनाकर भ्रमण सुनिश्चित किया जाये। आवश्यकतानुसार किसी अन्य समीपस्थ ब्लाक के टीम को भी उपयोगित किया जा सकता है।
- निर्धारित क्षेत्र भ्रमण तिथि से दो दिन पूर्व संबन्धित स्कूल के शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं आशा तथा ए.एन.एम. को दूरभाष द्वारा अवगत करायें।
- क्षेत्र भ्रमण के दौरान वाहन पर 07 प्रकार के विजिबिलिटी प्रोटोकॉल तथा अपने साथ आवश्यक औषधियां, उपकरण एम.एच.टी. रजिस्टर (स्कूल एवं आंगनवाड़ी) एवं आर.बी.एस.के. कार्ड अवश्य रखें।
- संदर्भित बच्चों के सापेक्ष प्रत्येक स्तर (सी.एच.सी., जिला चिकित्सालय तथा मेडिकल कॉलेज/उच्च स्वास्थ्य इकाई) पर उपचारित बच्चों की सूची तैयार कर नियमित रुप से फॉलोअप सुनिश्चित करें।
- प्रसव इकाई में जन्में बच्चों का बर्थ डिफेक्ट्स संबंधित विवरण का मासिक रिर्पोटिग फॉर्मेट में अंकन व लाइनलिस्ट बनाना।
- आशा के माध्यम से एच.बी.एन.सी./एच.बी.वाई.सी. के दौरान घरेलू प्रसव में जन्में बच्चों एवं उनमें पाये जाने वाले बर्थ डिफेक्ट्स तथा विकास में देरी की सूचना आशा/बी.सी.पी.एम. के माध्यम से अपने मासिक रिर्पोटिग में अंकित करना।
- चिन्हित व संदर्भित किए गए बच्चों को आर0बी0एस0के0 सॉफ्टवेयर में अपलोड करना।
- नोडल अधिकारी आर.बी.एस.के./डी.ई.आई.सी. मैनेजर द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन।
- मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यो को प्रत्येक कार्य दिवस में 8 घण्टे की सेवा प्रदान करना आवश्यक है। उनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण, स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के खुलने के समयानुसार योजित किया जाए।
- प्रत्येक सदस्य द्वारा क्षेत्र भ्रमण के पूर्व मूवमेंन्ट रजिस्टर में समय एवं स्थान का अंकन सुनिश्चित किया जाये।

- क्षेत्र भ्रमण के उपरान्त ब्लाक स्तर पर अपना कार्य प्लानिंग, माईक्रोप्लान, रिपोर्टिंग आदि पूर्ण कर ससमय रिपोर्ट डी0ई0आई0सी0 मैनेजर/जनपदीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायें।
- बच्चों का संदर्भन निश्चित दिवस (शनिवार) को सी.एच.सी. से जिला चिकित्सालय तक आर.बी.एस. के वाहन के माध्यम से किया जाये तथा उपचार के उपरान्त पुनः वाहन से सी.एच.सी पर वापस पहुंचा दिया जाये।
- टीम द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे वाहन की लॉगबुक का रखरखाव टीम लीडर की जिम्मेदारी है। लॉगबुक में प्रतिदिन प्रविष्टि करते हुए सप्ताहान्त में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से सत्यापन करायें।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट (1.एम.पी.आर. फार्मेट–आशा, स्कीनिंग एम.एच.टी, सर्विस एक्सेस, सेकण्डरी टर्शियरी केयर तथा 2.डिलेवरी प्वाइंट बर्थ डिफेक्ट्स फार्मेट) ससमय जिला स्तर पर उपलब्ध करना।
- संदर्भित बच्चों की सूची उस क्षेत्र की कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर (सी0एच0ओ0) को उपलब्ध कराई जाये ताकि वे बच्चों के अभिभावकों से संम्पक्र कर उनका संदर्भन, उपचार एवं फॉलोअप सुनिश्चत करा सके।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का दायित्व–

- वर्ष के प्रारम्भ में शिक्षा एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ मोबाइल हेल्थ टीम का माइक्रोप्लान तैयार कराना एवं तदनुसार भ्रमण कराना। वार्षिक माइक्रोप्लान की प्रति आई.सी.डी.एस. एवं शिक्षा विभाग के संबन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु एक प्रति अपने पास अवश्य रखें।
- बाढ़, आपदा एवं अन्य कारणों से छूटे हुए विद्यालय/आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए विशेष योजना बनाकर शत्–प्रतिशत भ्रमण कराना सुनिश्चित करें।
- टीम को आवश्यक औषधियां एवं उपकरण उपलब्ध करवाना।
- वाहन पर 07 प्रकार के विजिबिलिटी प्रोटोकॉल के साथ उसकी समय से उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- टीम हेतु क्षेत्र भ्रमण का मूवमेंन्ट रजिस्टर तैयार करवाना एवं उसका फॉलोअप। टीम के वाहन की लॉगबुक का सप्ताहान्त में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापन सुनिश्चित किया जाये।
- प्रत्येक बच्चे का आर.बी.एस.के. कार्ड भरवाना एवं मोबाइल हेल्थ टीम रजिस्टर के सभी कॉलम भरना सुनिश्चित करवाना।
- प्रत्येक माह निश्चित दिवस पर सहयोगी विभागों के प्रतिनिधि (सी0डी0पी0ओ0, बी0ई0ओ0 व अन्य) व मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों के साथ कार्यक्रम की नियमित समीक्षा बैठक करना तथा आवश्यकतानुसार व्यवस्थायें सुनिश्चित करना। समीक्षा बैठक आख्या को जिला नोडल अधिकारी–आर.बी.एस.के/डी.ई.आई.सी. मैनेजर को प्रेषित करना।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट (1.एम.पी.आर. फार्मेट–आशा, स्कीनिंग एम.एच.टी, सर्विस एक्सेस, सेकण्डरी टर्शियरी केयर तथा 2.डिलेवरी प्वाइंट बर्थ डिफेक्ट्स फार्मेट) ससमय जिला स्तर पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
- ब्लाक स्तर पर तैनात दोंनो टीमों को कार्यक्रम संबंधित रजिस्टर, प्रपत्र, उपकरण, औषधियां आदि को रखने एवं उनके बैठने हेतु एक कमरा उपलब्ध कराया जाये।

डी0ई0आई0सी0 मैनेजर–आर.बी.एस.के. के दायित्व–

- डी.ई.आइ.सी0 मैनेजर डी.पी.एम.यू. कार्यालय अथवा स्थापित डी.ई.आई.सी. में निर्धारित स्थान पर बैठेगे।
- सभी मोबाइल हेल्थ टीमों का वार्षिक माइक्रोप्लान बनवायेगें तथा जिले स्तर पर कम्पाइल कर संबंधित से साझा करते हुए राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगे।
- मोबाइल हेल्थ टीमों के वाहन की लॉगबुक में प्रविष्टि तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापन का सतत् फॉलोअप सुनिश्चित किया जाये।
- जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक से समन्वय करते हुये सप्ताह में कम से कम 2–3 सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु अग्रिम मासिक भ्रमण कार्यक्रम बनायेंगे। भ्रमण योजना की एक प्रति राज्य स्तर पर भी साझा करेंगे
- भ्रमण के दौरान मॉनिटरिंग फार्मेट का उपयोग करते हुए मोबाइल हेल्थ टीम, लाजिस्टिक आदि से संबंधित पायी गयी कमियों को ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से साझा कर समस्या का निदान करवायेंगे। नियमित रुप से इसकी जानकारी जनपदीय नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी देंगे। प्रत्येक माह की भ्रमण आख्या के प्रमुख बिन्दु तथा उन पर की गयी

कार्यवाही को संकलित कर जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले त्रैमासिक बैठक में चर्चा की जायेगी एवं उसकी एक प्रति राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी।

- आशा, आंगनवाड़ी एवं ए.एन.एम. की ब्लाक स्तरीय बैठक में माह में कम से कम एक बार प्रतिभाग करके जन्मजात दोशों के पहचान हेतु उन्मुखीकरण किया जाए।
- आर0बी0एस0के0 के अन्तर्गत संन्दर्भित बच्चों का चिकित्सा इकाईयो के नोडल अधिकारियो से समन्वय स्थापित करते हुये निःशुल्क उपचार करवाना तथा उनका फालो–अप सुनिश्चित कराना।
- एक जनपद से दूसरे जनपद में मेडिकल कालेज/डी0ई0आई0सी0 स्तर पर संदर्भित किये जाने वाले बच्चों के संदर्भन हेतु मातृ जनपद के डी.ई.आई.सी. मैनेजर द्वारा संबंधित जनपद के डी.ई.आई.सी. मैनेजर से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित किया जाये। अन्य जनपदों को संदर्भित बच्चों की लाइनलिस्ट एवं उनका फालोअप प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाये तथा राज्य स्तर पर आवश्यकतानुसार मांगने पर लाइन लिस्ट उपलब्ध कराना।
- आर.बी.एस.के से संबंधित सूचनाओं को विभिन्न स्तरों पर एच.एम.आई.एस. आर.बी.एस.के. सॉफ्टवेयर में अपलोड कराना। उपलब्ध ऑकड़ों को जनपद स्तरीय बैठकों में प्रस्तुत करना।
- जनपद स्तर पर होने वाली मासिक बैठको एवं जिला स्वास्थ्य समिति की बैठको में आर.बी.एस.के. की प्रगति एजेण्डा बिन्दु के रूप में सम्मिलित करवाना।
- ब्लॉकवार सभी स्तर के संदर्भित बच्चों की (संदर्भन से उपचार तक की सूचनाओं के साथ) लाइन लिस्ट तैयार कर नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करना।
- चिन्हित जनपदों में डी.ई.आई.सी. के संचालन हेतु एस.एन.सी.यू. से लिंकेजेज, उपकरणों की उपलब्धता, मेडिकल कालेज/संस्थानों से समन्वय स्थापित कर बच्चों का उपचार करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- जिला स्तर पर प्रसव इकाई में जन्में बच्चें एवं एस.एन.सी.यू. में भर्ती बच्चों में पाये जाने वाले जन्मजात दोशों की सूचना डिलेवरी प्वाइंट बर्थ डिफेक्ट्स फार्मेट में संकलित करना।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट (1.एम.पी.आर. फार्मेट–आशा, स्कीनिंग एम.एच.टी, सर्विस एक्सेस, सेकण्डरी टर्शियरी केयर तथा 2.डिलेवरी प्वाइंट बर्थ डिफेक्ट्स फार्मेट) संकलित कर माह के 5 तारीख तक राज्य स्तर पर आवश्यक रुप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

<u>नोडल अधिकारी आर.बी.एस.के. के दायित्व–</u>

- संबंधित जनपदों में स्थापित डी.ई.आई.सी. केन्द्र का त्रैमासिक भ्रमण करते हुए सुपरवाइजरी चेकलिस्ट भरकर राज्य स्तर को प्रेषित किया जाये।
- डी.ई.आई.सी. मैनेजर द्वारा जनपदीय जिला चिकित्सालयों में मोबाइल हेल्थ टीम के माध्यम से संदर्भित बच्चों के उपचार हेतु समन्वय किया जाना है। डी.ई.आई.सी. मैनेजर के बैठने की व्यवस्था डी.पी.एम.यू. कार्यालय में है। जिन जनपदों में डी.ई.आई.सी. की स्थापना हो गई है वहां के डी.ई.आई.सी. मैनेजर के बैठने की व्यवस्था डी.ई.आई.सी. कार्यालय में सुनिश्चित करें।
- आर.बी.एस.के. त्रैमासिक समीक्षा बैठक जिसमें संबन्धित विभाग के अधिकारियों, डी.ई.आई.सी. मैनेजर एवं समस्त ब्लाक के मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्य प्रतिभाग करेंगे का आयोजन सुनिश्चित करें।
- टीम के सदस्यों को कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक जानकारियां भी साझा करते हुए भ्रान्तियों का निवारण किया जाये। बैठक का कार्यवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं राज्य स्तर के साथ साझा करें।
- आर.बी.एस.के से संबंधित सूचनाओं को एच.एम.आई.एस., आर.बी.एस.के. सॉफ्टवेयर में विभिन्न स्तरों पर अपलोड कराना। उपलब्ध आंकड़ों को जनपद स्तरीय बैठकों में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार कार्यवाही कराना।
- जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कार्यक्रम से संबंधित एजेण्डा को सम्मिलित करवाकर कार्यक्रम की प्रगति को साझा करना।
- समस्त क्रियाशील प्रसव इकाईयों में जन्में बच्चों एवं एस.एन.सी.यू. में भर्ती बच्चों में जन्मजात दोशों की पहचान प्रसव इकाई/एस.एन.सी.यू. में कार्यरत स्टॉफ के माध्यम से सुनिश्चित कराना।
- चिन्हित जनपदों में डी.ई.आई.सी. के संचालन हेतु एस.एन.सी.यू. से लिंकेजेज, उपकरणों की उपलब्धता, मेडिकल कालेज/संस्थानों से समन्वय स्थापित कर बच्चों का उपचार करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- वाहन पर 07 विजिबिलिटी प्रोटोकॉल तथा उनकी समय से उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- वाहन लागबुक भरी जाये तथा उसका सत्यापन सुनिश्चित करवाना।

- मासिक प्रगति रिपोर्ट (1.एम.पी.आर. फार्मेट–आशा, स्कीनिंग एम.एच.टी, सर्विस एक्सेस, सेकण्डरी टर्शियरी केयर तथा 2.डिलेवरी प्वाइंट बर्थ डिफेक्ट्स फार्मेट) संकलित कर माह के 5 तरीख तक राज्य स्तर पर अवश्यक रुप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

प्रसव ईकाई पर तैनात स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम. का दायित्व–

- जिला/ब्लाक स्तर के प्रसव इकाईयों पर तैनात स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम द्वारा जन्मजात दोशों की पहचान हेतु समस्त नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है। स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त इसका अंकन आर.सी.एच./प्रसव पंजिका के कॉलम सं0 09 (जटिलतायें) में बच्चों में अतिरिक्त जटिलताओं के रूप में आवश्यक रुप से अंकित कर दिया जाये। जन्मजात दोष पाये जाने पर इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवश्य दें ताकि उपचार हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।
- जन्मजात दोशों के परीक्षण एवं संदर्भन के संदर्भ में कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 10.04.2019 में दिये गये अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु निर्धारित दायित्वों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
- प्रसव इकाई में जन्में बच्चों का बर्थ डिफेक्ट्स संबंधित विवरण आर.बी.एस.के. के मोबाइल हेल्थ टीम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि वे मासिक रिर्पोटिग फोर्मेट में अंकन कर सके।
- जनपद स्तर पर एस.एन.सी.यू. पर तैनात स्टॉफ नर्स द्वारा बच्चो में पाये गये बर्थ डिफेक्ट्स संबंधित विवरण जनपद के डी.ई.आई.सी. मैनेजर को प्रत्येक माह उपलब्ध कराना।

आशा का दायित्व–

- कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा आंगनवाडी केन्द्र/स्कूल में भ्रमण निर्धारित माइक्रोप्लान के अनुसार किया जाता है। आशा, मोबाइल हेल्थ टीम से पूरे माह का माइक्रोप्लान प्राप्त कर ले एवं भ्रमण दिवस पर घर–घर जाकर अभिभावकों को प्रोत्साहित करे कि वे अपने बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अवश्य भेजें एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित विषयों पर जागरूकता हेतु स्वयं भी पहुंचे। विशेषकर ऐसे बच्चें जिनमें जन्मजात दोष, कुपोषण, नियमित विकास में देरी, हृदय, नेत्र, दन्त, कर्ण एवं त्वचा संबन्धित रोग आदि स्वास्थ्य समस्यायें है, का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य सुनिश्चित करायें ताकि उनका संदर्भन कर निःशुल्क उपचार किया जा सके।
- एच.बी.एन.सी./एच.बी.वाई.सी. के दौरान घरेलू प्रसव में जन्में बच्चों एवं उनमें पाये जाने वाले बर्थ डिफेक्ट्स तथा विकास में देरी से ग्रसित बच्चों को सी.एच.सी. पर संदर्भन करना/मोबाइल हेल्थ टीम को सूचित करना।
- आशा की मासिक बैठक के दिन आर0बी0एस0के0 आशा फार्मेट से संबंधित सूचनाओं को एम.एच.टी. को उपलब्ध कराना है।

शिक्षा विभाग के शिक्षकों का दायित्व–

- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान चिन्हित 4डी0 से ग्रसित बच्चों को सी.एच.सी./जिला चिकित्सालय स्तर पर संदर्भन हेतु शिक्षकों अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जाये। टीम के भ्रमण के दिन अधिकाधिक अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये ताकि उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धित विषयों हेतु जागरूक किया जा सके।
- विद्यालय में पंजीकृत समस्त बच्चों के अभिभावकों का मोबाइल नं0 मोबाइल हेल्थ टीम को रिकॉडिंग एवं फॉलोअप हेतु उपलब्ध कराया जायें।

आई.सी.डी.एस. विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकत्री का दायित्व–

- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के दिन अधिक से अधिक बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना।
- 4डी0 से ग्रसित बच्चों को सी.एच.सी./जिला चिकित्सालय स्तर पर संदर्भन हेतु अभिभावकों को प्रोत्साहित करना।
- विशेषकर सैम चिल्ड्रेन जो कतिपय रोग से ग्रसित हों, को मोबाइल हेल्थ टीम के भ्रमण दिवस पर परीक्षण कराकर टीम के सहयोग से NRC में संदर्भन कराना।
- टीम के भ्रमण के दिन अधिकाधिक अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये ताकि उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धित विषयों हेतु जागरूक किया जा सके।
- आंगनवाड़ी में पंजीकृत समस्त बच्चों के अभिभावकों का मोबाइल नं0 एम.एच.टी. रजिस्टर में अवश्य रुप से अंकित कराना ताकि टीम द्वारा फॉलोअप किया जा सके।।

पीडियाट्रिक कार्डियक यूनिट ए.एम.यू. के स्टॉफ/टीम का दायित्व–

- प्रत्येक संदर्भित बच्चों का विस्तृत विवरण, आर.बी.एस.के. मॉडल कॉस्टिंग बुकलेट के अनुसार रिकार्ड अनुरक्षित करना।
- हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के अधिक से अधिक संदर्भन हेतु जनपदीय डी.ई.आई.सी. मैनेजर से समन्वय स्थापित करना।
- यूनिट में उपचारित बच्चों के संदर्भ में विस्तृत विवरण यथा– सर्जिकल प्रोसीजर, औषधियां, कन्ज्यूमेबल आदि का अभिलेख रखना। उपचारित बच्चों का फालोअप करना।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट माह के 5 तारीख तक आवश्यक रुप से राज्य स्तर को उपलब्ध कराना।

डी.ई.आई.सी. स्टॉफ/टीम का दायित्व–

- क्रियाशील डी.ई.आई.सी. में प्रत्येक संदर्भित बच्चों का विस्तृत विवरण सहित रिकार्ड अनुरक्षित किया जाए।
- प्रसव इकाईयों एवं एस0एन0सी0यू0 के बच्चों को डी.ई.आई.सी. में संदर्भन हेतु वहां के संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना।
- बच्चों के निःशुल्क शल्य चिकित्सा प्रबन्धन हेतु मेडिकल कालेज/उच्च स्तरीय इकाईयों के संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना।
- प्रत्येक संदर्भित बच्चों का डोमेनवाइज विवरण उपलब्ध हो तथा सम्पूर्ण उपचार एवं रीहेविलीटेशन (पुनर्वास) हेतु संबंधित इकाईयों से लिंकेजेज स्थापित सुनिश्चित करना।
- डी.ई.आई.सी. में उपचारित बच्चों के संदर्भ में विस्तृत विवरण यथा– सर्जिकल प्रोसीजर, औषधियां, कन्ज्यूमेबल आदि का अभिलेख रखना।
- उपचारित बच्चों का फालोअप करना। उपकरणों की विस्तृत सूची तैयार करना।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट एवं वित्तीय व्यय रिपोर्ट माह के 5 तारीख तक अवश्यक रुप से राज्य स्तर को उपलब्ध कराना।

अन्य बिन्दु–

- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा फील्ड विजिट के दौरान स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों की आखों की विशेष जांच की जाये तथा दृष्टि दोष से ग्रसित 19 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क चश्मे की व्यवस्था
  राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत नियमानुसार की जाये।
- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्कूल/आंगनवाड़ी केन्द्र भ्रमण के दौरान क्षय रोग (टी0बी0) एवं कुष्ठ रोग (लेप्रोसी) से सम्भावित ग्रसित बच्चों को एन0टी0ई0पी0 एवं एन0एल0ई0पी0 के संबंधित संदर्भन इकाई से समन्वय स्थापित करते हुए संदर्भन सुनिश्चित करना। इससे सम्बन्धित अभिलेख, एम0पी0आर0 के सेकेण्डरी/टरशरी केयर फॉर्मेट पर अंकित करना।
- टीम के सदस्यों की उपस्थिति एवं माईक्रोप्लान के अनुसार विजिट सुनिश्चित कराने का दायित्व डी.ई.आई.सी मैनेजर का होगा।
- भारत सरकार द्वारा विकसित आर0बी0एस0के सॉफ्टवेयर को क्रियाशील कराने हेतु संबंधित डाटा– एम.एच.टी., स्कूल, आंगनवाड़ी, डी.ई.आई.सी. आदि का डाटा अद्यतन किया जाना अतिआवश्यक है। अतः डाटा का अपडेशन एम.एच.टी द्वारा ससमय अवश्य पूर्ण करा लिया जाए।

चिकित्सा अधिकारी–एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0/आयुष की अधिकतम सेवा अवधि–

- कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात चिकित्सा अधिकारी–एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0 एवं आयुष चिकित्सकों की अधिकतम सेवा अवधि की सीमा 65 वर्ष होगी, इस हेतु कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/आर0बी0एस0के0/06/2020–21/279 दिनांक 01.09.2020 तथा पत्र संख्या 03/ SPMU/NHM/ AYUSH/Manav Sansadhan/2018-19/2457 दिनांक 18.06.2019 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

वित्तीय व्यवस्था हेतु विशेष निर्देशः–

- भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गई उसी गतिविधि हेतु निर्धारित सीमा तक नियमानुसार व्यय किया जाए। जनपद में समस्त भुगतान पत्र सं0 एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम/2012–13/लेखा/पी.एफ.एम.एस./187/5067–2 दिनांक 04. 02.2015 के अनुसार पी.एफ.एम.एस. वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेण्ट प्रिन्ट एडवाइज के द्वारा ही कराया जाना सुनिश्चित करें।

- राज्य स्तर के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आपरेशनल गाइडलाइन/2017–18/282/189–2(9) दिनांक 10.04.2018 द्वारा एस.पी.एम.यू. से अवमुक्त की जाने वाले धनराशि के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए गतिविधियों का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिए प्रधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाएगा।
- मानदेय मद में अवांटित धनराशि बजट मात्र है। मानदेय का भुगतान मानदेय निर्धारण के अनुसार किया जायेगा।
- जनपदों को कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों में मदवार व्यय के आधार पर धनराशि की लिमिट जारी की जायेगी। अतः ससमय नियमानुसार धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जाये।

उपयफ्रक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी एवं आर.बी.एस.के. कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोग करने के पश्चात् मासिक भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस.पी.एम.यू. अनुभाग एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 से 19 वर्ष के किशोरों का सार्वभौमिक अच्छादन किया जाता है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के सम्पूर्ण घटक चयनित 25 जनपदों मे संचालित है। पीयर एजुकेटर कार्यक्रम से आच्छादित होने के कारण इन्हें पीयर एजुकेटर जनपद (PE Districts) कहा जा रहा है। इन जनपदों में जनपदीय चिकित्सालय एवं ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता कार्यरत है। इन ब्लॉक/शहरी किशोर स्वास्थ्य कोऑर्डिनेटर द्वारा किशोरों को दिये जाने वाले परामर्श के साथ–साथ सम्बन्धित ब्लॉक एवं शहरी क्षेत्र में क्रियान्वित किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में समन्वय भी स्थापित किया जायेगा। जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट द्वारा समस्त ब्लॉक/शहरी किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर से संकलित रिपोर्ट के आधार पर जनपदीय कार्यक्रम की सूचना की समीक्षा करते हुये जनपदीय नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के सम्मुख आख्या प्रस्तुत की जायेगी। जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट के सहयोग से जनपदीय नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्यकार्यक्रम द्वारा कार्यक्रम को गति देने एवं सुधार के लिये आवश्यक पत्राचार/कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

शेष 50 जनपदों को पीयर एजुकेटर रहित जनपद (Non PE Districts) कहा जायेगा/इन जनपदों में कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का उत्तरादायित्व डी0ई0आई0सी0 मैनेजर का होगा। समस्त जनपदों के शहरी क्षेत्रों में किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियो में अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य नोडल को सहयोग दिया जाएगा।

जिन जनपदों में आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट/डी0ई0आई0सी0 मैनेजर कार्यरत नहीं हैं वहां उक्त उत्तरादायित्व जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक का होगा।

लक्षित समूह

किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत 10 से 19 वर्ष के किशोरों का सार्वभौमिक आच्छादन किया जाना है। इसमे शहरी और ग्रामीण,स्कूल जाने वाले, स्कूल न जाने वाले,/विवाहित अविवाहित तथा असेवित वर्ग के किशोर/किशोरी सम्मिलित हैं।

वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों/गतिविधियों के सुचारु रुप से संचालन हेतु निम्न मदों में धनराशियां स्वीकृत की गई है, जिनका उपयोग दिये गये मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

साथिया केन्द्र (किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक) :– (केवल 57 जनपदों हेतु)

जनपदों में मेडिकल कालेज/जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर किशोर स्वास्थ्य क्लीनिकली स्थापना पत्रांकः प0क0/08–प्रशि/आर0के0एस0के0/2014–15/4984–75 दिनांक : 22.12.2014 के द्वारा पूर्व में प्रेषित निर्देशों से की गई है। प्रदेश में किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक को साथिया केन्द्र का नाम दिया गया है। स्थापित साथिया केन्द्र पर प्रशिक्षित किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोऑर्डिनेटर की तैनाती की गई है। साथिया केन्द्र के सफल संचालन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत हैं :–

- प्रत्येक साथिया केन्द्र हेतु अलग से कमरा, साईनेज बोर्ड, वजन मशीन, हाईटोमीटर, बी0एम0आई0 चार्ट,कम्प्यूटर एवं प्रिंटर, आवश्यक फर्नीचर, स्नेलेंस बाक्स विद मिरर, आई0ई0सी0 मटेरियल, क्लीनिक हेतु प्रिन्टेड रजिस्टर (क्लाईन्ट लोड रजिस्टर, सर्विस डिलिवरी रजिस्टर, आउटरीच रजिस्टर) किशोर स्वास्थ्य कार्ड इत्यादि लाजिस्टिक की उपलब्धता अवश्य सुनिश्चित की जाये।
- गर्भनिरोधक साधन कण्डोम/ओ0सी0पी0/ई0सी0पी0/सेनेटरी नैपकिन, आयरन की नीली बड़ी गोलियां, एल्बेन्डजाल की गोलियां तथा प्रेगनेन्सी टेस्ट किट आदि सी0एम0एस0डी0/स्टोर से उपलब्ध करायी जाये।
- किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोऑर्डिनेटर के द्वारा क्लीनिक का संचालन स्वास्थ्य इकाई की ओ0पी0डी0 के समयानुसार प्रतिदिन किया जाये।
- किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोऑर्डिनेटर परामर्श सेवाओं एवं आउटरीच गतिविधियों के दौरान नेम प्लेट के साथ ऐप्रेन अवश्य पहनें।
- चिकित्सालय में प्रशिक्षित पुरूष एवं महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रतिदिन किशोर स्वास्थ्य क्लीनिकल सेवाएं अवश्य प्रदान की जायें।
- पीयर एजुकेटर कार्यक्रम वाले जनपदों में ब्लॉक स्तर पर स्थापित साथिया केन्द्र पर किशोर स्वास्थ्य पर प्रशिक्षित ए0एन0एम0/एल0एच0वी0 द्वारा काउन्सलर को परामर्श सेवाएं देने में

सहायता प्रदान की जाए। जिन साथिया केन्द्र पर केवल पुरूष काउन्सलर है, वहां पर किशोरियों को परामर्श सेवाओं में ए0एन0एम0 के द्वारा सहयोग दिया जाये।

- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रत्येक दिन एक प्रशिक्षित ए0एन0एम0 की ड्यूटी क्लीनिक पर रोटेशन के आधार पर अवश्य लगाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से कम से कम प्रत्येक ए0एन0एम0 माह में एक बार काउन्सलर को सहयोग प्रदान कर पायेगी।
- किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटरके द्वारा माह में 08 आउटरीच गतिविधि की जाये। यह गतिविधियां स्कूल, कालेज, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस सत्र (VHND) आर0बी0एस0के0 टीम के साथ, यूथ क्लब स्वंय सहायता समूह/किशोर–किशोरी समूह व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, स्वास्थ्य मेला, युवा महोत्सव, एवं अन्य ऐसे स्थानों पर जहां अधिक संख्या में किशोर–किशोरियों से मुलाकात की जा सके आदि स्थानों पर सम्पादित की जाये। आउटरीच गतिविधि के दौरान भेजे जा रहे थीमैटिक कलेन्डर के अनुसार चर्चा/परिचर्चा की जायेगी
- प्रत्येक काउन्सलर/कोआर्डिनेटर के द्वारा आउटरीच गतिविधियों के लिए छः–छः माह हेतु वर्ष में 02 बार अग्रिम माईक्रोप्लान तैयार कर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/सी0एम0एस0 से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। माइक्रोप्लान बनाने में यह ध्यान रखा जाये कि कोई भी उपकेंन्द्र क्षेत्र भ्रमण से न छूटे। आउटरीच गतिविधियां माईक्रोप्लान के आधार पर ही की जाये इसमें बिना अनुमति किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाये।
- काउन्सलर/कोआर्डिनेटरद्वारा साथिया केन्द्र पर 02 घण्टे परामर्श सेवाएं देने के पश्चात् ही आउटरीच गतिविधियां की जाये।
- गतिविधि के दौरान निर्धारित बैनर व आई0ई0सी0 मैटेरियल का उपयोग किया जाये।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/सी0एम0एस0 के द्वारा काउन्सलर की आउटरीच गतिविधियों का भुगतान नियमानुसार प्रत्येक माह अवश्य करा दिया जाये।
- काउन्सलर द्वारा आर0बी0एस0के0 टीम, ए0एन0एम0 एवं अन्य चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से क्लाईन्ट लोड बढ़ाने व लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु समन्वय स्थापित किया जाये।
- रिपोर्टिंग हेतु उपलब्ध कराये गये रजिस्टर प्रतिदिन भरे जायेंगे। साथिया केन्द्र की मासिक रिपोर्ट की हार्ड कापी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/सी0एम0एस0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी है। ब्लॉक जिला एवं मेडीकल कालेज स्तरीय साथिया केन्द्र की मासिक रिपोर्ट एच.एम.आई.एस. एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर काउन्सलर के द्वारा अगले माह की 5 तारीख तक अवश्य अपलोड कर दी जाये।

साथिया केन्द्र (किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक) हेतु ऑपरेशनल व्ययः–(केवल 57 जनपद हेतु)

मेडिकलकालेज/जनपद/सी.एच.सी. स्तरीय साथिया केन्द्र में ऑपरेशनल व्यय हेतु धनराशि का उपयोग साथिया केन्द्र हेतु वजन मशीन बी0एम0आई0 चार्ट, ऐप्रन, इण्टरनेट, आउट रीच गतिविधियों हेतु बैनर, चार्ट, फोटोकापी, पेन्सिल, स्कैच पैन एवं स्टेशनरी व पब्लिक एड्रेस सिस्टम के क्रय एवं उपकरणों की मरम्मत, इत्यादि के लिये ही किया जाये। चिकित्सालय प्रभारी द्वारा काउन्सलर्स के मांगपत्र/आवश्यकतानुसार सामग्री का क्रय सुनिश्चित किया जाये।

वित्तीय व्यवस्थाः–

- ✓ साथिया केन्द्र के ऑपरेशनल व्यय हेतु रु0 10000.00 प्रति वर्ष प्रति साथिया केन्द्र की दर से 317 साथिया केन्द्रों हेतु धनराशि जनपदों को एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.OOC.1 पर स्वीकृत की जा रही है।

किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा आउटरीच एक्टिविटी हेतु मोबिलिटी एवं कम्युनिकेशन सपोर्टः–(57 जनपदों हेतु)

काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा प्रत्येक माह 08 आउटरीच सत्र किये जाने है। आउटरीच गतिविधियों का संपादन स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, यूथ क्लब, किशोर समूहों/किशोर मैत्री समूहों इत्यादि में किया जाना है। आउटरीच गतिविधि के दौरान भेजे जा रहे थीमैटिक कलेन्डर के अनुसार चर्चा/परिचर्चा की जायेगी। साथ ही उपलब्ध कराई गई संदर्भ सामग्रियों, फ्लिप बुक, बैनर इत्यादि का उपयोग किया जायेगा।

- काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा प्रत्येक माह किये गये भ्रमण के सापेक्ष सक्षम अधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु क्लेम प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा प्रत्येक माह अधिकतम 8 आउटरीच गतिविधियां की जानी हैं। यदि किसी माह कम गतिविधि की गई हो तो भुगतान गतिविधि की संख्यानुसार ही किया जाए।

तथा यदि आउटरीच गतिविधि प्रतिमाह प्रस्तावित 8 के सापेक्ष अधिक की गई है तो अधिकतम 8 गतिविधियों का ही भुगतान किया जायेगा। एक माह की गतिविधियां दूसरे माह में समायोजित नहीं की जाएंगी।

- सक्षम अधिकारी द्वारा भ्रमण के सापेक्ष प्राप्त समस्त क्लेम का निस्तारण अधिकतम 03 माह में किया जाना अनिवार्य है।

वित्तीय व्यवस्था :

✓ किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर हेतु रू0 250.00 प्रति आउटरीच भ्रमण की दर से अधिकतम 08 आउटरीच गतिविधि प्रतिमाह 12 माह हेतु।

✓ किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर हेतु रू0 250.00 प्रति माह की दर से कम्युनिकेशन सपोर्ट 9 माह हेतु।

किशोर स्वास्थ्य कांउसलर/कोआर्डिनेटर को इस हेतु कुल धनराशि जनपदों को एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.PME.1 परस्वीकृत की जा रही है।

किशोर स्वास्थ्य कांउसलर रिफ्रेशर प्रशिक्षण

प्रदेश में स्थापित किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक पर तैनात किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर का 03 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरानगर लखनऊ में किया जाना है। प्रशिक्षण में किशोर स्वास्थ्य कांउसलर किशोर स्वास्थ्य मुद्दे एवं परामर्श कौशल पर प्रशिक्षित किया जायेगा। संस्थान को इस विषय में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

वित्तीय व्यवस्था :

किशोर स्वास्थ्य काउंसलर के प्रशिक्षण हेतु धनराशि रू0 1.56 लाख प्रति बैच एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.CB पर कुल 14 बैच के लिए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरानगर लखनऊ को स्वीकृत की जा रही है।

जनपदस्तरीय आर0के0एस0के0 समीक्षा बैठकः–(75 जनपद हेतु)

समस्त जनपदों में आर0के0एस0के0 की समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी है। उच्च प्राथमिकता वाले 25 जनपदों में कुल 04 त्रैमासिक एवं शेष 50 जनपदों में कुल 02 छमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी। बैठक में विफ्स, ए0एफ0एच0सी0, एम0एच0एस0, पीयर एजुकेशन कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की जायेगी। बैठक में सहयोगी विभागों/टी0एस0जी0 पार्टनर के प्रतिनिधियों जनपदीय एवं ब्लॉक स्तरीय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

वित्तीय व्यवस्था :–

जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक हेतु 10 ब्लॉक से कम वाले जनपदों हेतु प्रति बैठक रू0 5000.00 तथा 10 ब्लॉक से अधिक वाले जनपदों हेतु प्रति बैठक रू0 8000.00 की दर से धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.PME.3 स्वीकृत की जा रही है। उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों के लिए 03 एवं नॉन आर.के.एस.के. जनपदों के लिए 01 बैठक हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, जिसका उपयोग बैनर, जलपान, शिक्षण सामग्री एवं स्टेशनरी इत्यादि में किया जायेगा। बैठक का एजेण्डा, कार्यवृत्त एवं उपस्थिति रिकार्ड सुरक्षित रखे जाए।

जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट हेतु मोबिलिटी सपोर्टः–(केवल 19 जनपद हेतु)

जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट द्वारा प्रत्येक माह में 10 विजिट्स अलग–अलग ब्लॉको में किया जायेगा, ताकि कार्यक्रम के संचालन में आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों के बारे में पता चल सके। इसके लिए पूर्व में भ्रमण की कार्योजना बनाकर जनपदीय नोडल अधिकारी से अनुमोदित करा ली जाये। भ्रमण के दौरान साथिया केन्द्र/ए0एफ0एच0एस0 क्लीनिक, पियर एजुकेटर कार्यक्रम (गांव में), विफ्स कार्यक्रम (स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर) एवं किशोरी सुरक्षा योजना का सघन अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

✓ माइक्रोप्लान पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरांत राज्य स्तर पर प्रेषित कर तद्नुसार भ्रमण किया जाये।

✓ प्रत्येक माह किये गये भ्रमण के सापेक्ष सक्षम अधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु क्लेम प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

✓ सक्षम अधिकारी द्वारा भ्रमण के सापेक्ष प्राप्त समस्त क्लेम का निस्तारण अधिकत 03 माह में किया जाना अनिवार्य है।

✓ माह में किये गये भ्रमण की रिपोर्ट नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0/मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही हेतु जारी की जाये। जारी रिपोर्ट को क्लेम के साथ प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था :– 25 जनपदों में वर्तमान में कार्यरत् 19 आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट हेतु प्रति भ्रमणरू0 300.00 की दर से प्रति माह कुल 10 भ्रमण हेतु रु0 3000.00 प्रति माह तथा कम्यूनिकेशन एवं इन्टरनेट हेतु रू0 250.00 प्रति माह की दर से 09 माह के लिये धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.PME.2 पर स्वीकृत की जा रही है।

किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक को मॉडल किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक (मॉडल साथिया केन्द्र)के रूप में विकसित किये जाने हेतु जनपद प्रयागराज एवं अयोध्या के जिला चिकित्सालय में स्थापित किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक को मॉडल साथिया केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

वित्तीय व्यवस्था– मॉडल साथिया केन्द्र (किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक) की स्थापना हेतु धनराशि रू0 120000.00 प्रति मॉडल साथिया केन्द्र की दर से धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.IC पर प्राविधानित है।

मॉडल साथिया केन्द्र हेतु अनुमोदित धनराशि का प्रस्तावित विवरण निम्न तालिकानुसार है :–
(मॉडल साथिया केन्द्र हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे)

माध्यमिक विद्यालयों में साथिया कार्नर हेतु ऑपरेशनल व्यय

18 मण्डलीय जनपदों के दो–दो माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित साथिया कार्नर हेतु ऑपरेशनल व्यय हेतु धनराशि का उपयोग साथिया कार्नर पर वजन मशीन बी0एम0आई0 चार्ट, ऐप्रन, इण्टरनेट, स्वास्थ्य गतिविधियों हेतु बैनर, चार्ट, फोटोकापी, पेन्सिल, स्कैच पैन एवं स्टेशनरी तथा उपकरणों की मरम्मत, इत्यादि के लिये ही किया जाये। प्रधानाचार्य/शिक्षक कांउसलर द्वारा मांगपत्र/आवश्यकतानुसार सामग्री का क्रय/उपयोग किया जाये।

वित्तीय व्यवस्थाः–

✓ साथिया कार्नर के ऑपरेशनल व्यय हेतु रु0 10000.00 प्रति वर्ष प्रति साथिया कार्नर की दर से

क्रस	विवरण	धनराशि रूपये में	टिप्पणी
1	साइन बोर्ड	5000.00	एक बार
2	एल.ई.डी. टी.वी.	30000.00	एक बार
3	एल.ई.डी. प्रोजेक्टर	50000.00	एक बार
4	स्टेशनरी फॉर ट्रेनिंग	–	ऑपरेशनल कास्ट से
5	कक्ष के रेनोवेशन हेतु	15000.00	एक बार
6	आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम	10000.00	एक बार
7	फर्नीचर	10000.00	कुर्सी एवं टेबल इत्यादि
8	उपकरण	–	पूर्व से ही उपलब्ध
9	आई.ई.सी.	–	पूर्व में ही उपलब्ध
कुल		120000.00	

साथिया कार्नर हेतु धनराशि जनपदों को एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.OOC.4 पर स्वीकृत की जा रही है।

किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर मानदेय हेतुः–(केवल 48 जनपद हेतु) जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित साथिया केन्द्र में वर्तमान में कार्यरत् 328 काउन्सलर्स को 31 मार्च 2023 को देय मानदेय में नियमानुसार (परफार्मेन्स अपरेजल के आधार पर) अधिकतम 5 प्रतिशत की वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस तथा ई0पी0एफ0 के साथ कुल धनराशि जनपदों को एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.S0521 पर09 माह हेतु स्वीकृत की जा रही है।

जूनियर विफ्स एवं विफ्स ''साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम'' (75 जनपदों हेतु):–

जूनियर विफ्स के अन्तर्गत *ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के छात्र–छात्राओं को आयरन की पिंक गोली (45 एम.जी.) प्रत्येक सप्ताह खिलाई जानी है।*

साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम– विफ्स के अर्न्तगत समस्त *ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों (अपर प्राथमिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, मदरसा, सरकारी एवं सहायता प्राप्त इण्टर कालेज के छात्र छात्राओं) में 10 से 19 वर्ष के छात्र–छात्राओं एवं स्कूल न जाने वाली किशोरियों (आंगनवाड़ी केन्द्रों पर) को आयरन की (60 एम.जी.)*

की *बड़ी नीली गोली* प्रत्येक सप्ताह सोमवार को स्कूल तथा ऑगनवाड़ी केन्द्र पर बुधवार/शनिवार को खिलाई जानी है।

कार्यक्रम पूर्व के दिशा–निर्देशों के अनुसार संचालित होगा तथा यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन के द्वारा जनपदों में आयरन की पिंक (45 एम.जी.) एवं नीली (60एम.जी.) की सप्लाई की जायेगी।

साथिया (पीयर एजुकेटर) कार्यक्रम –

किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस (केवल 25 PE जनपदों हेतु):

किशोर स्वास्थ्य कल्याण दिवस का आयोजन चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्धित उपकेन्द्र क्षेत्र में पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप त्रैमासिक, वर्ष में 04 बार किया जाना है।

वित्तीय व्यवस्था:– किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस के आयोजन हेतु रू0 2500.00 प्रति किशोर स्वास्थ्य दिवस की दर से प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस हेतु धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.38.PME.1 पर स्वीकृत की जा रही है।

धनराशि का व्यय निम्न मानकानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेः–

क्रम सं0	विवरण	दर
1.	बैनर, स्टेशनरी, चार्ट पेपर इत्यादि	रू0 200.00
2.	जलपान (100 प्रतिभागियों हेतु @ रू0 15.00/ प्रतिभागी)	रू0 1500.00
3.	आई0ई0सी0 (पैमफ्लेट/हेण्डआउट)/फोटो कॉपी	रू0.300.00
4	साथिया एवं अन्य प्रतिभागियों के पुरस्कार इत्यादि हेतु	रू0. 500.00
	कुल धनराशि	रू0. 2500.00

किशोर स्वास्थ्य दिवस पर समुदाय तथा किशोरों के मोबिलाईजेशन हेतु आशा प्रोत्साहन (केवल 25 PE जनपदों हेतु):–

पीयर एजुकेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित उपकेन्द्रों पर वर्ष में 04 बार प्रस्तावित किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाना है, जिसमें समुदाय के लोगों तथा साथिया समूह की किशोर–किशोरियों तथा प्रशिक्षित पीयर एजुकेटर की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने हेतु आशाओं द्वारा मोबिलाईज किया जायेगा। इसके लिए आशाओं को मोबिलाईजेशन हेतु प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जायेगी।

वित्तीय व्यवस्थाः– मोबिलाईजेशन हेतु रू0 200 प्रति किशोर स्वास्थ्य दिवस की दर से प्रति आशा हेतु प्रोत्साहन धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.38.ASHA.2 पर प्रथम एवं द्वितीय किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस पर किशोर–किशोरियों के मोबिलाईजेशन हेतु स्वीकृत की जा रही है। ***जो आशाएं कार्यक्रम के दौरान सहयोग न करके अनुपस्थित रहती हैं उन्हें यह प्रोत्साहन राशि का भुगतान न किया जाए।***

किशोर स्वास्थ्य क्लब की बैठक (केवल 25 PE जनपदों हेतु):–

किशोर स्वास्थ्य क्लब की मासिक बैठक उपकेन्द्र स्तर पर की जानी है। बैठक सम्बन्धी पुनरीक्षित दिशा–निर्देश मिशन निदेशक के पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/किशोर स्वास्थ्य/पीयर एजुकेटर/04/ 2018–19/10203–25 दिनांकः 31.12.2018 जारी किये जा चुके है। जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किशोर स्वास्थ्य क्लब की बैठक कराना सुनिश्चित किया जाये।

वित्तीय व्यवस्थाः– किशोर स्वास्थ्य क्लब की मासिक बैठक हेतु धनराशि जनपदों को **एफ0एम0आर0 कोड** RCH.5.38.PME.2 पर प्रति बैठक हेतु **रू0 500.00 की दर से 06 माह के लिए** स्वीकृत की जा रही है।

आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रमः– आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत–

1. प्रथम फेज–वर्ष 2020–21 में चयनित 23 जनपदों (प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, बलरामपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, बहराइच, बदायूँ, एटा, फर्रूखाबाद, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहॉपुर, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीर नगर, श्रावस्ती, गोण्डा,सीतापुर फतेहपुर, चन्दौली एवं चित्रकूट) में कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
2. द्वितीय फेज–वर्ष 2022–23 में स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम मण्डलीय मुख्यालय जनपदों एवं उच्च प्राथमिकता वाले कुल 18 जनपदों (आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बांदा, बस्ती, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, कन्नौज, कासंगज, कौशाम्बी एवं हरदोई) में किया जा रहा है।
3. तृतीय फेज–वर्ष 2023–24 में स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम शेष 34 नवीन जनपदों (अम्बेडकर नगर, अमेठी, औरेया, बागपत, बलिया, बिजनौर, बुलदंशहर, देवरिया, इटावा, फिरोजाबाद, जी.बी. नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, जालौन, जौनपुर,

अमरोहा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मुज्जफरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सम्भल, भदोही, शामली, सुल्तानपुर एवं उन्नाव)

कार्यक्रम का क्रियान्वयन

स्कूल हेल्थ एवं वेनलेस कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से जनपद के समस्त सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों (अपर प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक) में क्रियान्वित किया जा रहा है/जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग से बेसिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग से जिला विद्यालय निरीक्षक एवं स्वास्थ्य विभाग से जनपदीय आर.के.एस.के. नोडल अधिकारी ही कार्यक्रम नोडल अधिकारी होंगे। प्रत्येक स्कूल से दो शिक्षक एक महिला एवं एक पुरूष हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेस्डर (HWA) नामित किए हैं/जायेंगे, जिनको स्वास्थ्य संर्वधन एवं बीमारी की रोकथाम हेतु प्रशिक्षित किया गया है/जायेगा। प्रशिक्षित शिक्षक प्रत्येक सप्ताह एक घंटे की उत्साहवर्धन गतिविधियां स्वास्थ्य संर्वधन हेतु संचालित कर रहें हैं/करेंगे, जो छात्रों में स्वास्थ्य संवर्धन संदेश स्वस्थ व्यवहार बढ़ाने में सहायक होंगे प्रत्येक कक्षा से चयनित छात्र समाज में हेल्थ एंड वेलनेस मैसेन्जर (HWM) के रूप में कार्य कर रहे हैं/करेंगे प्रत्येक मंगलवार को स्कूल में हेल्थ एंड वेलनेस दिवस का आयोजन किया जा रहा है/जायेगा। तदोपरान्त उनके प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

स्कूल हेल्थ एवं वेनलेस कार्यक्रम वाले नवीन 34 जनपदों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग कार्यक्रम के संचालन हेतु निम्न मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षणः—भारत सरकार के शिक्षा (एन.सी.ई.आर.टी) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों (प्रत्येक जनपद से 02 एस.आर.जी. एवं स्वास्थ्य विभाग से नामित 02 चिकित्सा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी) का 05 दिवसीय प्रशिक्षण राज्य स्तर पर कराया जायेगा।

जनपद स्तर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षणः—राज्य स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा जिला संस्थान एवं शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (DIET) के माध्यम से जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का 04 दिवसीय प्रशिक्षण किया जायेगा।

- जनपद के प्रत्येक ब्लाक से 03 सदस्यों का चयन जनपद स्तरीय टी0ओ0टी0 हेतु किया जायेगा। टी0ओ0टी0 हेतु स्वास्थ्य विभाग से ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी आर.बी.एस.के. तथा शिक्षा विभाग से ब्लाक रिसोर्स समन्वयक (बी0आर0सी0) को प्रशिक्षित किया जाना है।
- जनपद स्तरीय टी.ओ.टी. के उपरान्त प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा अपने ब्लॉक में प्रत्येक स्कूल से चयनित हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर (HWA)का 04 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर किया जायेगा। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण को सम्पादित करने की पूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी।

जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :—

1. जनपद स्तरीय प्रशिक्षण को सम्पादित करने की पूर्ण जिम्मेदारी जिला संस्थान एवं शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (DIET) की होगी।
2. प्रशिक्षण आरम्भ करने से पूर्व प्रशिक्षण के बैचों हेतु ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षकों की बैचवार सूची, प्रशिक्षण आयोजन की तिथि एवं कैलेंडर तैयार कर सूचना ईमेल के माध्यम से राज्य पर अवश्य प्रेषित कर दी जाये।
3. प्रशिक्षण हेतु लाजिस्टिक्स (पेन, पैड एवं नेम टैग, चार्ट, पोस्टर, व्हाईट बोर्ड, माक्रर एवं बैनर इत्यादि) एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्र का मुद्रण आदि प्रशिक्षण से पूर्व सुनिश्चित किया जाये।
4. प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त व्यय का प्रशिक्षण समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार सम्बन्धित खातों में स्थानान्तरित करते हुए निर्धारित एफ0एम0आर0 कोड में अंकन सुनिश्चित किया जाये।
5. जनपद स्तरीय प्रशिक्षण का अनुश्रवण स्वास्थ्य विभाग से मण्डलीय अपर निदेशक, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, मण्डलीय उपनिदेशक बेसिक एवं मण्डलीय निदेशक माध्यमिक शिक्षा तथा राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा।

प्रशिक्षण हेतु वित्तीय मानक :— जनपद स्तरीय टी.ओ.टी. के प्रति बैच हेतु रू0 90200.00 प्रति बैच की दर से कुल धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.39.CB.1 पर स्वीकृत की जा रही है। जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु मानक धनराशि का उपयोग का मानक निम्न तालिकानुसार है :—

Budget Norm for Organizing 5 SHP TOT Training (per batch) at District level					
1	Venue	DIET			
2	Participants per Batch	30			
3	Participants	DLT			
S.N.	**Head**	**Unit Cost**	**No. of Units**	**No. of Days**	**Total amount (Rs.)**
1	Honorarium to Internal Faculty Trainers	500	3	4	7200
2	Honorarium, to participants -DLT	300	30	4	36000

3	Breakfast, Tea Lunch	250	32	4	32000
4	Contingency (Banner, Certificate, Name Tag & Stationary etc.)				1200
5	TA to participants -	500	30	1	15000
Total					**90200**

प्रशिक्षण माड्यूल पोस्टर एवं अन्य आई.ई.सी. सामग्री का मुद्रण हेतु :–

- ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण माड्यूल (प्रशिक्षण एवं संसाधन सामग्री) रु0 300.00 प्रति माड्यूल की दर से फोटो प्रतिलिपि स्पाइरल बाइंडिग सहित अथवा मुद्रण कराया जाना है। जनपद स्तरीय टी.ओ.टी. में प्रशिक्षित ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षकों (02 प्रशिक्षक स्वास्थ्य विभाग एवं 01 शिक्षा विभाग) को एक–एक प्रशिक्षण माडयूल उपलब्ध कराया जाये।
- एक हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर कैरिकुलम बुक (विद्यालय जाने वाले किशोरों के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित पाठ्यक्रम) एवं एक फैसिलिटेटर गाइड (विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए सुगमकर्ता हेतु संदर्शिका) हेतु रू0 100.00 प्रति पुस्तक की दर से मुद्रण हेतु। प्रत्येक हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर को दोनों पुस्तकों की एक–एक प्रति उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका उपयोग उनके द्वारा विद्यालय में गतिविधियों एवं स्वास्थ्य सत्रों के आयोजन हेतु किया जायेगा। मुद्रित की जाने वाली सामग्री का मानक निम्नवत् है :–

Particulars	Specification
Curriculum book & Facilitator guide	Finished Size, 11”X8.5” 130 GSM Art Paper cover-300 GSM Art card, 4+4ptg, Matt lamination, central staple Binding

- स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की आई.ई.सी. हेतु 11 विषयों के पोस्टर रु0 16.00 प्रति पोस्टर की दर से मुद्रण कराया जाना है तथा प्रत्येक विद्यालय को 11 प्रकार के पोस्टर उपलब्ध कराये जायेंगे। मुद्रित किये जाने वाले पोस्टर का मानक निम्नवत् है :–

Particulars	Specification
Poster for thematic area school health programme according to prototype	17”X22” single side printing 4+4 colour, 170 gsm art paper, glossy lamination on front, gumming strip on back top & bottom

वित्तीय व्यवस्थाः– प्रशिक्षण माड्यूल पोस्टर एवं अन्य आई.ई.सी. सामग्री हेतु धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.39.IEC पर स्वीकृत की जा रही है।

हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर एवं मैसेन्जर के लिये मर्चेन्टडाइज के प्रोक्योरमेंट हेतु :–

- हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस मैसेंजर हेतु मर्चेन्टडाइज (टी–शर्ट, कैप एवं बैज) हेतु रू0 300 प्रति सेट की दर से। प्रत्येक विद्यालय में दो प्रशिक्षित हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर एवं कक्षा में चयनित 2 हेल्थ एण्ड वेलनेस मैसेंजर को एक–एक मर्चेन्टडाइज सेट उपलब्ध कराये जायेंगे। एक विद्यालय में अधिकतम 10 हेल्थ एण्ड वेलनेस मैसेंजर हेतु मर्चेन्टडाइज का प्रावधान किया गया है।
- समस्त मुद्रण एवं मर्चेन्टडाइज का क्रय ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण से पूर्व किया जाना अपेक्षित है। समस्त मुद्रित सामग्री एवं मर्चेन्टडाइज का वितरण हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर को ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान किया जाना है एवं इसकी प्रति विद्यालय प्राप्ति पावती ब्लाक स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी।
- समस्त मुद्रित सामग्री एवं मर्चेंटडाइज की स्टाक इंट्री जनपद एवं ब्लाक स्तर पर स्टाक बुक में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये।

वित्तीय व्यवस्थाः– हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर एवं मैसेन्जर के मर्चेन्टडाइज हेतु कुल धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.39.OOC पर स्वीकृत की जा रही है।

ब्लाक स्तरीय प्रधानाचार्य अभिमुखीकरण कार्यक्रमः– ब्लाक स्तरीय एक दिवसीय प्रधानाचार्य अभिमुखीकरण हेतु रू0 3000.00 प्रति ब्लाक की दर से उपलब्ध करायी गयी है। अभिमुखीकरण कार्यक्रम में चयनित अपर प्राथमिक एवं इण्टर कालेज के प्रधानाचार्यों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

वित्तीय व्यवस्थाः– ब्लाक स्तरीय चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के अभिमुखीकरण हेतु रू0 3000 प्रति ब्लाक की दर से कुल धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.39.OOC पर स्वीकृत की जा रही है।

माध्यमिक विद्यालयों में किशोर स्वास्थ्य मंच का आयोजन :–(75 जनपदों हेतु)

प्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दो बार,भिन्न–भिन्न इण्टर कालेज में किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता के लिए पूर्व की भांति कार्यक्रम–**'किशोर स्वास्थ्य मंच'** आयोजन किया जायेगा। कार्यक्रम संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्ववत् हैं। :–

वित्तीय व्यवस्थाः–

किशोर स्वास्थ्य मंच' के लिए रू0 5000.00 प्रति मंच आयोजन की दर से कुल धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.40.PME पर स्वीकृत की जा रही है। आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु धनराशि का व्यय निम्नानुसार किया जाये–

क्र0सं0	विवरण	धनराशि
1	कार्यक्रम आयोजन/जलपान की व्यवस्था के लिए	2500.00
2	किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता के लिए पैम्प्लेट प्रिंन्टिग हेतु	700.00
3	प्रतियोगिताओं के विजेताओं के पुरस्कार हेतु	1000.00
4	विभिन्न उपयोग जैसे– क्विज हेतु चार्ट पेपर पेन्सिल, मोम कलर फोटो कॉपी, आदि।	800.00
	कुल धनराशि	**5000.00**

जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट मानदेय हेतुः–(केवल 19 जनपदों हेतु) उच्च प्राथमिकता वाले 25 जनपदों में वर्तमान में कार्यरत् 19 आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट को 31 मार्च 2023 को देय मानदेय में नियमानुसार (परफार्मेन्स अपरेजल के आधार पर) अधिकतम 5 प्रतिशत की वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस के साथ एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.P266 पर 09 माह हेतु जनपदों को धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस

1 से 19 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिये प्रदेश के जनपदों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National Deworming Day-NDD) दिवस शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता है, जिसमें पेट के कीड़ों की गोली एल्बेंण्डाजॉल (1 से 2 वर्ष को 200 मि.ग्रा./आधी गोली एवं 2 से 19 वर्ष के बच्चों को 400 मि.ग्रा.) खिलायी जानी है।

माह अगस्त हेतु राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस की विभिन्न गतिविधियों के लिए जनपदों को स्वीकृत की जाने वाली धनराशियों का विवरण निम्नवत हैः–

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर अभिमुखीकरण हेतु :–

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापक एवं ए0एन0एम0 का राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर ब्लॉक स्तरीय अभिमुखीकरण के लिएमें प्रति प्रतिभागी रू0 100.00 की दर से कुल धनराशि जनपदों को RCH.7.53.PME पर स्वीकृत की जा रही है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु : –

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के प्रथम चरण हेतु प्रचार प्रसार एवं आई0ई0सी0 गतिविधियों तथा रिपोर्टिंग फार्मेट हेतु धनराशि एफ.एम.आर. कोड RCH.7.53.IEC.1 पर स्वीकृत की जा रही है।

राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस लांच एवं मीडिया जन जागरण एवं प्रचार हेतु :–

राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस लांच एवं मीडिया जन जागरण एवं प्रचार–प्रसार हेतु एफ.एम.आर. कोड RCH.7.53.IEC.2 पर जनपद स्तर हेतु रू0 10000.00 प्रति जनपद एवं ब्लॉक स्तर हेतु प्रति रू0 5000. 00 प्रति ब्लॉक की दर से कुल धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

बच्चों/किशोर–किशोरियों के मोबिलाईजेशन के लिए आशा प्रोत्साहन धनराशि हेतु :–

राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस के दिन आशा द्वारा अपने क्षेत्र के 1–19 वर्ष के स्कूल/आंगनबाड़ी न जाने वाले बच्चों की सूची तैयार कर आंगनबाड़ी कार्यकत्री को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उन बच्चों को एन.डी.डी./मॉप–सप्ताह के दौरान दवा खिलाने के लिये आंगनबाड़ी केन्द्र पर लेकर आयेगी। बच्चों को एल्बेन्डाजॉल की गोली खिलवाने के लिए मोबिलाईजेशन करने हेतु रु0 100.00 प्रति आशा की दर से धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.7.53.ASHA पर धनराशि स्वीकृत की जा रही है। (कार्यक्रम हेतु आई. ई.सी. के विस्तृत मानक, दिशा–निर्देश एवं प्रोटोटाईप अभियान से पूर्व प्रेषित किये जाएंगे)

रिपोर्टिंग पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण :–

कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली समस्त गतिविधियों जैसे–साथिया केन्द्र/ए.एफ. एच.एस. क्लीनिक, विफ्स, पीयर एजूकेटर कार्यक्रम एवं किशोर स्वास्थ्य दिवस की रिपोर्ट माह की 05 तारीख तक यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पर अपलोड कर दी जाये। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित समस्त रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु 25 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में आर.के.एस.के. कन्सल्टेन्ट तथा शेष जनपदों में डी.ई.आई.सी. मैनेजर उत्तरदायी होंगे

- जनपद स्तर पर कार्यक्रम के संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी जनपदीय नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0 के साथ–साथ पी0ई0 जिलों में आर.के.एस.के. कन्सल्टेन्ट तथा शेष जनपदों में डी.ई.आई.सी. मैनेजर, आर.बी.एस.के. की होगी। जिन जनपदों में डी.ई.आई.सी. मैनेजर, आर.बी.एस.के. की तैनाती नहीं है, वहॉ पर कार्यक्रम की पूर्ण जिम्मेदारी डी0पी0एम0 की होगी।

- ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ–साथ ब्लॉक किशोर स्वास्थ्य कोऑर्डिनेटर की होगी। जिन ब्लॉकों में किशोर स्वास्थ्य कोऑर्डिनेटर की तैनाती नहीं है, वहां पर कार्यक्रम की पूर्ण जिम्मेदारी बी0पी0एम0 की होगी। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा निर्देश निर्गत किये जायें।
- जनपदीय नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर एवं अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर के द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम 02 साथिया केन्द्र/किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक एवं स्कूल आंगनबाड़ी केन्द्र का भ्रमण कर उपलब्ध कराई गई साथिया केन्द्र पर्यवेक्षण एवं विफ्स मानीटरिंग चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। चेकलिस्ट विश्लेषण, मासिक अनुपालन आख्या के साथ राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाये।
- पी0ई0 जनपदों में आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट द्वारा प्रत्येक माह में 10 विजिट्स अलग–अलग ब्लॉको में किया जायेगा, ताकि कार्यक्रम के संचालन में आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों के बारे में पता चल सके। भ्रमण के दौरान साथिया केन्द्र/ए0एफ0एच0एस0 क्लीनिक, पियर एजुकेटर कार्यक्रम (गांव में), विफ्स कार्यक्रम (स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर) एवं किशोरी सुरक्षा योजना का सघन अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।
- डी.ई.आई.सी. मैनेजर, द्वारा आर.बी.एस.के के अर्न्तगत ब्लॉक में भ्रमण के दौरान विफ्स कार्यक्रम का अनुश्रवण आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्कूलों में विफ्स मानीटरिंग चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा वी0एच0एन0डी0 दिवस पर भ्रमण के दौरान विफ्स कार्यक्रम का अनुश्रवण आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्कूलों में विफ्स मानीटरिंग चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देश निर्गत किये जायें।
- आर0बी0एस0के0 टीम अपने भ्रमण के दौरान विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विफ्स कार्यक्रम में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी। माह के अंत मे (आयरन, रजिस्टर, रिर्पोटिंग फारमेट, व्यक्तिगत अनुपालन कार्ड एवं आई0ई0सी0 की उपलब्धता, रिपोर्ट तैयार करना एवं संप्रेषण एवं गोलियों का वास्तविक उपभोग आदि पर) संकलित आख्या ब्लाक कार्यक्रम प्रबधक के माध्यम से प्रभारी चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायें। ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- ब्लॉक से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम के द्वारा वी0एच0एन0डी0 दिवस पर भ्रमण के दौरान विफ्स तथा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के समस्त घटकों विशेषकर स्कूल हेल्थ एवं पीयर एजुकेटर प्रोग्राम का अनुश्रवण आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्कूलों में विफ्स एवं अन्य सम्बंधित मानीटरिंग चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- प्रत्येक अनुश्रवण के दौरान पाई जाने वाली कमियों में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कराने हेतु भ्रमण आख्या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं जनपदीय नोडल/मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अर्न्तविभागीय समन्वयनः–

योजना के अन्तर्गत समाहित समस्त गतिविधियों के लिए जनपद/ब्लॉक स्तर पर विभिन्न गतिविधियों हेतु ब्लॉक/जनपदीय नोडल अधिकारी को उत्तरदायी बनाते हुए शिक्षा विभाग तथा आई0सी0डी0एस0 विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम संचालित किया जाए।

7. नियमित टीकाकरण कार्यक्रम

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम

नियमित टीकाकारण द्वारा शिशु मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से अनेकों टीका रोधी बीमारियों (Vaccine Preventable Diesases) को रोका जा सकता है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में जानलेवा बीमारियों यथा तपेदिक, गलाघोंटू, काली खॉसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रूबेला, हैपेटाइटिस–बी, रोटा वायरस डायरिया, न्यूमोनिया तथा जैपनीज इन्सेफलाइटिस से बचाव हेतु राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार बच्चों को बी0सी0जी0, हैपेटाइटिस–बी, पोलियो, पेन्टावेलेन्ट, रोटा वायरस, एफ0–आई0पी0वी0, मीजिल्स रूबेला, जे0ई0, पी0सी0वी0, डी0पी0टी0 तथा टी0डी0 की वैक्सीन के साथ ही विटामिन 'ए' की खुराक दी जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं का टी0डी0 वैक्सीन से टीकाकरण किया जाता है।

नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में डैप के माध्यम से विभिन्न मदों में जनपदों को धनराशि आवंटित की गई है, जिसका व्यय निम्नानुसार किया जाना है–

Planning & M&E

1. RCH.4.32.PME.1 **Consumables for computer including provision for internet access for strengthening RI-** वर्ष 2023–24 में जनपद स्तर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के कार्यालय में स्थित कम्प्यूटर के इन्टरनेट हेतु रू0 1000/– प्रति माह की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई है।
2. RCH.4.32.PME.2 **To develop Microplan at sub-centre level-**
   वर्ष 2023–24 में नियमित टीकाकरण की कार्ययोजना हेतु उपकेन्द्र के लिए रू0 100.00 प्रति उपकेन्द्र, की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इस धनराशि का उपयोग उपकेन्द्र की कार्ययोजना बनाने एवं उसको अधुनान्त करने हेतु किया जायेगा।
3. RCH.4.32.PME.3 **For consolidation of micro plans at block level**
   वर्ष 2023–24 में माइक्रोप्लान बनाने एवं उसका अधुनान्त करने हेतु ब्लाक स्तर पर प्रति ब्लाक/पी0एच0सी0 हेतु रू0 1000.00 की दर से एवं प्रति जनपद रू0 2000.00 धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग कार्ययोजना बैठक, फार्मेट प्रिन्टिंग तथा माइक्रोप्लान के कम्प्यूटरीकरण हेतु किया जायेगा।
4. RCH.4.32.PME.5-**Quarterly review meetings exclusive for RI at district level with Block MOs, CDPO, and other stake holders-**
   जनपद स्तर पर नियमित टीकाकरण की समीक्षा बैठकों के आयोजन हेतु भारत सरकार की वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में रू0 100.00 प्रति प्रतिभागी बैठक की दर से वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।
5. RCH.4.32.PME.6 **Quarterly review Meetings exclusive for RI at block level**
   प्रत्येक ब्लाक में नियमित टीकाकरण की त्रैमासिक समीक्षा बैठक हेतु रू0 1000/– प्रति ब्लाक की दर से एवं रू0 500/– प्रति अर्बन प्लानिंग यूनिट की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
6. RCH.4.32.PME.7 **Mobility support for supervision for District level officers**
   जनपद स्तरीय अधिकारियों के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु भारत सरकार की वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0में जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण के लिए 09 जनपदों को रू0 2.00 लाख की दर से, 13 जनपदों को रू0 2.25 लाख की दर से, 36 जनपदों को रू0 2.50 लाख की दर से एवं 17 जनपदों को रू0 3.00 लाख की दर से स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था की जानी है। यदि राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं है तो वाहन को दिवस के हिसाब से नियमानुसार किराये पर लिया जा सकता है। उक्त धनराशि में से जनपद/मण्डल स्तरीय रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की मोबिलिटी की धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के पत्र संख्या 144/एसपीएमयू/डैप–एचआर/2018–19/10398 दिनांक 04.01.2019 में उल्लिखित मानक के अनसुार अनुमन्य है।

IEC & Printing

1- RCH.4.32.IEC.1.A **Any other IEC/BCC activities:** इस मद निम्न गतिविधियों हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है –

   i. **Wall painitng (writing) -(Rs 20/ Sq ft.) (Size 6 x 3 Sq Ft) Rs. 360/- per wall painting**

- 1 wall painting, per district
- 12 wall painting, per blcok (833 block)
- 1 wall painting, per urban planning unit (472)
- 1 wall painting, per District level Hospital-163, total

ii. **Banners for RI session at Chhaya VHNDs (6" x 3") @ Rs 15/ Sq Ft for 28043 ANMs.- (per ANM 02 banner)-** नियमित टीकाकरण सत्रों हेतु प्रति ए0एन0एम0 02 बैनर @ रू0 270/–प्रति बैनर की दर से धनराशि स्वीकृत है।

iii. **Banners for Vitamin A Supplimentation Program- (6" x 2") @ Rs 15/ Sq Ft for 28043 ANMs)-** विटामिन 'ए' सम्पूरण कार्यक्रम हेतु प्रति चरण/प्रति एन0एन0एम0 01 बैनर @रू0 180/– प्रति बैनर की दर से स्वीकृत है। यह बैनर वर्ष में आयोजित होने वाले विटामिन 'ए' सम्पूरण कार्यक्रम के दौरान उपयोग मे लाया जायेगा।

2- RCH.4.32.IEC.3 **Printing and dissemination of tally sheets & Monitoring forms etc-**
वर्ष 2023–24 में भारत सरकार की आर.ओ.पी में रू0 10/– प्रति लाभार्थी (गर्भवती महिला) की दर से प्रिन्टिंग हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। उक्त स्वीकृत धनराशि जनपदों को आवंटित कर दी गई है। जिसके अन्तर्गत आशा पेमेन्ट वाउचर, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग प्रपत्र, वी0एच0एन0डी0/ यू0एच0एन0डी0 टेलीशीट, ड्यू लिस्ट, कोल्ड चेन प्वाइंट्स पर वैक्सीन वितरण, स्टॉक रजिस्टर, टैम्परेचर लॉग बुक, इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट, बुलावा पर्ची, ट्रैंकिंग बैग, इम्यूनाइजेशन ट्रेकिंग बुकलेट, विटामिन 'ए' सम्पूरण कार्यक्रम में उपयोग की जाने वाले प्रपत्र जैसे–मॉनिटरिंग फार्मेट, टैली शीट (दो टैली शीट प्रति टीकाकरण सत्र), रिपोर्टिंग प्रपत्र इत्यादि, ओपन वाइल पर माक्रिंग हेतु सी0डी0 माक्रर पैन इत्यादि की उपलब्धता करायी जानी है। समस्त सामग्री एवं प्रपत्रों की प्रिन्टिंग नियमानुसार जैम पोर्टल के माध्यम से टेण्डर/कोटेशन के द्वारा की जाये। मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0 कार्ड) की प्रिन्टिंग हेतु मातृ–स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मद संख्या RCH.1.2.IEC से धनराशि उपलब्ध करायी गई है।

RCH-4 Other Operating Cost

RCH.4.32.OOC.1**Teeka Express-** जनपद श्रावस्ती हेतु वर्ष 2023–24 में रू0 62.75 लाख की धनराशि टीका एक्सप्रेस के आपरेशनल कास्ट हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है।

1 RCH.4.32.OOC.2 **Monthly Village Health and Nutrition Days-** वर्ष 2023–24 में इस मद में वी0एच0एन0डी0/यू0एच0एन0डी0 के पर्यवेक्षण हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार कुल आयोजित सत्रों के 20 प्रतिशत सत्रों के पर्यवेक्षण हेतु रू0 100.00 प्रति सत्र की दर से धनराशि का उपयोग किया जाएगा। छाया वी0/ यू0एच0एन0डी0 सत्रों का पर्यवेक्षण वी0एच0एन0डी0 मोबाइल एप के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।

2 RCH.4.32.OOC.3 **Focus on Slum & Underserved areas in urban areas/ alternative vaccinator for slums-**
वर्ष 2023–24 में जिन शहरी क्षेत्रों में ए0एन0एम0 की नियुक्ति नहीं की गई है, उन क्षेत्रों में Hired Vaccinators के माध्यम से टीकाकरण कराया जाना है। शहरी क्षेत्रों में 10,000 की जनसंख्या पर माह में 4 सत्र (2500 की जनसंख्या पर 1 सत्र) आयोजित किये जाने हेतु ए0एन0एम0 द्वारा कराए जाने हेतु धनराशि अनुमोदित है। उन क्षेत्रों हेतु Hired Vaccinators का चयन कर जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त टीकाकरण कार्य कराया जायेगा।

प्रत्येक सत्र हेतु 450/– (वैक्सीनेटर मानदेय रु0 450/– प्रति सत्र) देय होगा। साथ ही रु0 300.00 प्रतिमाह कन्टीजेन्सी हेतु प्रति (10000 की जनसंख्या) पर स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार रु0 2100/– प्रतिमाह की दर से धनराशि व्यय की जायेगी।

नोट–: प्रदेश के 39 जनपदों आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बिजनौर, बदायूं, इटावा, फिरोजाबाद, जी0बी0 नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, हाथरस, जे0पी0 नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कुशीनगर, मुरादाबाद, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संभल, भदोही, शामली, श्रावस्ती, सुल्तानपुर एवं उन्नाव हेतु उक्त धनराशि स्वीकृत है।

3 RCH.4.32.OOC.4 **Mobility Support for mobile health team (Mobile Immunization Van)-**
जनपद स्तर पर मोबाइल इम्यूनाइजेशन वाहन की व्यवस्था की जानी है। कार्यक्रम के अन्तर्गत गांव स्तर पर यथा दूरस्थ गांव, पुरवे, मजरे, डेरा आदि के जो बच्चे टीकाकरण से वंचित/छूटे जा रहे हैं ऐसे बच्चों को समय से टीकाकरण कराए जाने हेतु जनपद स्तर पर मोबाइल इम्यूनाइजेशन वाहन (4 पहिया वाहन) की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। वाहन किराए पर

लेने की प्रक्रिया ई–टेण्डरिंग के माध्यम से नियमानुसार की जाएगी। वाहनों का भुगतान ई–टेण्डर के माध्यम से चयनित फर्म को निर्धारित धनराशि (अधिकतम सीमा रू0 33000.00 तक) के अनुसार ही किया जाएगा।

नोट–12 जनपदों–चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, गोण्डा, हापुड़, हाथरस, कौशाम्बी, ललितपुर, महोबा, रायबरेली, श्रावस्ती एवं सीतापुर हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

4 RCH.4.32.OOC.5 **Alternative Vacccine delivery in Hard to Reach areas -** वर्ष 2023–24 में कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों (पहाड़ी/जंगली/वन क्षेत्र/बिना पुल वाली नदी के पार वाले क्षेत्र, गैर मोटर बाइक सड़क) एवं अंतिम कोल्ड चेन प्वाइंट से एक घंटे से अधिक समय मे पहुंच इत्यादि वाले दुर्गम क्षेत्र में टीकाकरण सत्र स्थलों पर वैक्सीन पहुंचाने हेतु भारत सरकार द्वारा 200/– प्रति टीकाकारण सत्र की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।

नोट 9 जनपदों– बुलंदशहर, एटा, गाजियाबाद, हाथरस, जालौन, महोबा, सहारनपुर, भदोही एवं वाराणसी हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं है।

5 RCH.4.32.OOC.6 **Alternative Vaccine Delivery in other areas-** वर्ष 2023–24 में जनपदों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नियमित टीकाकरण सत्रों में सत्र स्थल पर वैक्सीन पहुंचाने हेतु 90/– प्रति सत्र की दर से धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है।

6 RCH.4.32.OOC.7 **POL for vaccine delivery from State to district and from district to PHC/CHCs-** वर्ष 2023–24 में राज्य मुख्यालय/रीजनल वैक्सीन डिपो, मण्डल मुख्यालयों से जनपद तथा ब्लाक स्तर पर वैक्सीन वैन से वैक्सीन ले जाने हेतु प्रत्येक जनपद को रू0 2,00,000/– प्रति जनपद की दर से धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। **इस धनराशि का उपयोग पी0ओ0एल0 की व्यवस्था एवं वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन हेतु सहायक के रूप में आने–जाने वाले व्यक्ति को (पत्र संख्या** 144/एसपीएमयू/डैप–एचआर/2018–19/10398 दिनांक 04.01.2019) **के अनुसार अनुमन्य भत्ता रू0 300/– की धनराशि प्रतिदिन की दर से किया जाएगा।**

7 RCH.4.32.OOC.8**Cold chain maintenance-** वर्ष 2023–24 में प्रत्येक जनपद को रू0 20,000/– प्रति जनपद प्रति वर्ष तथा रू0 1000/– प्रति ब्लाक/कोल्डचेन प्वाइंट्स/अर्बन प्लानिंग यूनिट हेतु कुल 1305 इकाईयों हेतु प्रति वर्ष की दर से एवं 09 एस0वी0एस0 (लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, झांसी, कानपुर नगर, अयोध्या, गोरखपुर एवं वाराणसी) हेतु रू0 50,000/– की दर से भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई है।

8 RCH.4.32.OOC.10 **Funds for Annual maintenance Operations for WIC/WIF at State & Division level -** प्रदेश में स्थापित 53 वाक् इन कूलर/वाक् इन फ्रिजर के **Annual maintenance operation** हेतु राज्य स्तर एवं मण्डलीय स्तर पर रू0 40,000.00 प्रति इकाई की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। उक्त धनराशि का उपयोग डब्लू0आई0सी0/डब्लू0आई0एफ0 के वार्षिक मेंटीनेंस हेतु नियमानुसार किया जायेगा।

9 RCH.4.32.OOC.11 **Electricity bill for WIC/WIF at State and Division level-** राज्य एवं मण्डल में स्थापित 53 वाक–इन कूलर/वाक–इन फ्रीजर (Walk in Cooler / Walk in Freezer) में व्यय होने वाली विद्युत व्यवस्था के बिल भुगतान हेतु रू0 1,50,000.00 प्रति डब्लू0आई0सी0/डब्लू0आई0एफ0 प्रति वर्ष की दर से धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

10 RCH.4.32.OOC.12 **Funds for POL for generators & operational expenses at divisional vaccine storage and state vaccine store -** मण्डल एवं राज्य स्तर पर स्थापित वैक्सीन स्टोर प्वाइंट्स हेतु रू0 2,00,000.00 प्रति वैक्सीन स्टोर प्वाइन्ट्स की दर से धनराशि स्वीकृत है। उक्त धनराशि का उपयोग जनरेटर हेतु पी0ओ0एल0 एवं बैटरी के लिए तथा वैक्सीन को मण्डल से रीजनल डिपो तक लाने हेतु पी0ओ0एल0 मद में उपयोग किया जा सकता है।

11 RCH.4.32.OOC.13 **POL for generators and operational Expenses at District level Vaccine Storage points and other cold chain points-** वर्ष 2023–24 में भारत सरकार की आर0ओ0पी0 में जनपद स्तर पर स्थापित वैक्सीन स्टोर प्वाइंट्स हेतु रू0 1.20 लाख प्रति वैक्सीन स्टोर प्वाइन्ट्स की दर से धनराशि स्वीकृत है। उक्त धनराशि का उपयोग वैक्सीन स्टोरेज प्वाइन्ट्स पर जनरेटर हेतु पी0ओ0एल0 एवं बैटरी हेतु उपयोग किया जा सकता है।

ASHA Incentive

1- RCH.4.32.ASHA.1 **ASHA Incentive under immunization-** वर्ष 2023–24 में इस मद में 0–1 वर्ष के बच्चों को सभी निर्धारित वैक्सीन लगवाने हेतु आशा को रू0 100/–प्रति पूर्ण प्रति रक्षित बच्चे की दर से तथा रू0 75/– प्रति बच्चे की दर से दो वर्ष की आयु तक सभी निर्धारित टीका/बूस्टर इत्यादि लगवाने पर एवं रू0 50/– प्रति बच्चे को डी0पी0टी0 बूस्टर–2 (5 से 6 वर्ष की आयु तक) हेतु अतिरिक्त देय होगा। इस मद में कुल रू0 225/– प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। यह मानदेय सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित सत्रों हेतु देय है।

2- RCH.4.32.ASHA.2 **Mobilization of children througha ASHA or other mobilizers-** वर्ष 2023–24 में आशा/आर0आई0 मोबिलाइजर (लिंक वर्कर) द्वारा ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण सत्र स्थल पर लाभार्थियों को लाकर टीकाकरण कराने हेतु रू0 150/– प्रति टीकाकरण सत्र की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3- RCH.4.32.ASHA.3 **Incentive to Link worker for preparation of due list of children to be Immmunized-** वर्ष 2023–24 में जिन ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में आशा उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में ड्यू लिस्ट तैयार किए जाने हेतु आर0आई0 मोबिलाइजर (लिंक वर्कर) द्वारा सत्र आयोजन के पूर्व ड्यू लिस्ट तैयार की जानी है। इस हेतु आर0आई0 मोबिलाइजर (लिंक वर्कर) को रू0 100/– प्रति सत्र की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई

नोट– 08 जनपदों–बुलंदशहर, एटा, हरदोई, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, रायबरेली एवं संतकबीर नगर हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

RCH-4 Capacity Building

(1) RCH.4.32.CB.1 - **Two days Cold chain handlers training at District level for total 94 batches-** इस मद में दो दिवसीय कोल्ड चेन हैण्डलर्स के प्रशिक्षण के 94 बैचों हेतु रू0 42.37 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह धनराशि निम्न मानकों के अनुसार है–

मद	दर (रू0)	संख्या	कुल दिवस
प्रतिभागियों हेतु per diem	300/ दिवस	वास्तविक	2
प्रशिक्षकों हेतु honorarium	600/ दिवस	2/वास्तविक	2
प्रतिभागियों हेतु टी0ए0 (वास्तविक देय)	200	वास्तविक	1
भोजन व्यवस्था– तीन बार प्रतिदिन	250/ दिवस	वास्तविक	2
कंटीजेंसी	100/–प्रति प्रतिभागी	वास्तविक	1
इंस्टिट्यूशनल ओवर हेड/वेन्यू अरेन्जमेण्ट	4000		1

(2) RCH.4.32.CB.2 Two days" health workers training for 901 batches @ Rs. 46200 per batch- इस मद में दो दिवसीय हेल्थ वर्कर के प्रशिक्षण के रू0 46200/– प्रति बैच की दर से कुल 901 बैचों हेतु रू0 416.26 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह धनराशि निम्न मानकों के अनुसार है–

मद	दर (रू0)	संख्या	कुल दिवस	कुल धनराशि
प्रतिभागियों हेतु per diem	300/दिवस	20	2	रू0 12000
प्रशिक्षकों हेतु honorarium	600/दिवस	4	2	रू0 4800
प्रतिभागियों हेतु टी0ए0 वास्तविक आधार पर	400	20	1	रू0 8000
जिला स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु टी0ए0 वास्तविक आधार पर	800	4	1	रू0 3200
भोजन व्यवस्था– तीन बार प्रतिदिन	250	24	2	रू0 12000
कंटीजेंसी	100	20	1	रू0 2000
इंस्टिट्यूशनल ओवर हेड/वेन्यू अरेन्जमेण्ट				रू0 4200
कुल योग प्रति बैच			**रू0 46200**	

(3) RCH.4.32.CB.3 One day data handler training at district level for 1087 participants @ Rs. 500 per participant- इस मद में एक दिवसीय डाटा हैण्डलर्स के प्रशिक्षण के रू0 500/– प्रति प्रतिभागी की दर से कुल 1087 प्रतिभागियों हेतु रू0 5.44 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(4) RCH.4.32.CB.4 Three days MO training of 50 batches @ Rs. 99200 per batch- इस मद में तीन दिवसीय मेडिकल ऑफिसर के प्रशिक्षण हेतु रू0 99200/–प्रति बैच की दर से कुल 50 बैचों हेतु रू0 49.60 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में 11 मंडलीय प्रशिक्षण–आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, फैजाबाद, झांसी, कानपुर नगर, मुरादाबाद एवं वाराणसी केन्द्र हैं– उक्त धनराशि डी0एच0एस0 के माध्यम से प्रधानाचार्य, आर0एफ0पी0टी0सी0 को निर्गत की

जायेगी तथा सभी आर0एफ0पी0टी0सी0 के प्रधानाचार्य उक्त प्रशिक्षण कराने के लिए नोडल अधिकारी नामित किये जाते हैं तथा सभी यह प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें। मंडल स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु टी0ए0 उन्हीं प्रशिक्षकों को देय होगा जो मण्डल के अन्य किसी जनपद से प्रशिक्षण देने हेतु आएंगे। प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के माध्यम से आर0एफ0पी0टी0सी0 स्तर पर नये/अप्रशिक्षित चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण के लिये पृथक से निर्देश दिये जायेगे। यह धनराशि निम्न मानकों के अनुसार है–

मद	दर (रू0)	संख्या	कुल दिवस	कुल धनराशि
प्रतिभागियों हेतु per diem	400/ दिवस	20	3	रू0 24000
मंडल स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु honorarium	600/ दिवस	4	3	रू0 7200
भोजन व्यवस्था– प्रतिदिन	250	24	3	रू0 18000
कंटीजेंसी	150	20	1	रू0 3000
इंस्टिट्यूशनल ओवर हेड				रू0 6000
प्रतिभागियों हेतु टी0ए0 (वास्तविक आधार पर)	1800	20	1	रू0 36,000
मंडल स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु टी0ए0 (वास्तविक आधार पर)	2000	1	1	रू0 2000
State observer honorarium	1000	1	1	रू0 1000
State observer Accomodation	2000	1	1	रू0 2000
कुल योग प्रति बैच रू0 99200/–				

RCH-4 Diagnostics

1- RCH.4.32.DI.2 **Red,Black& Yellow bags etc-**
वर्ष 2023–24 में लाल, काले एवं पीले बैग का उपयोग टीकाकरण सत्र पर टीकाकरण वेस्ट को स्वास्थ्य इकाई पर लाने हेतु किया जायेगा। इस मद में लाल, काले एवं पीले रंग की बैग के जनपद स्तर पर क्रय हेतु रू0 3/–प्रति बैग (कुल रू0 09/– प्रति टीकाकरण सत्र) की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत धनराशि जनपदों को आवंटित कर दी गई है।

2. RCH.4.32.DI.3-**Bleach/Hypochlorite solution/ Twin bucket** : ब्लीचिंग पाउडर तथा पाउडर को प्लास्टिक बाल्टी में घोलने हेतु 2 प्लास्टिक बाल्टी के क्रय के लिए रू0 500/– प्रति पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/ब्लाक/अर्बन प्लानिंग यूनिट/कोल्ड चेन प्वाइंट हेतु इस वर्ष 1305 इकाईयों हेतु रू0 6.53 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. RCH.4.32.DI.4 **Hub cutter**: हब कटर हेतु रू0 1000.00 प्रति कोल्ड चेन प्वाइंट की दर से कुल 1305 इकाईयों (जनपद के समस्त कोल्ड चैन प्वांइट) हेतु हब कटर के धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

RCH-4 Pulse polio Campaign (Others including operating costs(OOC))

RCH.4.33.OOC भारत सरकार द्वारा पल्स पोलियो टीकाकरण के चक्रों हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। समय–समय पर भारत सरकार के निर्देशानुसार एस0एन0आई0डी0 एवं एन0आई0डी0 अभियान हेतु धनराशि जनपदों को आवंटित/अवमुक्त की जाएगी।

RCH.4.33.OOC-**Environmental Survillance for Polio Virus:** इनवारमेन्टल सर्विलेन्स फॉर पोलियो वायरस हेतु रू0 **10.13 लाख** (**जनपद**–आगरा, प्रयागराज, जी0बी0 नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर एवं वाराणसी) की धनराशि स्वीकृत की गई है।

India Nepal Border Polio Booth–भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों–महाराजगंज, सिद्धार्थनगर बहराइच, बलरामपुर, खीरी एवं श्रावस्ती के अन्तर्राष्ट्रीय बार्डर पर पोलियो बूथ गतिविधि आगामी दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक चलाया जाना है।

Free Drugs Services Initatives

HSS.7.179.DS.1 **Funds for AEFI (Adverse Effect following Immunization) Drug Kit-** वर्ष 2023–24 में AEFI Drug Kit खरीदने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। AEFI Drug Kitहेतु आवश्यक औषधियां जनपद स्तर पर नियमानुसार अनुबन्ध दरों पर क्रय कर चिकित्साधिकारियों को वितरित की जायेगी। इस मद में रू0 200/–प्रति किट की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मे आयोजित होने वाले सत्रों के लिए AEFI Drug Kit उपलब्ध कराना है।

HSS.9 (HRH) Incentives (Allowance, Incentives, staff welfare fund

HSS.9.185.OOC.5 RI Cold chain handlers incentive-

ऐसे कोल्ड चैन हैण्डलर्स, जिनके द्वारा अपने निर्धारित कार्यों के साथ–साथ कोल्ड चैन प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्य भी सम्पादित किए जाते हैं, के लिए तदर्थ रूप से, कोल्ड चैन से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य सम्पादित करने हेतु, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24की आर0ओ0पी0 में रू0 2400/–प्रतिमाह की दर से कुल 12 माह हेतु इंसेन्टिव धनराशि स्वीकृत की गई है।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से सम्बन्धित मानव संसाधन

1- **HSS.9.184.C.S0795 Cold Chain Handlers** नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में राज्य स्तर पर 04, मण्डल स्तर पर 18 एवं जनपद स्तर पर 75 कोल्ड चेन हैण्डलर्स हेतु कुल 12 माह मानदेय (नियमानुसार **Annual Increment (5%),** EPF एवं लायलिटी बोनस सहित) के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। मानदेय का निर्धारण योगदान तिथि के अनुसार किया जाएगा।

2- **HSS.9.184.C.S0796 (Techinician/Refrerigerator Mechanic-)** नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में 22 टेक्निशियन/रफ्रिजरेटर मैकेनिक मानदेय (नियमानुसार **Annual Increment (5%)** एवं लायलिटी बोनस सहित) हेतु कुल 12 माह के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मानदेय का निर्धारण योगदान तिथि के अनुसार किया जाएगा।

3- **HSS.9.184.C.S0830Vaccine Van Driver-**
नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में आर0ओ0पी0 में 08 वैक्सीन वैन ड्राइवर मण्डल स्तर (आगरा, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी) पर कुल 12 माह के मानदेय (नियमानुसार **Annual Increment (5%)** एवं लायलिटी बोनस सहित) के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मानदेय का निर्धारण योगदान तिथि के अनुसार किया जाएगा।

4- **HSS.9.184.C.S0831 Vaccine Store Keeper-**
नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में आर0ओ0पी0 में 09 वैक्सीन स्टोर कीपर मण्डल स्तर (अलीगढ़, आजमगढ़, बांदा, बस्ती, गोण्डा, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद एवं सहारनपुर) हेतु कुल 12 माह मानदेय (नियमानुसार **Annual Increment (5%)** एवं लायलिटी बोनस सहित) के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मानदेय का निर्धारण योगदान तिथि के अनुसार किया जाएगा।

5- **HSS.9.184.C.P354 Data Entry Operator -** नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में आर0ओ0पी0 में राज्य स्तर पर 01 डी0ई0ओ0 एवं जनपद स्तर पर 75 डी0ई0ओ0 के 12 माह मानदेय (नियमानुसार **Annual Increment (5%), EPF,** एवं लायलिटी बोनस सहित) के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मानदेय का निर्धारण योगदान तिथि के अनुसार किया जाएगा।
नोट–मानव संसाधन हेतु स्वीकृत धनराशि में मानदेय के साथ नियमानुसार Annual Increment, EPF, ESI, Agency Charges, GST सम्मिलित है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत पदों का ही मानदेय निर्गत किया गया है। रिक्त पदों पर भर्ती उपरान्त जनपदों द्वारा मांग पश्चात् अलग से धनराशि आवंटित की जाएगी।

अवगत कराना है कि जनपद द्वारा कार्यक्रम हेतु आवंटित धनराशि के मासिक व्यय के आधार पर ही अग्रिम धनराशि की लिमिट जारी की जाएगी। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन करते हुए ससमय नियमानुसार व्यय/भुगतान करना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक भुगतान FAMS Portal का प्रयोग करते सुनिश्चित करें।

8. क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम

8.1 क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम

क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम प्रदेश की समस्त चिकित्सा इकाईयों पर गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपद स्तरीय चिकित्सालय (पुरूष, महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय) सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर आच्छादित है, जिनका भारत सरकार के निर्धारित मानकानुसार सुदृढ़ीकरण किया जाना है, जिससे कि चिकित्सा इकाई 'नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस' एवं 'लक्ष्य' सर्टिफिकेशन' प्राप्त कर सकें।

अवगत कराना है कि माननीय यूनियन मिनिस्टर चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''ऑपरेश्नल गाइडलाइन फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज–2021'' का विमोचन 17 सितम्बर, 2021 को किया गया है। उक्त गाइडलाइन में राजकीय चिकित्सा इकाईयों में स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता सुधार हेतु बेंचमार्क एवं इंडिकेटर्स निर्धारित है।

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार के पत्र संख्याः DONO:.Z-18015/26/2020/NHM-II दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें तथा अगामी 5 वर्षो में एन0क्यू0ए0 सर्टिफिकेशन हेतु लक्ष्य निर्धारित है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

S. No.	Level of Health Facilities	Cumulative Certified FY 2021-22 (Percentage)	Cumulative Certified FY 2022-23 (Percentage)	Cumulative Certified FY 2023-24 (Percentage	Cumulative Certified FY 2024-25 (Percentage)	Cumulative Certified FY 2025-26 (Percentage)
1.	District Hospital	40	50	60	70	75
2.	Sub-district Hospital	12	25	40	50	60
3.	Community Health Centre	12	25	40	50	60
4.	Primary Health Centre	12	25	40	50	60
5.	Urban Primary Health Cenrte	12	25	40	50	60
6.	HWC (SC)	2	10	20	40	60

उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियों यथाः क्वालिटी एश्योरेंस इम्पलीमेंटेशन फॉर ट्रैवर्सिंग गैप, क्वालिटी एश्योरेंस असेसमेंट कम मेंटॉरिंग विजिट, स्टेट असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट समीक्षा बैठक (राज्य स्तरीय) इन्सेंटिव फॉर एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन सर्पोटिव सुपरविजन भ्रमण (मण्डल एवं जनपद स्तर हेतु) मण्डल एवं जनपद में क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट हेतु ऑपरेशनल कास्ट हेतु एवं क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अर्न्तगत कार्यरत कार्मिकों का मानदेय एवं वेतन वृद्धि हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है।

मानव संसाधन का मानदेयः (डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, डिवीजनल कंसल्टेंट क्वालिटी /पब्लिक हेल्थ एवं हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर)

क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल एवं जनपद स्तर पर तैनात मानव संसाधनः डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, डिवीजनल कंसल्टेंट क्वालिटी/पब्लिक हेल्थ एवं हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर तथा एडमिन कम प्रोग्राम असिस्टेंट एवं हेल्प डेस्क मैनेजर/ऑपरेटर के मासिक मानदेय एवं वार्षिक मानेदय वृद्धि का भुगतान नियमानुसार निर्धारित परफार्मेंस अप्रैजल के आधार पर डैप में आवंटित बजट के अनुसार किया जाना है। उक्त मद में बजट का आवंटन किया जा रहा है। क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के कार्यो के परफार्मेंस अप्रैजल मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक मानदेय वृद्वि तथा लॉयल्टी बोनस दिया जाना है। वार्षिक वेतन वृद्वि कार्यरत संविदा कार्मियों को भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष तथा 5 वर्ष की अवधि पूर्ण किये जाने पर लॉयल्टी बोनस क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 05 प्रतिशत मानदेय वृद्वि हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपरोक्तनुसार जनपदवार फॉट के अनुसार धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

मेन्टारिंग एवं सपोर्टिव सुपरविजन (मण्डल एवं जनपद) FMR : - HSS.6.174.PME.1

क्वालिटी एश्योरेन्स कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल एवं जनपद स्तर पर तैनात कार्मिकों द्वारा समय–समय पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रमों के अनुश्रवण, सर्पोटिव–सुपरविजन, हैण्ड–होल्डिंग, प्रशिक्षण तथा बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु मण्डल के अन्दर, जनपद के बाहर भ्रमण किया जाता है कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट मण्डल स्तर पर डिवीजनल कंसल्टेंट के मोबिलिटी हेतु अनुबंधित वाहन की व्यवस्था के लिए क्रमशः रू. 30000.00 एवं रू. 35000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि जनपदों को आवंटन किया जा रहा है।

कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम संबंधी मेंन्टॉरिंग हेतु कतिपय अनुभवी एवं कुशल कंसल्टेंट को अन्य जनपद की चिकित्सा इकाईयो (तैनाती मण्डल या जनपद के बाहर) में डयूटी राज्य स्तर या मण्डलीय अपर निदेशक स्तर से लगायी जाती है। उक्त के दृष्टिगत मेंन्टॉरिंग विजिट, पियर

एवं स्टेट असेसमेंट विजिट हेतु कंसल्टेंट को अनुबन्धित वाहन को उपयोग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा रही है। यह ध्यान रखा जायें कि कंसल्टेंट की नियमित सपोर्टिव सुपरविजन विजिट प्रभावित न हो तथा माह में चलने वाले वाहन की अधिकतम सीमा (कि0मी0) एवं आवंटित बजट की सीमा से अधिक न हो ।

जनपदों या मण्डलों में अनुबधित वाहन का अनुबंध अनुमन्य बजट सीमा से कम है, तो अवशेष धनराशि से टैक्सी परमिट वाहनों की मण्डल/जनपद स्तर पर संचालित स्थानीय दरों (प्रति किमी) के आधार पर बजट की अधिकतम सीमा तक अतिरिक्त किमी वाहन चालाया जा सकता है जिससे कि भ्रमण की संख्या अधिक हो सकती है। उक्त को लागू करने से पूर्व आवश्यकता का आंकलन एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त वाहन अनुबंध शर्तो में उक्त बिन्दु को सम्मिलित किया जाना है।

मण्डल या जनपद में यदि सेवा– प्रदाता का अनुबंन्ध समय– सीमा समाप्त हो गयी हो तो 'जेम पोर्टल' अथवा खुली–निविदा के माध्यम से सेवा प्रदाता की दशाओं का उल्लेख भी अनुबंध में समाहित किया जाना समीचीन होगा। वाहन टेण्डर प्रकाशन के समय न्यूनतम दरों का उल्लेख किया जाना प्रभावी कदम होगा। 'जेम पोर्टल' से वाहन टेण्टर करते हुए समय निम्न एवं उच्च सीमा का विकल्प का चयन आवश्यक रूप से किया जाये।

विशेष स्थितियों में यदि वाहन अनुबन्ध समय– सीमा समाप्त होने या नवीन अनुबन्ध में विलम्व अथवा अनुबन्धित सेवा–प्रदाता द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो वैकल्पिक रूप से केवल पी.एम.एस.सेवा के डाक्टर/मेडिकल कालेज/नियमित स्टाफ द्वारा स्वयं के वाहन अथवा दैनिक आधार पर टैक्सी परमिट वाहन उपयोग करने पर रू 10.00 प्रति कि.मी का उपयोग करके सपोर्टिव सुपरविजन/मेन्टॉरिंग विजिट/एक्सटर्नल असेसमेंट/स्टेट असेसमेंट करने पर उन्हें भुगतान किया जा सकता है। स्वयं का वाहन उपलब्ध करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चली गयी दूरी की वास्तविक गणना (प्रारम्भिक एवं अन्तिम रीडिंग का स्पष्ट उल्लेख जोकि अधिकतम 200 किमी0 हेतु मान्य होगा) के आधार पर किया जा सकता है। यह व्यवस्था मात्र वैकल्पिक व्यवस्था होगा, इसे अधिक समय के लिए नियमित प्रक्रिया के रूप में नहीं अपनाया जाये।

डिवीजनल कंसलटेंट द्वारा भ्रमण के पूर्व भ्रमण संबंधी कार्ययोजना क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग एस0पी0एम0यू0 लखनऊ द्वारा अनुमोदित करने के उपरान्त प्रतिमाह अधिकतम 15 भ्रमण किये जाने है। डिवीजनल कंसलटेंट हेतु आवंटित धनराशि मण्डलीय अपर निदेशक के खाते में नियमानुसार हस्तांतरित की जायेगी। मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण द्वारा भ्रमण हेतु वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये तथा डिवीजनल कंसल्टेंट द्वारा उक्त भ्रमण संबंधी आख्या/फीडबैक क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा सत्यापित होने के उपरान्त वास्तविक बीजकों के सापेक्ष टी.ए./डी.ए. तथा बोर्डिंग, लॉजिंग का भुगतान किया जाये।

सपोर्टिव सुपरविजन (मण्डल एवं जनपद) हेतु टी.ए./डी.ए. तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान

उक्त कार्मिकों को महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) एस0पी0एम0यू0 एन0एच0एम0 के पत्र संख्या 144/एस0पी0एम0यू0/डैप–एच0आर0/2018–19/10398 दिनांक 4.01.2019 में वर्णित मानक तथा क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा– निर्देशों के अनुरूप यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान निम्नवत किया जाना है :–

S.N.	Position Name	Base Monthly Honoraria in (INR)	Approved per Diem per Day for QA staff (INR)	Maximum lodgings applicability per day (INR)
1	District Consultant (QA)	Rs.45000.00 to 40000.00	1000	1500.00
	Division Consultant (QA/PH)			
2	Hospital Manager	Rs.38588.00 & Above		
3	Admin Cum Programme Assistant	Rs. 12000.00 & above	500	1000.00

उक्त कार्मिकों को क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑपरेशनल मद के मानकानुसार टी0ए0 एवं डी0ए0 तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान नियमानुसार किया जाये। जो चिकित्सालय एन.क्यू.ए./लक्ष्य सर्टिफाइड हो चुके है उनके कार्मिकों की ड्यूटी जनपदया मण्डल के अन्दर स्थित अन्य चिकित्सा इकाईयों में आवश्कतानुसार मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से ड्यूटी लगायी जा सकती है। उनके ड्यूटीके दौरान वाहन की व्यस्वथा डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेट द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा नियमानुसार टी.ए./डी.ए. का भुगतान किया जायेगा।

कार्यक्रम की समीक्षा हेतु बैठकों का आयोजनः– जनपद स्तर पर त्रैमासिक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी/अध्यक्ष–जनपदीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति की अध्यक्षता में किया जाना है। उक्त बैठक को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम को एजेण्डा में सम्मिलित करते हुए साथ में किया जा सकता है। मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम को एजेण्डा के रूप में

सम्मिलित किया जायेगा। (उक्त बैठकों हेतु कोई धनराशि प्रावधानित नहीं है)। विशेष परिस्थितियों में यदि बैठक हेतु जलपान, स्टडी मैटेरियल आदि में व्यय की आवश्यकता हो तो सम्बंधित मण्डल/जनपद के ऑपरेशनल मद से व्यय किया जा सकता है।

आपरेशनल कास्ट (मण्डल, जनपद एवं चिकित्सा इकाई स्तर) FMR : - HSS.6.174.PME.2

क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल एवं जनपद स्तर पर ऑपरेशनल व्यय क्रमशः रू 30,000.00 एवं रू 25,000.00 प्रतिमाह की दर से जनपदीय चिकित्सालयों में तैनात हॉस्पिटल मैनेजर हेतु रू 2000.00 प्रतिमाह की दर एवं हेल्प डेस्क मैनेजर हेतु रू 6000.00 माह की दर से धनराशि अनुमन्य है उपयफ्रक्तानुसार धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

ऑपरेशनल मद से कार्यालय सम्बंधी गतिविधियां यथा–प्रशिक्षण सामग्री, फोटोकॉपी, राज्य स्तर से प्रेषित गाईडलाइन, मैनुअल प्रिन्टिंग, स्टेशनरी, बैठक में जलपान की व्यवस्था, टेलीफोन बिल, इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज (क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एवं मण्डल स्तर पर तैनात कंसल्टेट, हास्पिटल मैनेजर तथा प्रोग्राम कम एडमिन असिस्टेंट प्रत्येक को त्रैमासिक आधार पर मोबाइल रिचार्ज /इंटरनेट, हेतु अधिकतम् रू0 799.00 की दर से अनुमन्य होगा) इत्यादि में किया जायेगा।

जनपदीय चिकित्सालयों में तैनात हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर/हॉस्पिटल मैनेजर हेतु इंटरनेट, मैनुअल प्रिन्टिंग, स्टेशनरी तथा अन्य कार्यक्रम सम्बन्धित कार्य हेतु रू. 2000.00 प्रतिमाह की दर से व्यय किया जा सकता है। उक्त मद में बजट का आवंटन किया जा रहा है।

नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन' संबंधी चिकित्सा इकाईयों में गैप क्लोजर (माइक्रो–बायोलॉजिकल सर्विलांस, EQAS, पेस्ट कन्ट्रोल) हेतु वित्तीय व्यवस्था (For Traversing gaps) FMR : - HSS.6.174.OOC.1

भारत सरकार द्वारा आर.ओ.पी वर्ष 2023–24 में क्वालिटी एश्योरेंस Traversing Gaps के लिए रू0 525.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त मद में विभिन्न चिकित्सा इकाईयों को धनराशि रू0 4,88,30,000.00 आवंटन किया जा रहा है।

1. **माइक्रो–बायोलॉजिकल सर्विलांस–** इसके अन्तर्गत चिकित्सा इकाईयों के क्रिटीकल एरिया जैसे लेबर रूम, लैब, ओ.टी., एस.एन.सी.यू इत्यादि का माईक्रो–बायोलॉजिकल सर्विलांस किया जाना आवश्यक है। माइक्रो–बायोलॉजिकल सर्विलांस हेतु वर्ष में 02 बार किये जाने हेतु 127 जिला चिकित्सालयों को रू0 30,000.00 प्रति इकाई की दर से कुल धनराशि रू0 38,10,000.00 आवंटन किया जा रहा है।
2. **EQAS (Heamtology and Biochemistry)** : चिकित्सा इकाईयों में सम्पादित की जाने वाली विभिन्न जाँचों की गुणवत्ता एवं शुद्वता सुनिश्चित किये जाने वाले उद्देश्य से प्रयोगशालाओं का 'इन्टर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम' एवं 'एक्सर्टनल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम' **(** IQAS & EQAS**)** कराया जाना आवश्यक है। चिकित्सा इकाई एवं जनपद स्तर पर इन्टर्नल क्वालिटी एश्योरेंस कराया जाना है। 'एक्सर्टनल क्वालिटी एश्योरेंस हेतु प्रदेश की अधिकृत/एन.ए.बी.एल. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से नियमित रूपों से जाँचों का रिवैलिडेशन कराया जाना है। उक्त हेतु 111 जिला चिकित्सालय एवं 100 चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रू0 20,000.00 प्रति इकाई की दर से कुल धनराशि रू0 42,20,000.00 आवंटन किया जा रहा है।
3. **पेस्ट कन्ट्रोलः–** चिकित्साइकाईयों में कीट–पतंगो तथा दीमक से बचाव हेतु पेस्ट कन्ट्रोल एवं एन्टीटरमाइट ट्रीटमेन्ट किया जाना आवश्यक है। उक्त के संबंध में चिकित्सा इकाईयों को रू0 24,000.00 प्रति इकाई की दर से 1700 चिन्हित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (समस्त प्रसव केन्द्र सम्मलित) को कुल धनराशि रू0 4,08,00,000.00 आवंटन किया जा रहा है।

Budget for Traversing gaps closure

Sno	Particulars	Rate (INR)	Nos of Units	Amount (INR)	Remarks
1	Microbiological Surveillance	30000	127	3810000	127 District level hospital (LR,OT,SNCU (05 swab/Dept) - Details of hospitals annexued
2	EQAS	20000	211	4220000	111 District level Hospital and 100 CHCs selected under LaQshya (Details annexued)
3	Pest Control	24000	1700	40800000	1700 PHCs included all DPs (List Annexued)
	Total (INR)			**48830000**	

उक्त बजट का उपयोग निर्धारित मद में ही उपयोगित किया जाना है। अन्य गतिविधि में उपयोग को अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा। डिवीजनल/डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट/हास्पिटल मैनेजर्स द्वारा समय–समय पर आवंटित धनराशि के सदुपयोग हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग तथा अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

क्वालिटी एश्योरेंस असेसमेंट (स्टेट असेसमेंट एवं मेन्टॉरिंग विजिट) FMR : - HSS.6.174.OOC.2

भारत सरकार के मानकानुसार चिकित्सालयों के स्टेट सर्टिफिकेशन हेतु स्टेट असेसमेंट किया जाता है। चिकित्सा इकाईयों में गैप क्लोजर हेतु तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु समय–समय पर राज्य स्तर से नामित टीम द्वारा मेन्टॉरिंग विजिट किया जाता है। उक्त असेसमेंट में असेसर्स द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित मानकानुसार किया जायेगा अथवा असेसर्स की सुविधानुसार जनपद स्तर से यात्रा टिकट, ठहरने हेतु होटल की व्यवस्था तथा स्थानीय स्तर पर आवागमन हेतु वाहन की व्यवस्था की जा सकती है। उपरोक्त बजट को असेसर्स की संख्या एवं असेसमेंट दिवस के अनुसार अधिकतम सीमा तक अनुमन्य होगा।

स्टेट असेसमेंट :– चिकित्सा इकाईयों द्वारा इन्टर्नल असेसमेंट में निर्धारित मानक पूर्ण करने पर राज्य स्तर से नामित टीमों द्वारा स्टेंट असेसमेंट किया जाता है। उक्त स्टेट असेसमेंट हेतु पूर्व में स्वीकृत मानकों के अनुसार असेसर्स के यात्रा भत्ता, मानदेय दैनिक भत्ता, बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया जाना है:– **स्टेट असेसमेंट हेतु असेसमेंट दिवस का निर्धारण निम्नवत् है :–**

1. जनपद स्तरीय चिकित्सालयों जिसमें 12 विभागो तथा (लक्ष्य तथा मुस्कान सहित) का असेसमेंट 2 असेसर्स द्वारा 3 दिवस में किया जायेगा।
2. जनपद स्तरीय चिकित्सालय जिसमें 12 से अधिक विभाग है। (MuSQan सहित) का असेसमेंट 3 असेसर्स द्वारा 3 दिवस में किया जायेगा।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों FRU जिसमें 12 विभाग होते है। का असेसमेंट दो सदस्सीय टीम द्वारा 3 दिवस में किया जायेगा (Non -FRU) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (8 विभाग) का असेसमेंट दो सदस्सीय टीम द्वारा 2 दिवस में किया जायेगा।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों UPHC, PHC PHC, HWC& HWC-SC सहित का रिवैलिडेशन **मुख्य चिकित्सा अधिकारी** द्वारा नामित टीम द्वारा किया जायेगा। रिवैलिडेशन को स्टेट असेसमेंट के समतुल्य माना जायेगा तथा उसमें प्राप्त अंको की निर्धारित अर्हता के उपरान्त भारत सरकार की एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु अनुरोध पत्र रिवैलिडेशन दो सदस्सीय टीम द्वारा दो दिवस तथा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर उपकेन्द्रों का दों सदस्यीय टीम द्वारा एक दिवस में किया जायेगा प्राथमिक केन्द्रों के रिवैलिडेशन में असेसर्स का भुगतान निम्न मानकानुसार किया जायेगा।

NQAS State assessment (For 01 PHC/UPHC Revalidation and Surveillance)				
Head	Unit cost	Number of participants	Days	Amount(Rs)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train as per actual (for two assessor)				5000.00
Honorarium for External assessors	1000	2	2	4000.00
Boarding and Loadging	1500	2	1	3000.00
Total cost for one PHC/UPHC including (HWC)				**12000.00**

NQAS state State assessment (For 01 HWC (SC) equivalent ,Revalidation and Surveillance)				
Head	Unit cost	Number of participants	Days	Amount(Rs)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train as per actual (for two assessor)				5000.00
Honorarium for External assessors	1000	2	1	2000.00
Boarding and Loadging	1500	2	1	3000.00
Total cost for one HWC(SC)				**10000.00**

5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का रिवैलिडेशन दो सदस्सीय टीम द्वारा दो दिवस तथा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर उपकेन्द्रों का दो सदस्यीय टीम द्वारा एक दिवस में किया जायेगा प्राथमिक केन्द्रों के रिवैलिडेशन में असेसर्स का भुगतान 12,000.00 प्रति चिकित्सा इकाई की दर से समस्त जनपदों को 550 चिकित्सा इकाईयों को धनराशि रू. 66.00 लाख तथा 750 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (उपकेन्द्रों) को रू. 10,000.00 प्रति इकाई की दर से धनराशि रू. 75.00 लाख जनपदवार आवंटन किया जाना है। इस प्रकार कुल धनराशि रु0 141.00 लाख का आवंटन किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के स्टेट असेसमेंट हेतु जनपदवार बजट निम्न तालिकानुसार किया जा रहा है।

Budget allocated for Revalidation / state assessment of PHC and HWC(SC)

Sno	Particulars	Total Nos of Health facilities	District Name	Amount Allocation (Rs.)
1	Revalidation / state assessment of PHCs(PHC/UPHC / HWC : PHC) @ Rs 12000 per Facility(7 health facilities in each district)	550	**50 Districts** (Ambedkar Nagar,Amethi, Auraiya,Ayodhya,Baghpat,Bahraich,Ballia,Barabanki,Basti,Bijnor,Budaun,Bulandshahar,Deoria,Etah,Etawah,Farrukhabad, Fatehpur,Firozabad,Gautam Buddh Nagar,Ghazipur,Hamirpur,Hapur,Hardoi,Hathras,Jyotiba Phule,Nagar,Kannauj,Kasganj,Kaushambi,Kushinagar Lakhimpur Kheri,Lalitpur,Maharajganj,Mahoba,Mainpuri,Mau,Muzaffarnagar,Pilibhit,Pratapgarh, Prayagraj .Raebareli,Rampur,Sambhal,Sant Ravidas Nagar,Santkabir Nagar,Shahjahanpur,Shamli,Sitapur,Sonbhadra,Sultanpur, Unnao)	**6600000.00**
2	Revalidation / state assessment of PHCs(PHC/UPHC / HWC : PHC) @ Rs 12000 per Facility (8 health facilities in each district)		**25 Districts (**Agra,Aligarh, Azamgarh,Balrampur,Banda,Bareilly,Chandauli ,Chitrakoot,Ghaziabad,Gonda,Gorakhpur,Jalaun, Jaunpur,Jhansi,Kanpur Dehat,Kanpur Nagar,Lucknow,Mathura,Meerut,Mirzapur,Moradabad,Saharanpur,Shrawasti,Siddharth Nagar,Varanasi)	
3	Revalidation / state assessment of HWCs: HSC @ Rs 10000 per Facility (10 health facilities in each district)	750	75 Districts	**7500000.00**
4	**Total**	**1300**		**14100000.00**

यदि स्टेट असेसमेंट में सभी विभागों में 70% से कम स्कोर प्राप्त होता है तो गैप क्लोजर हेतु एक माह का समय दिया जायेगा तथा एक माह पश्चात गैप क्लोजरपूर्ण करने पर सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से स्कोर रिवैलिडिशन हेतु डिविजनल कंसल्टेंट/डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट एवं हास्पिटल मैनेजर की टीम बनाकर कराया जायेगा। प्रत्येक टीम सदस्य द्वारा प्रत्येक दिन 2 विभागों का असेसमेन्ट किया जायेगा। असेसमेन्ट के उपरान्त टीम द्वारा प्रेषित स्कोर चेक लिस्ट तथा मानकानुसार समस्त अभिलेखों की सॉफ्ट कापी क्वालिटी अनुभाग को एस.पी.एम.यू लखनऊ की ई–मेल qanhmup2021@gmail.com पर एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित की जायेगी। उपरोक्त कार्य हेतु डिविजनल कंसल्टेंट को उत्तर दायी बनाया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के रिवैलिडेशन के अतिरिक्त अन्य चिकित्सा इकाईयों (जनपद स्तरीय चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) हेतु दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान रिवैलिडेशन हेतु नामित सदस्य के तैनाती जनपद से आपरेशनल मद से निर्धारित मानकानुसार किया जायेगा।

क्वालिटी एश्योरेंस (नेशनल सर्टिफिकेशन एवं रिसर्टिफिकेशन) FMR : - HSS.6.174.OOC.3

क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत एन0क्यू0ए0एस के एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए रू0 1079.88 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्टेट असेसमेंट में अर्हता पूर्ण करने पर एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन हेतु राज्य स्तर से एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु भारत सरकार को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाता है। एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु असेसर्स के मानदेय, यात्रा भत्ता तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग की व्यवस्था हेतु निर्धारित मानकानुसार प्रत्येक जनपद को रू0 8.00 लाख कुल धनराशि रू. 600.00 लाख आवंटन किया जा रहा है। एन0क्यू0ए0एस के नेशनल असेसमेंट हेतु चिकित्सा इकाईयों के लिए मानक निम्नानुसार है:–

A. जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाईयों के एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु मानक

NQAS Exteranal/National assessment and Recertification (For One DH/SDH)				
Head	Unit cost	Number of particiapnts	Days	Amount(INR)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train/Air/ as per actual	20000	3		60000.00
Honorarium for External assessros (Rs 4000 per day per Assessor for staff of health department and Rs 7000 per day per Assessor for other category (Non-Govt.)	7000	3	4	84000.00
Boarding and Loadging	4000	3	4	48000.00
Local transport	2000	1	4	8000.00
Conntingency	10000			10000.00
Total for one District hsopital				**210000.00**

B : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु मानक

NQAS External/National assessment and Recertification (For One CHC/UCHC)				
Head	Unit cost	Number of particiapnts	Days	Amount(INR)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train/Air/ as per actual	20000	2		40000.00
Honorarium for External assessros (Rs 4000 per day per Assessor for staff of health department and Rs 7000 per day per Assessor for other category (Non-Govt.)	7000	2	4	56000.00
Boarding and Loadging	4000	2	4	32000.00
Local transport	2000	1	4	8000.00
Conntingency	10000			10000.00
Total for one CHC/UCHC				**146000.00**

C : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु मानक

NQAS External/National assessment and Recertification (For One PHC/UPHC)				
Head	Unit cost	Number of particiapnts	Days	Amount(INR)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train/Air/ as per actual	20000	2		40000.00
Honorarium for External assessros (Rs 4000 per day per Assessor for staff of health department and Rs 7000 per day per Assessor for other category (Non-Govt.)	7000	2	3	42000.00
Boarding and Loadging	4000	2	3	24000.00
Local transport	2000	1	3	6000.00
Conntingency	8000			8000.00
Total for one PHC/UPHC				**120000.00**

D : हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु मानक

NQAS External/National assessment and Recertification (For One HWC-SC)				
Head	Unit cost	Number of particiapnts	Days	Amount(INR)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train/Air/ as per actual	20000	2		40000.00
Honorarium for External assessros (Rs 4000 per day per Assessor for staff of health department and Rs 7000 per day per Assessor for other category (Non-Govt.)	7000	2	2	28000.00
Boarding and Loadging	4000	2	2	16000.00
Local transport	2000	1	2	4000.00
Conntingency	8000			8000.00
Total for one HWC(SC)				**96000.00**

नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन हेतु मानकः

NQA सर्टिफिकेशन हेतु तीन चरणों में असेसमेन्ट (इनर्टनल, स्टेट असेसमेंट एवं एक्सर्टनल असेसमेंट) किया जाता है। इनर्टनल असेसमेंट के ओवरऑल स्कोर 70% या अधिक होने पर डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेन्स समिति के माध्यम से स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस समिति को स्टेट असेसमेंन्ट हेतु अनुरोध किया जाता है। स्टेट असेसमेंन्ट में सभी विभागों में 70% से अधिक स्कोर होने पर राज्य स्तर से भारत सरकार को एक्सर्टनल असेसमेंट हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाता है। NQA सर्टिफिकेशन हेतु मानक निम्नवत् हैः–

SN	Criteria	Criteria for NQA Certification (Aggregate Score %)			
		DH	SDH/CHC	UPHC /PHC/ PHC : HWCs/UPHC	HWC :HSC
1	Aggregate score of the health facility	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%
2	Score of each department of the health facility	≥ 70%	≥ 70%	NA	≥ 70% (each service package , atleast 7 package)
3	Segregated score in each Area of Concern	≥ 70%	≥ 70%	≥ 60 %	≥ 60 %
4	Score of Standard	Standard A2, Standard B5 and Standard D10 is >70%	Standard A2, Standard B5 and Standard D8 is >60%	Standard A2, Standard B4 and Standard F6 (PHC)/F4 (U-PHC) is ≥ 60%	≥ 60 % (A1,D3,D4 , D5 &G2)
5	Individual Standard wise score	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%
6	Patient Satisfaction Score	70% or Score of 3.5 on Likert	Scale 65% or Score of 3.2 on Linkert	60% or Score of 3.0 on Linkert	60% or Score of 3.0 on Linkert

NQA सर्टिफिकेशन हेतु आवश्यक डाक्यूमेंट का विवरण निम्नवत हैः

NQA सर्टिफिकेशन हेतु विभिन्न प्रकार के स्टेटुटरी रिक्वायरमेंट/ऑडिट एवं अभिलेखीकरण की आवश्यकता होती है, जो नेशनल एवं स्टेट असेसमेंट के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है।

District Hospital (DH/DCH&DWH)	Community Health Centre	Primary Health Centre / Urban Primary Health Centre	HWC (SC)
1.Hospital Profile	1. No. and Names of departments to be assessed	1. Latest State Assessment Report and scores.	No. and Names of service packages to be

			assessed
2. Latest State Assessment Report and scores.	2. Latest State Assessment Report and scores.	2. Minutes of last Quality Team meeting (MOM).	Latest District level assessment report verified by State*
3. Minutes of last Quality Team meeting (MOM).	3. Minutes of last Quality Team meeting (MOM).	3. Departmental SOPs.	Minutes of last Quality Team meeting (Preferable within Last Quarter)
4. Departmental SOPs.	4. Departmental SOPs.		
5. Quality Improvement Manual.	5. Quality Improvement manual.	4. Quality Improvement Manual.	Work Instructions (As per Service Packages)
6. Copy of Hospital Wide Policies/ Procedures. (Government Order/ Single Pager Policy / Procedures): Vision, Mission, Values, Strategic Plan and Quality Policy (Condemnation Policy, Antibiotic policy,Social, Culture and Religious Equality policy,Privacy, Dignity and confidentiality policy of patient., Consent policy,Prescription by Generic Name policy,Adverse Event reporting policy,Referral policy,Timely reimbursement of entitlements and compensation,Grievance Redressal policy,Free treatment to BPL patient"s procedure/ policy,	6. Policies/Procedures of the facility(Condemnation Policy, Antibiotic policy,Social, Culture and Religious Equality policy,Privacy, Dignity and confidentiality policy of patient, Consent policy,Referral policy,Policy of timely reimbursement of entitlements and compensation, Quality Policy.	5. Copy of Hospital Wide Policies/ Procedures. (Government Order/ Single Pager Policy / Procedures): Vision, Mission, Values, Strategic Plan and Quality Policy., Condemnation Policy, Maintaining of Patients Record, its security, sharing of information and safe disposal,• Higher Centre Referral Policy	Copy of Facility Wide Policies/ Instructions 3 5.1 Quality Policy & Objectives 5.2 Policy for Maintaining Patients" Records [its security,sharing of information and safe disposal] (Both physical and digital copies) 5.3 Referral Policy . Letter for Fire compliance from the appropriate authority.
7. Scores of Last 3 Patient Satisfaction Surveys and Subsequent Corrective and Preventive actions undertaken.	7. Scores of last 3 Patient satisfaction Surveys and subsequent Corrective and Preventive actions.	6. Scores of Last 3 Patient Satisfaction Surveys and Subsequent Corrective and Preventive actions undertaken.	Last 3 months Patient Satisfaction Survey Report (Analysis) with subsequent Corrective and Preventive actions undertaken.
8. Last 3 months data of Key Performance Indicators (KPI).	8. Last 3 months data of Key Performance Indicators	7. Last 3 months data of Key Performance Indicators (KPI).	. Last 3 months data of Key Performance Indicators (KPI).
9. Prescription/Medical Audit Analysis with Corrective and Preventive Action (CAPA)	9. Prescription Audit Analysis with Corrective and Preventive Action (CAPA) report	8. Prescription Audit Analysis with Corrective and Preventive Action (CAPA)	Bio Medical Waste (BMW) Authorization Certificate

NQA सर्टिफिकेशन हेतु इंसेन्टिव धनराशि मानदंड का विवरण निम्नवत है :–

S.No	Type of Health Facility	Incentive money criterion after NQA Certification				Remark
		NQA Certification without Conditionality		NQA Certification with Conditionality		
		Full Certification (All Departments)	Partial Certification	Full Certification (All Departments)	Partial Certification	
1	District Level Health Facility	Rs. 10,000.00 Per Functional Bed	Rs.10,000.00 Per Functional Bedx Nos of Dept Assessed / Total No of Dept	Rs. 7,000.00 Per Functional Bed	Rs.7,000.00 Per Functional Bedx Nos of Dept Assessed / Total No of Dept	
2	Community Health Centre-FRU	Rs. 10,000.00 Per Functional Bed	Rs.10,000.00 Per Functional Bed x Nos of Dept Assessed / Total No of Dept	Rs. 7,000.00 Per Functional Bed	Rs.7,000.00 Per Functional Bedx Nos of Dept Assessed / Total No of Dept	Rs.3,00000.00 for 30 Beds for without Conditionality)
3	Community Health Centre-Non FRU	Rs. 2,00,000.00				Rs.2,00000.00 for 30 Beds for Non-FRU (without Conditionality)
4	Primary Health Centre & UPHC	Rs. 3,00,000.00	NA			
5	Health &wellness centre	Rs. 18,000.00 per package (total 12 package)	NA			

क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत असेसमेंट एवं मेन्टॉरिंग विजिट हेतु टीम के सदस्यों के भुगतान हेतु सामान्य दिशा–निर्देश :–

अवगत कराना है कि क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस, लक्ष्य सर्टिफिकेशन तथा कायाकल्प असेसमेंट हेतु इम्पैनल्ड असेसर्स को क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग, एस.पी. एम.यू लखनऊ द्वारा नामित किया जाता है। प्रत्येक असेसमेंट के उपरान्त संबंधित टीम के सदस्यों द्वारा नियमानुसार ससमय रिपोर्ट राज्य स्तर से साझा किया जाना अनिवार्य है। रिपोर्ट प्रेषण के सात दिवसों के भीतर संबंधित असेसर्स द्वारा यात्रा भत्ता, लॉजिंग तथा परडियम से संबंधित स्वप्रमाणित बीजक राज्य

स्तर को उपलब्ध कराया जाना है। बीजकों के संकलन तथा राज्य स्तर पर प्रेषित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं का अनुपालन अत्यन्त आवश्यक है, जो निम्नवत् हैः–

- प्रत्येक असेसर्स द्वारा यात्रा भत्ता, लॉजिंग तथा परडियम हेतु क्लेम–फार्म में प्रत्येक सूचना भर कर दिनांक सहित हस्ताक्षरित (मोहर के साथ) की जायेगी।
- यदि असेसमेंट हेतु समस्त असेसर्स एक ही जनपद से जा रहे है तो असेसर्स द्वारा एक ही वाहन का उपयोग किया जाये।
- यात्रा हेतु यदि टैक्सी हायर की गयी है तो बीजकों में गाड़ी संख्या, टैक्सी परमिट संख्या, यात्रा का दिनांक, जनपद, चिकित्सालय का नाम तथा यात्रा दूरी की सूचना अंकित किया जाना आवश्यक है। सभी असेसर्स द्वारा यात्रा विवरण प्रपत्र भरा जाना है।
- प्रत्येक असेसमेंट हेतु पृथक क्लेम–फार्म भरा जाना है तथा राज्य स्तर से निर्गत संबन्धित पत्र संलग्न किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। *असेसर्स द्वारा उक्त नियमों का अक्षरशः अनुपालन न करने की स्थिति में नियमानुसार राज्य स्तर से कटौती की जायेगी।

एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन के अर्न्गत इंसेन्टिव धनराशि के उपयोग हेतु निर्देश–FMR : HSS.6.174.OOC.5

भारत सरकार के स्तर से एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त चिकित्सालय द्वारा एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन की अर्हता पूर्ण करने पर मानकानुसार इंसेन्टिव धनराशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है। भारत सरकार के निर्देशानुसार अवार्ड हेतु प्राविधानित धनराशि का 75 प्रतिशत चिकित्सालय के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड एवं कायाकल्प अवार्ड स्कीम के अंतर्गत चिन्हित गैप क्लोजर, सुदृढ़ीकरण, रख–रखाव, स्वच्छता व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित किये जाने हेतु उपयोगित की जाये, जिससे चिकित्सालय के स्कोर में वृद्धि हो सके। शेष 25 प्रतिशत धनराशि चिकित्सा इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (नियमित संविदा एवं आउटसोर्स) के उत्साहवर्धन हेतु इन्सेंटिव के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। अवार्ड विजेता चिकित्सा इकाई को अवार्ड धनराशि में से इन्सेंटिव हेतु स्वीकृत 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग चिकित्सालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कैश अवार्ड, क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण, चिकित्सालय में कर्मचारियों के कार्यस्थल में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

अवार्ड धनराशि का 75 प्रतिशत कायाकल्प–अवार्ड योजना तथा क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड के असेसेमेंट में चिन्हित गैप क्लोजर तथा चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण हेतु उपयोगित की जायेगी। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि अन्य मद से प्राप्त बजट की कोई डुप्लीकेसी न हो। उक्त मद में बजट का आवंटन भारत सरकार द्वारा समय– समय पर चिकित्सा इकाईयों द्वारा एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

8.2 'लक्ष्य' इनीशिएटिव संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देशः–

'लक्ष्य' सर्टिफिकेशन कार्यक्रम प्रदेश की समस्त जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों पर **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी** गुणवत्तापरक सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य वर्ष 2018 से संचालित है, जिससे प्रदेश में व्याप्त उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट लाई जा सके।

'लक्ष्य सर्टिफिकेशन' प्रक्रिया–'लक्ष्यसर्टिफिकेशन' हेतु अच्छादित चिकित्सा इकाईयों में तीन चरणों में असेसमेन्ट (इन्टर्नल, स्टेट असेसमेंट एवं एक्सटर्नल असेसमेंट) किया जाता है। उक्त असेसमेंट में प्रत्येक चरण में अर्हता प्राप्त करने हेतु चिकित्सा इकाईयों को 05 मानकों को पूर्ण करना आवश्यक है।

Criterion No	Certification Criterion	Aggregate Score (%)
1	Score of each department (LR or MOT) of the health facility	≥ 70%
2	Segregated score in each Area of Concern	≥ 70%
3	Score of Standard B3, E18, E19	≥ 70%
4	Individual Standard wise score	≥ 50%
5	Patient Satisfaction Score	70% or Score of 3.5 on Likert

उक्त मानकों के आधार पर एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त परिणाम निम्नवत घोषित किये जायेंगे।

S. No	No. of Criterion fulfilled in External Assessment	Certification Status Awarded
1	5 out of 5 criterion	Fully Certified
2	4 out of 5 Criterion	Conditionally Certified
3	<4 Criterion met out of 5	Deferred

क्वालिटी सर्किल का गठन– सर्वप्रथम लक्ष्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित समस्त चिकित्सा इकाईयों की लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ.टी में क्वालिटी सक्रिल समूह का गठन अनिवार्य है। उक्त समूह के माध्यम से लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ0टी0 में लक्ष्य सर्टिफिकेशन संबंधी समस्त कार्यो एवं मानकों का कार्यान्वयन पर्यवेक्षण एवं गैप क्लोजर गतिविधियाँ सम्पादित की जायेगी ताकि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता मे सुधार लाया जा सकें। उक्त समूह के सदस्यों का विवरण निम्नवत है :–

S.No	Quality Circle members	
	LR	MOT
1	Gynaecologist (Nodal)	Anaesthetist (Nodal)
2	Pediatrician	Gynaecologist
3	Hospital Manger/ MH Consultant	Pediatrician
4	Pharmacist	Hospital Manger/ MH Consultant
5	Staff Nurse	Pharmacist
6	Nurse Mentor	Staff Nurse
7	Support and House Keeping staff	MOT technician
8		Support and House Keeping staff

उक्त समूह के सदस्यों द्वारा माह में न्यूनतम एक बार बैठक की जायेगी ।

क्वालिटी सर्किल के कार्य एवं दयित्व क्लीनिकल गाइडलाइन्स एवं प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना। लेबर रूम तथा मैटरनिटी ओ.टी. का 'लक्ष्य' सर्टिफिकेशन सम्बंधित चेकलिस्ट पर असेसमेंट किया जाना। गैप क्लोजर हेतु प्राथमिकता के आधार पर एक्शन–प्लान बनाना तथा ससमय क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। Annexure C के अनुसार फैसिलिटी लेवल टारगेट सम्बंधित डेटा बेस तैयार किया जाना।

इन्टर्नल असेसमेंट भारत सरकार द्वारा विकसित 'गुणक' एप में Inbuilt लक्ष्य सर्टिफिकेशन' चेकलिस्ट का उपयोग करते हुए प्रति वित्तीय वर्ष में त्रैमासिक असेसमेंट किया जाए। उक्त असेसमेंट डिर्पाटमेन्टल नोडल (स्त्री रोग विशेषज्ञ लेबर रूम में तथा निश्चेतक मेटरनिटी ओ0टी0 में) के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालयों में हॉस्पिटल मैनेजर तथा संबंधित नर्स मेन्टर की टीम द्वारा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जिला मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट तथा संबंधित नर्स मेन्टर की टीम द्वारा किया जाएगा। उक्त त्रैमासिक असेसमेंट की चेकलिस्ट प्रति त्रैमास के आखिरी माह में 25–30 तारीख के मध्य 'गुणक' एप के माध्यम से submit किया जाएगा जिससे राज्य स्तर पर 'गुणक' एप के Dashboard पर उक्त असेसमेंट की चेकलिस्ट एवं आख्या प्रस्तुत हो सके। उक्त असेसमेंट मे पाए गए गैप को क्लोज करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने का दायित्व जिला चिकित्सालय स्तर पर हॉस्पिटल मैनेजर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों में मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट का होगा।

उक्त कार्ययोजना पर डिर्पाटमेन्टल क्वालिटी सक्रिल की मासिक बैठकों में डिर्पाटमेन्टल नोडल की अध्यक्षता में विस्तृत चर्चा की जाएगी। जिन गैप को क्लोज करने हेतु जनपदीय स्तर पर हस्ताक्षेप अथवा सहायता की आवश्यकता हो उन गैप को डी0एच0एस0 की बैठकों के ऐजण्डा में सम्मिलित कर उन पर विस्तृत चर्चा तथा कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

चिकित्सा इकाई के लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ0टी0 को इन्टर्नल असेसमेंट में 70 प्रतिशत से अधिक स्कोर प तथा उपरोक्त वर्णित 5 मानको में अर्हता प्राप्त करने पर उसे एजेण्डा बिन्दु के रूप में डी0एच0एस0 की कार्यकारी समिति की बैठक में मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उक्त चिकित्सा इकाई का इन्टर्नल स्कोर का डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, क्यू.ए., द्वारा सत्यापन करने के पश्चात 'लक्ष्य' सर्टिफिकेशन संबंधी राज्य स्तरीय असेसमेंट हेतु क्वालिटी अनुभाग एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जाएगा।

स्टेट असेसमेंटः– मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से जनपदों से इन्टर्नल असेसमेंट में अर्हता प्राप्त करने वाले चिकित्सा इकाईयों का राज्य स्तरीय असेसमेंट कराने हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होने के पश्चात क्वालिटी अनुभाग एस.पी.एम.यू. द्वारा **स्टेट असेसमेंट** 1 दिवस में किया जायेगा। उक्त असेसमेंट में असेसर्स द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित मानकानुसार राज्य स्तर से क्वालिटी अनुभाग द्वारा किया जायेगा।

असेसमेन्ट के उपरान्त उक्त टीम द्वारा स्कोर की गयी चेकलिस्ट क्वालिटी अनुभाग एस.पी.एम.यू लखनऊ की ई–मेल qanhmup2021@gmail.com पर एक सप्ताह के भीतर प्रेषित की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा विकसित '**गुणक (Gunak) ऐप**' का उपयोग करते हुये उक्त स्कोर की प्रविष्टि असेसर्स द्वारा की जायेगी तथा असेसमेंट सम्पादित होने के तीन दिवसो के भीतर उक्त ऐप के माध्यम से Submit की जायेगी।

स्टेट असेसमेंट में **लेबर रूम** अथवा **मेटरनिटी ओ0टी0 में** 70% से कम स्कोर प्राप्त होने पर गैप क्लोजर हेतु एक माह का समय दिया जायेगा। तत्पश्चात गैप क्लोजर करने पर सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से स्कोर रिवैलिडिशन हेतु मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु)/हास्पिटल मैनेजर (जिला स्तरीय चिकित्सालय हेतु) तथा संबंधित नर्स मेंटर की टीम बनाकर संबंधित डिवीजनल कंसल्टेंट की देख–रेख में कराया जायेगा। मण्डलीय अपर निदेशक को चिकित्सा इकाईयों के रिवैलिडेशन कराये जाने हेतु मिशन निदेशक के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./क्यू.ए./2019–20/03/6842 दिनांक 11.11.19 द्वारा अधिकृत किया गया है। उक्त असेसमेन्ट के उपरान्त उक्त टीम द्वारा प्रेषित स्कोर चेक लिस्ट तथा मानकानुसार समस्त अभिलेखों की सॉफ्ट कापी क्वालिटी

अनुभाग एस.पी.एम.यू लखनऊ की ई–मेल qanhmup2021@gmail.com पर एक सप्ताह के भीतर प्रेषित की जायेगी। उपरोक्त कार्य हेतु संबंधित डिवीजनल कंसल्टेंट उत्तरदायी होंगे

नेशनल असेसमेंट– स्टेट असेसमेंट में समस्त मानकों में अर्हता प्राप्त करने पर एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित ऑन–लाईन Odoo पोर्टल के माध्यम से अनुरोध किया जायेगा। उक्त पोर्टल पर अनुरोध पत्र के अतिरिक्त अन्य अभिलेखों का भी प्रेषण किया जाना आवश्यक है, जिसको उक्त चिकित्सा इकाईयों द्वारा क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को संबंधित डिवीजनल कंसल्टेंट के सत्यापन के उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा। विवरण निम्नवत हैः–

S.No	List of Documents to be submitted in the portal	S.No	List of Documents to be submitted in the portal
1	Signed Hospital data sheet	13	Policy- Vision, Mission, Values, Strategic Plan & Quality Policy
2	Office Order of Quality Circle Formation of LR & MOT	14	Policy- Condemnation Policy
3	Quality Policy & Objectives of LR & MOT	15	Policy- Antibiotic Policy
4	LattestLaQshya Assessment Checklist Validated by SQAU (LR and/or MOT)	16	Policy- Social, culture and religious equality policy
5	SOP (LR and/or MOT)	17	Policy- Privacy, dignity and confidentiality policy of patient
6	LaQshya FaciIndicators - As per Annexure "C" (Last 3 months)	18	Policy- Consent Policy
7	OSCE Report of Assessment done in last one year	19	Policy- Referral policy
8	Documents in Respect of Six Rapid Improvement Cycle	20	Key Performance indicators (last 3 month)
9	Last 3 months record of Patient Satisfaction Survey (PSS) & subsequent Action plan of Labour room and Maternity Ward only.	21	Prescription/ Medical Audit Analysis with action taken report
10	Statuatory and Regulatory Compliance	22	Latest State Assessment Report (LR & MOT)
11	Quality Team Formation Order & minutes of last meeting	23	Policy- Timely reimbursement of entitlements & compensation policy
12	Quality Improvement Manual		

भारत सरकार द्वारा प्रेषित नवीन दिशा–निर्देशानुसार चिकित्स इकाईयों के 'लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ0टी0 विभाग को संयुक्त रूप से लक्ष्य सर्टिफिकेशन हेतु सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है। लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ0टी0 में से मात्र एक अनुभाग के सर्टिफाईड होने की परिस्थिति में सर्टिफिकेशन अस्थायी मान्य होगा तथा अन्य अनुभाग को भी एक साल के भीतर सर्टिफाई कराना अनिवार्य होगा। उक्त की पूर्ति न होने की परिस्थिति में सर्टिफाईड अनुभाग का सर्टिफिकेशन भारत सरकार द्वारा निलंबित किया जा सकता है। एक्सटर्नल असेसमेंट में अर्हता प्राप्त करने पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार सर्टिफाइर्ड चिकित्सा इकाई को इन्सेंटिव धनराशि प्रदान की जायेगी।

स्टेट सर्विलांस असेसमेंट– भारत सरकार के नवीन दिशा–निर्देशानुसार एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त "Fully Certified" घोषित चिकित्सा इकाईयों की सर्टिफिकेशन की वैद्यता 03 वर्शो तक मान्य होगी। उक्त सर्टिफिकेशन की वैद्यता के अन्तराल में राज्य स्तर से गठित असेसर्स टीम द्वारा प्रति वर्ष उक्त चिकित्सा इकाई का स्टेट सर्विलांस असेसमेंट किया जायेगा जिसमें अर्हता प्राप्त करना उक्त चिकित्सा इकाई के लिए अनिवार्य होगा। अर्हता प्राप्त न करने स्थिति में उक्त चिकित्सा इकाई/विभाग का सर्टिफिकेशन रद किया जायेगा एवं इंसेंटिव धनरशि प्रदान नहीं की जायेगी।

स्टेट असेसमेंट तथा स्टेट सर्विलांस असेसमेंट –

उक्त हेतु राज्य स्तर से टीम का गठन किया जायेगा। उक्त असेसमेंट में असेसर्स द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित मानकानुसार राज्य स्तर से एफ.एम.आर.कोड. HSS.6.174.OOC.4 के अन्तर्गत क्वालिटी एश्योंरंस अनुभाग द्वारा किया जायेगा। विवरण निम्नवत हैः–

क्रस	विवरण	दर (रूपये में)	असेसर्स की संख्या	दिवस	धनराशि (रूपये में)
1	टीम के आवागमन हेतु यात्रा भत्ता (टैक्सी हायॅरिंग, या रेल किराया वास्तवित	2500.00	2	2	10000.00(अधिकतम) **यात्रा के दिवसों के अनुसार**
2	मानदेय प्रतिदिन प्रति असेसर्स	2000.00	2	1	4000.00
3	बोर्डिंग लॉजिंग हेतु रू0 4000.00 प्रति असेसर्स) होटल में ठहरने एवं भोजन इत्यादि)	4000.00	2	2	16000.00 (अधिकतम)
4	स्थानीय मोबिलिटी सपोर्ट हेतु	2000.00	1	2	4000.00
5	कंटिनजेंसी/विविध व्यय (डाक्यूमेंटेशन–फोटो/वीडियोग्राफी, फोटोकॉपी, रिपोर्टिंग आदि हेतु)	6000.00			6000.00
				कुल योग	**40000.00**

'लक्ष्य सर्टिफिकेशन' हेतु राज्य स्तर से कराये गये स्टेट असेसमेंट में यदि चिकित्सा इकाई को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन हेतु स्टेट असेसमेंट भी सम्मिलित होता है तो असेसर्स को केवल

नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन संबंधी स्टेट असेसमेंट में नियमानुसार दिये जाने वाले मानदेय, यात्रा भत्ता तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान ही मान्य होगा।

नेशनल असेसमेंट तथा सर्विलांस असेसमेंट –

उक्त हेतु भारत सरकार द्वारा असेसर्स टीम का गठन किया जायेगा। उक्त असेसमेंट में असेसर्स द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित मानकानुसार चिकित्सा इकाईयों द्वारा किया जायेगा। विवरण निम्नवत है :–

'लक्ष्य' एक्सटर्नल असेसमेंट (लेबर रूम एवं मैटरनिटी ओ0टी0)					
क्रस	विवरण	दर (रूपये में)	असेसर्स की संख्या	दिवस	धनराशि (रूपये में)
1	टीम के आवागमन हेतु यात्रा भत्ता (एयर टिकट, टैक्सी हायॅरिंग, या रेल किराया वास्तवित	20000.00	2		40000.00
2	मानदेय प्रतिदिन प्रति असेसर्स	4000.00 (राजकीय विभाग में कार्यरत् असेसर्स हेतु) या7000.00 (अन्य संस्थानों में कार्यरत् असेसर्स या रिटायर्ड अधिकारी हेतु)	2	3	42000.00 (अधिकतम)
3	बोर्डिंग लॉजिंग हेतु रू0 4000.00 प्रति असेसर्स) होटल में ठहरने एवं भोजन इत्यादि)	4000.00	2	3	24000.00
4	स्थानीय मोबिलिटी सपोर्ट हेतु	2000.00	1	3	6000.00
5	कंटिनजेंसी / विविध व्यय (डाक्यूमेंटेशन–फोटो / वीडियोग्राफी, फोटोकॉपी, रिपोर्टिंग आदि हेतु)	7000.00			7000.00
				कुल योग	**119000.00**

'लक्ष्य' एक्सटर्नल असेसमेंट (केवल लेबर रूम या मैटरनिटी ओ0टी0)					
क्र	विवरण	दर (रूपये में)	असेसर्स की संख्या	दिवस	धनराशि (रूपये में)
1	टीम के आवागमन हेतु यात्रा भत्ता (एयर टिकट, टैक्सी हायॅरिंग, या रेल किराया वास्तवित	20000.00	2		40000.00
2	मानदेय प्रतिदिन प्रति असेसर्स	4000.00 (राजकीय विभाग में कार्यरत् असेसर्स हेतु) या 7000.00 (अन्य संस्थानों में कार्यरत् असेसर्स या रिटायर्ड अधिकारी हेतु)	2	2	28000.00
3	बोर्डिंग लॉजिंग हेतु रू0 4000.00 प्रति असेसर्स) होटल में ठहरने एवं भोजन इत्यादि)	4000.00	2	2	16000.00
4	स्थानीय मोबिलिटी सपोर्ट हेतु	2000.00	1	2	4000.00
5	कंटिनजेंसी / विविध व्यय (डाक्यूमेंटेशन–फोटो / वीडियोग्राफी, फोटोकॉपी, रिपोर्टिंग आदि हेतु)	3000.00			3000.00
				कुल योग	**91000.00**

'लक्ष्य सर्टिफिकेशन' हेतु भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले एक्सटर्नल असेसमेंट में यदि चिकित्सा इकाई का नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन हेतु एक्सटर्नल असेसमेंट भी सम्मिलित होता है तो असेसर्स को केवल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन संबंधी एक्सटर्नल असेसमेंट में नियमानुसार दिये जाने वाले मानदेय, यात्रा भत्ता तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान ही मान्य होगा।

<u>इंसेंटिव धनराशि हेतु बजट का प्रावधान–</u>

भारत सरकार के मानकानुसार एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त 5 मानको में अर्हता प्राप्त कर "Full Certification" प्राप्त करने वाली चिकित्सा इकाईयों को निम्न मानदण्डो को प्राप्त करने के उपरान्त इंनसेंटिव धनराशि प्रदान किया जायेगा।

1. लेबर रूम अथवा / एवं मैटरनिटी ओ0टी0 को "Fully Certified" घोषित होन पर।
2. भारत सरकार द्वारा विकसित "LaQshya Guideline" में उल्लिखित "Facility Level Targets" के न्यूनतम 75% संकेतकों की प्राप्ति पर।
3. 80% लाभार्थियों के संतुष्टि एवं अति संतुष्टि प्राप्ति के प्रमाणीकरण पर।

उक्त मानकों की प्राप्ति के प्रमाण राज्य स्तर पर उपलब्ध करने के उपरान्त क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा उक्त चिकित्सा इकाईयों को एफ.एम.आर.कोड RCH 1.15.OOC.1 के अन्तर्गत निम्न दरों से इंसेंटिव धनराशि आवंटित की जायेगी। विवरण निम्नवत हैः–

a)- जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु रू0 3.00 लाख प्रति विभाग (लेबर रूम एवं मैटरनिटी ओ0टी0)

b)- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों (FRU) हेतु रू0 2.00 लाख प्रति विभाग (लेबर रूम एवं मैटरनिटी ओ0टी0)

S.No.	Facility Level Target Indicator	S.No.	Facility Level Target Indicator
1	Baseline assessment for LaQshya standards is done	11	80 % of preterm labour cases administered antenatal corticosteroids (ANCS) or 30% reduction from baseline
2	Quality Circle is established in the facility and is functional	12	No of Cases of maternal mortality because of pre-eclampsia, eclampsia & PIH or 25% reduction from baseline
3	% of Labour room and OT staff oriented on LR protocols, RMC & QI (all Dakshata trained staff should be considered as oriented. Otherwise, as the QI cycles are completed)	13	No case of APH/PPH related mortality or at least 25% reduction from baseline
4	90 % of deliveries attended by a birth companion	14	Facility Labour Room is reorganized as per labour room standardization guidelines (Yes/No)
5	90% of deliveries conducted using safe childbirth checklist in labour room Safe Surgery checklist in maternity OT	15	Facility Labour room has staffing as per defined norms in annexure B (Yes/No)
6	90% of deliveries monitored using real-time partograph	16	100% of women administered oxytocin immediately after birth
7	80% of deliveries where breastfeeding was initiated within 1 hour of birth or at least increment of 30% from baseline	17	80% and more osce score or at least increment of 30% from baseline
8	0% of cases of neonatal asphyxia in labour room or 20% reduction from baseline	18	Facility conducted referral audit last month (Yes/No)
9	0%cases of neonatal sepsis in in-born babies or 20% reduction from baseline	19	Facility conducted maternal death, neonatal death and near-miss on monthly basis (Yes/No)
10	5% or less of cases of surgical site infection in maternity OT or 50% reduction from baseline	20	Zero stock outs reported in labour room & Maternity OT (Yes/No)

भारत सरकार के निर्देशानुसार अवार्ड हेतु प्राविधानित धनराशि का 75 प्रतिशत चिकित्सालय के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड, लक्ष्य स्टैण्डर्ड के अंतर्गत चिन्हित गैप क्लोजर, सुदृढ़ीकरण, रख–रखाव, स्वच्छता व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित किये जाने हेतु उपयोगित किया जायेगा, जिससे चिकित्सालय के स्कोर में वृद्धि हो सके। शेष 25 प्रतिशत धनराशि चिकित्सा इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (नियमित संविदा एवं आउटसोर्स) के उत्साहवर्धन हेतु इन्सेंटिव के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। अवार्ड विजेता चिकित्सा इकाई को अवार्ड धनराशि में से इंसेन्टिव हेतु स्वीकृत 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग चिकित्सालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों कों कैश अवार्ड, क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण, चिकित्सालय में कर्मचारियों के कार्यस्थल में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त Certification Criteria में उल्लेखित 05 में से मात्र 04 मानकों में अर्हता प्राप्त करने वाली चिकित्सा इकाई को "Conditionally Certified" घोषित किया जायेगा तथा उक्त चिकित्सा इकाईयों को भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार इंसेंटिव धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त उक्त चिकित्सा इकाईयों को सर्टिफिकेशन प्राप्ति की तिथि के 01 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त पुनः सर्टिफिकेशन हेतु भारत सरकार को ऑन–लाईन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध किया जायेगा।

एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त उक्त 05 में से मात्र 03 या उससे कम मानकों में अर्हता प्राप्त करने वाली चिकित्सा इकाई को "Deferred' घोषित किया जायेगा तथा उक्त चिकित्सा इकाईयों को किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन नहीं प्रदान किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त उक्त चिकित्सा इकाई को समस्त गैप क्लोजर के उपरान्त असेसमेंट संबंधी तीनों चरणो को पुनः पूर्ण करते हुये एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु भारत सरकार से अनुरोध करना होगा ।

<u>क्रिटिकल गैप क्लोजर हेतु बजट का प्रावधान –</u>

सर्टिफिकेशन हेतु चिकित्सा इकाईयों पर किये गए इन्टर्नल असेसमेंट का विशलेशण करने पर कतिपय critical gaps संज्ञान में आए जिनका चिकित्सा इकाईयों पर किसी प्रकार के बजट का प्रावधान न होने के कारण उक्त गैप क्लोजर संभव नहीं था जिस कारण उक्त चिकित्सा इकाईयों के स्कोर में आवश्यक बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। उक्त critical gaps में माइक्रोबायेलाजिकल सर्विलांस आफ क्रिटिकल एरिया तथा सुरक्षा गार्डों की तैनाती प्रमुख है। उक्त हेतु उक्त दोनों critical gaps को क्लोज करने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष की आर.ओ.पी. में धनराशि स्वीकृत की गयी है। विवरण निम्नवत् है :

1. **माइक्रो–बायेलाजिकल संर्विलासः–** उक्त प्रक्रिया मुख्यतः मेटरनिटी ओ0टी0 में संभवतः साल में दो बार किया जाना आवश्यक है। साथ ही लेबर रूम में यह प्रक्रिया समय–समय पर आवश्यकतानुसार की जाएगी। माइक्रो–बायेलाजिकल सर्विलांस मेटरनिटी ओ0टी0 तथा अन्य क्रिटिकल एरिया के संक्रमण दर को मापने की एक प्रभावी प्रक्रिया है। उक्त हेतु निम्न स्थानों से सैंपल लिया जाना आवश्यक है।

OT table at the head end, OT light, A.C ducts, Instuement & Equlipment trolley, 4 walls, Floor preferably below the head an table

भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष की आर0ओ0पी0 में एफ.एम.आर.कोड RCH 1.15 SRRE के अन्तर्गत माइक्रो–बायेलाजिकल संर्विलास हेतु कुल 100 चिकित्सा इकाईयों को रू 8000.00 प्रति चिकित्सा इकाई की दर से रू 8.00 लाख स्वीकृत किए गए हैं जिनकों जनपदवार आवंटित किया जा रहा है।

2. सुरक्षा एजेन्सी के चयन हेतुः– उच्च प्रसव दर वाली चिकित्सा इकाईयों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष की आर0ओ0पी0 में एफ.एम.आर. कोड HSS.9.184.C.S0063 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में उक्त चिकित्सा इकाइयों में सुरक्षा एजेन्सीयों के माध्यम से कुल 5171 सुरक्षा गार्डों की आपूर्ति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त हेतु बजट चिकित्सा इकाईयों में जनपदवार आवंटन तथा चिकित्सा इकाईयों में आपूर्ति किये जाने वाले सुरक्षा गार्डों का सुरक्षा एजेन्सी का चयन जनपद स्तर से डी.एच.एस. के माध्यम से जनपद की समस्त चयनित चिकित्सा इकाईयों हेतु संकलित रूप से जेम पोर्टल का उपयोग करते हुये निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

उक्त सुरक्षा गार्डों की तैनाती 03 शिफ्टों में आवश्यकतानुसार की जायेगी। सुरक्षा एजेन्सी के चयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किय जा चुके है।

8.3 "हेल्प डेस्क" कार्यक्रम

भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदित वार्षिक राज्य कार्ययोजना वर्ष 2023–24 में प्रदेश के चिन्हित जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में "हेल्प डेस्क" कार्यक्रम के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। "हेल्प डेस्क" के संचालन हेतु चिन्हित जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में एक हेल्प डेस्क मैनेजर व एक हेल्प डेस्क ऑपरेटर का पद संविदा पर स्वीकृत किया गया है।

1. हेल्प डेस्क के उद्देश्य :–

- चिकित्सालय में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में लाभार्थियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना।
- लाभार्थियों की शिकायतों एवं सुझावों के सम्बन्ध में समुचित एवं समयबद्ध निराकरण हेतु चिकित्सालय प्रशासन को सूचित करना एवं अभिलेखीकरण करना।
- 'कायाकल्प'– अवार्ड योजना के निर्धारित मानकानुसार स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सहयोग प्रदान करना।
- मेरा अस्पताल योजना तथा वॉश कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में नोडल अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।

2. हेल्प डेस्क की समयावधिः– हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक सेवायें प्रदान की जायेंगी।

3. हेल्प डेस्क ड्रेस कोडः– हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा पिंक रंग की फुल स्लीव कॉटन एप्रैन ड्यूटी के दौरान धारण की जायेगी। प्रत्येक हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में अधिकतम दो एप्रैन अनुमन्य है। प्रति एप्रैन हेतु अधिकतम रू0 500 की धनराशि अनुमन्य है। हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा एप्रैन का क्रय उपरोक्त मानकों के अनुसार किया जायेगा। हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा एप्रैन हेतु कपड़ा एवं सिलाई का बिल प्रस्तुत किया जायेगा। बिल प्रस्तुत करने पर हेल्प डेस्क ऑपरेशनल कॉस्ट मद (HSS.6.174.PME.2) में उपलब्ध धनराशि में से सम्बन्धित कार्मिक को भुगतान किया जायेगा।

4. हेल्प डेस्क द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं :–

1. चिकित्सालय में आने वाले लाभार्थियों को चिकित्सकों एवं चिकित्सालय में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना एवं मरीजों/तीमारदारों की जिज्ञासाओं का समाधान करना।

2. चिकित्सा इकाई में सुझाव/शिकायत पेटिका लगाया जाना तथा शिकायत पंजिका/पेटिका से प्राप्त सुझाव/शिकायत का अभिलेखीकरण करना एवं प्राप्त शिकायतों के निराकरण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को अंकित करना, साथ ही यथा सम्भव शिकायतकर्ता को अवगत कराना।
3. चिकित्सालय में संदर्भित होकर आने वाले तथा चिकित्सा इकाई से अन्य इकाई को संदर्भित होकर जाने वाले मरीजों के लिए सूचना केंद्र के रूप में कार्य करना।
4. 102, 108 एवं ए.एल.एस. एम्बुलेन्स सेवा के माध्यम से मरीजों को आवश्यकतानुसार परिवहन सेवा उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।
5. चिकित्सालय में उपलब्ध सेवायें एवं संचालित किये जाने वाले विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उपलब्ध प्रचार–प्रसार सामग्रियों का संकलन एवं वितरण करना।
6. चिकित्सालय में किसी रोगी की मृत्यु हो जाने की दशा में शव को स्ट्रेचर एवं शव वाहन उपलब्ध कराने में सहायता करना।
7. निराश्रित मरीजों को यथावश्यक सहायता करना व संदर्भन सेवओं हेतु समन्वय स्थापित करना।

5. कार्य एवं दायित्वः–

(क) हेल्प डेस्क प्रबन्धक के कार्य एवं दायित्वः–

1. चिकित्सालय का दैनिक भ्रमण कर वार्डों, शौचालयों, प्रतीक्षालय, दवा वितरण कक्ष, भोजनालय, गलियारों आदि की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण, कायाकल्प की निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार करना तथा हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सूचित करना।
2. निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली समस्याओं को हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षिका के साथ साझा करना, साथ ही दैनिक चेकलिस्ट में चिन्हित गैप के विषय में सूचित करना।
3. हेल्प डेस्क का प्रबन्धन करना तथा कायाकल्प योजना सम्बंधी दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक चेकलिस्ट भरना। दैनिक चेकलिस्ट प्रतिदिन, साप्ताहिक चेकलिस्ट प्रत्येक गुरूवार तथा मासिक चेकलिस्ट प्रत्येक माह की 25 तारीख को भरी जायेगी।
4. मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अंत में राज्य मुख्यालय की ई–मेल आई.डी. helpdeskup2019@gmail.com पर प्रेषित करना।
5. चेकलिस्ट एवं लाभार्थियों से प्राप्त पेसेंट सैटिसफेक्शन फीडबैक फार्म प्रतिदिन हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा कम्प्यूटर पर फीड किया जाना सुनिश्चित करना तथा इस सम्बन्ध में हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत कराना।
6. शिकायत/सुझाव/ई–मेल/टेलीफोन/साक्षात्कार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण कर हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को उपलब्ध कराना।
7. चिकित्सालय में वर्ष भर विभिन्न स्वास्थ्य सम्बंधी दिवसों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के विषय में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करना। विभिन्न आयोजनों से सम्बंधित विशिष्ट सुविधायें जैसे कैम्प के आयोजन इत्यादि के विषय में जानकारी प्रदान करना।
8. हेल्प डेस्क से सम्बन्धित अन्य रिपोर्ट तैयार करना एवं अभिलेखीकरण करना।
9. चिकित्सालय प्रबन्धन से संपर्क कर समस्याओं/शिकायतों को दूर करने का प्रयास करना एवं सक्षम स्तर से समस्या का निस्तारण हो जाने पर अभिलेखीकरण करना साथ ही शिकायतकर्ता को अवगत कराना।
10. हेल्प डेस्क ऑपरेटर के पर्यवेक्षकीय एवं नियंत्रक अधिकारी के रूप में कार्य करना। हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा भरे गये फीडबैक फार्म का अनुश्रवण करना।
11. बाह्य रोगियों तथा अन्तः रोगियों से निर्धारित प्रश्नावली पर साक्षात्कार कर गुणवत्तापरक सुविधाओं को प्रदान करने में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका की सहायता करना।

(ख) हेल्प डेस्क ऑपरेटर के कार्य एवं दायित्व :–

1. काउण्टर पर विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित आई.ई.सी. सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. लाभार्थियों को चिकित्सालय में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।
3. मरीजों और तीमारदारों द्वारा की गयी शिकायतों का निर्धारित पंजिका पर अभिलेखीकरण करना एवं सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त शिकायत को दूर कराने में सहयोग प्रदान करना।
4. आकस्मिक केसेस एवं मेडिको लीगल केसेस को शीघ्रातिशीर्घ चिकित्सक के पास पहुचाना।
5. प्रतिदिन 10 बाह्य एवं 10 अन्तः रोगियों से फीडबैक फार्म भरवाना एवं उसे हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/एच.एम.आई.एस. ऑपरेटर के कम्प्यूटर/लैपटॉप में अंकित करना।
6. दैनिक रिपोर्टिंग प्रपत्र पर प्रतिदिन अंकन कर प्रबन्धक के माध्यम से हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से साझा करना।

7. प्रत्येक सप्ताह एक दिन निश्चित करके शिकायत/सुझाव पेटिका से प्राप्त शिकायतों/सुझावों से हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत कराना।
8. चिकित्सालय की समस्यायें यथा– दवाओं का स्टाक न होना, स्टाफ की कमी होना, स्टेशनरी की कमी एवं आवश्यक सामग्री की कमी होने पर इसकी सूचना दैनिक आधार पर हेल्प डेस्क प्रबन्धक को प्रदान करना।
9. आगन्तुकों को उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं (निदान व उपचार इत्यादि) एवं स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
10. चिकित्सालय में उपलब्ध विशेषज्ञ सेवायें, दवायें एवं पैथोलॉजी में की जाने वाली समस्त जांचों की सूची हेल्प डेस्क पर उपलब्ध रखना। साथ ही जिन स्वास्थ्य केन्द्रों पर लाभार्थी संदर्भित किये जाते हैं उन केन्द्रों का नाम, संपर्क व्यक्ति का नाम, टेलीफोन/मोबाइल नं0 व ई–मेल का पूर्ण विवरण एवं जिन स्वास्थ्य केन्द्रों से लाभार्थी संदर्भित होकर आते हैं उनका भी पूर्ण विवरण रखा जाना।
11. चिकित्सा इकाईयों पर हास्पिटल मैनेजर/हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/चिकित्सा इकाई के राजकीय कम्प्यूटर सिस्टम का उपयोग हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा रिपोर्टिंग हेतु किया जायेगा।

नोट–सुनिश्चित किया जाये कि हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर से चिकित्सालय के सामान्य क्रिया–कलापों जैसे मरीजों की पंजीकरण पर्ची बनाना, कम्प्यूटर कार्य में कम्प्यूटर ऑपरेटर की मदद करना अथवा दवाओं का वितरण आदि जैसे कार्य न कराये जायें।

6. वित्तीय प्रबंधन (FMR Code-HSS.6.174.PME.2):–वित्तीय वर्ष 2023–24 में "हेल्प डेस्क" की ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु रू0 6000.00 प्रतिमाह प्रति चिकित्सालय की दर से निम्न तालिका अनुसार प्रावधानित है :–

क्र0सं0	मद	विवरण	स्वीकृत धनराशि (प्रतिमाह)
1	टेलीफोन/ सी.यू.जी.	रू0 1100– हेल्प डेस्क हेतु टेलीफोन एवं इन्टरनेट रू0 600 प्रतिमाह हेल्प डेस्क कार्मिकों के मोबाइल व्यय हेतु (रू0 300 हेल्प डेस्क प्रबन्धक एवं रू0 300 हेल्प डेस्क ऑपरेटर) नोट–स्पष्ट करना है कि उपरोक्तानुसार प्रत्येक कार्मिक को मोबाइल व्यय हेतु रू0 300 प्रतिमाह की दर से अर्थात् वर्ष में कुल रू0 3600 देय है। कार्मिक को आवंटित सी.यू.जी. या उसके व्यक्तिगत मोबाइल नं. पर किये गये रिचार्ज/ऑनलाइन रिचार्ज के बिल को सम्मिलित किया जाये।	1700.00
2	आकस्मिक विविध व्यय	हेल्प डेस्क पर प्रकाश व्यवस्था से सम्बन्धित व्यय, शिकायत पेटिका, नोटिस बोर्ड, हेल्प डेस्क फलैक्स (फ्रेम सहित), डस्टबिन आदि में किया जा सकता है।	1300.00
3	स्टेशनरी/अन्य सम्बन्धित मदों	हेल्प डेस्क तथा मेरा अस्पताल हेतु फीडबैक प्रपत्र, मासिक रिपोर्ट, दैनिक, साप्ताहिक व मासिक चेकलिस्ट, सुझाव/शिकायत पंजिका, विजिटर रजिस्टर, पेन–पैड, Printer Cartridge की Refilling, हेल्प डेस्क कार्मिकों का टीए/डीए ,एप्रैन हेतु धनराशि एवं अन्य सम्बन्धित मदों पर व्यय किया जा सकता है।	3000.00
		कुल	**6000.00**

मेरा अस्पताल :–

- हेल्प डेस्क कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत हेल्प डेस्क मैनेजर एवं ऑपरेटर द्वारा "***मेरा अस्पताल योजना***" में भी सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- नर्सिंग स्टेशन/डिस्चार्ज स्टेशन पर प्रचुर मात्रा में फीडबैक फार्म की उपलब्धता सुनिश्चित कराना हेल्प डेस्क मैनेजर का दायित्व होगा।
- मेरा अस्पताल योजना के अन्तर्गत प्रत्येक भर्ती मरीज को डिस्चार्ज करते समय ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स द्वारा फीडबैक फार्म भरवाया जायेगा।
- समस्त भरे गये फीडबैक फार्म दैनिक आधार पर हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा स्टाफ नर्स से प्राप्त कर, साफ्ट कॉपी में चिकित्सा इकाई में उपलब्ध लैपटॉप/डेस्कटॉप पर तैयार कर हॉस्पिटल मैनेजर को दैनिक/साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
- सॉफ्ट कॉपी का विश्लेषण हॉस्पिटल मैनेजर द्वारा प्रत्येक माह किया जायेगा जिससे चिकित्सा इकाई के पेशेन्ट सैटिसफैक्शन स्कोर (पी.एस.एस.) में वृद्धि किये जाने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके।

7. मानव संसाधन (हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर) :–

1. प्रदेश के 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों के कुल 50 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में रोगी सहायता केन्द्र का संचालन वर्ष 2015 से किया जा रहा था। रोगी सहायता केन्द्र की उपयोगिता के दृष्टिगत वर्ष 2018 से प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला स्तरीय चिकित्सालयों में रोगी सहायता केन्द्र को "हेल्प डेस्क" के रूप में विस्तारित करते हुये स्थापित किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2018–19 में रोगी सहायता केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों को Relocate कर "हेल्प डेस्क" पर तैनात किया गया।
3. चिन्हित जिला स्तरीय चिकित्सालयों में स्थापित प्रत्येक "हेल्प डेस्क" पर एक हेल्प डेस्क मैनेजर एवं एक हेल्प डेस्क ऑपरेटर का पद स्वीकृत है।
4. भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में हेल्प डेस्क पर कार्यरत हेल्प डेस्क मैनेजर का पुनरक्षित प्रारम्भिक मानदेय रू0 16000 प्रतिमाह एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर का रू0 10000 प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है।
5. वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत सरकार द्वारा हेल्प डेस्क मैनेजर हेतु एफ.एम.आर. कोड संख्या HSS.9.184.C.S0651 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है। कार्यरत हेल्प डेस्क मैनेजर्स हेतु मानदेय का आवंटन जिला स्वास्थ्य समिति को डैप के माध्यम से किया गया है।
6. वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत सरकार द्वारा हेल्प डेस्क ऑपरेटर हेतु एफ.एम.आर. कोड संख्या HSS.9.184.C.S0657 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है। कार्यरत हेल्प डेस्क ऑपरेटर्स हेतु मानदेय का आवंटन जिला स्वास्थ्य समिति को डैप के माध्यम से किया गया है।
7. भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में संविदाकर्मियों के मानदेय में गत वर्ष के सापेक्ष 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। यह उन्हीं संविदाकर्मियों को देय होगा जिन्होंने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है।
   (क) वह संविदाकर्मी जिनका 01 वर्ष का कार्यकाल वर्ष 2023–24 के मध्य में पूर्ण हो रहा है उन्हें 01 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 5ः की प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि योगदान के माह की पहली तारीख से प्रदान की जाये।
   (ख) वह संविदाकर्मी जिनका 01 अप्रैल 2023 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके है, उन्हें 01 अप्रैल 2023 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 5ः की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाये।
   (ग) वित्तीय वर्ष 2023–24 में संविदा कर्मियों की संतोषजनक परफॉरमेंस के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति अधिकृत हैं।
8. भारत सरकार द्वारा कार्यरत संविदाकर्मियों के लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस हेतु अनुमति प्रदान की गई है। लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस हेतु केवल वही संविदाकर्मी पात्र होंगे जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में निरतंर 03 अथवा 05 वर्षों की सेवा एक ही पद पर पूर्ण की हो।
   i. ऐसे संविदाकर्मी जो वित्तीय वर्ष 2023–24 में 03 वर्ष पूर्ण करते हैं उन्हें 10 प्रतिशत एवं 05 वर्ष पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत का लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस प्रदान किया जायेगा।
   ii. जिन संविदाकर्मियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये वेतन में 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस प्रदान किया जायेगा।
   iii. जिन संविदाकर्मियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये वेतन में 05 प्रतिशत (उनको 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका है एवं शेष 05 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस देय है) लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस प्रदान किया जायेगा।
   iv. ऐसी महिला संविदाकर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हो एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्षों की सेवा एक ही पद पर पूर्ण की हो। ऐसी महिला संविदाकर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस के पात्र होगीं।
   v. ऐसे पुरूष संविदाकर्मी जो पितृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस के पात्र होंगे।
   vi. जिन संविदा कर्मियों का 03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह का अवकाश स्वीकृत किया गया है उन संविदा कर्मियों के अवकाश के समय (03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह) को सेवाकाल में आंकलन न किया जाये।
   vii. सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस का लाभ नहीं दिया जायेगा। किन्तु वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।
9. भारत सरकार द्वारा रू0 15,000.00 प्रतिमाह तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र संविदा कर्मियों हेतु ई0पी0एफ0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2023–24 में प्रदान की गई है। ई0पी0एफ0 का लाभ यदि रु० 15,000.00 प्रति माह या कम मानदेय आहरित करने पर किसी संविदाकर्मी को एक पद पर कार्य करते हुए प्राप्त हो चुका है तथा वर्ष 2023–24 में समान पद पर रहते हुये यदि मानदेय

रू0 15,000.00 प्रतिमाह से ज्यादा होता है तो ऐसे संविदा कर्मियों को रू0 15,000.00 प्रतिमाह के मानदेय तक ई0पी0एफ0 का लाभ मिलता रहेगा।

10. एजेन्सी के माध्यम से आउटसोर्स किये गये हेल्प डेस्क मैनेजर तथा हेल्प डेस्क ऑपरेटर पर कर्मचारी बीमा योजना के प्रावधान लागू किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा रू0 21,000.00 प्रतिमाह तक प्राप्त करने वाले कर्मियों हेतु ई0एस0आई0 की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
11. हेल्प डेस्क कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाईयों पर रिक्त पदों पर तैनाती कार्यालय के पत्र संख्या–पत्रांकः एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./क्यू.ए./हेल्प–डेस्क/2019–20/ 10/9771–2 दिनांक 26.02.2020 के अनुरूप किया जाना है।

8. **हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर (आउटसोर्स सहित) का टी.ए./डी.ए. –** हेल्प डेस्क कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु समय–समय पर क्षमतावर्धन कार्यशाला एवं समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है जिसमें उक्त कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। कार्यशाला एवं समीक्षा बैठकों में प्रतिभाग किये जाने हेतु हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर को निम्नानुसार टी.ए./डी.ए. का भुगतान किया जाना है :–

क्रम संख्या	पदनाम	मासिक मानदेय (रू0)	यात्रा भत्ता (वास्तविकता के आधार पर)		परडियम प्रतिदिन (रू0)	ठहरने की व्यवस्था हेतु अनुमन्यता प्रतिदिन (जनपद के बाहर की यात्रा की स्थिति में एवं वास्तविकता के आधार पर रू0)
			रेल मार्ग द्वारा	सड़क मार्ग द्वारा		
1	हेल्प डेस्क मैनेजर (आउटसोर्स सहित)	16000.00	AC III/AC Chair Car	बस/शेयर टैक्सी	500.00	1000.00
2	हेल्प डेस्क ऑपरेटर (आउटसोर्स सहित)	10000.00	AC III/AC Chair car	बस/शेयर टैक्सी	500.00	1000.00

9. **मूल्यांकन एवं अनुश्रवणः–** हेल्प डेस्क का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्यतः हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जाना है। हेल्प डेस्क प्रबंधक प्रतिदिन डेस्क की गतिविधियों से हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत करायेंगे। हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर का दायित्व होगा कि वे मासिक रिपोर्ट डी.क्यू.ए.यू. को प्रेषित करेंगे डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट द्वारा रिपोर्ट का वैलीडेशन तथा गैप क्लोजर हेतु आवश्यकतानुसार हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

8.4 'कायाकल्प–अवार्ड' योजना

भारत सरकार द्वारा 15 मई, 2015 से राजकीय चिकित्सा इकाईयों में स्वच्छता एवं हाइजीन व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु 'कायाकल्प' अवार्ड योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में प्रदेश की समस्त चिकित्सा इकाईयां जनपद स्तरीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरबन प्राथमिक केन्द्र तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स को कायाकल्प अवार्ड के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। अवार्ड के नामांकन हेतु चिकित्सा इकाईयों का तीन चरणों में असेसमेंन्ट (इनटर्नल, पियरएवं एक्सटर्नल) किया जाता है। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के इनटर्नल, पियर एवं एक्सटर्नल असेसमेंट के पश्चात राज्य स्तर से' राज्य कायाकल्प अवार्ड नामांकन समिति' के माध्यम से अन्तिम निर्णय लिया जाता है। योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन हेतु पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश को अवर्कमित करते हुये समेकित दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

'कायाकल्प–अवार्ड' योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण :FMR : - HSS.6.175.CB.1

भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 वर्ष 2023–24 में FMR HSS.6.175.CB.1 पर प्रति जनपद 02 बैच के आयोजन हेतु (रू. 66,000.00 प्रति जनपद की दर से) रु0 49.50 लाख की धनराशि स्वीकृति प्रदान की गयी है। जनपद स्तरीय 'कायाकल्प' अवार्ड योजना सम्बंधी एक दिवसीय ओरिएन्टेशन कम अवरेनेस कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा। उक्त कार्यशाला के आयोजन का उत्तरदायित्व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी–क्वालिटी एश्योरेंस तथा सम्बंधित डिस्ट्रिक कंसल्टेंट– क्यू0ए0 का होगा। कार्यशाला में चिकित्सा इकाईयों के प्रभारी अधिकारी/नोडल अधिकारी–क्यू0ए0, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, नर्स मेन्टर, स्टाफ नर्स कम्युनिटी हेल्थ आफीसर तथा अन्य कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। आवश्यकतानुसार एक से अधिक बैंच में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। कार्यशाला में 50 प्रतिभागियों प्रति बैच हेतु बजट का आवंटन किया गया है। किन्तु प्रतिभागियों की संख्या 50 से अधिक होने पर सम्बन्धित मद से आवंटित धनराशि की सीमा से अधिक व्यय नहीं होना चाहिये। उक्त कार्यशाला हेतु निम्न तालिकानुसार रू. 33,000.00 प्रति बैच की दर से धनराशि का प्रावधान किया गया है–

District Level Awareness Training (01 Batch)				
S.N.	Activities	Rate (in Rs.)	Participants	Total

1	Honorarium to Distt. Trainers	600	2	1200.00
2	Mess, Fooding for Participants	250	50	12500.00
3	Incidental expenses, Banner, Sound System etc.			3000.00
4	Contingency (Photocopy, Stationary, venue hiring if required etc.)			15000.00
5	Institutional Overhead (15% POL for generator if required etc.)			1300.00
Total				33000.00

प्रशिक्षण सम्बन्धित डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, डिवीजनल कंसल्टेंट–क्यू0ए0/पब्लिक हेल्थ या अन्य प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जायेगा। प्रतिभागियों को प्रशिक्षण सामग्री एवं अन्य आवश्यक लर्निंग रिसोर्स मेटेरियल्स आवश्यक रूप से प्रदान किया जायेगा।

असेसमेंन्ट की प्रक्रियाः– FMR : - HSS.6.175.OOC.1

इन्टर्नल असेसमेंटः–जनपद स्तरीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अरबन प्राथमिक केन्द्रों तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स के लिए निर्धारित चेकलिस्ट पर चिकित्सा इकाई स्तर से इन्टर्नल असेसमेंट किया जायेगा। चिकित्सा इकाईयों द्वारा इन्टर्नल असेसमेंट की रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास में संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। यथासम्भव जनपद/मण्डल स्तर से क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत चिकित्सा इकाईयों का स्कोर रिवैलिडेट किया जायेगा। वर्ष में एक बार 70 प्रतिशत से अधिक स्कोर प्राप्त चिकित्सा इकाईयों का पियर असेसमेंट हेतु नामाकंन किया जायेगा।

पियर असेसमेंटः–

इनटर्नल असेसमेंन्ट में 70 प्रतिशत या अधिक स्कोर प्राप्त चिकित्सा इकाईयों की सूचना संकलित कर जनपद/मण्डल के प्रशिक्षित कार्मिकों (मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक' जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक' डिवीजलन कंसल्टेट क्वालिटी एश्योरेंस/पब्लिक हेल्थ डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट– क्यू0ए0,एन0जी0ओ0 तथा हॉस्पिटल मैनेजर्स) द्वारा पियर असेसमेंट किया जायेगा।

चिकित्सा इकाईयों (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरबन) के पियर असेसमेंट कराये जाने हेतु मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अर्न्तगत तैनात डिवीजनल कंसल्टेट क्यू.ए. एवं पब्लिक हेल्थ के सहयोग से पियर असेसमेंटकया जायेगा। कायाकल्प के एक्सटर्नल असेसर्स पूल से पियर डयूटी डिवीजनल कंसल्टेट द्वारा तैयार की जायेगी तथा असेसमेंट पूर्ण होने पर असेसर्स का भुगतान सबंन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी क्यू.ए. के मार्गदर्शन में किया जायेगा। असेसर्स से समन्वयन करके क्लेम फार्म संकलित कर भुगतान हेतु पत्रावली परिचालन एवं उक्त भुगतान असेसमेंट के एक माह के अन्दर सुनिश्चित कराये जाने के उत्तरदायित्व डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस का होगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पियर असेसमेंट हेतु जनपदवार धनराशि का आवंटन इन्टर्नल असेसमेंट में (70 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त) अर्ह चिकित्सा इकाईयों की संख्या के आधार पर राज्य स्तर से किया जायेगा, जनपद स्तरीय चिकित्सालयों का पियर असेसमेंट राज्य से नियमानुसार कराया जायेगा। असेसर्स का भुगतान मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयों के पियर असेसमेंट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः–

District level Hospital peer assessment (01 Day)				
Sno	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Amount**
1	Travel Cost of Assessors	3000	2	6000.00
2	Honorarium / Per Diem to Assessors	1000	2	2000.00
	Total			**8000.00**

जनपदवार पियर असेसमेंट हेतु जनपद में चिकित्सालयों की संख्या के आधार पर राज्य स्तर से एफ.एम. आर. HSS.6.175.OOC.1 पर नियमानुसार बजट आवंटन कर किया गया है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पियर असेसमेंट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः–

CHC Peer (01 Day)				
Sno	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Amount**
1	Travel Cost of Assessors	3000	2	6000.00
2	Honorarium for Assessors	1000	2	2000.00
	Total			**8000.00**

जनपदवार पियर असेसमेंट हेतु अर्ह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या के आधार पर पियर असेसमेंट हेतु राज्य स्तर से एफ.एम.आर. HSS.6.175.OOC.1 पर नियमानुसार बजट आवंटन कर किया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा (हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स सहित) हेतु बजट निम्नवत हैः–

PHC/PHC(HWC)/UPHC/HWC(SC) Peer (01 Day)				
Sno	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Amount**
1	Honorarium for Assessors	1000	1	1000.00
2	Travel Cost of Assessors	4000	1	4000.00
	Total			**5000.00**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पियर असेसमेंट हेतु राज्य स्तर से एफ.एम.आर. HSS.6.175.OOC.1 पर नियमानुसार बजट आवंटन कर किया गया है। यदि किसी मण्डल/जनपद की अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होती है तो मॉग पत्र मिशन निदेशक को प्रेशित किया जाये।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक्सटर्नल असेसमेण्ट FMR - HSS.6.175.OOC.1 पियर असेसमेंट में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त जनपद स्तरीय चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक्सटर्नल असेसमेंट राज्य स्तर पर प्रशिक्षित असेसर्स पूल से यथा उपलब्धता असेसमेंट टीमों का निर्धारण करते हुए कराया जायेगा। जनपद स्तरीय चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के असेसमेंट हेतु नामित टीम के सदस्यों का भुगतान राज्य स्तर से निम्न मानकानुसार किया जायेगा। असेसर्स द्वारा असेसमेंट तिथि से 02–03 दिवस में असेसमेंट स्कोर चेकलिस्ट (स्टैण्डर्ड चेकलिस्ट की साफ्ट कापी तथा चेकलिस्ट के प्रथम पेंज की असेसर्स द्वारा हस्ताक्षरित स्कैन कापी) तथा विवरणात्मक रिपोर्ट तथा असेसर्स द्वारा टीम के सभी सदस्यों का क्लेम फार्म बीजकों सहित क्यू0ए0 अनुभाग को प्रेषित किया जायेगा।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयों के एक्सटर्नल असेसमेण्ट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः–

External Assessment of District level Hospital(01 Day)					
s/n	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Days**	**Amount**
1	Travel Cost of Assessors	2000	3	2	12000.00
2	Honorarium / Per Diem to Assessors	2000	3	1	6000.00
3	Boarding & Lodging of Assessors	4000	3	2	24000.00
5	Contingency for Documentation				2000.00
				Total	**44000.00**

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसमेण्ट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः–

External Assessment of CHC (01 Day)					
s/n	Particulars	Rate /per Participants	Participants	Days	Amount
1	Travel Cost of Assessors	2500	3	2	15000.00
2	Honorarium / Per Diem to Assessors	2000	3	1	6000.00
3	Boarding & Lodging of Assessors	4000	3	1	12000.00
4	Contingency for Documentation				1000.00
				Total	**34000.00**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अरबन प्राथमिक केन्द्रों तथा (हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स सहित) एक्सटर्नल असेसमेण्टः–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। राज्य स्तर पर पियर असेसमेंट में 70 प्रतिशत से अधिक स्कोर प्राप्त चिकित्सा इकाइयों की सूचना मण्डल से उपलब्ध करायी जायेगी। पीअर असेसमेंट में 70 प्रतिशत या अधिक स्कोर प्राप्त चिकित्सा इकाईयों का एक्सटर्नल असेसमेंट मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वा0 एवं परिवार कल्याण के स्तर से प्रशिक्षित कार्मिकों (स्टेट कंसल्टेंट–क्वालिटी एश्योरेंस, डिवीजनल कंसल्टेंट–क्वालिटी एवं पब्लिक हेल्थ, डिस्ट्रिक कंसल्टेंट–क्वालिटी एश्योरेंस, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मेडिकल कालेज/विश्व विद्यालय तथा एन0जी0ओ0 के प्रशिक्षित असेसर्स) की ड्यूटी लगाकर किया जायेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसमेंट की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु असेसमेंट डयूटी लिस्ट अन्तिम करते समय समस्त असेसर्स को यथासंभव समान अवसर प्रदान किया जाये।

प्रा0स्वा0 केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसर्स का भुगतान सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से वास्तविक बीजकों के सत्यापन के पश्चात् निम्नलिखित मानकानुसार किया जायेगा। डिवीजनल कंसल्टेंट क्यू0ए0/पब्लिक हेल्थ द्वारा असेसर्स की ड्यूटी लिस्ट तैयार करने चेकलिस्ट की साफ्ट कापी संकलन में मण्डलीय अपर निदेशक को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अरबन प्राथमिक केन्द्रों (हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स सहित) के एक्सटर्नल असेसमेण्ट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः–

External Assessment of PHC /UPHC/PHC(HWC)					
s/n	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants**	**Day**	**Amount**

1	Travel Cost of Assessors	2000	2	1	4000.00
2	Honorarium / Per Diem to Assessors	2000	2	1	4000.00
	Total				**8000.00**

पियर असेसमेंट में अर्ह चिकित्सा इकाईयों की संख्या के आधार पर मण्डलीय जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति में राज्य स्तर से बजट हस्तानान्तरण या बजट आवंटन एवं व्यय हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। सम्बन्धित मण्डलीय जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक को धनराशि हस्तानान्तरित की जायेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पियर असेसमेंट का परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त उक्त के सम्बन्ध में बजट आवंटन पृथक से किया जायेगा।

प्रदेश सरकार की वर्तमान मितव्ययता नीति के दृष्टिगत असेसमेंट (पियर एवं एक्सर्टनल) हेतु नामित जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों (यथाः मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक ,डिवीजनल कंसल्टेंट–क्वालिटी एवं पब्लिक हेल्थ, डिस्ट्रिकट कंसल्टेंट–क्वालिटी एश्योरेंस) को राजकीय या अनुबंधित वाहन आवंटित है, द्वारा यथा संभव टैक्सी हायर न किया जाये अपितु आवंटित वाहन का उपयोग किया जाये।

'कायाकल्प–अवार्ड' योजना के अन्तर्गत एक्सर्टनल असेसमेंट हेतु टीम के सदस्यों के भुगतान हेतु सामान्य दिशा–निर्देशः– कायाकल्प असेसमेंट हेतु इम्पैनल्ड असेसर्स को क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग, एस.पी.एम.यू लखनऊ द्वारा नामित किया जाता है। प्रत्येक असेसमेंट के उपरान्त संबंधित टीम के सदस्यों द्वारा नियमानुसार ससमय रिपोर्ट राज्य स्तर से साझा किया जाना अनिवार्य है। रिपोर्ट प्रेषण के **सात दिवसों के भीतर** संबंधित असेसर्स द्वारा यात्रा भत्ता, लॉजिंग तथा परडियम से संबंधित स्वयंप्रमाणित बीजक राज्य स्तर को उपलब्ध कराया जाना है। बीजकों के संकलन तथा राज्य स्तर पर प्रेषित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं का अनुपालन अत्यन्त आवश्यक है, जो निम्नवत् हैः–

- प्रत्येक असेसर्स द्वारा यात्रा भत्ता, लॉजिंग तथा परडियम हेतु क्लेम–फार्म में प्रत्येक सूचना भर कर दिनांक सहित हस्ताक्षरित (मोहर के साथ) की जायेगी।
- यदि असेसमेंट हेतु समस्त असेसर्स एक ही जनपद से जा रहे है तो असेसर्स द्वारा एक ही वाहन का उपयोग किया जाये।
- असेसमेंट हेतु असेसर्स द्वारा यदि स्वय् के स्तर से वाहन की बुकिगं तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग की व्यवस्था की जाती है, तो सेवा प्रदाता द्वारा दिये गये बीजक में फार्म के जी.एस.टी. नम्बर होना आवश्यक है।
- यात्रा हेतु यदि टैक्सी हायर की गयी है तो बीजकों में गाड़ी संख्या, टैक्सी परमिट संख्या, यात्रा का दिनांक, जनपद, चिकित्सालय का नाम तथा यात्रा दूरी की सूचना अंकित किया जाना आवश्यक है। सभी असेसर्स द्वारा यात्रा विवरण प्रपत्र भरा जाना है।
- प्रत्येक असेसर्स द्वारा उनके बैंक खाते की सूचना तथा एफ.ए.एम.एस पोर्टल पंजीकरण सूचना को निर्धारित प्रारूप में भरकर बीजकों के साथ संलग्न की जानी है।
- प्रत्येक असेसमेंट हेतु पृथक क्लेम–फार्मभरा जाना है तथा राज्य स्तर से निर्गत संबन्धित पत्र संलग्न किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ***असेसर्स द्वारा उक्त नियमों का अक्षरशः अनुपालन न करने की स्थिति में नियमानुसार राज्य स्तर से कटौती की जायेगी।**

एक्सटर्नल असेसमेंट के अंको में 'मेरा–अस्पताल' के वेटेज व्यवस्था हेतु दिशा–निर्देशः–

भारत सरकार के पत्र संख्या–DO No. NHSRC/14-15/QI/01/Swacch Health Facilities & Kayakalp Date :12th July 2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत **'मेरा चिकित्सालय'** में आच्छादित चिकित्सालयों को 'कायाकल्प'–अवार्ड स्कीम के अन्तर्गत 15.0 प्रतिशत का वेटेज अंक प्रदान करने हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त के अन्तर्गत चिकित्सा इकाई के स्कोर का निर्धारण निम्न सूत्र (अवार्ड टू पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज–कायाकल्प 2019 के Annexure-III पृष्ठ संख्या–141–142) के आधार पर किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

Mera Aspataal Score of Hospital can be calculated using the formula	=	Max. % age of dissatisfied patients in the state - % of patient dissatisfied at a Hospital Min. % age of dissatisfied patients in the state - Min % of patient dissatisfied patient in the state	X 100

कायाकल्प–अवार्ड स्कीम के अन्तर्गत अन्तिम स्कोर गणना निम्नवत् की जायेगीः– (उदारणार्थः यदि चिकित्सालय का चेकलिस्ट के आधार पर स्कोर 84 प्रतिशत है तथा मेरा अस्पताल स्कोर 66.66 प्रतिशत है, तो)

Score	Value	Wieghatge	Calculation	Wieghatge Score
Kayakalp Score	84.0%	85.0%	84.0X 0.85	71.4%
Mera Asptaal Score	66.6%	15.0%	66.6 X 0.15	9.99%
Total score of Hospital A				81.39 %

जो चिकित्सालय मेरा अस्पताल योजना के अन्तर्गत अच्छादित है, उनके अंतिम स्कोर की गणना तथा अवार्ड अंतिम सूची उपरोक्तानुसार राज्य स्तर से निर्गत की जायेगी।

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र (एफ.एम.आर.कोड HSS.6.176.OOC) :–

भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 दिसंबर, 2016 को 'स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय समग्र रूप से भारत को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) बनाये जाने के लिए कार्य कर रहें है। भारत सरकार द्वारा ओ0डी0एफ0 आच्छादित विकास खण्डों की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो को एन0क्यू0ए0 सर्टिफिकेशन की उपलब्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आर0ओ0पी0 वर्ष 2023–24 में भारत सरकार द्वारा रू0 270.00 लाख की धनराशि स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के अन्तर्गत ओ.डी.एफ0 ब्लॉक में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण कायाकल्प के निर्धारित मानकानुसार किया जाना है, जिससे वे गुणवत्तापरक चिकित्सा सेवायें प्रदान कर सकें। योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं:–

1. सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कायाकल्प अवार्ड स्कीम के अन्तर्गत 70 प्रतिशत स्कोर प्राप्त करना।
2. सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डड्र्स के निर्धारित मानकानुसार सुदृढ़ीकरण किया जाना।
3. पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय शहरी निकायों से समन्वय करना।
4. स्वच्छता एवं हाईजीन को सुधारने हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना।

उक्त धनराशि का आवंटन 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को (रू0 5.00 लाख प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दर से) कायाकल्प, एन0क्यू0ए0 स्टैडर्ड चेक लिस्ट के निर्धारित मानकानुसार सुदृढ़ीकरण हेतु किया जा रहा है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्राप्त बजट का 90 प्रतिशत क्वालिटी एश्योरेंस गैप क्लोजर तथा 10 प्रतिशत धनराशि सामुदायिक जागरूकता हेतु व्यय किया जाना है। सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में एफ.एम.आर.कोड HSS.6.176.OOC अन्तर्गत रू0 5.00 लाख (One Time Grant) की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी, जिसको नियमानुसार इकाई के कायाकल्प अवार्ड योजना की निर्धारित चेकलिस्ट का उपयोग करते हुए गैप क्लोजर हेतु उपयोगित किया जाना है। धनराशि का उपयोग चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के हित को सर्वोपरि रखते हुए गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करने हेतु प्राथमिकता सुनिश्चित करते हुए निम्नवत् किया जा सकता है:–

1. मरीजों हेतु पीने योग्य पानी की व्यवस्था।
2. तीमारदारों एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था।
3. बहिरंग (ओ.पी.डी.) के अन्दर पेशेंट कॉलिंग सिस्टम लगाने की व्यवस्था।
4. परिसर के अन्दर हर्बल गार्डेन बनाना।
5. लेबर रूम एवं ऑपरेशन थ्रिएटर में एल्बो टैप की व्यवस्था।
6. ओ.टी. के अन्दर स्क्रब एरिया का निर्माण।
7. पेशेंट केयर एरिया मे उचित मात्रा में एल्कोहल बेस्ड हैण्ड–रब की व्यवस्था।
8. पैथोलॉजी लैब में लिक्विड बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था।
9. मरीजों के लिए भोजन आपूर्ति हेतु ढक्कन युक्त ट्राली की व्यवस्था।
10. सभी चिकित्सा कर्मी और सहायकों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट की व्यवस्था।
11. चौबीसों घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु इन्वर्टर की व्यवस्था
12. 'हॉस्पिटल एक्वॉयर्ड इंफेक्शन' की रोकथाम हेतु माइको बॉयोलॉजिकल सर्विलांस की व्यवस्था।
13. नवजात शिशुओं के लिए बेबी ब्लैंकेट की व्यवस्था।
14. मरीजों की संख्या के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उपकरणों के सेट की व्यवस्था।
15. मरीजों एवं तीमारदारों हेतु वेटिंग एरिया में कुर्सियों, पंखे इत्यादि की व्यवस्था।
16. पेशेंट केयर एरिया में हाथ धोने हेतु वॉश बेसिन की उचित व्यवस्था।

उक्त के अतिरिक्त एन.क्य.ए. चेकलिस्ट के अनुसार अन्य गैप क्लोजर किये जाने हेतु भी इस धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी का उत्तरदायित्व होगा कि वे उपरोक्त चेक प्वाइंट के आधार पर धनराशि के उपयोग हेतु चिकित्सा अधीक्षक से विचार–विमर्श कर कार्ययोजना तैयार करें।

नोटः– उक्त धनराशि का उपयोग निम्न कार्यों हेतु नहीं किया जाना है:–

1. स्टाफ की नियुक्ति एवं मानदेय।

2. बड़े निर्माण या क्रय दवाओं की क्रय।
3. डायग्नोस्टिक, थैरेप्यूटिक एवं रिहैबिलिटेशन इक्यूपमेंट इत्यादि।
4. अनुबंधित सेवा प्रदाता को कोई लम्बित भुगतान।

सामुदायिक सहभागिता हेतु की जाने वाली गतिविधियांः– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 'खुले में शौच से मुक्ति' विषयक प्रचार–प्रसार एवंज न सहभागिता बढ़ाने हेतु ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला का अयोजन, सामुदायिक जागरूकता हेतु रैली का आयोजन, स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन विद्यालयों में हैंड हाईजीन प्रमोशन हेतु 6 स्टेप हैण्ड वॉश डिमॉन्सट्रेशन, विद्यलायों में प्रतियोगिता का अयोजन तथा व्यक्तिगत स्वच्छता एवं मेन्सट्रुअल हाईजीन प्रमोशन हेतु आशाओं को पुरस्कार आदि का आयोजन स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान किया जा सकता है। ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाने वाली सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने हेतु निम्न गतिविधियों का आयोजन का विवरण निम्नवत् हैः–

क–ब्लॉक स्तरीय कार्यशालय का आयोजन– अन्तर्विभागीय समन्वय हेतु 'खुले में शौच से मुक्ति' विषयक कार्यशाला का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। कार्यशाला में खण्ड विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा स्वास्थ्य इकाई के समस्त स्टाफ ए.एन.एम. एवं आशा संगिनी को आमंत्रित किया जायेगा। कार्यशालय के आयोजन हेतु अधिकतम धनराशि रू0 5000.00 आवंटित की जा रही है, जिसका उपयोग बैनर, लर्निंग मैटेरियल तथा प्रतिभागियों के रिफ्रेशमेंट आदि पर रू0 50.00 प्रति प्रतिभागी की दर से व्यय किया जायेगा।

ख–सामुदायिक जागरूकता हेतु रैली का आयोजन– खुले में शौच से मुक्ति हेतु सामुदायिक जन जागरूकता बढ़ाने हेतु ब्लॉक स्तर पर रैली का आयोजन किया जायेगा। रैली में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्थानीय विभागीय अधिकारियों तथा 5–10 विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को सम्मिलित किया जायेगा। रैली के आयोजन हेतु निम्न वित्तीय व्यवस्था की जा रही है।

क्र.	गतिविधि विवरण	धनराशि (रू0 में)	टिप्पणी
1	बैनर एवं डिस्पले बोर्ड (तख्ती)	5000.00	
2	प्रतिभागियों का रिफ्रेशमेंट	5000.00 (अधिकतम)	रू0 20 प्रतिभागी की दर से
	कुल योग	10000.00	

ग–स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन– ओ.डी.एफ. ब्लॉक में सभी वी.एच.एस.एन.सी. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति में वर्ष में एक बार स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाये तथा निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर असेसमेंट कराया जाये। असेसमेंट में प्राप्त स्कोर के आधार पर प्रत्येक उपकेंद्र के अधिकतम स्कोर प्राप्त ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति अर्ह होगी। पुरस्कार धनराशि रू0 500.00 अनुमन्य की जा रही है, जिसमें से रू0 300.00 क्षेत्र की ए.एन.एम. को तथा रू0 200.00 सम्बन्धित ग्राम की आशा (सम्बन्धित वी.एच.एस.एन.सी. की सदस्य सचिव) को प्रदान किया जायेगा। वी.एच.एस.एन.सी. का निर्धारित चेकलिस्ट का असेसमेंट मेडिकल ऑफीसर, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, सहायक, अनुसंधान अधिकारी, एल.एच.वी. एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के दौरान किया जायेगा। वी.एच.एस.एन.सी. का असेसमेन्ट स्कोर की संकलित सूची क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग को प्रेषित की जायेगी।

घ–विद्यालयों में हैण्ड हाईजीन प्रमोशन– स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के द्वारा हाथ धोने के तरीके, (डब्ल्यू0एच0ओ0 के 6 स्टेप हैण्ड वॉश) पर छात्र–छात्राओं को प्रदर्शन तथा स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागरूक किया जायेगा। इस हेतु आर.बी.एस.के. टीम को आवश्यक साबुन एवं लिक्विड हैण्ड वॉश की व्यवस्था रू0 100.00 प्रति विद्यालय की दर से की जायेगी। उक्त सामग्री का क्रय चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से किया जायेगा तथा आर0बी0एस0के0 टीम को पर्याप्त साबुन/लिक्विड हैण्ड वॉश डिमॉन्ट्रेशन हेतु उपलब्ध कराया जाना है।

ड0–व्यक्तिगत स्वच्छता एवं मेन्सट्रुअल हाईजीन प्रमोशन– किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए मेन्सट्रुअल हाईजीन कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं द्वारा सैनेटरी नैपकीन का प्रमोशन एवं बिक्री सम्बन्धित गांवों में की जा रही है। कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशाओं के प्रोत्साहन हेतु ब्लॉक में सर्वाधिक सैनेटरी नैपकीन की बिक्री वितरण करने वाली तीन आशाओं को क्रमशः प्रथम पुरस्कार रू0 500.00 द्वितीय पुरस्कार रू0–300.00 तथा तृतीय पुरस्कार रू0 200.00 चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से प्रदान किया जायेगा।

अवार्ड प्राप्त जनपद स्तरीय चिकित्सालयों हेतु पुरस्कार धनराशि के उपयोग हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश

FMR : - HSS.6.175.OOC.2 अवगत कराना है कि कायाकल्प अवार्ड योजना के अन्तर्गत 'राज्य स्तरीय

कायाकल्प अवार्ड समिति' द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त चिकित्सा इकाईयों को निर्धारित अवार्ड धनराशि को राज्य कायाकल्प अवार्ड नामांकन समिति द्वारा कम की जा सकती है तथा कटौती की गयी धनराशि को वरीयता के क्रम में प्रथम 10 या अधिक रैंक तक अथवा औचित्यपूर्ण अनुपात में आवंटित की जा सकती है। कायाकल्प अवार्ड योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड धनराशि का विवरण निम्नवत है।

s/n	Type of health facility	Award Money (Rs.in lakh)	Remark
1	District level Hospitals (DH/DCH/DWH)	• I Rank across the state Rs.50.00 Lakh • II Rank across the state Rs.20.00 Lakh • III Rank across the state Rs.10.00 Lakh& • Consolation prize : Rs.3.00 Lakh	Top Ranker"s (I,II &III) must increase 5% score from previous year score
2	Community Health Centre /Urban Commiunity health centre	• I Rank across the state Rs.15.00 Lakh • II Rank across the state Rs.10.00 Lakh& • Consolation prize : Rs.1.00 Lakh	Top Ranker"s (I & II) must increase 5% score from previous year score
3	Primary Health Centre (Including Health & Wellness Centre)	• I Rank across District Rs.2.00 Lakh& • Consolation prize : Rs.0.50 Lakh	District 1st ranker must increase 5% score from previous year score
4	Health & Wellness Centre (SC)> 50	• 1st prizes Rs 1.00 Lakh • 1st Runner –upRs 50,000, • 2nd Runner-up Rs 35,000 , & • Consolation prize :Rs.25,000	

नोटः– *गुणवत्ता की निरन्तरता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत चिकित्सा इकाईयों का रैण्डम आधार पर राज्य स्तर से रिवैलिडेशन किया जा सकता है तथा असेसमेंट के स्कोर में (अवार्ड के समय एक्सटर्नल असेसमेंट स्कोर) पांच प्रतिशत से अधिक कमी की स्थिति में दण्ड स्वरूप अवार्ड धनराशि में कटौती की जा सकती है, जिसका निर्धारण राज्य स्तर से किया जायेगा।*

अवार्ड धनराशि के उपयोग हेतु निर्देश– **FMR : - HSS.6.175.OOC.2**

भारत सरकार के निर्देशानुसार अवार्ड हेतु प्राविधानित धनराशि का 75 प्रतिशत चिकित्सालय के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड एवं कायाकल्प अवार्ड स्कीम के अंतर्गत चिन्हित गैप क्लोजर, सुदृढ़ीकरण, रख–रखाव, स्वच्छता व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित किये जाने हेतु उपयोगित की जाये, जिससे चिकित्सालय के स्कोर में वृद्धि हो सके। शेष 25 प्रतिशत धनराशि चिकित्सा इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (नियमित संविदा एवं आउटसोर्स) के उत्साहवर्धन हेतु इन्सेंटिव के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। अवार्ड विजेता चिकित्सा इकाई को अवार्ड धनराशि में से इन्सेंटिव हेतु स्वीकृत 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग चिकित्सालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों कों कैश अवार्ड, क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण, चिकित्सालय में कर्मचारियों के कार्यस्थल में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

अवार्ड धनराशि का 75 प्रतिशत कायाकल्प–अवार्ड योजना तथा क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड के असेसेमेंट में चिन्हित गैप क्लोजर तथा चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण हेतु उपयोगित की जायेगी। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि अन्य मद से प्राप्त बजट की कोई डुप्लीकेसी न हो।

डाक्यूमेंटेशन– प्रा0स्वा0 केन्द्रों के तीन स्तरों के असेसमेंट में चेकलिस्ट, अवार्ड का नामांकन करते हुये मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से संकलित सूचना क्यू0ए0 अनुभाग को qanhmup2021@gmail.com पर प्रेषित की जायेगी। डिविजनल कंसल्टेंट द्वारा सभी स्तरों की चेकलिस्ट, थीमेटिक एरियावार स्कोर की संकलित कर 'हार्ड डिस्क' में डाटा की कम से कम 05 वर्षों तक सुरक्षित रखा जायेगा।

असेसमेन्ट हेतु समय सारणी–

Sno	Type of Assessment	Time Line		
		District Level Hospital (DH,DWH & DCH)	Community Health Centers	Primary Health Centre (Including Health & Wellness centre)
1	Internal Assessment	Last Month of Each Quarter	Last Month of Each Quarter	Last Month of Each Quarter
2	Peer Assessment	June – July of Each Financial Year	Aug – Sept of Each Financial Year	Oct - Nov of Each Financial Year

3	External Assessment	August onwards	October onwards	December onwards

कायाकल्प–अवार्ड स्कीम के अंतर्गत जनपदों की समस्त चिकित्सालयों को अवार्ड की अर्हता में लाना भारत सरकार व प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। योजना के प्रारम्भ से अब तक अवार्ड की अर्हता प्राप्त चिकित्सालयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है, किन्तु यह प्रयास किया जाना है कि अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सालयों को क्वालिटी एश्योरेंस एवं 'कायाकल्प' के मानकानुसार सुदृढ़ किया जाये ताकि जनसमुदाय को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सकें।

9.कम्युनिटी प्रोसेस

9.1 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र स्तरीय)

प्रदेश में जनसमुदाय को उनके घर के समीप गुणवत्तापरक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है।

वर्ष 2023–24 में कुल 2774 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर एवं 19066 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की उपलब्धता के आधार पर क्रियाशील उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट आवंटित की जा रही है। जनपदवार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय एवं उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों की संख्या निम्न तालिकानुसार है–

Srl. No.	District	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों की संख्या	उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों की संख्या
	Total	**2774**	**19066**
1	Agra	44	321
2	Aligarh	34	327
3	Ambedkar Nagar	26	318
4	Amethi	30	243
5	Auraiya	25	130
6	Ayodhya	29	268
7	Azamgarh	65	561
8	Baghpat	21	165
9	Bahraich	49	388
10	Ballia	66	334
11	Balrampur	24	251
12	Banda	45	145
13	Barabanki	53	388
14	Bareilly	50	389
15	Basti	33	311
16	Bijnor	45	375
17	Budaun	43	300
18	Bulandshahar	57	362
19	Chandauli	23	223
20	Chitrakoot	28	131
21	Deoria	65	283
22	Etah	32	197
23	Etawah	28	158
24	Farrukhabad	27	177
25	Fatehpur	35	249
26	Firozabad	52	204
27	Gautam Buddh Nagar	18	71
28	Ghaziabad	15	97
29	Ghazipur	57	338
30	Gonda	50	369
31	Gorakhpur	58	507
32	Hamirpur	34	132
33	Hapur	24	140
34	Hardoi	43	382
35	Hathras	25	168
36	Jalaun	30	157
37	Jaunpur	81	362
38	Jhansi	32	292
39	Jyotiba Phule Nagar	25	179
40	Kannauj	32	169
41	Kanpur Dehat	25	203
42	Kanpur Nagar	42	325
43	Kasganj	29	164
44	Kaushambi	27	181
45	Kushinagar	53	257
46	Lakhimpur Kheri	57	399
47	Lalitpur	23	100
48	Lucknow	28	198

49	Maharajganj	35	218
50	Mahoba	14	90
51	Mainpuri	43	173
52	Mathura	26	142
53	Mau	36	176
54	Meerut	32	244
55	Mirzapur	35	241
56	Moradabad	29	272
57	Muzaffarnagar	39	253
58	Pilibhit	22	195
59	Pratapgarh	53	273
60	Prayagraj	64	598
61	Raebareli	51	316
62	Rampur	27	240
63	Saharanpur	40	300
64	Sambhal	29	241
65	Sant Ravidas Nagar	17	129
66	Santkabir Nagar	20	193
67	Shahjahanpur	37	289
68	Shamli	24	128
69	Shrawasti	12	120
70	Siddharth Nagar	58	312
71	Sitapur	64	507
72	Sonbhadra	28	213
73	Sultanpur	43	253
74	Unnao	37	317
75	Varanasi	22	245

नोट– 19066 उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर एवं 1506 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त 15वें वित्त से पोषित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों हेतु आवश्यक धनराशि पृथक से जारी की जायेगी।

1- **जेनेरिक मेडिसिन (FMR Code-HSS.1/HSS.1.150.DS.1 & HSS.1.150.DS.2)–** वित्तीय वर्ष 2023–24 में समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर को औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु रू0 50000/– की दर से एवं उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर को औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर रू0 30000/– प्रतिवर्ष की दर से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर इन औषधियों की आपूर्ति आवश्यकतानुसार डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम करायी जायेगी।

2- **मल्टीस्किलिंग (FMR Code-HSS.1/HSS.1.150.CB.1 & HSS.1.150.CB.2)–** भारत सरकार द्वारा वर्णित मद में वित्तीय वर्ष 2023–24 में समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों हेतु अनुमन्य धनराशि रू0 55000/– के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि प्रतिकेन्द्र की दर से केन्द्र पर कार्यरत/सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, आशा, ए0एन0एम0 आदि के क्षमतावर्धन हेतु एवं उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु अनुमन्य धनराशि रू0 30000/– प्रतिकेन्द्र के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि केन्द्र पर कार्यरत/सम्बद्ध सी0एच0ओ0, आशा, ए0एन0एम0 आदि के क्षमतावर्धन हेतु जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपरोक्त मद से प्रशिक्षण हेतु पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/कम्यु0प्रो0/एच0डब्ल्यू0सी0/प्रशि0/2021–22/116/6560–75, दिनांक 08.12.2022 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये थे। कतिपय कारणों से जनपदों में प्रेषित दिशा–निर्देशों के सापेक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम ससमय पूर्ण न होने की दशा में वित्तीय वर्ष 2023–24 में मल्टीस्किलिंग मद से उपलब्ध धनराशि से प्रशिक्षणों को पूर्ण कराया जाये। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश पूर्वत रहेगें।

शेष धनराशि जनपदों द्वारा उपरोक्त मद में 70 प्रतिशत व्यय के पश्चात जनपदों द्वारा की गयी मांग के अनुसार आवंटित की जायेगी। प्रशिक्षण सम्बन्धी दिशा–निर्देश आवश्यकतानुसार समय–समय पर निर्गत किये जायेगें।

3- **आशा सी–बैक फार्म भरने एवं गैर संचारी रोगियों के फॉलो–अप हेतु प्रतिपूर्ति राशि (FMR Code HSS.1/HSS.1.150.ASHA.1 & HSS.1.150.ASHA.2)**– भारत सरकार द्वारा वर्णित मद में रू0 5000/– प्रति केन्द्र प्रति माह की दर से अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर से सम्बद्ध आशाओं के लिए 09 माह हेतु आवश्यक धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा है।

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की उपलब्धता के आधार पर संचालित उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर से सम्बद्ध आशाओं के लिए 09 माह हेतु आवश्यक धनराशि का 90 प्रतिशत धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा है।

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर क्षेत्र के 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का सी–बैक फार्म भरने हेतु प्रति फार्म रू0 10/– की दर से आशा को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी। जिन आशाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराये गये हैं उनके द्वारा प्रशिक्षणोपरान्त सी–बैक फॉर्म एप्लीकेशन पर भरे जाने पर ही धनराशि देय होगी। आशा को एक लाभार्थी के लिए उक्त इंसेन्टिव वर्ष में 1 बार ही देय होगा। **सी–बैक फार्म के माध्यम से संकलित सूचना आशा द्वारा ई–कवच के अन्तर्गत एच0डब्ल्यू0सी0 मॉडयूल पर भी अद्युनान्त की जायेगी, सम्बन्धित ए0एन0एम0 एवं सी0एच0ओ0 उक्त सूचना को वैलीडेट करते हुए एन0सी0डी0 स्क्रीनिंग सुनिश्चित करेगें व स्क्रीनिंग की सूचना ई–कवच के अन्तर्गत एच0डब्ल्यू0सी0 मॉडयूल में भी अंकित की जायेगी।**

इसके अतिरिक्त क्षेत्र में गैर संचारी रोगों से ग्रसित रोगियों के फालोअप हेतु प्रति रोगी रू0 100/– की दर से धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। आशा द्वारा अपने क्षेत्र में चिन्हित डायबिटीज, हाइपरटेंशन एवं कैंसर के रोगियों का मासिक रूप से फॉलो–अप किया जायेगा। रोगियों द्वारा 6 माह तक नियमित रूप से दवाइयां/उपचार प्राप्त किये जाने पर आशा को प्रति लाभार्थी रू0 50/– की धनराशि देय होगी। अतः आशा को वर्ष में प्रति लाभार्थी रू0 100/– तक की धनराशि 2 किश्तों में प्राप्त होगी।

4- **कम्युनिकेशन कॉस्ट (आवर्ती) (FMR Code HSS.1/HSS.1.150.OOC.1 & HSS.1.150.OOC.2)**– समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों एवं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की उपलब्धता के आधार पर संचालित उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों हेतु रू0 5000.00 प्रतिकेन्द्र की दर से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जिसके सापेक्ष 09 माह हेतु आवश्यक धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है।

कम्युनिकेशन कास्ट के उपयोग के लिये जनपद स्तर पर क्रियाशील हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर की संख्या के आधार पर वित्तीय नियमों एवं नेटवर्क की उपलब्धता के आधार पर सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जायेगा एवं सभी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर इण्टरनेट उपलब्ध कराया जायेगा जिसके माध्यम से प्रतिदिन रिपोर्टिंग, मासिक रिपोर्टिंग, टेलीमिडिसन आदि का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके।

उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु यदि जनपद स्तर से इण्टरनेट की व्यवस्था नहीं की जाती है ऐसी स्थिति में ए0एन0एम0 तथा सी0एच0ओ0 के लेपटॉप/टैबलेट हेतु कम्युनिकेशन कॉस्ट के रूप में वास्तविक व्यय बिल के आधार पर प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु अधिकतम कुल धनराशि रू0 200.00 प्रतिमाह प्रति ए0एन0एम0 एवं सी0एच0ओ0 की दर से भुगतान किया जाएगा।

5- **आशा एवं आशा संगिनी हेतु कम्युनिकेशन कॉस्ट (FMR Code HSS.1/HSS.1.150.OOC.5)** आशाओं एवं आशा संगिनी हेतु कम्युनिकेशन कॉस्ट एवं डेटा रीचार्ज हेतु रु० 200 प्रतिमाह की दर से 09 माह हेतु आवश्यक धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा है।

आशा/आशा संगिनियों द्वारा स्वयं अपने पहचान पत्र से सिम कार्ड लिया जायेगा एवं प्रतिमाह टॉप–अप कराया जायेगा। आशा एवं आशा संगिनियों द्वारा रीचार्ज कराकर मासिक रूप से अपने बाउचर में अधिकतम रू0 200/– भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाये। यदि कोई आशा एवं आशा संगिनी किसी माह में रिचार्ज नहीं कराती है तो उसे इस मद में कोई धनराशि नहीं देय होगी।

जनपद द्वारा आशाओं एवं आशा संगिनियों हेतु जिनको स्मार्ट फोन वितरित किये गये हैं, समेकित रूप जनपद/ब्लॉक पर निर्धारित किये गये वेण्डर के माध्यम से वित्तीय नियमों को ध्यान में रखते हुए डेटा पैक रिचार्ज कराया जा सकता है। जिसकी अधिकतम सीमा रू0 200/– प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए ऐसी दशा में आशा एवं आशा संगिनियों को इस मद में कोई धनराशि देय नहीं होगी।

6- **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय एवं उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु आई0ई0सी0 (FMR Code HSS.1/HSS.1.150.IEC.1 & HSS.1.150.IEC.2)**– वर्ष 2023–24 में समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों हेतु 50000 प्रति केन्द्र एवं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की उपलब्धता के आधार पर संचालित उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों हेतु रू0 25,000 प्रतिकेन्द्र दर आवश्यक धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

7- **सी0एच0ओ0 हेतु टी0ए0/डी0ए0 (FMR Code HSS.1/HSS.1.150.OOC.7)** वर्ष 2023–24 में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की उपलब्धता के आधार पर संचालित उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों हेतु रू0 500.00 प्रति माह की दर से 09 माह हेतु आवश्यक धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा है। जिसका उपयोग सी0एच0ओ0 के द्वारा किये गए वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा।

8- **सी–बैक फॉर्म का मुद्रण (FMR Code HSS.1/HSS.1.150.IEC.3)**:समस्त उपकेंद्र स्तरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वैलनेस सेन्टर के अनुसार जनपद स्तर पर सी बैक फॉर्म का मुद्रण निर्धारित प्रारूप पर किया जाएगा। इस हेतु प्रति परिवार रू0 5/– की दर से आवश्यक धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा है। मुद्रण हेतु मानक एवं दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं:–

फैमिली फोल्डर एवं सी बैक फॉर्म के मुद्रण हेतु मानकः प्रदेश के प्रति केंद्र द्वारा लगभग 8000 की जनसंख्या को सेवा प्रदान की जाती है एवं जनसंख्या का लगभग 37 प्रतिशत भाग 30 वर्ष से अधिक के आयु की स्त्रियों एवं पुरुषों का होता है। उक्त के दृष्टिगत निम्न तालिकानुसार मुद्रण कराना सुनिश्चित किया जाएः–

S. No	Item Name	Specifications	Estimated Quantity per Sub Centre
1	CBAC Form	4 Colour Offset Printing. Single Side (170 gsm Lucky Print) Size 220 mm X 317 mm	2960 (8000 X 37%)

उक्त मुद्रण समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों तथा ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाईनेंशिअल मैनेजमेंट में दिए गए दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किये जाएंगे।

9- **योग शिविर का आयोजन (FMR Code HSS.1/HSS.1.151.OOC.1 & HSS.1.151.OOC.2)** वर्ष 2023–24 में समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों एवं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की उपलब्धता के आधार पर संचालित उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों हेतु प्रति केन्द्र रु० 250/– प्रति सत्र की दर से माह में 10 सत्रों के लिए आवश्यक धनराशि का 05 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त धनराशि के सापेक्ष 09 माह हेतु आवश्यक धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण योग अनुदेशक (लेवल 1 योग प्रशिक्षक) अथवा योग शिक्षक (लेवल 2 योग प्रशिक्षक) जिन्हें योग सर्टिफिकेशन बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गयी हो के द्वारा ही किया जाएगा। इस हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा प्रेषित प्रशिक्षकों की सूची पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

10- **कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि (FMR Code HSS.9/HSS.9.187.OOC.1):–** वित्तीय वर्ष 2023–24 में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की उपलब्धता के आधार पर संचालित उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों पर कार्यरत सी0एच0ओ0 के कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि हेतु रू0 15000/– प्रतिमाह प्रति केन्द्र की दर से 09 माह हेतु आवश्यक धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा है।

11- **टीम बेस्ड इन्सेन्टिव (FMR Code HSS.9/HSS.9.187.OOC.2/HSS.9.187.OOC.3):–** वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों हेतु रू0 200000/– की दर से टीम बेस्ड इंसेन्टिव की धनराशि केन्द्रों की सम्भावित क्रियाशीलता के आधार पर 09 माह हेतु आवश्यक धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि आवंटित की जा रही है। इसी प्रकार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की उपलब्धता के आधार पर संचालित उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों हेतु टीम बेस्ड इंसेन्टिव हेतु 09 माह हेतु आवश्यक धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश–एस0पी0एम0यू0/कम्यू0प्रो0/HWC/2020– 21/88/ 2826–75 दिनांक 27.07.2022 जनपदों को प्रेषित किये जा चुके हैं।

12- **हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु असम्बद्ध धनराशि(HSS.14/ HSS.14.198.DT.6 & HSS.14.198.DT.7)**– वर्ष 2023–24 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों की हेतु रू0 50000.00 प्रतिकेन्द्र की दर से अतिरिक्त असम्बद्ध धनराशि अनुमन्य है। जिसके सापेक्ष आवश्यक धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु आवंटित अन्टाईड फण्ड के व्यय हेतु कार्ययोजना, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) के द्वारा सम्बन्धित स्टाफ नर्स/फार्मासिस्ट/ एल0टी0 के सहयोग से तैयार की जायेगी एवं इसे हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर सम्बन्धित जन आरोग्य समिति की बैठक में प्रस्तुत कर तदानुसार व्यय किया जायेगा।

वर्तमान में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की उपलब्धता के आधार पर संचालित उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों हेतु असम्बद्ध धनराशि रू0 30000.00 प्रति केन्द्र की दर से अनुमन्य है। जिसके सापेक्ष कुल आवश्यक धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा है।

उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु आवंटित अन्टाईड फण्ड के व्यय हेतु कार्ययोजना, कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर के द्वारा ए0एन0एम0 के सहयोग से तैयार की जायेगी। उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु उपलब्ध करायी गयी असम्बद्ध धनराशि के उपयोग हेतु कार्ययोजना सम्बन्धित जन आरोग्य समिति की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी एवं तदानुसार व्यय की जायेगी। जन आरोग्य समिति के गठन एवं संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत शासनादेश पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

उपकेन्द्र के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में क्रियाशील होने के उपरान्त जन आरोग्य समिति का गठन किया जायेगा एवं अण्टाइड फण्ड के दिशा–निर्देशों के अनुसार धनराशि का व्यय किया जायेगा।

13- लैब रिकरिंग कॉस्टः–वित्तीय वर्ष 2023–24 में लैब रीकरिंग कॉस्ट 15वें वित्त आयोग में FR.3.1& FR.3.3 Support To Diagnosis Infrastructure In The Primary Health Care Facilities Of The Sub Centre & PHCs HWC मद से चिन्हित उपकेन्द्रों एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 15वें वित्त आयोग से धनराशि आवंटित की जा रही है, जिसका उपयोग समस्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों के आवर्ती व्यय हेतु किया जायेगा।

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को पूर्व में ई–कवच पोर्टल का आई0डी0 व पासवार्ड उपलब्ध कराया गया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स द्वारा ई–कवच पोर्टल के अन्तर्गत एच0डब्ल्यू0सी0 मॉड्यूल का उपयोग करते हुए दैनिक ओ0पी0डी0, जाँचें, औषधि, एन0सी0डी0 स्क्रीनिंग आदि सेवायें देना अनिवार्य है एवं सम्बन्धित आकड़ों को एच0डब्ल्यू0सी0 पोर्टल व एन0सी0डी0 पोर्टल पर भी दर्ज करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9.2 आशा योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है। आशा कार्यक्रम को सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु आशा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु वित्तीय दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं–

एच0बी0एन0सी0 किट रिप्लेनिशमेंट (HSS.3.159.DI.3) –

आशाओं को प्रथम चरण के प्रशिक्षण के दौरान एच0बी0एन0सी0 किट उपलब्ध करायी जाती है। समस्त जनपदों को मॉड्यूल 6–7 प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रशिक्षित आशाओं की संख्या के आधार पर एच0बी0एन0सी0 किट रिप्लेनिशमेंट हेतु रू0 150/– प्रति प्रथम चरण मॉड्यूल 6–7 प्रशिक्षित आशा अनुसार आवंटित की जा रही है। यदि 6–7 मॉड्यूल प्रथम चरण का प्रशिक्षण प्रस्तावित है तो प्राथमिकता के आधार पर पहले नवीन एच0बी0एन0सी0 किट का क्रय किया जाएगा तद्पश्चात शेष धनराशि से आशाओं की आवश्यकतानुसार एच0बी0एन0सी0 किट की सामग्रियों का क्रय किया जाएगा।

आशा क्लस्टर बैठक क्षमतावर्द्धन सत्र/आशा क्लस्टर बैठक (HSS.3.159.CB.1)–

आशा क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्द्धन सत्र का आयोजन पूर्व में भेजे गये दिशा–निर्देश संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./पी.आई.पी./2021–22/93/2478–75 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार किया जायेगा। बैठक में प्रत्येक माह आशा को क्लस्टर बैठक के क्षमतावर्द्धन सत्र में प्रतिभाग करने हेतु रू0 100/– एवं आशा संगिनी को सत्र फैसिलिटेट करने हेतु रू0 200/–की धनराशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

आशा एवं आशा संगिनी प्रतिपूर्ति राशि–

1- आशा नियमित गतिविधि हेतु प्रतिपूर्ति राशि (HSS.3.159.ASHA.1)– आशाओं को उनके द्वारा की जाने वाली नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में रू0 2000 प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इन गतिविधियों का विवरण एवं गतिविधियों के लिए दी जाने वाली धनराशि निम्नतालिकानुसार है–

क्र. सं.	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि प्रतिमाह(रू0 में)
1	ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर	200
2	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में प्रतिभाग करने पर	150
3	आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा–व्यय	150
4	वर्ष के आरम्भ में परिवारों की सूची तैयार (प्रति माह लाइन लिस्टिंग) करने पर एवं 6 माह के पश्चात अद्यतन करने पर	300
5	ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की सूचना देने हेतु सहायता करने पर	300
6	टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
7	ANC लाभार्थियों का लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
8	योग्य दम्पत्तियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300

2. आशा संगिनी प्रतिपूर्ति राशि (HSS.3.159.ASHA.2)– आशा संगिनी को निम्न गतिविधियों हेतु अधिकतम रू0 1700/–प्रतिमाह प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी–

क्र.सं.	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि

1	अपनें क्षेत्र की समस्त आशाओं की आशा ड्रग किट का नियमित रिफिलिंग कराकर आशा डायरी में अपडेट करवाने पर	100
2	प्रत्येक माह अपने क्षेंत्र की प्रत्येक आशा के मासिक भुगतान की निगरानी करने पर (जिसके अर्न्तगत वह वाउचर जमा करने की तारीख, आशाओं द्वारा वास्तविक भुगतान एवं प्रतिपूर्ति राशि प्राप्ति की तिथि अंकित करेगी)	100
3	अपनें क्षेत्र में मातृ एवं शिशु (<-5 Years) मृत्यु का लेखा–जोखा अपने संगिनी रजिस्टर में अंकित करने पर (संगिनी 24 घण्टें के अन्दर रिर्पोटिंग प्रपत्र में मृत्यु को दर्ज करवाने पर)	100
4	आशा संगिनी द्वारा बी.सी.पी.एम. के साथ सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक समीक्षा बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा–व्यय	150
5*	आशा संगिनियों को निम्न तालिका चिन्हित गतिविधियों हेतु अधिकतम रू0 1250 प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी	1250
	योग–	1700

*आशा संगिनियों हेतु रू0 1250/– प्रतिपूर्ति राशि हेतु चिन्हित गतिविधियाँ

क्र.स.	गतिविधियाँ	अधिकतम देय धनराशि	टिप्पणी
1–क	आशा संगिनी द्वारा प्रतिमाह कम से कम 50 CBAC form का परीक्षण करने पर एवं 70 प्रतिशत लोग जिनका CBAC रिस्क स्कोर 4 या 4 से अधिक है उनका प्राथमिकता के आधार पर स्क्रीनिंग कराना सुनिश्चित करने हेतु	200	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्षेत्र अथवा PBS जनपद हेतु
1–ख	आशा संगिनी क्षेत्र के कम से कम 50 प्रतिशत डायबेटीज एवं हाईपरटेन्शन के रोगियों को प्रतिमाह औषधि उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु	150	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्षेत्र अथवा PBS जनपद हेतु
1–ग	आशा संगिनी अपने क्षेत्र में समस्त आशाओं के कम से कम 10 प्रतिशत लक्ष्य दम्पत्ति, गर्भवती महिलाओं एवं टीकाकरण का सत्यापन।	350	उन क्षेत्रों के लिए जहाँ हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर न हो अथवा वह PBS जनपदों में न आती हो।
2	आशा संगिनी क्षेत्र के समस्त क्षय रोग के मरीजों को नियमित रूप से औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु	150	समस्त जनपदों हेतु
3	आशा संगिनी क्षेत्र के कम से कम 80 प्रतिशत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के समय के आधार पर निम्न सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर • क्षेत्र भ्रमण के दौरान उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का गृह भ्रमण। • उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड पर नियमानुसार HRP का अंकन। • आशाओं के सहयोग से कम से कम चार प्रसव पूर्व जाँचें जिनमें से कम से कम एक जाँच चिकित्सालय स्तर पर करायी गयी हो। • आशाओं के साथ उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की प्रसव योजना तैयार कराना • संस्थागत प्रसव • पोर्टल पर अंकन	500	समस्त जनपदों हेतु
4	क्षेत्र भ्रमण के दौरान उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं का गृह भ्रमण कर फालोअप करना • जन्म के समय 1800 ग्राम से कम वजन वाले नवजात। • SNCU से Discharge नवजात शिशु।	150	समस्त जनपदों हेतु
5	• बीमार नवजात शिशु, जिन्हें आशा द्वारा HBNC के दौरान Refer किया गया हो। • पोषण पुनर्वास केन्द्र से डिस्चार्ज बच्चों का फॉलो–अप।	100	समस्त जनपदों हेतु

3- हेल्थ प्रमोशन डे (HSS.3.159.ASHA.3)–

हेल्थ प्रमोशन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित मासिक गतिविधियों के आयोजन में आशा द्वारा समुदाय को प्रेरित एवं जागरूक करने के लिए पत्रांक संख्या प0क0/08–प्रशि0/आ0यो0/दिशा–निर्देश/2018–19/

4613–75 दिनांक–27.09.2018 के अनुसार प्रति गतिविधि में प्रति माह आशाओं को रू0 200 दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

4- आशा बीमा (HSS.3.159.ASHA.4)–

भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुमोदन एवं दिशा निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त ग्रामीण एवं शहरी आशाओं एवं आशा संगिनियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाना है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत आयु सीमा 18 से 70 वर्ष है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में रू0 330/– प्रति व्यक्ति की दर से तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में रू0 12/– प्रति व्यक्ति की दर से बीमा हेतु आवश्यक प्रीमियम की धनराशि का भुगतान ग्रामीण एवं शहरी आशाओं एवं आशा संगिनियों को बीमा हेतु आवंटित धनराशि में से दिया जाना है। पूर्व में कार्यालय के पत्रांक एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./आशा बीमा योजना/2015–16/84/6382 दिनांक 24.10.2019 एवं एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./आशा बीमा योजना/18–19/84/वॉल्यूम.1/4911–75 दिनांक 19.11.2020 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश प्रेषित किये गये हैं।

5- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (HSS.3.159.ASHA.5)–

5.1 आशा द्वारा गर्भवती महिला का पंजीकरण कराने के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फार्म भरा जायेगा जिसके साथ गर्भवती महिला का MCP कार्ड/आधार कार्ड/बैंक पासबुक/पोस्ट आफिस पास बुक की छाया प्रति फार्म के साथ ANM को उपलब्ध करायेगी। इसके पश्चात् प्रति केस **रू0 50** की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

5.2 आशा द्वारा गर्भवती महिला का प्रपत्र 1 सी भरकर ए0एन0एम0 के पास जमा किया जायेगा। आशा का भुगतान लाभार्थी को तृतीय किस्त के भुगतान के साथ ही किया जायेगा। इसके पश्चात् प्रति केस रू0 50 की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

6- मातृ समूह बैठक (HSS.3.159.ASHA.6) (मात्र अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर, गोण्डा, श्रावस्ती, बरेली, बदायूँ, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, एटा, कासगंज, मिर्जापुर, सोनभद्र, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, फर्रूखाबाद, कन्नौज, महराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, रामपुर, चित्रकूट एवं चन्दौल जनपदों में लागू)– मातृ समूह की बैठक आयोजित किए जाने हेतु आशा को कुल रू. 200/– प्रति बैठक हेतु प्रतिपूर्ति राशि के रूप में दिया जाना है। यह धनराशि आशा को प्रत्येक मातृ समूह की बैठक सुनिश्चित करने पर देय होगी।

7- ए.ए.ए. (उपकेन्द्र स्तरीय) बैठक (HSS.3.159.ASHA.7)–

समुदाय स्तरीय कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु प्रथम पंक्ति की कार्यकर्त्रियाँ यथा– ए.एन.एम., आँगनवाड़ी एवं आशाओं के मध्य आपसी समन्वय किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक उपकेन्द्र क्षेत्र में कार्यरत समस्त कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर, ए.एन.एम., आँगनवाड़ी व आशा की मासिक बैठक आयोजित किया जाना है। उपकेन्द्र स्तरीय बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को प्रतिमाह रू 75 की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

ऐसे उपकेन्द्र जिन्हें हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में क्रियाशील किया जा चुका है, उन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर बैठक का संचालन कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर के द्वारा ए.एन.एम. के सहयोग से किया जायेगा एवं कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर की अनुपस्थिति में बैठक का संचालन सम्बन्धित ए.एन.एम. द्वारा किया जायेगा।

8- आशाओं एवं आशा संगिनियों को यूनिफार्म दिये जाने हेतु दिशा–निर्देश (HSS.3.159.ASHA.8)–

राज्य कार्ययोजना वर्ष 2022–23 के अंर्तगत आशा यूनिफार्म हेतु रू0 1000/– प्रति आशा एवं आशा संगिनी की दर से अनुमोदित किया गया है। इस धनराशि का व्यय आशा एवं आशा संगिनी द्वारा किया जायेगा, जिसके पश्चात उसके दिये बीजक (बिल) के अनुसार अधिकतम रू0 1000/– का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जायेगा।

9- आशा सम्मेलन (HSS.3.159.ASHA.9)–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश में आशा कार्यक्रम का प्रारंभ दिनांक 23 अगस्त 2005 को हुआ था। आशा सम्मेलन का आयोजन इसी दिन की याद में जनपद स्तर पर आयोजित किया जाता हैं। सम्मेलन में आशाओं को विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी देने के साथ–साथ प्रत्येक ब्लाक से सर्वश्रेष्ठ आशाओं एवं संगिनियों को सम्मानित भी किया जाता रहा है। आशा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समुदाय में आशा की भूमिका को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं नवीन योजनाओं के बारे में जानकारी दिया जाना है। इस वर्ष भी आशाओं द्वारा अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में किये गए कार्यो के आधार पर प्रत्येक ब्लॉक की सर्वश्रेष्ठ, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली आशाओं, शहरी आशाओं, आशा संगिनियों एवं बी.सी.पी.एम. को पुरस्कृत किया जाएगा।

जनपदीय आशा सम्मेलनों के लिये आयोजन पर होने वाले अनुमन्य व्यय का विवरण निम्नवत् है। इस कार्यक्रम के लिये अवमुक्त धनराशि का व्यय नीचे दी गयी तालिका में अंकित निर्धारित सीमा से अधिक न किया जाये–

क्र0	मद	दर
1	भोजन व्यवस्था	रू 75/– प्रति आशा
2	सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु	रू0 4000/–
3	सम्मेलन व्यवस्था (कुर्सी, मेज, माईक, बैनर एवं अन्य)	1. 500 आशाओं की उपस्थिति तक रू0 15000/– 2. 750–1000 आशाओं की उपस्थिति तक रू0 20000/– 3. 1000 आशाओं से अधिक रू0 25000/–
4	आशाओं हेतु सामग्री किट फोल्डर, प्रचार–प्रसार सामग्री, पम्पलेट आदि	रू0 50/– प्रति आशा
5	आशाओं के आने–जाने हेतु	रू0 100/– प्रति आशा
6	कन्टीजेन्सी, फोटोग्राफी, वीडियो फिल्म आदि	रू0 8000/–
7	ब्लॉक की द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली आशाओं हेतु पुरस्कार की धनराशि	रू0 3000/–(2000+1000=3000) प्रति विकास खण्ड

सम्मेलन के आयोजन की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति को डैप के माध्यम से अवमुक्त की जा चुकी है कि आयोजन के पूर्व जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आवश्यक धनराशि के 75 प्रतिशत का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

10- आशा संगिनी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण (HSS.3.159.ASHA.10)–

आशा संगिनी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु रू0 300 प्रति भ्रमण दिवस की दर से अधिकतम 24 भ्रमण दिवस हेतु अधिकतम रू0 7200 तक प्रतिमाह (वास्तविक भ्रमण दिवसों के आधार पर), ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा किये गये सत्यापन के पश्चात देय होगी।

अन्य क्रियान्वयी व्यय–

1- मण्डल स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक (HSS.3.159.OOC.4) –

उक्त बैठक हेतु धनराशि रू0 500/– प्रति ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस मेनेजर प्रति बैठक (त्रैमास) की दर से अनुमोदित की गई है। उक्त धनराशि बैठक हेतु हाल, प्रोजेक्टर, प्रतिभागियों हेतु खान–पान एवं स्टेशनरी आदि के लिए समस्त वित्तीय नियमो को ध्यान में रखते हुए व्यय की जायेगी। जहा तक संभव हो सरकारी भवनों में स्थित हाल का उपयोग किया जाये। व्यय के सम्बन्ध में समस्त अभिलेख मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेंगी। प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता आदि (टी.ए./डी.ए.) उनके तैनाती स्थल से यात्रा भत्ता हेतु अनुमोदित मद अथवा ऑपरेशनल कास्ट से किया जायेगा। उक्त गतिविधि हेतु तालिका में अंकित धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को हस्तानान्तरित की जाएगी।

मुद्रण –

आशा योजना से सम्बन्धित प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण–कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा निम्न रजिस्टर/ प्रपत्र के मुद्रण हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है जिसके दिश–निर्देश निम्नवत हैं–

1- आशा एवं आशा संगिनी रजिस्टर मुद्रण (HSS.3.159.IEC.2) –

आशा एवं आशा संगिनी रजिस्टर का मुद्रण रू0 175.00 प्रति आशा की दर से जनपद स्तर पर राज्य स्तर से प्राप्त प्रारूप पर निम्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जाना है जिसकी आपूर्ति जनपद स्तर पर की जानी है।

क्र.सं.	विवरण	साईज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. × 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	4
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ–2 स्टेप्लड	28 से.मी. × 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	220

2- आशा एवं आशा संगिनी प्रतिपूर्ति राशि हेतु वाउचर एवं मास्टर पेमेंट रजिस्टर (HSS.3.159.IEC.3)–

आशाओं एवं आशा संगिनियों द्वारा किये गये कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु वाउचर की बुकलेट दो प्रतियाँ (डुप्लीकेट कॉपी के 15 सेट अर्थात 30 पन्ने) की बुकलेट राज्य द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर तैयार की जानी है। इस हेतु अधिकतम रू0 25 प्रति बुकलेट प्रति आशा के आधार पर छपवाने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। बुकलेट का मानक निम्नवत होंगे

क्र0सं0	उपयोग	जी0एस0एम0	लम्बाई X चौड़ाई
1	वाउचर बुकलेट	57	लम्बाई 26 से.मी. X चौड़ाई 21 से.मी.

बुकलेट के प्रति वाउचर की दोनों प्रतियां 2 रंगों में छपवाई जायें। प्रथम पन्ना सफेद रंग का तथा दूसरा पन्ना गुलाबी रंग का हो सकता है।

ब्लॉक स्तर पर आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर हेतु प्रति ब्लॉक के लिये रू0 150.00 की दर से राज्य द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर मुद्रण कराया जाना है।

2.1 आशा संगिनी के रिपोर्टिंग प्रपत्र (HSS.3.159.IEC.3)– आशा संगिनी के सुपरवाईजरी/रिपोर्टिंग प्रपत्र–1 एवं 2 छपवाने हेतु धनराशि प्रति आशा संगिनी रू0 50.00 की दर से की जानी है। आशा संगिनी की सीमित संख्या को देखते हुए इन प्रपत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से जनपद में छपवाया जाना है।

3- उपकेन्द्र रजिस्टर मुद्रण (HSS.3.159.IEC.7)–

उपकेन्द्र रजिस्टर का मुद्रण रू0 150.00 प्रति रजिस्टर दर से जनपद स्तर पर निम्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जाना है। स्पष्ट करना है कि जिन उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में उच्चीकृत किया जा चुका है वहॉ पर जन आरोग्य समिति पंजिका का मुद्रण कराया जायेगा। जन आरोग्य समिति के मुद्रण हेतु पृथक से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

क्र. सं.	विवरण	साईज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. × 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	4
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ–2 स्टेप्लड	28 से.मी. × 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	146

9.3 रोगी कल्याण समिति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपद स्तरीय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय चिकित्सालयों में गठित रोगी कल्याण समितियों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवंटित असम्बद्व (Untied) धनराशि उपयोग करने के सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं।

रोगी कल्याण समिति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

वित्तीय वर्ष 2023–24 में FMR Code HSS.14 के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में रू0 5.00 लाख प्रत्येक जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाई, रू0 2.50 लाख प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर गठित रोगी कल्याण समितियों हेतु एवं रू0 87500 प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु असम्बद्व धनराशि लिमिट/आवंटित की जा रही है। शेष 50 प्रतिशत धनराशि गत वर्ष चिकित्सा इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं, कराये गये प्रसवों एवं एफ0आर0यू0 के आधार पर अन्तर वित्तीयन (Differential Financing) द्वारा अवमुक्त की जायेगी।

यह धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद स्तर से सम्बन्धित रोगी कल्याण समिति एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जो हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में उच्चीकृत किये जा चुके हैं, के जन आरोग्य समिति के खाते में सीधे आवंटित की जायेगी।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 तक 2774 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में उच्चीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में उच्चीकृत किया जा चुका है, उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आवंटित की जाने वाली असम्बद्व धनराशि को, चिकित्सा इकाई पर राज्य स्तर से खोले गये जन आरोग्य समिति के ZBSA बैंक खाता में लिमिट/आवंटित किया जायेगा। तत्पश्चात धनराशि का व्यय **जन आरोग्य समिति** के द्वारा इस सम्बन्ध में प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा। जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में उच्चीकृत नहीं किया गया है, उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, पूर्व की भाँति अन्टाईड फण्ड का उपयोग सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ZBSA बैंक खाता के माध्यम से किया जायेगा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु व्यय की जाने वाली असम्बद्व धनराशि का अंकन सम्बन्धित सामुदायिक/ब्लाक स्तरीय रोगी कल्याण समिति पंजिका में किया जायेगा।

सामान्य निर्देश–

1. उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 81/पाँच–9–14–9(56)/13 दिनांक 15.01.2014 के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं सामुदायिक/ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है।
2. जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं सामुदायिक/ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गठित रोगी कल्याण समिति के शासी निकाय, कार्यकारी समिति एवं अनुश्रवण समिति आदि तीन अंग होते हैं।
3. शासी निकाय, अनुश्रवण समिति एवं कार्यकारी समिति की बैठक क्रमशः तीन माह पर, दो माह एवं प्रत्येक माह आयोजित किया जाना अनिवार्य है।

4. समस्त वित्तीय लेखा अभिलेखों का रख–रखाव भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉडल एकाउन्टिंग हैण्डबुक के अनुसार की जाये। इस सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के पत्रांक एन.आर.एच.एम./एस.पी.एम.यू./ऑडिट/2011–12/178/1802–71 दिनांक 11 अप्रैल, 2011 एवं मिशन निदेशक के आदेश सं0 एन.आर.एच.एम./एस.पी.एम.यू. /ऑडिट/ 2011 –12/178/1052–71 दिनांक 17 मई, 2011 द्वारा दिये गये हैं, का पालन सुनिश्चित किया जाये।

5. प्रत्येक जनपद स्तरीय चिकित्सालय एवं सामुदायिक/ब्लाक स्तरीय चिकित्सालय पर रोगी कल्याण समितियों का गठन कर पंजीकृत होना एवं पृथक खाता स्टेट बैंक में होना अनिवार्य है। उक्त खाते में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त होने वाली अन्टाईड फण्ड के अतिरिक्त अन्य किसी मद से प्राप्त होने वाली धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। चिकित्सा इकाई पर उपलब्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के Zero Balance Subsidiary Account (ZBSA) बैंक खाता में अन्टाईड फण्ड की लिमिट जारी की जायेगी। जनपद स्तरीय चिकित्सालयों एवं सामुदायिक/ब्लाक स्तरीय चिकित्सालयों में गठित रोगी कल्याण समिति के ZBSA बैंक खाता में जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोंपरान्त बजट आवंटित किया जायेगा। **रोगी कल्याण समिति को प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि रोगी कल्याण समिति के अनुमोदनोपरान्त ही व्यय की जायेगी एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का व्यय ब्यौरा पंजिका में पूर्व की भाँति अंकित किया जायेगा।**

6. ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा अन्य उच्च इकाईयों में उच्चीकृत किये जा चुके हैं, उन्हें सामदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय अथवा अन्य उच्चीकृत चिकित्सा इकाई हेतु अनुमोदित असम्बद्व धनराशि आवंटित की जायेगी।

7. चिकित्सा इकाईयों में गठित रोगी कल्याण समिति का नियमानुसार ससमय नवीनीकरण कराया जाये। यदि नवीनीकरण नहीं कराया गया है तो ऐसी रोगी कल्याण समितियों को धनराशि लिमिट/आवंटित न की जाये।

8. चिकित्सा इकाईयों में गठित रोगी कल्याण समिति के नवीनीकरण की प्रक्रिया को रोगी कल्याण समिति के पंजीकरण के समाप्त होने के तीन माह पहले प्रारम्भ कर लिया जाये। जिससे ससमय नवीनीकरण पूर्ण किया जा सके।

9. यदि किसी चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति का गठन नहीं किया गया है, ऐसे चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति के गठन का प्रस्ताव प्राप्त कर, जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन कराकर, मिशन निदेशक से अनुमति प्राप्त कर, समिति का गठन किया जाये।

10. यदि किन्हीं परिस्थितियों में रोगी कल्याण समिति को राज्य अथवा जिला स्वास्थ्य समिति से किसी मद में व्यय हेतु निर्देश प्राप्त होते हैं तो रोगी कल्याण समिति को कार्यकारी समिति का नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। रोगी कल्याण समिति को जारी की जाने वाली लिमिट को सम्बन्धित चिकित्सा इकाई के ZBSA खाते के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्तर से व्यय ना की जाये।

11. वित्तीय वर्ष 2022–23 तक के समस्त रोगी कल्याण समितियों का वर्षवार ऑडिट पूर्ण कराकर ऑडिट रिपोर्ट जनपद स्तर पर रखें तथा अपने जनपद के कॉन्करेन्ट ऑडीटर से उक्त रिपोर्टों का अवलोकन कराकर ऑडिट आपत्तियॉ निस्तारित करायें। उक्त के क्रम में आर0के0एस0 आडिट के सम्बन्ध में राज्य स्तर से प्रेषित पत्र संख्या एन0आर0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/का.आडिट/2017–18 /285/875–75 दिनांक 05.05. 2017 के अनुसार ब्लाक आर0के0एस0 ऑडिट हेतु रू0 2000.00 वार्षिक एवं जिला स्तरीय आर0के0एस0 हेतु रू0 3000.00 वार्षिक की अधिकतम सीमा तक भुगतान किया जाये। रोगी कल्याण समिति के ऑडिट कार्य हेतु एन0एच0एम0 से कोई भी ऑडिट फीस देय नहीं होगी। इसका भुगतान रोगी कल्याण समिति के खाते में उपलब्ध अन्य धनराशि से किया जा सकता है।

12. कतिपय कारणों से यदि किसी मद हेतु अनुमोदित धनराशि चिकित्सालय/चिकित्सा इकाई को अभी तक आवंटित नहीं हो पायी है अथवा स्थानान्तरित नहीं हो पायी है, ऐसी स्थिति में चिकित्सालय की कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त आवश्यकतानुसार, उक्त मद में व्यय हेतु अनुमोदित धनराशि की सीमा तक, रोगी कल्याण समिति के अन्टाइड अनुदान से ऋण लिया जा सकता है, परन्तु सम्बन्धित मद में धनराशि प्राप्त होते ही, सर्वप्रथम लिए गये ऋण की धनराशि को रोगी कल्याण समिति को वापस करना होगा। यह धनराशि किसी भी दशा में रोगी कल्याण समिति को कुल आवंटित अन्टाइड अनुदान के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

13. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवंटित अन्टाईड धनराशि को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में उच्चीकृत हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गठित जन आरोग्य समिति के खातों में लिमिट जारी किया जाये तथा जन आरोग्य समिति के माध्यम से व्यय की गयी धनराशि का अंकन जन आरोग्य समिति पंजिका पर किया जाये।
14. कार्यकारी समिति की आयोजित बैठक में अन्टाइड अनुदान के अर्न्तगत आय एवं व्यय का समुचित व्यौरा प्रस्तुत किया जाये एवं आगामी माह में धनराशि व्यय हेतु लिये गये निर्णयों को कार्यवृत्त पंजिका में अवश्य अंकित किया जाये।
15. अन्टाइड धनराशि के समुचित उपयोग हेतु सर्वप्रथम यह आंकलन कर लें कि चिकित्सालय Indian Public Health Standards के अनुसार न्यूनतम सेवायें प्रदान कर पा रहा है अथवा नहीं। चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में गुणात्मक सुधार हेतु सेवाओं का चिन्हींकरण कर कार्ययोजना बनायी जाये। इस सम्बन्ध में अनुश्रवण समिति की आख्या का अध्ययन कर व्यय हेतु मदों की प्राथमिकता तय की जा सकती हैं। अनुश्रवण समिति का उत्तरदायित्व है कि इसके सदस्य स्वास्थ्य इकाई का निरीक्षण कर प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता का आंकलन कर लें जिसके अनुसार धनराशि उपयोग किये जाने हेतु मदों का सुझाव दिया जा सकता है।
16. जनपदों द्वारा अन्टाईड धनराशि की द्वितीय किष्त की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रथम किष्त के रूप में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कम से कम 75 प्रतिशत धनराशि दिनांक 30 सितम्बर, 2023 तक FAMS Portal के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

अन्टाइड अनुदान का प्रयोग निम्नलिखित मदों में किया जा सकता है–

विभिन्न निर्माण कार्यों पर कुल अनुमोदित धनराशि का 50% से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जा सकेगी। इस मद में निम्न कार्य कराये जा सकते हैं–

1. प्रत्येक प्रकार की मरम्मत कार्य एवं नवीनीकरण किया जाना जिसमें आवासीय भवन भी सम्मिलित है।
2. सैप्टिक टैंक/शौचालय का निर्माण, मरम्मत एवं साफ–सफाई।
3. चहार दीवारी/फेन्सिंग कार्य।
4. जल भंडारण टैंक (क्रय, स्थापना, निर्माण, मरम्मत, साफ–सफाई इत्यादि)।
5. जल आपूर्ति लाइनों की स्थापना, प्रतिस्थापना एवं मरम्मत कार्य।
6. रंगाई–पुताई।
7. बिजली से सम्बन्धित कार्य।
8. बायो मेडीकल वेस्ट मैनेजमेन्ट (कूड़ेदान, गढ्ढे, निस्संक्रामक) की व्यवस्था।
9. अस्पतालों तक जाने वाले रास्तों की मरम्मत एवं सुदृढ़ता।
10. अस्पताल के प्रांगण का सौन्दर्यकरण।
11. बिजली एवं जल हेतु बिल का भुगतान आदि।
12. साधारण उपकरणों यथा मरीज देखने की मेज, प्रसव टेबल, रक्तचाप नापने का उपकरण, हीमोग्लोबिन मीटर, कॉपर–टी लगाने की किट, वजन मशीने, मैकनटॉश शीट आदि की खरीद अथवा मरम्मत हेतु उपकरणों के क्रय हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए–
    अ. उपकरणों का क्रय Bulk order के माध्यम से नहीं किया जा सकता है।
    ब सामान्यतः इस प्रकार के क्रय विशेष परिस्थितियों में ही किये जा सकते हैं।
    स यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि इन उपकरणों हेतु धनराशि अलग से उपलब्ध है तो अन्टाइड अनुदान का उपयोग ना किया जाये।

13 खर्च योग्य सामग्री जैसे दवाईयाँ, पट्टियाँ, ब्लीचिंग पाउडर या अन्य कोई वस्तु जो चिकित्सालय हेतु अनिवार्य सामग्री है या वह भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों में उल्लेखित है। अन्टाईड धनराशि प्रदान करने का उद्देश्य मात्र अस्थाई रूप से कार्य में आ रही बाधाओं के निराकरण हेतु है, यह राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा उन मदों में प्रदान किये जा रही धनराशि की प्रतिपूरक व्यवस्था नहीं है।

14 रोगियों के बैठने एवं स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करना।

15 पर्यावरण स्वच्छता हेतु आवश्यक अवयवों की पूर्ति करना।

16 आकस्मिक स्थिति में संदर्भन इकाईयों तक ले जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था करना। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वर्तमान में रोगियों के परिवहन हेतु चिकित्सालय के एम्बुलेंस के अतिरिक्त 102 एवं 108 की सुविधा भी उपलब्ध है। इन सुविधाओं की अनुपलब्धता की दशा में आकस्मिकता के दृष्टिगत उपरोक्त मद में धनराशि व्यय की जा सकती है।

17 समुदाय को स्वास्थ्य से सम्बन्धित संदेशों के प्रति जागरूक करने हेतु स्वास्थ्य संदेशों का प्रचार–प्रसार किया जाना।

18 रोगियों हेतु प्रतीक्षा कक्ष एवं शिकायत निवारण प्रकोष्ठ हेतु किया जाने वाला व्यय।

19 चिकित्सालय में कक्ष दिशा सूचकों हेतु किया जाने वाला व्यय।

20 चिकित्सालय को Baby Friendly, Disabled friendly, Elderly friendly आदि बनाये जाने हेतु किया जाने वाला व्यय।

21 चिकित्सालय भवनों में लघु परिवर्तन एवं मरम्मत कार्य जैसे–गोपनियता हेतु परदे की व्यवस्था, नल की मरम्मत एवं बल्ब की व्यवस्था इसके अतिरिक्त लघु मरम्मत के कार्य जैसे–फर्नीचर एवं उपकरणों की मरम्मत जो कि स्थानीय स्तर पर किया जा सकता हो।

22 महामारी के समय नमूनों को पहुँचाने के लिए उपरोक्त दिये गये सम्भावित मदों के अतिरिक्त रोगी कल्याण समिति अपनी आवश्यकतानुसार कार्ययोजना बनाकर नियमानुसार व्यय किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपकेन्द्रों तथा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों एवं जन आरोग्य समितियों हेतु वर्ष 2023–24 के लिये अन्टाइड धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

प्रदेश में समस्त उपकेन्द्रों एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों तथा जन आरोग्य समितियों हेतु अन्टाइड धनराशि का प्राविधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2023–24 में FMR Code-HSS.14.198.DT.4 (उपकेन्द्र अनटाइड), HSS.14.198.DT.5 (ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति अनटाइड), HSS.14.198.DT.6 (उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्रों पर गठित जन आरोग्य समितियों हेतु अनटाइड) एवं HSS.14.198.DT.7 (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्रों पर गठित जन आरोग्य समितियों हेतु अनटाइड) धनराशि डैप के माध्यम जनपदों को अवमुक्त/आवंटित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपकेन्द्रों एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों हेतु अनुमन्य असम्बद्ध धनराशि का उपयोग विगत वर्ष में प्रेषित कार्यालय के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./वी.एच.एस.एन.सी./2022–23/10/5349–75 दिनांक–28.10.2022 में उल्लेखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023–24 में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर्स पर गठित जन आरोग्य समितियों हेतु अनुमन्य अन्टाइड धनराशि का उपयोग विगत वर्ष में प्रेषित कार्यालय के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./सी.पी./जे.ए.एस./2021–22/113/4831–75 दिनांक–03.10.2022 में उल्लेखित दिशा– निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त धनराशि का उपयोग दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुए कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

9.4 कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग में कार्यरत मानव संसाधन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यालय के पत्रांक संख्या एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आर.ए.सी./2017–18/60/4941 दिनांक 10.10.2020, एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./बी.सी.पी.एम./2021–22/64/5059–75 दिनांक 14.10.2022, एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एच.डब्ल्यू.सी./2022–23/88/5365–75 दिनांक 29.10.2022, एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एच.डब्ल्यू.सी./2022–23/88/5182–75 दिनांक 18.10.2022 एवं एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./सी.एच.डब्ल्यू.सी. एच.'आर./2019–20/108/TC-1/6673 दिनांक 12.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से क्रमशः रीजनल कोऑर्डिनेटर (आशा) (FMR Code-HSS.9.184.C.P124), ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर (FMR Code-HSS.9.184.C.P347), कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (FMR Code-HSS.9.186.C.S051), हेल्थ एंड वेलनेस असिस्टेंट (जनपद श्रावस्ती) (FMR Code-HSS.9.184.C.S0098), स्टाफ नर्स (एमएच–सी0पी0) (FMR Code-HSS.9.184.C.S0021), एवं लैब टेक्नीशियन (FMR Code-HSS.9.184.C.S0054) हेतु कार्य एवं उत्तरदायित्व, अधिकारियों/कर्मचारियों के मानदेय, अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु टी0ए0, डी0ए0, कम्युनिकेशन कॉस्ट आदि प्रावधानित किये गए थे।

उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रेषित दिशा निर्देश पूर्ववत रहेंगे। अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार वार्षिक मानदेय वृद्धि, लॉयल्टी बोनस एवं ई0पी0एफ0 के लिए 09 माह हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित किया जा रहा है। किसी भी दशा में मानदेय का आहरण दिशा–निर्देशों के आलोक में किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता गंभीर वित्तीय अनियमितता होगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की होगी।

9.5 टेलीमेडिसिन/टेली कन्सलटेशन (ई–संजीवनी) (FMR Code: HSS.12.196.OOC.1)

प्रदेश के समस्त जनपदों में जनसमुदाय को गुणवत्तापरक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से समस्त उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है। हेल्थ एण्ड वेलनस सेन्टर के क्रियाशील होने के विभिन्न मानकों में से टेलीमेडिसिन द्वारा जनसमुदाय को चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण मानक है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित कन्डीशनैलिटीज़ के अनुसार समस्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों में टेलीमेडिसिन/टेली कन्सल्टेशन की सुविधायें प्रदान की जानी हैं। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला चिकित्सालयों में स्थापित टेली मेडिसिन हब की सहायता से टेली कन्सलटेशन सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

माह फरवरी, 2023 से eSanjeevani2.0 वर्जन का प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश में दो प्रकार की टेलीमेडिसिन/टेली कन्सल्टेशन सुविधायें जनसमुदाय प्रदान की जा रही हैं। प्रथम– यह सेवायें जनसमुदाय को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। द्वितीय–इसके अर्न्तगत रोगी सीधे चिकित्सक से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकता है। रोगी/लाभार्थी चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करने हेतु गूगल प्लेस्टोर से ई–संजीवनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर सकता है। उक्त सेवा राज्य द्वारा संचालित टेलीमेडिसिन हब, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं पूर्व सैन्य चिकित्सकों इत्यादि के द्वारा सामान्य एवं विशेष ज्ञ सेवायें भी प्रदान की जा रही है। संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु वित्तीय दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं–

विशेषज्ञ सेवाएं– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा वित्त पोषित प्रदेश के चिन्हित 15 मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ सेवाओं हेतु प्रत्येक हब पर प्रतिदिन (अधिकतम 24 दिन) एक विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा टेलीमेडिसिन सेवायें रोस्टर के आधार पर प्रदान की जायेंगीं। विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को रू0 3000 प्रतिदिन दैनिक आधार पर न्यूनतम 20 टेलीकन्सल्टेशन प्रतिदिन करने पर देय होंगे इस प्रकार प्रत्येक चिन्हित मेडिकल कॉलेज द्वारा अधिकतम रू0 72,000 प्रतिमाह विशेषज्ञ सेवाओं हेतु उपयोग किया जा सकेगा। प्रारम्भ में Cardiology, Gynecology & Pediatrics के विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर्स की आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

इन्टरनेट कॅनेक्टिविटी एवं आवर्ती व्यय (Recurring Cost)– प्रत्येक टेलीमेडिसिन हब हेतु इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु प्रति हब रू0 1000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित की गयी है।

प्रत्येक टेलीमेडिसिन हब के लिये आवर्ती व्यय हेतु प्रति हब रू0 1000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये आवश्यक धनराशि आवंटित की गयी है।

टेलीकन्सल्टेशन सेवाओं हेतु नियोजित संविदा चिकित्सकों हेतु मानदेय एवं अन्य बिन्दु– वित्तीय वर्ष 2023–24 में टेलीकन्सल्टेशन सेवाओं हेतु संविदा पर नियोजित चिकित्सकों के लिये रू0 60000 प्रारम्भिक मानदेय प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है। कार्यरत संविदा चिकित्सकों हेतु 12 माह के लिये मानदेय का आवंटन जिला स्वास्थ्य समिति को डैप के माध्यम से किया गया है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में संविदाकर्मियों के मानदेय में गत वर्ष के सापेक्ष 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह उन्हीं संविदाकर्मियों को देय होगा जिन्होंने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में संविदा कर्मियों की संतोषजनक परफॉरमेंस के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति अधिकृत हैं। टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के अन्तर्गत नियोजित चिकित्सकों पर उपरोक्त के अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य समिति तथा राज्य स्तर से निर्गत मानव संसाधन सम्बन्धी दिशा–निर्देश प्रभावी होंगे।

10. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु संचालित विभिन्न गतिविधियों के संचालनार्थ भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि रू0 48,572.13 लाख के सापेक्ष रू0 27,026.44 लाख का आवंटन जनपदों मे एन.यू.एच.एम. के अन्तर्गत संचालित गतिविधियो हेतु किया गया है। आवंटित धनराशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाना हैः–

FMR Code HSS(U).1.127 – Development and Operationalisation of Health and Wellness Centers_ Urban - भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत HSS(U).1.127 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 2,095.91 लाख जनपदों को डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है–

1. **HSS(U).1.127.ASHA.1 (Asha Incentive for Additional range of Services)--** इस मद में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत कार्यरत अरबन आशाओं हेतु रु0 1000/– प्रति माह प्रति आशा की दर से कुल 10,625 अरबन आशाओं हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
   इस धनराशि का पत्र संख्या– SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/6464 दिनांक 10.01.2022 के द्वारा नगरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के टीम बेस्ड इंसेंटिव हेतु प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना है।
2. **HSS(U).1.127.ASHA.2 (Incentive to Asha for CBAC)-** इस मद में NCD screening के लिये हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु 10625 अरबन आशाओं हेतु C-BAC form हेतु रू0 10/– प्रति C-BAC form for 740 Forms per Urban ASHA की दर से प्रोत्साहन राशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग पत्र संख्या– SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/5072 दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
3. **HSS(U).1.127.OOC.2 (IT Support)-** 710 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर इन्टरनेट कनेक्टवीटी हेतु 01 वर्ष हेतु रु0 10000/– प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।
4. **HSS(U).1.127.OOC.3 (Mobile Recharge)-** इस मद में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत कार्यरत अरबन आशाओं हेतु रु0 200/– प्रति माह प्रति आशा की दर से कुल 10625 अरबन आशाओं हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग पत्र संख्या– SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/5072 दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।
5. **HSS(U).1.127.CB.1.A (Training of MO under CPHC)-** इस मद में 100 नवीन स्वीकृत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर तैनात चिकित्साधिकारियो के NCD Module प्रशिक्षण हेतु जनपद लखनऊ को रु0 117660/– प्रति बैच की दर से 02 बैच हेतु रु0 2,35,320.00 तथा जनपद मेरठ को 01 बैच हेतु रु0 117660/– की धनराशि आवंटित की गयी है। इसका व्यय कार्यालय पत्रांक SPMU/NUHM/HWC/2020-21/76/1577 दिनांक 9–07–2020 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है।
6. **HSS(U).1.127.CB.1.B (Training of Staff Nurse under CPHC)--** इस मद में 100 नवीन स्वीकृत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर तैनात स्टाफ नर्स के NCD Module प्रशिक्षण हेतु रु0 94,005/– प्रति बैच की दर से 07 बैच हेतु रु0 6,58,035.00 की धनराशि आवंटित की गयी है। इसका व्यय कार्यालय पत्रांक SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/3474 दिनांक 17.07.2019 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है।
7. **HSS(U).1.127.CB.2 (Asha Training under UPHC)--** इस मद में NCD Module प्रशिक्षण हेतु शेष आशाओ के रु0 75400/– प्रति बैच की दर से 65 बैच हेतु कुल धनराशि रू0 49.01 लाख आवंटित की गयी है। इसका व्यय कार्यालय पत्रांक SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/3474 दिनांक 17.07.2019 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है। जिन जनपदों में बैच पूर्ण न होने के कारण धनराशि का आवंटन नहीं है वहा शहरी आशा का प्रशिक्षण ग्रामीण आशाओ के साथ किया जायेगा।
8. **HSS(U).1.127.CB.3 (MPW Training under CPHC)--** इस मद में 100 नवीन स्वीकृत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर तैनात ए0एन0एम0 के NCD Module प्रशिक्षण हेतु रु0 88,005/– प्रति बैच की दर से 20 बैच हेतु कुल धनराशि रू0 17.60 लाख आवंटित की गयी है। इसका व्यय कार्यालय पत्रांक SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/3474 दिनांक 17.07.2019 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है।

9. **HSS(U).1.127.IEC.1 (IEC & Wellness Activities)--** 610 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (509 पूर्व से संचालित एवं 101 नवीन स्वीकृत) के रुप में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आई0ई0सी0 एवं वेलनेस गतिविधि हेतु रू0 50,000.00 प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे है।

FMR Code HSS(U).2.130 – ASHA- Including ASHA Certification and ASHA benefit - भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत FMR **HSS(U).2.130** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 2790.65 लाख जनपदों को डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. **HSS(U).2.130.ASHA.1 (Routine and Recurrring Incentive to ASHA)--** इस मद में आशा प्रतिपूर्ति राशि हेतु रू0 2000/– प्रतिमाह प्रति आशा की दर से कुल 12489 अरबन आशाओं हेतु आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश शहरी आशा दिशा–निर्देश के अर्न्तगत पृथक से प्रेषित किये जा रहे है।
2. **HSS(U).2.130.ASHA.2 (Health Promotion Day incentive to ASHA)--** इस मद में रु0 200/– प्रतिमाह प्रति आशा की दर से 12489 आशाओं हेतु आवंटित की गयी है। उक्त धनरशि का व्यय महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या – प0क0–13/सं0नि0न0/श0आ0–दिशा–निर्देश /52/2020–21/931–75 दिनांक 26/06/2020 के अनुसार किया जाना है।
3. **HSS(U).2.130.ASHA.3 (PMMVY Incentive to ASHAs)--** इस मद में रु0 100/– प्रति लाभार्थी की दर से 187335 लाभार्थी 12489 आशाओं हेतु 12 माह के लिए स्वीकृत है। इस धनराशि का उपयोग सिफ्सा द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना है।
4. **HSS(U).2.130.CB.2 (Induction Training for ASHAs)--** इस मद रु0 मे 137600/– प्रति बैच की दर से एवं रु0 100/– प्रति माड्यूल प्रति आशा की दर से नवीन शहरी आशाओं के 05 बैच के 08 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु जनपद सहारनपुर को रू0 703000.00 की धनराशि आवंटित की गयी है। इस सम्बन्ध में महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या– प0क0/08–प्रशि0/अर0आशा0/2016–17/842 दिनांक 20.05.2016 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
5. **HSS(U).2.130.OOC (Award for ASHA for every cluster of 150 ASHA)-** अरबन आशाओं द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों हेतु ASHA Award के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि के व्यय हेतु दिशा निर्देश शहरी आशा दिशा–निर्देश के अन्तर्गत पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।
6. **HSS(U).2.130.IEC.1 (ASHA Uniform)-** इस मद में 12489 अरबन आशाओं के यूनिफार्म हेतु रु0 1000/– 2 सेट यूनिफार्म प्रति आशा हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
7. **HSS(U).2.130.IEC.2 (UHIR and Voucher)-** इस मद में प्रिंटिग हेतु रू0 325/– प्रति Urban ASHA की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें Urban ASHA register (Rs. 300/- प्रति रजिस्टर) & Urban ASHA Voucher (Rs. 25/- प्रति वाउचर) हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय इस कार्यालय के पत्र संख्या – SPMU/NUHM/IEC/2020-21/24/6709 दिनांक 29.01. 2021 के द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाना है।

FMR Code HSS(U).2.131- MAS (MAS Orientation, State Level ToT and MAS Register Printing)- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत FMR **HSS(U).2.131** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 21.25 लाख आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. **HSS(U).2.131.IEC.1 (Printing of MAS Register)--** इस मद में MAS Register हेतु रु0 200/– प्रति रजिस्टर प्रति महिला आरोग्य समिति की दर से 10625 महिला आरोग्य समिति हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रचलित VHSNC रजिस्टर की भांति महिला आरोग्य समिति के रजिस्टर का मुद्रण निम्न स्पेशिफिकेशन के अनुसार किया जाना है–

क्र0स0	विवरण	साईज	जी0एस0एम0	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. X 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगो मे	4 पृश्ठ
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ –2 स्टेप्ल्ड	28 से.मी. X 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग मे	196

*रजिस्टर का प्रोटोटाईप व ready to print file पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

FMR Code HSS(U).2.134- Outreach activity (ANM Mobility, UHND, Outreach camp) - भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत FMR **HSS(U).2.134** के अन्तर्गत स्वीकृत

धनराशि के सापेक्ष रू0 627.02 लाख जनपदों को डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. **HSS(U).2.134.OOC.1 (Mobility Support to ANMs)-** इस मद में Mobility Support for ANM हेतु रू0 500/– प्रतिमाह प्रति ANM की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। उपरोक्त धनराशि का उपयोग ए0एन0एम0 द्वारा शहरी मलिन बस्तियों में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित करने एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु मोबिलिटी में व्यय किया जायेगा। ए0एन0एम0 द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर यह धनराशि ए0एन0एम0 के खाते में स्थानांतरित की जायेगी।
2. **HSS(U).2.134.OOC.2 (UHND)--** प्रत्येक ए.एन.एम. द्वारा अपने आवंटित क्षेत्र में 04 यू.एच.एन.डी. प्रति माह आयोजित किये जायेगें जिसके अनुसार 3619 ए.एन.एम. हेतु रू0 250/– प्रति UHND की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

   यू.एच.एन.डी. के आयोजन हेतु दिशा–निर्देश पत्र संख्या – SPMU /NUHM /Guideline /2020-21 /47/ 2685-75 दिनांक 16.08.2021 तथा पत्र संख्या – SPMU/NUHM/OR & UHND /2021-22 /53/ 6467-75 दिनांक 10.01.2022 के माध्यम से निर्गत किये गये हैं।
3. **HSS(U).2.134.OOC.3 (Special Outreach Camps)—** वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओपी0 में प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र में **प्रत्येक त्रैमास** 01 विशेष आउट रीच कैम्प (Special Outreach Camp) आयोजित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्रति त्रैमास आयोजित किये जाने वाले कैम्प हेतु अनुमोदित धनराशि निम्नानुसार व्यय की जायेगी–

क्रं0सं0	गतिविधि	धनराशि प्रति कैम्प (रु0)
1	चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक का दैनिक भत्ता (एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 को रू 1500/– तथा विशेषज्ञ हेतु रू0 3000/–)	3,000/–
2	पैरा मेडिकल स्टाफ कुल 03 हेतु प्रत्येक को रू0 500/– की दर से (आवश्यकतानुसार स्टाफ नर्स, एल0टी0, फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक, डेन्टल हाइजिनिस्ट आदि को रखा जा सकता है)	1,500/–
3	परिवहन व्यवस्था	1,000/–
4	प्रचार–प्रसार (लाउडस्पीकर, बैनर, इत्यादि) एवं बैठने की व्यवस्था	1,000/–
	कुल योग	**6,500/–**

स्पेशल आउटरीच कैम्प की आवृत्ति (मासिक के स्थान पर त्रैमासिक) के अतिरक्त पत्रांक SPMU/ NUHM /Guideline/2020-21/47/2686-75 दिनांक 16.08.2021 के माध्यम से स्पेशल आउटरीच कैम्प हेतु प्रेषित अन्य दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे।

FMR Code HSS (U).3.137- Urban PHC (Rent , Construction, Computer, Printer, Equipment and Furniture) - भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत FMR **HSS(U).3.137** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 1437.75 लाख जनपदों को डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. **HSS(U).3.137.OCC.1 (Rent of UPHCs)-** इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के किराये हेतु रु0 25000/– प्रति माह प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से पूर्व में स्वीकृत 639 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आवंटित की गयी है। प्रत्येक किराये के भवन हेतु अधिकतम सीमा रू0 25000/– प्रति माह प्रति भवन की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। किराये का निर्धारण डी0एम0 सक्रिल रेट या रू0 25000/– जो कम हो देय होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि जनपद के किसी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का किराया एरिया क्षेत्रफल एवं डी0एम0 सक्रिल रेट के अनुसार रू0 25000/– से अधिक हो तो जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त भवन को किराये पर लेते हुए जनपद को किराये मद में कुल आवंटित धनराशि में से प्रतिमाह बचत धनराशि से नियमानुसार भुगतान किया जा सकता है।

FMR Code HSS (U).5.142 Remuneration of all NHM HR - भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत **HSS (U).5.142** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 15,879.02 लाख आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. **HSS(U).5.142.C.S001 (ANM/LHV for UPHC)-** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 2646 ANM के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से ए.एन.एम. द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (ई0पी0एफ0, लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
2. **HSS(U).5.142.C.S006 (Staff Nurses for UPHC)-** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 844 Staff Nurse के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Staff Nurse द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
3. **HSS(U).5.142.C.S011 (Staff Nurse for UCHC)-** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 16 Staff Nurse के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Staff Nurse द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
4. **HSS(U).5.142.C.S016 (Lab Technician at UPHC)-** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 449 Lab Technician के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Lab Technician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
5. **HSS(U).5.142.C.S021 (Lab Technician at UCHC)-** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 01 Lab Technician के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Lab Technician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
6. **HSS(U).5.142.C.S026 (Pharmacist at UPHC)-** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 497 Pharmacist के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Pharmacist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
7. **HSS(U).5.142.C.S045 (Data Assistant at UCHC)-** जनपद लखनऊ में Other NUHM (08 Data Assistant, lko) में स्वीकृत 08 Data Assistant के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Data Assistant द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
8. **HSS(U).5.142.C.S046 (Nurse Mentor at UCHC)-** इस मद में जनपद वाराणसी में स्वीकृत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 01 Nurse Mentor के मानदेय हेतु आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Nurse Mentor द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
9. **HSS(U).5.142.C.S051 (Gynaecologist)-** इस मद नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 11 Gynae के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Gynae द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
10. **HSS(U).5.142.C.S057 (Paediatrician)-** इस मद नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 13 Paedia के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Paedia द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
11. **HSS(U).5.142.C.S062 (Anaesthetist)-** इस मद नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 12 Anaesthetist के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Anaesthetist

द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

12. **HSS(U).5.142.C.S068 (Surgeon)-** इस मद जनपद वाराणसी में पूर्व से स्वीकृत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 02 Surgeon के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Surgeon द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
13. **HSS(U).5.142.C.S074 (Radiologist)-** इस मद जनपद लखनऊ में स्वीकृत 08 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 08 Radiologist के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Radiologist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
14. **HSS(U).5.142.C.S080 (Other Specialist/Physician)-** इस मद नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 08 Physician के मानदेय हेतु अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Physician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
15. **HSS(U).5.142.C.S068 (Other Specialist/Surgeon)-** इस मद जनपद वाराणसी हेतु स्वीकृत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 02 Surgeon के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Surgeon द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
16. **HSS(U).5.142.C.S090 (Full Time MO at UPHC)-** इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु पूर्व में स्वीकृत कुल 566 Full time MBBS MO के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आंटित धनराशि में से Full time MBBS MO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
17. **HSS(U).5.142.C.S095 (Part Time MO at UPHC)-** इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 64 Part time MBBS MO के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Part time MBBS MO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

नोट– जनपद में पार्ट टाइम चिकित्सक के पद रिक्त होने पर राज्य स्तर से स्वीकृति उपरान्त ही उनकी भर्ती की जाये।

18. **HSS(U).5.142.C.S100 (Full Time MO at UCHC (EMO))-** इस मद में नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 04 EMO के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से EMO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
19. **HSS(U).5.142.C.S106 (Other Support staff)-** इस मद में नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 1572 Support Staff के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Support Staff को निम्नानुसार मानदेय (मान्य लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाएः–

For In -position staff (Joined or before 2020-2021)

Support Staff		
Particular	**Employee Hired by DHS**	**Employee Hired by Agency**
Salary	11479	10481
PF(Emp.) 12%	1377	1258
ESI(Emp.) 1.75%		183
Net Payable to Employee	**10102**	**9040**
GST 18%		2388
Service charge (upto10%)		1048
EPF (13.36%) by Employer	1534	1400
ESI (3.25%) by Employer		341
	13013	**15658**

For In -position staff (Joined or before 2022-2023)

Support Staff	
Particular	**Employee Hired by Agency**
Salary	10230
PF(Emp.) 12%	1228
ESI(Emp.) 1.75%	179
Net Payable to Employee	**8824**
GST 18%	2331
Service charge (upto 10%)	1023
EPF (13.36%) by Employer	1367
ESI (3.25%) by Employer	332
	15284

For vacant – All vacant position will be full filled by DHS througha empanelled outsource agency

Support Staff - NUHM FY 2023-24	
Particular	**Employee Hired by Agency**
Salary	9743
PF(Emp.) 12%	1169
ESI(Emp.) 1.75%	171
Net Payable to Employee	**8403**
GST 18%	2220
Service charge (upto10%)	974
EPF (13.36%) by Employer	1302
ESI (3.25%) by Employer	317
	14556

नोट–

- उपरोक्त सपोर्ट स्टॉफ का वेतन निर्धारण Minimum Wages Act, 1948 के अन्तर्गत समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- उपरोक्त मानदेय की धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
- नवीन स्वीकृत सपोर्ट स्टॉफ की भर्ती किये जाने से पूर्व राज्य स्तर पर अवगत कराया जाए एवं राज्य स्तर से दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त की भर्ती की जाए।

20. **HSS(U).5.142.C.S112 (DEO cum Accountant)-** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 30 DEO cum Accountant के मानदेय हेतु आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से DEO cum Accountant द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
21. **HSS(U).5.142.C.P009 (Divisional Urban Health Consultants)-** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 17 Div Urban Health Consultant के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Div UHC द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
22. **HSS(U).5.142.C.P014 (District Urban Health Cordinator)-** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 60 Urban Health Coordinator के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Urban Health Coordinator द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
23. **HSS(U).5.142.C.P015 (Data cum Account Assistant)-** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 58 Data cum account assistant के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Data cum account assistant द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लॉयल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।
24. **HSS(U).5.142.C.P016/P017/P018 (Sr. Computer Operator/Store Keeper/Support Staff)-** इस मद में 01 Computer Operator, 01 Store Keeper and 03 Support Staff (Lucknow Urban RCH Office) के 09 माह के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से

Computer Opretor, Store Keeper and Support Staff द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (मान्य लॉयल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाएः–

For In -position staff

Support Staff - NUHM FY 2023-24		
Particular	**Employee Hired by DHS**	**Employee Hired by Agency**
Salary	11479	10481
PF(Emp.) 12%	1377	1258
ESI(Emp.) 1.75%		183
Net Payable to Employee	**10102**	**9040**
GST 18%		2388
Service charge (upto10%)		1048
EPF (13.36%) by Employer	1534	1400
ESI (3.25%) by Employer		341
	13013	**15658**

For vacant – All vacant position will be full filled by DHS througha empanelled outsource agency

Support Staff - NUHM FY 2023-24	
Particular	**Employee Hired by Agency**
Salary	9743
PF(Emp.) 12%	1169
ESI(Emp.) 1.75%	171
Net Payable to Employee	**8403**
GST 18%	2220
Service charge (upto 10%)	974
EPF (13.36%) by Employer	1302
ESI (3.25%) by Employer	317
	14556

नोट–

- उपरोक्त सपोर्ट स्टॉफ का वेतन निर्धारण Minimum Wages Act, 1948 के अन्तर्गत समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- उपरोक्त मानदेय की धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

25. **HSS(U).5.142.C.P028 (City Community Process Manager)--** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 23 CCPM के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से CCPM द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (ई0पी0एफ0, लॉयल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाए।

*__EPF (Employer"s Contribution @ 13.36 % for salaries < 15000/- p.m.) -__ EPF हेतु धनराशि पदवार मानदेय में सम्मिलित करते हुये रू0 15000/– प्रतिमाह या 15000/– प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों हेतु EPF (Employer"s Contribution @ 13.36%) की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। EPF के सम्बन्ध में राज्य स्तर से दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये। जिन कर्मियों की वर्तमान पद पर नियुक्ति के समय मानदेय रु0 15000/–प्रतिमाह या 15000/–प्रतिमाह से कम था, परन्तु वर्तमान में उनका मानदेय रु0 15000/– प्रतिमाह से अधिक हो गया है तो उन कर्मियों के EPF की गणना रु0 15000/– प्रतिमाह की दर से की जायेगी।

*__ESI -__ भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत पात्र कर्मियों हेतु कर्मचारी बीमा योजना के प्राविधान को लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा रु0 21000/– प्रतिमाह तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों हेतु ई0एस0आई0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2023–24 में प्रदान की गयी है। ई0एस0आई0 हेतु समय समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा–निर्देश लागू किया जायेगा।

FMR Code HSS (U).5.144- Incentive under CPHC (Team based Incentive for HWC, PBI for MO) **-** भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत **HSS (U).5.144** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 1977.30 लाख जनपदों को डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. **HSS(U).5.144.1 (Team Based Incentives for 710 UPHCs-HWC)-** इस मद में 710 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु 1.80 लाख प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर प्रति वर्ष की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश पत्र संख्या SPMU/NUHM/ Guidelines/2021-22/47/6464 दिनांक 10.01.2022 के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके है।

2. **HSS(U).5.144.2 (Performance Based Incentive to MOs)—** इस मद मे 566 contractual full time MO के Performance Based Incentive हेतु रू0 20000/— प्रतिमाह प्रति contractual full time MO की दर से आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा—निर्देश पत्र संख्या SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/7052 दिनांक 03.02.2022 के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके है।

FMR Code HSS (U).6.146- Planning and Program Management (Mobility Support and Office expenses ,TA/ DA for SPMU/Div PMU/DPMU/CCPM**)-** भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022—23 के अन्तर्गत **HSS (U).6.146** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 349.20 लाख जनपदों को डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः—

1. **HSS(U).6.146.PME.1 (Mobility Support for SPMU/Div PMU)--** इस मद में Mobility Support हेतु रू0 33000/— प्रतिमाह की दर से प्रति Div. PMU हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
2. **HSS(U).6.146.PME.2 (Mobility Support for DPMU)--** इस मद में Mobility Support DPMU हेतु रू0 33000/— प्रतिमाह प्रति DPMU who are having > 10 UPHCs (25 DPMU), रू0 15000/— प्रतिमाह प्रति DPMU who are having > 3 UPHCs (33 DPMU) एवं अन्य 17 DPMU को रू0 10000/— प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।
3. **HSS(U).6.146.PME.3.A (Mobility Support for CCPM) –** रु0 3000/— प्रतिमाह की दर से प्रति सी.सी.पी.एम. को धनराशि आवंटित की गयी है। सी.सी.पी.एम. को पूर्व की भांति अधिकतम 3000/— प्रतिमाह की सीमा मे मोबिलिटी सपोर्ट प्रदान किया जायेगा।

***नोट — इस धनराशि का उपयोग इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/DPMU/2019-20/57/1958 दिनांक 31.05.2019 के अनुसार किया जायेगा।**

4. **HSS(U).6.146.PME.4 (Administrative Expenses for SPMU/Div PMU)--** इस मद में Administrative Expenses हेतु रू0 15000/— प्रतिमाह की दर से प्रति Div. PMU को धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग मण्डल मुख्यालय के अतिरिक्त की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु, डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।
5. **HSS(U).6.146.PME.5 (Administrative Expenses for DPMU)--** इस मद में Administrative Expenses हेतु रू0 20000/— प्रतिमाह प्रति DPMU who are having > 10 UPHCs (25 जनपद) एवं शेष जनपदों को रु0 15000/— प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु, डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।
6. **HSS(U).6.146.PME.6 (Administrative Expenses for CPMU)--** इस मद में Administrative Expences हेतु रू0 3000/— प्रति माह प्रति CCPM- की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग CCPM & Accountant cum DEO दोनों के द्वारा किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।

नोट— मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट/सी.सी.पी.एम./एकाउन्टेंट कम डीइओ के TA/DA हेतु धनराशि का उपयोग इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/DPMU/2019-20/57/1644 दिनांक 22.05.2019 के अनुसार किया जायेगा।

FMR Code HSS (U).9.149- Untied Grants (Untied grants to UPHC/UCHC and MAS)- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022—23 के अन्तर्गत **HSS(U).9.149** के अन्तर्गत UPHC, UCHC व MAS के अनटाईड फंड हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 1848.34 लाख जनपदों को आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः—

1. **HSS(U).9.149.UG.1 (Untied Fund to UPHC)--** इस मद में 710 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगी कल्याण समिति हेतु रु0 2.50 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से वित्तीय वर्ष 2023—24 में धनराशि आवंटित की गयी है।

भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम मे नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो हेतु आपरेशनल व्यय (बिजली, टेलिफोन बिल, स्टेशनरी, ओ.पी.डी. स्लिप, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, विभिन्न रजिस्टर, इत्यादि) हेतु व्यय की जानी वाली धनराशि को सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की रोगी कल्याण समिति हेतु आवटित Untide Fund में सम्मिलित कर दिया गया है। अतः नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आपरेशनल व्यय हेतु समस्त व्यय, पूर्व स्वीकृत रू0 8000/– प्रतिमाह की सीमा के अन्तर्गत, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्टाइड फन्ड से रोगी कल्याण समिति के व्यय हेतु निहित प्राविधानो के अनुसार ही किया जायेगा।

2. **HSS(U).9.149.UG.2 (Untied Fund to UCHC)--** इस मद में जनपद लखनऊ के 8, वाराणसी के 05 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगी कल्याण समिति हेतु रु0 5.00 लाख प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

   उपरोक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र संख्या – प0क0–13/सं0नि0नग0/रो0क0स0/116/2017–18/3875–75 दिनांक 10.08.2017 के अनुसार किया जाना है।

   नोट– जनपद द्वारा नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में 01 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध धनराशि को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से घटाते हुये शेष धनराशि सम्बन्धित रोगी कल्याण समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाना है तथा प्रत्येक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाये।

3. **HSS(U).9.149.UG.3 (Untied Fund to MAS)--** वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में Untied funds for 12489 MAS हेतु रू0 5000/– प्रति MAS की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। उपरोक्त धनराशि का व्यय पत्रांक SPMU/NUHM/Guideline/2020-21/47/2683-75 दिनांक 16–08–2021 अनुसार किया जाना है।

   नोट– जनपद द्वारा महिला आरोग्य समिति के खाते में 01 अप्रैल, 2021 को उपलब्ध धनराशि को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से घटाते हुये शेष धनराशि सम्बंधित महिला आरोग्य समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाना है तथा प्रत्येक महिला आरोग्य समिति द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

<u>उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाये–</u>

1. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाये। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाये। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाये, जिससे कि ऑडिट या अन्य जॉच के समय प्रेषित किया जा सके।
2. ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
3. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
4. मानदेय का निर्धारण नियुक्ति के समय निर्धारित मानदेय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस के आधार पर सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण के उपरान्त नियमानुसार देय हैं। उपरोक्त निर्धारित मानदेय में किसी भी प्रकार का पुर्नरीक्षण राज्य स्तर की अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य/मान्य होगा।

उपयफ्रक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे

11. आई.ई.सी.

आई.ई.सी.

भारत सरकार से अनुमोदित आर0ओ0पी0 2023–24 में FMR Code HSS.13 : Innovation अंतर्गत क्रमांक 197 State Specific Program Innovations and Interventions मद में IEC & Printing हेतु जनपद स्तरीय आवश्यक गतिविधियों हेतु रू0 1412.50 लाख का आवंटन DHAP 2023-24 में किया गया है। गतिविधि आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत हैं–

1- **Targeting Naturally Occurring Gathering of People-** जनपद स्तर पर समय–समय पर आयोजित होने वाले मेला/महोत्सव/प्रदर्शनी आदि में स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु मद संख्या HSS.13.197.IEC.12 पर जनपद प्रयागराज, वाराणसी, आगरा एवं लखनऊ में आयोजित होने वाले मेलों/महोत्सव के लिए प्रति जनपद 5 लाख व अन्य 71 जनपदों के लिए प्रति जनपद 1 लाख की दर से के कुल धनराशि रू0 91.00 लाख का आवंटन किया गया है। आवंटित धनराशि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर उ0प्र0 पर्यटन विभाग के सौजन्य से आयोजित होने वाले पारम्परिक मेला/महोत्सव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। यदि जनपद में उ0प्र0 पर्यटन द्वारा कोई मेला आयोजित नहीं कराया जाता है तो उक्त अवस्था में जनपद में आयोजित होने वाले अन्य पारम्परिक मेला/महोत्सव में आमजन के मध्य स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता/कार्यक्रमों की जानकारी हेतु उक्त का व्यय किया जाये।

2- **Block Health Mela-** जनपदों पर ब्लॉक स्तरीय आयोजित कराये जाने वाले स्वास्थ्य शिविर/मेला हेतु मद संख्या HSS.13.197.IEC.13 पर 821 ब्लॉक को प्रति ब्लॉक रू0 1.50 लाख की दर से कुल रू0 1231.50 लाख का आवंटन किया गया है। गतिविधि संपादन हेतु पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आई.ई.सी./मेला–महो0/2020–21/02/1675 दिनांक 14.07.2020 एवं एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आई.ई.सी./आई.ई.सी.–गाइडलान्स/ 2022–23/154 /254 दिनांक 14.04.2022 का पालन करते हुए कार्यवाही की जायेगी। आवंटित धनराशि के सापेक्ष ब्लाक स्तरीय मेला आयोजित किये जाने हेतु प्रावधान निम्नवत है–

- मेला/महोत्सव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, की स्टॉल पर RMNCH+A काउन्सलर की ड्यूटी लगाई जाये जिसके द्वारा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत लक्षित कार्यक्रमों की जानकारी दी जाये तथा स्टॉल पर समुदाय को वितरित किये जाने के लिये पर्याप्त मात्रा में लीफलेट्स/हैण्ड आउट्स भी उपलब्ध कराया जाये।
- मेला/महोत्सव में स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संबधित विभागों द्वारा विषयगत अस्थायी स्टॉल लगाया जायेगा।
- स्टॉल की साज सज्जा तोरणद्वार, गुब्बारे, फूल, रंगोली आदि के द्वारा की जाए।
- मेला आयोजन स्थल, तिथि, समय व मिलने वाली सेवाओं का प्रचार–प्रसार आयोजन से पूर्व किया जाए।
- मेला स्थल पर रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किया जाए जहां पर आगन्तुकों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। साथ ही साथ योजनाओं के अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार हेतु व्यापक आई0ई0सी0 सामग्रियों का उपयोग भी किया जाए।
- मेला/महोत्सव में टी.वी. प्रोजेक्टर के माध्यम से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सम्बंधित ऑडियो/वीडियो स्पॉटस का प्रसारण कराया जाये।
- मेला/महोत्सव में बैनर एवं स्टैण्डी लोक कला दल/विज्ञापन आदि के माध्यम से RMNCH+A एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाये।
- हेल्थ मेला का स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट हो ताकि औषधि यों का वितरण सुलभता के साथ किया जा सके। जिला स्तर से आवश्यक दवायें आदि को पूर्व में मेला स्थल पर पहुंचा दिया जाये। सरकारी चिकित्सालयों व हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स से जुडी आशा, ए.एन.एम., कम्युनिटी हेल्थ आफिसर, स्टाफ नर्स, चिकित्सकीय स्टाफ व विशेषज्ञों की हेल्थ मेलों में ड्यूटी लगाई जाये।
- मेले में सेवा प्रदान करने हेतु चिकित्सकों, विशेषज्ञों, पैरामेडिकल स्टॉफ, कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर, ए0एन0एम0 व आशा की ड्यूटी निर्धारित की जाए।
- स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन माननीय सांसद/क्षेत्रीय विधायक द्वारा किया जाए।

3- **District Level Media Workshop -** जनपद स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु एवं विभिन्न मीडिया यथा प्रिट मीडिया, डिजिटल मीडिया,सोशल मीडिया आदि के जनपदीय प्रतिनिधि के साथ समन्वय स्थापित कर सरलता से जनसमुदाय तक स्वास्थ्य योजनाओं/

कार्यक्रमों/उपलब्धियों आदि के बारे में जानकारी साक्षा करने हेतु वर्ष में दो बार जनपद स्तरीय मीडिया वर्कशाप हेतु प्रति जनपद @ 10000/- per Media Workshop की दर से मद संख्या HSS.13.197.IEC.21 पर कुल धनराशि रू0 15.00 लाख का आवंटन जनपदों को किया गया है।

4- **Adocacy Througha District for PRI/NSS -** क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की स्वीकार्यता एवं सफलता तभी संभव है जब शासन प्रशासन के साथ ही आम जनमानस की भी सक्रिय भागीदारी हो तथा सभी के मध्य सकारात्मक समन्वय स्थापित कर सामूहिक समझ विकसित करते हुए कार्ययोजना का निर्धारण किया जाये। जनपद स्तर पर अर्न्तविभागीय समन्वय से (जिला विद्यालय निरीक्षक, पंचायतीराज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी–बाल विकास एवं पुष्टाहार, एन0सी0सी0, नेहरू युवा केन्द्र के जनपदीय प्रतिनिधि, स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि आदि) स्कूलों एवं क्षेत्रीय स्तर पर समूहों में स्वास्थ्य सेवाओं पर समक्ष विकसित करने हेतु संगोष्ठी का आयोजन किया जाये। स्कूलों के चयन में ध्यान रखा जाये कि वहाँ पर एन0सी0सी0 एवं एन0एस0एस0 गतिविधियों का संचालन हो एवं कस्तूरबा विघालय को भी प्राथमिकता दी जाये। उक्त संगोष्ठी में जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी (डी0पी0एम0/डी0सी0पी0एम0/
डी0एच0ई0आई0ओ0/एच0ई0ओ0/बी0पी0एम0/बी0सी0पी0एम/आई0सी0डी0एस0 सुपरवाइजर आदि) द्वारा कार्ययोजना तैयार कर गतिविधि का आयोजन कराया जायेगा। गतिविधि आयोजन हेतु मद संख्या HSS.13.197.IEC.22 पर प्रति जनपद रू0 1.00 लाख की दर से जनपदों को कुल धनराशि रू0 75.00 लाख का आवंटन किया गया है। गतिविधि के आयोजन हेतु आवश्यक बिन्दु निम्नवत है–

- ब्लॉकवार विद्यालय का चयन सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक/खण्ड बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ समन्यव स्थापित कर कार्ययोजना तैयार की जाये जिससें प्रत्येक ब्लाक के विद्यालय आच्छादित हो सके।
- विद्यालय में कार्यक्रम आयोजन से पूर्व क्षेत्रीय ए0एन0एम0, आशा के साथ मिलकर चयनित विद्यालय में कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रचार–प्रसार किया जाये जिससे कार्यक्रम दिवस में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की उपस्थिति हो।
- विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के मध्य पेन्टिंग, पोस्टर, स्लोगन, क्विज, निबन्ध, रंगोली प्रतियोगिता आदि का आयोजन कराया जाये एवं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार स्वरूप मोमेंटों एवं प्रमाण पत्र वितरित किया जाये।
- लाभार्थियों/छात्र–छात्राओं/प्रतिभागियों हेतु सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की जाये एवं प्रत्येक कार्यक्रम की फोटोग्राफी भी कराई जाये।

जनपद स्तर पर आयोजित की जाने वाली समस्त आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु वित्तीय व्यवस्था निम्नवत है:–

1. आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये। कोई भी भुगतान नगद नहीं किया जायेगा।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी में ही दी गयी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
3. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम अधिकारी के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गतिविधि हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है, तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे
5. भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी गतिविधि हेतु निर्धारित सीमा तक नियमानुसार व्यय किया जाए। जनपद में समस्त भुगतान पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम/2012–13/लेखा/पी.एफ.एम.एस.

/187/5067–2 दिनांक 04.02.2015 के अनुसार पी.एफ.एम.एस. वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेण्ट प्रिन्ट एडवाइज के द्वारा ही कराया जाना सुनिश्चित करें।

6. राज्य स्तर के पत्र संख्याः एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आपरेशनल गाइडलाइन/2017–18 /282/189–2(9) दिनांक 10.04.2018 द्वारा एस.पी.एम.यू. से अवमुक्त की जाने वाले धनराशि के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए गतिविधियों का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त गतिविधियों के आयोजन हेतु कृपया पूर्व में प्रेषित पत्रांकः SPMU/NHM/IEC/IEC_Guidelines/2022-23/154_Vol 1/9044 दिनांक 25.02.2023 में नामित नोडल अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर समन्वय स्थापित कर स्वास्थ्य संचार के अंतर्गत गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए।

12. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा बैठकों हेतु दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण तन्त्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर वित्तीय व्यवस्था एवं योजना बनायी गयी है। योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा बैठक करने हेतु निम्न निर्देश दिये जा रहे हैं–

(क) मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु दिशा–निर्देशः–

उद्देश्यः–

- राज्य/मण्डल/जनपद द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों की अनुपालन स्थिति।
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान निर्धारित चार चेक लिस्टों के माध्यम से कार्यक्रम/गतिविधियों के क्रियान्वयन की स्थिति।
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या पर फीडबैक एवं अनुपालन की स्थिति।
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या के अनुरूप प्राप्त फीड बैक के आधार पर समस्त अपेक्षित मानकीय सुधार एक सप्ताह के भीतर कार्यक्रम हित मे सुनिश्चित कराया जाना।
- समस्त जनपदों, विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 100 महत्वाकांक्षी विकास खण्डों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना, जिससे भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य एवं पोषण के संकेतांकों में सुधार सुनिश्चित हो सकें।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा इकाईयों पर किये गये कार्यों का कार्यक्रमों में जारी मानकों के अनुसार सतत् सत्यापन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाये। इस हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जा रही है:

मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

1. **पर्यवेक्षण दल के सदस्य–**
   - **मण्डल स्तर पर** मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय में तैनात समस्त संयुक्त निदेशक, मण्डलीय अभियन्ता, मण्डल स्तर पर तैनात समस्त प्रबंधक/एम0एण्ड0ई0 आफीसर एवं अन्य मण्डलीय एन0एच0एम0 अधिकारियों/कर्मचारियों की कम से कम 2–3 सदस्यों की टीम गठित करके सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाना है।
   - **जनपद स्तर पर** मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी/ एन0एच0एम0 के अन्य प्रबन्धकों, अपर शोध अधिकारी (ए0आर0ओ0) एवं जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी (डी.एच.ई.आई.ओ.) की 3–4 सदस्यों की कम से कम 02 टीमें गठित करके सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाना है।
   - **ब्लाक स्तर पर** चिकित्सा अधीक्षक, समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी– पी0एच0सी0, ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सुपरवाईजर एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष एवं महिला)/एल0एच0वी0 की 2–3 सदस्यों की टीमें गठित करके सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाना है।
2. **मासिक भ्रमण कैलेण्डर–**
   - मण्डल स्तरीय भ्रमण हेतु एडवांस कैलेण्डर मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक के द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ परामर्श के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा राज्य स्तर पर साझा किया जायेगा।
   - जनपद स्तर पर प्रत्येक माह एडवांस भ्रमण कार्यक्रम जिला कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी से परामर्श के आधार पर तैयार किया जायेगा। जनपद स्तरीय टीमों की कार्ययोजना का पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा तथा राज्य/मण्डल स्तर पर साझा किया जायेगा।
   - विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक माह एडवांस भ्रमण कार्यक्रम ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से परामर्श के आधार पर तैयार कर जारी किया जायेगा तथा जनपद स्तर पर साझा किया जायेगा।
3. **प्रत्येक माह भ्रमण कार्यभार–**
   - **मण्डल स्तर** पर प्रत्येक माह 02 District Assesment Checklist, 08 Facility Assesment Checklist, 08 Community Assessment Checklist तथा 08 Health & Wellness Center Assessment Checklist भरी जायेंगी।

- **जनपद स्तर** पर प्रत्येक माह 08 Facility Assesment Checklist, 08 Community Assessment Checklist, 08 Health & Wellness Center Assessment Checklist तथा 01 District Assesment Checklist भरी जायेंगी।
- **ब्लॉक स्तर** पर प्रत्येक माह 04 Facility Assesment Checklist, 08 Community Assessment Checklist तथा 10 Health & Wellness Center Assessment Checklist भरी जायेंगी।

नोट–उक्त चेकलिस्टों को गूगल ड्राइव के माध्यम से भरा जाना है, जिसके लिंक निम्नवत् हैं–

1:-Community Checklist:- https://forms.gle/7dsMFPGPxMMQhKK39
2:-District Checklist:- https://forms.gle/ZSmpGjK2UKDdeAN8A
3:-Facility Checklist:- https://forms.gle/4g6qKHvcYXA3RGBb7
4:-HWC Checklist:- https://forms.gle/YYB2wJhmLE7DCtP89

4. चेकलिस्ट/भ्रमण आख्या की तैयारी–

- **मण्डल स्तर के भ्रमणकर्ता** द्वारा लेवल–3 इकाईयों तथा फैसिलिटी एवं नजदीकी कम्युनिटी एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का भ्रमण कर चेकलिस्टों/भ्रमण आख्या को राज्य स्तर पर एवं सम्बन्धित जनपद पर प्रेषित किया जायेगा, जिसका दायित्व मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक का होगा। मण्डलीय लेखा प्रबंधक समस्त जनपदों के लेखा कार्यो का अनुश्रवण प्रत्येक माह करना सुनिश्चित करेंगे मण्डल स्तर की टीमें भ्रमण उपरान्त फीडबैक लिखित रूप में मण्डलीय अपर निदेशक एवं सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित करेंगी।
- **जनपद स्तर के भ्रमणकर्ता** द्वारा प्रत्येक माह ब्लाक में स्थित लेवल–3 इकाईयों एवं लेवल–2 की समस्त इकाईयों का भ्रमण कर फैसिलिटी, कम्युनिटी एवं हेल्थ एण्ड वेलनस सेन्टर एसेस्मेन्ट चेकलिस्टों के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे जनपद स्तरीय टीमों को प्रत्येक त्रैमास में जनपद की समस्त एल–1 इकाईयों का अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य होगा। जिला लेखा प्रबंधक जनपद की समस्त ब्लाक स्तरीय इकाईयों के लेखा कार्यो का अनुश्रवण प्रत्येक माह करना सुनिश्चित करेंगे जनपद स्तर की टीमें भ्रमण उपरान्त फीडबैक लिखित रूप में मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित करेंगीं, जिसकी प्रतिलिपि मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- **ब्लाक स्तरीय टीम** को प्रत्येक माह ब्लाक में स्थित लेवल–1 एवं लेवल–2 की समस्त इकाईयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाना है। प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को सामुदायिक गतिविधियों का अनुश्रवण कराया जाना चाहिए। इन दिवसों पर समस्त एल0एच0वी0/पुरूष सुपरवाईजर को सत्रों के अनुश्रवण हेतु सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के वाहन से भेजना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बी0पी0एम0 द्वारा टीमों के माध्यम से किये गये पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण सम्बन्धित चेकलिस्टों को प्राप्त कर संकलित किया जाना है। फैसिलिटी, कम्युनिटी एवं हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर सुधारात्मक कार्यवाही टीम के द्वारा मौके पर ही कराई जानी है।

5. अनुपालन आख्या–

- मण्डल के अधीन आने वाले समस्त जनपदों के प्रबंधकों/अधिकारियों द्वारा लिखित भ्रमण आख्याओं के आधार पर आवश्यक कार्यवाही एवं निरंतर फॉलोअप एवं फीडबैक लिखित रूप में जनपदों एवं मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय में दिया जाना है।
- जिला कार्यक्रम प्रबंधक का दायित्व है कि किये गये भ्रमण के उपरान्त भ्रमण आख्याओं पर आवश्यक कार्यवाही एवं निरंतर फॉलोअप किया जाना है। फैसिलिटी संबंधित टीम में अपर/उपमुख्य चिकित्साधिकारी अवश्य रहेंगे।
- ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक का दायित्व है कि किये गये भ्रमण के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही एवं निरंतर फॉलोअप सुनिश्चित किया जाये साथ ही प्रत्येक त्रैमास ब्लाक के अन्तर्गत सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्र आच्छादित हो जायें।

6. मोबिलिटी सपोर्ट–

- मण्डल स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु **एक कामर्शियल टैक्सी** वाहन/टैक्सी परमिट तथा परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहन प्रत्येक मंडल @ Rs 33000/- प्रति माह प्रति वाहन की दर से, जिसका दायित्व मण्डलीय परियोजना प्रबंधक का होगा।
- जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु **दो कामर्शियल टैक्सी** वाहन/टैक्सी परमिट तथा परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहन प्रत्येक जनपद @ Rs 33000/- प्रति माह प्रति वाहन की दर से, जिसका दायित्व अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0 का होगा।

- ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु **एक कामर्शियल टैक्सी** वाहन/टैक्सी परमिट तथा परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहन प्रत्येक ब्लाक @ Rs 33000/- प्रति माह प्रति वाहन की दर से, जिसका दायित्व प्रभारी चिकित्साधिकारी का होगा।

7. वाहन अनुबन्धित करने के नियम–

- मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तर पर संचालित किये जाने वाले वाहनों को ई–टेण्डर/जेम पोर्टल के माध्यम से अनुबन्धित किया जायेगा। समस्त वाहन टैक्सी परमिट एवं जी0पी0एस0 युक्त होने आवश्यक हैं। प्रत्येक माह प्रत्येक वाहन द्वारा कम से कम 1500 किलोमीटर की यात्रा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- वाहनों का उपयोग माह में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण गतिविधियों को पूर्ण करते हुए राजकीय कार्यो के उपयोग हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है। राज्य स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जनपद के भ्रमण/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान आवश्यकता होने पर अनुबन्धित वाहन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8. वाहन प्रयोग सम्बन्धित नियम–

- मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तर पर जिन अधिकारियों के पास पूर्व से सरकारी/किराये का वाहन आवंटित/उपलब्ध है, उनके द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु अनुबन्धित वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा।
- मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तर पर समस्त अधिकारी जिनके पास सरकारी वाहन या पूर्व से वाहन उपलब्ध नहीं है वह इस वाहन का उपयोग पूर्ण मितव्ययिता का पालन करते हुये करेंगे
- वाहनों का उपयोग माह में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण गतिविधियों को पूर्ण करते हुए राजकीय कार्यो के उपयोग हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक माह भुगतान के पूर्व वाहन के लॉगबुक एवं जी0पी0एस0 लागबुक की छायाप्रति भुगतान बिल के साथ प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है।
- प्रत्येक स्तर पर नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि टूर प्लान के अनुसार निर्धारित तिथि पर सम्बन्धित भ्रमणकर्ता को वाहन उपलब्ध कराया जाये। वाहन का उपयोग करने वाली टीम भ्रमणोपरान्त लागबुक को प्रतिदिन हस्ताक्षर करेगी।

9. राज्य स्तर पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अनुभाग, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम को साझा की जानी वाली सूचनाऐं–

- मण्डल एवं जनपद स्तर की अग्रिम भ्रमण योजना प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में ई–मेल के माध्यम से साझा की जाये।
- प्रत्येक वाहन के लागबुक एवं जी0पी0एस0 लागबुक की छायाप्रतियां प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अनुभाग से साझा की जाये। लगातार 02 माह की छायाप्रति प्राप्त न होने पर राज्य स्तर से वाहनों के भुगतान पर रोक लगायी जा सकती है।
- ई टेण्डर/जेम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त वाहनों के टैक्सी परमिट एवं अनुबन्ध पत्र को अनिवार्य रूप से एक सप्ताह में साझा कर दिया जाये।
- मण्डल/जनपद स्तर के भ्रमण दल के द्वारा भ्रमणोपरान्त भ्रमण–आख्या राज्य स्तर पर साझा की जाये।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर अनुबन्धित किये गये वाहनों की सूचना एवं अनुबन्ध–पत्र की छायाप्रति राज्य स्तर पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक माह भ्रमण कार्ययोजना की स्कैन कॉपी को राज्य स्तर पर ई–मेल के द्वारा प्रेषित करना तथा एन0एच0एम0 पोर्टल पर निरीक्षण आख्या को अपलोड कराना सुनिश्चित करें। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण से संबंधित पत्राचार एम0एण्डई0 अनुभाग की **ई–मेल आई डी ssupnhm2019@gmail.com** पर करना सुनिश्चित करें।

(ख) मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तरीय मासिक समीक्षा बैठकों के आयोजन हेतु निर्धारित दिशा–निर्देश :–

उद्देश्यः–

- राज्य द्वारा प्रेषित समस्त नवीन शासनादेशों/दिशा–निर्देशों को उपलब्ध कराते हुये उद्देशात्मक चर्चा।
- मासिक समीक्षा बैठक से पूर्व मण्डल स्तर पर मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक तथा ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक के द्वारा समस्त कार्यक्रमों के अधिकारियों/प्रबन्धकों/परामर्शदाता/समन्वयकों के साथ समीक्षा की जानी आवश्यक है।

- विगत् माह की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं कृत्य सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मियों द्वारा अनुपालन।
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या पर फीडबैक, अनुपालन आख्या एवं उत्तरोत्तर सुधार हेतु सम्बन्धित ए0टी0आर0 सुनिश्चित किया जाना।

मण्डलीय/जनपदीय/ब्लाक स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक हेतु अनिवार्य दिशा–निर्देश–

विवरण	मण्डल स्तर पर	जनपद स्तर पर		ब्लाक स्तरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर
		जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक	जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक	
अध्यक्षता	मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मुख्य चिकित्साधिकारी	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति	प्रभारी चिकित्साधिकारी
बैठक का समन्वय अधिकारी	मण्डलीय परियोजना प्रबंधक	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	मुख्य चिकित्साधिकारी	ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक
प्रतिभागी	मण्डल के समस्त संयुक्त निदेशकों, समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, रीजनल कोआर्डिनेटर–आशा, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, जनपद स्तर पर तैनात समन्वयक	मण्डलीय अधिकारी, मुख्य चिकित्साधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारी एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, रीजनल कोआर्डिनेटर–आशा, समस्त कार्यक्रमों में तैनात प्रबंधक, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर, ए0आर0ओ0, एच0ई0ओ0, आदि।		जनपद स्तर से अधिकारी, समस्त नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारी, समस्त ब्लाक इकाई पर तैनात चिकित्सक, समस्त एल0एच0वी0, पुरुष पर्यवेक्षक, बी0पी0एम0यू0 में तैनात समस्त प्रबंधक, एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर, समस्त स्टॉफ नर्स, ए0एन0एम0
वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्धारित मासिक बैठको की संख्या	12	12	12	12
कार्यवाही	बैठक का विस्तृत कार्यवृत्त (प्रतिभागी सूचना सहित), राज्य स्तर पर अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर प्रेषित किये जायेंगे।	बैठक का विस्तृत कार्यवृत्त (प्रतिभागी सूचना सहित), एन0एच0एम0 पोर्टल पर जनपद स्तर से दो सप्ताह के भीतर अपलोड किया जायेगा।		बैठक का विस्तृत कार्यवृत्त (प्रतिभागी सूचना सहित), जनपद स्तर पर अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर प्रेषित किये जायेंगे।
जलपान एवं अन्य लॉजिस्टिक व्यवस्था हेतु धनराशि का प्रावधान	रू0 5000 प्रति बैठक	रू0 2000 प्रति बैठक	रू0 2500 प्रति बैठक	-
वित्तीय व्यवस्था	**एफ0एम0आर0 कोड नम्बरः HSS.11.193.PME.4 (Old FMR 16.1.3.1.1) Field Visit (Supportive Supervision at State Level)**			

उक्त के क्रम में मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण हेतु जनपदों को एफ.एम.आर.कोड संख्याः **HSS.11.193.PME.4 (Old FMR 16.1.3.1.1)** Field Visit (Supportive Supervision at State Level), कोड संख्या **HSS.11.193.PME.5 (Old FMR 16.1.3.3.3)** Field Visit (Supportive Supervision at District Level) एवं कोड संख्या **HSS.11.193.PME.6 (Old FMR 16.1.3.4.3 S01)** Field Visit (Supportive Supervision at Block Level) से धनराशि को व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त के आलोक मे आपको निर्देशित किया जाता है कि मण्डल, जनपद एवं ब्लाक में टैक्सी परमिट वाहनों से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु स्वीकृत बजट को शासकीय एन0एच0एम0 वित्तीय मैनुअल के नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।

13. नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कार्यक्रम

प्री–सर्विस एजूकेशन फार नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कार्यक्रम 2023–24

परियोजना का उद्देश्यः प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाईफिरी एजूकेशन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कालेज ऑफ नर्सिंग, जी0एन0एम0 स्कूल्स एवं ए0एन0एम0टी0सी0 को सुदृढ़ करना है, जिससे की उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक एवं क्लीनिकल्स सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षु नर्स/मिडवाईफ्स को प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास किया जा सके। कार्यक्रम के अर्न्तगत 6 कालेज आफ नर्सिंग एवं 9 जी0एन0एम0 स्कूल्स मे स्किल लैब, आई0टी0 लैब एवं लाइब्रेरी की स्थापना की जा चुकी है।

चयनित जनपदः– परियोजना के अर्न्तगत निम्नलिखित जनपदों में राजकीय जी0एन0एम0/कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्थापित है।(1) लखनऊ, (2) कानपुर नगर, (3) इलाहाबाद, (4) वाराणसी, (5) गोरखपुर, (6) बरेली, (7) मेरठ, (8) इटावा एवं (9) आगरा।

क्रियान्वयन रणनीतिः–

- शैक्षिक मानकों के क्रियान्वयन के माध्यम से नर्सिंग कालेज/स्कूल्स के सम्बंधित कालेज में शैक्षिक और मूल्यांकन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता सुधार मे मद्द एवं सहयोग करेंगे।
- चयनित कालेज आफ नर्सिंग/जी0एन0एम0 स्कूल्स में स्किल्स लैब के माध्यम से छात्रों को उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक एवं क्लीनिकल जानकारी प्रदान की जायेगी।
- भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स की छः सप्ताह का प्रशिक्षण नेशनल/स्टेट नोडल सेन्टर में क्षमता वृद्धि हेतु कराई जायेगी।
- नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स को छः दिवसीय प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों में तथा दक्षता/सी0एस0एस0 प्रशिक्षण के माध्यम से भी दक्ष किया जायेगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नर्सिंग स्कूल्स के प्रधानाचार्य द्वारा नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स को विभिन्न प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाना है।
- आई0एन0सी0 के मानकों के अनुसार नर्सिंग कालेज/स्कूल्स में नर्सिंग ट्यूटर्स की तैनाती सुनिश्चित की जानी है।

वित्तीय व्यवस्थाः–

- एफ0एम0आर0 HSS.10.191.OOC.1/2 में 6 कालेज आफ नर्सिंग एवं 9 जी0एन0एम0 स्कूल हेतु रू0 25000/– की दर से (09 माह) Mobility/ POL हेतु कुल रू0 33.75 लाख की धनराशि का प्रविधान किया गया है। साथ ही Contingency मद में 6 कालेज आफ नर्सिंग के लिए रू0 7500/– तथा 9 जी0एन0एम0 स्कूल के लिए रू0 5000/– की दर से (09 माह) कुल रू0 8.10 लाख की धनराशि प्रविधानित है।
- एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.9.184.C.S1025/1026/1030 में कालेज आफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स में नवीन संविदा मानव ससाधन– नर्सिंग फैकल्टी (ट्यूटर्स) को मानदेय धनराशि रु0 35,000/– प्रतिमाह, नर्सिंग मिडवाइफरी ट्यूटर्स को रु0 45,000/– प्रतिमाह एवं कार्यक्रम सहायकों को रु0 22,660/– प्रतिमाह की दर से धनराशि का प्रविधान किया गया है। साथ ही नियमानुसार इंक्रीमेंट एवं लॉयल्टी बोनस की धनराशि अनुमन्य है।

नोडल अधिकारीः– जनपद स्तर पर प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी एजूकेशन को क्रियान्वित करने के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0) कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षा है कि वह अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर उनका नाम, मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0, एस0पी0एम0यू0 की नर्सिंग सेल की ई–मेल आई0डी0 (spmunursingcellup2022@gmail.com) पर भेजना सुनिश्चित करें।

अनुबंध की कार्यवाही :– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाईफिरी एजूकेशन कार्यक्रम में चयनित नर्सिंग मिडवाईफिरी ट्यूटर्स, नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स एवं कार्यक्रम सहायको को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संविदा पर नियमानुसार तैनात किये जाने की कार्यवाही सम्बंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से की जायेगी।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत निदेशक नर्सिंग, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा तथा एन0एच0एम0 के तकनीकी सहयोग हेतु अनुबंधित जपाईगो संस्था के अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार फैकल्टी की RMNCH+A गतिविधियों में Competency Assessment की प्रगति समीक्षा की जायेगी।

सम्पक सूत्रः–

1. डा0 शैलेन्द्र कुमार नन्दा , निदेशक, नर्सिंग, मो0–9795424210, ई–मेल dirnursing.dgmh@gmail.com
2. श्री देवेश चन्द त्रिपाठी, स्टेट नर्सिंग नोडल अधिकारी, एस0पी0एम0यू0, मो0–9412067074, ई–मेल spmunursingcellup2022@gmail.com
3. डा0, संजय त्रिपाठी, एस0पी0एम0, जपाइगो, मो0–7860033696, ई–मेल sanjay.tripathi@jhpiego.org

14. प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अनुभाग के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 हेतु डैप सम्बंधित दिशा–निर्देश

1. स्किल्ड बर्थ अटेण्डेंस (एस0बी0ए0)– एफ0एम0आर0 कोडः RCH.1.17.CB.5

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना एवं संस्थागत प्रसवों को प्रशिक्षित चिकित्सकों/स्टाफ़ नर्सों/ए0एन0एम0 के द्वारा कराया जाना आदि। इसी क्रम में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रसव केन्द्रों पर तैनात समस्त ए0एन0एम0/एल0एच0वी0/स्टाफ नर्स की दक्षता में वृद्वि के लिये विशेष प्रशिक्षण ''स्किल्ड बर्थ अटेण्डेंट (एस0बी0ए0) प्रशिक्षण'' दिया जा रहा है।

जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय के अतिरिक्त प्रसव सेवा प्रदान करने वाले सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र/उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर तैनात ए0एन0एम0/एल0एच0वी0/स्टाफ नर्स/महिला सी0एच0ओ0 का वर्ष 2023–24 में 21 दिवसीय (5+16) एस0बी0ए0 प्रशिक्षण प्रदेश के समस्त ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय एवं प्रथम सन्दर्भन इकाईयों (एफ0आर0यू0)/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पादित किया जाना है।

अवगत कराना है कि भारत सरकार ने पत्र दिनांक 26.02.2022 का संदर्भ लेते हुये क्रियाशील उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (डिलीवरी प्वाइंट) पर तैनात सी0एच0ओ0 को भी एस0बी0ए0 में प्रशिक्षित किये जाने पर राज्य कार्यकारी समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया कि जनपद स्तर पर तैयार किये जाने वाले एस0बी0ए0 माइक्रोप्लान में क्रियाशील उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (डिलीवरी प्वाइंट) पर तैनात महिला सी0एच0ओ0 को प्रथम चरण में सम्मिलित किया जाये।

साथ ही एस0बी0ए0 प्रशिक्षण में Gender E- module को भी सम्मिलित किया गया है। यह माड्यूल एस0बी0ए0 थ्योरी सत्र के पांचवे दिन वीडियो/चर्चा के माध्यम से पूर्ण कराया जाएगा। एस0बी0ए0 प्रशिक्षण महानिदेशालय एवं एस0आई0एच0एफ0डब्लू0, लखनऊ के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु यू0पी0टी0एस0यू0 द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

वित्तीय व्यवस्था– एफ0एम0आर0 कोड RCH.1.17.CB.5 में स्टॉफ नर्स/ए0एन0एम0/एल0एच0वी0/सी0एच0ओ0 (@ Rs. 1.83 lakh per batch) आदि हेतु धनराशि सम्मिलित है। वर्ष 2023–24 में एस0बी0ए0 प्रशिक्षण के लिए 09 माह हेतु रू0 1,724.41 लाख की धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति एवं टी0ओ0टी0 के दो बैच हेतु रू0 2.96 लाख एस0आई0एच0एफ0डब्ल्यू0 की चार्ट सोसाइटी को आवंटित/लिमिट जारी की जा रही है।

2. नर्स मेंटर कार्यक्रम–एफ0एम0आर0 कोडः HSS.9.184.C.S1024 & RCH.1.17.CB.1

प्रदेश के समस्त जनपदों में नर्स मेण्टर कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, कार्यक्रम के अन्तर्गत नर्स मेण्टर द्वारा प्रसव केन्द्र में तैनात स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं के समुचित देखभाल हेतु उनके ज्ञानवर्धन, अभ्यास एवं कौशल में वृद्धि किया जाना है, जिससे स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 द्वारा गुणवत्तायुक्त सामान्य प्रसव, प्रसव के दौरान एवं प्रसवोपरान्त किसी भी मातृ एवं नवजात शिशुओं सम्बन्धी जटिलताओं का निदान, प्रबन्धन तथा संदर्भन किया जा सकेगा।

कार्यक्रम का उद्देश्य – प्रदेश की अत्यधिक जनसंख्या एवं विशिष्ट सूचकांकों को ध्यान में रखते हुये RMNCH+A की सेवाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए कार्यक्रम का उददेश्य निम्नवत् हैः–

- उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य कार्यकत्रियों को कार्यस्थल पर प्रशिक्षित करना।
- प्रसव इकाइयों पर स्वास्थ्य सुविधा हेतु आवश्यक औषधियों एवं उपकरणों की आपूर्ति, अभिलेखों के रख–रखाव की प्रक्रिया, संदर्भन प्रक्रिया एवं संक्रमण नियन्त्रण कार्यो में सुधार हेतु चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।
- सेवा प्रदाता के ज्ञान, कौशल विकास एवं अभ्यास में सुधार लाना।

क्रियान्वयन रणनीति –

- प्रदेश के समस्त जनपदों में RMNCH+A की सेवाओं को सुदृढ़ीकरण करने में नर्स मेंटर्स सहयोग प्रदान करेंगी।
- नर्स मेन्टर्स द्वारा प्रसव इकाइयों पर तैनात ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स को कौशल विकास हेतु मेंटरिंग सहयोग प्रदान किया जायेगा।

- जनपदों के चयनित ब्लाकों में स्थापित प्रसव इकाइयों को सुदृढ़ एवं क्रियाशील किये जाने में सहयोग किया जाएगा।

नर्स मेन्टर के कार्य एवं दायित्व –

- ब्लॉक स्तर की चयनित प्रसव इकाई में RMNCH+A सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना तथा नियमित रूप से प्रसव कार्य सम्पादित करना एवं सहयोग प्रदान करना है।
- लेबर रूम रजिस्टर, केस शीट, सन्दर्भन स्लिप का उपयोग तथा एच0एम0आई0एस0–यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पर डाटा का अंकन किये जाने में सहयोग प्रदान किया जाना है। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये MaNTrA App पर आवश्यक सूचनाओं की इंट्री सुनिश्चित कराना एवं MaNTrA Dash board पर अंकित डाटा के अनुसार कार्ययोजना बनाने में सहयोग प्रदान करना।
- चिकित्सा इकाई पर मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता हेतु 05 प्रमुख कार्य– Intial assessment, Labour monitoring, active management of third stage of labour, essential new born care, management of 4th stage of labour and post natal care किये जाने हैं। इनके अतिरिक्त सहायक कार्य Infection control & BMW, availability and use of drugs and supplies, referral strengthening, documentation भी किया जाना हैं।
- भारत सरकार के MNH tool kit के अनुरूप प्रसव कक्ष में न्यू बोर्न केयर कार्नर (NBCC) एवं प्रसव कक्ष के समीप Triage एवं न्यूबोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट (NBSU) विकसित करने एवं प्रसव पश्चात् 4th stage Monitoring हेतु कक्ष की स्थापना तथा क्रियाशील रखने में सहयोग प्रदान करना।
- स्वास्थ्य केन्द्र पर ''क्वालिटी सर्किल'' गठन में सहयोग करना तथा प्रत्येक माह प्रभारी चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में ''क्वालिटी सर्किल '' बैठक आयोजित करवाना। क्वालिटी सर्किल टीम की बैठक के उपरान्त प्रतिमाह नर्स मेंटर द्वारा क्वालिटी सर्किल की बैठक की रिपोर्टिंग प्रपत्र/ओ0डी0के0 पर अंकित किया जाना है।
- क्वालिटी सर्किल टीम द्वारा लेबर रूम के लक्ष्य की चेकलिस्ट के आधार पर स्वास्थ्य इकाई का स्वमूल्यांकन किया जाना। नर्स मेन्टर द्वारा नियमित अन्तराल में (02 माह में 1 बार) 'लक्ष्य' कार्यक्रम की चेक लिस्ट के अनुसार इन्टर्नल असेसमेंट करना/कराया जाना।
- नर्स मेण्टर द्वारा ब्लाक की चयनित क्रियाशील प्रसव इकाइयों का आवश्यकतानुसार परीक्षण करना तथा गैप एनालिसिस के आधार पर इकाई में कार्यरत स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0 के लिये प्रत्येक माह मेण्टरिंग प्लान तैयार करना तथा नियमानुसार मिनी स्किल लैब में प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।
- जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय के साथ रेफरल लिंकेज का गठन तथा सन्दर्भित प्रकरणों का ससमय फॉलो–अप करना/कराना।
- नर्स मेण्टर को अपने सी0एच0सी0/बी0पी0एच0सी0 पर मिनी स्किल लैब की स्थापना प्रभारी चिकित्साधिकारी के सहयोग से कराया जाना।
- मिनी स्किल लैब गाइडलाइन के अनुसार, नर्स मेंटरिंग रजिस्टर में प्रतिमाह फैसिलिटी एक्शन प्लान, मेंटरिंग प्लान एवं सभी स्टाफ को 02 माह के प्रत्येक चक्र में 01 बार बेसलाइन ऑस्की, न्यूनतम 02 मेंटरिंग डोज एवं 01 बार एण्ड लाइन ऑस्की अंकित करना तथा गूगल लिंक/एन0एम0 एप में अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- नर्स मेन्टर अपनी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रत्येक माह अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता को उपलब्ध करायेंगी।

मिनी स्किल लैब के रख–रखाव हेतु व्यवस्था –

- वर्ष 2023–24 में जनपद की समस्त मिनी स्किल लैब के रख–रखाव हेतु रू0 50,000.00 प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। उक्त धनराशि का उपयोग मिनी स्किल लैब्स के आर्टिकल्स का गैप एनालिसिस करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त किया जाए।

प्रशिक्षण– प्रदेश की नर्स मेंटर्स तथा चिन्हित जनपद की स्टाफ नर्स को निम्न प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित किया जाना है –

- **06 दिवसीय दक्ष प्रशिक्षणः** 105 नर्स मेंटर्स को स्किल लैब–डी0एस0एच0, नोएडा में एवं 278 अकांक्षी जनपदों की स्टॉफ नर्स को टी0एन0ए0आई0–नोएडा में 6 दिवसीय **''दक्ष प्रशिक्षण''** प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जाएंगे।

- नर्स मेंटर्स का 03 दिवसीय **''दक्षता प्रशिक्षण''** के 38 बैच प्रदेश में स्थापित 04 आर्ट ऑफ स्किल लैब (एस0आई0एच0एफ0डब्ल्यू0–लखनऊ में 04 बैच, डी0सी0एच0–नोएडा में 06 बैच, आर0एच0एस0डब्ल्यू0टी0सी0–झांसी में 14 बैच, एवं आर0एच0एस0डब्ल्यू0टी0सी0–वाराणसी में 14 बैच) में सम्पादित किया जायेगा, जिस हेतु सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को रू0 80,000/– प्रति बैच की दर से धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं। उक्त प्रशिक्षण हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जाएंगे।
- 03 दिवसीय **''मेंटरिंग मैथडोलोजी''** में यू0पी0टी0एस0यू0 द्वारा नर्स मेंटर्स को प्रशिक्षित किया जायेगा।
- सम्बंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण के प्रत्येक सत्र में निर्धारित मानक के अनुसार वास्तविकता के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी।

समीक्षा बैठकें– कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्न समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी हैं–

जनपद स्तर पर–

- जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में नर्स मेंटरिंग कार्यक्रम की निर्धारित प्रारूप पर समीक्षा की जानी है।
- मुख्य/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में नर्स मेंटरिंग कार्यक्रम की मासिक समीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें समस्त नर्स मेंटर्स, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता, जनपदीय क्वालिटी एश्योरेंस परामर्शदाता द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। साथ ही जनपद स्तर पर यू0पी0टी0एस0यू0 अधिकारी द्वारा सहयोग एवं प्रतिभाग किया जायेगा।
- **ब्लाक स्तर पर–** ब्लाक की चिन्हित स्वास्थ्य इकाई पर चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में क्वालिटी सक्रिल टीम के सदस्यों की प्रति माह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

राज्य स्तर पर सूचनाओं का प्रेषण/रिर्पोटिंग प्रपत्र– कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनांए राज्य स्तर पर प्रशिक्षण अनुभाग की Email ID– gmtrainingnhm2022@gmail.com एवं मातृ स्वास्थ्य अनुभाग की Email ID- gmmhup2019@gmail.com पर उपलब्ध करायी जायें

- मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता द्वारा चयनित ब्लाक स्वास्थ्य इकाईयों के लेबर रूम का असेसमेंट किया जाना है, जिसकी रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास (जैसे : अप्रैल–जून) में निर्धारित प्रारूप पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करेंगे
- जनपदीय मातृ स्वास्थ्य, परामर्शदाता नर्स मेंटर कार्यक्रम की संकलित प्रगति रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करेंगे
- नर्स मेंटर द्वारा ब्लाक स्वास्थ्य चिकित्सा इकाईयों पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली क्वालिटी सक्रिल की बैठक की रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित की जाये।

वित्तीय व्यवस्था–

- वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.S1024 (9.1.4.2) के अन्तर्गत प्रदेश के 24 एच0पी0डी0 जनपदों में संविदा पर कार्यरत 44 डेडिकेटेड नर्स मेन्टर्स के 12 माह के मानदेय, वार्षिक इन्क्रीमेंट एवं लॉयलटी बोनस आदि हेतु रू0 322.69 लाख की धनराशि आवंटित/लिमिट जारी की जा रही है। अतः नियमानुसार प्रतिमाह मानेदय का भुगतान किया जाये। नर्स मेंटर्स द्वारा कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस में जमा की जाये।
- वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में एफ0एम0आर0 मद संख्या RCH.1.17.CB.1 में नर्स मेंटरिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे–नामित नर्स मेंटर्स के Additional honorarium, TA/DA for training/meeting, Printing of Register, DAKSHTA & DAKSH training, Maintainece of Mini Skill Lab आदि के 9 माह हेतु रू0 510.85 लाख की धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति एवं दक्षता प्रशिक्षण के 3 बैच हेतु रू0 2.40 लाख एस0आई0एच0एफ0डब्ल्यू0 की चार्ट सोसाइटी को आवंटित/लिमिट जारी की जा रही है।
- नर्स मेंटर्स को नामांकन तिथि से उनके द्वारा निर्धारित कार्यों को सम्पादित किया जाना है तथा उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस में जमा की जाये, जिसके उपरान्त ही उपयफ्रक्तानुसार अतिरिक्त मानदेय का मासिक भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

3. क्यू0आई0 मेंटर्स का मानदेय एवं मेंटरिंग विजिट–एफ0एम0आर0 कोडः HSS.9.184.C.P277(16.4.2.1.11) & RCH.1.12.PME राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत गैर उच्च प्राथमिकता वाले 31 जनपदों में वित्तीय वर्ष 2016–17 से दक्षता कार्यक्रम का क्रियान्वयन (Roll Out)

किया जा रहा था, जिसके क्रम में जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में मिनी स्किल लैब स्थापित की जा चुकी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ–मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है, कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्तमान में 15 जनपदों में तैनात क्यू.आई. मेण्टर (क्वालिटी इम्प्रूवमेंट) द्वारा प्रसव इकाईयों पर तैनात समस्त सेवा प्रदाताओं को प्रसूति सेवाओं सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम के विस्तृत दिशा–निर्देश एस0पी0एम0यू0 के पत्र दिनांक 13.10.2022 के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके है।

वित्तीय व्यवस्था–

वर्ष 2023–24 में एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.P277 (16.4.2.1.11) में प्रदेश के 15 जनपदों में संविदा पर कार्यरत क्यू0आई0 मेन्टर्स के 12 माह के मानदेय, वार्षिक इक्रीमेंट एवं लॉयलटी बोनस हेतु रू0 105.10 लाख की धनराशि तथा एफ0एम0आर0 मद संख्या RCH.1.12.PME में आनसाइट मेंटरिंग विजिट के लिये 09 माह हेतु रू0 13.50 लाख की धनराशि सम्बंधित जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित/लिमिट जारी की जा रही है। स्पष्ट करना है कि आवंटित धनराशि बजट की अधिकतम धनराशि है, सम्बन्धित क्यू0आई0 मेण्टर को वास्तविक भुगतान उसके मानदेय निर्धारण के आधार पर किया जाये। साथ ही देय मानदेय पर अधिकतम 5 प्रतिशत की इन्क्रीमेंट की धनराशि सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य है। क्यू0आई0 मेण्टर को एक ही पद पर कार्य करते हुए 03 वर्ष पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत तथा 05 वर्ष पर पुनः 05 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस की धनराशि नियमानुसार अनुमन्य है।

4. ए0एन0एम0/एल0एच0वी0 प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु पी0एच0एन0 ट्यूटर के कार्य एवं दायित्व– एफ0एम0आर0 कोडः HSS.9.184.C.S0953 (9.1.4.2)

प्रदेश के चिन्हित ए0एन0एम0/एल0एच0वी0 प्रशिक्षण केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण करते हुए 35 ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों में 02 वर्षीय ए0एन0एम0 प्रशिक्षण सत्र 10 अगस्त, 2022 से प्रारम्भ किया गया है तथा एल0एच0वी0 प्रशिक्षण केन्द्रों में एल0एच0वी0 प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु इन केन्द्रों में राजकीय नर्सिंग फैकल्टी के अतिरिक्त संविदा पर पी0एच0एन0 ट्यूटर्स की तैनाती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा की गयी है।

उद्देश्यः

- स्ट्रेन्थनिंग ऑफ प्री–सर्विस एजुकेशन एण्ड मिडवाइफरी कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ए0एन0एम0/एल0एच0वी0 प्रशिक्षण केन्द्रों को सुदृढ़ करना है, जिससे कि उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक एवं क्लीनिकल स्किल्स सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षुकों को प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास किया जा सके।

क्रियान्वयन रणनीतिः

- स्ट्रेन्थनिंग ऑफ प्री–सर्विस एजुकेशन एण्ड मिडवाइफरी कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित ए0एन0एम0/एल0एच0वी0 प्रशिक्षण केन्द्रों में स्किल लैब/आई0टी0 लैब की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से प्रशिक्षुकों को उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक एवं क्लीनिकल्स स्किल्स की जानकारी प्रदान की जायेगी।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित ए0एन0एम0/एल0एच0वी0 प्रशिक्षण केन्द्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा पर पी0एच0एन0 ट्यूटर/फैकल्टी की तैनाती की जा रही है, जिससे आई0एन0सी0/एस0एन0सी0 मानको के अनुरूप अध्यापन का कार्य पूर्ण कराया जा सके।

कार्य एवं दायित्व : पी0एच0एन0 ट्यूटर्स, प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्य के अधीनस्थ कार्य करेंगे प्रमुख कार्य निम्नवत् हैः–

- केन्द्रों की प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा आई0एन0सी0/एस0एन0सी0 के पाठ्यक्रम एवं भारत सरकार के नवीनतम् आर0एम0एन0सी0एच0+ए0 प्रोटोकॉल के अनुसार प्रशिक्षुकों को प्रशिक्षित करना।
- प्रशिक्षण केन्द्रों में स्किल लैब, आई0टी0 लैब एवं लाइब्रेरी आदि की स्थापना कराने में सहयोग तथा समुचित उपयोग करना।
- स्किल लैब में प्रशिक्षुकों को आनसाइट कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य करना।
- प्रशिक्षण कक्ष, स्किल लैब, उपकरणों, आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री की अपूर्ति एवं प्रशिक्षुकों के परीक्षा अभिलेख एवं अन्य अभिलेखों को व्यवस्थित रखने के साथ शिक्षण सामग्री तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।
- अध्यापन के दौरान प्रयुक्त होने वाली प्रशिक्षण सामग्री जैसे– पावर प्वाइंट प्रजन्टेशन, वीडियो एवं अन्य सामग्री तैयार करना।

- शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के साथ मास्टर एवं क्लीनिकल रोटेशन प्लान तैयार करने तथा विषय वस्तु की समय–सारणी विकसित करने में प्रधानाचार्य की मद्द करना।
- क्लीनिकल पोस्टिंग हेतु सम्बंधित चिकित्सालय के प्रभारी से समन्वय स्थापित करना।
- सत्र के दौरान समय–समय पर विषयवार परीक्षा का आयोजन करना एवं प्रशिक्षुकों को चिन्हित विषयों पर असाइनमेंट आदि देना।
- प्रशिक्षुकों की शारीरिक एवं ज्ञानवर्धन हेतु एक्स्ट्रा कैरीकुलर एक्टिविटी का आयोजन करना।
- प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु प्रशासनिक और वित्तीय गतिविधियों में प्रधानाचार्य की मदद करना।
- प्रधानाचार्य द्वारा आवंटित अन्य कार्यों का सम्पादन करना।

नोडल अधिकारीः– जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जा चुके हैं, जिसकी सूचना महानिदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा सचिव, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा परिषद को जी0ओ0 मैपिंग हेतु प्रेषित की जा चुकी है। सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षा है कि उनके द्वारा नोडल अधिकारी न बदले जाये। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में बदला जाना आवश्यक हो तो, नये नोडल अधिकारी का नाम, मो0नं0, पदनाम एवं ई–मेल आई.डी की सूचना महानिदेशक – प्रशिक्षण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ई–मेल आई.डी. (dgmhtraining@gmail.com) एवं एस.पी.एम.यू. के प्रशिक्षण अनुभाग की ई–मेल आई.डी. (gmtrainingnhm2022@gmail.com) पर अवश्य उपलब्ध करायी जाए।

अनुबंध की कार्यवाहीः– स्ट्रेन्थनिंग ऑफ प्री–सर्विस एजुकेशन एण्ड मिडवाइफरी कार्यक्रम में चयनित पी0एच0एन0 ट्यूटर्स को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संविदा पर नियमानुसार तैनात किये जाने की कार्यवाही सम्बंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से की जायेगी।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः राज्य स्तर से महानिदेशालय एवं एस0पी0एम0यू0 के अधिकारियों, मण्डल स्तर से मण्डलीय अपर निदेशक/मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक तथा जनपद स्तर से मुख्य/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0) तथा जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा समय–समय पर उपयफ्रक्त प्रशिक्षण की मेंटरिंग एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाएगा।

वित्तीय व्यवस्थाः

1. स्ट्रेन्थनिंग ऑफ प्री–सर्विस एजुकेशन एण्ड मिडवाइफरी कार्यक्रम के अर्न्तगत संविदा पर नियुक्त पी0एच0एन0 ट्यूटर्स को एफ.एम.आर मद HSS.9.184.C.S0953 (9.1.4.2) से मानदेय हेतु रू0 35,000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि देय होगी। स्वीकृत पदों के सापेक्ष 178 पदों पर ए0एन0एम0टी0सी0 एवं एल0एच0वी0 केन्द्रों पर तैनाती की जा चुकी है। अतः पी0एच0एन0 के मानदेय एवं वार्षिक इंक्रीमेंट के लिए 12 माह हेतु रू0 770.07 लाख की धनराशि सम्बंधित जनपदों को आवंटित की जा रही है।
2. पी0एच0एन0 ट्यूटर का मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत करते हुए ई0एच0आर0एम0एस0 कोड जारी करने के पश्चात मानदेय की कार्यवाही पूर्ण की जाए।
3. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वित्तीय आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय किया जायेगा।
4. प्रशिक्षण केन्द्रों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंकबुक, लेजर, चेक इश्यु रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें। साथ ही आडिट के दौरान व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर एवं आडिट टीम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सम्पक सूत्रः–

1. डा0 अल्का सिंह (मो0 7985542089) संयुक्त निदेशक–प्रशिक्षण एवं डा0 सचिन वैश्य (मो0 9415025514) संयुक्त निदेशक–प्रशिक्षण (dgmhtraining@gmail.com)
2. डा0 विजयकीर्ति (मो0 9935453820) एवं डा0 मनीश सिंह (मो0 7800090315) नोडल अधिकारी, एस0आई0एच0एफ0डब्लू0 (vijaykirti@rediffmail.com)
3. श्री देवेश चन्द त्रिपाठी, उपमहाप्रबंधक–प्रशिक्षण, एस0पी0एम0यू0 मो0–9412067074 (gmtrainingnhm2022@gmail.com)
4. डा0 वन्दना सिंह (8004930725) एवं डा0 प्रशान्त मिश्रा (9721081399), यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।

15. जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम

15.1 जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम

प्रदेश में बढती हुई जनसंख्या तथा आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले रोगों के कारण रोगियों की संख्या में बढोत्तरी हुई है तथा जिला चिकित्सालयों पर रोगी भार भी निरन्तर बढ़ रहा है। प्रदेश में निरन्तर बढ़ते रोगी भार के सापेक्ष चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी अनुभव की जा रही है। अतः इस परिस्थिति के दृष्टिगत् जिला चिकित्सालयों पर ससमय गुणवत्तापरक आकस्मिक गहन एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश के 56 चिकित्सालयों में जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के संचालन के क्रम में आवश्यक चिकित्सकीय मानव संसाधन की आपूर्ति निम्नलिखित गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण हेतु की जा रही है–

- 24×7 आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण ।
- गहन चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु चिन्हित चिकित्सालयों में हाई डिस्पेन्डेन्सी यूनिट्स की स्थापना, जिसमें 4 शैय्या की सर्जिकल एच0डी0यू0 एवं 4 शैय्या की मेडिकल एच0डी0यू0 स्थापित की जानी है।
- प्रमुख 10 विशेषज्ञताओं जैसे मेडिसिन, सर्जरी एनेस्थिज़ियोलॉजी, पिडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स ऑफ्थॉल्मोलोजी, ई0एन0टी0, आब्स एवं गाईनी (जहाँ उपलब्ध हो) पैथालोजी एवं रेडियोलॉजी में चिकित्सकीय सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण यथा सम्भव आई0पी0एच0एस0 2022 के मानकानुसार किया जाना है।

उपरोक्त उद्देश्य के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022–24 की आर0ओ0पी0 में भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के 20 प्रतिशत चिकित्सालयों को वित्तीय वर्ष 2022–23 में आई0पी0एच0एस0 2022 मानकों के अनुसार उच्चीकृत किया जाना प्रास्तावित है। उक्त लक्षित चिकित्सालयों के सापेक्ष पूर्व से 56 चिकित्सालयों में कार्यक्रम द्वारा चिकित्सकीय मानव संसाधन के पद स्वीकृत हैं। इन पूर्व से चयनित चिकित्सालयों सहित कुल 115 चिकित्सालयों की इस वित्तीय वर्ष में आई0पी0एच0एस0 2022 मानकों के अनुसार गैप एनालिसिस की गई है, **जिससे सम्बन्धित दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।**

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानव संसाधन तथा आवश्यक उपकरण इस आशय से उपलब्ध कराये जा रहें हैं कि जिला चिकित्सालय स्तर पर पहुँच रहे रोगियों को ससमय गुणवत्तापरक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें तथा अनावश्यक उन्हें चिकित्सा महाविद्यालयों पर संदर्भित ना किया जाए। इस बात पर विशेषकर ध्यान आकर्षित किया जाये कि विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अपनी विशेषज्ञताओं से संबंधित रोगियों को अनावश्यक उच्च केन्द्रों पर रेफर ना किया जाए तथा यथासंभव जिला चिकित्सालय स्तर पर ही चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करायीं जायें। केवल अति गम्भीर रोगी जिन्हें सुपर स्पेशेलिस्ट सेवाओं की आवश्यकता हो, को ही संदर्भित किया जाए। ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 रोगियों के निदान एवं उपचार से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव उचित प्रकार से किया जाए तथा प्रत्येक माह एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाए।

मानव संसाधन की आपूर्ति संबंधी–

जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–24 में गत् वर्षों से स्वीकृत मानव संसाधन के पदों में 433 चिकित्सकीय पद एवं 4011 पैरामेडिकल पद निम्न तालिकानुसार सम्मिलित हैं, जिसका विस्तृत विवरण चिकित्सालयवार, एफ0एम0आर0वार, एवं जनपदवार विवरण पृथक से प्रेषित किये गये हैं–

S.no.	Old FMR code	New FAMS FMR	Post Name	No. of sanctioned post in FY 2023-24	Approved Basic Honoraria per Month for vacant position (in Rs.)	Selection process made by State or District
A- Medical Posts						
1	8.1.2.1	HSS.9.184.C.S0112	Obs & Gyne	27	Based on bidding	By State
2	8.1.2.2	HSS.9.184.C.S0127	Peadiatrician	25		
3	8.1.2.2	HSS.9.184.C.S0129	Microbiologist (MD)	2		
4	8.1.2.2	HSS.9.184.C.S0130	MD Medicine	3		
5	8.1.2.3	HSS.9.184.C.S0143	Anesthetist	25		
6	8.1.2.4	HSS.9.184.C.S0155	General Surgeon	29		
7	8.1.2.5	HSS.9.184.C.S0167	Radiologist	12		
8	8.1.2.6	HSS.9.184.C.S0180	Pathologist	27		
9	8.1.2.6	HSS.9.184.C.S0182	Anesthetist	4		
10	8.1.3.1	HSS.9.184.C.S0192	Physician/General Medicine Specialist/ Chest Physician	27		
11	8.1.3.3	HSS.9.184.C.S0206	Orthopedic Surgeon	17		
12	8.1.3.4	HSS.9.184.C.S0212	ENT	27		
13	8.1.3.5	HSS.9.184.C.S0220	Ophthomologist	8	100000/- per month	
14	8.1.3.6	HSS.9.184.C.S0225	Dermatologist	3		
15	8.1.3.8	HSS.9.184.C.S0235	Microbiologist	5		
16	8.1.5.1	HSS.9.184.C.S0281	EMO-HDU	50	60000/- per month	By District
			EMO	122	50000/- per month	
17	8.1.4.1	HSS.9.184.C.S0255	Dental Surgeon (MDS)	7	65000/- per month	By State
			Dental Surgeon (BDS)	13	38000/- per month	
			Total of Medical Posts (A)	**433**		

B- Paramedical Posts						
18	8.1.1.2	HSS.9.184.C.S0014	Satff Nurse	829	20063/- per month	By State
19	8.1.1.8	HSS.9.184.C.S0074	Pharmacist	28	18000/- per month	
20	8.1.10.3	HSS.9.184.C.S0480	Staff Nurse-HDU	302	30000/- per month	
21	8.1.10.3	HSS.9.184.C.S0481	Nurse Incharge_HDU	22	32000/- per month	
22	8.1.13.22	HSS.9.184.C.S0645	Audiometric Assistant**	11	15000/- per month	
23	8.1.13.22	HSS.9.184.C.S0646	Cook*	25	9743/- per month#	By District
24	8.1.13.22	HSS.9.184.C.S0655	Dental Hygienist**	4	13500/- per month	By State
25	8.1.13.22	HSS.9.184.C.S0647	Dietician**	37	25000/- per month	
26	8.1.13.22	HSS.9.184.C.S0648	Lab Technician**	132	13500/- per month	
27	8.1.13.22	HSS.9.184.C.S0649	Opotometrician**	20	13500/- per month	
28	8.1.13.22	HSS.9.184.C.S0650	OT Technician***	128+40	13500/- per month	
29	8.1.13.22	HSS.9.184.C.S0656	Physiotherapist**	37	17787/-per month	
30	8.1.13.22	HSS.9.184.C.S0653	Staff Nurses**	1796	18190/- per month	
31	8.1.13.22	HSS.9.184.C.S0658	Ward Aaya/ ward Boy*	506	9743/- per month#	By District
32	8.1.13.22	HSS.9.184.C.S0654	X-Ray Technician**	78	13500/- per month	By State
33	8.1.13.22	HSS.9.184.C.S0659	ECG Tech.**	16	13500/- per month	
			Total of Para- Medical Posts (B)	**4011**		
			Grand Total (A+B)	**4444**		

Note-

*	एफ0एम0आर0 8.1.13.22 के New FMR-HSS.9.184.C.S0646 and HSS.9.184.C.S0658 पर स्वीकृत पद कुक एवं बार्ड आया/वार्ड ब्वॉय के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया जनपद पर पूर्व की भाति आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी।
**	फ0एम0आर0 8.1.13.22 के New FMR-HSS.9.184.C.S0646 and HSS.9.184.C.S0658 पर स्वीकृत पदों के अतिरिक्त क्र0 सं0 22 से 33 तक के पदों पर चयन प्रक्रिया राज्य स्तर से संविदा पर की जायेगी। अतः अग्रिम आदेशो तक उक्त पदों पर चयन प्रक्रिया जनपद स्तर पर स्थगित की जा रही है।
***	भारत सरकार द्वारा एफ0एम0आर0 8.1.13.22 पर पूर्व में स्वीकृत पद सी0एस0एस0डी0 टैक्नीशियन को ओ0टी0 टैक्नीशियन में परिवर्तित कर दिया गया है। अतः वर्तमान में ओ0टी0 टैक्नीशियन के 128 पदों के स्थान पर 168 पद हैं।
#	प्रतिवर्ष लेबर लॉ के अनुसार इन पदों (कुक एवं वार्ड आया/वार्ड ब्वॉय) के मानदेय में परिवर्तन हो जाता है, जिसपर भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त संशोधन किया जाता है। अतः इस वर्ष उक्त पदों पर कार्यरत् कर्मियों का मानदेय हेतु धनराशि रू0 9743.00 प्रतिमाह की दर से बजट आवंटित किया गया है।

ऑनगोइंग मानव संसाधन सम्बन्धी–

चयन प्रक्रिया सम्बन्धी–

1. वित्तीय वर्ष 2022–23 के पत्र सं0 648/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एच0आर0/2022–23/8683, दिनाँक 15.02.2023 का संज्ञान लेने का कष्ट करें। पत्र द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार दिनाँक 16.02.2023 से विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया राज्य स्तर से बिडिंग मॉडल के माध्यम से की जा रही है। उक्त के क्रम में जनपद स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की चयन प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सकों की चयन प्रक्रिया जनपद स्तर पर अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है।
2. जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत ई0एम0ओ0 एच0डी0यू0 एवं ई0एम0ओ0 की चयन प्रक्रिया वर्तमान में एन0एच0एम0 में लागू व्यवस्था के अनुसार जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समितियों के अनुमोदनोपरान्त वाक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से की जाएगी। इस सम्बन्ध में अनुमोदित टी0ओ0आर0 पत्र के साथ अनुमोदित टी0ओ0आर0 प्रेषित किये जा रहे हैं। अतः उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष आपके जनपद/चिकित्सालय में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया नियमानुसार की जानी है।
3. जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अर्न्तगत एम0बी0बी0एस0 चिकित्साधिकारियों में ई0एम0ओ0– नॉन एच0डी0यू0 के रिक्त पदों पर तैनाती मूल मानदेय धनराशि रू0 50,000/– प्रतिमाह की दर से की जायेगी एवं जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अर्न्तगत (चयनित 22 जिला स्तरीय चिकित्सालयों) एच0डी0यू0 संचालन हेतु सृजित ई0एम0ओ0– एच0डी0यू0 के रिक्त पदों पर तैनाती मूल मानदेय धनराशि रू0 60,000/– प्रतिमाह की दर से की जायेगी।
4. तालिका 1 में क्र0 सं0 22 से 33 तक (क्र0सं0 23 व 31 के अतिरिक्त) के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया राज्य स्तर से संविदा पर की जायेगी। अतः अग्रिम आदेशो तक उक्त रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया जनपद स्तर पर स्थगित की जा रही है।

तालिका 1 के क्र0 सं0 23 व 31 पर अंकित पद–कुक एवं वार्ड आया/वार्ड ब्वॉय के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्व की भाँति आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जानी है, साथ ही वित्तीय वर्ष 2023–24 में लेबर लॉ के अनुसार इन पदों का अनुमोदित एवं संशोधित मानदेय धनराशि रू0 9,743.00 प्रतिमाह होगा।

मानदेय, अन्य कम्प्लाइन्सेज़, एवं अन्य सामान्य नियम–शर्त सम्बन्धी–

1. वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु भारत सरकार द्वारा गत् वर्ष की भाँति पूर्व से चयनित 56 चिकित्सालयों में तालिका 1 के अनुसार एफ0एम0आर0 HSS.9.184 के विभिन्न उपशीर्षकों के अन्तर्गत स्वीकृत मानव संसाधन हेतु निम्न तालिकानुसार अंकित मदों में स्वीकृति प्रदान की है–

S.	Head	Staff which directly contracted	Staff which contracted

No.		with District Health Society (DHS)	with outsourcing agency
1	Honoraria	Applicable	Applicable
2	Increment	Applicable	Applicable
3	Loyalty Bonus	Applicable	Not applicable
4	EPF@13.36% (From Employer side)	Applicable (As per norms)	Applicable (As per norms)
5	ESIC@3.25% (From Employer side)	Not applicable	Applicable (As per norms)
6	Service Charges@ 10% maximum	Not applicable	Applicable (As per norms)
7	GST@ 18% (as per norms)	Not applicable	Applicable (As per norms)

2. तालिका 1 में वर्णित सभी चिकित्सक एवं पैरामेडिकल कर्मी (क्र0 सं0 1 से 21 तक) जोकि एन0एच0एम0 के अन्तर्गत, जिला स्वास्थ्य समिति से अनुबन्धित हों, कार्यरत् है, का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर अप्रेज़ल के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन नीति में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि के पात्र होंगे। साथ ही जिला स्वास्थ्य समिति से अनुबन्धित संविदाकर्मी, जिसने सफलतापूर्वक एक ही पद पर अपना कार्यकाल तीन वर्षों तक सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, नियमानुसार 10 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस के पात्र होंगे

नोट– उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से एफ0एम0आर सं0 8.1.13.22 पर स्वीकृत पदों पर कार्यरत् आउटर्सोस कर्मी लॉयल्टी बोनस के पात्र नहीं होते हैं।

3. एफ0एम0आर सं0 8.1.13.22 के अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर, सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत् कर्मियों हेतु मानदेय, नियमानुसार इन्क्रीमेण्ट (5%), ई0पी0एफ0 (13.36%) एवं ई0एस0आई0सी0 (3.25%) (मूल मानदेय रू0 15000/– प्रतिमाह तक के मानदेय वाले पद ई0पी0एफ0 के पात्र होंगे एवं मानदेय रू0 15000/–प्रतिमाह तक की सीमा तक ई0पी0एफ देय है। मानदेय रू0 21000/– प्रतिमाह अथवा उससे कम मानदेय वाले पद पर ई0एस0आई0सी0 के पात्र होंगे), एजेन्सी सर्विस चार्जेज़ (10% max.) तथा जी0एस0टी0 (18%) नियमानुसार देय होगा, **इस हेतु वांछित धनराशि भी आवंटित की जा रही है।**

नोट– अवगत कराना है कि राज्य स्तर से ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0सी0 एजेन्सी सर्विस चार्जेस तथा जी0एस0टी0 सम्बन्धी धनराशि की अधिकतम सीमा का आवंटन किया जा रहा है। जनपद स्तरीय जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित धनराशि वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार उपयोजित की जायेगी।

4. संविदा पर कार्यरत् ऐसे कर्मी जिनका मूल मानदेय रू0 15,000/– प्रतिमाह तक है, ई0पी0एफ0 के पात्र होंगे एवं मानदेय रू0 15,000/–प्रतिमाह तक की सीमा तक ई0पी0एफ देय होगा।

मानव संसाधन सम्बन्धी आवंटित धनराशि जोकि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की गई है, का विवरण एफ0एम0आर0 वार एवं पदवार फैम्स पर अपलोड किया गया है।

नोट– कृपया राज्य स्तर से प्रेषित स्वीकृत मानव संसाधन की पदवार संख्या एवं बजट का संज्ञान लेते हुए मानदेय एवं अन्य कम्प्लाइन्सेज़ से सम्बन्धित धनराशि को वास्तविकता के आधार पर ससमय निर्गत करते हुए उसके व्यय का ब्यौरा फैम्स पोर्टल पर ससमय अंकित कर अनुमोदित करवायें, जिससे कि समय समय पर राज्य स्तर पर आवंटित बजट के सापेक्ष व्यय का विश्लेषण किया जा सके।

5. तालिका 1 के सभी चिकित्सक एवं पैरामेडिकल (क्र0सं0 1 से 21 तक पर अंकित पदों पर) जोकि एन0एच0एम0 के आधीन, जिला स्वास्थ्य समिति से अनुबन्धित है, कार्यरत् है, पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन नीति नियमानुसार लागू होगी। क्र0सं0 22 से 33 तक एफ0एम0आर0 8.1.13.22 पर अंकित पदों के सापेक्ष ऑउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा की गई है। अतः आउटर्सोसकर्मी सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेन्सी के कर्मी होते हैं, **इनके लिए राज्य स्तर से कोई प्रावधान नहीं है।**

6. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक, एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक, स्टाफ नर्से तथा अन्य पैरामेडिकल कर्मी चिकित्सा उपचार से संबंधित समस्त कार्यो जैसे आकस्मिक सेवा, गहन चिकित्सा सेवा, वाह्य रोगियों एवं भर्ती रोगियों की देखभाल, विशेष अभियानों, स्वास्थ्य मेलों आदि में पूर्ण योगदान देंगे।

7. जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत मानव संसाधन की मासिक कार्य समीक्षा प्रेषित प्रपत्र पर वांछित सूचना भर कर प्रत्येक **माह की 5 तारीख तक राज्य स्तर पर ई– मेल के माध्यम से districthospitals.up2021@gmail.com पर प्रेषित करें। इस कार्य हेतु मुख्यतः उत्तरदायी सम्बन्धित चिकित्सालय के मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका होंगे**

15.2 डी0एन0बी0 कार्यक्रम

प्रदेश के चिन्हित चिकित्सालयों में डी0एन0बी0 कार्यक्रम के संचालन हेतु दिनांक 01.08.2022 को प्राप्त आर0ओ0पी0 वर्ष 2023–2024 हेतु S.NO 190 एफ0एम0आर0 संख्या HSS 10 डी0एन0बी0 कार्यक्रम हेतु पर कुल धनराशि 2059.00 लाख स्वीकृत की गयी है, जिसके सापेक्ष बजट आवंटन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश सम्बन्धित जनपदों को इस कार्यालय के पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / डी0एच0एस0 / 1 / 2022–23 / 1581–3, दिनाँक 23.05.2023 के माध्यम से पूर्व में प्रेषित किये गये हैं, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं–

प्रशिक्षार्थियों का मानदेय–

सभी चिकित्सालयों में एकरूपता से प्रशिक्षार्थियों को स्टाईपेन्ड दिया जाएगा। प्रथम वर्ष में पत्रांक 910 / चि0–3–2021 द्वारा शासन स्तर से निर्धारित स्टाइपेंड धनराशि रू0 70,000 / – द्वितीय वर्ष मे धनराशि रू0 72,000 / – तथा तृतीय वर्ष में धनराशि रू0 74,000 / प्रति माह की की दर से 12 माह हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। नियमानुसार जनपदों को आवंटित की जा रही है। नवीन आवेदित विभागों के एक्रीडिटेशन के परिणाम घोषित होने के पश्चात् स्वीकृत सीटों के आधार पर बजट पृथक से आवंटित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि कतिपय चिकित्सालयों में एन0बी0ई0 द्वारा स्वीकृत प्राइमरी सीटों के अतिरिक्त पोस्ट डिप्लोमा सैकेण्डरी सीटों पर भी प्रशिक्षार्थियो का इन्रोलमेन्ट किया जा रहा है।

सैकेण्ड्री सीटों के विद्यार्थियों को भी प्रथम वर्ष में रू0 72000 / –माह तथा अन्तिम वर्ष में रू0 74000 / –माह की दर से स्टाइपेंड का भुगतान किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय प्रशिक्षार्थियों की उपलब्धता के अनुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि एक वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षार्थी दो विभिन्न शैक्षिक वर्षों में अध्ययन करते हैं। चिकित्सालयों में स्वीकृत प्राइमरी सीटों तथा अपेक्षित सैकेण्ड्री सीटों के आधार पर स्टाइपेन्ड हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है।

सीनियर रेजीडेन्ट्स (एस0आर0) का मानदेय - डी0एन0बी0 कार्यक्रम हेतु प्रत्येक विभाग / विषय में दो सीनियर रेजीडेन्ट्स (एस0आर0) के पद स्वीकृत किये गए हैं। वर्ष 2023–24 हेतु कुल 46 सीनियर रेजीडेन्ट्स के पदों हेतु मानदेय रू0 1,25,000 / प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिए स्वीकृती प्राप्त है। आवंटित धनराशि का व्यय सीनियर रेजीडेन्ट्स की उपलब्धता के अनुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा। सीनियर रेजीडेन्ट्स के मानदेय के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तें / कन्डीशनैलिटीज़ निर्धारित की जा रही है :

- सीनियर रेजीडेन्ट्स आकस्मिक सेवाओं में पूर्ण योगदान देंगे।
- शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य के साथ–साथ चिकित्सा उपचार के कार्यों में भी पूर्ण योगदान देगें।
- सीनियर रेजीडेन्ट्स के चयन के सम्बन्ध में मिशन निदेशक के पत्र एस.पी.एम.यू. / नियोजन / 38 / 2017–18 / 13290–2 दिनाँक 26.03.2018 के माध्यम से निर्गत दिशा–निर्देशों एवं एन0बी0ई0 के मानकों का पालन किया जायेगा।

सीनियर रेजीडेन्ट की आर्हताएं निम्नवत् है– "2 (two) Senior Residents are desirable in the department. They must possess recognized Degree/Diploma qualification in the specialty. In Broad specialties disciplines, the degree/diploma should not have been• awarded more than 60 months earlier from the date of filing the application. Sr. Residents with diploma qualification must possess minimum of 2 years of Post diploma experience in the specialty concerned ."- *As per Information Bulletin 2022 National Board of Examination*

आवंटित धनराशि का व्यय सीनियर रेजीडेन्ट्स के कार्यकाल के अनुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

राजकीय चिकित्सकों हेतु प्रोत्साहन भत्ता– :–

डी0एन0बी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत फैकल्टी के रूप में कार्यरत राजकीय चिकित्सकों तथा अन्य सहयोगी विभागों के चिकित्सकों द्वारा अपने दैनिक कार्यों, दायित्वों के साथ–साथ शिक्षण एवं प्रशिक्षण का भी कार्य किया जाएगा, जिसके लिए प्रति लेक्चर / थ्योरी क्लासेज़ हेतु प्रोत्साहन धनराशि रू0 2,000 / – प्रति लेक्चर स्वीकृत की गई है। नेशनल बोर्ड ऑफ इग्जैमिनेशन (एन0बी0ई0) के मानकों के अनुसार सप्ताह में कम से कम 10 घंटे जिसमें से 5 घंटे प्रायोगिक कक्षाएं एवं 5 घंटे थ्योरी की कक्षाएं ली जायेंगी। इस प्रकार प्रति विषय सप्ताह में 75 मिनट के कम से कम 4 क्लासेज़ लिये जायेंगे। प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन धनराशि का आवंटन तालिका 5 के अनुसार किया जा रहा है। प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान वास्तविकता के आधार पर फैकल्टी / टीचर्स के सैलरी एकांउट में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रत्येक माह के अंत में किया जाना है।

रोटेशनल पोस्टिंग हेतु धनराशि– FMR HSS.10.190.OOC1 – नैशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन के दिशा–निर्देशानुसार डी0एन0बी0 प्रशिक्षार्थियों के लिए रोटेशनल पोस्टिंग अनिवार्य मानकों में से एक है।

लखनऊ के 3 चिकित्सालयों के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के रोटेशनल पोस्टिंग के लिए एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसके अनुसार रोटेशनल पोस्टिंग का भुगतान प्रति अभ्यर्थी प्रति महीना 20,000 (बीस हजार मात्र) वास्तविकता के आधार पर किया जाना है।

लाइब्रेरियन कम प्रोग्राम असिस्टेंट– नेशनल बोर्ड ऑफ इग्जैमिनेशन (एन0बी0ई0) द्वारा लाइब्रेरी की स्थापना एवं क्रियाशीलता पर विशेष बल दिया गया है। अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022–24 की आर0ओ0पी0 में लाइब्रेरियन हेतु एनुअल इन्क्रीमेन्ट एवं लॉयलटी बोनस पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। सम्बन्धित चिकित्सालयों को 2023–24 हेतु धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। आवंटित धनराशि का व्यय लाइब्रेरियन कम प्रोग्राम असिस्टेंट के कार्यकाल के अनुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

डी0एन0बी0 कार्यक्रम के संचालन हेतु वित्तीय रख–रखाव एवं शासकीय कार्य हेतु प्रोत्साहन धनराशि FMR HSS.10.190.OOC1– कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तीय रख–रखाव एवं शासकीय कार्य सम्पादित करने के लिए प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नामित अधिकारी (एम0बी0बी0एस0) हेतु प्रति माह धनराशि रू0 10,000.00 की दर से **रू0 10.80 लाख** का आवंटन किया जाना है। उक्त धनराशि रू0 10,000 निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा नामित (उनके अलावा अन्य कार्यरत राजकीय चिकित्सक) को देय होगा। नामित डी0एन0बी0 कॉर्डिनेटर द्वारा डी0एन0बी0 कोर्स से सम्बन्धित समस्त कार्य (वित्तीय एवं प्रशासनिक) सम्पादित किये जाएगें एवं डी0एन0बी0 कोर्स के विस्तार हेतु प्रयास करेंगे उक्त धनराशि रू0 10,000 में से नामित डी0एन0बी0 कॉर्डिनेटर को रू0 2000 कार्यक्रम विस्तार के लिए प्रयास हेतु इन्सेन्टिव के रूप में दिया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

पुस्तकों एवं जनर्लस हेतु धनराशि का प्रस्ताव FMR HSS.10.190.OOC1– पुस्तकालय एक वर्धनशील विभाग है, इसमें निरन्तर संस्करण को मांगना आवश्यक होता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में 33 विषयों में पुस्तकों एवं जनर्लस हेतु धनराशि **रू0 20** लाख पर एवं 2023–24 में धनराशि **रू0** 14 लाख पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है वित्तीय वर्ष 2022–23 में चिकित्सालयों में पुस्तकों एवं जनर्लस हेतु धनराशि **रू0 10.00 लाख** का आवंटन किया गया था।

राज्य स्तर पर शेष अन्य धनराशि में से चिकित्सालयों के मांग के आधार पर पुस्तकों एवं जनरर्लस हेतु कुल धनराशि रू0 18.5 लाख का आवंटन किया गया है। **राज्य स्तर पर शेष अन्य धनराशि का** आवंटन **भविष्य में** वास्तविकता के आधार पर **एवं** चिकित्सालयों के मांग के आधार पर किया जायेगा।

कंटीन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन (CME/continuing medical education) हेतु धनराशि का प्रस्ताव FMR HSS.10.190.OOC1– नैशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन CME (continuing medical education) पर विशेष बल देता है अतः कंटीन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन हेतु प्रति वर्ष 10 लाख की दर से वर्ष 2022–23 के लिए कुल धनराशि **रू0 10.00 लाख** भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। **राज्य स्तर पर धनराशि रू0 10.00 लाख का** आवंटन **भविष्य में** वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

लाईब्रेरी कम ई–लर्निंग रूम की स्थापना– वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवीन प्रस्तावित 10 चिकित्सालयों हेतु लाईब्रेरी की स्थापना हेतु धनराशि रू0 08.00 लाख प्रति लाईब्रेरी की दर से धनराशि रू0 80.00 लाख भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। चिकित्सालयों के मांग के आधार पर लाईब्रेरी कम ई–लर्निंग रूम हेतु कुल धनराशि रू0 24.00 लाख का आवंटन किया गया है।

राज्य स्तर पर शेष अन्य धनराशि का आवंटन **भविष्य में** वास्तविकता के आधार पर **एवं** चिकित्सालयों के मांग के आधार पर किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए उक्त धनराशि का व्यय वास्तविकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त से सम्बन्धित व्यय विवरण प्रतिमाह कार्यालय की ई–मेल पर **districthospitals.up2021@gmail.com** पूर्व में प्रेषित प्रारूप पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

सम्बन्धित निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों का यह दायित्व होगा कि वे प्रशिक्षार्थियों, फैकल्टी की उपस्थिति तथा प्रशिक्षण कार्यों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेंगे साथ ही डी0एन0बी0 नोडल अधिकारी के द्वारा निम्न कार्यों को ससमय करवाना सुनिश्चित करेंगे–

1. जूनियर रेजीडेन्ट्स के स्टाइपेण्ड का भुगतान नियमानुसार ससमय करवाना सुनिश्चित करें।
2. सभी अध्ययनरत् जूनियर रेजिडेन्टस (राजकीय चिकित्सक सहित) द्वारा डी0एन0बी0 फीस ससमय जमा करवाना सुनिश्चित करें।
3. एन0बी0ई0 द्वारा इन्स्पेक्शन, एक्रिडिटेशन अथवा डिएक्रिडिटेशन सम्बन्धित कार्यवाही से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय की ई–मेल पर तत्काल अवगत कराया जाए।

दो वर्षीय एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कार्यक्रम

प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी के दृष्टिगत एन0बी0ई0 के दिशा निर्देशानुसार द्वारा तीन वर्षीय डी0एन0बी0 कार्यक्रम का संचालन चिन्हित 9 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के क्रम में एन0बी0ई0 द्वारा वर्ष 2020–21 में नये कोर्स' दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कार्यक्रम का शिलान्यास किया गया। उक्त कोर्स में निम्न चिकित्सालयों द्वारा आवेदन किया गया था, जिसके सापेक्ष एन0बी0ई0 द्वारा निम्न तालिकानुसार विभिन्न विधाओं में एक्रीडिटेशन प्रदान किया गया है–

Sl.No	Name of Hospitals	Total No of subject	Speciality for 2 yrs Post MBBS Diploma course
1	BalrampurHospital,Lucknow	3	Opthalmics,Paediatrics,TB & Chest diseases
2	Veerangna Avantibai Hospital, Lucknow	1	Obs & Gynaecology
3	PL Sharma Hospital, Meerut	1	Opthalmics
4	SSPG Hospital Varanasi	2	Opthalmics,Paediatrics
5	TB Sapru Hospital, Allahbad	1	Paediatrics
6	UHM Hospital Kanpur	3	Opthalmics,ENT, TB & Chest diseases
7	Maharana pratap district hospital, Bareilly	2	Opthalmics,ENT
Total Subjects under Diploma Programme (NBEMS) year 2022-23		**13**	

उपरोक्त तालिका में अंकित विधाओं में सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें प्रदेश के राजकीय प्रशिक्षकों हेतु आरक्षित हैं। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से दिनाँक 01/11/2021 द्वारा नीतिगत् निर्देश भी प्राप्त हैं। ज्ञातव्य है कि दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कार्यक्रम के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए भारत सरकार को राज्य कार्ययोजना में प्रेषित प्रस्ताव के सापेक्ष कुल धनराशि, रू0 488.14 लाख एफ0एम0आर0, HSS.13.197.CB.1 पर स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके सापेक्ष बजट आवंटन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी विस्तृत दिशा निर्देश सम्बन्धित जनपदों को इस कार्यालय के पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/डी0एच0एस0/20/2022–23/1377–3, दिनाँक 19.05.2023 के माध्यम से पूर्व में प्रेषित किये गये हैं, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं–

प्रशिक्षार्थियों का मानदेय– सभी चिकित्सालयों में एकरूपता से प्रशिक्षार्थियों को स्टाईपेन्ड दिया जाएगा। प्रथम वर्ष में घनराशि रू0 70,000/– द्वितीय वर्ष मे धनराशि रू0 72,000/– 12 माह हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। नवीन आवेदित विभागों के एक्रीडिटेशन के परिणाम घोषित होने के पश्चात् स्वीकृत सीटों के आधार पर बजट पृथक से आवंटित किया गया है।

राजकीय चिकित्सकों हेतु प्रोत्साहन भत्ता– दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कार्यक्रम के अन्तर्गत फैकल्टी के रूप में कार्यरत राजकीय चिकित्सकों तथा अन्य सहयोगी विभागों के चिकित्सकों द्वारा अपने दैनिक कार्यों, दायित्वों के साथ–साथ शिक्षण एवं प्रशिक्षण का भी कार्य किया जाएगा, जिसके लिए प्रति लेक्चर/थ्योरी क्लासेज़ हेतु प्रोत्साहन धनराशि रू0 2,000/– प्रति लेक्चर स्वीकृत की गई है। नेशनल बोर्ड ऑफ इग्ज़ैमिनेशन (एन0बी0ई0) के मानकों के अनुसार सप्ताह में कम से कम 10 घंटे जिसमें से 5 घंटे प्रायोगिक कक्षाएं एवं 5 घंटे थ्योरी की कक्षाएं ली जायेंगी। इस प्रकार प्रति विषय सप्ताह में 75 मिनट के कम से कम 4 क्लासेज़ लिये जायेंगे। चिकित्सालयों द्वारा प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान वास्तविकता के आधार पर फैकल्टी/टीचर्स के सैलरी एकांउट में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रत्येक माह के अंत में किया जाना है।

बुक्स एवं जर्नल्स्– नैशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन द्वारा पुस्तकों, भारतीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय जर्नल्स की उपलबधता पर विशेष बल देता है तथा एक्रिडिटेशन से पूर्व लाईब्रेरी की स्थापना, पुस्तकों एवं जर्नल्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। अवगत कराना है रू0 1 लाख प्रति विषय की दर से पुस्तकों एवं रू0 50 हजार प्रति विषय की दर से पुस्तकों सम्बन्धित चिकित्सालयों को धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। आवंटित धनराशि का व्यय वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

सम्बन्धित निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों का यह दायित्व होगा कि वे नेशनल बोर्ड ऑफ इग्जैमिनेशन के पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य सम्पादित करेंगे सीनियर रेजिडेन्ट्स, फैकल्टी की उपस्थिति तथा प्रशिक्षण कार्यों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करें। डी0एन0बी0 कार्यक्रम के संचालन हेतु निर्धारित एफ0एम0आर कोड **HSS.13.197.CB.01** से नियमानुसार व्यय किया जाये।

सम्बन्धित निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों का यह दायित्व होगा कि वे प्रशिक्षार्थियों, फैकल्टी की उपस्थिति तथा प्रशिक्षण कार्यों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेंगे साथ ही डिप्लोमा डी0एन0बी0 नोडल अधिकारी के द्वारा निम्न कार्यों को ससमय करवाना सुनिश्चित करेंगे–

1. डिप्लोमा डी0एन0बी0 कोर्स से सम्बन्धित भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्ट ई–मेल districthospitals.up2021@gmail.com पर ससमय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
2. जूनियर रेजीडेन्ट्स के स्टाइपेण्ड का भुगतान नियमानुसार ससमय करवाना सुनिश्चित करें।

3. सभी अध्ययनरत् जूनियर रेजिडेन्टस (राजकीय चिकित्सक सहित) द्वारा डिप्लोमा डी0एन0बी0 फीस ससमय जमा करवाना सुनिश्चित करें।
4. एन0बी0ई0 द्वारा इन्स्पेक्शन, एक्रिडिटेशन अथवा डिएक्रिडिटेशन सम्बन्धित कार्यवाही से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय की ई–मेल पर तत्काल अवगत कराया जाए।
5. दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित सभी गतिविधियों पर निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

16. आयुष

16.1 आयुष चिकित्सकों एवं फार्मासिस्टों के मानदेय हेतु दिशा–निर्देश

प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ ही आयुष चिकित्सा पद्धति का लाभ जन सामान्य को पहुँचाने हेतु भारत सरकार द्वारा 2044 संविदा आयुष चिकित्सकों (पुरुश/महिला) एवं 759 संविदा आयुष फार्मासिस्टों के पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1. एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.S0296 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में नवीन नियुक्ति/एक वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले संविदा आयुष चिकित्सकों को रू0 32,000 प्रतिमाह तथा 5 वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कार्यरत संविदा आयुष चिकित्सकों को अधिकतम रू0 44,948 प्रतिमाह की दर से Basic मानदेय (दिनांक 31 मार्च 2023 को प्रदत्त मानदेय) वास्तविक गणना के आधार पर नियमानुसार देय होगा। उक्त Basic मानदेय पर नियमानुसार 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगा।
2. एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.S0297 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में नवीन नियुक्ति/एक वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले कार्यरत संविदा आयुष फार्मासिस्टों को रू0 12,500 प्रतिमाह, 5 वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले संविदा आयुष फार्मासिस्टों को अधिकतम रू0 16,857 प्रतिमाह की दर से Basic मानदेय (दिनांक 31 मार्च 2023 को प्रदत्त मानदेय) वास्तविक गणना के आधार पर नियमानुसार देय होगा। उक्त Basic मानदेय 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि तथा ई0पी0एफ0 देय होगा।
3. संविदा आयुष चिकित्सकों को रू0 32,000.00 प्रतिमाह एवं संविदा आयुष फार्मासिस्टों को रू0 12,500.00 प्रतिमाह न्यूनतम मानदेय देय होगा।
4. एफ0एम0आर0 कोड0 HSS.9.184.C.S0302 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में नवीन नियुक्ति/एक वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले संविदा पंचकर्म विशेषज्ञ को रू0 50,000 प्रतिमाह की दर से देय होगा।
5. जनपद में तैनात उन्हीं संविदा आयुष चिकित्सकों एव फार्मासिस्टों तथा पंचकर्म इकाई में तैनात उन्हीं संविदा पंचकर्म विशेषज्ञ को लॉयल्टी बोनस प्रदान किया जाना है, जिनके द्वारा मानव संसाधन अनुभाग द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–300/एस0पी0एम0यू0/डैप–एचआर/लॉयल्टी बोनस 2017–2018/12448 दिनांक–08.03.2018 तथा पत्र संख्या–300/एस0पी0एम0यू0/डैप–एच आर/लॉयल्टी बोनस 2017–2018/13035–75 दिनांक– 20 मार्च 2018 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी है।
6. वित्तीय वर्ष 2023–24 में संविदा आयुष फार्मासिस्टों हेतु 13.36 प्रतिशत की दर नियमानुसार देय ई0पी0एफ0 एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.S0297 पर आवंटित धनराशि में सम्मिलित है।
7. वित्तीय वर्ष 2023–24 में पंचकर्म इकाई में आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से तैनात मानव संसाधन (पंचकर्म टेक्नीशियन, पंचकर्म अटेण्डेंट एवं सफाई कर्मी) हेतु ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 तथा एजेन्सी चार्जेस, एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.S0302 पर आवंटित धनराशि में सम्मिलित है।
8. संविदा आयुष चिकित्सकों (विशेषकर संविदा आयुष पुरूष चिकित्सकों) को सर्वप्रथम ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों जहाँ पर कोई भी चिकित्सक (M.B.B.S./AYUSH) नियमित अथवा संविदा पर तैनात नहीं है, पर तैनात करते हुये उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जनपद स्तर पर संचालित आयुष विंग में तीनों विधा के एक–एक संविदा आयुष चिकित्सक एवं यथासंभव फार्मासिस्ट तैनात रहें।
9. यदि जनपद में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक उपलब्ध हो, ऐसी स्थिति में चिकित्सा इकाईयों के कार्यभार/आवश्यकता के आधार पर संविदा आयुष चिकित्सकों की तैनाती की जाये।
10. स्वास्थ्य इकाईयों पर जिस विधा का संविदा आयुष चिकित्सक तैनात किया जा रहा है, वहाँ पर उसी विधा के संविदा आयुष फार्मासिस्ट की तैनाती तथा आयुष औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्वास्थ्य इकाई (PHC/CHC/DH) पर संविदा आयुष फार्मासिस्ट की तैनाती संविदा आयुष चिकित्सकों के बिना न की जाये।
11. आवंटित धनराशि का वित्तीय सीमा में सभी शासकीय एवं वित्तीय नियमों का पालन करते हुए व्यय किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही उपयफ्रक्त तालिका में किसी तरह की त्रुटि अथवा विसंगति दृष्टिगत होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी अपनी स्पष्ट अभियुक्ति सहित सूचना ई–मेल gmayushnrhm03@ gmail.com पर तत्काल प्रेषित करे।

16.2 पंचकर्म इकाई की ऑपरेशनल कास्ट हेतु दिशा–निर्देश

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, जनपद–लखनऊ में स्थापित पंचकर्म इकाई के सुचारु रुप से संचालन हेतु FMR Code- HSS.13.197.OOC.1 के अन्तर्गत Operational Cost for Panch karma unit हेतु आवंटित धनराशि रु0 5.00 लाख का व्यय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, जनपद–लखनऊ के स्तर से सभी वित्तीय एवं क्रय नियमों का अनुपालन करते हुए निम्न दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है–

1. उक्त धनराशि का प्रयोग पंचकर्म इकाई के सुचारु रुप से संचालन हेतु आवश्यक व्ययों यथा स्टेशनरी, फोटो कॉपी, फैक्स, तौलिया, साबुन, बल्ब, पर्दे, झाड़ू, डस्टबिन, इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मरीजों को पंचकर्म क्रिया कराने हेतु आवश्यक सहायक सामग्री हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति के पश्चात् किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का प्रयोग एक वित्तीय वर्ष में पंचकर्म इकाई के आवश्यक उपकरणों की मरम्मत हेतु अधिकतम धनराशि रु0 50,000 की सीमा में किया जा सकता है। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमोदनोपरान्त अधिकतम रु0 2.00 लाख सीमा तक भी व्यय किया जा सकता है।
3. उक्त धनराशि से टेलीफोन, फैक्स/फोटो कॉपी मशीन, कम्प्यूटर इत्यादि का किसी भी अवस्था में क्रय नहीं किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का व्यय पंचकर्म विशेषज्ञ (पुरूष/महिला) द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, जनपद– लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा।
5. सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त व्यय की गयी धनराशि का बीजक प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा। जिस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नियमानुसार बीजक की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित के खाते में किया जायेगा।
6. पंचकर्म मद से धनराशि के उपभोग के समय सुनिश्चित करना चाहिये की उक्त मद में किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित ना की गयी हो। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये।
7. प्रत्येक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तिकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तिकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
8. व्यय से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखना एवं मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए गतिविधिवार तालिका एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवंटित वित्तीय सीमा में आपरेशनल गाइडलाइन फार फाइनेन्शियल मैनजमेन्ट में की गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी संगत नियमों/निर्देशों एवं राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का समस्त स्तरों पर पालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सक्षम प्राधिकारी/जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे

17. आई0एम0ई0पी0

17.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सा इकाईयों यथा एम0सी0एच0 विंग (50 एवं 30 शैयया् हेतु), ट्रामा सेन्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं मेडिकल केयर युनिट पर साफ–सफाई व्यवस्था, रख–रखाव एवं लाण्ड्री सेवाओं सम्बन्धी दिशा–निर्देश ।

उपरोक्त विषयक आप अवगत है कि प्रदेश सरकार जनसामान्य को गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सेवायें उपलब्ध कराने के लिये दृढसंकल्प है। गुणवत्तापरक चिकित्सा सेवाओं के लिये चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छ वातावरण आवश्यक है। ग्रामीण चिकित्सा इकाईयों यथा एम0सी0एच0विंग,ट्रामा सेन्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं मेडिकल केयर युनिट पर साफ–सफाई व्यवस्था, रख–रखाव एवं लाण्ड्री सेवाओं के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

प्रदेश के–

1. ग्रामीण चिकित्सा इकाईयों यथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एम0सी0एच0विंग (50 एवं 30 शैयया् हेतु), ट्रामा सेन्टर, एवं मेडिकल केयर युनिट पर साफ–सफाई व्यवस्था, रख–रखाव एवं लाण्ड्री का कार्य जिला स्तर से जैम पोर्टल के माध्यम से निविदा कराते हुये जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोंपरान्त कार्य कराया जाये।

आउटर्सोसिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयनः–

- मुख्य चिकित्साधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से निविदा प्रक्रिया के द्वारा श्रम विभाग में पंजीकृत ऐसी सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन कर लें, जिसका चिकित्सालय की साफ–सफाई, रख–रखाव तथा लाण्ड्री सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव हो।
- जनपद स्तर पर सेवाप्रदाता एजेन्सी का स्वतंत्र कार्यालय/कार्यशाला स्थापित हो तथा पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं लाण्ड्री से सम्बन्धित उपकरणों की उपलब्धता हो। इस आशय के प्रमाणित साक्ष्य, फोटोग्राफ्स एवं कर्मचारियों के पूर्ण विवरण(नाम, पता, उम्र सहित) टेण्डर के साथ प्राप्त कर लिये जाये।
- सेवा प्रदाता एजेन्सी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी के परिवार एवं उसके नजदीकी रिश्तेदार की न हो।
- सेवाप्रदाता एजेन्सी के चयन में भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा को ध्यान में रखते हुये ही दरों का निर्धारण किया जाये।

सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ अनुबन्ध में शामिल करने हेतु आवश्यक बिन्दुः–

- एम्बयूलेटरी एरिया (OPD, Emergency, Lab), प्रोसीजर एरिया, ऑग्जिलरी एरिया, वार्ड, लॉबी, खुली जगह (Kitchen, Pharmacy, Laundry, Admin Office, Garden & Open Area. etc) तथा स्नान गृह व शौचालय की साफ सफाई नियमित रूप से प्रतिदिन की जायेगी।
- चिकित्सालयों मे शौचालयों की सफाई प्रतिदिन कम से कम 03 बार की जायेगी। शौचालय के दरवाजे पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार मासिक कलेण्डर चस्पा किया जाये जिस पर प्रतिदिन (प्रातः, दोपहर एवं शाम) सफाई करने का समय तथा सफाई कर्मी के हस्ताक्षर अंकित किये जायें।
- प्रत्येक प्रसव के बाद प्रसव कक्ष की सफाई की जाए, ताकि स्वच्छता की गुणवत्ता की मानिटरिंग सुनिश्चित हो सके।
- चिकित्सालय में प्रसूता एवं अन्य रोगियो को फ्रेश धुले हुए चादर/तकिया आदि बांसी कागज के लिफाफो में देते हुये रजिस्टर में उपलब्ध कराये गये वस्त्रों की तारीख व समय अंकित कर लाभार्थी के हस्ताक्षर कराए जायें। सभी अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखे जायें।
- सेवा प्रदाता के साथ एम0ओ0यू0 में यह अवश्य दर्शाया जाए कि यदि सेवा प्रदाता एजेन्सी वांछित सेवाएं 02 महीने के अन्दर प्रदान नहीं करती है तो अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा। अनुबन्ध में गुणवत्तापरक एवं ससमय कार्य न करने पर नियमानुसार पेनाल्टी का भी प्राविधान किया जाये।
- स्वच्छ वातावरण के अर्न्तगत स्वच्छ चिकित्सालय परिसर, यथास्थान पर कूडादान की व्यवस्था एवं स्वच्छ पेयजल व्यवस्था इत्यादि आते है।
- Hospital upkeep(रख–रखाव) के अन्तर्गत एनिमल एवं पेस्ट कन्ट्रोल (एन्टीटरमाइट, रोडेन्ट, इन्सेक्ट कन्ट्रोल, मच्छरों से बचाव हेतु खिड़कियों एवं दरवाजों में जाली की व्यवस्था), गार्डनिंग एवं खुली जगह का रख–रखाव तथा रिमूवल ऑफ जंक मटेरियल आते है।
- सफाई व्यवस्था के अन्तर्गत Functional Areas की साफ–सफाई उनके जोखिम स्तर (उच्च, मध्यम एवं सामान्य) के अनुरूप नियमानुसार समयावधि में करायी जाये।

वित्तीय व्यवस्था–भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में HSS.6.174.OOC **के अन्तर्गत–**

- आउटसोर्सिंग के माध्यम से मेडिकल केयर युनिट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एम0सी0एच0 विंग (50 एवं 30 शैयया) एवं ट्रामा सेन्टर की सफाई व्यवस्था, रख–रखाव तथा लाण्ड्री सेवाओं धनराशि क्रमशः रू0 11.19 लाख रू0 1720.06 लाख, रू0 193.46 लाख एवं रू0 21.71 लाख (रू0 548.35 प्रति शैय्या प्रति माह की दर से) की धनराशि भी स्वीकृत की गयी है।
- स्वीकृत धनराशि का उपयोग चिन्हित चिकित्सालयों मेडिकल केयर युनिट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एम0सी0एच0 विंग (50 एवं 30 शैयया) एवं ट्रामा सेन्टर में नियमित साफ–सफाई, रख–रखाव एवं लाण्ड्री सेवाओं हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त एन0एच0एम0 फाइनेन्सियल मैनुअल के वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अनुसार निविदा कराकर सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से किया जाये।
- धनराशि का व्यय–विवरण मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से मासिक वित्तीय रिपोर्ट में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश तथा एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 में प्रति माह उपलब्ध कराया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित धनराशि का उपयोग नियमों की परिधि में ही करना सुनिश्चित करें।
- मुख्य चिकित्साधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि सेवा प्रदाता एजेन्सी का नाम एवं विवरण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे
- स्टेट बजट अथवा अन्य किसी योजनाओं से यदि उक्त मद में कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग न किया जाये तथा प्रकरण को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ एवं मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाये, जिससे की किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी के कारण भविष्य में होने वाले अनावश्यक विधिक वाद की संभावनाओं से बचा जा सकें।

नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–

1. नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य अधीक्षक/प्रत्येक जनपद की क्वालिटी एश्योरेंस टीम (DQAC) के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।
2. जिला अधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति एवं विभागीय कार्यक्रम समीक्षा बैठकों में ग्रामीण चिकित्सा इकाईयों में सफाई व्यवस्था का नियमित अनुश्रवण किया जाए।
3. राज्य स्तरीय, मण्डल स्तरीय तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था का अनुश्रवण किया जायेगा, जिससे जनता को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।

यदि किसी जनपद में वर्ष 2022–23 में चिकित्सालयों की साफ–सफाई, रख–रखाव तथा लाण्ड्री सेवाओं हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से उपरोक्तवत् नियमानुसार सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन किया गया है, तो जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त कर अपरिहार्य परिस्थितियों में अगली निविदा होने तक वर्ष 2023–24 हेतु सेवाएं ली जा सकती है।

सम्बन्धित गतिविधियों में प्राप्त स्वीकृत के सापेक्ष एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर आवंटित बजट की सीमा तक वास्तविक के आधार पर वित्तीय नियमों का पालन करते हुये भुगतान किया जाना है।

17.2 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत/मैनुअल लाण्ड्री सेवाएं

एन0एच0एम0 योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं एम0सी0एच0 विंग (100 शैय्या) हेतु भारत सरकार द्वारा मशीनीकृत लाण्ड्री के लिये कुल धनराशि रू0 3696.23 लाख अनुमोदित की गयी है। जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में लाण्ड्री सेवाओं हेतु एफ0एम0आर0 कोड– HSS.6.174OOC.12 में जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में धनराशि रू0 3677.24 लाख अवमुक्त की जा रही है।जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन के उपरान्त इस धनराशि का उपयोग वर्ष 2023–24 में सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा किए गए वास्तविक कार्य के अनुसार किया जायेगा।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में लाण्ड्री सेवाओं हेतु एफ0एम0आर0 कोड– HSS.6.174.OOC.12 के अन्तर्गत केन्द्रीकृत निविदा के आधार पर चयनित अनुबन्धित 44 जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं 07 एम0सी0एच0 विंग (100 शैय्या) में मशीनीकृत लाण्ड्री तथा शेष जिला स्तरीय चिकित्सालयों/एम0सी0एच0 विंग (100/200 शैय्या) में मैनुअल लाण्ड्री की व्यवस्था है।

- जिन जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु मैनुअल लाण्ड्री की निविदा जिला स्तर से की गयी है उन चिकित्सालयों में केन्द्रीयकृत निविदा पूर्ण होने तक पूर्ववत् नियम एवं शर्तों के अनुसार जारी रहेगी।
- केन्द्रीयकृत निविदा के माध्यम से मैकेनाइज्ड लाण्ड्री की व्यवस्था हेतु एजेन्सियों के चयन एवं अनुबन्ध के उपरान्त प्राप्त दरों के आधार पर भुगतान किया जायेंगा।

जिन जिला स्तरीय चिकित्सालयों में केन्द्रीयकृत अनुबन्ध नहीं हुआ है उन चिकित्सालय में अधिकतम रू0 500/बेड/माह की दर से मैनुअल लाण्ड्री की व्यवस्था जिला स्तर से जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त कार्य का सम्पादन किया जाये। सेवाप्रदाता एजेन्सी के चयन में सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि की सीमा को ध्यान में रखते हुये ही दरों का निर्धारण किया जाये।

- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से किया जाये।
- मशीनीकृत लाण्ड्री सेवाओं हेतु चयनित सेवा प्रदाता को चिकित्सालय प्रशासन द्वारा चिकित्सालय परिसर में लाण्ड्री सेवाओं हेतु स्थान चिन्हित कर प्रदान किया जायेगा तथा पानी एवं विद्युत की उपलब्धता भी चिकित्सालय प्रशासन द्वारा की जायेगी। विद्युत व्यवस्था हेतु चयनित सेवा प्रदाता द्वारा एक सब मीटर स्थापित किया जायेगा तथा चिकित्सालय प्रशासन को प्रत्येक माह के अन्त में चेक के माध्यम से उपयोग की गयी विद्युत का निर्धारित दरों से भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
- सेवा प्रदाता द्वारा मशीनीकृत लाण्ड्री कार्य हेतु प्रदत्त स्थान को 24X7 साफ–सुथरा रखा जायेगा।
- निविदा की शर्तों के अनुरूप पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं सम्बन्धित उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। इस हेतु प्रमाणित साक्ष्य, फोटोग्राफ्स एवं कर्मचारियों के पूर्ण विवरण (नाम, पता, उम्र सहित) प्राप्त कर लिये जाये।
- सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक जिला स्तरीय चिकित्सालय में न्यूनतम एक सुपरवाईजर की व्यवस्था की जायेगी जोकि सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करेगा तथा मशीनीकृत लाण्ड्री (एकत्रीकरण, परिवहन, पृथक्कीकरण तथा धुलाई इत्यादि) सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु उत्तरदायी होगा।
- सेवा प्रदाता द्वारा मशीनीकृत लाण्ड्री (एकत्रीकरण, परिवहन, पृथक्कीकरण तथा धुलाई इत्यादि) सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु अनुबन्ध में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप समुचित संख्या में शारीरिक रूप से स्वस्थ प्रशिक्षित कर्मियों (Supervisor, Washerman, Ironman, Pickup & Delivery man) की व्यवस्था की जायेगी। उक्त कर्मियों के नियुक्ति से पूर्व एवं कार्य के दौरान टीकाकरण की व्यवस्था भी सेवा प्रदाता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- सेवा प्रदाता द्वारा उक्त कर्मियों हेतु निर्धारित यूनीफॉर्म, एप्रन तथा अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों (Protective Gears) को प्रदान किया जायेगा। जिससे सुरक्षात्मक तरीकों का पालन करते हुये मशीनीकृत लाण्ड्री व्यवस्था (एकत्रीकरण, परिवहन, पृथक्कीकरण तथा धुलाई इत्यादि) सुचारू रूप से संचालित किया जाना सुनिश्चित हो सके।
- सेवा प्रदाता द्वारा अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप चिकित्सालय की कैटगरी (बेड सं0) के आधार पर निम्नतालिकानुसार मशीनीकृत लाण्ड्री उपकरणों की स्थापना एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित की जायेगी।

Need of set of equipment to cater the linen						
Hospital Category (No. of beds)-		**Category-A (Upto 150 Beds)**	**Category-B (151-300 Beds)**	**Category-C (301-450 Beds)**	**Category-D (451-600 Beds)**	**Category-E (above 600 Beds)**
Particulars	**Capacity**	**Required No.**	**Required No.**	**Required No.**	**Required No.**	**Required No.**
Washing Machine	30 Kg	1	0	1	0	1
	60 Kg	0	1	1	2	2
Hydro Extractor	15 Kg	1	0	1	0	1
	30 Kg	0	1	1	2	2
Drying Tumbler	30 Kg	1	0	1	0	1
	60 Kg	0	1	1	2	2
Steam Press	Medium Size	2	3	4	4	5
Steam Generator	9 KW	1	0	0	0	0
	18 KW	0	1	1	2	3
Dry Linen Trolley	200 Ltr	4	8	12	15	20
Wet Linen Trolley	200 Ltr	4	8	12	15	20
Folding Table		2	3	4	4	5
Racks		4	8	12	15	20
Calendaring Machine		0	0	1	1	1

- सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत बिल का नियमानुसार भुगतान संलग्न साप्ताहिक परफामेंन्स रिवियू (WPR) शीट के प्राप्त प्राप्तांकों के औसत योग के आधार पर निम्नतालिकानुसार किया जायेगा।

Performance Based Payment and Penalities	
WPR Average Score (out of 100)	**Percentage of Payment to be Reimbursed of the Gross Bill Amount**
0-20	No payment
21-40	40%
41-60	60%
61-70	80%
71-80	90%
81-100	100%

- चिकित्सालय में बेड–शीट, तकिया–कवर इत्यादि का पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित कर प्रतिदिन बेड–शीट, तकिया–कवर बदला जाना सुनिश्चित करें।
- चिकित्सालय में प्रसूता एवं अन्य रोगियो को फ्रेश धुले हुए चादर/तकिया आदि बांसी कागज के लिफाफों में देते हुये रजिस्टर में उपलब्ध कराये गये वस्त्रों की तारीख व समय अंकित कर लाभार्थी के हस्ताक्षर कराए जायें। सभी अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखे जायें।
- गंदी, दागदार एवं रक्तरंजित बेड–शीट, तकिया–कवर इत्यादि को हटाकर उनका नियमानुसार पृथक्करण एवं निसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित करें।
- स्वीकृत धनराशि का उपयोग एन0एच0एम0 फाइनेन्सियल मैनुअल के वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जाए। धनराशि व्यय करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी तरह का व्ययावर्तन, Diversion न हो।
- स्टेट बजट अथवा अन्य किसी योजनाओं से यदि उक्त मद में कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी एवं भविष्य में अनावश्यक विधिक वाद की संभावनाओं से बचने के लिये उक्त कार्य हेतु अन्य किसी योजना से प्राप्त धन का व्यय न किया जाये तथा प्रकरण को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश एवं मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग नियमों की परिधि में सुनिश्चित करें।
- प्रश्नगत धनराशि का व्यय–विवरण प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका के स्तर से मासिक वित्तीय रिपोर्ट में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश तथा एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 में प्रति माह उपलब्ध कराया जाये।
- किसी भी प्रकार के विवाद/मतभिन्नता की अवस्था में अनुबन्ध पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका की जिम्मेदारी होगी कि सेवा प्रदाता एजेन्सी की नियमित रिपोर्टिंग एवं अनुश्रवण तथा बीजकों का समयबद्ध भुगतान हेतु विभागीय वेबसाइट (पोर्टल सिस्टम) पर प्रदर्शित करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन–

- मशीनीकृत/मैनुअल लाण्ड्री की सेवाओं के नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का मुख्य दायित्व क्वालिटी एश्योरेंस टीम का होगा। इस कार्य में हॉस्पिटल मैनेजर द्वारा प्रमुखता से सहयोग दिया जायेगा।
- जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सालयों में मशीनीकृत/मैनुअल लाण्ड्री व्यवस्था का जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठकों एवं विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठकों में नियमित अनुश्रवण किया जाए।
- जनता को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु राज्य, मण्डल तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान चिकित्सालयों की मशीनीकृत/मैनुअल लाण्ड्री व्यवस्था का अनुश्रवण किया जायेगा।

17.3 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत/मैनुअल क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवायें

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के जिला स्तरीय चिकित्सालयों में क्लीनिंग एवं गार्डनिंग का कार्य मशीनीकृत सिस्टम द्वारा कराये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुयी थी। प्रदेश सरकार चिकित्सालयो में जनसामान्य को गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सेवायें उपलब्ध कराने के लिये दृढसंकल्प है। गुणवत्तापरक चिकित्सा सेवाओं के लिये चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छ वातावरण आवश्यक है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निविदा के माध्यम से प्रदेश के 182 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग का कार्य आउटसोर्स से किये जाने हेतु निम्नलिखित सेवाप्रदाताओं को चयनित किया गया–

1. मेसर्स ऑल सर्विसेस ग्लोबल प्रा0 लि0।
2. मेसर्स प्राइम क्लीनिंग सर्विसेज।
3. मेसर्स सन् फैसिल्टी प्रा0 लि0।
4. मेसर्स ए01 फैसिल्टी एण्ड प्रोपटी मैनेजर प्रा0 लि0।
5. मेसर्स एन0 कपूर जनोटरर्स प्रा0 लि0।
6. मेसर्स बिलीव साल्यूशन एण्ड सर्विसेस।
7. मेसर्स सर्विस मास्टर।
8. मेसर्स एस0ए0बी0 फैसिलिटी मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्रा0 लि0।

उक्त चयनित सेवाप्रदाताओं द्वारा अपने क्लस्टर के जिला चिकित्सालयों में क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवाओं का कार्य निविदा की शर्तों के अनुसार मशीने, उपकरण एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराते हुये प्रारम्भ कर दिया गया है। निविदा शर्तों के अनुसार जिला चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवाओं की नियमित रिपोर्टिंग एवं अनुश्रवण तथा संबंधित सेवाप्रदाताओं के बीजकों के समयबद्ध भुगतान हेतु पोर्टल सिस्टम विकसित कर क्रियाशील किया जाना प्रक्रियाधीन है। पोर्टल सिस्टम के क्रियाशील होने तक मैनुअली भुगतान की प्रक्रिया जारी रहेगी।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयों की मशीनीकृत स्वच्छता के क्षेत्र में आर0एफ0पी0/अनुबन्ध को दृष्टिगत रखते हुये इसका संक्षिप्त विवरण में निम्नलिखित है–

1. Cleaning and gardening schedule.
2. Indicative equipment, tools and consumables required for mechanized cleaning and gardening.
3. Responsibilities of service providers
4. Responsibilities of SIC/CMS/Nodal office

वित्तीय वर्ष 2023–24 में क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवाओं हेतु एफ0एम0आर0 कोड–HSS.6.174.OOC.10 के अन्तर्गत महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अनुबन्धित 182 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग की जा रही है तथा शेष 14 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में मैनुअल क्लीनिंग की जा रही है।

तत्क्रम में जिन जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु मैनुअल क्लीनिंग की निविदा जिला स्तर से की गयी है उन चिकित्सालयों में केन्द्रीयकृत निविदा पूर्ण होने तक पूर्ववत् नियम एवं शर्तों के अनुसार जारी रहेगी। जिन जिला स्तरीय चिकित्सालयों में केन्द्रीयकृत अनुबन्ध नहीं हुआ है। उन चिकित्सालयों में अधिकतम रू0 600/बेड/माह की दर से मैनुअल क्लीनिंग एवं गार्डनिंग की व्यवस्था जिला स्तर से जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा करते हुये जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त कार्य का सत्यापन किया जायेगा। सेवाप्रदाता एजेन्सी के चयन में सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि की सीमा को ध्यान में रखते हुये ही दरों का निर्धारण किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था– वित्तीय वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं एम0सी0एच0 विंग (100 शैय्या) हेतु भारत सरकार द्वारा मशीनीकृत साफ–सफाई के लिये कुल धनराशि रू0 10,206.19 लाख अनुमोदित की गयी है। जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था, रख–रखाव एवं गार्डनिंग सेवाओं हेतु एफ0एम0आर0 कोड– HSS.6.174OOC.10 में जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में धनराशि रू0 9743.05 लाख अवमुक्त की जा रही है। जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन के उपरान्त–

- इस धनराशि का उपयोग वर्ष 2023–24 में सेवाप्रदाता/एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से किया जायेगा।
- सेवा प्रदाता द्वारा मासिक बीजक प्रस्तुत किये जाने के सापेक्ष भुगतान अनुबन्ध में सम्मिलित निविदा में एनैक्जर–3 के अनुसार मासिक प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।
- कुल प्राप्तांक की गणना साप्ताहिक मानिटरिंग शीट के प्राप्तांको के औसत (कुल 100 में से) के योग के आधार पर की जायेगी।

(The calculation of Final score value, 100% i.e. sum of the weightage scored to be considered from the average cumulative weighted score of weekly Review Sheet. The final score value shall fall in a particular range of score and based on that particular percentage of full payment will be reimbursed to the provider as following:

Sr. No.	Score (out of 100)	Percentage of payment to be reimbursed
1	0-10	No payment
2	11-20	20%
3	21-40	40%

4	41-60	60%
5	61-70	80%
6	71-80	90%
7	81-100	100%

- निविदा की शर्तों के अनुरूप पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं सम्बन्धित उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। इस हेतु प्रमाणित साक्ष्य, फोटोग्राफ्स एवं कर्मचारियों के पूर्ण विवरण (नाम, पता, उम्र सहित) प्राप्त कर लिये जाये।
- स्वीकृत धनराशि का उपयोग एन0एच0एम0 फाइनेन्सियल मैनुअल के वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जाए। धनराशि व्यय करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी तरह का व्ययावर्तन, Diversion न हो।
- स्टेट बजट अथवा अन्य किसी योजनाओं से यदि उक्त मद में कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी एवं भविष्य में अनावश्यक विधिक वाद की संभावनाओं से बचने के लिये उक्त कार्य हेतु अन्य किसी योजना से प्राप्त धन का व्यय न किया जाये तथा प्रकरण को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश एवं मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाये।
- प्रश्नगत धनराशि का व्यय–विवरण प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका के स्तर से मासिक वित्तीय रिपोर्ट में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश तथा एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 में प्रति माह उपलब्ध कराया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग नियमों की परिधि में सुनिश्चित करें।
- प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका की जिम्मेदारी होगी कि सेवा प्रदाता एजेन्सी की नियमित रिपोर्टिंग एवं अनुश्रवण तथा बीजको का समयबद्ध भुगतान हेतु विभागीय वेबसाइट (पोर्टल सिस्टम) पर प्रदर्शित करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।
- किसी भी प्रकार के विवाद/मतभिन्नता की अवस्था में अनुबन्ध पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

1. मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग की सेवाओं के नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का मुख्य दायित्व क्वालिटी एश्योरेंस टीम का होगा। इस कार्य में हॉस्पिटल मैनेजर द्वारा प्रमुखता से सहयोग दिया जायेगा।
2. जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग व्यवस्था का जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठकों एवं विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठकों में नियमित अनुश्रवण किया जाए।
3. जनता को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु राज्य, मण्डल तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान चिकित्सालयों की मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग व्यवस्था का अनुश्रवण किया जायेगा।
4. चिकित्सालय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर दैनिक आधार पर कन्ज्यूमेबल्स के स्टॉक रजिस्टर, वितरण आदि का भौतिक सत्यापन कराया जाये।
5. भुगतान हेतु निर्धारित परफारमेन्स इंटिकेटर्स दैनिक आधार पर विभागीय नोडल अधिकारियों एवं मैट्रन द्वारा भरा जाये तथा उनके चेकलिस्ट को संकलित कर भुगतान हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये एवं मानक पूर्ण न होने पर नियमानुसार 'पेनाल्टी' लगायी जाये।
6. डेली राउण्ड के दौरान चिकित्सालय की सफाई की फीडबैक रजिस्टर में अंकित करायी जाये तथा सुधारात्मक कार्यवाही हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

17.4 बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

उपरोक्त विषयक आप अवगत है कि प्रदेश के जिला स्तरीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ब्लॉक स्तरीय पी0एच0सी0, जिला अर्बन ब्लॉक स्तर पी0एच0सी0, एम0सी0एच0 विंग तथा ट्रामा

सेन्टर पर उत्सर्जित बायो मेडिकल वेस्ट (उपचार एवं चिकित्सीय जॉच से उत्पन्न होने वाले जैव अपशिष्टों) का एकत्रीकरण, परिवहन एवं निस्तारण किया जा रहा है। प्रदेश के 61 जनपदों हेतु बायो मेडिकल वेस्ट के एकत्रीकरण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु केन्द्रीकृत निविदा के माध्यम से सेवा प्रदाताओं द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण संबंधी सेवायें प्रदान की जा रही है एवं शेष 14 जनपदों के जिला स्तर एवं ब्लाक स्तरीय चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु सेवाओं का कार्य जिला स्तर से किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में जिला स्तरीय एवं ग्रामीण चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु राज्य स्तर पर नवीन केन्द्रीयकृत निविदा प्रक्रियाधीन है। अतः वित्तीय वर्ष 2023–24 में एक वर्ष तक अथवा केन्द्रीयकृत निविदा होने तक (जो भी पहले घटित हो) पूर्ववत् व्यवस्था जारी रहेगी।

उक्त के क्रम में प्रदेश की समस्त चिकित्सा इकाईयों पर उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

1. भारत सरकार के राजपत्र बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल्स, 2018 का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल, 2018 में निहित प्रविधानों के अनुसार नियमों का अनुपालन न करने पर चिकित्सा इकाई के प्रभारी के विरुद्ध जुर्माना व सजा का भी प्राविधान है, जिसके लिये चिकित्सा इकाईयों के प्रभारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे
2. प्रत्येक चिकित्सा इकाई को प्रश्नगत प्रयोजन हेतु क्षेत्रीय/स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक चिकित्सालय के प्रभारी, चिकित्सालय में उत्सर्जित हो रहे विभिन्न श्रेणियों के बायो मेडिकल वेस्ट को नियमानुसार पृथक–पृथक कलर कोडिंग के अनुसार पीला, लाल बैग्स तथा सफेद एवं नीले कन्टेनर/बाक्स में एकत्रित कर कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी द्वारा नियामानुसार निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
4. कन्टेनर पर बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल्स, 2018 की अनुसूची–iv,A & B में वर्णित चित्र के अनुसार नामांकन किया जाये।
5. बायो मेडिकल वेस्ट के पृथक्करण, भण्डारण एवं परिवहन के समय शारीरिक सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें।
6. चिकित्सालय में उत्सर्जित हो रहे विभिन्न श्रेणियों के बायो मेडिकल वेस्ट को अधिकतम 48 घण्टे के अन्दर निस्तारित कराना अनिवार्य होगा।
7. प्रत्येक चिकित्सालय प्रभारी का दायित्व होगा कि वह एक रजिस्टर तैयार कराये, जिसमें प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले विभिन्न प्रकार के बायो मेडिकल वेस्ट की मात्रा तथा कब और किसके द्वारा कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी पर निस्तारण हेतु भेजा गया, को अंकित किया जाये।
8. प्रत्येक चिकित्सालय प्रभारी का दायित्व होगा कि वह बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल्स, 2018 के प्रारूप–4 (नियम–13) के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रत्येक वर्ष जून 30 तक या उससे पहले उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करते हुये, रिपोर्ट की एक प्रति महानिदेशालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे समस्त स्वास्थ्य इकाईयों द्वारा उक्त वार्षिक रिपोर्ट का प्रदर्शन चिकित्सा इकाई की वेबसाइट पर भी किया जाना अपेक्षित है।
9. चिकित्सा इकाई प्रभारी/नोडल आफिसर प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का डाटा http://bmwmis.uphssp.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. सामान्यतः जनपदों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु दो या तीन कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी कार्यशील है, जिन्हें उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है। अतः जनपद हेतु अनुमन्य कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी से निविदा के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित कराने के उपरान्त ही बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाये।
11. प्रत्येक चिकित्सालय सेवाप्रदाता को भुगतान करने से पूर्व जाँच ले कि कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट फैसिलिटी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकृत/सत्यापित है।

चिकित्सालयो के बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडर को निविदा के आधार पर अनुबन्धित करने हेतु मार्गदर्शक नियम एवं शर्तेः–

1. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडर ही निविदा में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे

2. शहरी क्षेत्र के चिकित्सा इकाईयों हेतु प्रतिदिन शैय्या उपयोगिता दर के आधार पर दरें प्राप्त की जायेगी तथा जो इकाईयाँ नगर निगम/नगर पालिका की सीमा के बाहर स्थित हैं, उन पर उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु अलग से दरें प्राप्त की जायेंगी।
3. सर्विस प्रोवाइडर को प्रति दिन संबंधित चिकित्सालय परिसर में आकर निर्दिष्ट स्थल से बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु ले जाना होगा। प्रत्येक दशा में बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अनिवार्य रूप से 48 घंटे के अन्दर किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित सर्विस प्रोवाइडर का होगा।
4. सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट के संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण से संबंधित समस्त कार्य बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल्स, 2018 में निहित प्राविधानों के अनुसार किये जाने की बाध्यता होगी। उक्त रूल्स का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण विधिक एवं आर्थिक उत्तदायित्व संबंधित सर्विस प्रोवाइडर का होगा।
5. बायो मेडिकल वेस्ट का संग्रहण परिवहन तथा निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक कंज्युमेबिल्स एवं अन्य सामग्री की पर्याप्त एवं निर्बाध आपूर्ति संबंधित सर्विस प्रोवाइडर के साथ किये गये अनुबन्ध के अनुसार सुनिश्चित की जाये।
6. बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण तथा कंज्यूमेबिल व अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु पृथक–पृथक दरें संबंधित निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी।
7. निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित अन्य समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सेवाप्रदाता एजेन्सी के चयन में भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा को ध्यान में रखते हुये ही दरों का निर्धारण किया जाये।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं का उल्लेख सेवा प्रदाता एजेन्सी के अनुबन्ध में अवश्य इंगित करें।

जिन जनपदों में केन्द्रीयकृत निविदा नहीं हुई है उनके द्वारा केन्द्रीयकृत निविदा होने तक के लिये अधिकतम रू0 25.00 प्रति शैय्या प्रति दिन से जनपद स्तर पर निविदा करते हुये बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अपेक्षित है।

वित्तीय व्यवस्था–

प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों हेतु एक वर्ष के लिये एफ0एम0आर0 कोड संख्या HSS.6.174.OOC के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 9892.49 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिला स्तरीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ब्लॉक स्तरीय पी0एच0सी0, जिला अर्बन ब्लॉक स्तर पी0एच0सी0, एम0सी0एच0 विंग तथा ट्रामा सेन्टर में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु एफ0एम0आर0 कोड संख्या HSS.6.174.OOC में जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में धनराशि रू0 9887.02 लाख अवमुक्त की जा रही है।

- चिन्हित चिकित्सालयों में नियमित बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त एन0एच0एम0 फाइनेन्सियल मैनुअल के वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अनुसार सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से किया जाये।
- चिकित्सा इकाईयों में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट के (सर्विसेज एवं कन्ज्यूमेबिल्स) मद में किया जाने वाला भुगतान एन0एच0एम0 द्वारा अनुमन्य राशि से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा सम्बन्धित प्रभारी स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे।
- प्रश्नगत धनराशि का व्यय–विवरण मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से मासिक वित्तीय रिपोर्ट राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ को प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायें।
- जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग नियमों की परिधि में सुनिश्चित करें।
- भारत सरकार की मंशानुसार प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व है कि उनके द्वारा सेवा प्रदाता एजेन्सी का नाम एवं विवरण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जाये।
- यदि उक्त मद में स्टेट बजट अथवा किसी अन्य योजना से कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति अथवा विधिक वाद की संभावनाओं से बचने के लिये एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग न करते हुये प्रकरण को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 एवं मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाये।

सम्बन्धित गतिविधियों में प्राप्त स्वीकृत के सापेक्ष एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर आवंटित बजट की सीमा तक वास्तविक के आधार पर वित्तीय नियमों का पालन करते हुये भुगतान किया जाना है।

18. मानव संसाधन

18.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा कर्मियों की तैनाती के संबंध में सामान्य नियम, जी0आर0सी0 एवं एच0आर0 पॉलिसी का अनुपालन किये जाने के संबंध में :–

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा कर्मियों की तैनाती/अनुबन्ध का नवीनीकरण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त निर्देशों को संकलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
2. सभी चयन/तैनाती के सम्बन्ध में जो दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं, उन पर सर्वप्रथम जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत गठित शासी निकाय में चर्चा/विचार–विर्मश किया जायेगा। चर्चा/विचार विर्मश के उपरान्त उक्त पर सहमति प्राप्त की जायेगी। यदि शासी निकाय की बैठक में विलम्ब हो रहा हो तो अध्यक्ष–शासी निकाय से पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाये। इस आदेश में जो दिशा–निर्देश दिये गये हैं उन दिशा–निर्देशों के क्रम में कार्मिकों की तैनाती/अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जायेगा।
3. यह संज्ञान में आया है कि कुछ (कतिपय) जनपदों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक मानव संसाधन (कार्मिक) रख लिये जाते हैं और उनका वेतन भी निर्गत किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी जनपद द्वारा ऐसा किया गया तो सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
4. यह संज्ञान में आया है कि कुछ (कतिपय) जनपदों में अधिकतम मानदेय हेतु स्वीकृत बजट को प्रतिमाह वेतन के रूप में आहरित किया जाता हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मानदेय का निर्धारण नियुक्ति के समय निर्धारित मानदेय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस के आधार पर नियमानुसार देय हैं। उपरोक्त निर्धारित मानदेय में किसी भी प्रकार का पुर्नरीक्षण राज्य स्तर की अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य/मान्य होगा। यदि किसी भी जनपद में इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मी के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. कुछ (कतिपय) जनपदों से यह भी शिकायत प्राप्त हुई है कि राज्य मुख्यालय से स्वीकृत किये गये पदों के सापेक्ष उसी वित्तीय वर्ष में अधिक मानव संसाधन (कार्मिक) तैनात कर लिये गये। भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक मानव संसाधन रखा गया तो यह नियमा विरूद्ध/गैरकानूनी की श्रेणी में आता है। यदि किसी जनपद के द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक मानव संसाधन रखा गया तो उसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए प्रशासनिक आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
6. प्रत्येक संविदाकर्मी का छमाही मूल्यांकन Appropriate Authority द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किया जायेगा, उक्त प्रारूप पर सूचना पूर्ण रूप से संकलित/भरकर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा। Appraisal प्रारूप न होने की स्थिति में संविदा कर्मियों के वेतन आहरण पर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय के स्तर से रोक लगाई जा सकती हैं (प्रथम छमाही अप्रेजल किये जाने के पश्चात् किसी संविदाकर्मी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उसे चेतावनी–पत्र इस आशय के साथ निर्गत किया जायेगा कि वह अपने कार्य व व्यवहार का अतिशीघ्र सुधार कर लें)। प्रथम छमाही अप्रेजल उपरान्त किसी भी संविदाकर्मी की सेवा–समाप्ति नहीं की जायेगी।
7. यह पुनः अवगत कराया जाता है कि जनपद स्तर पर तैनात समस्त संविदा कर्मियों का अनुबन्ध संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के साथ ही किया जायेगा।
8. संविदा कर्मियों/चिकित्सकों इत्यादि की तैनाती स्थान विशेष के लिये होगी। जिन चिकित्सा इकाईयों पर नियमित पद भरे हुए हैं, उन इकाईयों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा के आधार पर तैनाती नहीं की जाएगी। यदि चिकित्सा इकाईयों पर नियमित पद के सापेक्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा के आधार पर तैनाती होने की दशा में सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों हेतु मानव संसाधन नीति पत्रांक संख्याः501/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एच0आर0पॉलिसी/2019–20/7790 दिनांक 13.12.2019 के माध्यम से दिनांक 01.04.2019 से लागू की गयी है, जोकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पोर्टल www.upnrhm.gov.in पर गाइडलाइन सेक्शन में उपलब्ध है।

10. नियत मासिक मानदेय पर तैनात किये गये समस्त संविदा कर्मियों एवं चिकित्सक, नियमित सेवाओं के कर्मी एवं चिकित्सक की भांति ही नियत रोस्टर के अनुसार कार्य करेंगे तथा प्रभारी अधिकारी की सहमति से इन्हें आकस्मिक अवकाश (कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 14), चिकित्सकीय अवकाश (कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 16) तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात् देय होंगे

11. **(A)** समस्त महिला संविदा कर्मियों को मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 एवं मानव संसाधन नीति में वर्णित नियमो के अन्तर्गत 180 दिन का मातृत्व अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा।

The Maternity Benefit (Ammendment) Act, 2017, an act further to amend the Maternity Benefit Act, 1961 vide Official Gazette registered no. DL-(N)04/007/2003-17 dated 28.03.2017. The Maternity Benefit (Ammendment) Act, 2017 made ammendments in the the Principle Maternity Benefit Act, 1961 accordindly section 5 has been amended the details are mentioned as follows:

- **<u>Section 5:</u>** In the principal act, in section5,
  A In sub-section (3) -

i. For the words "twelve weeks of which not more than six weeks", the words "twenty-six weeks of which not more than eight weeks" shall be substituted;

ii. After sub-section (3) and before the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

" Provided that the maximum period entitled to maternity benefit by a woman having two or more than two surviving child shall be twelve weeks of which not more than six weeks shall precede the date of her expected delivery;";

Note: As per Maternity Benefit Act,1961 "No woman shall be entitled to maternity benefit unless she has actually worked in as establishment of the employer from whom she claims maternity benefit, for a period of not less than 80 days in the twelve months immediately preceeding the date of her expected delivery".

<u>Note: All Female employees (excluding Trainees) working under NHM,UP are eligible for Maternity Leaves as per the Principle Maternity Benefit Act, 1961 &The Maternity Benefit (Ammendment) Act,2017.</u>

For further more information kindly refer the Maternity Benefit Act, 1961 &The Maternity Benefit (Ammendment) Act,2017 for reference.

(B) समस्त पुरूष संविदा कर्मियों को 15 दिनों (साप्ताहिक अवकाश/छुट्टियों को छोड़कर) का पितृत्व अवकाश, एच0आर0 पॉलिसी में वर्णित नियमो के अनुसार सवेतन अनुमन्य होगा।

12. **<u>मण्डल/जनपद</u> स्तर पर किसी संविदाकर्मी के नवीन तैनाती, त्याग–पत्र,मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, मानव संसाधन नीति में अनुमोदित अवकाश के समाप्ति के उपरान्त यदि कोई कर्मी किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग जैसे कि अवैतनिक अवकाश/चिकित्सकीय अवकाश इत्यादि करता है तो इन सभी का अनुमोदन पूर्वोत्तर/कार्योत्तर संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति से लेना अनिवार्य है।**

13. यदि कोई संविदाकर्मी बिना किसी विशेष (विशिष्ट) कारण अथवा पूर्व सूचना के अपने कार्यस्थल (ड्यूटी) से लगातार 07 दिवस से अधिक समय तक व अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो मानव संसाधन नीति में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।ऐसे संविदाकर्मी जो बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थिति/कार्य छोड़कर चले गये एवं जिनको सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति ने उस पद से कार्यमुक्त कर दिया हो तो ऐसे संविदाकर्मी को उस पद पर पुनः कार्य की अनुमति/योगदान कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

14. पैरामेडिकल कर्मियों के पदों का एक ''पूल'' दिया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के पैरामेडिकल कार्मिक सम्मिलित हैं (पैरामेडिकल कर्मियों का प्रकार, कार्यक्रम विशेष द्वारा वर्णित दिशा–निर्देश (गाइडलाइन) के अनुसार होगा)। (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 स्तर पर 80–85 प्रतिशत पैरामेडिकल तैनात किये जायें तथा आवश्यकतानुसार मात्र 15–20 प्रतिशत ही जनपदीय महिला/ पुरूष एवं संयुक्त चिकित्सालयों में तैनात किये जायें। किसी भी दशा में जनपद हेतु आवंटित संख्या से अधिक पैरामेडिकल कार्मिक न रखे जायें।

15. जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज पर तैनात किये गये संविदा कर्मियों/चिकित्सकों हेतु प्राविधानित मानदेय की धनराशि की लिमिट इन इकाइयों पर खोले

गये ZBSA (Zero Balanace Subsidiary Account) बैंक खाते में जारी की जायेगी। जो संविदा कर्मी ई0पी0एफ0 के दायरे में आते है उसका भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति से किया जायेगा। सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/अन्य इकाईया जो मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन आती है ऐसे संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति से किया जायेगा।

16. समस्त श्रेणी के कर्मियों के लिए उनके कार्यों हेतु विस्तृत मूल्यांकन प्रपत्र दिये गये हैं। प्रत्येक कर्मी के मानदेय के भुगतान हेतु आवश्यक है कि वह अपने लिए चिन्हित कार्यदायित्वों की प्राप्ति सुनिश्चित करे, तभी उनके मानदेय का भुगतान किया जायेगा। भारत सरकार से श्रेणीवार मानव संसाधन की स्वीकृति के क्रम में प्रत्येक जनपद के लिए अलग–अलग श्रेणी के कर्मियों का आवंटन दिया जा रहा है। दी गई संख्या से अधिक संख्या में मानव संसाधन की तैनाती किसी भी दशा में अनुमन्य/मान्य नहीं होगा।

17. संतोषजनक कार्य के आधार पर जो कर्मी/चिकित्साधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय से अनुमोदनोंपरान्त पुनअनुबन्धित कर लिये गये हैं, उनके मानदेय का भुगतान जनपदवार दी गई स्वीकृति संख्या एवं निर्धारित मानदेय के अनुसार कर दिया जाये।

18. प्रत्येक माह की 07 तारीख तक विगत माह के मानदेय की धनराशि संविदा/आउटसोर्स/वेण्डर कर्मियों को अनिवार्य रूप से उनके खाते में मानव सम्पदा साफ्ट्वेयर के ''पे–कैलकुलेशन माड्यूल'' के माध्यम से स्थानान्तरित की जायें। 01 माह से अधिक मानदेय लम्बित/न निर्गत किये जाने पर उक्त जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

19. संविदाकर्मी के जनपद पर सफलतापूर्वक योगदान देने के उपरान्त यह भी सुनिश्चित किया जायें कि सम्बन्धित द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर आधार ऑथेन्टिकेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गयी हो।

20. मण्डल/जनपद स्तर पर किसी संविदाकर्मी के नवीन तैनाती/त्याग–पत्र/मृत्यु/सेवा निवृत्त/सेवा–समाप्ति की दशा में संबंधित मण्डल/जनपदद्वारा तत्काल प्रभाव से मानव सम्पदा पोर्टल पर संबंधित कर्मी की अद्यतन सूचना को अपडेट किया जायें एवं मानव सम्पदा पोर्टल पर अपडेट होने के उपरान्त राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के संबंधित प्रोग्राम डिवीजन एवं मानव संसाधन अनुभाग को उक्त की सूचना अगले माह की 07 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

21. वित्तीय वर्ष 2023–24 में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में संविदा पर तैनात कर्मियों का मानदेय अलग–अलग दर पर स्वीकृत किया गया है जिसके सम्बन्ध में श्रेणीवार विस्तृत विवरण आगामी प्रस्तरो में दिया गया है।

22. भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को पदों के सापेक्ष अनुमोदित विभिन्न एफ0एम0आर0 मदो के अन्तर्गत मानदेय में गत वर्ष के सापेक्ष 05 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोत्तरी की गई है।यह उन्हीं कर्मियों को देय होगा जिन्होंने एक वर्ष की सेवा संतोषजनक पूर्ण कर ली है।

(A) ऐसे कर्मी जिनका 01 वर्ष का कार्यकाल वर्ष 2023–24 के मध्य में पूर्ण हो रहा है उन्हें 01 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम में 5% की प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि कर्मी के योगदान माह की प्रथम (पहली) तिथि से प्रदान की जायेगी।

(B) ऐसे कर्मी जो 01 अप्रैल 2023 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर चुके है, उन्हें 01 अप्रैल 2023 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम में 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।

(C) वित्तीय वर्ष 2023–24 में कर्मियों को संतोषजनक परफॉरमेन्स के आधार पर 05 % की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिये राज्य स्वास्थ्य समिति हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 तथा जिला स्वास्थ्य समिति हेतु अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया गया हैं।

23. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न एफ0एम0आर0 कोड के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों हेतु लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस निर्गत किये जाने हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी है। लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस हेतु केवल वही संविदाकर्मी पात्र होंगे जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष में निरन्तर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण की गयी हो। लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस की अधिकतम देयता संविदा कर्मियों को एक पद पर निरन्तर कार्य करने हेतु 15% जोकि

संविदाकर्मी के पूरे सेवाकाल में प्रथम बार निरन्तर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 10% तथा दूसरी बार 05 वर्ष पूर्ण होने पर शेष 5% प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसके दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

1. ऐसे संविदाकर्मी जोकि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय में 10% लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का 03 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
2. ऐसे संविदाकर्मी जोकि वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2023 में निर्गत किये गये मानदेय मे 5% (उनको 10% लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका हैं एवं शेष 5% लॉयल्टी बोनस देय है) लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा। जिस माह संविदाकर्मी का 05 वर्ष पूर्ण हुआ है उस माह को छोड़कर उसके अगले माह की प्रथम तिथि से लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
3. ऐसी महिला संविदाकर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस की पात्र होंगी।
4. ऐसे पुरुष संविदाकर्मी जो पितृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2023–24 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस के पात्र होंगे
5. जिन संविदाकर्मियों को लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्रता अवधि में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे
6. जिन संविदाकर्मियों द्वारा 03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह का अवकाश लिया गया है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगे
7. सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मी लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस के पात्र नहीं है।

24. (A) भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 10.03.2016 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति, मे कार्यरत पात्र संविदा कर्मियों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान को लागू किया गया है। उक्त के भुगतान हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश (गाइडलाइन) का पालन किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा रू0 15,000.00 प्रतिमाह तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र संविदा कर्मियों हेतु ई0पी0एफ0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2023–24 में प्रदान की गयी हैं। ई0पी0एफ0 का लाभ यदि रू0 15,000.00 प्रतिमाह या कम मानदेय आहरित करने पर किसी संविदाकर्मी को एक पद पर कार्य करते हुये प्राप्त हो चुका हैं तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में समान पद पर रहते हुये यदि मानदेय रू0 15,000.00 प्रतिमाह से ज्यादा होता है तो ऐसे संविदा कर्मियों को रू0 15,000.00 प्रतिमाह के मानदेय तक ई0पी0एफ0 का लाभ मिलता रहेगा। ई0पी0एफ0 हेतु समय–समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा–निर्देशों को लागू किया गया हैं। जिसे जनपदों द्वारा ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

(B) भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति, मे सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत पात्र कर्मियों हेतु कर्मचारी बीमा योजना के प्रावधान को लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा रू0 21,000.00 प्रतिमाह (रू0 25,000.00 प्रतिमाह दिव्यांग कर्मी हेतु) तक के मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मी जोकि सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत हैं उन्हे ई0एस0आई0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2023–24 में प्रदान की गयी है। ई0एस0आई0 हेतु समय–समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा–निर्देश लागू किया गया हैं। जिसे जनपदों द्वारा ससमय अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।

25. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में सेवाप्रदाता एजेंसी के माध्यम से कर्मियों के चयन हेतु पत्र संख्याः 144/एस0पी0एम0यू0/डैप–एच0आर0/नियु0/2019–20/6074–2 दिनांक 15.10.2019 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये है। जिनका जनपद स्तर पर सेवाप्रदाता एजेंसी के माध्यम से कर्मियों के चयन हेतु पालन सुनिश्चित किया जाना है।

26. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत मण्डल/जनपद स्तर पर सेवाप्रदाता एजेंसी के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों हेतु सरकार द्वारा निर्धारित सभी वैधानिक अनुपालन (Statutory Compliance) जैसे कि Minimum Wages EPF, ESI, Service Charge, GST इत्यादि का

नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। मुख्य चिकित्साधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबधित जनपद में चयनित सेवाप्रदाता एजेंसी द्वारा वैधानिक अनुपालन का ससमय अनुपालन किया जायें।

27. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत संविदा कर्मियों की कार्य करने हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी, किन्तु संविदा पर कार्यरत चिकित्सा कार्य हेतु चिकित्सकों (एम0बी0बी0एस0) को शारीरिक एव मानसिक रुप से स्वस्थ्य होने पर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष का प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है तथा संविदा पद पर कार्य करने की इनकी अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष तक की होगी (आयुष चिकित्साधिकारी एवं आयुष विशेषज्ञ की आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष ही होगी जिस हेतु दिशा–निर्देश पत्र संख्याः 03/SPMU/NHM/AYUSH /ManavSansadhan/ 2018-19/2457 दिनांक 18.06.2019 से प्रेषित किया गया)। **नोटः–चिकित्साधिकारी (एम0बी0बी0एस0) एवं विशेषज्ञ के रिक्त पदों पर समस्त श्रेणी (अनारक्षित, ओ0बी0सी0 एन0सी0एल0, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण हेतु आयु के समस्त लाभोपरान्त (After Availing all the age relaxation benefits)आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। आवेदन हेतु अभ्यर्थियों की आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से की जायेगी (इच्छुक अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि पर 65 वर्ष से अधिक न हों)।**

28. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के जनपद स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमो के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट–वॉक्–इन–इंटरव्यू के माध्यम से संविदा विशेषज्ञ एवं चिकित्साधिकारी एम0बी0बी0एस0 के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया हेतु समस्त जनपदों को वॉक्–इन–इंटरव्यू की प्रक्रिया के संबंध में पत्र संख्या– 179/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/वॉक्–इन/2020–21/2367–दिनांक 13.08.2020, पत्र संख्या–179/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/वॉक्–इन/2020–21/4106 दिनांक 16.10.2020 व पत्र संख्याः 179/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/ डिस्ट्रिक्ट–वॉक्–इन–इंटरव्यू/2021–22/5335 दिनांक 02.12.2021 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किया गया। डिस्ट्रिक्ट–वॉक्–इन–इंटरव्यू हेतु उक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

29. पत्र संख्याः 179/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/वॉक्–इन/2020–21/4106 दिनांक 16.10.2020 के माध्यम से चिकित्साधिकारी (एम0बी0बी0एस0) एवं विशेषज्ञ के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन प्रारूप पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है जिसका जनपद द्वारा पूर्णतया पालन सुनिश्चित कराया जाना है अथवा उक्त पत्र के माध्यम से नामित नोडल जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा डिस्ट्रिक–वाक्–इन भर्ती प्रक्रिया का राज्य स्तर द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप सफल संचालन सुनिश्चित कराया जाना है।

30. जनपद स्तर पर राज्य द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप संविदा विशेषज्ञ एवं चिकित्साधिकारी एम0बी0बी0एस0 के चयनोपरान्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची समस्त वांछित दस्तावेजो के साथ राज्य स्तर पर आवश्यक रूप से अनुमोदन हेतु प्रेषित की जायें। राज्य स्तर से अनुमोदनोपरान्त ही जनपद स्तर पर सफलतापूर्वक दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के उपरान्त ही अभ्यर्थी का योगदान सुनिश्चित कराते हुये तैनाती की जायें। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।

31. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन तैनात संविदा कर्मियों की पर्सनल फाइल संबंधित जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में संरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

32. संविदाकर्मी/चिकित्सक सेवा–अवधि के लिए पेन्शन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे इन्हें ऐसे सेवा–अवधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।

33. संविदाकर्मी/चिकित्सक अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।

34. संविदा पर कार्यरत चिकित्सक/कर्मी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस अथवा एक माह का समतुल्य मानदेय देकर उनकी सेवायें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 से समाप्त की जा सकती है।

35. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में राशि का व्यय ऑपरेशनल दिशा–निर्देश/गाइडलाइन्स फार आपरेशनल मैनेजमेंट में दी गई व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का अनुपालन करते हुए सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही की जायेंगी।
36. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत जनपदों में कार्यरत संविदा कर्मचारियो द्वारा कार्य में अनियमितता पाये जाने पर पत्रांक संख्या– 197/एस0पी0एम0यू0/डैप–एच0आर0/जी0आर0सी0/2018–19/12394(75)–11 दिनांक 01.03.2019 में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।
37. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत मण्डल/जनपद स्तर पर संविदा कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु Grievance Redressal Committee का गठन किया गया है। उक्त के संदर्भ में पत्र संख्याः 24/एस0पी0एम0यू0/डैप–एच0आर0/शासन/2018–19/1769 दिनांक 26.05.2018 एवं 197/SPMU/ DAP-HR/GRC/2019-20/315 दिनांक 10.04.2019 में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।
38. मण्डल/जनपद स्तर पर कार्यरत संविदाकर्मी यदि व्यक्तिगत कारणों से राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0 पर आते हैं तो सक्षम अधिकारी से अवकाश के अनुमोदनोपरान्त, अवकाश की प्रति के साथ राज्य स्तर पर आना सुनिश्चित करें।

18.2 पैरामेडिकल स्टाफ (लैब टेक्नीशियन, एक्स–रे टेक्नीशियन) (एफ0एम0आर0 8.1.1.5 (FAMS FMR Code-HSS.9.184.C.S0046) एवं 8.1.1.9 (FAMS FMR Code-HSS.9.184.C.S0078))

वित्तीय वर्ष 2023–24 में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन,एक्स–रे टेक्नीशियन रु0 22,121.00 (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 15,923.00 प्रतिमाह का बजट (रिक्त पदों हेतु) तथा नियमानुसार अतिरिक्त बजट ई0पी0एफ0 हेतु आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड संख्या 8.1.1.5 ; 8.1.1.9 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में 05 प्रतिशत की बढ़ोतरी केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी, जिन्होंने एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। तदनुसार अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाये।

कर्त्तव्य एवं दायित्व

संविदा पर पैरामेडिकल स्टाफ (लैब टेक्नीशियन एवं एक्स–रे टेक्नीशियन) को अपेक्षित कार्यों एवं दायित्वों के अनुसार कार्यों का निर्वहन करना होगा। इनकी ड्यूटी भी निर्देशानुसार शिफ्ट् में लगाई जा सकती है।

Performance Appraisal Form (Lab Technician)

PART-I

Review period: Name: Date of joining: Location: Date of completion of contract:

PART-II

Performance & Achievements (Please comment on the major achievements during the reporting period)

Lab Technician		
Sl.	**Activities**	**Achievement** (2022-23)
1.	No. of routine blood tests (TLC/DLC/Haemoglobin/ESR	
2.	Stool and urine tests	
3.	Bleeding time, clotting time	
4.	Diagnosis of RTI/STDs with wet mounting, Grams strain, etc.	
5.	Sputum testing for tuberculosis (if designated asa microscopy center under RNTCP)	
6.	Blood smear examination for malarial parasite.	
7.	Rapid tests for pregnancy/malaria	
8.	RPR test for Syphilis/YAWS surveillance	
9.	Any other tests (specify-)	

Qualitative Assessment:-

Behaviour with patients/Community		
Good	**Average**	**Bad**
Is punctual		
Always	**Sometimes**	**Never**
Takes interest in assigned job		
Always	**Sometimes**	**Never**
Attend and participate in staff meeting		
Always	**Sometimes**	**Never**
C: Any extraordinary achievement made or reasons for shortfall if any during the reporting period		
D. Remark of the Assessing Authority - Overall assessment of the appraisee:		
Date:	**Name:**	**Signature:**

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (X-Ray Technician)
PART-I

Review period: Name: Date of joining: Location: Date of completion of contract:

Performance & Achievements (Please comment on the major achievements during the reporting period)

Condition of X-RAY machine-funcional/non functional		
Sl.No.	**Activities**	**Achievement** (2022-23)
1.	Ensuring standards in Film Developing and processing modalities	
2.	Following standards of exposure techniques in terms of KV,MA and time	
3.	Following standards in recognition of the part of the body to be X-rayed and select the exposure factor accordingly.	
4.	Preparation of fixer, developer, replenisher to maintain temperature.	
5.	Use of proper exposure factors, collimators, cones and various protective measures.	
6.	Number of X-Rays done	

QUALITATIVE ASSESSMENT:-

Behaviour with patients/Community		
Good	**Average**	**Bad**
Is punctual		
Always	**Sometimes**	**Never**
Takes interest in assigned job		
Always	**Sometimes**	**Never**
Attend and participate in staff meeting		
Always	**Sometimes**	**Never**
C: Any extraordinary achievement made or reasons for shortfall if any during the reporting period		
D. Remark of the Assessing Authority - Overall assessment of the appraisee:		
Date:	**Name:**	**Signature:**

जनपदीय चिकित्सालयों में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (एफ0एम0आर0 16.4.3.1.9 (FAMS FMR Code- HSS.9.184.C.P350)) :

प्रदेश के समस्त जनपदीय महिला/पुरूष/संयुक्त चिकित्सालयों में प्रति चिकित्सालय एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को संविदा पर तैनात करने का प्राविधान किया गया है। ये डाटा इन्ट्री ऑपरेटर चिकित्सालय में मुख्यतः जननी सुरक्षा योजना, आशा, एफ0आर0यू0, चौबीसों घंटे प्रसव सुविधा, आर0टी0आई0/एस0टी0आई0, राष्ट्रीय कार्यक्रम, एच0एम0आई0एस0 के प्रपत्रों के अनुसार एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें कम्प्यूटर पर फीड करने एवं आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना प्रेषित करने का कार्य करेंगे

वित्तीय वर्ष 2023–24 में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को रु017198.00 प्रतिमाह एवं रु0 12,005.00 (रिक्त पदों हेतु Minimum Wages actके अनुसार) का अधिकतम बजट (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+नियमानुसार लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस–यदि पात्र हों तो) तथा नियोक्ता द्वारा वैधानिक कटौती योगदान हेतु (EPF@13.36%,ESI@3.25%,GST@18%, Service Charge) की दर से अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया हैं। जोकि नियमानुसार अनुमन्य होने की दशा में लागू होगा जिसका बजट आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड संख्या 16.4.3.1.9 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में 05 प्रतिशत की बढ़ोतरी केवल उन

संविदाकर्मी पर लागू होगी जिन्होंने एक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस का लाभ केवल जिला स्वास्थ्य समिति के संविदा कर्मियों को अनुमन्य हैं।

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (DATA ENTRY OPERATOR)

PART-I

Review period: Name: Date of joining: Location: Date of completion of contract:

PART-II

Performance & Achievements (Please comment on the major achievements during the reporting period)

Data Entry Operator

Sl.No.	**Activities**			**Achievement** (2022-23)
1.	Data Entry of all required information/records on a concurrent basis and producing monthly/quarterly reports/formats			**Not Submitted/ entered**
Data/Records		**Timely Submission**	**Late Submission**	
Janani Suraksha Yojna				
ASHA				
FRU/24 x 7 Delivery Services				
School Health Program				
National Disease Control Programmes				
RTI/STI Sevices				
Quarterly District updates (for CMO/DPM)				
Any other programme				

दन्त चिकित्सक (एफ. एम. आर. कोड संख्या 8.1.4.1 (FAMS FMR Code- HSS.9.184.C.S0253)):–

वर्ष 2023–24 में संविदा पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत दन्त चिकित्सक को रु0 64,164.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 39,900.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) का बजट आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड संख्या 8.1.4.1 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में 05 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी जिन्होंने एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। तदनुसार अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाये।

दन्त चिकित्सकोंकी तैनाती हेतु सामान्य नियम –

दन्त चिकित्सकों की तैनाती उपरोक्तानुसार उन्ही स्थानों पर की जानी है जहां डेन्टल चेयर उपलब्ध है तथा नियमित दन्त चिकित्सक तैनात न हों एवं दन्त चिकित्सा से सम्बन्धित सारे उपकरण उपलब्ध हों। इसके लिए जनपदवार फॉट में जो स्वीकृति दी गई है उससे अधिक संख्या में बी0डी0एस0 चिकित्सकों की तैनाती अनुमन्य नहीं होगी। दंत चिकित्सकों की उपलब्धता का व्यापक प्रचार–प्रसार करायें ताकि अधिक से अधिक दंत रोगी उनका लाभ उठा सकें।

S.No.	**Activities**	**Achievement(2022-23)**
1.	No. of OPD cases attended	
2.	No. of cases handled at the facility	
3.	No. of emergency cases attended against the total no. of cases	
4.	No. of procedures handled at the facility	

➢ जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई

वित्तीय वर्ष 2023–24 में जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कार्यरत संविदा कर्मियों को निम्न मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है।

1 **जिला कार्यक्रम प्रबन्धक**– हेतु अधिकत संशोधित बजट रू0 64079.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 32,700.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) के अनुसार 12 माह का मानदेय बजट आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड संख्या 16.4. 2.1.1 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।

2 **जिला लेखा प्रबन्धक**–हेतु अधिकतम संशोधित बजटरू0 52153.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु 26,650.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) के अनुसार 12 माह का मानदेय बजट आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड संख्या 16.4. 2.1.1 पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।

3 **जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर–** हेतु अधिकतम संशोधित बजट रू0 52,153.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 26,650.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) के अनुसार 12 माह का मानदेय बजट एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।

4 **जिला डाटा कम लेखा सहायक–** हेतु अधिकतम संशोधित बजट रू0 35600.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 18,150.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) के अनुसार 12 माह का मानदेय बजट आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।

5 **कार्यालय सहायक–** हेतु अधिकतम संशोधित बजट रू0 13298.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि) तथा रु0 9743.00 प्रतिमाह (Minimum Wages Act के अनुसार) (रिक्त पदों हेतु) तथा नियोक्ता द्वारा वैधानिक कटौती योगदान हेतु (EPF@13.36%,ESI@3.25%,GST@18%, Service Charge) की दर से अतिरिक्त बजट का प्रावधान आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ.एम. आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

6 **जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयो हेतु ऑपरेशन व्यय–**जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु वर्ष 2023–24 में ऑपरेशनल व्यय हेतु रू0 126441.00 प्रतिमाह व्यय हेतु आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड संख्या 16.1.5.3.16 स्वीकृत किया गया है।

18.3 जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में संविदाकर्मियों की तैनाती हेतु सामान्य नियमः–

1. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु प्रेषित धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत गठित शासी निकाय में चर्चा की जायेगी और सहमति प्राप्त की जायेगी। यदि शासी निकाय की बैठक में विलम्ब हो रहा हो तो अध्यक्ष–शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाये। आपसे अनुरोध है कि प्रेषित धनराशि को जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के खाते में स्थानान्तरित करवाकर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें। जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा वित्तीय नियमावली का अनुपालन करते हुए इस धनराशि का उपयोग किया जाये।
2. वित्तीय वर्ष 2023–24 में वास्तविक कार्य करने की तिथि से एवं संतोषजनक कार्य के आधार पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के अधिकारियों/कर्मियोंके मानदेय का भुगतान कर दिया जाये।

जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (एफ.एम.आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1 (FAMS FMR Code- HSS.9.184.C.P255))

- जिला स्वास्थ्य समिति शासी एवं कार्यकारी निकाय की नियमित रूप से प्रतिमाह बैठक कर सभी कार्यक्रमों के प्रगति की समीक्षा करवाना।
- जनपद स्तर पर कार्यरत कार्यक्रम समन्वयक/कन्सलटेन्ट (DMHC, DLC-NLEP, DPC-NTEP, DQC, DC-NTCP, DC-NVBDCP, UHCs-NUHM, DQIM, DEICM, FLC-NCD) के कार्यो की मासिक बैठक में कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को फीडबैक उपलब्ध कराना। उक्त कार्य मे DPM द्वारा DCPM तथा DAM का सहयोग भी लिया जाये।
- जनपद में संविदा के आधार पर नवीन भर्ती होने व योगदान देने/प्रस्तुत करने के उपरान्त संबंधित सभी औपचारिकताओं को 10 कार्यदिवसों में पूर्ण करते हुये मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित कराना। यदि कोई संविदाकर्मी द्वारा त्याग–पत्र दिया गया हों या कर्मी की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 से (संविदा) सेवा–समाप्ति की गयी हो तो ऐसे संविदाकर्मी की सूचना भी उपरोक्त उल्लिखित दिवसो में मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज/अपडेट कराना सुनिश्चित करें जिसे जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा उक्त पोर्टल पर डाटा/विवरण का नियमित रूप से परीक्षण किया जायेगा।
- डिस्ट्रिक्ट वाक–इन के माध्यम से चयनित संविदा विशेषज्ञों/चिकित्सकों की चयन प्रक्रिया हेतु जिला कार्यक्रम प्रबंधक को नोडल नामित किया गया है तथा तत्क्रम में जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा पूर्ण सूचना ससमय राज्य स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रेषित करना।
- प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जनपद में कार्यरत संविदाकर्मी/आउटसोर्स/वेण्डर कर्मियों की व्यक्तिगत सूचना (जनपद का नाम, कार्यक्रम का नाम, पदनाम, योगदान तिथि) एवं संक्षेप/विस्तृत सूचना (Summarised) (कार्यक्रमवार, पदवार, कार्यरत कर्मियों की संख्या एवं रिक्त पदों की सूचना)

मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित करना। इसके अतिरिक्त समय–समय पर वांछित सूचना को ससमय राज्य स्तर पर प्रेषित करना।

- जननी सुरक्षा योजना सहित सभी कार्यक्रमों के संचालन हेतु जनपद की सभी इकाईयों के पास पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना एवं जच्चा का अस्पताल में 48 घंटे रूकने हेतु सत्यापन करना।
- डिलीवरी प्वाइंट्स सहित सभी इकाईयों तथा कार्यालयों मे कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से वित्तपोशित कर्मियों की कार्यस्थल पर उपस्थिति का औचक निरीक्षण।
- जिला स्वास्थ्य समिति मे कार्यरत सभी कार्मिकों का मानव सम्पदा पर पंजीयन, अवकाश प्रबन्धन, वार्षिक अनुबन्ध तथा समय से मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करवाना।
- जिला स्वास्थ्य समिति मे कार्यरत सभी कार्मिकों का छमाही परफॉरमेन्स अप्रेजल सुनिश्चित करना।
- प्रतिमाह निर्धारित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयोजित होने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रतिभागियों का नामांकन तथा जनपद स्तरीय कार्यक्रम का समय से गुणवत्ता सहित आयोजन कराना।
- टीकाकरण सत्रो का (बुधवार एवं शनिवार) पर्यवेक्षण।
- अरबन हेल्थ पोस्ट पर डिस्प्ले बोर्ड की फोटोग्राफी तथा भौतिक प्रगति की रिपोर्ट।
- HMIS/UPHMIS पोर्टल पर माहवार एच.एम.आई.एस. की अद्यतन रिपोर्ट, जिला डाटा कम लेखा सहायक (DDAA) तथा जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुमोदित नवीन पद (District Monitoring & Evaluation Specialist) के द्वारा क्रियान्वित करते हुये आरसीएच पर पंजीकरण सुनिश्चित करवाना।
- निर्माण कार्य की माहवार अद्यतन सूचना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार का कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण तथा जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन की कार्यवाही कराना।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम दो विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के दौरान कार्यक्रम की समीक्षा विशेषकर मोबाइल टीम की उपस्थिति तथा स्वास्थ्य कार्ड एवं रजिस्टर का भरा जाना।
- एन0डी0सी0पी0 (राष्ट्रीय कार्यक्रम) से सम्बन्धित अद्यतन शासनादेशों/सकफ्रलर/दिशा–निर्देशों/एन0आर0एच0एम0 वेबसाइट पर उपलब्ध फार्म से मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारियों को अवगत कराना तथा उनके क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- एन0डी0सी0पी0(राष्ट्रीय कार्यक्रम) कार्यक्रमों का औचक निरीक्षण एवं उक्त से सम्बन्धित समीक्षात्मक आख्या एस0पी0एम0यू0 को ई–मेल द्वारा प्रेषित किया जाना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।
- जनपद मे कार्यरत Devlopment Partners के साथ समन्वयय करते हुये कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

<u>जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक (एफ. एम. आर. कोड संख्या16.4.2.1.1 (FAMS FMR Code HSS.9.184.C.P256))</u> :

- कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों के गुणवत्तापूर्वक संचालन, मूंल्याकन एवं अनुश्रवण में जनपदीय नोडल अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।
- जनपद पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सी0एच0ओ0) द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र देने की दशा में जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा संबंधित सी0एच0ओ0 के Surety Bond से संबंधित अर्हता का पालन करने में जनपद स्तर पर सहयोग प्रदान करते हुये प्रत्येक माह की 09 तारीख तक सम्बन्धित सूचना कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग, वित्त अनुभाग एवं मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाना।
- जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा जनपद पर कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सी0एच0ओ0) को ससमय परफॉरमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव (PBI) के भुगतान का पालन करने में जनपद स्तर पर सहयोग प्रदान करते हुये प्रत्येक माह की 09 तारीख तक सम्बन्धित सूचना कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग, वित्त अनुभाग एवं मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाना।

- काम छोड़ चुकी आशा/आशा संगिनी और बिना आशा वाले गावो का आंकलन कर नई आशा/आशा संगिनी का चयनकरवाना।
- कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित बजट का फॉलो अप (जिले से ब्लॉक को) अविरत रूप से फंड जारी किया जाना सुनिश्चित करना और उनके अधिकतम उपयोग में सहयोग करना।
- आशा व आशा संगिनी को प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति धनराशि का ससमय एवं नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाना।
- आशा किटो की आपूर्ति, वितरण एवं उन्हें फिर से भरने के लिए अच्छी व्यवस्था करना।
- आशा के लिए अतिरिक्त सहयोगी तंत्र जैसे–आशा पुरस्कार, शिकायत निवारण प्रणाली, आशा सहायता तंत्र स्थापित करना।
- राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों को ब्लॉक स्तर पहुंचना।
- वीएचएसएनसी के गठन/पुनर्गठन का पर्यवेक्षण करना और जिला स्तरीय सहयोगी टीम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिले के सभी गांवों में राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार सामुदायिक निगरानी के लिए प्रक्रिया विकसित करना।
- कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित गतिविधियों हेतु जिला प्रशिक्षण टीम के गठन एवं क्षमतावर्द्धन में सहयोग करना।
- एक व्यवस्थित प्रशिक्षण योजना तैयार करना, आशा, आशा सहयोगियों और वीएचएसएनसी सदस्यों के ब्लॉकवार प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं निगरानी करना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुचारु व्यवस्था, जैसे–समुचित आधारभूत सुविधाएं और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराकर, गुणवत्ता मानकों का पालन किया जा रहा है।
- कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित सभी प्रशिक्षकों और प्रशिक्षार्थियों का एक डेटा बेस रखना।
- कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धितजिला प्रशिक्षकों, आशा का प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन सुनिश्चित करना और उनके एवं जिला प्रशिक्षण स्थल की प्रमाणीकरण प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना।
- कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित ब्लॉक टीम को पर्यवेक्षण एवं मार्ग–दर्शन प्रदान करने के लिए जिला नोडल अधिकारी और राज्य आशा और सामुदायिक संसाधन केंद्र के साथ समन्वय करना।
- ग्राम स्वास्थ्य योजनाओं का संकलन करने, और जिला स्वास्थ्य कार्य–योजना के सामुदायिक प्रक्रिया अनुभाग का बजट तैयार करने में डीपीएमयू के साथ समन्वय स्थापित कर, योगदान प्रदान करना।
- कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन हेतु जिला संसाधन पूल को सुदृढ़ बनाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों और अन्य सरकारी विभागों, जैसे कि महिला एवं बाल विकास, जल एवं सफाई, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
- ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के साथ समय–समय पर समीक्षा बैठकें करना।
- आशा एवं सामुदायिक प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।
- समुदाय स्तर पर संचालित विभिन्न गतिविधियों यथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों, जे.ई./ए.ई.एस. आदि का समुदाय स्तर पर क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सहायतित पर्यवेक्षण करना एवं भ्रमण आख्या से उच्चाधिकारियों को अवगत कराना।
- क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान वी.एच.एन.डी. का अनुश्रवण करना।
- प्रत्येक आशा के ब्यौरे, प्रशिक्षण स्थिति और ड्रॉपआउट संबंधी ब्लॉकवार डेटाबेस रखना।
- प्रमुख कार्यों में आशा की सक्रियता का मूल्यांकन करने के लिए ब्लॉक सामुदायिक संयोजकों द्वारा प्रस्तुत प्रारूपों के अनुरूप जिला स्तरीय निष्पादन रिपोर्टों का संकलन करना।
- कम निष्पादन करने वाले ब्लॉकों की पहचान करना, कम प्रदर्शन के कारणों का आकलन करना और सुधार के लिए रणनीतियां बनाना।
- वीएचएसएनसी के प्रशिक्षण, कार्यक्षमता, खर्च और लंबित कार्य (बैकलॉग) के बारे में ब्लॉकवार डेटाबेस बनाए रखना भी इसका एक नियमित कार्य है।
- रोगी कल्याण समिति के गठन/नवीनीकरणएवं सुचारू संचालन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- जनपद में स्थापित किये जाने वाले हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों के चिन्हींकरण में सहयोग प्रदान किया जाना।
- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों के गैप एनालिसिस करवाने में सहयोग करना।
- गैप एनालिसिस के अनुसार आवश्यक उपकरण एवं सामग्री के उपलब्ध कराने में जनपदीय नोडल अधिकारी (एच.डब्ल्यू.सी.) को सहयोग प्रदान करना।

- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रों का आवश्यक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कर जनपदीय नोडल अधिकारी (एच.डब्ल्यू.सी.) को अवगत कराते हुये जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर से सम्बन्धित विभिन्न पोर्टल्स पर ससमय रिपोर्ट अपलोड किये जाने में जनपदीय नोडल अधिकारी (एच.डब्ल्यू.सी.) को सहयोग प्रदान किया जाना।
- अन्य कार्य जो कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा प्रदान किये जायें।

जिला लेखा प्रबन्धक (एफ.एम.आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1 (FAMS FMR Code- HSS.9.184.C.P258)) :

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जनपद के अन्दर समस्त कार्यक्रमों के लेखा सम्बंधी कार्यों का मासिक अनुश्रवण एवं समीक्षा करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में एवं विभिन्न इकाईयों पर कार्यरत लेखाकंन अधिकारी/कर्मचारी का पर्यवेक्षण करना।
- फाइनेन्सियल गाइडलाइन्स के अनुसार लेखा पुस्तकों के अद्यतन रखरखाव के लिये प्रत्येक माह कम से कम चार सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 का निरीक्षण कर आख्या जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में शामिल करना तथा राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- एफ.एम.आर, बी0आर0एस0, कमिटेड रिपोर्ट, कॉकरेन्ट ऑडिट रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट को मासिक अन्तराल पर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को प्रेषित करना।
- जिला स्वास्थ्य समिति, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, जिला अस्पताल एवं अन्य इकाईयों द्वारा एफ.ए.एम.एस. पोर्टल पर की गयी प्रविष्टियों की पूर्णतः की मासिक या कम अन्तराल पर समीक्षा करना।
- एफ.ए.एम.एस. पोर्टल से जिला स्वास्थ्य समिति के लेखा पुस्तकों का प्रिन्ट आउट निकालकर अभिरक्षित करना ।
- प्रत्येक माह ब्लाक लेखा प्रबन्धक की बैठक करना एवं रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- वित्तीय लेखा पुस्तकों के रख–रखाव के निरीक्षण रिपोर्ट के अनुपालन आख्या तैयार करवाना एवं वित्तीय नियमावली के अनुरूप कार्य की समीक्षा करना।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के समस्त लेखा कार्य की समीक्षा करना।
- पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल को पत्र संख्या–एस.पी.एमयू./एन0आर0एच0एम0/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/2017–18/1782–6 दिनांक 28.05.2018 एवं तद्पश्चात् जारी दिशा–निर्देश के अनुसार लागू कराना।
- कान्करेन्ट ऑडिट निष्पादित करवाना, प्रत्येक माह जनपद की समस्त इकाईयों बैंक समाधान विवरण एफ.ए.एम.एस. पोर्टल पर तैयार करवाना एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय विवरण तैयार करना एवं ई–मेल के माध्यम से ऑडिटर एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- जिला ऑडिट समिति की प्रत्येक वर्ष कम से कम 06 बैठक आयोजित करवाना एवं कार्यवृत राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- कान्करेन्ट ऑडिट कृत कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या को जिला ऑडिट समिति की समक्ष प्रस्तुत करना एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- वैधानिक ऑडिट निष्पादित करवाना तथा कृत कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या की समीक्षा करना तथा कृत कार्यवाही रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- जनपद के अन्दर की समस्त इकाईयों का बैंक समाधान विवरण बनवाने, मैनुअल रोकड़ बही एवं बाउचर पत्रावलियां के रख–रखाव की समीक्षा करना।
- जनपद के अन्दर समस्त इकाईयों की लेखा पुस्तकों की रख–रखाव की अद्यतन स्थिति का एजेण्डा जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में शामिल करवाना।
- टी0डी0एस0, जी0एस0टी0, ई0पी0एफ0 एवं अन्य वैधानिक दायित्वों की कटौती एवं समय से जमा करवाने की समीक्षा करना तथा डी0डी0ओ0 को यथा स्थिति एवं उसके परिणाम से अवगत कराना।
- राज्य स्वास्थ्य समिति से जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति से जिला अस्पताल सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 एवं अन्य इकाइयों के मध्य फण्ड समाधान विवरण तैयार करना।
- जनपद की समस्त इकाईयों पर फाईनेन्शियल एण्ड एकाउन्टिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0) को लागू करवाना।
- फाईनेन्शियल एण्ड एकाउन्टिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0) के अनुसार व्यय एवं पी0एफ0एम0 एस0 पोर्टल के अनुसार व्यय का इकाईवार रिपोर्ट तैयार करना तथा मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रत्येक सप्ताह दोनों के व्यय में अन्तर की समीक्षा करवाना।

- प्रत्येक माह की 07 तारीख तक सभी कार्यरत कर्मियों का मानदेय निर्गत करते हुए, निर्गत सम्बन्धी सूचना वित्त अनुभाग एवं मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित करना।
- एन0आर0एच0एम0 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।

जिला डाटा कम लेखा सहायक (एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1 (FAMS Code-HSS.9.184.C.P259)):–

राज्य स्तर से निर्धारित लेखांकन एवं अन्य कार्य, जिला लेखा प्रबन्धक के कार्यो में सहयोग, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के लेखा पुस्तकों को तैयार करना एवं अभिरक्षित करना तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के निर्देश में अन्य कार्य एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।

जिला कार्यक्रम प्रबंधको (डी0पी0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् हैः–

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष .....
संविदाकर्मी का नाम .....
तैनाती स्थल जनपद.....
माह में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या .....
तैनाती की तिथि .....संविदा समाप्त होने की तिथि.....

क्र0 सं0	कार्य/उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	जिला स्वास्थ्य समिति शासी एवं कार्यकारी निकाय की नियमित रूप से प्रतिमाह बैठक करवाना।	10	
2.	जननी सुरक्षा योजना में धनराशि सुनिश्चित करवाना एवं जच्चा का अस्पताल में 48 घंटे रूकने हेतु सत्यापन करना।	10	
3.	प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जनपद में कार्यरत संविदाकर्मी/आउटसोर्स कर्मियों की व्यक्तिगत सूचना एवं संक्षेप सूचना मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित करना।	10	
4.	जिला स्वास्थ्य समिति मे कार्यरत सभी कार्मिकों का मानव सम्पदा पर पंजीयन, अवकाश प्रबन्धन, वार्षिक अनुबन्ध तथा समय से मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करवाना।	10	
5.	डिलीवरी प्वाइंट्स सहित सभी इकाईयों तथा कार्यालयों मे कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से वित्तपोषित कर्मियों की कार्यस्थल पर उपस्थिति का औचक निरीक्षण।	10	
6.	टीकाकरण सत्रों का (बुधवार एवं शनिवार) पर्यवेक्षण।	10	
7.	HMIS/UPHMIS पोर्टल पर माहवार एच.एम.आई.एस. की अद्यतन रिपोर्ट, जिला डाटा कम लेखा सहायक (DDAA) तथा जनपद स्तर पर अनुमोदित नवीन पद (District Monitoring & Evaluation Specialist) के द्वारा क्रियान्वित करते हुये आरसीएच पर पंजीकरण सुनिश्चित करवाना।	10	
8.	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम दो विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के दौरान कार्यक्रम की समीक्षा विशेषकर मोबाइल टीम की उपस्थिति तथा स्वास्थ्य कार्ड एवं रजिस्टर का भरा जाना।	10	
9.	एन0डी0सी0पी0 (राष्ट्रीय कार्यक्रम) से सम्बन्धित अद्यतन शासनादेशों/सकफ्रलर/दिशानिर्देशों/एन0आर0एच0एम0 वेबसाइट पर उपलब्ध फार्म से सी0एम0ओ0 एवं सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारियों को अवगत कराना तथा उनके क्रियान्वयन में सहयोग।	10	
10.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य	10	
	कुल योग	**100**	

- ग्रेडिंग का आधारः–

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असन्तोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	

अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर
मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जिला कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक (डी0सी0पी0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् हैः–
कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष .....
संविदाकर्मी का नाम .....
तैनाती स्थल (जनपद का नाम).....
वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक/चिकित्सकीय/पैटरनिटी/मैटरनिटी /एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) .....
तैनाती की तिथि .....संविदा समाप्त होने की तिथि.....

क्र0 सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	नई आशा एवं आशा संगिनी की नियुक्ति के साथ आशा की अद्यतन सूचना।	10	
2.	वी0एच0एन0डी0 सत्रों का (बुधवार एवं शनिवार) पर्यवेक्षण।	10	
3.	रोगी कल्याण समिति की धनराशि का माहवार उपयोग रिपोर्ट।	10	
4.	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक की भ्रमण रिपोर्ट।	10	
5.	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस का सत्यापन एवं रिपोर्ट।	10	
6.	हेल्थ एवं वैलनेस सेन्टर से सम्बन्धित समस्त रिपोर्टिंग ससमय सुनिश्चित करना।	10	
7.	हेल्थ एवं वैलनेस सेन्टर टेली कन्सल्टेशन सुविधा का सुचारु एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना।	10	
8.	आशाओं एवं आशा संगिनी को देय मॉनिटरी एवं नॉनमॉनिटरी प्रतिपूर्ति राशि की ब्लॉकवार समीक्षा एवं अनुश्रवण करना।	10	
9.	हेल्थ एवं वैलनेस सेन्टर की कन्स्ट्रक्शन, ब्रान्डिंग व क्रियाशीलता की अद्युनान्त सूचना रखना।	10	
10.	एन0एच0एम0 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर
मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्साधिकारी

जिला लेखा प्रबन्धक (डी0ए0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् हैः–
कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष .....
संविदाकर्मी का नाम .....
तैनाती स्थल (जनपद का नाम).....
वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक/चिकित्सकीय/पैटरनिटी/मैटरनिटी /एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) .....
तैनाती की तिथि .....संविदा समाप्त होने की तिथि.....

क्र0 सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के समस्त कार्यक्रमों के लेखा कार्यो की समीक्षा। (कैश बुक/बैंक समाधान विवरण/बिल वाउचर/पत्रावलियां का रख–रखाव एवं अन्य लेखा पुस्तिकें आदि)	10	
2.	प्रत्येक माह कम से कम चार सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 का निरीक्षण कर वहां फाइनेन्सियल	10	

	गाइडलाइन्स के अनुसार लेखा पुस्तकों के अद्यतन रख–रखाव की स्थिति की आख्या।		
3.	माहवार एफ.एम.आर, एवं अन्य रिपोर्ट की अद्यतन सूचना प्रेषण।	10	
4.	प्रत्येक माह ब्लाक एकाउंट मैनेजर की बैठक करना एवं वित्तीय लेखा का निरीक्षण आख्या बनवाना एवं वित्तीय नियमावली के अनुरूप कार्य की समीक्षा करना।	10	
5.	कांकरेन्ट ऑडिट सम्बन्धी कार्य।	10	
6	वैधानिक ऑडिट सम्बन्धी कार्य।	10	
7	वार्शिक/त्रैमासिक वित्तीय विवरण तैयार करना।	10	
8	एफ0ए0एम0एस0 को लागू करवाना।	10	
9	टी0डी0एस0/जी0एस0टी0/ई0पी0एफ0/अन्य वैधानिक दायित्वों से सम्बन्धित कार्य।	10	
10	एन0आर0एच0एम0 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर
मण्डलीय लेखा अधिकारी एवं एम0आई0एस0

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जिला डाटा कम लेखा सहायक (डी0डी0ए0ए0/डी0डी0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् हैः–

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष .....
संविदाकर्मी का नाम .....
तैनाती स्थल (जनपद का नाम).....
वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक/चिकित्सकीय/पैटरनिटी/मैटरनिटी/ एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) .....
.....
तैनाती की तिथि .....संविदा समाप्त होने की तिथि.....

क्र0 सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	मुख्य चिकित्साधिकारी/अधीक्षक /एम0ओ0आई0सी0 एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों / गतिविधियों को ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन में सहयोग।	10	
2.	ब्लॉक पर पर प्लानिंग, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग तथा फीडबैक प्रदान करना।	10	
3	रोगी कल्याण समिति एवं ग्राम,स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति हेतु नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को सहयोग प्रदान करना।	10	
4	प्रत्येक माह कम से कम 8 से 10 दिन क्षेत्र का भ्रमण करना।	10	
5	बुक्स ऑफ एकाउन्ट्स गाइडलाइन के अनुसार बनाने में एम0ओ0आई0सी0 को सहयोग करना।	10	
6	मासिक व्यय रिपोर्ट में ब्लॉक स्तर पर हुए व्ययों का समय से सम्मिलित करना।	10	
7	राज्य स्तर से निर्धारित वित्तीय एवं लेखाकंन कार्य।	10	
8	जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के लेखा पुस्तकों का रख–रखाव (कैश बुक/बी0आर0एस0/बिल वाउचर एवं अन्य लेखा पुस्तकें आदि)	20	
9	सम्बन्धित ब्लॉक के सभी कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	

अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर
मण्डलीय लेखा अधिकारी एवं एम0आई0एस0

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी

18.4 ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (एफ0एम0आर0 कोड सं0–16.4.3.1.1)

आप अवगत हैं कि जनपदों में ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई क्रियाशील हैं तथा इन इकाइयों पर विभिन्न स्तर के संविदाकर्मी कार्यरत हैं जिसमें प्रत्येक ब्लाक पर एक ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक एवं एक ब्लाक लेखा प्रबन्धक की स्वीकृति है।

वर्ष 2023–24 में ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कार्यरत संविदा कर्मियों को निम्न मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है।

1 **ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक**– हेतु अधिकतम बजट एफ0एम0आर0 कोड संख्या 16.4.3.1.1 पर रू0 37148.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस), रु0 26,741.00 (01 वर्ष की संतोषजनक सेवा उपरान्त)/24,255.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) का मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

2 **ब्लाक लेखा प्रबन्धक**– हेतु अधिकतम बजट एफ0एम0आर0 संख्या 16.4.3.1.1 पर रू0 28,493.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 22,325.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) का मानदेय बजट आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ. में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

3 ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु वर्ष 2023–24 में ऑपरेशनल व्यय हेतु एफ0एम0आर0 कोड संख्याः 16.1.5.3.16 रूपये 19144.00 प्रतिमाह व्यय हेतु स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त मानदेय बजटएवं ऑपरेशनल व्यय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, वर्तमान मानदेय पर वित्तीयवर्ष 2023–24 में 05 प्रतिशत की बढ़ोतरी केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी जिन्होंने एक वर्ष काकार्यकाल पूर्ण कर लिया है।तदनुसार अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाये।

ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु सामान्य नियम निम्नवत् हैंः–

ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु सामान्य नियम–

1. ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु प्रेषित धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत गठित शासी निकाय में चर्चा की जायेगी और सहमति प्राप्त की जायेगी। यदि शासी निकाय की बैठक में विलम्ब हो रहा हो तो अध्यक्ष–शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाये। ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा वित्तीय नियमावली का अनुपालन करते हुए इस धनराशि का उपयोग किया जाये।
2. इस वित्तीय वर्ष में वास्तविक कार्य करने की तिथि से एवं संतोषजनक कार्य के आधार पर ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के कर्मियों/अधिकारियोंके मानदेय का भुगतान जनपदवार दी गई निर्धारित मानदेय के अनुसार कर दिया जाये।

ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कार्यरत संविदा कर्मियों के कार्य एवं दायित्व :–

ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक (एफ0एम0आर0 कोड सं0–16.4.3.1.1 (FAMS FMR Code- HSS.9.184.C.P345))

- **निर्धारित कार्य एवं उत्तरदायित्व**

➢ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रभारी अधीक्षक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मंशानुरूप सहयोग प्रदान करना।
➢ ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम नियोजन, संचालन, पर्यवेक्षण, समन्वयन हेतु पूर्णरूपेण उत्तरदायी।
➢ ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में कार्यरत सहयोगियों BAM, BCPM & DEO का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते हुये इकाई का संचालन।
➢ रोगी कल्याण समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों की कार्य क्षमता एवं विकास हेतु कार्ययोजना बनाना।
➢ ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण हेतु ग्राम संबंधी कार्ययोजना बनवाना, साथ ही उक्त समिति को समयानुसार धनराशि उपलब्ध करवाना।

- विकास खंड स्तर पर विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय करते हुये स्वास्थ्य कार्ययोजना का निर्माण तथा क्रियान्वयन मे अर्न्तविभागीय सहयोग प्राप्त करना।
- ए.एन.एम./आशा की मीटिंग में उपस्थित होकर सुझावों एवं समस्याओं के निस्तारण करना।
- प्रत्येक माह से प्रगति सूचना डाउनलोड कर चिकित्सा अधीक्षक के साथ चर्चा करना तथा ए.एन.एम. एवं आशा की मासिक बैठक मे डेटा प्रस्तुत करना।
- सभी लाभार्थियों तथा आशा एवं सेवा प्रदाताओं को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित करवाना।
- प्रभारी अधीक्षक/चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण लागू करवाना
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम दो विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के दौरान कार्यक्रम की समीक्षा विशेषकर मोबाइल टीम की उपस्थिति तथा स्वास्थ्य कार्ड एवं रजिस्टर का भरा जाना।
- माह में कम से कम 8–10 दिन की फील्ड विजिट तथा ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के दैनिक संचालन, वित्तीय प्रबंधन करना।
- वित्तीय प्रबंधन में प्रभारी अधीक्षक/चिकित्साधिकारी को सहयोग प्रदान करना तथा BAM का पर्यवेक्षण करना।
- मसिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह समय पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक को प्रस्तुत करना ।
- स्थापना, कार्यक्रम अनुश्रवण, नियोजन, सस्भागी समन्वयन मे उच्चाधिकारियों को सहयोग प्रदान करना।
- प्रत्येक माह में कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति की सूचना जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ससमय प्रेषित करना जिससे कि मानदेय का ससमय भुगतान किया जा सके।

ब्लाक लेखाप्रबन्धक (एफ0एम0आर0 कोड सं0–16.4.3.1.1 (FAMS FMR Code- HSS.9.184.C.P346))

- अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक को वित्तीय कार्यो में सहयोग करना।
- पी0एफ0एम0एस0 लॉग बुक/चेक निर्गत रजिस्टर तैयार करना।
- रोकड़ बही एवं बैंक बही तैयार करना।
- प्रत्येक माह एफ.ए.एम.एस पोर्टल से बैंक समाधान विवरण तैयार करना।
- एफ.ए.एम.एस पोर्टलका प्रयोग करते हुए ही पी.एफ.एम.एस. पोर्टल से भुगतान करना तथा टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 एवं अन्य वैधानिक दायित्वों की कटौती,उसी दिन समय से जमा करना एवं भुगतान की प्रविष्टि एफ.ए.एम.एस. पोर्टल पर अद्यतन करना।
- एफ.एम.आर एवं अन्य वित्तीय सूचना तैयार करना एवं जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना।
- एफ.ए.एम.एस. पोर्टल से लेखा पुस्तकों का प्रिन्ट आउट निकालकर अभिरक्षित करना।
- कान्करेन्ट एवं स्टेच्युटरी ऑडिटर को ऑडिट के दौरान मैनुअल रोकड़ बही, बैंक समाधान विवरण, बाउचर एवं अन्य वित्तीय प्रपत्र एवं पत्रावली उपलब्ध कराना।
- एफ0ए0एम0एस0/पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का पंजीकरण ।
- पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से मेकर आई0डी0 का प्रयोग करते हुये समस्त भुगतान करना।
- आशा पोर्टल से तैयार भुगतान की सूचना को मूल आशा बाउचर से मिलान के उपरान्त अनुमोदन हेतु चिकित्सा अक्षीधक/प्रभारी चिकित्सधिकारी को अग्रसारित करना तथा आशा भुगतान से सम्बन्धित मूल बाउचर को अभिरक्षित करना।
- उप–केन्द्र/जन अरोग्य समिति एवं ग्राम स्वच्छता एवं पोषण समितियों के वित्तीय अभिलेखों का अनुश्रवण करना।
- उप–केन्द्र/जन अरोग्य समिति एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र बिल बाउचर की मूल प्रति ब्लाक स्तर पर अभिरक्षित करना।
- उप–केन्द्र/जन अरोग्य समिति एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों के बैंक खाते मे अवशेष एवं ब्लाक की लेखा पुस्तकों में दर्शायी गयी अवशेष का विवरण तैयार करना।
- ब्लाक की समस्त सीएचसी/पीएचसी एवं सीएचसी/पीएचसी स्तरीय जन अरोग्य समितियों के लेखा पुस्तकों का रख–रखाव करना।
- वित्तीय लेखा का निरीक्षण आख्या की कृत कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या बनवाना एवं वित्तीय नियमावली के अनुरूप कार्य की समीक्षा करना।
- समस्त लेखा संबंधित डाटा को संकलित करना एवं समस्त ब्लाक संबंधित समस्त एन.एच.एम. कार्यों का प्रत्येक माह संकलन/अद्यतन एवं आख्या तैयार करना।

- राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार अन्य लेखांकन सम्बन्धी कार्य।
- फाईनेन्शियल एण्ड एकाउन्टिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0) के माध्यम से समस्त वित्तीय लेन–देनो को व्यवहरित करना।
- फाईनेन्शियल एण्ड एकाउन्टिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0) के अनुसार व्यय एवं पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के अनुसार व्यय का इकाईवार रिपोर्ट तैयार करना तथा चिकित्सा अक्षीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से प्रत्येक सप्ताह दोनों के व्यय में अन्तर की समीक्षा करवाना।

ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक (बी0पी0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् हैः–

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष .....
संविदाकर्मी का नाम .....
तैनाती स्थल (जनपद का नाम).....
वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक/चिकित्सकीय/पैटरनिटी/मैटरनिटी/ एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) .....
.....
तैनाती की तिथि .....संविदा समाप्त होने की तिथि.....

क्र0 सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में कार्यत सहयोगियों BAM, BCPM, & DEO का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते हुये इकाई का संचालन।	10	
2.	रोगी कल्याण समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों की कार्य क्षमता एवंविकास हेतु कार्ययोजना बनाना।	10	
3.	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण हेतु ग्राम सम्बन्धी कार्ययोजना बनवाना, साथ ही उक्त समिति को समयानुसार धनराशि उपलब्ध करवाना।	10	
4.	ए.एन.एम./आशा की मीटिंग में उपस्थित होकर सुझावों एवं समस्याओं का निस्तारण करना।	10	
5.	सभी लाभार्थियों तथा आशा एवं सेवाप्रदाताओं को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित करवाना।	10	
6.	प्रभारी अधीक्षक/चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण लागू करवाना।	10	
7.	माह में कम से कम 8–10 दिन की फील्ड विजिट तथा ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के दैनिक संचालन, वित्तीय प्रबन्धन करना।	10	
8.	वित्तीय प्रबन्धन में प्रभारी अधीक्षक/चिकित्साधिकारी को सहयोग प्रदान करना तथा BAM का पर्यवेक्षण करना।	10	
9.	मासिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह समय पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को प्रस्तुत करना।	10	
10.	प्रत्येक माह में कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति की सूचना जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ससमय प्रेषित करना जिससे कि मानदेय का ससमय भुगतान किया जा सके।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर
जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/प्रभारी चिकित्साधिकारी

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्साधिकारी

ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (बी0ए0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् है–

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष .....
संविदाकर्मी का नाम .....
तैनाती स्थल (जनपद का नाम).....

वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक / चिकित्सकीय / पैटरनिटी / मैटरनिटी / एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) ....

तैनाती की तिथि .....संविदा समाप्त होने की तिथि.....

क्र0 सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, के समस्त कार्यक्रमों के लेखा कार्यों की समीक्षा। (कैश बुक / बैंक समाधान विवरण / बिल वाउचर / पत्रावलियों का रख–रखाव एवं अन्य लेखा पुस्तकें आदि।	20	
2.	माहवार एफ0एम0आर0 एवं अन्य रिपोर्ट की अद्यतन सूचना प्रेशण।	10	
3.	उप–केन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समितियों के वित्तीय अभिलेखो का अनुश्रवण करना।	10	
4.	कान्करेट ऑडिट संबंधी कार्य।	20	
5.	वैधानिक ऑडिट संबंधी कार्य।	10	
6.	एफ0ए0एम0एस0 पर कार्य करना।	10	
7.	टी0डी0एस0 / जी0एस0टी0 / ई0पी0एफ0 / अन्य वैधानिक दायित्वों से संबंधित कार्य।	10	
8.	एन0आर0एच0एम0 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति / एस0पी0एम0यू0 / जिला स्वास्थ्य समिति / सी0एम0ओ0 / एम0ओ0आई0सी0 / द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर
जिला लेखा प्रबंधक एवं अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्साधिकारी

19. एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रम

एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रम

19.1 हेल्थ मैनेजमेण्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0)

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत वर्ष 2009 से एच0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बंधी सूचनाएं जनपद स्तर पर संकलित करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। तत्क्रम में प्रदेश में जनपद स्तर से डाटा की फीडिंग की जा रही थी, भारत सरकार के निर्देश ो के क्रम में वर्ष 2012–13 से फैसिलिटी बेस्ड डाटा की फीडिंग ब्लॉक स्तर से समस्त जनपदों द्वारा की जा रही है। उक्त पोर्टल पर स्वास्थ्य सम्बंधी डेटा के उपयोग के लिए मांग में लगातार वृद्धि हुई है, जो सूक्ष्म स्तर की कार्ययोजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए उपयोगी सिद्ध हुयी है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, सेवाओं के लिये व्यय और समाज के कमजोर वर्गों सहित सम्पूर्ण आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच में स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग हेतु सही निर्णय लेने मे प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पहलू हैं। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जनपदीय चिकित्सालयों की रैंकिंग एवं महत्वाकांक्षी जनपदों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुश्रवण हेतु एच.एम.आई. एस. डाटा उपयोगित किया जा रहा है। सतत गुणवत्तापरक डेटा एवं उसके संकेतकों की जानकारी एन0एच0एम0 के उद्देश्यों को पाने मे सहायक होंगे

प्रमुख उददेश्य

- प्रदेश में मुख्यतः मातृ, शिशु तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में दी जा रही समस्त गतिविधियो के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना।
- प्रदेश के समस्त जनपदों की लगभग 30,000 स्वास्थ्य इकाईयों की माहवार भौतिक प्रगति/सूचना उपलब्ध कराना।
- प्रदेश की समस्त स्वास्थ्य इकाईयो की वर्षवार उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सूचना एवं उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की सूचना मासिक आधार पर उपलब्ध कराना।

उपयोगिता

- स्वास्थ्य इकाई स्तर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की सूचना।
- लाभार्थी को दी गई स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धता।
- स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता मॉनिटरिंग में सहायता।
- आगामी वर्ष की कार्ययोजना एवं लॉजिस्टिक आंकलन में उपयोगिता।

19.2 आर0सी0एच0 पोर्टल

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माताओं को प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसवोपरान्त दी जा रही सेवाओं तथा बच्चों के टीकाकरण सेवाओं की रिर्पोर्टिग तथा फॉलो–अप हेतु ''आर0सी0एच0 पोर्टल'' तैयार किया गया है। उक्त सिस्टम में प्रदेश के सभी जिलों से मास्टर डाटाबेस व लाभार्थियों की जानकारी अंकित की जा रही है। इस सिस्टम के मुख्य उद्देश्य व उपयोग निम्नानुसार हैंः–

उद्देश्य–

- प्रदेश में माताओं एवं बच्चों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की लाभार्थी स्तर की जानकारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकत्र करना तथा इसके द्वारा समस्त गर्भवती महिलाओं को कार्यक्रम के निर्धारित समयानुसार प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें प्रदान किया जाना, समस्त बच्चों का पूर्ण–टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना एवं परिवार नियोजन सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- संपूर्ण सेवा लाभ अवधि में गर्भवती महिला, धात्री माताओं एवं बच्चों का रेगुलर फॉलोअप करना।
- प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान की गई सेवाओ एवं शेष सेवाओं सम्बन्धी Workplan/Due list स्वास्थ्य कर्मियों को ससमय उपलब्ध कराना।

उपयोग–

- लाभार्थी को दी गई सेवाओं संबंधी जानकारी की ऑन–लाईन उपलब्धता।
- आशा, ए.एन.एम. व लाभार्थी के दूरभाष एवं अन्य विवरण की ऑन–लाईन उपलब्धता, जिससे कि उनसे सम्पर्क करके दी गई सेवाओं का सत्यापन किया जा सके तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

- स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ता व आशा को आउटरीच सत्र हेतु पूर्व से जानकारी, वर्कप्लान के माध्यम से उपलब्ध कराना तथा दी गई सेवाओं की जानकारी अद्यतन कराने की सुविधा।
- स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं मॉनिटरिंग में सहायता।
- आगामी वर्ष की कार्ययोजना एवं लॉजिस्टिक का आंकलन।

पोर्टल में उपलब्ध रिपोर्ट्स का जनपद द्वारा नियमित रूप से उपयोग कर विभिन्न कार्यकमों को क्रियान्वित करने, सेवाओं के सत्यापन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रत्येक स्तर पर उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

भारत सरकार द्वारा एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर राज्य को आर0ओ0पी0 के अंतर्गत धनराशि का आवंटन किया जाता है तथा आवंटित धनराशि में कटौती भी पूर्ण प्रतिरक्षण, पूर्ण ए0एन0सी0, डी0एच0 रैकिंग एवं एफ0आर0यू0 की क्रियाशीलता के उपलब्ध डाटा के अनुसार कन्डीशनैलिटी के अनुरूप की जाती है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य स्तर से समय–समय पर जारी निर्देशों का जनपद स्तर पर कड़ाई से पालन किया जाए तथा निश्चित समयावधि पर डाटा की फीडिंग एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर की जाए। एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रमों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु निम्नानुसार स्वीकृतियां प्रदान की गयी हैः–

1. **ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में प्रिन्टिग ऑफ फालोअप फार्मेट/सर्विस डियू लिस्ट/वर्क प्लान–FMR Code RCH.1.16.IEC.2** एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 के अर्न्तगत फालोअप फार्मेट/सर्विस ड्यू लिस्ट/वर्क प्लान की प्रिटिंग सम्बन्धी कार्य जनपद स्तर से किया जाना है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उक्त गतिविधि के संचालन हेतु उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप को जनपद की आवश्यकतानुसार मुद्रित कराया जाना है।

   भारत सरकार द्वारा समस्त जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक में फालोअप फार्मेट/सर्विस डियू लिस्ट/वर्क प्लान हेतु अधिकतम रू0 3.00 प्रति आशा प्रतिमाह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसे भारत सरकार के मानकों के अनुसार जनपद/ब्लाक स्तर पर व्यय किया जाना है।

2. **एच0एम0आई0एस0 कार्यक्रम हेतु निर्धारित प्रारूप की प्रिटिंग– FMR Code HSS.12.194.IEC** एच0एम0आई0एस0 फारमेट की प्रिटिंग सम्बन्धी कार्य जनपद स्तर से किया जाना है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उक्त गतिविधि के संचालन हेतु उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप को जनपद की आवश्यकतानुसार नियमानुसार competitive bidding के माध्यम से मुद्रित कराया जाना है।

   उपकेन्द्र, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में 100 प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड एच0एम0आई0एस0 रिर्पोटिंग फॉरमेट हेतु भारत सरकार द्वारा इकाईवार फार्मेट की प्रिंटिंग निर्धारित पृष्ठों की संख्या के आधार पर धनराशि प्राविधानित की गई है। उक्त धनराशि का निर्धारित मानक के अनुसार उपयोग जनपद स्तरीय इकाइयों (SC/PHC/CHC/DH) को रिपोर्टिंग प्रारूप उपलब्ध कराने हेतु प्रिंटिंग मद में नियमानुसार किया जाना है।

3. **ई–हॉस्पिटल परियोजना क्रियान्वयन – FMR Code HSS.12.194.PME.1** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 2023–24 में ई–हॉस्पिटल परियोजना के अन्तर्गत 31 जनपदीय चिकित्सालयों में लीज लाइन कनेक्शन, ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन एवं प्रशासनिक व्यय हेतु धनराशि मानकानुसार स्वीकृत की जा चुकी है, जिसे वित्तीय वर्ष 2023–24 में शत–प्रतिशत उपयोगित किया जाना है।

4. **एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रम हेतु ब्लॉक स्तर के डेटा–इन्ट्री ऑपरेटर के मोबिलिटी सपोर्ट हेतु मानक– FMR Code HSS.12.194.PME.2** एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर शत प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिग हेतु ब्लॉक आपरेटर के लिए ब्लॉक के अर्न्तगत आने वाले समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में शत्–प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिग हेतु **टी0ए0/डी0ए0 हेतु प्रति ब्लॉक रु0 300.00** प्रतिमाह की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है। उपरोक्तानुसार ऑपरेटर द्वारा प्रति माह सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ केंन्द्रो में कम मे कम एक विजिट सुनिश्चित किया जाना है। विजिट के दौरान आपरेटर को निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी–
   - आर0सी0एच0 एवं एच0एम0आई0एस0 हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रेषित होने वाले डेटा को उप स्वास्थ्य केंदों/प्राथमिक स्वास्थ केंन्द्रों के मैनुअल रिकॉर्ड से मिलान एवं पुष्टीकरण करना।

- आर0सी0एच0 एवं एच0एम0आई0एस0 से संबधित डेटा की गुणवत्ता का परीक्षण करना। विशेष कर आर0सी0एच0 ट्रैकिंग प्रारूप पर ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों के फोन नम्बर का अंकन सुनिश्चित करना है।
- ए0एन0एम0 द्वारा रिर्पोटिग सम्बन्धी समस्याओं की जानकारी संकलित करना एवं अनमोल टेबलेट में एप्लीकेशन के माध्यम से डाटा अद्यतन/रिपोर्टिंग किये जान हेतु ए0एन0एम0 की हैण्ड होल्डिंग करना।
- आपरेटर के द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों में भ्रमण की रिपोर्ट एवं प्रदेश स्तर से जारी चेकलिस्ट को भर कर ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक को प्रस्तुत करना।
- ऑपरेटर द्वारा भरी गयी चेकलिस्ट के आधार पर प्राक्षिण/रिफ्रेशर की आवश्यकता को आगामी प्रशिक्षण एवं डाटा रिपोर्टिंग की त्रुटियों को वेलिडेशन बैठक में संदर्भित किया जाये।

उपर्युक्त मानको के अनुसार ब्लाक डेटा–इंट्री ऑपरेटर के टीए/डीए का भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त किया जाएगा।

5. **इण्टरनेट कनेक्टिविटी लेन/डाटा कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु मानकों के सम्बन्ध में– FMR Code HSS.12.194.PME.5** इंटरनेट कनेक्टिविटी के मासिक बिल के भुगतान, नजदीक के स्वान सेंटर्स (SWAN- State Wide Area Network) अथवा साइबर कैफे के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ब्लाक/जनपद/प्रदेश मुख्यालय को सूचनाएं प्रेषित करने के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाना है। उक्त के अन्तर्गत 18 डिवीजनल एम एण्ड ई हब में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु अधिकतम रु0 1,500.00 प्रति माह की दर से एवं 470 ब्लॉक इकाइयों, जो वित्तीय वर्ष 2021–22 ईसीआरपी–2 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है, में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु अधिकतम रु0 1,500.00 प्रति माह प्रति ब्लाक की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है।

6. **एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रम हेतु ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में अन्य आफिस व्यय– FMR Code HSS.12.194.PME.6** एच0एम0आई0एस0/आर0सी0एच0 कार्यक्रम के अंतर्गत 18 मण्डलीय एम0 एण्ड ई0 हब एवं 470 ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों में अन्य ऑफिस व्यय हेतु अधिकतम रु0 1,500.00 प्रति माह की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। उक्त के अन्तर्गत 18 डिवीजनल एम एण्ड ई हब में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु अधिकतम रु0 1,500.00 प्रति माह की दर से एवं 470 ब्लॉक इकाइयों, जो वित्तीय वर्ष 2021–22 ईसीआरपी–2 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है, में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु अधिकतम रु0 1,500.00 प्रति माह प्रति ब्लाक की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है। उक्त गतिविधि के अन्तर्गत कम्प्यूटर कन्ज्युमेबिल्स का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जाये।

7. **ए0एम0सी0 ऑफ कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यूपीएस– FMR Code HSS.12.194.PME.7** एच0एम0आई0एस0/आर0सी0एच0 कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों, जिला चिकित्सालयों एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कम्प्यूटर प्रिन्टर्स एवं यू0पी0एस0 की ए0एम0सी0 हेतु अधिकतम रु0 5000.00 प्रति कम्प्यूटर वार्षिक की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है। एम.सी.टी.एस. कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्थापित 820 कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 एवं 75 डी0पी0एम0यू एवं 18 मण्डलीय एम0एण्ड0ई0 हब के कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 के ए0एम0सी0 (वार्षिक रख–रखाव) के उपयोग हेतु **(केवल उन्हीं जनपदों द्वारा व्यय की जाये, जिनके द्वारा संबंधित कम्प्यूटर की वारण्टी अवधि वित्तीय वर्ष 2023–24 में समाप्त हो रही हो)** एवं एण्टी–वायरस आदि पर नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

   जनपद में आपूर्तित सभी प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 की ए0एम0सी0 का अनुबन्ध जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार प्रक्रियाएं अपनाते हुए डी0एच0एस0 के अनुमोदनोपरान्त अनुबन्ध की कार्यवाही की जाये। प्रत्येक कम्प्यूटर पर एन्टी वायरस साफ्टवेयर उपलब्ध हो, इस हेतु भी कार्यवाही नियमानुसार की जाये।

8. **टैबलेट डिवाईस के संचालन हेतु इन्टरनेट/डाटा एवं परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव– FMR Code RCH.1.16.OOC.2** भारत सरकार द्वारा आरसीएच पोर्टल पर प्रेषित किये जाने हेतु एएनएम के माध्यम से संकलित सूचनाओं को टैबलेट डिवाईस पर उपलब्ध ऐप के माध्यम से सीधे एएनएम द्वारा अंकित/अद्यतन किये जाने के लिए **अनमोल ऐप** विकसित कर उपलब्ध कराई गयी है। एएनएम को टैबलेट डिवाईस उपलब्ध कराई गयी है, जिस पर अनमोल ऐप क्रियाशील कर एएनएम द्वारा लाभार्थियों यथा–योग्य दम्पत्ति, गर्भवती महिला, नवजात एवं प्राप्त कराई जा रही स्वास्थ्य

सुविधाओं यथा एएनसी, टीकाकरण आदि की सूचना अंकित/अद्यतन की जाए, जो स्वतः आरसीएच पोर्टल पर अद्यतन हो जाएगी।

टैबलेट डिवाईस पर इन्टरनेट/डाटा एवं परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव हेतु अधिकतम् धनराशि रु0 300.00 प्रति ए0एन0एम0 प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की जा रही है, जिसे भारत सरकार के मानकों के अनुसार जनपद/ब्लॉक स्तर पर व्यय किया जाना है।

9. **ब्लॉक स्तर पर कार्यरत ब्लाक डाटा–इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय– FMR Code HSS.9.184.C.P351** भारत सरकार के निर्देशानुसार आर0सी0एच0 पोर्टल पर शत्–प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड डाटा इन्ट्री/अपलोडिंग का कार्य किया जाना है। आर0सी0एच0 पोर्टल के सफल संचालन हेतु प्रत्येक जनपद में ब्लॉक स्तर पर आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर्स हेतु कुल धनराशि रू0 16213.00 प्रतिमाह (मानदेय रू0 14145.00, ईपीएफ एम्प्लाई रू0 1946.00 एवं ईएसआई रू0 122.00) स्वीकृत की गयी है।

10. **डाटा एन्ट्री कार्य की आउटसोर्सिंग– FMR Code HSS.9.184.C.P352** डाटा एन्ट्री कार्य की आउटसोर्सिंग हेतु अधिकतम रु0 5.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। डाटा एन्ट्री कार्य आउटसोर्सिंग हेतु चयनित संस्था द्वारा एच0एम0आई0एस0/आर0सी0एच0 एवं अन्य पोर्टल के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाएं शत–प्रतिशत पोर्टल पर दर्ज करने की दशा में इस धनराशि का व्यय डी0एच0एस0 के अनुमोदनोपरान्त जनपद स्तर पर किया जाना है।

11. **डिवीजनल एम एण्ड ई हब के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का मानदेय– FMR Code HSS.9.184.C.P273 & P274 -** डिवीजनल एम एण्ड ई हब कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर स्वीकृत डिवीजनल एम एण्ड ई हब कार्मिकों (एम एण्ड ई ऑफिसर एवं एम एण्ड ई असिस्टेन्ट) हेतु आवश्यक धनराशि सम्बन्धित जनपदों को आवंटित की गयी है।

उक्त धनराशि का उपयोग सम्बन्धित कार्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु मण्डल स्तर पर किया जाना है। मण्डल स्तर पर एम एण्ड ई हब गतिविधि के अन्तर्गत 01–01 एम एण्ड ई ऑफिसर एवं एम एण्ड ई–असिस्टेन्ट की तैनाती की गयी है। उक्त कार्मिक एचएमआईएस एवं आरसीएच के अन्तर्गत गतिविधि क्रियान्वयन हेतु एवं पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जा रही सूचनाओं की गुणवत्ता एवं पूर्णता के लिये उत्तरदायी होंगे एम एण्ड ई हब कार्मिक राज्य स्तर पर एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 के अन्तर्गत गतिविधियों की कार्ययोजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं मण्डलीय जनपदों में गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु एवं डेटा आधारित गतिविधि/कार्यों हेतु समन्वय स्थापित करेंगे

20. राष्ट्रीय कार्यक्रम (संचारी रोग)

20.1 राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम–

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 में स्वीकृत गतिविधिवार धनराशि के सापेक्ष जनपदवार धनराशि आवंटित किये जाने का अनुमोदन राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2022 को प्राप्त है। राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09, 10.09.2022 में अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदवार गतिविधिवार आवंटन के अनुसार धनराशि उपयोग/व्यय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

क्षय रोग के उपचार एवं रोकथाम हेतु राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम वर्ष 1962 में प्रारम्भ किया गया था। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की उपलब्धियों की समीक्षा के आवश्यक संशोधन करते हुए वर्ष 1997 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया तथा वर्ष 2006 में पूरे देश को पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम से आच्छादित किया गया। अप्रैल 2020 से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम से आच्छादित किया गया है।

वर्तमान में क्षय रोग के प्रभावी नियंत्रण एवं उपचार हेतु भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2025 क्षय उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्ट (एम0डी0आर0) क्षय रोगियों की निःशुल्क जॉच एवं उपचार हेतु मार्च 2013 तक प्रदेश के समस्त जनपदों को पी0एम0डी0टी0 (प्रोगामेटिक मैनेजमेन्ट आफ ड्रग रेजिस्टेन्ट टी0बी0) कार्यक्रम से आच्छादित किया जा चुका है। प्रदेश में वर्तमान में 01 नेशनल रिफरेन्स लेबोरेटरी (एन0आर0एल0), 02 इन्टरमीडिएट रिफरेन्स लेबोरेटरी (आई0आर0एल0), 24 नोडल डी0आर0–टी0बी0 केन्द्र (डाट्स प्लस साईट), 05 कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब, 03 फालोअप कल्चर लैब पी0पी0पी0 (एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ, डा0 आर0एम0एल0 लखनऊ एवं एस0एम0आर0 बरेली) एवं 161 सी0बी0एन0ए0ए0टी0 लैब (कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट) के माध्यम से मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्ट (एम0डी0आर0) क्षय रोगियों को जॉच एवं औषधि की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उच्च क्षमता वाली डी0एम0सी0 एवं जिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय में 547 ट्रूनॉट मशीनें एवं 41 डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित एवं क्रियाशील की गई।

दिनांक 01.04.2018 से भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना (न्यूट्रीशियन सपोर्ट) के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से रू0 500/– प्रति माह की दर से भुगतान उपचार अवधि तक किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 से निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य टीबी नोटीफिकेशन को बढावा देने के लिए डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) माध्यम से उनके खाते में टी0बी0 मरीज के प्रति नोटीफिकेशन पर रू0 500/– तथा मरीज का उपचार पूर्ण कराने पर रू0 500/– का प्राविधान किया गया है जो दिया जा रहा है। 24 नोडल डी0आर0टी0बी0 सेन्टर में एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 (ड्रग रेजिस्टेंट) क्षय रोगियों हेतु नई औषधियां बीडाक्यूलीन एवं डेलामिनिड आधारित रेजेमिन दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा 5 मेडिकल मोबाइल वैन उ0प्र0 राज्य को आवंटित/उपलब्ध करायी गयी है, जो प्रदेश के समस्त जनपदों के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में जाकर क्षय रोगियों की जॉच करायी जा रही है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नानुसार सुविधाएँ उपलब्ध है–

कार्यक्रम से आच्छादित जनपद	75
कार्यक्रम से आच्छादित जनसंख्या	23.98 करोड
स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0)	01 आगरा
स्टेट ड्रग स्टोर (एस0डी0एस0)	04 (आगरा, बरेली, वाराणसी एवं लखनऊ)
इन्टरमीडिएट रिफरेन्स लैबोरेटरी (आई0आर0एल0)	02 (आगरा एवं लखनऊ)
क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (आर0टी0पी0एम0यू0)	05 (आगरा, बरेली, लखनऊ, वाराणसी एवं गोरखपुर)
टी0बी0 यूनिट (टी0यू0)	1168
बलगम परीक्षण केन्द्र (डी0एम0सी0)	2072
कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब	08 (जे0एन0यू0 अलीगढ, बी0एच0यू0 वाराणसी, एसजीपीजीआई, आरएमएल आईएमएस लखनऊ, एसआरएमएस बरेली, एलएलआरएम मेरठ, बी0आर0डी0 गोरखपुर, यू0पी0यू0एम0एस0 सैफेई इटावा)
नोडल ड्रग रेजिस्टेन्ट टी0बी0 केन्द्र (डी0आर0–टी0बी0 सेन्टर) एमडीआर टीबी वार्ड	24

डिस्ट्रिक्ट ड्रग रेजिस्टेन्ट टी0बी0 केन्द्र (डी0 डी0आर0–टी0बी0 सेन्टर) एमडीआर टीबी वार्ड	54
कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेसटिंग सी0बी0एन0ए0ए0टी0 (जीन एक्सपर्ट) लैब	166 (समस्त 75 जनपदों में) एवं 5 मेडिकल मोबाइल वैन
ट्रूनॉट मशीन	547 (उच्च क्षमता वाली डी0एम0सी0 एवं जिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय)
डिजिटल एक्सरे मशीन	41

वित्तीय वर्ष 2023–24 की अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुरूप मदवार कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों/ प्राथमिकताओं का विवरण

संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन नई दिल्ली, पत्रांक–जेड 28015/36/2017–18(Pt-IV) दिनांक–11 जनवरी 2019 के माध्यम से प्राप्त नार्म्स एण्ड बेसिस आफ कास्टिंग फार आर0एन0टी0सी0पी0 2017–25 (संविदा कर्मियों के मानदेय को छोडकर) जो कि दिनांक–11.01.2019 को हस्ताक्षरित है, में प्रदत्त गाइडलाइन के अनुसार संचालित किया जा रहा है।

National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP) Abstract					
Pool	**FMR Code**	**Programme/ Theme**	**S.no**	**Scheme/Activity**	**Approved ROP as per NHM Alloacted budget (In Lakh)**
NDCP Flexi Pool	**NDCP.4**	**National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP)**	**73**	**Drug Sensitive TB (DSTB)**	6492.20
			74	**Nikshay Poshan Yojana**	9875.00
			75	**PPP**	5402.21
			76	**Latent TB Infection (LTBI)**	712.76
			77	**Drug Resistant TB(DRTB)**	8849.10
			78	**TB Harega Desh Jeetega Campaign**	579.86
			79	**State specific Initiatives and Innovations**	48.00
Total					**31959.14**
HSS Pool	**HSS 11**	**193 Planning and Program Management**	**193**	**Program Management Activities**	1648.86
					33608.00
				Total HR (SD, PM& Others)	11358.51
				Grand Total	**44966.507**

Drug Sensitive TB (DSTB)

DBT - Treatment Supporter Honorarium (Rs.1000) 3.2.3.1.1 (NDCP.4.73.DBT.1)

उप महानिदेशक, सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली के ईमेल दिनांक 19 जुलाई 2019 के साथ श्री संजीवा कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक (नाको एण्ड आरएनटीसीपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 जेड–28015/24/2017–टीबी दिनांक 09.07.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2023–24 में उक्त मद में आवंटित धनराशि के अनुसार जनपदों द्वारा निःक्षय पोर्टल के माध्यम से डी0बी0टी0 से नियमानुसार व्यय किया जायेगा। उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

Infrastructure - Civil works (I&C)

Initial Establishment / Refurbishment / Upgradation of STO office, STDC, SDS, DDS, DTC, TU, DMC, X- ray facility (NDCP.4.73.IC.1)

उक्त मद में अनुमोदित धनराशि में जनपदों कों आवंटित धनराशि से जनपद में स्थापित डी0टी0सी0, टी0यू0, डी0एम0सी0 इत्यादि एवं राज्य स्तरीय इकाई एस0टी0सी0, एस0टी0डी0सी0, एस0डी0एस0 एवं आर0टी0पी0एम0यू0 के माइनर सिविल वर्क का कार्य आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा 02 नवीन एस0टी0डी0सी0 (एस0टी0डी0सी0 लखनऊ एवं एस0टी0डी0सी0 गोरखपुर) स्वीकृत किये गये थे, जिसके अपग्रडेशन एवं क्रियाशील हेतु रू0 20.00 लाख की धनराशि आवंटित किया गया है। जनपदों को आवंटित धनराशि में उक्त धनराशि सम्मिलित है। जिसका जनपद में उपलब्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 की वित्तीय गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार धनराशि व्यय किया जाना है।

Initial Establishment / Refurbishment / Upgradation of STO office, STDC, SDS, DDS, DTC, TU, DMC, X- ray facility FY 2023-24							
S.No	**District**	**Manitance Amount for District Units (DTC, TU & DMC etc)**	**SDS**	**STDC**	**RTPMU**	**STC**	**Total Amount**
1	Agra	119684	37500	150000	37500	0	344684
2	Aligarh	103277	0	0	0	0	103277
4	Ambedkarnagar	71559	0	0	0	0	71559
5	Amethi	66089	0	0	0	0	66089
7	Auraiya	45309	0	0	0	0	45309
8	Azamgarh	122964	0	0	0	0	122964
9	Baghpat	43140	0	0	0	0	43140
10	Bahraich	96714	0	0	0	0	96714
11	Ballia	91246	0	0	0	0	91246
12	Balrampur	61714	0	0	0	0	61714
13	Banda	57339	0	0	0	0	57339
14	Barabanki	90152	0	0	0	0	90152
15	Bareilly	126246	37500	0	37500	0	201246
16	Basti	69371	0	0	0	0	69371
17	Bijnour	97809	0	0	0	0	97809
18	Budaun	81402	0	0	0	0	81402
19	Bulandsahr	96714	0	0	0	0	96714
20	Chandauli	57339	0	0	0	0	57339
21	Chitrakoot	36559	0	0	0	0	36559
22	Deoria	85777	0	0	0	0	85777
23	Etah	51871	0	0	0	0	51871
24	Etawah	57339	0	0	0	0	57339
25	Faizabad	73746	0	0	0	0	73746
26	Farrukhabad	54059	0	0	0	0	54059
27	Fatehpur	73746	0	0	0	0	73746
28	Firozabad	69371	0	0	0	0	69371
29	Gautambudhnagar	49684	0	0	0	0	49684
30	Ghaziabad	91246	0	0	0	0	91246
31	Ghazipur	99996	0	0	0	0	99996
32	Gonda	89059	0	0	0	0	89059
33	Gorakhpur	121871	0	2000000	0	0	2121871
34	Hamirpur	38746	0	0	0	0	38746
35	Hapur	44214	0	0	0	0	44214
36	Hardoi	112027	0	0	0	0	112027
37	Hathras	49684	0	0	0	0	49684
38	Jalaun	54059	0	0	0	0	54059
39	Jaunpur	121871	0	0	0	0	121871
40	Jhansi	59527	0	0	0	0	59527
6	Amroha(JP Nagar)	52964	0	0	0	0	52964
41	Kannauj	55152	0	0	0	0	55152
42	Kanpurdehat	57339	0	0	0	0	57339
43	Kanpur Nagar	118589	0	0	0	0	118589
44	Kasganj (Kanshiram Nagar)	38746	0	0	0	0	38746
45	Kaushambhi	49684	0	0	0	0	49684
47	Lakhimpur Khiri	106559	0	0	0	0	106559
46	Kushinagar	94527	0	0	0	0	94527
48	Lalitpur	40934	0	0	0	0	40934
49	Lucknow	120799	37500	2000000	37500	0	2195799
50	Maharajganj	74839	0	0	0	0	74839
51	Mahoba	37652	0	0	0	0	37652
52	Mainpuri	54059	0	0	0	0	54059
53	Mathura	74839	0	0	0	0	74839
54	Mau	66089	0	0	0	0	66089
55	Meerut	104371	0	0	0	0	104371
56	Mirzapur	70464	0	0	0	0	70464
57	Moradabad	89059	0	0	0	0	89059
58	Muzaffarnagar	81402	0	0	0	0	81402
59	Pilibhit	62809	0	0	0	0	62809
60	Pratapgarh	87964	0	0	0	0	87964
3	Allahabad	161246	0	0	0	0	161246
61	Raebareli	79214	0	0	0	0	79214
62	Rampur	67184	0	0	0	0	67184
63	Saharanpur	90152	0	0	0	0	90152
64	Sambhal	59527	0	0	0	0	59527
66	Sant Ravidas Nagar	51871	0	0	0	0	51871
65	Sant Kabir Nagar	52964	0	0	0	0	52964
67	Shahjahanpur	78122	0	0	0	0	78122
68	Shamli	40934	0	0	0	0	40934
69	Sravasti	38746	0	0	0	0	38746
70	Siddharth Nagar	68277	0	0	0	0	68277
71	Sitapur	116402	0	0	0	0	116402
72	Sonbhadra	68277	0	0	0	0	68277
73	Sultanpur	70464	0	0	0	0	70464
74	Unnao	83589	0	0	0	0	83589

Initial Establishment / Refurbishment / Upgradation of STO office, STDC, SDS, DDS, DTC, TU, DMC, X- ray facility FY 2023-24							
S.No	**District**	**Manitance Amount for District Units (DTC, TU & DMC etc)**	**SDS**	**STDC**	**RTPMU**	**STC**	**Total Amount**
75	Varanasi	103277	37500	0	37500	0	178277
	Total	**5701606**	**150000**	**4150000**	**150000**	**0**	**10151606**
	State	0	0	0	0	100000	100000
	Grand Total	**5701606**	**150000**	**4150000**	**150000**	**100000**	**10251606**

Equipment (Including Furniture, Excluding Computers)

Procurement of all necessary equipment for DMC, X-ray and ECG, etc for NTEP (NDCP.4.73.EQ.1)

उक्त मद में जनपदों में High case load डी0एम0सी0 हेतु 250 LED माइक्रोस्कोप रू0 0.70 लाख प्रति LED की दर से अनुमोदित किया गया है। उक्त LED माइक्रोस्कोप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 की गाइडलाइन के अनुसार राज्य स्तर से नियमानुसार क्रय किया जायेगा।

Maintenance & Management of Office Equipment (Office Equipment at STC, SDS) (1.3.1.12) (NDCP.4.73.EQ.4)

उक्त मद में जनपद स्तरीय इकाई डी0टी0सी0, टी0यू0, डी0एम0सी0 इत्यादि एवं राज्य स्तरीय इकाई एस0टी0सी0, एस0टी0डी0सी0, एस0डी0एस0 एवं आर0टी0पी0एम0यू0 में प्रयोग किये जा रहे क्रियाशील उपकरणों के नियमानुसार रख रखाव एवं मेंटेनन्स हेतु वर्ष 2023–24 में उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है। जिसका जनपद में उपलब्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 की वित्तीय गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार धनराशि का व्यय किया जाना है।

Maintenance of office equipment for STC, DTC, DMC,TU ,RTPMU, SDS etc under NTEP							
S.No	**District**	**DTC/DMC/XRAY Equipments**	**STC Equipments**	**STDC**	**RTPMU**	**SDS**	**Total**
1	Agra	185625	0	225000	37500	15000	463125
2	Aligarh	123750	0	0	0	0	123750
3	Ambedkarnagar	82500	0	0	0	0	82500
4	Amethi	51562	0	0	0	0	51562
5	Auraiya	51562	0	0	0	0	51562
6	Faizabad	82500	0	0	0	0	82500
7	Azamgarh	103125	0	0	0	0	103125
8	Baghpat	51562	0	0	0	0	51562
9	Bahraich	61875	0	0	0	0	61875
10	Ballia	61875	0	0	0	0	61875
11	Balrampur	61875	0	0	0	0	61875
12	Banda	61875	0	0	0	0	61875
13	Barabanki	61875	0	0	0	0	61875
14	Bareilly	144375	0	0	37500	15000	196875
15	Basti	103125	0	0	0	0	103125
16	Bijnour	82500	0	0	0	0	82500
17	Budaun	82500	0	0	0	0	82500
18	Bulandsahr	61875	0	0	0	0	61875
19	Chandauli	41250	0	0	0	0	41250
20	Chitrakoot	41250	0	0	0	0	41250
21	Deoria	51562	0	0	0	0	51562
22	Etah	61875	0	0	0	0	61875
23	Etawah	61875	0	0	0	0	61875
24	Farrukhabad	82500	0	0	0	0	82500
25	Fatehpur	51562	0	0	0	0	51562
26	Firozabad	61875	0	0	0	0	61875
27	Gautambudhnagar	61875	0	0	0	0	61875
28	Ghaziabad	82500	0	0	0	0	82500
29	Ghazipur	61875	0	0	0	0	61875
30	Gonda	61875	0	0	0	0	61875
31	Gorakhpur	123750	0	0	22500	0	146250
32	Hamirpur	51562	0	0	0	0	51562
33	Hapur	51562	0	0	0	0	51562
34	Hardoi	61875	0	0	0	0	61875
35	Hathras	61875	0	0	0	0	61875
36	Jalaun	61875	0	0	0	0	61875
37	Jaunpur	82500	0	0	0	0	82500
38	Jhansi	103125	0	0	0	0	103125
39	Amroha(JP Nagar)	82500	0	0	0	0	82500
40	Kannauj	82500	0	0	0	0	82500
41	Kanpurdehat	51562	0	0	0	0	51562
42	Kanpur Nagar	144375	0	0	0	0	144375
43	Kasganj (Kanshiram Nagar)	51562	0	0	0	0	51562
44	Kaushambhi	51562	0	0	0	0	51562
45	Kushinagar	51562	0	0	0	0	51562
46	Lakhimpur Khiri	82500	0	0	0	0	82500

Maintenance of office equipment for STC, DTC, DMC,TU ,RTPMU, SDS etc under NTEP							
S.No	**District**	**DTC/DMC/XRAY Equipments**	**STC Equipments**	**STDC**	**RTPMU**	**SDS**	**Total**
47	Lalitpur	51562	0	0	0	0	51562
48	Lucknow	185625	0	0	37500	15000	238125
49	Maharajganj	51562	0	0	0	0	51562
50	Mahoba	41250	0	0	0	0	41250
51	Mainpuri	51562	0	0	0	0	51562
52	Mathura	61875	0	0	0	0	61875
53	Mau	51562	0	0	0	0	51562
54	Meerut	123750	0	0	0	0	123750
55	Mirzapur	51562	0	0	0	0	51562
56	Moradabad	103125	0	0	0	0	103125
57	Muzaffarnagar	82500	0	0	0	0	82500
58	Pilibhit	51562	0	0	0	0	51562
59	Pratapgarh	61875	0	0	0	0	61875
60	Allahabad	185625	0	0	0	0	185625
61	Raebareli	61875	0	0	0	0	61875
62	Rampur	61875	0	0	0	0	61875
63	Saharanpur	82500	0	0	0	0	82500
64	Sambhal	51562	0	0	0	0	51562
65	Sant Ravidas Nagar	51525	0	0	0	0	51525
66	Sant Kabir Nagar	51562	0	0	0	0	51562
67	Shahjahanpur	61875	0	0	0	0	61875
68	Shamli	51525	0	0	0	0	51525
69	Sravasti	51562	0	0	0	0	51562
70	Siddharth Nagar	51525	0	0	0	0	51525
71	Sitapur	82500	0	0	0	0	82500
72	Sonbhadra	51525	0	0	0	0	51525
73	Sultanpur	51525	0	0	0	0	51525
74	Unnao	61875	0	0	0	0	61875
75	Varanasi	185625	0	0	37500	15000	238125
	Total	**5599490**	**0**	**225000**	**172500**	**60000**	**6056990**
	State	0	100000	0	0	0	100000
	Grand Total	**5599490**	**100000**	**225000**	**172500**	**60000**	**6156990**

Drugs (Budget for Procurement done by States)

Vehicle hiring for drug transportation (NDCP.4.73.DS.1)

जनपद स्तर पर कार्यक्रम की विविध गतिविधियॉ जैसे डेली वेजर्स के लोडिग अनलोडिग, ड्रग बाक्स, First Line Drugs, Second Line Drugs & CBNAAT/Trunat Cartridges का ट्रान्सपोर्टेशन हेतु @Rs 5000/– प्रति टी0बी0 यूनिट प्रति वर्ष की दर से नियमानुसार सम्पादित कराया जाना है। उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

Procurement of Sleeves and drug boxes (NDCP.4.73.DS.2)

कार्यक्रम के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगियों हेतु सम्बन्धित एस0डी0एस0 पर @ Rs75/– monthly Patient Wise Box का नियमानुसार प्राक्योरमेंट किये जाने हेतु रू0 20.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है। उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

Local Procurement of first line Anti TB drugs (NDCP.4.73.DS.3)

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों में सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन के अनुमोदन/आदेश पर **first line Anti TB** औषधि के स्थानीय क्रय हेतु धनराशि अनुमोदित की गयी है, जिसका उपयोग जनपद में उपलब्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के अर्न्तगत वित्तीय गाइडलाइन एवं **Procurement** गाइडलाइन के अनुसार, नियमानुसार सम्पादित कराया जाये ।

Drug Transportation charges (NDCP.4.73.DS.4)

उक्त मद में कार्यक्रम की विविध गतिविधियॉ जैसे डेली वेजर्स के लोडिग अनलोडिग, ड्रग बाक्स, First Line Drugs, Second Line Drugs & CBNAAT/Trunat Cartridges का ट्रान्सपोर्टेशन हेतु स्टेट ड्रग स्टोर–आगरा, बरेली, लखनऊ एवं वाराणसी को रूपये 01.00 लाख की धनराशि उनके सम्बंधित जनपद को आवंटित की गई है।

Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport)

Lab Materials and consumables for DMCs NDCP.4.73.DI.1

उक्त मद में क्षय रोगियों के बलगम परीक्षण तथा फालोअप परीक्षण हेतु जनपद स्तरीय प्रयोगशालाओं के उपयोगार्थ लैब मैटीरियल एवं अन्य सामग्री का क्रय हेतु जनपदों को आवंटित धनराशि

का उपयोग जनपद में उपलब्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के अर्न्तगत वित्तीय गाइडलाइन एवं **Procurement** गाइडलाइन के अनुसार, नियमानुसार सम्पादित कराया जाये ।

एक्टिव केस फाइन्डिंग की गतिविधि के सफल संचालन हेतु लैब मैटीरियल का व्यय इसी मद में अनुमोदित सामान्य धनराशि से किया जाना है।

Lab Materials and consumables for DMCs FY 2023-24					
S.No	**District**	**Lab Consumables**	**X Ray Films (10x12 film @ 80 per film x 2 patients for 41site)**		**In Rupees**
			NO. of Site	**Amount (for 12 month)**	
1	Agra	3208275	1	96000	3304275
2	Aligarh	2677350	1	96000	2773350
3	Allahabad	4388850	0	0	4388850
4	Ambedkarnagar	1720275	0	0	1720275
5	Amethi	1315125	1	96000	1411125
7	Auraiya	951900	1	96000	1047900
8	Azamgarh	3382875	1	96000	3478875
9	Baghpat	903000	1	96000	999000
10	Bahraich	2530650	0	0	2530650
11	Ballia	2342025	0	0	2342025
12	Balrampur	1538700	1	96000	1634700
13	Banda	1273200	0	0	1273200
14	Barabanki	2370000	0	0	2370000
15	Bareilly	3271125	0	0	3271125
16	Basti	1769175	0	0	1769175
17	Bijnour	2684325	0	0	2684325
18	Budaun	2265225	0	0	2265225
19	Bulandsahr	2544600	1	96000	2640600
20	Chandauli	1392000	0	0	1392000
21	Chitrakoot	665475	0	0	665475
22	Deoria	2244225	1	96000	2340225
23	Etah	1245300	0	0	1245300
24	Etawah	1105575	1	96000	1201575
25	Faizabad	1776225	1	96000	1872225
26	Farrukhabad	1343100	1	96000	1439100
27	Fatehpur	1894950	0	0	1894950
28	Firozabad	1797150	1	96000	1893150
29	Gautambudhnagar	1182450	0	0	1182450
30	Ghaziabad	2565600	1	96000	2661600
31	Ghazipur	2642400	0	0	2642400
32	Gonda	2495700	0	0	2495700
33	Gorakhpur	3250200	0	0	3250200
34	Hamirpur	749325	0	0	749325
35	Hapur	903000	1	96000	999000
36	Hardoi	2991675	0	0	2991675
37	Hathras	1098600	1	96000	1194600
38	Jalaun	1175400	1	96000	1271400
39	Jaunpur	3278100	0	0	3278100
40	Jhansi	1426950	0	0	1426950
6	Amroha(JP Nagar)	1301175	1	96000	1397175
41	Kannauj	1168425	1	96000	1264425
42	Kanpurdehat	1273200	0	0	1273200
43	Kanpur Nagar	3354975	1	96000	3450975
44	Kasganj (Kanshiram Nagar)	1000800	1	96000	1096800
45	Kaushambhi	1119525	1	96000	1215525
47	Lakhimpur Khiri	2935800	0	0	2935800
46	Kushinagar	2593500	0	0	2593500
48	Lalitpur	840150	1	96000	936150
49	Lucknow	3361950	1	96000	3457950
50	Maharajganj	1922925	0	0	1922925
51	Mahoba	581625	1	96000	677625
52	Mainpuri	1308150	1	96000	1404150
53	Mathura	1832100	0	0	1832100
54	Mau	1580625	1	96000	1676625
55	Meerut	2509725	1	96000	2605725
56	Mirzapur	1797150	0	0	1797150
57	Moradabad	2307075	1	96000	2403075
58	Muzaffarnagar	2034675	0	0	2034675
59	Pilibhit	1454850	1	96000	1550850
60	Pratapgarh	2307075	1	96000	2403075
61	Raebareli	2132475	1	96000	2228475
62	Rampur	1678425	1	96000	1774425
63	Saharanpur	2523675	0	0	2523675
64	Sambhal	1475850	1	96000	1571850
66	Sant Ravidas Nagar	1091625	1	96000	1187625
65	Sant Kabir Nagar	1210350	0	0	1210350
67	Shahjahanpur	2174400	0	0	2174400
68	Shamli	916950	1	96000	1012950

Lab Materials and consumables for DMCs FY 2023-24					
S.No	District	Lab Consumables	X Ray Films (10x12 film @ 80 per film x 2 patients for 41site)		In Rupees
			NO. of Site	Amount (for 12 month)	
69	Sravasti	763275	1	96000	859275
70	Siddharth Nagar	1839075	1	96000	1935075
71	Sitapur	3278100	0	0	3278100
72	Sonbhadra	1322100	1	96000	1418100
73	Sultanpur	1706325	0	0	1706325
74	Unnao	2257500	1	96000	2353500
75	Varanasi	2684325	1	96000	2780325
	Total	**144000000.00**	**41.00**	**3936000.00**	**147936000**

Sample collection and Transport (NDCP.4.73.DI.2)

महानिदेशालय के पत्र एसटीसीएस/294/2019/14 दिनांक 01 अप्रैल 2020 के अनुरूप जनपद /अर्न्तजनपदीय स्पुटम सैम्पल कलैक्शन ट्रासपोटेशन हेतु राज्यस्तर से दिशा निर्देश निर्गत किये गये है तदानुसार भारतीय डाक सेवा से सैम्पल ट्रांसपोटेशन कराना सुनिश्चित किया जाये। जनपदवार आवंटित धनराशि द्वारा नियमानुसार व्यय किया जाये। उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है। सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन हेतु डाक विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था/कूरियर का उपयोग बिना राज्य स्तर से अनमुति प्राप्त किये नहीं किया जायेगा।

Capacity building incl. training

Training (State and District Level) NDCP.4.73.CB.1

राज्य एवं जनपद स्तरीय मानव संसाधन एवं कार्यक्रम से आच्छादित मेडिकल/पैरामेडिकल स्टाफ, ट्रीटमेंट सपोर्टर, सी0एच0ओ0, आयुष चिकित्सक, आर0बी0एस0के0/आर0के0एस0के0, इत्यादि का नियमित रूप से प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण एन0टी0ई0पी0 की गाडलाइन तथा समय समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में नियमानुसार सम्पादित करायी जाये। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सम्पादन स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा एवं क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाईयों (आर.टी.पी.एम.यू. आगरा, बरेली, वाराणसी, लखनऊ एवं गोरखपुर) के माध्यम से नियमानुसार सम्पादित करायी जाये।

समस्त जनपदों पर प्रशिक्षण गतिविधियॉ सम्पादित किये जाने हेतु भारत सरकार के सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन/राज्य स्तर से प्राप्त प्रशिक्षण हेतु माडयूल के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करना एवं प्रशिक्षण (जनपद/टीयूवार आदि) की सूचना स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा एवं क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाईयों (आर.टी.पी.एम.यू. आगरा, बरेली, वाराणसी लखनऊ एवं गोरखपुर) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

एक्टिव केस फाइन्डिंग के गतिविधि के सफल संचालन हेतु प्रशिक्षण भी निम्न आवटित धनराशि से किया जाना है, जिसका व्यय जनपदवार आवंटित धनराशि से नियमानुसार किया जाना है।

प्रशिक्षण हेतु स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा को रू0 8.00 लाख एवं क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाईयों (आर.टी.पी.एम.यू. आगरा, बरेली, वाराणसी एवं गोरखपुर को रू0 1.00 लाख प्रति इकाई एवं लखनऊ को रू0 2.00 लाख) उनके सम्बंधित जनपदों में आवंटित की गई है। उक्त धनराशि संबंधित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।

राज्य/जनपद में दिये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु टी0ए0/डी0ए0, ऑनरेरियम, रिफ्रेशमेंट, प्रशिक्षण सामाग्री इत्यादि का भुगतान नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अर्न्तगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 D.O. No. A–11033/101/07–Trg दिनांक 28.01.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार के अनुरूप जिला स्वास्थ समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाये। उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

CME NDCP.4.73.CB.2

इस मद में आवंटित धनराशि का व्यय जनपद स्तर पर संचालित मेडिकल कालेज में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों में होने वाली अद्यतनीकरण से चिकित्सको का संवेदीकरण के लिए आहूत करने हेतु आयोजित की जाने वाली बैठक/कार्यशाला हेतु किया जाना है। सम्बंधित मेडिकल कालेज में उक्त गतिविधियो को नियमानुसार सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

CME (Medical Colleges) @(20000, 15000, 10000/Medical College) Depending on MBBS seats Availibility FY 2023-24									
Sr.No	District	Number	Unit cost	Amount	Sr.No	District	Number	Unit	Amount

		of Medical College	per Medical College				of Medical College	cost per Medical College	
1	Agra	1	20000	20000	23	Hapur	3	20000	60000
2	Aligarh	1	20000	20000	24	Hardoi	1	10000	10000
3	Allahabad	1	20000	20000	25	Jalaun	1	20000	20000
4	Ambedkarnagar	1	20000	20000	26	Jaunpur	1	10000	10000
5	Amroha(JP Nagar)	1	15000	15000	27	Jhansi	1	20000	20000
6	Azamgarh	1	20000	20000	28	Kannauj	1	20000	20000
7	Bahraich	1	15000	15000	29	Kanpur Nagar	2	20000	40000
8	Banda	1	20000	20000	30	Lucknow	8	20000	160000
9	Barabanki	2	20000	40000	31	Mathura	1	20000	20000
10	Bareilly	3	20000	60000	32	Meerut	2	20000	40000
11	Basti	1	15000	15000	33	Mirzapur	1	10000	10000
12	Budaun	1	15000	15000	34	Moradabad	1	20000	20000
13	Deoria	1	10000	10000	35	Muzaffarnagar	1	20000	20000
14	Etah	1	10000	10000	36	Pratapgarh	1	10000	10000
15	Etawah	1	20000	20000	37	Raebareli	1	10000	10000
16	Faizabad	1	15000	15000	38	Saharanpur	1	20000	20000
17	Fatehpur	1	10000	10000	39	Shahjahanpur	2	15000	30000
18	Firozabad	2	15000	30000	40	Siddharth Nagar	1	10000	10000
19	Gautambudhnagar	2	15000	30000	41	Sitapur	1	10000	10000
20	Ghaziabad	1	20000	20000	42	Unnao	1	10000	10000
21	Ghazipur	1	10000	10000	43	Varanasi	2	20000	40000
22	Gorakhpur	2	15000	30000		**Total**	**62**		**1055000**

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत उक्त गतिविधि में मेडिकल कालेज में कार्यरत फैकल्टी, यू0जी0 पी0जी0 स्टूडन्ट एवं पैरामेडिकल स्टाफ को प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें।

Others including operating costs (OOC)

Incentive for community volunteers undertaking ACF (NDCP.4.73.OOC.2)

उक्त मद में भारत सरकार द्वारा समस्त जनपदों में 10% जनसंख्या हेतु दो चरण एक्टिव केस फाइडिंग की गतिविधि सम्पादित करायी जायेगी, जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

30 जनपदों हेतु Presumptive TB examination rate की समीक्षा के आधार पर 10% जनसंख्या हेतु भारत सरकार द्वारा एक अतिरिक्त चरण एक्टिव केस फाइडिंग गतिविधि अनुमोदित की गयी है। उक्त चरणों के संचालन हेतु राज्य स्तर से दिशा–निर्देश जनपदों को पृथक से प्रेषित किये जायेगे। एक्टिव केस फाइन्डिंग की गतिविधि के सफल संचालन हेतु इस मद में भारत सरकार द्वारा इनसेन्टिव की दरें निम्नवत है –

1. Incentives to the team members(Asha / Voulenteer) (Team would comprise of 3 Members) = Rs. 150 Per team member /day (Maximum for 10 days in each round)
2. Incentives to each team members for every TB Case detected in ACF round and placed on treatment = Rs. 600/team i.e. Rs. 200 per person.
3. Incentives to one lab personal either Lab technician or Lab assistant or Sputum microscopist of DMCs in linked in ACF round for sputum examination = Rs. 150 per day (Maximum for 10 days in each round).
4. Honorarium to Team Supervisors (Who will be supervisor), Rs. 300/day (10 days in ACF round).
5. There shall be One Team Supervisor on the average on 5 teams.
6. The team supervisors shall supervise his assigned team"s visits on his/ her tally sheet, ensure sputum collection and transport and compile each day"s ACF Reporting format and submit it to the MOPHI.
7. There shall be One MOTC on the average on 15 teams i.e. 3 supervisors who shall ensure the work of the team supervisors by making random home visits for confirmation of the teams" field visit work. Vehicle being used under NHM for routine Monitoring and Supervision to be used by MOTC/MOIC/BMO for 5 days in each ACF round).

Printing (NDCP.4.73.OOC.3)

कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों पर Revised Records and Registers एवं विभिन्न प्रपत्रों (ट्रीटमेंट कार्ड, पेशेन्ट आईडेन्टिटीकार्ड, टी0बी0 नोटिफिकेशन रजिस्टर, लेबोरेट्री (एनेक्सर 15-A) फार्म, रेफरेल फार्म, हेल्थ स्टेबलिसमेंट रजिस्ट्रेशन फार्म, ट्रान्सफर फार्म, ट्रेनिंग माड्यूल, क्वाटरिली रिपोर्ट फारमेट, एक्सन प्लान, ई0क्यू0ए0 फारमेट, पी0एम0डी0टी0 फारमेट), आर0बी0एस0के0 / आर0के0एस0के0 टीमों एवं सी0एच0ओ0 हेतु प्रपत्र इत्यादि की प्रिटिंग कराने हेतु

सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन, भारत सरकार से प्राप्त प्रारूप एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार, नियमानुसार सम्पादित कराया जाये ।

एक्टिव केस फाइन्डिंग गतिविधि के चरणों के सफल संचालन हेतु आवश्यक फारमेट की प्रिटिंग हेतु धनराशि जनपदवार आवंटित धनराशि से व्यय नियमानुसार किया जाना है। राज्य स्तरीय प्रिंटिग हेतु एस0टी0डी0सी0 आगरा को उक्त मद में रूपये 10 लाख की धनराशि जनपद आगरा की अनुमोदित धनराशि में सम्मिलित की गई है।

Surveillance, Research, Review, Evaluation (SRRE)

Sub National Certificate (NDCP.4.73.SRRE.1)

प्रदेश के 25 जनपदों को वर्ष 2025 के टी0बी0 मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु टी0बी0 फ्री सर्टीफिकेशन हेतु 05 जनपद हेतु रू0 5.00 लाख प्रति जनपद स्वर्ण प्रमाणीकरण हेतु, 10 जनपदों को रू0 3.00 लाख प्रति जनपद रजत प्रमाणीकरण हेतु तथा 10 जनपदों को रू0 2.00 लाख प्रति जनपद कांस्य प्रमाणीकरण हेतु धनराशि स्वीकृति की गयी है। भारत सरकार द्वारा पदक प्राप्त होने पर राज्य स्तर से जनपदों को पृथक से दिशा निर्देश निर्गत किये जायेगे।

NTF/ZTF/ STF (NDCP.4.73.SRRE.3)

कार्यक्रम के अर्न्तगत मेडिकल कालेज में राज्य स्तरीय गतिविधि के अर्न्तगत 02 एस0टी0एफ0 बैठक हेतु रू0 75 हजार प्रति बैठक का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। उक्त धनराशि को राज्य स्तर से प्रस्तावित मेडिकल कालेज मे बैठक के क्रम में आवंटित किया जाना है।

Nikshay Poshan Yojana

DBT -NPY for DSTB patients & DRTB Paitents (NDCP.4.74.DBT.1)

वर्ष 2018–19 में दिनांक 01.04.2018 से भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना (न्यूट्रीशियन सपोर्ट) के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों (सरकारी एवं निजी क्षेत्र) को डी0बी0टी0 के माध्यम से रू0 500/– प्रति माह की दर से नियमानुसार निःक्षय पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट का उपयोग करते हुए डी0बी0टी0 द्वारा भुगतान किया जाना है, एवं FAMS पोर्टल पर व्यय की सूचना अंकित किया जाना सुनिश्चित करें। वर्ष 2023–24 में उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है। वर्ष 2023–24 में निक्षय पोषण योजना के अन्तर्गत डी0बी0टी0 के माध्यम से क्षय रोगियों को भुगतान हेतु अवमुक्त धनराशि से सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर उन क्षय रोगियों को लाभ प्रदान किया जायेगा जो वर्तमान मे उपचाराधीन है।

PPP

DBT-Private Provider Incentive (NDCP.4.75.DBT.1)

वर्ष 2018–19 में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य टीबी नोटीफिकेशन को बढावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 से डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर डीबीटी माध्यम से उनके खाते में प्रति टी0बी0 मरीज के नोटीफिकेशन पर रू0 500/– तथा मरीज का उपचार पूर्ण कराने पर रू0 500/– का प्राविधान किया गया है। उक्त भुगतान निःक्षय पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट का उपयोग करते हुए डी0बी0टी0 द्वारा नियमानुसार किया जाना है वित्तीय वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

Informant Incentive (NDCP.4.75.DBT.2)

उप महानिदेशक, सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली के ईमेल दिनांक 19 जुलाई 2019 के साथ श्री संजीवा कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक (नाको एण्ड आरएनटीसीपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 जेड–28015/24/2017–टीबी दिनांक 09.07.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2022–23 में उक्त मद में आवंटित धनराशि के अनुसार जनपदों द्वारा निक्षय पोर्टल के माध्यम से डी0बीटी0 द्वारा रू0 500/– का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

Others including operating costs (OOC)

Any Public Private Mix (PP/NGO Support) (NDCP.4.75.OOC.2)

कार्यक्रम के अर्न्तगत एस0जी0पी0जी0आई0 – लखनऊ, आर0एम0एल0 संस्थान–लखनऊ एवं एस0आर0एम0एस0 – बरेली में फालोअप सर्विसेज (According to MOU) हेतु धनराशि नियमानुसार दिया जाना है। जनपदों के राज्य/डी0एच0एस0 के माध्यम से स्वीकृत एम0ओ0यू0 के उपरान्त कार्यरत

एन0जी0ओ0/पी0पी0 स्कीम हेतु धनराशि अनुमोदित की गयी है जिसका व्यय इस मद से नियमानुसार किया जाना है।

Public Private Support Agency (PPSA) (NDCP.4.75.OOC.1) वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा राज्य के 20 जनपदों (अयोध्या, आजमगढ, बहराइच, बलिया, बांदा, बारांबंकी, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, गोण्डा, हरदोई, खीरी, ललितपुर, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर एवं शाहजहांपुर) एवं 16 जनपदों (आगरा, अलीगढ, बरेली, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुरनगर, लखनऊ, मथुरा, मरेठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सीतापुर एवं वाराणसी) को पेशेन्ट प्रोवाइडर सपोर्ट एजेन्सी (पीपीएसए) हेतु सम्बन्धित जनपद को कुल रू0 4056.71 लाख की धनराशि स्वीकृति की गयी है। उक्त गतिविधि के क्रियान्यवन हेतु राज्य स्तर से हुए MOU के आधार पर नियमानुसार किया जाना है।

Multi-sectoral collaboration activities

वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्विभागीय विभागों से समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य स्तर पर कार्याशालाओं का आयोजन कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

Multi-sectoral collaboration activities (Any activities for collaborating with other line departments and organizations (eg: AYUSH, Directorates of Labour, Rural Development, Urban Development, Industries, PRI, Railways, etc)		
Sr.No	**Activity**	**Unit Cost of State Level Activities (In Rupees)**
1	ICDS,	50000
2	Directorates of Labour and Industries	50000
3	Education	50000
4	PRI	50000
5	Social welfare	50000
6	Railways and Ayush	50000
	Total	**300000**

LTBI

Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport) -Screening, referral linkages and follow-up under Latent TB Infection Management (NDCP.4.76.DI.1)

उक्त मद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि को राज्य स्तर पर है। जिसके सम्बंध में जनपदवार आवंटित धनराशि एवं विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

Diagnosis of LTBI (NDCP.4.76.DI.2)

उक्त मद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि को राज्य स्तर पर है। जिसके सम्बंध में जनपदवार आवंटित धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

Drugs -Treatment of LTBI (NDCP.4.76.DS)

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों में सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन के अनुमोदन/आदेश पर **TPT** से सम्बन्धित औषधियों के स्थानीय क्रय हेतु धनराशि अनुमोदित की गयी है, जिसका उपयोग जनपद में जिला स्वास्थ समीति के अनुमोदनोपरान्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन–उ0प्र0 के अर्न्तगत वित्तीय गाइडलाइन के अनुसार, नियमानुसार सम्पादित कराया जाये ।

DRTB - DBT -Treatment Supporter Honorarium (Rs.5000) (NDCP.4.77.DBT.2)

उप महानिदेशक, सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली के ईमेल दिनांक 19 जुलाई 2019 के साथ श्री संजीवा कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक (नाको एण्ड आरएनटीसीपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 जेड–28015/24/2017–टीबी दिनांक 09.07.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2022–23 में उक्त मद में आवंटित धनराशि के अनुसार जनपदों द्वारा निःक्षय पोर्टल के माध्यम से डी0बी0टी0 से नियमानुसार व्यय किया जायेगा। उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

Infrastructure - Civil works (I&C)

Initial Establishment / Refurbishment / Upgradation of Nodal DRTB centre, CBNAAT, TRUNAAT sites, IRL & CDST labs (NDCP.4.77.IC)

उक्त मद में अनुमोदित धनराशि से जनपद/ राज्य स्तरीय ईकाई कल्चर डी0एस0टी0, आई0आर0एल0, डी0आर0टी0बी0 सेन्टर, ट्रूनाट/ सी0बी0एन0ए0ए0टी0 लैब के माइनर सिविल वर्क का कार्य आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार सम्पादित कराया जाये। राज्य स्तरीय इकाई हेतु आवंटित धनराशि सम्बन्धित जनपदों कों आवंटित धनराशि में सम्मलित है।

जिसका जनपद/राज्य स्तरीय ईकाई द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 की वित्तीय गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार धनराशि व्यय किया जाना है।

Initial Establishment / Refurbishment / Upgradation of Nodal DRTB centre, CBNAAT, TRUNAAT sites, IRL & CDST labs											
S. No	**District**	**DR TB Centre**	**CBNAAT**	**Truenat**	**DRTB@ 5000**	**CBNAAT @2000**	**Truenat @ 2000**	**C&DST**	**IRL**	**New LPA Lab**	**Amount**
1	Agra	1	5	10	5000	10000	20000	0	150000	0	185000
2	Aligarh	1	4	9	5000	8000	18000	150000	0	0	181000
4	Ambedkarnagar	1	2	4	5000	4000	8000	0	0	0	17000
5	Amethi	0	1	4	0	2000	8000	0	0	0	10000
7	Auraiya	1	1	5	5000	2000	10000	0	0	0	17000
8	Azamgarh	0	2	4	0	4000	8000	0	0	0	12000
9	Baghpat	0	2	7	0	4000	14000	0	0	0	18000
10	Bahraich	0	1	2	0	2000	4000	0	0	0	6000
11	Ballia	0	2	9	0	4000	18000	0	0	0	22000
12	Balrampur	0	2	2	0	4000	4000	0	0	0	8000
13	Banda	0	1	3	0	2000	6000	0	0	0	8000
14	Barabanki	0	1	5	0	2000	10000	0	0	0	12000
15	Bareilly	1	3	10	5000	6000	20000	0	0	0	31000
16	Basti	1	4	8	5000	8000	16000	0	0	0	29000
17	Bijnour	0	2	3	0	4000	6000	0	0	0	10000
18	Budaun	0	3	8	0	6000	16000	0	0	0	22000
19	Bulandsahr	0	2	7	0	4000	14000	0	0	0	18000
20	Chandauli	0	3	7	0	6000	14000	0	0	0	20000
21	Chitrakoot	0	1	5	0	2000	10000	0	0	0	12000
22	Deoria	0	1	2	0	2000	4000	0	0	0	6000
23	Etah	0	2	6	0	4000	12000	0	0	0	16000
24	Etawah	1	1	7	5000	2000	14000	0	0	0	21000
25	Faizabad	0	3	4	0	6000	8000	100000	0	0	114000
26	Farrukhabad	0	1	7	0	2000	14000	0	0	0	16000
27	Fatehpur	0	2	8	0	4000	16000	0	0	0	20000
28	Firozabad	0	2	6	0	4000	12000	0	0	0	16000
29	Gautambudhnagar	1	3	5	5000	6000	10000	0	0	1600000	1621000
30	Ghaziabad	0	4	11	0	8000	22000	0	0	0	30000
31	Ghazipur	0	2	4	0	4000	8000	0	0	0	12000
32	Gonda	1	2	7	5000	4000	14000	0	0	0	23000
33	Gorakhpur	0	4	9	0	8000	18000	0	150000	0	176000
34	Hamirpur	0	1	3	0	2000	6000	0	0	0	8000
35	Hapur	0	1	4	0	2000	8000	0	0	0	10000
36	Hardoi	0	3	9	0	6000	18000	0	0	0	24000
37	Hathras	0	1	3	0	2000	6000	0	0	0	8000
38	Jalaun	0	1	6	0	2000	12000	0	0	0	14000
39	Jaunpur	1	3	14	5000	6000	28000	0	0	0	39000
40	Jhansi	0	3	5	0	6000	10000	0	0	0	16000
6	Amroha(JP Nagar)	0	1	4	0	2000	8000	0	0	0	10000
41	Kannauj	1	2	3	5000	4000	6000	0	0	0	15000
42	Kanpurdehat	0	1	4	0	2000	8000	0	0	0	10000
43	Kanpur Nagar	1	5	13	5000	10000	26000	0	0	0	41000
44	Kasganj (Kanshiram Nagar)	0	1	5	0	2000	10000	0	0	0	12000
45	Kaushambhi	0	1	4	0	2000	8000	0	0	0	10000
47	Lakhimpur Khiri	1	1	6	5000	2000	12000	0	0	0	19000
46	Kushinagar	0	3	14	0	6000	28000	0	0	0	34000
48	Lalitpur	0	1	4	0	2000	8000	0	0	0	10000
49	Lucknow	1	6	16	5000	12000	32000	0	150000	1600000	1799000
50	Maharajganj	0	1	7	0	2000	14000	0	0	0	16000
51	Mahoba	0	1	2	0	2000	4000	0	0	0	6000
52	Mainpuri	0	1	4	0	2000	8000	0	0	0	10000
53	Mathura	0	4	5	0	8000	10000	0	0	0	18000
54	Mau	0	2	3	0	4000	6000	0	0	0	10000
55	Meerut	2	5	6	10000	10000	12000	0	500000	0	532000
56	Mirzapur	0	2	4	0	4000	8000	0	0	0	12000
57	Moradabad	1	3	12	5000	6000	24000	0	0	0	35000
58	Muzaffarnagar	1	2	9	5000	4000	18000	0	0	0	27000
59	Pilibhit	0	2	5	0	4000	10000	0	0	0	14000
60	Pratapgarh	0	2	9	0	4000	18000	0	0	0	22000
3	Allahabad	2	5	14	10000	10000	28000	0	0	0	48000
61	Raebareli	0	2	7	0	4000	14000	0	0	0	18000
62	Rampur	0	2	16	0	4000	32000	0	0	0	36000
63	Saharanpur	0	3	12	0	6000	24000	0	0	0	30000
64	Sambhal	0	1	7	0	2000	14000	0	0	0	16000
66	Sant Ravidas Nagar	0	1	3	0	2000	6000	0	0	0	8000
65	Sant Kabir Nagar	0	1	4	0	2000	8000	0	0	0	10000
67	Shahjahanpur	0	2	4	0	4000	8000	0	0	0	12000
68	Shamli	0	1	4	0	2000	8000	0	0	0	10000
69	Sravasti	0	1	3	0	2000	6000	0	0	0	8000
70	Siddharth Nagar	0	2	4	0	4000	8000	0	0	0	12000

Initial Establishment / Refurbishment / Upgradation of Nodal DRTB centre, CBNAAT, TRUNAAT sites, IRL & CDST labs											
S. No	District	DR TB Centre	CBNAAT	Truenat	DRTB@ 5000	CBNAAT @2000	Truenat @ 2000	C&DST	IRL	New LPA Lab	Amount
71	Sitapur	0	3	13	0	6000	26000	0	0	0	32000
72	Sonbhadra	0	1	3	0	2000	6000	0	0	0	8000
73	Sultanpur	0	1	6	0	2000	12000	0	0	0	14000
74	Unnao	0	2	6	0	4000	12000	0	0	0	16000
75	Varanasi	2	4	9	10000	8000	18000	0	150000	0	186000
	Total	**22**	**161**	**486**	**110000**	**322000**	**972000**	**250000**	**1100000**	**3200000**	**5954000**

Equipment (Including Furniture, Excluding Computers)

Maintenance and Management for DR TB Centre, IRL, C &DST Lab and Molecular Diagnostics Equipment (NDCP.4.77.EQ.1)

उक्त मद में जनपद/ राज्य स्तरीय ईकाई कल्चर डी0एस0टी0, आई0आर0एल0, डी0आर0टी0बी0 सेन्टर, ट्रूनाट/सी0बी0एन0ए0ए0टी0 लैब इत्यादि एवं राज्य स्तरीय प्रयोगशाला कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब/आई0आर0एल0 में प्रयोग किये जा रहे क्रियाशील उपकरणों के नियमानुसार रख रखाव एवं मेंटेनन्स हेतु वर्ष 2023–24 में उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है। उक्त राज्य स्तरीय प्रयोगशाला हेतु आवंटित धनराशि में सम्बन्धित जनपदों की आवंटित धनराशि में सम्मलित है। उक्त धनराशि का व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन–उ0प्र0 के अर्न्तगत जनरल फाइनेशियल रूल की गाइडलाइन के अनुसार किया जाना है।

Maintenance / up gradation costs for Laboratory equipments (if not covered under NHM Bio Medical Equipment Maintenance Programme/contract), CBNAAT UPS and office equipments etc.(Computer, Fax machine) FY 2023-24						
S.No	District	DRTB/CBNAAT/ Truenat	IRL/C&DST	Find support Equipment (AMC+ CMC		Total
				AMC	CMC	
1	Agra	100000	750000	0	0	850000
2	Aligarh	100000	500000	0	0	600000
3	Ambedkarnagar	100000	0	0	0	100000
4	Amethi	100000	0	0	0	100000
5	Auraiya	100000	0	0	0	100000
6	Faizabad	100000	0	0	0	100000
7	Azamgarh	100000	0	0	0	100000
8	Baghpat	100000	0	0	0	100000
9	Bahraich	100000	0	0	0	100000
10	Ballia	100000	0	0	0	100000
11	Balrampur	100000	0	0	0	100000
12	Banda	100000	0	0	0	100000
13	Barabanki	100000	0	0	0	100000
14	Bareilly	100000	0	0	0	100000
15	Basti	100000	0	0	0	100000
16	Bijnour	100000	0	0	0	100000
17	Budaun	100000	0	0	0	100000
18	Bulandsahr	100000	0	0	0	100000
19	Chandauli	100000	0	0	0	100000
20	Chitrakoot	100000	0	0	0	100000
21	Deoria	100000	0	0	0	100000
22	Etah	100000	0	0	0	100000
23	Etawah	100000	100000	0	0	200000
24	Farrukhabad	100000	0	0	0	100000
25	Fatehpur	100000	0	0	0	100000
26	Firozabad	100000	0	0	0	100000
27	Gautambudhnagar	100000	0	0	0	100000
28	Ghaziabad	100000	0	0	0	100000
29	Ghazipur	100000	0	0	0	100000
30	Gonda	100000	0	0	0	100000
31	Gorakhpur	100000	500000	0	0	600000
32	Hamirpur	100000	0	0	0	100000
33	Hapur	100000	0	0	0	100000
34	Hardoi	100000	0	0	0	100000
35	Hathras	100000	0	0	0	100000
36	Jalaun	100000	0	0	0	100000
37	Jaunpur	100000	0	0	0	100000
38	Jhansi	100000	100000	0	0	200000
39	Amroha(JP Nagar)	100000	0	0	0	100000
40	Kannauj	100000	0	0	0	100000
41	Kanpurdehat	100000	0	0	0	100000
42	Kanpur Nagar	100000	100000	0	0	200000
43	Kasganj (Kanshiram Nagar)	100000	0	0	0	100000
44	Kaushambhi	100000	0	0	0	100000
45	Kushinagar	100000	0	0	0	100000
46	Lakhimpur Khiri	100000	0	0	0	100000
47	Lalitpur	100000	0	0	0	100000
48	Lucknow	100000	750000	0	0	850000

Maintenance / up gradation costs for Laboratory equipments (if not covered under NHM Bio Medical Equipment Maintenance Programme/contract), CBNAAT UPS and office equipments etc.(Computer, Fax machine) FY 2023-24						
S.No	District	DRTB/CBNAAT/ Truenat	IRL/C&DST	Find support Equipment (AMC+ CMC		Total
				AMC	CMC	
49	Maharajganj	100000	0	0	0	100000
50	Mahoba	100000	0	0	0	100000
51	Mainpuri	100000	0	0	0	100000
52	Mathura	100000	0	0	0	100000
53	Mau	100000	0	0	0	100000
54	Meerut	100000	500000	0	0	600000
55	Mirzapur	100000	0	0	0	100000
56	Moradabad	100000	0	0	0	100000
57	Muzaffarnagar	100000	0	0	0	100000
58	Pilibhit	100000	0	0	0	100000
59	Pratapgarh	100000	0	0	0	100000
60	Allahabad	100000	100000	0	0	200000
61	Raebareli	100000	0	0	0	100000
62	Rampur	100000	0	0	0	100000
63	Saharanpur	100000	0	0	0	100000
64	Sambhal	100000	0	0	0	100000
65	Sant Ravidas Nagar	100000	0	0	0	100000
66	Sant Kabir Nagar	100000	0	0	0	100000
67	Shahjahanpur	100000	0	0	0	100000
68	Shamli	100000	0	0	0	100000
69	Sravasti	100000	0	0	0	100000
70	Siddharth Nagar	100000	0	0	0	100000
71	Sitapur	100000	0	0	0	100000
72	Sonbhadra	100000	0	0	0	100000
73	Sultanpur	100000	0	0	0	100000
74	Unnao	100000	0	0	0	100000
75	Varanasi	100000	500000	0	0	600000
	Total	**7500000**	**3900000**	**0**	**0**	**11400000**
	State	**0**	0	6990500	4500000	11490500
	Grand Total	**7500000**	**3900000**	**6990500**	**4500000**	**22890500**

Procurement of equipment for DR TB Centre, IRL, C &DST Lab and Molecular Diagnostics (NDCP.4.77.EQ.2)

उक्त मद में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में 25 नोडल डी0आर0टी0बी0 सेन्टर हेतु 256 ECG मशीन, प्रति साइट 01 नग ECG मशीन रू0 1.00 लाख प्रति मशीन कुल रू0 25.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है। जनपदवार आवंटित धनराशि एवं उपकरणों का विवरण निम्नवत है–

Procurement of equipment for DR TB Centre, IRL, C &DST Lab and Molecular Diagnostics							
S.No	District	Nodal DRTB Centre	ECG for district DRTB Centre (25@ 100000/- per site)	CBNAAT Batteries @ 80000 per site (40sites)	IRL/C& DST Lab	C&DST Lab GB Nagar and SGPGI Lucknow LPA Equipment	Total
1	Agra	1	100000	0	325000	0	425000
2	Aligarh	1	100000	0	0	0	100000
3	Ambedkarnagar	1	100000	0	0	0	100000
4	Amethi	0	0	0	0	0	0
5	Auraiya	1	100000	0	0	0	100000
6	Faizabad	0	0	0	0	0	0
7	Azamgarh	0	0	0	0	0	0
8	Baghpat	0	0	0	0	0	0
9	Bahraich	0	0	0	0	0	0
10	Ballia	0	0	0	0	0	0
11	Balrampur	0	0	0	0	0	0
12	Banda	1	100000	0	0	0	100000
13	Barabanki	1	100000	0	0	0	100000
14	Bareilly	1	100000	0	0	0	100000
15	Basti	0	0	0	0	0	0
16	Bijnour	0	0	0	0	0	0
17	Budaun	0	0	0	0	0	0
18	Bulandsahr	0	0	0	0	0	0
19	Chandauli	0	0	0	0	0	0
20	Chitrakoot	0	0	0	0	0	0
21	Deoria	0	0	0	0	0	0
22	Etah	1	100000	0	0	0	100000
23	Etawah	0	0	0	0	0	0
24	Farrukhabad	0	0	0	0	0	0
25	Fatehpur	0	0	0	0	0	0
26	Firozabad	0	0	0	0	0	0
27	Gautambudhnagar	1	100000	0	0	3100000	3200000
28	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0
29	Ghazipur	0	0	0	0	0	0

Procurement of equipment for DR TB Centre, IRL, C &DST Lab and Molecular Diagnostics							
S.No	**District**	**Nodal DRTB Centre**	**ECG for district DRTB Centre (25@ 100000/- per site)**	**CBNAAT Batteries @ 80000 per site (40sites)**	**IRL/C& DST Lab**	**C&DST Lab GB Nagar and SGPGI Lucknow LPA Equipment**	**Total**
30	Gonda	1	100000	0	0	0	100000
31	Gorakhpur	0	0	0	0	0	0
32	Hamirpur	0	0	0	0	0	0
33	Hapur	0	0	0	0	0	0
34	Hardoi	0	0	0	0	0	0
35	Hathras	0	0	0	0	0	0
36	Jalaun	1	100000	0	0	0	100000
37	Jaunpur	1	100000	0	0	0	100000
38	Jhansi	0	0	0	0	0	0
39	Amroha(JP Nagar)	0	0	0	0	0	0
40	Kannauj	1	100000	0	0	0	100000
41	Kanpurdehat	0	0	0	0	0	0
42	Kanpur Nagar	1	100000	0	250000	0	350000
43	Kasganj (Kanshiram Ngr)	0	0	0	0	0	0
44	Kaushambhi	0	0	0	0	0	0
45	Kushinagar	1	100000	0	0	0	100000
46	Lakhimpur Khiri	0	0	0	0	0	0
47	Lalitpur	0	0	0	0	0	0
48	Lucknow	1	100000	0	0	3100000	3200000
49	Maharajganj	0	0	0	0	0	0
50	Mahoba	0	0	0	0	0	0
51	Mainpuri	0	0	0	0	0	0
52	Mathura	0	0	0	0	0	0
53	Mau	0	0	0	0	0	0
54	Meerut	2	200000	0	240000	0	440000
55	Mirzapur	0	0	0	0	0	0
56	Moradabad	1	100000	0	0	0	100000
57	Muzaffarnagar	1	100000	0	0	0	100000
58	Pilibhit	0	0	0	0	0	0
59	Pratapgarh	0	0	0	0	0	0
60	Allahabad	2	200000	0	250000	0	450000
61	Raebareli	0	0	0	0	0	0
62	Rampur	0	0	0	0	0	0
63	Saharanpur	0	0	0	0	0	0
64	Sambhal	0	0	0	0	0	0
65	Sant Ravidas Nagar	0	0	0	0	0	0
66	Sant Kabir Nagar	0	0	0	0	0	0
67	Shahjahanpur	0	0	0	0	0	0
68	Shamli	0	0	0	0	0	0
69	Sravasti	0	0	0	0	0	0
70	Siddharth Nagar	0	0	0	0	0	0
71	Sitapur	0	0	0	0	0	0
72	Sonbhadra	0	0	0	0	0	0
73	Sultanpur	0	0	0	0	0	0
74	Unnao	0	0	0	0	0	0
75	Varanasi	2	200000	0	0	0	200000
	Total	**24**	**2400000**	**0**	**1065000**	**6200000**	**9665000**
	State	**1**	100000	3200000.0	0.0	0	3300000
	Grand Total	**25**	**2500000**	**3200000**	**1065000**	**6200000**	**12965000**

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब/आई0आर0एल0 आगरा, मेरठ, प्रयागराज एवं कानपुर नगर हेतु कुल रू0 10.65 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है –

FY 2023-24			
IRLAgra			
Lab & CDST Equipment	**Number**	**Unit Cost (Rs.)**	**Total Cost (Rs.)**
Glass door refrigerator- 300 L (2)	2	50000	100000
Electronic Balance	1	100000	100000
All in One computer with UPS and Printer	1	75000	75000
Fumigation Machine	1	50000	50000
		Total	**325000**
C& DST Lab Kanpur Nagar			
Laminar Air Flow 4*2 including Electronic Controler & Safety	1	250000	250000
	Total	250000	**250000**
C& DST Lab Pryagraj			
Laminar Air Flow 4*2 including Electronic Controler & Safety	1	250000	250000
	Total	250000	**250000**
C& DST Lab Meerut			
universal Hot Air Oven	1	50000	50000

pH meter	1	20000	20000
Ac 1.5 ton	2	40000	80000
Refrigerator 140 ltrs. (2-8^{0}C)	1	90000	90000
		Total	**240000**
		Grand Total	**1065000**

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब जी0बी0 नगर (जिम्स, ग्रेटर नोयडा) एवं लखनऊ (एस0जी0पी0जी0आई0) हेतु LPA के उपकरण के क्रय हेतु रू0 31.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है, उक्त अनुमोदित जिसका विवरण निम्नवत है –

C&DST Lab SGPGI Lucknow and G.B Nagar LPA equipment detail with Approx cost under NTEP for FY 2022-23					
S.No.	**Purpose**	**Equipment**	**Quantity**	**Approx Unit cost (Rs.)**	**Total Approved Amount**
1	**DNA extraction**	Microliter Centrifuge	2	110000	220000
		Universal Oven 32 L	1	45000	45000
2	**Master Mix**	PCR Workstation	1	260000	260000
		Microfuge	1	15000	15000
		Deep Freezer (-20 deg C)	1	100000	100000
3	**Amplification**	PCR Workstation	1	260000	260000
		Thermocycler, 96 positions for 0.2 ml tubes	2	220000	440000
		Refrigerator 165-200L (2-8 deg C)	1	10000	10000
4	**Hybridization**	GT blot - 48	1	1220000	1220000
		Twincubator	2	200000	400000
		Water bath	1	22000	22000
		Deep Freezer (- 20 deg C)	1	98000	98000
		Refrigerator 165-200L (2-8 deg C)	1	10000	10000
				Total	**3100000**

उक्त उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि संबंधित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। उपकरण का क्रय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन–उ0प्र0 के अर्न्तगत जनरल फाइनेशियल रूल 2017 एवं **Procurement** की गाइडलाइन के अनुसार किया जाना है।

<u>Drugs</u>

Procurement of DRTB drugs (Local Procurement of second line drugs) <u>(NDCP.4.77.DS.1)</u>

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों में सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन के अनुमोदन/आदेश पर **Second line Anti TB** औषधि के स्थानीय क्रय हेतु धनराशि अनुमोदित की गयी है, जिसका उपयोग जनपद में जिला स्वास्थ समीति के अनुमोदनोपरान्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन–उ0प्र0 के अर्न्तगत वित्तीय गाइडलाइन के अनुसार, नियमानुसार सम्पादित कराया जाये।

<u>Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport)</u>

Lab Materials and consumables for DMCs (Procurement of Lab Materials and consumables for molecular diagnostics and CDST, IRL) <u>(NDCP.4.77.DI)</u>

उक्त मद में सामान्य क्षय रोगियों एवं एम0डी0आर0 क्षय रोगियों के बलगम परीक्षण तथा फॉलोअप परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं आई0आर0एल0/कल्चर डी0एस0टी0 में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का क्रय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 की गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा। आई0आर0एल0/कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब को आवंटित धनराशि सम्बन्धित जनपदों को आवंटित धनराशि में सम्मिलित है। उक्त धनराशि का व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के अर्न्तगत वित्तीय गाइडलाइन एवं गाइडलाइन के अनुसार, नियमानुसार किया जायेगा।

Lab Materials and consumables for molecular diagnostics and CDST, IRL								
				Trunat chips				
S.No	**District**	**IRL**	**C&DST**	**300000 MTB Chip**	**150000 Rif Chip**	**300000 CBNAAT Cartiridge**	**C&DST/IRL Kit & Funds also for 1lkah LPA tests to be outsourced to Public/ Private labs as per the State approval.**	**In Rupees**
1	Agra	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000000
2	Aligarh	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000
3	Ambedkarnagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4	Amethi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5	Auraiya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Lab Materials and consumables for molecular diagnostics and CDST, IRL								
				Trunat chips				
S.No	District	IRL	C&DST	300000 MTB Chip	150000 Rif Chip	300000 CBNAAT Cartiridge	C&DST/IRL Kit & Funds also for 1lkah LPA tests to be outsourced to Public/ Private labs as per the State approval.	In Rupees
6	Faizabad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7	Azamgarh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
8	Baghpat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9	Bahraich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10	Ballia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11	Balrampur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12	Banda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
13	Barabanki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
14	Bareilly	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
15	Basti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
16	Bijnour	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17	Budaun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
18	Bulandsahr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
19	Chandauli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20	Chitrakoot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21	Deoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22	Etah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
23	Etawah	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000
24	Farrukhabad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
25	Fatehpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
26	Firozabad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
27	Gautambudhnagar	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000
28	Ghaziabad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
29	Ghazipur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
30	Gonda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
31	Gorakhpur	800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800000
32	Hamirpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
33	Hapur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
34	Hardoi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
35	Hathras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
36	Jalaun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
37	Jaunpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
38	Jhansi	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000
39	Amroha(JP Nagar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
40	Kannauj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
41	Kanpurdehat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42	Kanpur Nagar	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000
43	Kasganj (Kanshiram Nagar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
44	Kaushambhi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
45	Kushinagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
46	Lakhimpur Khiri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
47	Lalitpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
48	Lucknow	2000000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500000
49	Maharajganj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
50	Mahoba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
51	Mainpuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
52	Mathura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
53	Mau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
54	Meerut	800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800000
55	Mirzapur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
56	Moradabad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
57	Muzaffarnagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
58	Pilibhit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
59	Pratapgarh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
60	Allahabad	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400000
61	Raebareli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
62	Rampur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
63	Saharanpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
64	Sambhal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
65	Sant Ravidas Nagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
66	Sant Kabir Nagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
67	Shahjahanpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
68	Shamli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
69	Sravasti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Lab Materials and consumables for molecular diagnostics and CDST, IRL								
				Trunat chips				
S.No	District	IRL	C&DST	300000 MTB Chip	150000 Rif Chip	300000 CBNAAT Cartiridge	C&DST/IRL Kit & Funds also for 1lkah LPA tests to be outsourced to Public/ Private labs as per the State approval.	In Rupees
70	Siddharth Nagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
71	Sitapur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
72	Sonbhadra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
73	Sultanpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
74	Unnao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
75	Varanasi	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000
	Total	**6200000**	**2900000**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**9100000.0**
	State	**0.00**	**0.00**	210000000.00	105000000.00	330000000.00	120600000.00	765600000
	Grand Total	**6200000.00**	**2900000.00**	**210000000.00**	**105000000.00**	**330000000.00**	**120600000.00**	**774700000.00**

Capacity building incl. training

Training (State and District Level) NDCP.4.77.CB

राज्य एवं जनपद स्तरीय मानव संसाधन एवं कार्यक्रम से आच्छादित मेडिकल/पैरामेडिकल स्टाफ, ट्रीटमेंट सपोर्टर, सी0एच0ओ0, आयुष चिकित्सक, आर0बी0एस0के0/आर0के0एस0के0, इत्यादि का नियमित रूप से प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण एन0टी0ई0पी0 की गाडलाइन तथा समय समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में नियमानुसार सम्पादित करायी जाये। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सम्पादन स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा एवं क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाईयों (आर.टी.पी.एम.यू. आगरा, बरेली, वाराणसी, लखनऊ एवं गोरखपुर) के माध्यम से नियमानुसार सम्पादित करायी जाये।

समस्त जनपदों पर प्रशिक्षण गतिविधियां सम्पादित किये जाने हेतु भारत सरकार के सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन/राज्य स्तर से प्राप्त प्रशिक्षण हेतु माडयूल के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करना एवं प्रशिक्षण (जनपद/टीयूवार आदि) की सूचना स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा एवं क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाईयों (आर.टी.पी.एम.यू. आगरा, बरेली, वाराणसी लखनऊ एवं गोरखपुर) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

एक्टिव केस फाइन्डिंग के गतिविधि के सफल संचालन हेतु प्रशिक्षण भी निम्न आवटित धनराशि से किया जाना है, जिसका व्यय जनपदवार आवंटित धनराशि से नियमानुसार किया जाना है।

राज्य/जनपद में दिये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु टी0ए0/डी0ए0, ऑनरेरियम, रिफ्रेशमेंट, प्रशिक्षण सामाग्री इत्यादि का भुगतान नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अर्न्तगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 D.O. No. A–11033/101/07–Trg दिनांक 28.01.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार के अनुरूप जिला स्वास्थ समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाये। उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

TB Harega Desh Jeetega Campaign

IEC & Printing - ACSM (State & District) (NDCP.4.78.IEC.1)

कार्यक्रम के अर्न्तगत जनसामान्य को क्षय रोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य एवं जनपद स्तर पर संचालित विभिन्न गतिविधियों जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जनपदों द्वारा अपने जनपद की आवश्यकतानुसार गतिविधियों को संचालित कराया जाना है। एक्टिव केस फाइन्डिंग के चरणों में होने वाली गतिविधियो के सफल संचालन हेतु अनुमोदित धनराशि का व्यय उक्त मद से नियमानुसार किया जायेगा। उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि एवं विभिन्न गतिविधियों का विवरण DHAP एवं संलग्नक–ए में उल्लिखित है।

Printing (ACSM) (NDCP.4.78.IEC.2)

कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य/जनपद स्तर पर जनसामान्य को क्षय रोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रिंटिग (ए0सी0एस0एम0) के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जनपदों द्वारा अपने जनपद की आवश्यकतानुसार गतिविधियों को संचालित कराया जाना है। उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि एवं विभिन्न गतिविधियों का विवरण DHAP एवं संलग्नक–ए में उल्लिखित है।

Any other IEC/BCC activities (TB Harega Desh Jeetega Campaign) (NDCP.4.78.IEC.3)

कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य/जनपद स्तर पर जनसामान्य को क्षय रोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से **'टी.बी. हारेगा, देश जीतेगा'** कैम्पेन के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जनपदों द्वारा अपने जनपद की आवश्यकतानुसार निम्न गतिविधियों को संचालित कराया जाना है। उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि एवं विभिन्न गतिविधियों का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

ACSM /IEC Activities at District FY 2023-24				
Activities Planned at District Level				
FMR	**ACSM /IEC Activities at District FY 2023-24**	**Activties Rate**	**Name of District**	**Remark**
ACSM(State & district) NDCP.4.78.IEC.1	Sensitization of Elected Representatives (MP/ MLA/ Zila Panchayat and Local Leaders etc.)	8500 Per Meeting(@ Rs 150 /Participants/Meeting ,and Rs 1000/ForBanners, IEC once a year	All 75 District	
	Sensitization Meeting with PP"s /IMA/IAP NGO Meeting Chard by DM/CMO Twice a year	8500 Per Meeting(@ Rs 150 /Participants/Meeting ,and Rs 1000/ForBanners, IEC Sensitization Meeting PP"s /IMA/IAP NGO Meeting Chard by DM/CMO Twice a year	All 75 District	
	Sensitization Meeting with Multi Sectoral departmental/ other Department (ICDS,EDU,PRI, Minority & Social Welfare Etc) Twice a year	8500 per Meeting(@ Rs 150 /Participants/Meeting and Rs 1000/ForBanners, IEC,Sensitization Meeting with Inter departmental/ other Department (ICDS,EDU,PRI Etc) Twice a year	All 75 District	
	PRI Members Meeting at At District Level Chaired by DM/CDO/CMO Twice a year	8500 Per Meeting(@ Rs 150 /Participants/Meeting and Rs 1000/ForBanners, IEC,PRI Members Meeting at At District Level Chard by DM/CDO/CMO one Per	All 75 District	
	Sensitization Meeting with Chemist Association Twice a year	8500 Per Meeting(@ Rs 150 /Participants/Meeting ,and Rs 1000/ForBanners, IECSensitization Meeting with Chemist Association Twice a year	All 75 District	
Any other IEC/BCC activities (TB Harega Desh Jeetega Campaign) NDCP.4.78.IEC.3	District Lavel Key Religious Leaders sensitization Meeting all 75 District Budget@Rs 10000/ Per district	10,000 per meeting	All 75 District	
ACSM(State & district) NDCP.4.78.IEC.1	Media Sensitization	3,000 per meeting	All 75 District	
	World TB Day at District Level	Rs. 20,000 (Rs. 2000 per TU)	All 75 District	
	Awareness Througha Social Media Campaign	Non Budgeted Everi day	All 75 District	
	District TB Forum	Non Budgeted Twice a year	All 75 District	
	Out door Publicity /local folk /Mass Media/ Mela yearly one per Quarter	Rs 1000 per /Out door Publicity /local folk /Mass Media/ Mela yearly	All 75 District	
	Planning Mid Media Campaigns			
Printing (ACSM) NDCP.4.78.IEC.2	One Banner per TU	As Per NHM Norms	All 75 District	
	2000 Pamphlets/ Brochures per TU per Year	As Per NHM Norms	All 75 District	
	500 posters per TU per Year	As Per NHM Norms	All 75 District	
	2 Wall Painting per TU & DMC	As Per NHM Norms	All 75 District	
ACSM(State & district) NDCP.4.78.IEC.1	World TB Day (On 24th march as per state instructuions)	@ Rs 20000/ District World TB DAY (On 24th march as per state instructuions)	All 75 District	
	Meeting With Community Leaders From Society Civil Society Persons Twice a year	8500 Per Meeting(/Participants/Meeting ,With Community Leaders From Society Civil Society Persons Twice a year	All 75 District	

ACSM /IEC Activities at District FY 2023-24				
Activities Planned at District Level				
FMR	**ACSM /IEC Activities at District FY 2023-24**	**Activties Rate**	**Name of District**	**Remark**
11.17.3 Any other IEC/BCC activities (please specify)	1.Sensitization. of UP Police at All Police Lines, In Utter Pradesh .2.Sensitization. of Uttar Pradesh home guard at District Training Centre - Home Guards	Non Budgeted	All 75 District	
	Summarized Press Release highlighting programme achievements, innovations and planning for subsequent months every month at District level.	Non Budgeted	All 75 District	
Any other IEC/BCC activities (TB Harega Desh Jeetega Campaign) NDCP.4.78.IEC.3	Sensitization of NCC/NSS/NYK olunteers once a year	6000 Per Meeting(@ Rs 25/Participants/Meeting Sensitization of NCC/NSS/NYK olunteers une per Quarter	All 75 District	
Any other IEC/BCC activities (TB Harega Desh Jeetega Campaign) NDCP.4.78.IEC.3	Sensitization of TB Champions	6000 Per Meeting 100 per TB Champions (Rs. 50 for refreshment and Rs. 50 for learning materials)	All 75 District	
Printing (ACSM) NDCP.4.78.IEC.2	400 SQcm News Paper Publicity/Awaereness advertisement	News Paper Publicity/Awaereness advertisement As Per DAVP Rate	All 75 District	
Printing (ACSM) NDCP.4.78.IEC.2	Hoarding 1,for DM, 1For CMO Office and one District Hospital 1for vikash bhavan ,one for DTC	As Per NHM Norms or DAVP Rate Hoarding Hoarding 1,for DM, 1For CMO Office and one District Hospital 1for vikash bhavan ,one for DTC	All 75 District	
Activities Planned at TU Level				
ACSM(State & district) NDCP.4.78.IEC.1	Patient Provider Meeting	@ Rs 500/Meeting ,@ Rs 20/Participants/Meeting	All 75 District	
	Sensitization Meeting Of ASHA / Anganwadi/ SHGs and PRI level one per Quarter for 3 Quarter	10000 Per Meeting(@ Rs 20/Participants/Meeting ,Sensitization Meeting Of ASHA / Anganwadi At TU Level one per Quarter	All 75 District	
	Implementation of Mid Media Interventions		All 75 District	
	Provision of miking		All 75 District	
	World TB Day at TU Level (Rally, Quiz and other activities)	Rs. 1,000 per TU	All 75 District	
Activities Planned at Community/ Village Level				
ACSM(State & district) NDCP.4.78.IEC.1	Community Meeting facilitated by TB Champion, if any.	@ Rs 500/Meeting ,@ Rs 20/Participants/Meeting	All 75 District	
	VHSNC Meeting	Non Budgeted	All 75 District	
	School Meeting	@ Rs 750/ ,School Meeting	All 75 District	
	Mid Media Interventions at Local Religious Avenues	Printed IEC Materials to be utilized for the same	All 75 District	
	Mid Media Interventions at local Haat/ Bazaars	Printed IEC Materials to be utilized for the same	All 75 District	
Any other IEC/BCC activities (TB Harega Desh Jeetega Campaign) NDCP.4.78.IEC.3	Key Activities -Advocacy in Major Mela/Congregation 1.Triveni Sangam Mela District Prayagraj. 2. Nauchandi Mela District Merut. 3. Syead Waris Ali Shah Deva shareef	Budget @Rs 300000/ Mela per District	1. Prayagraj. 2. Merut. 3. Barbanki .4 Bahraich. 5 Gorkhpur.	उक्त गतिविधि के आयोजन के सम्बन्ध मे राज्य

ACSM /IEC Activities at District FY 2023-24				
Activities Planned at District Level				
FMR	**ACSM /IEC Activities at District FY 2023-24**	**Activties Rate**	**Name of District**	**Remark**
	dargah District Barbanki .4 Dargah Hazrat Syed Salar Masood Ghazi at District Bahraich. 6.Khichri Mela district Gorkhpur.			स्तर से पृथक से दिशा निर्देश प्रेषित किये जायेगे। राज्य स्तर से दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही गतिविधि का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करे।
Any other IEC/BCC activities (TB Harega Desh Jeetega Campaign) NDCP.4.78.IEC.3	Advocacy in Major Mahotasva in UP 1.Lucknow mahotsav District Lucknow .2 Taj Mahotsav district Agra.	Budget@ Rs 250000/ Mahotasva per District	1. Lucknow 2. Agra	
Any other IEC/BCC activities (TB Harega Desh Jeetega Campaign) NDCP.4.78.IEC.3	Advocacy in Government Engineering Colleges in Uttar Prides. 1. Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad Prayagraj. 2. Harcourt Butler Technical University(HBTI) Kanpur. 3. Indian Institute of Technology Kanpur. 4. Indian Institute of Technology Banaras Hindu University Varanasi. 5.Dayalbagh Educational Institute, Agra. 6. Institute of Engineering and Technology, Lucknow. 7. Madan Mohan Malviya Engineering College-Gorakhpur. 8. IIM Lucknow	Budget @ Rs 25000/per	1. Prayagraj. 2. Kanpur. 3. Varanasi. 4. Agra. 5 Lucknow 6.Gorakhpur 7. Lucknow	
Any other IEC/BCC activities (TB Harega Desh Jeetega Campaign) NDCP.4.78.IEC.3	Advocacy in Government University 1.Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University Lucknow. 2.Amity University Lucknow.3. University of Lucknow. 4 University of Allahabad .5.Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University kanpur . 6.Dr. Ram Manohar Lohia Avadh UniversityFaizabad.7.Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University .8.Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Jhansi 9.Banda University of Agriculture and Technology Banda . 10. IFTM University Moradabad	Budget@ Rs 25000/ Per	1 Lucknow. 2.Prayagraj .3. kanpur 4.Faizabad. 5.Gorakhpur .6. Jhansi 7 .Banda 08.Moradabad	
Any other IEC/BCC activities (TB Harega Desh Jeetega Campaign) NDCP.4.78.IEC.3	Divisional Level NTEP Workshop at Mandal HQ (18 Mandal in UP)	Budget@ Rs 6000/per District	(18 Mandal in UP) Agra, Prayagraj, Aligarh, Azamgarh, Bareilly, Jhansi, Kanpur nagar, Lucknow, Meerut, Basti, Chitrakoot, Devipatan, Ayodhya,	

ACSM /IEC Activities at District FY 2023-24				
Activities Planned at District Level				
FMR	ACSM /IEC Activities at District FY 2023-24	Activties Rate	Name of District	Remark
			Gorakhpur, Moradabad, Mirzapur, Saharanpur, Varanasi	
Any other IEC/BCC activities (TB Harega Desh Jeetega Campaign) NDCP.4.78.IEC.3	Sensitization. Of NSS,NCC, officer at District HQ	Budget@Rs 6000/ Per district	All 75 District	

State specific Initiatives and Innovations

DBT - Travel Support for DRTB Patients (NDCP.4.79.DBT)

कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद में एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगियों के जॉच/भर्ती/उपचार हेतु आवागमन आदि पर व्यय महानिदेशालय के पत्र एसटीसीएस/142/2009/2936 दिनांक 16 जनवरी 2018 के अनुरूप कराना सुनिश्चित किया जाये। जो निम्नवत है–

1. ऐसे संदिग्ध एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगियों जिनकी जांच के बाद एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोग की पुष्टि हो जाती है उनको निकटतम डी0एम0सी0/कलेक्शन सेन्टर में प्रथम बार एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 कन्फर्म करने हेतु जांच के लिए सैम्पल देने जाने हेतु Patient support and Transportation पर रू0 100/– देय होगा।
2. जिन एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगियों जिनकी जांच के बाद एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोग की पुष्टि हो जाती है उनको अपने जनपद के निकटतम डी0एम0सी0/कलेक्शन सेन्टर में फालोअप सैम्पल की जांच के लिए जाने हेतु Patient support and Transportation पर रू0 100/– देय होगा।
3. एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगी की जांच/भर्ती/उपचार/एडवर्स ड्रग रिएक्शन हेतु अपने जनपद में स्थिति डी0टी0सी0/डी0आर0टी0बी0 सेन्टर Patient support and Transportation हेतु उसी जनपद में यात्रा करने पर रू0 300/–प्रति विजिट देय होगा।
4. अगर एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगी जिनके गृह जनपद में डी0आर0टी0बी0 सेन्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन्हे उनके जनपद से लिंक डी0आर0टी0बी0 सेंटर पर एम0डी0आर0/ एक्स0डी0आर0 क्षय रोगी की जांच/भर्ती/उपचार/एडवर्स ड्रग रियक्शन के लिए Patient support and Transportation हेतु यात्रा करने पर रू0 600/–प्रति विजिट देय होगा।

Planning and Program Management

Program Management

कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की सुपरवीजन एण्ड मॉनीटरिंग आदि गतिविधियों हेतु भ्रमण का व्यय एन0एच0एम0 की गाइडलाइन के अनुरूप किया जायेगा जिसका व्यय इस मद से नियमानुसार किया जाना है। उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत है।

Supervision and Monitoring						
(Supervision and Monitoring activities, TA DA Contractual Staff & RTPMUs/ DTO/MODTC for attending the meetings, workshops ,Review meeting expenditure)						
Sr.No	District	District	STDC/IRL	C&DST Lab	RTPMU	Total(In Rupees)
1	Agra	623250	300000.00	0.00	75000.00	998250.00
2	Aligarh	548250	0.00	37500.00	0.00	585750.00
3	Ambedkarnagar	323250	0.00	0.00	0.00	323250.00
4	Amethi	248250	0.00	0.00	0.00	248250.00
5	Auraiya	173250	0.00	0.00	0.00	173250.00
6	Azamgarh	698250	0.00	0.00	0.00	698250.00
7	Baghpat	173250	0.00	0.00	0.00	173250.00
8	Bahraich	473250	0.00	0.00	0.00	473250.00
9	Ballia	473250	0.00	0.00	0.00	473250.00
10	Balrampur	323250	0.00	0.00	0.00	323250.00
11	Banda	248250	0.00	0.00	0.00	248250.00
12	Barabanki	473250	0.00	0.00	0.00	473250.00
13	Bareilly	698250	0.00	0.00	75000.00	773250.00
14	Basti	323250	0.00	0.00	0.00	323250.00
15	Bijnour	548250	0.00	0.00	0.00	548250.00
16	Budaun	398250	0.00	0.00	0.00	398250.00
17	Bulandsahr	473250	0.00	0.00	0.00	473250.00

Supervision and Monitoring						
(Supervision and Monitoring activities, TA DA Contractual Staff & RTPMUs/ DTO/MODTC for attending the meetings, workshops ,Review meeting expenditure)						
Sr.No	**District**	**District**	**STDC/IRL**	**C&DST Lab**	**RTPMU**	**Total(In Rupees)**
18	Chandauli	248250	0.00	0.00	0.00	248250.00
19	Chitrakoot	98250	0.00	0.00	0.00	98250.00
20	Deoria	473250	0.00	0.00	0.00	473250.00
21	Etah	248250	0.00	0.00	0.00	248250.00
22	Etawah	173250	0.00	37500.00	0.00	210750.00
23	Faizabad	323250	0.00	0.00	0.00	323250.00
24	Farrukhabad	248250	0.00	0.00	0.00	248250.00
25	Fatehpur	398250	0.00	0.00	0.00	398250.00
26	Firozabad	323250	0.00	0.00	0.00	323250.00
27	Gautambudhnagar	248250	0.00	0.00	0.00	248250.00
28	Ghaziabad	473250	0.00	0.00	0.00	473250.00
29	Ghazipur	548250	0.00	0.00	0.00	548250.00
30	Gonda	473250	0.00	0.00	0.00	473250.00
31	Gorakhpur	623250	75000.00	0.00	75000.00	773250.00
32	Hamirpur	98250	0.00	0.00	0.00	98250.00
33	Hapur	173250	0.00	0.00	0.00	173250.00
34	Hardoi	623250	0.00	0.00	0.00	623250.00
35	Hathras	173250	0.00	0.00	0.00	173250.00
36	Jalaun	248250	0.00	0.00	0.00	248250.00
37	Jaunpur	698250	0.00	0.00	0.00	698250.00
38	Jhansi	248250	0.00	37500.00	0.00	285750.00
39	Amroha(JP Nagar)	248250	0.00	0.00	0.00	248250.00
40	Kannauj	248250	0.00	0.00	0.00	248250.00
41	kanpurdehat	248250	0.00	0.00	0.00	248250.00
42	Kanpur Nagar	698250	0.00	37500.00	0.00	735750.00
43	Kasganj (Kanshiram Nagar)	173250	0.00	0.00	0.00	173250.00
44	Kaushambhi	173250	0.00	0.00	0.00	173250.00
45	Lakhimpur Khiri	623250	0.00	0.00	0.00	623250.00
46	Kushinagar	473250	0.00	0.00	0.00	473250.00
47	Lalitpur	173250	0.00	0.00	0.00	173250.00
48	Lucknow	698250	225000.00	0.00	375000.00	1298250.00
49	Maharajganj	398250	0.00	0.00	0.00	398250.00
50	Mahoba	98250	0.00	0.00	0.00	98250.00
51	Mainpuri	248250	0.00	0.00	0.00	248250.00
52	Mathura	323250	0.00	0.00	0.00	323250.00
53	Mau	323250	0.00	0.00	0.00	323250.00
54	Meerut	473250	37500.00	0.00	0.00	510750.00
55	Mirzapur	323250	0.00	0.00	0.00	323250.00
56	Moradabad	473250	0.00	0.00	0.00	473250.00
57	Muzaffarnagar	398250	0.00	0.00	0.00	398250.00
58	Pilibhit	248250	0.00	0.00	0.00	248250.00
59	Pratapgarh	473250	0.00	0.00	0.00	473250.00
60	Allahabad	923250	0.00	37500.00	0.00	960750.00
61	Raebareli	398250	0.00	0.00	0.00	398250.00
62	Rampur	323250	0.00	0.00	0.00	323250.00
63	Saharanpur	473250	0.00	0.00	0.00	473250.00
64	Sambhal	248250	0.00	0.00	0.00	248250.00
65	Sant Ravidas Nagar	248250	0.00	0.00	0.00	248250.00
66	Sant Kabir Nagar	248250	0.00	0.00	0.00	248250.00
67	Shahjahanpur	473250	0.00	0.00	0.00	473250.00
68	Shamli	173250	0.00	0.00	0.00	173250.00
69	Shravasti	98250	0.00	0.00	0.00	98250.00
70	Siddharth Nagar	323250	0.00	0.00	0.00	323250.00
71	Sitapur	623250	0.00	0.00	0.00	623250.00
72	Sonbhadra	248250	0.00	0.00	0.00	248250.00
73	Sultanpur	323250	0.00	0.00	0.00	323250.00
74	Unnao	473250	0.00	0.00	0.00	473250.00
75	Varanasi	548250	75000.00	0.00	75000.00	698250.00
	Total	**28068750.00**	**712500.00**	**187500.00**	**675000.00**	**29643750.00**
	State	3500000	0	0	0	3500000.00
	Total	**31568750.0**	**712500.0**	**187500.0**	**675000.0**	**33143750.00**

Vehicle Operation (POL) <u>(HSS.11.193.PME.10.2)</u>

राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों पर उपलब्ध सरकारी चार पहिया वाहन एवं 02 पहिया वाहन के पी0ओ0एल0 का व्यय राज्य स्तर की गाडलाइन के अनुसार, नियमानुसार सम्पादित कराया जाये। पी0ओ0एल0 के भुगतान हेतु कर्मचारियों के द्वारा स्वयं दिए गये "Paid by me" के बीजक नियमानुसार भुगतान हेतु मान्य नहीं होंगे, इस सम्बन्ध में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा लागू की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद में कार्यरत कर्मचारियों जिन्हें दो पहिया वाहन स्वीकृत (विभाग द्वारा या निजी दो पहिया वाहन) है, उन्हे पी0ओ0एल0 का भुगतान रू0 40000/– की दर से प्रति वर्ष अधिकतम अन्य कर्मचारियों की भांति देय होगा। जिन कर्मचारियों द्वारा अपना स्वयं का दो पहिया वाहन उपयोग किया जायेगा, उसकी सूचना एवं उक्त दो पहिया वाहनों की सूचना (गाडी का रजिस्ट्रेशन नं0, इन्श्योरेन्स, वायु प्रदूषण इत्यादि) जिला क्षय रोग अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। उक्त धनराशि का व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के अर्न्तगत वित्तीय गाइडलाइन के अनुसार, नियमानुसार किया जायेगा।

Vehicle Operation (POL)						
Sr.No.	**District**	**DTO @Rs 240000/year**	**MMV POL and Maintanance**	**PPM/DPTC/STLS /STS@40000**	**STDC/ STC**	**Total (In Rupees)**
1	Agra	0	0	1270500	180000	1450500
2	Aligarh	0	0	1090500	0	1090500
3	Ambedkarnagar	0	75000	640500	0	715500
4	Amethi	0	75000	520500	0	595500
5	Auraiya	0	0	370500	0	370500
6	Azamgarh	0	75000	1240500	0	1315500
7	Baghpat	180000	0	370500	0	550500
8	Bahraich	0	0	970500	0	970500
9	Ballia	0	75000	850500	0	925500
10	Balrampur	0	0	550500	0	550500
11	Banda	0	0	490500	0	490500
12	Barabanki	0	0	910500	0	910500
13	Bareilly	0	0	1300500	0	1300500
14	Basti	0	0	670500	0	670500
15	Bijnour	0	0	1060500	0	1060500
16	Budaun	0	0	880500	0	880500
17	Bulandsahr	0	0	910500	0	910500
18	Chandauli	0	0	520500	0	520500
19	Chitrakoot	0	0	280500	0	280500
20	Deoria	0	0	820500	0	820500
21	Etah	0	0	460500	0	460500
22	Etawah	0	0	520500	0	520500
23	Faizabad	0	75000	670500	0	745500
24	Farrukhabad	0	0	550500	0	550500
25	Fatehpur	0	0	730500	0	730500
26	Firozabad	0	0	670500	0	670500
27	Gautambudhnagar	180000	0	490500	0	670500
28	Ghaziabad	180000	0	850500	0	1030500
29	Ghazipur	0	75000	1000500	0	1075500
30	Gonda	0	0	880500	0	880500
31	Gorakhpur	0	75000	1270500	0	1345500
32	Hamirpur	180000	0	310500	0	490500
33	Hapur	0	0	370500	0	370500
34	Hardoi	0	0	1150500	0	1150500
35	Hathras	0	0	430500	0	430500
36	Jalaun	0	0	460500	0	460500
37	Jaunpur	0	0	1240500	0	1240500
38	Jhansi	180000	0	550500	0	730500
39	Amroha(JP Nagar)	0	0	550500	0	550500
40	Kannauj	0	0	460500	0	460500
41	kanpurdehat	0	0	490500	0	490500
42	Kanpur Nagar	180000	0	1270500	0	1450500
43	Kasganj (Kanshiram Nagar)	0	0	370500	0	370500
44	Kaushambhi	0	75000	430500	0	505500
45	Lakhimpur Khiri	0	0	1090500	0	1090500
46	Kushinagar	0	75000	1000500	0	1075500
47	Lalitpur	0	0	370500	0	370500
48	Lucknow	180000	0	1360500	0	1540500
49	Maharajganj	0	75000	700500	0	775500
50	Mahoba	0	0	280500	0	280500
51	Mainpuri	0	0	490500	0	490500
52	Mathura	0	0	670500	0	670500
53	Mau	0	0	580500	0	580500
54	Meerut	180000	0	940500	0	1120500
55	Mirzapur	0	0	640500	0	640500
56	Moradabad	0	0	820500	0	820500
57	Muzaffarnagar	0	0	730500	0	730500
58	Pilibhit	0	0	550500	0	550500
59	Pratapgarh	180000	75000	850500	0	1105500
60	Allahabad	0	0	1690500	0	1690500
61	Raebareli	180000	75000	820500	0	1075500
62	Rampur	0	0	640500	0	640500
63	Saharanpur	180000	0	940500	0	1120500
64	Sambhal	0	0	550500	0	550500

Vehicle Operation (POL)						
Sr.No.	**District**	**DTO @Rs 240000/year**	**MMV POL and Maintanance**	**PPM/DPTC/STLS /STS@40000**	**STDC/ STC**	**Total (In Rupees)**
65	Sant Ravidas Nagar	0	0	460500	0	460500
66	Sant Kabir Nagar	0	75000	460500	0	535500
67	Shahjahanpur	180000	0	850500	0	1030500
68	Shamli	0	0	370500	0	370500
69	Shravasti	0	0	310500	0	310500
70	Siddharth Nagar	0	75000	640500	0	715500
71	Sitapur	180000	0	1270500	0	1450500
72	Sonbhadra	0	0	520500	0	520500
73	Sultanpur	180000	75000	640500	0	895500
74	Unnao	0	0	820500	0	820500
75	Varanasi	0	0	1090500	0	1090500
	Total	**2520000**	**1125000**	**55057500**	**180000**	**58882500**
	State				690000	690000
	Total	**2700000**	**1462500**	**55057500**	**180000**	**59400000**

Vehicle hiring (HSS.11.193.PME.10.3)

राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों पर कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु वेहिकल हायरिंग का व्यय राज्य/जनपद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की गाडलाइन के अनुसार एवं जिला स्वास्थ्य समिति के अर्न्तगत उपलब्ध वित्तीय नियमों के अनुसार नियमानुसार सम्पादित कराया जाये। उक्त मद में अनुमोदित धनराशि निम्नवत है–

Vehicle Hiring						
Sr.No.	**District**	**DTO (1500*25 days) per month**	**DyDTO,MOTC DTC, DPC etc (1500*8days) per month**	**RTPMU(1500*25 days) per month**	**State HQ / STDC (1500*25 days) per month**	**Total (In Rupees)**
1	Agra	281250.00	81000	337500.00	337500.00	1037250.00
2	Aligarh	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
3	Ambedkarnagar	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
4	Amethi	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
5	Auraiya	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
6	Azamgarh	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
7	Baghpat	0.00	81000	0.00	0.00	81000.00
8	Bahraich	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
9	Ballia	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
10	Balrampur	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
11	Banda	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
12	Barabanki	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
13	Bareilly	281250.00	81000	337500.00	0.00	699750.00
14	Basti	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
15	Bijnour	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
16	Budaun	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
17	Bulandsahr	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
18	Chandauli	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
19	Chitrakoot	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
20	Deoria	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
21	Etah	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
22	Etawah	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
23	Faizabad	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
24	Farrukhabad	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
25	Fatehpur	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
26	Firozabad	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
27	Gautambudhnagar	0.00	81000	0.00	0.00	81000.00
28	Ghaziabad	0.00	81000	0.00	0.00	81000.00
29	Ghazipur	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
30	Gonda	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
31	Gorakhpur	281250.00	81000	337500.00	337500.00	1037250.00
32	Hamirpur	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
33	Hapur	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
34	Hardoi	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
35	Hathras	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
36	Jalaun	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
37	Jaunpur	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
38	Jhansi	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
39	Amroha(JP Nagar)	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
40	Kannauj	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
41	Kanpurdehat	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
42	Kanpur Nagar	0.00	81000	0.00	0.00	81000.00
43	Kasganj (Kanshiram Nagar)	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
44	Kaushambhi	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
45	Lakhimpur Khiri	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
46	Kushinagar	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
47	Lalitpur	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
48	Lucknow	0.00	81000	337500.00	337500.00	756000.00

Vehicle Hiring						
Sr.No.	**District**	**DTO (1500*25 days) per month**	**DyDTO,MOTC DTC, DPC etc (1500*8days) per month**	**RTPMU(1500*25 days) per month**	**State HQ / STDC (1500*25 days) per month**	**Total (In Rupees)**
49	Maharajganj	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
50	Mahoba	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
51	Mainpuri	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
52	Mathura	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
53	Mau	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
54	Meerut	0.00	81000	0.00	0.00	81000.00
55	Mirzapur	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
56	Moradabad	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
57	Muzaffarnagar	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
58	Pilibhit	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
59	Pratapgarh	0.00	81000	0.00	0.00	81000.00
60	Allahabad	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
61	Raebareli	0.00	81000	0.00	0.00	81000.00
62	Rampur	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
63	Saharanpur	0.00	81000	0.00	0.00	81000.00
64	Sambhal	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
65	Sant Ravidas Nagar	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
66	Sant Kabir Nagar	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
67	Shahjahanpur	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
68	Shamli	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
69	Shravasti	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
70	Siddharth Nagar	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
71	Sitapur	0.00	81000	0.00	0.00	81000.00
72	Sonbhadra	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
73	Sultanpur	0.00	81000	0.00	0.00	81000.00
74	Unnao	281250.00	81000	0.00	0.00	362250.00
75	Varanasi	281250.00	81000	337500.00	0.00	699750.00
	Total	**18000000.00**	**6075000.00**	**1687500.00**	**1012500.00**	**26775000.00**
	State	0.00	0	0.0	450000.00	450000.00
	G.Total	**18000000.00**	**6075000.00**	**1687500.00**	**1462500.00**	**27225000.00**

Office operation (Miscellaneous) (HSS.11.193.PME.10.4)

कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य स्तरीय ईकाईयों (**DRTB Centre, RTPMU IRL/C&DST Lab, STDC & SDS**) एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों पर कार्यक्रम की विविध गतिविधियों जैसे कि कार्यालय का रेन्ट, दूरभाष, फैक्स, इन्टरनेट डाक व्यय इत्यादि हेतु व्यय एन0एच0एम0 उ0प्र0 की गाडलाइन के अनुसार नियमानुसार सम्पादित कराया जाये।

भारत सरकार से प्राप्त 3058 टैबलेट हेतु सी0यू0जी0 सिम कार्ड एवं उसके इंटरनेट सुविधा हेतु रू0 2500 प्रति सी0यू0जी0 सिम की वार्षिक दर से धनराशि अनुमोदित की गयी है जिसका व्यय इस मद से नियमानुसार किया जाना है।

एक्टिव केस फाइन्डिंग की गतिविधि के सफल संचालन हेतु मिसलेनियस व्यय इस मद में अनुमोदित समान्य धनराशि से किया जाना है।

उक्त मद में जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत है–

Office Operation (Miscellaneous) - including Tablets @Rs2500/pa/tablet and DSC procurement					
Sr.No.	**District**	**For District/DRTB/NDRTB /DSC and Tablet @2500/- per Year**	**STDC/IRL/C&DST**	**SDS/RTPMU**	**Total (In Rupees)**
1	Agra	443692.00	450000.00	112500.00	1006192.00
2	Aligarh	351731.00	225000.00	0.00	576731.00
3	Ambedkarnagar	187200.00	0.00	0.00	187200.00
4	Amethi	133867.00	0.00	0.00	133867.00
5	Auraiya	81571.00	0.00	0.00	81571.00
6	Azamgarh	429708.00	0.00	0.00	429708.00
7	Baghpat	75918.00	0.00	0.00	75918.00
8	Bahraich	297615.00	0.00	0.00	297615.00
9	Ballia	276273.00	0.00	0.00	276273.00
10	Balrampur	166646.00	0.00	0.00	166646.00
11	Banda	130938.00	0.00	0.00	130938.00
12	Barabanki	292548.00	0.00	0.00	292548.00
13	Bareilly	443280.00	0.00	112500.00	555780.00
14	Basti	196462.00	0.00	0.00	196462.00
15	Bijnour	333768.00	0.00	0.00	333768.00
16	Budaun	278861.00	0.00	0.00	278861.00
17	Bulandsahr	338565.00	0.00	0.00	338565.00
18	Chandauli	144405.00	0.00	0.00	144405.00
19	Chitrakoot	45315.00	0.00	0.00	45315.00
20	Deoria	267123.00	0.00	0.00	267123.00

Office Operation (Miscellaneous) - including Tablets @Rs2500/pa/tablet and DSC procurement					
Sr.No.	**District**	**For District/DRTB/NDRTB /DSC and Tablet @2500/- per Year**	**STDC/IRL/C&DST**	**SDS/RTPMU**	**Total (In Rupees)**
21	Etah	124038.00	0.00	0.00	124038.00
22	Etawah	126960.00	150000.00	0.00	276960.00
23	Faizabad	195375.00	0.00	0.00	195375.00
24	Farrukhabad	150142.00	0.00	0.00	150142.00
25	Fatehpur	218216.00	0.00	0.00	218216.00
26	Firozabad	214612.00	0.00	0.00	214612.00
27	Gautambudhnagar	124451.00	37500.00	0.00	161951.00
28	Ghaziabad	340927.00	0.00	0.00	340927.00
29	Ghazipur	323418.00	0.00	0.00	323418.00
30	Gonda	289927.00	0.00	0.00	289927.00
31	Gorakhpur	420292.00	300000.00	75000.00	795292.00
32	Hamirpur	60390.00	0.00	0.00	60390.00
33	Hapur	85293.00	0.00	0.00	85293.00
34	Hardoi	376076.00	0.00	0.00	376076.00
35	Hathras	103672.00	0.00	0.00	103672.00
36	Jalaun	118038.00	0.00	0.00	118038.00
37	Jaunpur	406567.00	0.00	0.00	406567.00
38	Jhansi	155842.00	150000.00	0.00	305842.00
39	Amroha(JP Nagar)	135963.00	0.00	0.00	135963.00
40	Kannauj	117251.00	0.00	0.00	117251.00
41	Kanpurdehat	130938.00	0.00	0.00	130938.00
42	Kanpur Nagar	469683.00	75000.00	0.00	544683.00
43	Kasganj (Kanshiram Nagar)	87022.00	0.00	0.00	87022.00
44	Kaushambhi	102285.00	0.00	0.00	102285.00
45	Lakhimpur Khiri	354697.00	0.00	0.00	354697.00
46	Kushinagar	302827.00	0.00	0.00	302827.00
47	Lalitpur	80081.00	0.00	0.00	80081.00
48	Lucknow	504221.00	600000.00	112500.00	1216721.00
49	Maharajganj	211991.00	0.00	0.00	211991.00
50	Mahoba	37740.00	0.00	0.00	37740.00
51	Mainpuri	133001.00	0.00	0.00	133001.00
52	Mathura	211050.00	0.00	0.00	211050.00
53	Mau	163871.00	0.00	0.00	163871.00
54	Meerut	334627.00	300000.00	0.00	634627.00
55	Mirzapur	210862.00	0.00	0.00	210862.00
56	Moradabad	285461.00	0.00	0.00	285461.00
57	Muzaffarnagar	252716.00	0.00	0.00	252716.00
58	Pilibhit	151492.00	0.00	0.00	151492.00
59	Pratapgarh	274211.00	0.00	0.00	274211.00
60	Allahabad	605377.00	75000.00	0.00	680377.00
61	Raebareli	248820.00	0.00	0.00	248820.00
62	Rampur	199271.00	0.00	0.00	199271.00
63	Saharanpur	321202.00	0.00	0.00	321202.00
64	Sambhal	157605.00	0.00	0.00	157605.00
65	Sant Ravidas Nagar	99135.00	0.00	0.00	99135.00
66	Sant Kabir Nagar	116351.00	0.00	0.00	116351.00
67	Shahjahanpur	276045.00	0.00	0.00	276045.00
68	Shamli	81243.00	0.00	0.00	81243.00
69	Shravasti	56418.00	0.00	0.00	56418.00
70	Siddharth Nagar	200587.00	0.00	0.00	200587.00
71	Sitapur	414067.00	0.00	0.00	414067.00
72	Sonbhadra	142155.00	0.00	0.00	142155.00
73	Sultanpur	196875.00	0.00	0.00	196875.00
74	Unnao	276198.00	0.00	0.00	276198.00
75	Varanasi	369472.00	150000.00	112500.00	631972.00
	Total	**17062533.00**	**2512500.00**	**525000.00**	**20100033.00**
	State	2600000.00	60000.00	0.00	2660000.00
	Total	**19662533.00**	**2572500.00**	**525000.00**	**22760033.00**

Vehicle Operation (Maintenance) <u>(HSS.11.193.PME.10.5)</u>

वित्तीय वर्ष 2023–24 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत जिन कार्यरत कर्मचारियों को कार्यक्रम द्वारा दिये गये दो पहिया वाहन कार्यरत नहीं है, एवं नवीन नियुक्ति (जो eligible है) जिनके द्वारा अपना स्वयं का दो पहिया वाहन उपयोग किया जायेगा, की सूचना एवं उक्त दो पहिया वाहनों की सूचना (गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नं0, इन्श्योरेन्स, प्रदूषण इत्यादि) जिला क्षय रोग अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी तथा उक्त मद से निजी दो पहिया वाहन के मेन्टीनेन्स, इन्श्योरेन्स, प्रदूषण इत्यादि हेतु प्रति कर्मचारी प्रतिमाह @ 2000/– की दर से नियमानुसार देय होगा।

Medical Colleges (Any Meetings) <u>(HSS.11.193.PME.10.6)</u>

कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तरीय स्थित सरकारी एवं निजी मेडिकल कालेजों में स्थित कार्यालय को आवश्यक स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्ट्रेज, फोटोकापी इत्यादि हेतु प्रति इकाई रू0 10000/– प्रति वर्ष का स्वीकृति प्रदान हुई है जिसका व्यय जनपद में राष्ट्रीय स्वस्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की गाडलाइन के अनुसार, नियमानुसार सम्पादित कराया जाये। उक्त मद में अनुमोदित धनराशि निम्नवत है–

Medical College (Any Meetings)							
Sr.No	**District**	**Number of MC**	**Core Committee meeting cost Rs. 4000/year per Medical College**	**OR Committee meeting Cost @40000**	**Organization of State OR Workshop @75000**	**Misllineous @ 10000**	**In Rupees**
1	Agra	1	4000	0	0	10000	14000.00
2	Aligarh	1	4000	0	0	10000	14000.00
3	Allahabad	1	4000	0	0	10000	14000.00
4	Ambedkarnagar	1	4000	0	0	10000	14000.00
5	Amethi	0	0	0	0	0	0.00
6	Amroha(JP Nagar)	1	4000	0	0	10000	14000.00
7	Auraiya	0	0	0	0	0	0.00
8	Azamgarh	1	4000	0	0	10000	14000.00
9	Baghpat	0	0	0	0	0	0.00
10	Bahraich	1	4000	0	0	10000	14000.00
11	Ballia	0	0	0	0	0	0.00
12	Balrampur	0	0	0	0	0	0.00
13	Banda	1	4000	0	0	10000	14000.00
14	Barabanki	2	8000	0	0	20000	28000.00
15	Bareilly	3	12000	0	0	30000	42000.00
16	Basti	1	4000	0	0	10000	14000.00
17	Bijnour	0	0	0	0	0	0.00
18	Budaun	1	4000	0	0	10000	14000.00
19	Bulandsahr	0	0	0	0	0	0.00
20	Chandauli	0	0	0	0	0	0.00
21	Chitrakoot	0	0	0	0	0	0.00
22	Deoria	1	4000	0	0	10000	14000.00
23	Etah	1	4000	0	0	10000	14000.00
24	Etawah	1	4000	0	0	10000	14000.00
25	Faizabad	1	4000	0	0	10000	14000.00
26	Farrukhabad	0	0	0	0	0	0.00
27	Fatehpur	1	4000	0	0	10000	14000.00
28	Firozabad	2	8000	0	0	20000	28000.00
29	Gautambudhnagar	2	8000	0	0	20000	28000.00
30	Ghaziabad	1	4000	0	0	10000	14000.00
31	Ghazipur	1	4000	0	0	10000	14000.00
32	Gonda	0	0	0	0	0	0.00
33	Gorakhpur	2	8000	0	0	20000	28000.00
34	Hamirpur	0	0	0	0	0	0.00
35	Hapur	3	12000	0	0	30000	42000.00
36	Hardoi	1	4000	0	0	10000	14000.00
37	Hathras	0	0	0	0	0	0.00
38	Jalaun	1	4000	0	0	10000	14000.00
39	Jaunpur	1	4000	0	0	10000	14000.00
40	Jhansi	1	4000	0	0	10000	14000.00
41	Kannauj	1	4000	0	0	10000	14000.00
42	kanpurdehat	0	0	0	0	0	0.00
43	Kanpur Nagar	2	8000	0	0	20000	28000.00
44	Kasganj (Kanshiram Nagar)	0	0	0	0	0	0.00
45	Kaushambhi	0	0	0	0	0	0.00
46	Kushinagar	0	0	0	0	0	0.00
47	Lakhimpur Khiri	0	0	0	0	0	0.00
48	Lalitpur	0	0	0	0	0	0.00
49	Lucknow	8	32000	0	0	80000	112000.00
50	Maharajganj	0	0	0	0	0	0.00
51	Mahoba	0	0	0	0	0	0.00
52	Mainpuri	0	0	0	0	0	0.00
53	Mathura	1	4000	0	0	10000	14000.00
54	Mau	0	0	0	0	0	0.00
55	Meerut	2	8000	0	0	20000	28000.00
56	Mirzapur	1	4000	0	0	10000	14000.00
57	Moradabad	1	4000	0	0	10000	14000.00

Medical College (Any Meetings)							
Sr.No	**District**	**Number of MC**	**Core Committee meeting cost Rs. 4000/year per Medical College**	**OR Committee meeting Cost @40000**	**Organization of State OR Workshop @75000**	**Misllineous @ 10000**	**In Rupees**
58	Muzaffarnagar	1	4000	0	0	10000	14000.00
59	Pilibhit	0	0	0	0	0	0.00
60	Pratapgarh	1	4000	0	0	10000	14000.00
61	Raebareli	1	4000	0	0	10000	14000.00
62	Rampur	0	0	0	0	0	0.00
63	Saharanpur	1	4000	0	0	10000	14000.00
64	Sambhal	0	0	0	0	0	0.00
65	Sant Kabir Nagar	0	0	0	0	0	0.00
66	Sant Ravidas Nagar	0	0	0	0	0	0.00
67	Shahjahanpur	2	8000	0	0	20000	28000.00
68	Shamli	0	0	0	0	0	0.00
69	Shravasti	0	0	0	0	0	0.00
70	Siddharth Nagar	1	4000	0	0	10000	14000.00
71	Sitapur	1	4000	0	0	10000	14000.00
72	Sonbhadra	0	0	0	0	0	0.00
73	Sultanpur	0	0	0	0	0	0.00
74	Unnao	1	4000	0	0	10000	14000.00
75	Varanasi	2	8000	0	0	20000	28000.00
	Total	**62**	**248000**	**0**	**0**	**620000**	**868000**

एक्टिव केस फाइडिंग कैम्पेन की एक चरण में विविध गतिविधियों हेतु मदवार दिशा–निर्देश (अनुमोदित आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2023–24 के अनुसार)

S.N	**New FMR Code (Approved ROP 2023-24)**	**Activity Budget Head**	**Activity**
1.	**73 Drug Sensitive TB (DSTB)** Lab Materials and consumables for DMCs	Laboratory Materials From routine NTEP budget	Purchase of sputum containers, reagents, slides, sling bags and other lab consumables etc as per NTEP guidelines for target population.
2	**73 Drug Sensitive TB (DSTB)** Incentive for community volunteers undertaking ACF	Incentives (Honorarium) From community incentives from ACF Budget	The incentives to • The Field team members • Lab technician earmarked for microscopy of samples collected by field teams during ACF round • Honorarium to Team Supervisors, Rs. 300 / day (10 days in ACF round).
3.	**73 Drug Sensitive TB (DSTB)** Training (State and District Level) **77 DRTB** Training (State and District Level)	Training/Sensitization From routine NTEP budget	Funds for training of ACF personnel *1.* All MOs of the district – Training @ District Level *2.* All NTEP Staff – Training @ District Level *3.* LT of all DMCs – Training @ District Level *4.* All CHO"s of the District- Training @ TU/ Block Level. *5.* Field team members – Training @ TU/ Block Level
4.	**73 Drug Sensitive TB (DSTB)** Printing	Printing From routine NTEP budget	Printing material for ACF (reporting Formats, Tally sheets etc)
5.	**78 TB Harega Desh Jeetega** ACSM (State & District) Printing (ACSM)	IEC/ ACSM Activities From ACF Budget	Hoardings, Banners, Wall Paintings, Posters, Pamphlets, Stickers for house door, Certificates to be given as part of school activity, etc)and other activities as enumerated below. As per the district need from the allocated buØet in the head.

Human resource - Service Delivery / Human resources for NTEP drug store/ Human Resource-Programme Management

कार्यक्रम के अर्न्तगत इस मद में राज्य एवं जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों पर मानदेय की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 2023–24 के अनुसार, नियमानुसार देय होगा।

कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुमोदित मानदेय (मूल मानदेय + लॉयल्टि बोनस (यदि लागू हो) एवं 5 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि) के वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु निर्धारित मानदेय मे संविदा कर्मियों को संतोषजनक परफारमेन्स के अधार पर 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि नियमानुसार देय होगा। वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपद को उपलब्ध करायी गयी धनराशि में मासिक मानदेय, 5 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि (यदि लागू हो) तथा ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0/जी0एस0टी0+सर्विस चार्ज 10 प्रतिशत तक (यदि लागू हो) में सम्मिलित है तथा यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार नियमानुसार देय होगा। ऐसे संविदा कर्मियों

जिनका प्रथम वर्ष के कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूर्ण हो रहा हो एवं कार्य मूल्यांकन के आधार पर जनपद स्तर पर सक्षम समिति द्वारा लिये गये निर्णय के उपरान्त प्रदान की जाये तथा वार्षिक वेतनवृद्धि योगदान के माह की पहली तारीख से प्रभावी होगी एवं अन्य कार्यरत कर्मियों की वार्षिक मानदेय वृद्धि वित्तीय वर्ष के अनुसार देय होगी (01 अप्रैल से)। किसी भी प्रकार की मानदेय वृद्धि भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 2023–24 में अनुमन्य नहीं की गयी है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत मानव संसाधन आउटसोर्सिंग

कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य एवं जनपद स्तर पर कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के पदों पर मानदेय की स्वीकृति प्रदान की गयी है, वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुमोदित मानदेय में मूल मानदेय + 5 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि (01 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने एवं कार्य मूल्यांकन के आधार पर) + ई0पी0एफ0 (यदि लागू हो)+ ई0एस0आई0सी0(यदि लागू हो)+ एस0सी0+ सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 सम्मिलित है। कार्यक्रम के अन्तर्गत एस0टी0डी0सी0 आगरा/एस0डी0एस0 आगरा, बरेली, लखनऊ एवं वराणसी/आर0टी0पी0एम0यू0 आगरा, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर एवं वराणसी एवं आई0आर0एल0/कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब हेतु मानव संसाधन आउटसोर्सिंग के मानदेय की धनराशि सम्बन्धित जनपद में सम्मिलित की गयी है।

NTEP District Contractual Sanctioned Positions till 2023-24

S.No.	Post	District Programe Coordinator	PPM Coordinator	PMDT TB HIV Coordinator	Accountant (Including STDC)	STS	STLS	LT+ CBNAAT LT	TBHV	DEO	MO DTC NTEP	Driver	DRTB SMO	DRTB Counsellor	DRTB SA	MO Medical College	LT Medical College	TB HV Medical College	Consultant RTPMU	DEO RTPMU/STDC	Office Assistant RTPMU	STDC MO
	Name of District	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1	Agra	1	2	2	2	27	13	34	20	2	1	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1	3
2	Aligarh	1	2	2	1	23	11	31	15	2	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
3	Allahabad	1	2	2	1	36	18	31	25	2	1	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0
4	Ambedkarnagar	1	1	1	1	14	7	10	3	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
5	Amethi	1	1	1	1	12	5	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auraiya	1	1	1	1	8	4	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Azamgarh	1	1	2	1	27	13	7	10	2	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	Baghpat	1	1	1	1	8	4	11	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bahraich	1	1	1	1	22	10	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ballia	1	1	1	1	19	9	20	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Balrampur	1	1	1	1	12	6	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Banda	1	1	1	1	11	5	11	3	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
13	Barabanki	1	2	1	1	19	10	20	3	1	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0
14	Bareilly	1	2	2	1	28	13	35	15	2	1	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0
15	Basti	1	2	1	1	14	7	2	3	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
16	Bijnore	1	1	2	1	23	11	30	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Budaun	1	1	1	1	20	9	28	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bulandsahar	1	1	1	1	20	10	21	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Chandauli	1	1	1	1	11	6	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Chitrakoot	1	1	1	1	6	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Deoria	1	1	1	1	18	9	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Etah	1	1	1	1	10	5	17	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Etawah	1	1	1	1	12	5	18	5	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
24	Faizabad	1	1	1	1	15	7	8	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Farrukhabad	1	1	1	1	12	6	12	4	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
26	Fatehpur	1	1	1	1	1	8	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						6																
27	Firozabad	1	1	1	1	15	7	13	10	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
28	Gautambudhnagar	1	1	1	1	11	5	13	18	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
29	Ghaziabad	1	1	1	1	19	9	20	26	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
30	Ghazipur	1	1	1	1	22	11	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Gonda	1	1	1	1	19	10	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Gorakhpur	1	2	2	1	27	13	7	10	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
33	Hamirpur	1	1	1	1	7	3	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Hapur	1	1	1	1	8	4	10	5	1	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0
35	Hardoi	1	1	2	1	25	12	18	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Hathras	1	1	1	1	9	5	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Jalaun	1	1	1	1	10	5	15	4	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
38	Jaunpur	1	1	2	1	27	13	17	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Jhansi	1	1	1	1	12	6	18	5	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
40	JP Nagar	1	2	1	1	11	6	15	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kannauj	1	1	1	1	10	5	10	3	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
42	Kanpur Dehat	1	1	1	1	11	5	16	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kanpur Nagar	1	2	2	1	27	13	30	35	2	1	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0
44	Kanshiram Nagar	1	1	1	1	8	4	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kaushambhi	1	1	1	1	9	5	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Kheri	1	2	2	1	24	10	11	2	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
47	Kushinagar	1	1	1	1	21	12	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Lalitpur	1	1	1	1	8	4	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Lucknow	1	2	2	1	29	14	39	40	2	1	1	2	2	2	5	8	4	1	2	1	1
50	Maharajganj	1	1	1	1	15	8	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Mahoba	1	1	1	1	6	3	15	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Mainpuri	1	1	1	1	11	5	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Mathura	1	1	1	1	15	7	15	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Mau	1	1	1	1	13	6	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Meerut	1	1	1	1	21	10	27	20	1	0	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
56	Mirzapur	1	1	1	1	14	7	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Moradabad	1	1	1	1	18	9	17	11	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
58	Muzaffarnagar	1	1	1	1	16	8	27	10	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
59	Pilibhit	1	1	1	1	12	6	18	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Pratapgarh	1	1	1	1	19	9	18	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Raebareli	1	1	1	1	18	9	9	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Rampur	1	1	1	1	14	7	19	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Saharanpur	1	1	1	1	21	10	26	13	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
64	Sambhal	1	1	1	1	12	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Sant Kabir Nagar	1	1	1	1	10	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Sant Ravidas Nagar	1	1	1	1	10	5	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Shahjahanpur	1	2	1	1	18	9	24	16	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Shamli	1	1	1	1	8	4	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Shravasti	1	1	1	1	7	3	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Siddharth Nagar	1	1	1	1	14	7	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71	Sitapur	1	2	2	1	27	13	13	8	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
72	Sonbhadra	1	1	1	1	11	6	17	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Sultanpur	1	1	1	1	14	7	11	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Unnao	1	1	1	1	18	9	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Varanasi	1	2	2	1	23	11	11	20	2	1	0	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0
	Total	**75**	**89**	**89**	**76**	**1197**	**584**	**1045**	**562**	**89**	**10**	**16**	**23**	**23**	**23**	**36**	**40**	**36**	**5**	**7**	**5**	**5**

Human Resource - HR Approved in ROP 2023-24		
S.No.	**Post Name**	**Total Sanctioned Post approved in FY 2023-24**
1	Assistant Programme Officer/ Epidemiologist	2
2	MO STC/STDC	7
3	TB HIV Coordinator	2
4	DRTB Coordinator	2
5	Accounts Officer/ State Accountant	2
6	Technical Officer- Procurement & Logistics	2
7	State ACSM / IEC Officer	2
8	State PPM (Public Private Mix) Coordinator	2
9	Data Analyst	2
10	Data Entry Operator STC	2
11	Data Entry Operator STF	1
12	Data Entry Operator IRL	6
13	Data Entry Operator C&DST	6
14	Secretarial Assistant	1
15	Driver STC	1
16	Microbiologist EQA	5
17	Microbiologist C&DST	8
18	Microbiologist IRL	8
19	Senior LT IRL	24
20	Senior LT C&DST	24
21	Senior LT EQA	5
22	LT IRL/C&DST	9
23	SDS Pharmacist	4
24	SDS Store Assistant	8
25	Driver STDC (Out Sourcing)	1
26	Driver MMV (Out Sourcing)	5
27	Support Staff MMV (Out Sourcing)	5
28	Lab Attendant C&DST (Out Sourcing)	12
29	Helper STDC (Out Sourcing)	5
30	Sweeper STDC (Out Sourcing)	8
31	Chowkidar STDC (Out Sourcing)	11
32	Gardener STDC (Out Sourcing)	2
33	House Keeping STDC (Out Sourcing)	2
34	Electrician & Plumber (Out Sourcing)	2
35	Dhobi STDC (Out Sourcing)	1
36	Clerk STDC (Out Sourcing)	3
37	Cashier STDC (Out Sourcing)	1
38	Store Keeper STDC (Out Sourcing)	2
39	District Programme Coordinator	75
40	PPM Coordinator	89
41	PMDT TB HIV Coordinator	89
42	Accountant(including 01 STDC Agra)	76
43	STS	1197
44	STLS	584
45	LT (including CBNAAT)	1045
46	TB HV	562
47	Data Entry Operator	89
48	MO DTC RNTCP	10
49	Driver	16
50	DRTB SMO	23
51	DRTB Counsellor	23
52	DRTB SA	23
53	MO Medical College	36
54	LT Medical College	40
55	TB HV Medical College	36
56	Consultant RTPMU	5
57	Data Entry Operator RTPMU	5
58	Data Entry Operator STDC	2
59	Office Assistant RTPMU	5
60	Office Assistant STDC	2
		4227

NTEP State level Contractual Sanctioned Positions

S.No.	Post Name	Sanctioned	Place of Posting
1	Assistant Programme Officer/ Epidemiologist	2	For State TB Cell , Lucknow
2	MO STC	2	For State TB Cell , Lucknow
3	MO STDC	5	02 for STDC Agra, 01 for STDC Lucknow and 01 for STDC Gorakhpur
4	TB HIV Coordinator	2	For State TB Cell , Lucknow
5	DRTB Coordinator	2	For State TB Cell , Lucknow
6	State PPM (Public Private Mix) Coordinator	2	For State TB Cell , Lucknow
7	Data Analyst	2	For State TB Cell , Lucknow
8	Data Entry Operator IRL	6	For 02 IRL Agra, 01 for IRL Gorakhpur, 02 For IRL Lucknow & 01 for IRL Meerut
9	Data Entry Operator C&DST	6	For 01 Aligarh, 01 Etawah, 01 Jhansi, 01 Kanpur Nagar, 01 Prayagraj and 01Varanasi
11	Microbiologist EQA	5	For 01 IRL Agra, 01 IRL Meerut,01 IRL Gorakhpur, 01 IRL Lucknow and 01 IRL Varanasi
10	Microbiologist IRL	8	For 02 IRL Agra, 02 IRL Meerut, 02 IRL Gorakhpur and 02 IRL Lucknow
12	Microbiologist C&DST	8	For 02 in C&DST Lab,Aligarh, 01 Etawah, 01 for C&DST Lab Jhansi,01 for C&DST Lab Kanpur Nagar and 01 for C&DST Lab Prayagraj and 02 for C&DST Lab Varanasi.
13	Senior LT IRL	24	For 06 IRL Agra, 06 for IRL Gorakhpur 06 for IRL Lucknow and 06 for IRL Meerut
14	Senior LT C&DST	24	For 06 C&DST Lab Aligarh, 03 C&DST Lab Etawah, 04 for C&DST Lab Jhansi, 03 C&DST Lab KanpurNagar, 02 for Prayagraj and 06 for C&DST Lab Varanasi.
15	Senior LT EQA	5	For 01 IRL Agra, 01 IRL Meerut, 01 IRL Gorakhpur, 01 IRL Lucknow and 01 IRL Varanasi
16	LT IRL/C&DST	9	03 for IRL Agra, 02 for C&DST Aligarh, 02 for IRL Lucknow and 02 C&DST Varansi
17	Lab Attendent /Assistant	12	02 for IRL Agra, 01 for C&DST Lab Aligarh, 01 for C&DST Lab Etawah, 01 for C&DST Lab Gorakhpur, 01 for C&DST Lab Jhansi, 01 for C&DST Lab KanpurNagar, 02 for IRL Lucknow, 01 for C&DST Lab Meerut, 01 for C&DST Lab Prayagraj, and 01 for C&DST Lab Varanasi.
18	Pharmasist	4	01 for SDS Agra, 01 for SDS Bareilly, 01 for SDS Lucknow and 01 for SDSVaranasi
19	SDS Store Assistant	8	2 for SDS Agra, 02 for SDS Bareilly, 02 for SDS Lucknow and 02 for SDSVaranasi

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आवंटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये पत्र संख्या एस0पर0एम0यू0/सी0पी0/लिजिट रिलीज/2022–23/130/2900 दिनांक 29.07.2022 में निहित दिशा–निर्देशों (बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 पोर्टल) के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- राज्य स्तर/जनपद स्तर से आवंटित की जाने वाली समस्त लैब मैटिरियल/कन्जूमेबिलस का आवंटन निक्षय औषधि पर उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। अतः निक्षय औषधि पर समस्त टी0यू0/डी0एम0सी0 के द्वारा आवंटन के सापेक्ष उपयोगित का विवरण ससमय अंकित कराना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा सके।
- संविदा पर मानव संसाधन मद में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तर पर कार्यरत/वास्तविक मानव संसाधन/पदों को ही नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया

जायेगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

20.2 राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम –

प्रदेश में राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम संचालित है, जिसके अन्तर्गत हिपेटाइटिस रोग की जांच, निदान एवं उपचार हेतु 06 मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर, 05 स्टेट रिफ्रेन्स लैब एवं 75 ट्रीटमेन्ट सेन्टर क्रियाशील किये गये हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में उच्च जोखिम समूह वाले क्षेत्रों में तथा जिला जेल में कैम्प लगवाकर व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग कराया जाता हैं जिसमें हिपेटाइटिस बी तथा हिपेटाइटिस सी रोगी को चिन्हित किया जाता हैं जिन्हें वायरल लोड परीक्षण हेतु निकटवर्ती स्टेट रिफ्रेन्स लैब संदर्भित कर एवं उपचार सुनिश्चित किया जाता हैं ।

प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हिपेटाइटिस दिवस मनाया जाता हैं जिसमें प्रत्येक स्तर पर जन–जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रम संगोश्ठी एवं अभिमुखीकरण कार्यशाला सम्पादित किया जाता हैं ।

(मेडिकल कॉलेज)

एफ0एम0आर0कोड संख्या–NDCP.5.81.OOC.1 स्टेट रिफ्रेन्स लैबः मीटिंग कॉस्ट एवंऑफिस व्यय/कन्टीजेन्सी–

उपरोक्त मद में मेडिकल कॉलेज**–एस0एन0एम0सी0 आगरा, एम0एल0बी0 झाँसी, के0जी0एम0यू0 लखनऊ, एल0एल0आर0एम0 मेरठ एवं आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 वाराणसी** में क्रियाशील स्टेट रिफ्रेन्स लैब को आवंटन किया गया है जिसमें से प्रति स्टेट रिफ्रेन्स लैब को धनराशि रू0 5,000 बैठक अहूत करने हेतु एवं शेष धनराशि रू0 20,000 से स्टेट रिफ्रेन्स लैब कार्यालय व्यय यथा–प्रिंटिंग, स्टेशनरी एवं अन्य संचालन व्ययों (फोटोकॉपी/इन्टरनेट/ कम्यूनिकेशन/स्टेशनरी) हेतु आवश्यकतानुसार इस मद का प्रयोग किया जा सकता है।

उपरोक्त बैठक में गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी विभाग एवं माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष, इन विभागों के अन्य फैकल्टी, एवं रेजिडेन्ट डॉक्टर्स तथा अन्य किसी भी सम्बन्धित विभाग के फैकल्टी एवं रेजिडेन्ट डॉक्टर्स प्रतिभाग करेंगे साथ ही सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज में एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत समस्त मानव संसाधन द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। जिस बैठक में हिपेटाइटिस के निदान से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। बैठक का हस्ताक्षरित कार्यवृत्त मेडिकल कालेज द्वारा राज्य मुख्यालय को ससमय उपलब्ध कराया जाये।

(मेडिकल कॉलेज)

एफ0एम0आर0कोड संख्या–NDCP.5.81.OOC.2 मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर के लिये–मीटिंग कॉस्ट/कार्यालय व्यय/कन्टिन्जेन्सी (फोटोकॉपी, इन्टरनेट, कम्यूनिकेशन)/रेसिस्टेंस टेस्टिंग इन सेलेक्टेड केसेस/प्रिन्टिंग

एम0 एण्ड ई0 टूल्स)–

उपरोक्त मद में मेडिकल कालेज**–एस0एन0एम0सी0 आगरा, एम0एल0बी0 झाँसी, बी0आर0डी0 गोरखपुर, के0जी0एम0यू0 लखनऊ, एल0एल0आर0एम0 मेरठ एवं आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 वाराणसी** में क्रियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर को धनराशि रू0 40,000 प्रति सेन्टर के अनुसार आवटित कि गई है। उक्त आवंटित धनराशि में से रू0 10,000 बैठक आहूत करने के लिये एवं शेष धनराशि रू0 30,000 मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर में आवश्यकतानुसार कार्यालय व्यय/कन्टिन्जेन्सी यथा–फोटोकॉपी/इन्टरनेट/ कम्यूनिकेशन/स्टेशनरी/रेसिस्टेंस टेस्टिंग इन सेलेक्टेड केसेज/प्रिन्टिंग एम0 एण्ड ई0 टूल्स) एवं मॉनिटरिंग एवं इवैल्यूएशन हेतु तथा आवश्यकतानुसार टैबलेट क्रय (टैबलेट क्रय हेतु अधिकतम धनराशि रू0 25,000 तक व्यय किया जा सकता है।) किये जाने के लिये आवंटित की गयी है। टैबलेट का क्रय Gem पोर्टल द्वारा एवं एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमानुसार ही किया जायेगा। टैबलेट क्रय हेतु स्पेशिफिकेशन निम्नवत हैं–

Min. 3GB RAM, Min. 32GB Internal Storage, Min. Display Size 8 inch, Min. Display Resolution 1280X800, OS Android 10.0 or Higher, Cellular Data Support 4G/LTE, GPS enabled, Cellular Voice calling enabled, Mobile Coomunacation Technology-GSM SIM, Connectivity type

WiFi+Cellular, Bluetooth Connectivity, Min. Processor Speed 2.0 Ghz or Higher, Processor core 8 or more, Micro HD card Support, USB Port Type C, Audio Port 3.5 mm, Availablity of Local service Station or on spot Servicing or pick up servicing, Both rear and front Camera, Battery capacity min. 4000 MAH.

यदि किसी संस्थान के द्वारा एन0वी0एच0सी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में टैबलेट का क्रय कर लिया गया है तो आगामी वर्ष में पुनः क्रय नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त बैठक में गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी विभाग एवं माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष, इन विभागों के अन्य फैकल्टी, एवं रेजिडेन्ट डॉक्टर्स तथा अन्य किसी भी सम्बन्धित विभाग के फैकल्टी एवं रेजिडेन्ट डॉक्टर्स एवं जनपद के अन्य सरकारी व निजी चिकित्सकों तथा नोडल अधिकारी द्वारा नामित कोई भी अन्य अधिकारी प्रतिभाग करेंगे साथ ही सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज में एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत समस्त मानव संसाधन द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। बैठक में हिपेटाइटिस के लक्षण, एवं उपचार विषयक जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधाओं के विषय में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। बैठक का हस्ताक्षरित कार्यवृत्त मेडिकल कालेज द्वारा राज्य मुख्यालय को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(मेडिकल कॉलेज)

एफ0एम0आर0कोड संख्या–NDCP.5.83.OOC.1 हिपेटाइटिस 'ए' एण्ड 'ई' का प्रबन्धन–

उपरोक्त मद में मेडिकल कालेज–**एस0एन0एम0सी0 आगरा, जे0एन0एम0सी0 ए0एम0यू0 अलीगढ़, ए0एस0एम0सी0 अयोध्या, ए0एस0एम0सी0 बहराईच, जी0एम0सी0 बाँदा, यू0पी0यू0एम0एस0 सैफई इटावा, बी0आर0डी0 गोरखपुर, ए0आई0आई0एम0एस0 गोरखपुर, एम0एल0बी0एम0सी0 झाँसी, जी0एस0वी0एम0 कानपुर, के0जी0एम0यू0 लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ, एल0एल0आर0एम0 मेरठ, एम0एल0एन0 प्रयागराज, एस0एस0एम0एच0एम0सी0 सहारनपुर एवं आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 वाराणसी** में क्रियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर को प्रति सेन्टर धनराशि रू0 25,000 के अनुसार आवंटित कि गई है।

इस मद में आवंटित धनराशि का प्रयोग हिपेटाइटिस 'ए' एवं 'ई' के रोगियों के परीक्षण, निदान एवं उपचार हेतु किया जायेगा। हिपेटाइटिस 'ए' एवं 'ई' की जाँच, सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन, जाँच हेतु किट्स एवं उपचार हेतु आवश्यक औषधियों का प्रोक्योरमेन्ट एवं अन्य सम्बन्धित व्यय इस मद में उपलब्ध धनराशि से किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में ट्रीटमेन्ट सेन्टर के प्रभारी अधिकारी वित्तीय दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुये आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकते हैं।

(जिला चिकित्सालय/मुख्य चिकित्साधीक्षक)

एफ0एम0आर0 कोड – NDCP.5.83.OOC.2 ट्रीटमेन्ट सेन्टर मीटिंग कॉस्ट/कार्यालय व्यय/कन्टिजेन्सी

उपरोक्त मद में प्रदेश के जनपदों के जिला चिकित्सालयों/मेडिकल कालेज में स्थित ट्रीटमेन्ट सेन्टर को जनपदवार आवंटन किया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में क्रियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर को धनराशि बैठक आहूत करने के लिये एवं धनराशि ट्रीटमेन्ट सेन्टर के कार्यालय व्यय यथा–स्टेशनरी, फोटोकॉपी, इन्टरनेट, कम्युनिकेशन आदि तथा अन्य कन्टिजेन्सी व्ययों हेतु आवंटित किया गया है।

उपरोक्त बैठकों में ट्रीटमेन्ट सेन्टर, ब्लड बैंक, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में कार्यरत सभी चिकित्सकों, जनपद के अन्य सरकारी व निजी चिकित्सकों तथा एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत नामित समस्त मानव संसाधन द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। बैठक में हिपेटाइटिस के लक्षण, निदान एवं उपचार विषयक जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधाओं के विषय में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। बैठक का हस्ताक्षरित कार्यवृत्त ट्रीटमेन्ट सेन्टर द्वारा राज्य मुख्यालय को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाये।

नोटः मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में अवमुक्त धनराशि को जनपदीय चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्साधीक्षक के निवर्तन पर हिपेटाइटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर के प्रयोग हेतु अविलम्ब हस्तांतरित की जाएगी एवं जिन जनपदों में जिला चिकित्सालयों के अतिरिक्त सी0एच0सी0 पर भी ट्रीटमेन्ट सेन्टर क्रियाशील है वहाँ पर अपने स्तर से मीटिंग कॉस्ट/कार्यालय व्यय/कन्टिजेन्सी का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

(मुख्य चिकित्साधिकारी)

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NDCP.5.81.OOC.3 आउटरीच फॉर डिमान्ड जेनरेशन, मोबाइल मेडिकल यूनिट/एन0जी0ओ0/सी0बी0ओ0 आदि द्वारा वायरल हेपेटाइटिस का परीक्षण एवं उपचार –

राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जन–सामान्य को हिपेटाइटिस की निःशुल्क जाँच, निदान एवं उपचार तथा गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने के उद्देश्य से आउटरीच कैम्प का आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक जनपद में आउटरीच कैम्प का आयोजन जनपद के कारागार, शहरी मलिन बस्तियों एवं उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा चिन्हित उच्च जोखिम समूह वाले स्थानों तथा अन्य हाई रिस्क क्षेत्रों में किया जायेगा।

उपरोक्त मद में प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा वर्ष 2023–24 में न्यूनतम 06 कैम्प आयोजित किये जायेंगें।

जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कैम्प के आयोजन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सक, पैथालॉजिस्ट/लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, ए0एन0एम0 एवं आशा को नामित किया जायेगा, जो उपरोक्त कैम्प के सफल आयोजन हेतु अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस गतिविधि में जनपद के मेडिकल कालेज, जिला चिकित्सालय तथा ब्लड बैंक के मानव संसाधन,एन0जी0ओ0/सी0बी0ओ0 का भी सक्रिय सहयोग लिया जा सकता है। जिन स्थानों पर समुदाय में केस लोड की अधिकता होगी वहाँ पर बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग (Mass Level Screening) की जायेगी।

1. प्रत्येक आउटरीच कैम्प के आयोजन हेतु रू0 5,000.00 प्रति आउटरीच कैम्प की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है–

क्रमांक	**गतिविधि**	**धनराशि प्रति कैम्प (रू0)**
1	परिवहन व्यवस्था	1,000.00
2	प्रचार–प्रसार (लाउड–स्पीकर, बैनर इत्यादि) एवं बैठने की व्यवस्था	2,000.00
3	रिफ्रशमेन्ट	1,000.00
4	अन्य संचालन व्यय (स्टेशनरी, ट्रीटमेन्ट कार्ड इत्यादि)	1,000.00
	कुल धनराशि	**5,000.00**

स्क्रीनिंग किट्स एवं औषधियाँ, मुख्य चिकित्साधिकरी अधिश्ठान/मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर अथवा ट्रीटमेन्ट सेन्टर से उपलब्ध करायी जायेंगी।

2. प्रत्येक आउटरीच कैम्प के आयोजनोपरान्त कैम्प की चिकित्सक टीम के सहयोग से संलग्न प्रारूपों पर सूचना एवं हिपेटाइटिस धनात्मक रोगियों की लाइनलिस्ट संकलित कर सम्बन्धित ट्रीटमेन्ट सेन्टर जिला चिकित्सालय एवं मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर/स्टेट रिफ्रेन्स लैब (मेडिकल कालेज) द्वारा राज्य मुख्यालय को प्रेशित किया जायेगा। आउटरीच कैम्प हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र निम्नवत् है–

प्रपत्र–क

आउटरीच हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र

कैम्प का विवरण

1. जनपद का नाम–
2. शहर/ग्राम का नाम–
3. एम0टी0सी0/टी0सी0 का नाम–
4. कैम्प क्षेत्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी का नाम–
5. आउटरीच शिविर का दिनाँक–
6. आउटरीच शिविर के आयोजन का स्थान एवं पता–
   (आंगनबाड़ी केन्द्र, विद्यायलय या अन्य, विवरण दें)

7. आउटरीच शिविर में चिकित्सकीय दल का विवरण–

क्र0 सं0	चिकित्सकीय स्टाफ का नाम (पदनाम के साथ)	मोबाइल नं0
1		

8. आउटरीच शिविर हेतु हायर किये गये वाहन का विवरण –

रजिस्टर्ड एजेन्सी का नाम व पता	वाहन का नम्बर	वाहन चालक का नाम	वाहन चालक का मो0 नं0

9. आउटरीच शिविर के लाभार्थियों का विवरण–

क्र0	लाभार्थियों का विवरण	कुल	पुरूष	महिला
1	आउटरीच शिविर में पंजीकृत कुल व्यक्तियों की संख्या			
2	शिशुओं की संख्या (0 से 1 वर्ष)			
3	बच्चों की संख्या (1 से 12 वर्ष)			
4	किशोरों की संख्या (13 से 19 वर्ष)			
5	वयस्क की संख्या (20 से 59 वर्ष)			
6	गर्भवती महिलाओं की संख्या			
7	60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों की संख्या			

10. कैम्प में किट्स, औषधियों एवं कन्ज्यूमेबल की स्थिति–

	सेन्टर का नाम जहाँ से किट्स, औषधियां एवं कन्ज्यूमेबल प्राप्त किये गये हैं	प्राप्त की गई औषधियों/किट्स/कन्ज्यूमेबल की मात्रा	वितरित की गई औषधियों/किट्स/कन्ज्यूमेबल की मात्रा	शेष औषधियों/किट्स/कन्ज्यूमेबल की मात्रा

प्रपत्र–ख

Special Outreach Format								
Name of District-				**Month-**				**Remarks**
S.No.	**No. of Camp Organised**	**No. of Specialists/MOs**		**No. of cases**	**Type of Cases**	**Diagnostic Services Available**	**Drugs Available**	
		Govt.	**Outsourced**					

प्रपत्र–ग

हिपेटाइटिस धनात्मक रोगियों की लाइनलिस्ट

Table-1(D) Line List of Positive cases of Hep-B under NVHCP								**Month & Year :**			
S.No.	**Name of Districts/MTC /TC**	**Date of Reporting**	**Patients Name**	**Age**	**Sex (M/F)**	**Address**	**Mob. No.**	**Reporting Unit Name**	**Viral load Testing Done (Yes/No)**	**Treatment initiated (Yes/No)**	**Remarks (if Any)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**

x	**Table-(1E) Line List of Positive cases of Hep-C under NVHCP**							**Month & Year :**			
S.No	**Name of Districts/MTC/TC**	**Date of Reporting**	**Patients Name**	**Age**	**Sex (M/F)**	**Address**	**Mob. No.**	**Reporting Unit Name**	**Viral load Testing Done (Yes/No)**	**Treatment initiated (Yes/No)**	**Remarks(if Any)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**

नोटः मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में अवमुक्त धनराशि को अपने स्तर से जनपद में उल्लिखित गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रयोग किया जाये जिससे जनसाधारण को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा सके।

(मेडिकल कॉलेज)

एफ0एम0आर0कोड संख्या–NDCP.5.80.OOC.1 प्रीवेंशन (आउटरीच फॉर डिमान्ड जेनरेशन, मोबाइल मेडिकल यूनिट/एन0जी0ओ0/सी0बी0ओ0 आदि द्वारा वायरल हेपेटाइटिस का परीक्षण एवं उपचार)–

उक्त मद में धनराशि मेडिकल कॉलेजों में क्रियाशील स्टेट रेफरेन्स लैब/वायरल लोड टेस्टिंग लैबोरेट्री को आवंटित की गई है। जिसमें से प्रत्येक मेडिकल कालेज को रू0 50,000 की दर से वित्तीय वर्ष 2023–24 में न्यूनतम 10 कैम्प अपने मेडिकल कॉलेज (ओ0पी0डी0/प्रसूति विभाग/हेपेटोलॉजी विभाग/गैस्ट्रोइन्टेरोजलॉजी विभाग/मेडिसिन विभाग/बाल चिकित्सा विभाग इत्यादि अथवा स्टेट रेफरेन्स लैब/वायरल लोड टेस्टिंग लैबोरेट्री के नोडल आफिसर के निवर्तन पर कैम्प का स्थान चिन्हित किया जा सकता है) में लगवाये जाने हेतु धनराशि आवंटित की गई है।

कैम्प के आयोजन के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश हेतु **एफ0एम0आर0कोड संख्या–NDCP.5.81.OOC.3 आउटरीच फॉर डिमान्ड जेनरेशन** का संदर्भ ग्रहण करें।

(मुख्य चिकित्साधिकारी)

एफ0एम0आर0कोड संख्या–NDCP.5.83.DS.2 HBIg –

उक्त मद में जनपदों को case load के अनुसार धनराशि आवंटित की गई है जिसमें सेहिपेटाईटिस–बी धनात्मक महिलाओं के नवजात शिशुओं को लगाये जाने हेतु HBIg का क्रय प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0एल0 के पत्रांक सं0– यू0पी0एम0एस0सी0एल0/प्र0नि0/2022–23/811, दिनांक– 22.08.2022, (संलग्नक–2) में दिये गये सुझाव के अनुसार आर0सी0 में निर्धारित दर के अनुसार जनपद स्तर पर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र सं0–85/ एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/2022–23/5647–2, दिनांक–07.11.2022 (संलग्नक–3) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा यह निर्देशित किया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने स्तर से HBIg क्रय कर मेडिकल कॉलेज/जिला अस्पातल/संस्थागत प्रस्व केन्द्रों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Interventions in babies born to HBsAg positive mothers:

- Ensure administration of birth dose hepatitis B vaccine in the anterolateral aspect to left thigh of the newborn after birth as soon as possible (within 24 hours).
- Ensure administration of HBIG 0.5 ml (100International Units) intramuscular in the anterolateral aspect of the right thigh of the newborn.

नोटः Please Refer NVHCP Technical and Operational Guidelines on prevention of Mother to Child transmission of Hepatitis B Virus

नोटः मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में अवमुक्त धनराशि HBIg को अपने स्तर से क्रय कर जनपदके एफ0आर0यू0, सी0एच0सी0 24X7, जिला चिकित्सालय जहाँ संस्थागत प्रसव की सुविधाऐं उपलब्ध हैं एवं महिला चिकित्सालयों पर शीघ्रातिशीघ्र उपलबध कराना सुनिश्चित करें जिससे जनसाधारण को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा सके।

(मेडिकल कॉलेज/जिला चिकित्सालयों पर स्थित बी0एस0एल0 लैब)

एफ0एम0आर0कोड संख्या–NDCP.5.81.DI.1किट्स –

इस मद में स्टेट रेफरेन्स लैब (मैडिकल कॉलेज) एवं वायरल लोड टेस्टिंग लेबोरेटरीज वाले जनपदों को आवंटन किया गया है।

उपलब्ध करायी गयी धनराशि से हिपेटाईटिस रोगियों के स्क्रीनिंग तथा वायरल लोड परीक्षण के लिये उपयोग हेतु आवश्यक किट्स का क्रय संस्थानद्वारा अपने स्तर पर नियमानुसार किया जा सकता है। किट्स के अतिरिक्त अन्य आवश्यक कन्ज्यूमेबल्स हेतु धनराशि एफ0एम0आर0 मद संख्या–NDCP.5.81.DI.2_कन्ज्यूमेबल फॉर लैबोरेटरी अन्डर एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गयी है।

भारत सरकार, एन0वी0एच0सी0पी0 विभाग, एन0सी0डी0सी0 के द्वारा प्रेषित ई–मेल दिनांक–06.09.2021 के माध्यम से ट्रू–नाट विधि द्वारा हिपेटाइटिस बी एवं सी की वायरल लोड जांच हेतु रू0 640.00 + GST प्रति जांच की दर पर सहमति व्यक्त की गयी है।

(मेडिकल कॉलेज/जिला चिकित्सालयों पर स्थित बी0एस0एल0 लैब)

एफ0एम0आर0कोड संख्या–NDCP.5.81.DI.2 कन्ज्यूमेबल फॉर लैबोरेटरी अन्डर एन0वी0एच0सी0पी0–

इस मद में प्रयोगशालाओं में स्क्रीनिंग तथा वायरल लोड टेस्टिंग हेतु आवश्यकतानुसार कन्ज्यूमेबल यथा– प्लास्टिक वेयर, री–यूज प्रीवेन्शन सिरिन्ज, इवैकुएटड वैक्यूम ट्यूब, वेस्ट डिस्पोजल बैग्स, किट्स फॉर HBsAG टाइटर, ग्रांट फॉर कैलीबरेशन ऑफ स्माल इक्विपमेन्ट्स के प्राक्योरमेन्ट एवंआवश्यकतानुसार मनी फॉर EQAS का प्रयोग इस मद से किया जायेगाा। (यदि संस्थान/प्रयोगशाला द्वारा Quality Check/EQAS गतिविधियां पूर्व से ही किसी अन्य कार्यक्रम/योजना के अन्तर्गत सम्पादित की जा रही हैं तो एन0वी0एच0सी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का प्रयोग उक्त गतिविधि हेतु नहीं किया जा सकता है)। कन्ज्यूमेबल तथा इनके प्रोक्योरमेन्ट की आवश्यकता का निर्धारण वायरल लोड टेस्टिंग लैब/जनपदस्तरीय नामित नोडल अधिकरी द्वारा लिया जायेगा।

(जिला चिकित्सालय / मुख्य चिकित्साधीक्षक)

एफ0एम0आर0कोड संख्या–NDCP.5.81.DI.3 कन्ज्यूमेबलसफॉर ट्रीटमेन्ट साईट्स –

इस मद में प्रत्येक जनपदीय जिला अस्पताल के ट्रीटमेन्ट सेन्टर को धनराशि रू0 12,500/– का आवंटन किया गया है। ट्रीटमेन्ट साईट्समें स्क्रीनिंग हेतु आवश्यकतानुसार कन्ज्यूमेबलस यथा–

प्लास्टिक वेयर, री–यूज प्रीवेन्शन सिरिन्ज, इवैकुएटड वैक्यूम ट्यूब, वेस्ट डिस्पोजल बैग्स, इत्यादि का प्रोक्यारेमेन्ट इस मद से किया जा सकता है। कन्ज्यूमेबल तथा इनके प्रोक्योरमेन्ट की आवश्यकता का निर्धारण जनपदस्तरीय नामित नोडल अधिकरी/ट्रीटमेन्ट सेन्टर नोडल अधिकरी द्वारा लिया जायेगा।

एन0वी0एच0सी0पी0 कार्यक्रम हेतु वर्ष 2023–24 में संविदा पर कार्यरत् मानव संसाधन के मानदेय सम्बन्धी दिशा–निर्देश–

एफ0एम0आर0कोड संख्याः– HSS.9.184.C.S0775, HSS.9.184.C.S0776, HSS.9.184.C.S0777, HSS.9.184.C.S0779, HSS.9.184.C.P188–

जनपद स्तर पर एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत संचालित **मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर–** लखनऊ, आगरा, वाराणसी, झाँसी, मेरठ एवं गोरखपुर एवं **स्टेट रेफरेन्स लैब–** लखनऊ, आगरा, वाराणसी, झाँसी, मेरठ में संविदा कर्मियों क्रमशः डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (आऊटसोर्स), मेडिकल ऑफिसर एवं फार्मासिस्ट मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर हेतु तथा लैब टेक्निशियनएवं टेक्निकल ऑफिसर स्टेट रेफरेन्स लैब हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में जिन दरों पर मानदेय स्वीकृत (लॉयल्टी बोनस सम्मिलित करते हुए) था उसी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु धनराशि 5 प्रतिशत वेतन वृद्वि की धनराशि एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर (आऊटसोर्स) हेतु ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0 (वित्तीय नियमानुसार) की अतिरिक्त धनराशि सम्मिलित करते हुए आवंटित की जा रही है। 5 प्रतिशत मानदेय की वेतन वृद्धि उन कार्मिकों को देय हेगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

नोटः– आगरा, वाराणसी, झाँसी, मेरठ एवं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (आऊट सोर्स) की नियुक्ति जिला स्वास्थ्य समिति से इम्पैनल्ड एजेन्सी के माध्यम से अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति/जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मेडिकल कॉलेज में तैनाती हेतु की जायेगी तथा तैनाती की सूचना राज्य कार्यालय को एवं एस0पी0एम0यू0 कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 को प्रेषित की जाये। डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (आऊटसोर्स) का मानदेय रू0 12,000 प्रति माह देय होगा एवं ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0 की धनराशि अलग से सम्मिलित करते हुए आवंटित की गई है।

मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर–झाँसी, मेरठ एवं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर हेतु मानदेय रू0 60,000 प्रति माह की दर से वॉक–इन प्रक्रिया के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति की भर्ती प्रक्रिया के नियमानुसार भर्ती कर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें एवं अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर में संविदा पर मेडिकल ऑफिसर की तैनाती कर राज्य कार्यालय एवं एस0पी0एम0यू0 कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 को अवगत करायें।

मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर–आगरा, झाँसी, मेरठ एवं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट हेतु मानदेय रू0 15,000 की दर से (ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 अलग से), स्टेट रेफरेन्स लैब–आगरा, वाराणसी, झाँसी एवं मेरठ मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन हेतु मानदेय रू0 15,000 की दर से (ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 अलग से) एवं टेक्निकल ऑफिसर हेतु मानदेय रू0 25,000 की दर से नियुक्ति राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा की जायेगी।

1. FMR Code NDCP.5.83. CB.103 डे ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर–

उपरोक्त मद में मेडिकल कॉलेज आगरा,झाँसी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी (संलग्नक–1) में क्रियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर को एन0वी0एच0सी0पी0 के अंतर्गत मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर, ट्रीटमेन्ट सेन्टर, जनपदीय लैब एवं जनपदीय/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत् मेडिकल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग आयोजित करने के लियेप्रति सेन्टर दो बैच हेतु रू0 359,850/–की धनराशि (प्रति बैच रू0–179,925/–) आवंटित की गई है। (प्रति बैच 15 मेडिकल ऑफिसर)। इस मद में कुल धनराशि रू0 21,59,000/– का आवंटन किया गया है।

इस प्रशिक्षण हेतु जनपदों तथा प्रतिभागियों की सूची प्रथक से प्रेषित की जायेगी।

2. FMR Code NDCP.5.81.CB 05 डे ट्रेनिंग ऑफ लैब टेक्नीशियन–

उपरोक्त मद में मेडिकल कॉलेज आगरा, झाँसी, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी (संलग्नक–1) के माईक्रोबॉयोलॉजी में क्रियाशील वायरल लोड टेंस्टिग लैब एवं मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर को एन0वी0एच0सी0पी0 के अंतर्गत स्टेट रिफ्रेन्स लैब, वायरल लोड टेंस्टिग लैबोरेट्री, ट्रीटमेन्ट सेन्टर, जनपदीय लैब एवं जनपदीय/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत् लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग आयोजित करने हेतु प्रति सेन्टर दो बैच हेतु रू0 535,750/– की धनराशि (प्रति बैच रू0–267,875/–) आवंटित की गई है। (प्रति बैच 15 लैब टेक्नीशियन)। इस मद में कुल धनराशि रू0–32,14,500/– का आवंटन किया गया है।

इस प्रशिक्षण हेतु जनपदों तथा प्रतिभागियों की सूची पृथक से प्रेषित की जायेगी।

3. FMR Code NDCP.5.83. CB.201 डे ट्रेनिंग ऑफ पीयर एजूकेटर–

भारत सरकार से पीयर एजूकेटर हेतु अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त धनराशि का पुनः आवंटन किया जायेगा।

4. FMR Code NDCP.5.83. CB.301 डे ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट–

उपरोक्त मद में मेडिकल कॉलेज आगरा, झाँसी, लखनऊ, मेरठ वाराणसी में क्रियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर को प्रति बैच प्रति सेन्टर धनराशि रू0–49,537/– की दर से एन0वी0एच0सी0पी0 के अंतर्गत मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर, ट्रीटमेन्ट सेन्टर, जनपदीय/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत् फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग आयोजित करने हेतु आवंटन किया गया है। इस मद में कुल धनराशि रू0 297,225/– का आवंटन किया गया है।

इस प्रशिक्षण हेतु जनपदों तथा प्रतिभागियों की सूची पृथक से प्रेषित की जायेगी।

5. FMR Code NDCP.5.83. CB.401 डे ट्रेनिंग ऑफ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर–

उक्त मद में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की प्रशिक्षण हेतु धनराशि का पुनः आवंटन किया जायेगा।

(मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्साधिकारी)

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NDCP.5.80.IEC एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत आई0ई0सी0/बी0सी0सी

इस मद में कुल स्वीकृत धनराशि में से जनपदों के मेडिकल कालेज एवं जिला चिकित्सालयों को धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त धनराशि का व्यय एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों में किया जाएगा।

1–फ्लैक्स बैनर, 6x3 फीट, मल्टी कलर, अनुमानित दर रू0 200 प्रति बैनर ।

2– पोस्टर (4 कलर) 30X 20 इंच, अनुमानित दर रू0 15.00 प्रति पोस्टर।

3– होर्डिग 20 x 10 फीट, अनुमानित दर रू0 4,500.00 प्रति होर्डिग।

नोटः मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में अवमुक्त धनराशि में से उल्लिखित प्रचार–प्रसार सामग्री को अपने स्तर से क्रय कर जनपद के एफ0आर0यू0, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालयों एवं सार्वजनिक स्थानों में जनहित को जागरूक करने हेतु लगवायें।

(मुख्य चिकित्साधीक्षक/मेडिकल कॉलेज)

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NDCP.5.83.IEC फार्मेट/रजिस्टर की प्रिन्टिंग–

इस मद में कुल स्वीकृत धनराशि में से जनपदों को रू0 7.20 लाख की धनराशि मेडिकल कालेजों में क्रियाशील वायरल लोड टेस्टिंग लैबोरेट्री/ट्रीटमेन्ट सेन्टर एवं जनपदीय जिला चिकित्सालयों/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में क्रियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर को आवंटित की गयी है।

उपरोक्त धनराशि का व्यय एन0वी0एच0सी0पी0 के रिपोर्टिंग फार्मेट एवं रजिस्टर की प्रिन्टिंग हेतु किया जायेगा।

उपरोक्त सभी प्रपत्रों/रजिस्टर्स का मुद्रण जनपद स्तर पर अन्य कार्यक्रमों हेतु निर्धारित मुद्रण दरों के अनुरूप किया जा सकता है।

नोटः मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में जनपदीय जिला चिकित्सालयों में क्रियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर के लिए अवमुक्त धनराशि को जनपद के मुख्य चिकित्साधीक्षक के निवर्तन पर हिपेटाइटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर के प्रयोग हेतु अविलम्ब हस्तांतरित की जाए एवं जनपद के सी0एच0सी0 स्थित ट्रीटमेन्ट सेन्टर के लिए अवमुक्त धनराशि से उक्त गतिविधि हेतु अपने स्तर से ट्रीटमेन्ट कार्ड/पेशेन्ट कार्ड छपवाकर अविलम्ब सी0एच0सी0 पर उपलब्ध कराया जाये।

(मुख्य चिकित्साधिकारी/मेडिकल कॉलेज)

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NDCP.5.81.DI.4 एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट–

इस मद में जनपदों को एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत सैम्पल एवं आवश्यकतानुसार औषधियों के ट्रांसपोर्टेशन हेतु किया जायेगा। सैम्पल का ट्रांसपोर्टेशन ट्रीटमेन्ट सेन्टर/जिला चिकित्सालयों/ब्लाक स्तरीय चिकित्सालयों/सी0एच0सी0 में धनात्मक पाये गये रोगियों की वायरल लोड परीक्षण हेतु निकटवर्ती प्रयोगशाला को किये जाने हेतु किया जायेगा। नोडल अधिकारी सैम्पल एवं औषधियों के ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम (विशेष वाहक/कूरियर/नामित व्यक्ति) अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे जिला

चिकित्सालयों द्वारा औषधियों एवं सैम्पल के ट्रांसपोर्टेशन का व्यय जिला स्वास्थ्य समिति के ट्रांसपोर्टेशन नियमों/दरों के अनुसार किया जायेगा।

वायरल लोड परीक्षण हेतु सैम्पल के निकटवर्ती वायरल लोड परीक्षण प्रयोगशाला पर ससमय ट्रांसपोर्टेशन हेतु किसी चिन्हित व्यक्ति को भेजे जाने की स्थिति में यात्रा व्यय का भुगतान इस मद से किया जायेगा। यदि ट्रांसपोर्टेशन हेतु वाहन का प्रयोग किया जाता है तो उसके किराये अथवा पी0ओ0एल0 व्यय का भुगतान भी इस मद से किया जा सकता है।

किसी कूरियर कम्पनी/पोस्ट के माध्यम से सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन किये जाने हेतु भी इस बजट का प्रयोग किया जा रहा है। **सैम्पल पैकेजिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन हेतु Standard Guidelines का पालन किया जायेगा।**

नोटः मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में जनपदीय चिकित्सालयों में क्रियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर के लिए अवमुक्त धनराशि को जनपद के मुख्य चिकित्साधिक्षक के निवर्तन पर हिपेटाइटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर के प्रयोग हेतु अविलम्ब हस्तांतरित की जाए एवं जनपद के सी0एच0सी0 स्थित ट्रीटमेन्ट सेन्टर के लिए अवमुक्त धनराशि से उक्त गतिविधि को अपने स्तर से संचालित कर आवश्यकतानुसार सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन कराना सुनिश्चित करें।

समस्त 75 जनपदों (ट्रीटमेन्ट सेन्टर) के वायरल लोड सैम्पल्स जाँच हेतु निकटवर्ती निम्न मेडिकल कॉलेज (स्टेट रेफरेन्स लैब/वायरल लोड टेस्टिंग लैब)/जिला बी0एस0एल0 लैब को संदर्भित किये जायेंगे–

एस0एन0एम0सी0 आगरा, ए0एम0यू0 अलीगढ़, एस0एम0सी0 अयोध्या, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज, जी0एम0सी0 बैहराईच, जी0एम0सी0 बांदा, बरेली जनपदीय लैब, बस्ती मेडिकल कॉलेज, बिजनौर जनपदीय लैब, बदायूँ एम0सी0, यू0पी0यू0एम0एस0 इटावा, पी0जी0आई0सी0एच0 जी0बी0 नगर, गाजियाबाद जनपदीय लैब, बी0आर0डी0 गोरखपुर लैब, ए0आई0आई0एम0एस0 गोरखपुर, एमएलबी0 झाँसी, जी0एस0वी0एम0 कानपुर नगर, के0जीएमयू लखनऊ, के0एस0एस0एस0सी0आई0 लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ, एलबीआर0एन0 लखनऊ, एल0एल0आर0एम मेरठ, मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर जनपद, एम0एल0एन0एम0सी0 प्रयागराज, ए0आई0आई0एम0एस0 रायबरेली, रामपुर जनपदीय लैब, एस0एस0एम0एच0 सहारनपुर, सम्भल जनपदीय लैब, शामली जनपदीय लैब, आईएमएस बी0एच0यू0 वाराणसी, बुलन्दशहर जनपदीय लैब।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आवंटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंग।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेसिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- संविदा पर मानव संसाधन मद में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तर पर कार्यरत/वास्तविक मानव संसाधन/पदों को ही नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

20.3 जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम–

जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2023–24 में स्वीकृत गतिविधि हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

1. जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित प्रचार–प्रसार (FMR COED&NCD-7-114-IEC):– इस गतिविधि हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में आवंटित धनराशि को वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रक्षित कराते हुये समस्त गतिविधियों को संचालित किया जाना है। इस गतिविधि के अन्तर्गत जन समुदाय को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक किये जाने संबंधित प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। इस हेतु प्रचार–प्रसार के विभिन्न साधनों को उपयोगित किया जाये, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। तालिका में कॉलम संख्या 01 में वर्णित साधन को सम्मुख अंकित संख्या में जनपद मुख्यालय, जिला चिकित्सालय, ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र तक उपलब्ध कराया जाना है।

साधन का	सइज	दर	स्थलवार साधनों की संख्या

नाम			जनपद मुख्यालय	जिला चिकित्साल	ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
बैनर	6"x3"	200/-	50	10	06	-	-	**3**
पोस्टर	30"x20"	15.25/-	500	50	40	10	-	10
होर्डिंग	20"x10"	4500/-	5	-	1	-	-	

जिला मुख्यालय को आबंटित 5 होर्डिंग निम्न स्थानों पर अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित स्थानों पर लगवाई जा सकती है।

1. रेलवे स्टेशन
2. बस स्टैन्ड
3. जिला कलेक्ट्रैट कार्यालय
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय
5. जिला चिकित्सालय

इस हेतु अधिकतम रु0 4500/– प्रति होर्डिंग की दर से होर्डिंग लगवाने हेतु बजट का प्रावधान किया गया, जिसे जनपद पर जनसूचना एवं जनसम्पक विभाग के माध्यम से अथवा निर्धारित की गई मानक दरों अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित की गई मानक दरों, में जो न्यूनतम हो, के अनुसार होर्डिंग लगवाने पर व्यय किया जायेगा।

2. टास्क फोर्स मीटिंग (FMR CODE NCD.7. 114.PME.1):- इस मद में प्रति जनपद धनराशि रू0–25000/– (पचीस हजार मात्र) का आवंटन किया गया है, जिसका उपयोग डिस्ट्रिक टास्क फोर्स की त्रैमासिक बैठक के आहूत करने में व्यय किया जायेगा तथा District Task Force Meeting में Draft Health Sector Plane for Heat & Air pollution को बनाकर राज्य स्तर को प्रेषित किये जाने से सम्बन्धित गतिविधियां सम्पादित की जायेगी।

3. संवेदीकरण कार्यशाला/लॉजिस्टिक/मोबिलिटी (FMR CODE NCD.7. 114.PME.2):- इस मद में प्रति जनपद धनराशि रू0–50000/– (पचास हजार मात्र) का आवंटन किया गया है, जिसका उपयोग समय–समय पर कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्तर्विभागीय संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित किये जाने एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित लॉजिस्टिक/मोबिलिटी गतिविधियों में नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु– कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आवंटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंग।

20.4 आई0डी0एस0पी0 –

संविदा मानव संसाधन का मानदेय–

1. **एफ0एम0आर0 कोड संख्याः– (HSS.9.1.84.C.P290, HSS.9.1.84.C.SO550, HSS.9.1.84.C.P299, HSS.9.1.84.C.P358)-** जनपद स्तर पर आई0डी0एस0पी0 के अन्तर्गत संचालित जिला सर्विलांस इकाई में कार्यरत संविदा कर्मियों क्रमशः एपिडिमियोलॉजिस्ट, माइक्रो–बायोलाजिस्ट, डाटा मैनेजर एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर का जिन दरों पर मानदेय जो वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत (लॉयल्टी बोनस सम्मिलित करते हुये) उसी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु धनराशि 5 प्रतिशत की वेतनवृद्धि की धनराशि एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर (जिला स्वास्थ्य समिति/आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से) हेतु ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0, सर्विस चार्ज अधिकतम 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त धनराशि सम्मिलित करते हुये आवंटित की जा रही है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतनवृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनकपूर्ण कर लिया हो।
   नोटः– कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में रिक्त एपिडिमियोलॉजिस्ट एवं डाटा मैनेजर के पदों पर नियुक्ति राज्य स्तर से तथा डाटा इन्ट्री आपरेटर की तैनाती जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदित एजेन्सी द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जायेगा, तथा डाटा इन्ट्री आपरेटर का मानदेय रू0 12005/– प्रतिमाह देय होगा एवं ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित करते हुये आवंटित की गई है।

2. क्षमतावर्धन (NDCP.1.63.CB):-

I. चिकित्साधिकारियों का प्रशिक्षण– (NDCP.1.63.CB.1):–

इस मद में धनराशि का उपयोग प्रदेश के जनपदों में चिकित्साधिकारियों के आई0एच0आई0पी0 एवं ओ0पी0डी0 रजिस्टर पर डाटाइण्ट्री, डाटा विश्लेषण, आउटब्रेक रिपोर्टिंग प्रिपरेशन, सबमिशन एवं आउटब्रेक रिस्सपान्स एवं केस डेफिनेसन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण के लिए कुल धनराशि रू0–18.12 लाख आवंटित की गई है। प्रति बैच अधिकतम 20 प्रतिभागियों द्वारा ही प्रतिभाग किया जायेगा। प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु प्रति ब्लाक एक चिकित्साधिकारी, जिला मुख्यालय से जिला सर्विलांस अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रति नगरीय प्राथमिक चिकित्सालय से एक चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु व्यय निम्नतालिका के अनुसार किया जायेगाः–

Medical officer Batch Cost at District

Sl no	Activity	Rate	No of participants	Days	Total
1	Food of particioants	250	20	1	5000
2	Food of Trainer working Lunch	200	4	1	800
3	Course Material and Contingency	300	20	1	6000
4	trainers Honorarium	600	4	1	2400
5	**Total cost**				**14200**
6	**sub total 1to 5 @ 15%**				**2130**
	Grand Total				**16330**

II. आई0एच0आई0पी0 पोर्टल पर डाटा इन्ट्री हेतु प्रशिक्षण- (NDCP.1.63.CB.2):-

इस मद में धनराशि का उपयोग प्रदेश के जनपदों में जिला डाटा इन्ट्री आपरेट–आई0डी0एस0पी0, एवं कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों यथा–आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, इटावा, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, कानपुर नगर एवं लखनउ के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में तैनात आई0डी0एस0पी0 ऑपरेटर एवं प्रति ब्लॉक एक डाटा इण्ट्री आपरेटर हेतु आई0एच0आई0पी0 एवं ओ0पी0डी0 रजिस्टर पर डाटा इण्ट्री एवं डाटा विश्लेषण एवं आउटब्रेक इनवेस्टिगेशन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण के लिए कुल धनराशि रू0–12.24 लाख आवंटित की गई है। प्रति बैच अधिकतम 20 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु व्यय निम्नतालिका के अनुसार किया जायेगाः–

Batch Cost at District

Sl no	Activity	Rate	No of participants	Days	Total
1	Food of particioants	250	20	1	5000
2	Food of Trainer working Lunch	200	4	1	800
3	Course Material and Contingency	300	20	1	6000
4	trainers Honorarium	600	4	1	2400
5	**Total cost**				**14200**
6	sub total 1to 5 @ 15%				2130
	Grand Total				**16330**

3. प्लानिंग एण्ड मॉनिटरिंग एण्ड इवेल्युवेशन (NDCP.1.63.PME) :-

I. आई0डी0एस0पी0 मीटिंग– (NDCP.1.63.PME.1)

इस मद से जनपद स्तर पर आई0डी0एस0पी0 की वित्तीय तथा भौतिक समीक्षा हेतु बैठक आहूत करने के लिये रु0 2000 प्रति जनपद एवं मण्डलीय जनपदों हेतु रु0 4000 प्रति मण्डलीय धनराशि आवंटित की जा रही है। जनपद ईकाई की बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला सर्विलांस अधिकारी, आई0डी0एस0पी0, जिला इपिडेमियोलॉजिस्ट, आई0डी0एस0पी0, जिला डाटा मैनेजर, आई0डी0एस0पी0 एवं जिला डाटा इन्ट्री आपॅरेटर, आई0डी0एस0पी तथा आवश्यकतानुसार अन्य व्यक्ति प्रतिभाग करेंगे तथा बैठक की हस्ताक्षरित कार्यवृत्त राज्य मुख्यालय को समयबद्ध रुप से उपलब्ध करायेंगे।

मण्डलीय जनपदों में अपर निदेशक/मण्डलीय सर्विलांस अधिकारी की अध्यक्षता में मण्डल के समस्त जनपदों की त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा बैठक की जाएगी, तथा बैठक सम्पूर्ण कराने का दायित्व मण्डल स्तर पर तैनात ई0आई0एस0 आफिसर द्वारा पूर्ण कि जाएगी तथा बैठक बैठक की हस्ताक्षरित कार्यवृत्त राज्य मुख्यालय को समयबद्ध रुप से उपलब्ध करायेंगे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि मण्डल स्तरीय अधिकारियों हेतु अवमुक्त धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति के खाते से मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को ससमय स्थानान्तरण करवाना सुनिश्चित करेंगे।

II. **मोबिलिटी– (Mobility:- Travel Cost, POL, Mobility cost on need basis) (NDCP.1.63.PME.3)**

इस मद में जनपद स्तर पर डिजीज सर्विलांस गतिविधियों के भ्रमण के लिये, सर्विलांस एवं रिपोर्टिंग को सुदृढ़ीकृत किये जाने हेतु आवश्यक भ्रमण, मोबिलिटी, ट्रैवेल कॉस्ट आदि के लिये धनराशि

का आवंटन 7 माह हेतु किया गया है। उपलब्ध बजट के सापेक्ष 7 माह के लिए उपलब्ध बजट के सापेक्ष अधिकतम रू0 30,000 प्रतिमाह की दर से डी0पी0एम0यू0 यूनिट की भांति/जनपद स्तर पर टेण्डर की प्रक्रिया द्वारा चयनित एजेंसी से नियामनुसार टैक्सी परमिट वाहन हायर कर सकते है अथवा उपलब्ध शासकीय वाहनों हेतु पी0ओ0एल0 के लिए किया जा सकता है।

सर्विलॉन्स गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण एवं मण्डल स्तर अनुश्रवण हेतु मण्डलीय जनपदों पर सर्विलांस हेतु चिन्हित मण्डल स्तरीय अधिकारियों हेतु मण्डलीय जनपदों को रु0 30000/– प्रति माह की दर से अतिरिक्त धनराशि का आवंटन 7 माह हेतु किया जा रहा है।

आर0ओ0पी0 2023–24 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जनपद स्तरीय कर्मचारी व अधिकारियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 हेतु अधिमतम रू0 15,000.00 वार्षिक तथा मण्डल स्तरीय कर्मचारी/अधिकारी अधिकारियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 हेतु अधिमतम रू0 50,000.00 वार्षिक हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि का आवंटन उपरोक्त धनराशि के व्यय विवरण एफ0एम0आर0 में अंकित कराने पर आवश्यकतानुसार राज्य स्तर से अवमुक्त की जायेगी। प्रयोग किये जा रहे वाहन का विवरण तत्काल निम्न प्रारुपानुसार राज्य मुख्यालय को अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

क्र0सं0	जनपद का नाम	वाहन का प्रकार	रजिस्ट्रेशन नं0/मालिक का नाम एवं मो0नं0	वाहन प्रयोग करने की माह व तिथि
1	2	3	4	5

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि मण्डल स्तरीय अधिकारियों हेतु अवमुक्त धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति के खाते से मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को ससमय स्थानान्तरण करवाना सुनिश्चित करेंगे।

III. **आपरेशनल व्यय (NDCP.1.63.PME.4)-(Expanses on - telephone, communication, Broad Band, weekly alert, office expance, meeting & other Misc. expanses):-** इस मद में धनराशि का आवंटन भारत सरकार द्वारा संशोधित आर0ओ0पी0 प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा। राश्ट्रीय रैबीज कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यालय व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि का उपयोग जिला सर्विलान्स इकाई आई0डी0एस0पी0 के द्वारा किया जायेगा।

IV. **वार्षिक ए0एम0सी0-(Expanses on - Minor repair, AMC of IT equipments expanses):- (NDCP. 1.63.PME.5)** इस मद से ऑफिस उपकरणों की मरम्मत, उपकरणों की ए0एम0सी0, हेतु रू0 5000 प्रति छमाही प्रति जनपद धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस प्रकार कराना सुनिश्चित करें कि ऑफिस के समस्त उपकरण क्रियाशील रहें तथा धनराशि का पूर्ण व्यय वित्तीय वर्ष में किया जा सके।

4. डायग्नोस्टिक (NDCP.1.63.DI) :–

I. **Reimbursement based payment for laboratory tests (NDCP.1.63.DI.1):-** इस मद के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0–0.50 लाख प्रति रेफरल मेडिकल कॉलेज यथा– एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा, यू0पी0यू0एस0एम0 सैफई, इटावा, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर, एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झांसी, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर नगर, के0जी0एम0यू0, लखनऊ हेतु सम्बंधित जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। इस धनराशि से संक्रामक रोगों के आउट–ब्रेक होने की स्थिति में उक्त मेडिकल कालेजों से लिंक जनपदों द्वारा आउट–ब्रेक के कम से कम 10 प्रतिशत भेजे गये नमूनों का परीक्षण किये जाने में होने वाले व्यय का रिम्बर्समेंट उक्त धनराशि से किया जायेगा। यह रिम्बर्समेंट जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों द्वारा प्रेषित किये गये बिल के सापेक्ष जनपद मुख्यालय स्तर से किया जाये।

II. **FMR CODE- (EXPENSES ON ACCOUNT OF CONSUMABLE, OPERATING EXPENSES, OFFICE EXPENSES, MISCELLAENOUS ETC.)-(NDCP.1.63.DI.2) -** इस मद के के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0–0.50 लाख धनराशि प्रति रेफल लैब यथा– एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा, यू0पी0यू0एस0एम0 सैफई, इटावा, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर, एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झांसी, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर नगर, के0जी0एम0यू0, लखनऊ हेतु सम्बंधित जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है, जिसे सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से स्थानान्तरित कर दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के संचारी रोग होने की स्थिति में चिन्हित मेडिकल कालेज से सम्बद्ध जनपदों द्वारा यदि कोई नमूने परीक्षण के लिए भेजे जाते है, तो उसके परीक्षण हेतु आवश्यक कन्जुमेबिल्स, आफिस व्यय, उपकरण की

माइनर मरम्मत अन्य सम्बन्धित व्यय हेतु उक्त धनराशि का प्रयोग किया जा सके। इस धनराशि के प्रयोग के सम्बन्ध में एन0सी0डी0सी0 दिल्ली के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश निम्नवत हैः–

1 Annual grant of Rs 200000/- to each of the identified state referral lab to ensure performance standards. This amount could be utilized for the following:

- Procurement of kits and reagents
- Remuneration of part time staff / overtime
- Minor expenses on maintenance and repair of equipment
- Date collection and communication (phone / internet)
- Office expenses
- Expenditure will be monitered by respective SSO in coordination with state lab coordinator.

Note: no procurement of equipment is allowed from these funds.

III. **सैम्पल ट्रान्सपोटेशन–(NDCP.1.63.DI.3):–** इस मद में रू0 10000/– प्रति जनपद धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसका उपयोग जनपद में होने वाले आउट–ब्रेक एवं अन्य रोगों की जॉच से सम्बन्धित नमूनों को प्रयोगशाला में भेजने में किया जायेगा। प्रयोगशाला को प्रेषित किये जाने वाले सैम्पल की पैकिंग सामग्री एवं इसकी परिवहन हेतु व्यय भी इस मद से किया जायेगा।

5. अन्य ऑपरेटिंग कास्टः–(NDCP.1.63.OCC)

I. प्रोत्साहन राशिः- (NDCP.1.63.OCC.1) रैबीज कार्यक्रम से सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु डाटा इन्ट्री ऑपरेटर आई0डी0एस0पी0 को रैबीज कार्यक्रम हेतु रू0–5000/– (रू0 पॉच हजार मात्र) प्रति माह की दर से 12 माह हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की संकलित मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 05 तारीख तक भारत सरकार को उपलब्ध करायी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में रैबीज कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील चिकित्सा इकाईयों (निजी क्षेत्र की चिकित्सा इकाईयों, राजकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थानों को सम्मिलित करते हुये) की संकलित रिपोर्ट प्रत्येक माह की 05 तारीख तक राज्य को उपलब्ध कराये जाने विषयक निर्देश महानिदेशालय के पत्र संख्या–21फ/सं0रो0/ रैबीज/2019/6325, दिनांक 24.10.2019 व पत्र संख्या–21फ/सं0रो0/रैबीज/2019/6829, दिनांक 18.11.2019 द्वारा निर्गत किये गये।

जनपदों की संकलित रिपोर्ट राज्य को प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (सं0रो0)/जिला सर्विलान्स अधिकारी व जिला इपिडेमियोलॉजिस्ट को उत्तरादायित्व निर्धारित किये जाने विषयक निर्देश पत्र संख्या–21फ/सं0रो0/2020/417 दिनांक 27.01.2020 द्वारा निर्गत किये गये। जनपदों में जिला सर्विलान्स अधिकारी/मुख्य चिकत्सिाधिकारी (सं0रो0) व इपिडेमियोलॉजिस्ट के संचारी रोग से सम्बन्धित अन्य कार्यों/कार्यक्रमों में अधिक व्यस्तता रहने के कारण एन0आर0सी0पी0 की मासिक प्रगति का प्रेषण ससमय न होकर विलम्बित होता है। उक्त के दृष्टिगत जनपद स्तर पर आई0डी0एस0पी0 इकाई में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर को रैबीज कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील समस्त इकाईयों की मासिक रिपोर्ट को संग्रहीत कर संकलित करने एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य का उत्तरादायित्व निम्नवत निर्धारण किया जाता है–

- आई0डी0एस0पी0 इकाई के डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा प्रत्येक माह की 01 तारीख तक जनपद में रैबीज कार्यक्रम हेतु क्रियाशील समस्त चिकित्सा इकाईयों से मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (हेल्थ फैसिलिटी मासिक सारांश फार्मेट) पर संग्रहीत की जायेगी।
- डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा उपरोक्त इकाईयों की संग्रहीत रिपोर्ट को निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर संकलित रिपोर्ट को इपिडेमियोलॉजिस्ट/जिला सर्विलॉन्स आफिसर/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी से अवलोकित करायी जायेगी।
- डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा उपरोक्तनुसार अवलोकित संकलित रिपोर्ट की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी (EXCEL) में प्रत्येक दशा में 03 तारीख तक राज्य को उपलब्ध करायी जायेगी।
- नोडल अधिकारी द्वारा दिये गये कार्य को सम्पादित करना।

आई0डी0एस0पी0 डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा उपरोक्त वर्णित दायित्वों के निर्वाहन किए जाने के बाद जिला सर्वीलांस अधिकारी द्वारा उक्त कार्य को सत्यापित किए जाने के उपरांत प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रति माह भुगतान किया जायेगा

II. <u>आई0एच0आई0पी0 पोर्टल की यू0 आर0 एल0 :https://idsp-nhp-gov-in//#!/</u>

लॉगइन हेतु यूजर आई0 डी0 एवं पासवर्ड – समस्त जनपदों को उनके रिपोर्टिंग इकाईयों (सरकारी एवं निजी क्षेत्र) को उपलब्ध कराने हेतु भेजा जा चुका है।

आई0 एच0 आई0 पी0 पोर्टल पर रिपोर्टिंग की क्रियाविधि'– उपलब्ध कराये गए यूजर आई0 डी0 एवं पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगइन करने के पश्चात फार्म पी (चिकित्साधिकारीगण द्वारा प्रीजम्पटिव सर्वेलेंस/अनुमानित निदान आधारित), फार्म एल (प्रयोगशाला सर्वेलेंस/प्रयोगशाला पुष्ट निदान आधारित) एवं फार्म एस (सिन्ड्रोमिक सर्वेलेंस/उपकेंद्र स्तर से) के रोग सम्बन्धी आंकड़े प्रतिदिन आई0एच0आई0पी0 पोर्टल पर अपलोड किये जाते हैं। समय से प्राप्त रोग सम्बन्धी इन आंकणों का उपयोग रोगों के आउट ब्रेक के प्रभावी नियंत्रण में किया जाता है।

आउटब्रेक/इवेंटएलर्ट– समस्त स्तरों, यथा– उपकेंद्र, ब्लॉक, जनपद आदि से आउट ब्रेक/ इवेंट एलर्ट की रियल टाईम रिपोर्टिंग पोर्टल पर की जाती है, जिसका उपयोग आउट ब्रेक के त्वरित एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु किया जाता है।

अन्य प्रासंगिक सूचनाएँ–आई0एच0आई0पी0 पोर्टल पर अन्य प्रासंगिक सूचनाएँ जैसे– मानव संसाधन, प्रशिक्षण की स्थिति, आकस्मिक/अत्यावश्यक औषधि यों, उपकरणों की स्थिति आदि की सूचनाएं भी उपलब्ध करायी जाती हैं।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- **सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आवंटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।**
- **जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।**

20.5 राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम

1. **प्लॉनिंग मॉनिटरिंग एण्ड इवेल्यूवेशन (NDCP.6.84.PME):–** वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु भारत सरकार के स्तर से रैबीज कार्यक्रम के सुचारू सफल संचालन हेतु मद में स्वीकृत रू0 89.00 लाख की धनराशि का उपयोग निम्न गतिविधियों के सम्पादन में राज्य एवं जनपद स्तर पर किया जाना है:–

क–मोबिलिटी (NDCP.6.84.PME.1):–उक्त मद में प्रति माह रू0–10000/– (रू0 दस हजार मात्र) की दर से आठ माह हेतु रू0–80,000/– (रू0 अस्सी हजार मात्र) धनराशि आवंटित की गई है। उक्त धनराशि का उपयोग कार्यक्रम की सर्विलॉन्स से सम्बन्धित गतिविधियों के सम्पादन, टी0ए0/डी0ए0 तथा रैबीज संदिग्धों में नमूनों के ट्रान्सपोट्रेशन इत्यादि हेतु किया जायेगा। जिसका उपयोग जिला सर्विलास इकाई द्वारा किया जायेगा।

ख–आपरेशनल व्यय (NDCP.6.84.PME.2) - रैबीज कार्यक्रम के अर्न्तगत उक्त मद में कार्यक्रम के सुचारू सफल संचालन हेतु कार्यालय प्रयोग में होने वाले छोटे व्यय यथाः इंटरनेट रिचार्ज/एन्टी वायरस/ स्टेशनरी/डॉगल व अन्य अनुसांगिक व्यय हेतु 12 माह हेतु प्रति जनपद का रू0–24000/– (रू0 चौबीस हजार मात्र) का बजट अवमुक्त किया गया है। उपरोक्त धनराशि का उपयोग आई0डी0एस0पी0 से इकाई द्वारा रैबीज कार्यक्रम के अर्न्तगत ऑफिस एवं प्रसाशनिक व्यय हेतु किया जा सकेगा।

ग–समीक्षा बैठक (NDCP.6.84.PME.2)– इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग कार्यक्रम की प्रगति हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक व जिला अधिकारी की अध्यक्षता में वार्षिक समीक्षा बैठक हेतु किया जायेगा।

जिला अधिकारी की अध्यक्षता में प्रति वर्ष एक समीक्षा बैठक आहूत की जानी है। इस बैठक में जनपद स्तर पर गठित जूनोटिक समिति के सदस्यो के साथ कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील समस्त जिला/ ब्लॉक/नगरीय/ग्रामीण/चिकित्सा इकाइयों के प्रमुख/मुख्य अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सकों मण्डलीय/जनपद पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट व जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस हेतु रू0–5000/– प्रति वर्ष की दर से धनराशि ऑवटित की गयी है, जिसका प्रयोग बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के सूक्ष्म जलपान एवं अन्य व्यवस्थाओं में किया जायेगा।

मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में आहूत की जाने वाली मासिक समीक्षा बैठक में रैबीज कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील इकाइयों के प्रभारियों, चिकित्सक, फार्मसिस्ट व कार्यक्रम में कार्य कर रही स्टॉफ नर्स द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस बैठक में जनपद स्तरीय प्रशिक्षक को भी अवश्य आमंत्रित किया जाए। इस हेतु सकल धनराशि रू0–5000/– ऑवटित की गयी है, जिसका प्रयोग बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के सूक्ष्म जलपान हेतु किया जायेगा। इस बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के कार्यक्रम के प्रति क्षमता वृद्धिकरण तथा शंका निवारण किये जाने हेतु भी उपयोगित किया जा सकेगा।

उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त ई–मेल **mdupnrhm@gmail.com, rabiesup@gmail.com** पर बैठक समाप्त होने के उपरान्त आगामी 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. क्षमता वृद्धिकरण (NDCP. 6.84.CB) प्रशिक्षण–

इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग जनपद में रैबीज रोग के प्रति क्रियाशील व उपचार और टीकाकरण प्रदान कर रही इकाइयों (मेडिकल कालेज व नगरीय स्वास्थ्य इकाईयों को सम्मिलित करते हुए) के चिकित्साधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लेडी हेल्थ विजिटर व बी0सी0पी0एम0 की क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने में किया जायेगा। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को NRCP कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्गत किये गये गाइडलाइन्स के अनुसार उपचार व टीकाकरण प्रदान करने पर विशेष रूप से ध्यानाकर्षण किया जायेगा व तदनुरूप ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु प्रति बैच 30 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा व राज्य स्तर से पूर्व में प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षकों में से 4 प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।प्रशिक्षण हेतु अप्रशिक्षित प्रतिभागियों को वरियता प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्रति बैच धनराशि रू– 31050 की धनराशि आवंटित की जा रही है जिसका विवरण निम्नांकित तालिका में हैः–

Training at District					
Sl No	**Particulars**	**Rate**	**No of Participants**	**Days**	**Total Amount**
1	Per Diem to participants	300	30	1	9000
2	Food for Participants	200	30	1	6000
3	Food for Trainers	150	4	1	600
4	Honorarium to Trainers	600	4	1	2400
5	Contingent (Printing, etc)	300	30	1	9000
					27000
	Institutional Overheads	15%			4050
Total					**31050**

चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अपनी इकाई के अन्य चिकित्सकीय, पैराचिकित्सा कर्मियों व क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की क्षमता संवृद्धीकरण किया जायेगा। मण्डलीय/जनपदीय पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जनपदों द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्ययोजना से राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा ताकि राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जा सके।

3. प्रचार–प्रसार एवं मुद्रणः– (NDCP.6.84.IEC & Printing):–

क. प्रचार–प्रसार की गतिविधियॉ (NDCP.6.84.IEC & Printing.1):– इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग, जन समुदाय को रैबीज रोग के प्रति जागरूक किये जाने संबंधित प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। इस हेतु प्रचार–प्रसार के विभिन्न साधनों को उपयोगित किया जाये, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नतालिका में दिया गया है। तालिका में कॉलम संख्या 01 में वर्णित साधन को सम्मुख अंकित संख्या में जनपद मुख्यालय, जिला चिकित्सालय, ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र तक उपलब्ध कराया जाना है।

साधन का नाम	सइज	दर	स्थलवार साधनों की संख्या					
			जनपद मुख्यालय	जिला चिकित्साल	ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
बैनर	6”x3”	200/-	30	5	15	-	-	**2**
पम्फलेट्स	A4/2	0.50/-	5000	-	1000	-	-	100
होर्डिंग		4500/-	6	-	1	-	-	-
फ्लायर	A4/2	1/-	प्रति आशा 2 फ्लायर					
विश्व रैबीज दिवस (28.09.2023) के आयोजन हेतु								10000/-

जिला मुख्यालय को आबंटित 6 होर्डिग निम्न स्थानों पर अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित स्थानों पर लगवाई जा सकती है।

1. रेलवे स्टेशन
2. बस स्टैन्ड
3. जिला कलेक्ट्रैट कार्यालय
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय
5. जिला चिकित्सालय
6. जनपद द्वारा प्रचार प्रसार के दृष्टिगत चिन्हित अन्य कोई भीड़–भाड़ वाला स्थान।

इस हेतु अधिकतम रु0 4500/– प्रति होर्डिग की दर से दो बार होर्डिंग लगवाने हेतु बजट का प्रावधान किया गया, जिसे जनपद पर जनसूचना एवं जनसम्पक विभाग के माध्यम से अथवा निर्धारित की गई मानक दरों अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित की गई मानक दरो, में जो न्यूनतम हो, के अनुसार होर्डिंग लगवाने पर व्यय किया जायेगा।

विश्व रैबीज दिवस के आयोजन हेतु आवंटित की गई धनराशि रू0–10000/– को जन सामान्य को रोग के प्रति संवेदीकृत किये जाने हेतु गोश्ठी, वाद विवाद प्रतियोगिता जागरूकता रैली इत्यादि के आयोजन में नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

ख. मुद्रण एफ0एम0आर0 कोड- (NDCP.6.84.IEC & Printing.2):- रैबीज रोग के प्रति क्रियाशील इकाईयों पर जानवरों/कुत्तों द्वारा काटे गये ग्रसितो के सम्बन्ध में जानकारी व उपचार विवरण के अभिलेखन हेतु, रैबीज की पूर्व प्रेषित कार्ययोजना के साथ उपलब्ध कराये गए प्रारूपानुसार– (प्रारूप संलग्न) लेखन सामग्री मुद्रित करायी जायेगी। मुदित करायी जाने वाली सामग्री व दर का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0स0	लेखन सामग्री	दर	साइज	केन्द्रो पर उपलब्धता		
1	ऐनिमल/डाग बाइट एक्सपोजर रजिस्टर	रू 200 प्रति रजिस्टर	200 पृष्ठ	सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र	ब्लॉक स्तर इकाई	जनपद स्तरीय चिकित्सालय
				02 रजिस्टर		06 रजिस्टर
2	पोस्ट ट्रीटमेण्ट कार्ड	रू 2 प्रति कार्ड	A-4 Size	डेप में		

20.6 Program for Prevention & Control of Leptospirosis (in 07 Districts only)

प्रदेश में लैप्टोस्पाइरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु सम्बन्धित गतिविधियों के सम्पादन का समस्त उत्तरदायित्व आई0डी0एस0पी0 इकाई, इपिडैमियोलोजिस्ट व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वैक्टर बॉर्न) का है। समस्त जनपदों में इस कार्यक्रम के अर्न्तगत रोग की जांच के लिए स्थानीय स्तर पर जांच किट की उपलब्धता सुनिश्चित कि जानी है। जनपद में चिन्हित हुऐ रोगियों की लाइन लिस्ट राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने के साथ सर्विलांस गतिविधियों को सुदृढ़ किया जायेगा। रिपोर्टिंग हेतु कार्यशील पोर्टल पर सूचनाऐं अंकित किये जाने से पूर्व अपने स्तर पर परीक्षण/सत्यापित कर लिया जाये।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में लैप्टोस्पाइरोसिस जांच किट को जनपद स्तर पर क्रय किये जाने हेतु समस्त 37 जनपदों को बजट आवंटित किया जा रहा है। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त मद के अतिरिक्त अन्य मदो में बजट आवंटन जनपद देवरिया, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, झांसी लखनऊ, मथुरा व पीलीभीत को किया जा रहा है। जनपदों को आवंटित किये जा रहे बजट का उपभोग निम्न निर्देशानुसार किया जा सकता हैः–

1. प्रचार–प्रसार की गतिविधियॉ (NDCP.7.85.IEC):–

इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग, जन समुदाय को लैप्टोस्पाइरोसिस के प्रति जागरूक किये जाने संबंधित प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। इस हेतु प्रचार–प्रसार के विभिन्न साधनों को उपयोगित किया जाये, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। तालिका में कॉलम संख्या 01 में वर्णित साधन को उनके सम्मुख अंकित संख्या में जनपद मुख्यालय, जिला चिकित्सालय, ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगरीय स्वास्थ्य केन्द तक उपलब्ध कराया जाना है।

साधन का नाम	सइज	दर	स्थलवार साधनों की संख्या					
			जनपद मुख्यालय	जिला चिकित्सालय	ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र
बैनर	6”x3”	200/-	20	05	05	-	-	
होर्डिंग	20”x10”	4500/-	06	-	01	-	-	-

फ्लायर	A4/2	1/-	प्रति आशा 2 फ्लायर

जिला मुख्यालय को आवंटित होर्डिंग निम्न स्थानों पर अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित स्थानों पर लगवाई जा सकती है।

1. बस स्टैन्ड
2. जिला कलेक्ट्रैट कार्यालय
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय
4. जिला चिकित्सालय
5. जनपद द्वारा प्रचार प्रसार के दृष्टिगत चिन्हित अन्य कोई भीड़–भाड़ वाला स्थान।

होर्डिंग हेतु अधिकतम रु0 4500/– प्रति होर्डिंग की दर से एक होर्डिंग हेतु बजट का प्राविधान किया गया है, जिसे जनपद पर जनसूचना एवं जनसम्पक विभाग के माध्यम से अथवा निर्धारित की गई मानक दरों अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित की गई मानक दरो, में जो न्यूनतम हो, के अनुसार होर्डिंग लगवाने पर व्यय किया जायेगा।

2. **समीक्षा बैठक (रिब्यू बैठक एवं ट्रेबल) (NDCP.7.85.PME.1)-** मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में आहूत की जाने वाली मासिक समीक्षा बैठक में चिकित्सा इकाइयों के प्रभारियों, चिकित्सक व फार्मासिस्ट द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस हेतु धनराशि रू0–3000/–की दर से धनराशि आवंटित की गयी है, जिसका प्रयोग बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के सूक्ष्म जलपान व अन्य व्यवस्थाओं में किया जा सकेगा। इस बैठक को उपस्थित प्रतिभागियों के कार्यक्रम के प्रति क्षमता वृद्धिकरण व शंका निवारण किये जाने हेतु भी उपयोगित किया जा सकेगा।

   उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त ई–मेल mdupnrhm@gmail.com & rabiesup@gmail.com पर बैठक समाप्त होने के उपरान्त आगामी 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. **मोबिलिटी सपोर्ट (NDCP.7.85.PME.2):–**

जनपद में लैप्टोस्पाइरोसिस सम्बन्धित गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण अथवा जनपद में लैप्टोस्पाइरोसिस के पुष्ट रोगी की सूचना प्राप्त होने पर केस इन्वेस्टीगेशन व अन्य सर्विलांस गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु, जनपद की इम्पैन्लड एजेन्सी से दैनिक दर पर गाड़ी को किराये पर लेने हेतु आकस्मिकता की स्थिति में उपयोगित किया जा सकेगा। इस धनराशि का उपयोग जिला सर्विलास इकाई द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सकल धनराशि रू0–10000/– प्रति जनपद का आवंटन किया गया है।

4. **चिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण (NDCP.7.85.CB):–**

इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग जनपद की इकाइयों के चिकित्साधिकारी, बी0सी0पी0एम0, एवं लेडी हेल्थ विजिटर की क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने में किया जायेगा। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को Leptospirosis कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्गत किये गये गाइडलाइन्स के अनुसार लक्षण, उपचार व रोकथाम के उपायों प्रदान करने पर विशेष रूप से ध्यानाकर्षण किया जायेगा व तदनुरूप ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु प्रति बैच 30 प्रतिभगियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा व राज्य स्तर से पूर्व में प्रशिक्षित किये गये 4 प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण के लिए प्रति बैच धनराशि रू–31050 की धनराशि आवंटित की जा रही है, जिसका विवरण निम्नांकित तालिका में हैः–

Training at District					
Sl No	**Particulars**	**Rate**	**No of Participants**	**Days**	**Total Amount**
1	Per Diem to participants	300	30	1	9000
2	Food for Participants	200	30	1	6000
3	Food for Trainers	150	4	1	600
4	Honorarium to Trainers	600	4	1	2400
5	Contingenct (Printing, etc)	300	30	1	9000
					27000
	Institutional Overheads	15%			4050
Total					**31050**

चिकित्सक एवं पैरामेडिकल कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अपनी इकाई के अन्य चिकित्सकीय/पैराचिकित्सा कर्मियों का क्षमता संवेदीकरण किया जायेगा। जनपदों द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्ययोजना से राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा ताकि राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जा सके।

किट का क्रय (FMR Code-NDCP.7.85.DI):– इस मद में राज्य के समस्त मण्डलीय जनपदों को रु0 20000/–प्रति जनपद की दर से एवं शेष अन्य जनपद यथा– बलिया, बिजनौर, देवरियॉ, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्धनगर, गजियाबाद, हरदोई, कुशीनगर, महाराजगंज, मथुरा, मऊ, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, सन्तकबीर नगर, सन्तरविदास, शहजहॉपुर, एवं सोनभद्र, को रु0 10,000/– प्रति जनपद की दर से जहां केश सुचित हुऐ हैं, वहां धनराशि आवंटित की जा रही है। आवंटित धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर लैप्टोस्पाइरोसिस रोग की जांच/परीक्षण हेतु एलाइजा किट का क्रय प्रचलित समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं क्रय नीतियों का पालन करते हुए किया जायेगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आवंटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।

20.7 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

वर्ष 2023–24 की महत्वपूर्ण गतिविधियॉ

नियमित कार्य :–

- जिला कुष्ठ अधिकारी एव कुष्ठ नाभिक प्रति माह कम से कम 10 दिन क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे।
- भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन कर, पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। नये खोजे गये रोगियों में 10% का सत्यापन (Validation) कुष्ठ रोगियों के घर जाकर किया जायेगा।
- प्रत्येक नये रोगी के घर स्वास्थ्य कर्मी/आशा जायेंगे तथा परिवार वालों तथा आस पास के 10 घरों में रहने वाले सभी सदस्यों में कुष्ठ के लक्षण हेतु परीक्षण करेंगे (हेल्दी कॉन्टेक्ट) तदोपरान्त उसका अंकन पेशेन्ट कार्ड में करेंगे।
- सभी कुष्ठ प्रभावित ग्रेड–1 एवं 2 विकलांगता के मरीजों को चिन्हित कर डिसेबिलिटी रजिस्टर में अंकित करेंगे समय–समय पर उनको सेल्फ केयर हेतु प्रेरित करेंगे एवं आवश्यक सामग्री सेल्फ केयर किट (मरहम पटटी, आदि) एवं एम0सी0आर0 चप्पल इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करायेंगे। रिकान्सट्रक्टिव सर्जरी हेतु रोगियों को चिन्हित कर उन्हें रिकान्स्ट्रक्टिव सर्जरी हेतु प्रेरित करेंगे
- जिला कुष्ठ अधिकारी एम0डी0टी0 एवं रिएक्शन/ग्रेड–। अथवा डिसैब्लिटी के उपचार/नियंत्रण हेतु प्रेडिनीसोलोन एवं क्लोफाजेमीन आदि दवाईयों की उपलब्धता सभी अस्पतालों में सुनिश्चित करेंगे।
- कुष्ठ कालोनियों में रहने वाले व्यक्तियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार एम0सी0आर0 चप्पल, एड एण्ड एप्लायन्स, सेल्फ केयर किट इत्यादि प्रदान करेंगे कुष्ठ कर्मचारियों द्वारा कुष्ठ कालोनियों में किये गये भ्रमणों का विवरण भी अंकित कर राज्य को प्रतिमाह सूचित किया जायेगा।
- कुष्ठ कर्मचारी एवं अधिकारी एक दैनिक डायरी में प्रतिदिन का कार्य, उपलब्धि एवं भ्रमण किये गये क्षेत्रों का विवरण अंकित करेंगे।
- कुष्ठ कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में कार्यरत **सी0एच0ओ0** का सहयोग संदिग्ध कुष्ठ रोगी को खोजे जाने हेतु किया जायेगा।
- खोजे गये संदिग्ध कुष्ठ रोगियों की पुष्टि चिकित्साधिकारियों द्वारा की जायेगी, इसकी प्रविष्टि **ई–कवच पोर्टल** पर होने से पूर्व कुष्ठ रोगियों का सत्यापन जिला कुष्ठ नाभिकीय टीम के द्वारा किया जायेगा।
- सभी जनपदों द्वारा तैयार की जाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट को **निकुष्ठ पोर्टल** पर भी ससमय अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

कुष्ठ रोगियों की खोज एवं प्रबन्धन– इस कार्य में आशा का सहयोग लिया जाना है प्रत्येक कुष्ठ रोगी (रोग मुक्त/उपचाराधीन) के परिवार जनों एवं आस–पास के दस (10) घरों में एवं उनके निकट संपर्क में रहने वाले प्रत्येक सदस्य (वयस्क/अवयस्क व्यक्तियों) का सघन परीक्षण (कुष्ठ रोगी खोजने के लिए) करेंगे ताकि इस वित्तीय वर्ष 2023–24 में कोई भी हेल्दी हाउस होल्ड कान्टेक्ट परीक्षण हेतु शेष

न रहे एवं शीघ्र संदिग्ध कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति की खोज एवं उपचार कर विकलांगता से बचाया जा सके इसके अतिरिक्त Post Exposure Propylaxis के अन्तर्गत सभी हेल्दी कान्टेक्टस को (Exclusion & Inclusion Criteria के आधार पर) R-CIN की Single Dose दी जायेगी तथा इसके लिए समस्त स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग लिया जाये।

1. **सघन कुष्ठ रोगी खोज एवं निगरानी अभियान (ACD&RS) के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के उपयोग किये जाने हेतु वित्तीय दिशा–निर्देशः– (Allocated Budget Rs 161472175.00)**

1.1 एफ0एम0आर0 मद संख्या NDCP.3.69.ASHA.4&Case Detection and Management- ASHA Incentive– इस मद में जनपदों को कुल धनराशि रू0 1323.55 लाख का आवंटन किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक टीम में कार्य करने वाले M/F, FLW वर्कर को रू0 1000/– प्रति FLW की दर से प्रोत्साहन राशि का आवंटन किया गया है। आशा सुपरवाईजर/फैसीलीटेटर हेतु 10 प्रतिशत प्रति आशा की दर से प्रोत्साहन राशि देय होगी।

1.2 एफ0एम0आर0 मद संख्या NDCP.3.69.CB&Case detection and Management- Capacity Building– इस मद में जनपदों को कुल धनराशि रू0 58.24 लाख का आवंटन किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक टीम में कार्य करने वाले M/F, FLW वर्कर के संवेदीकरण (Sensitization) हेतु रू0 100 प्रति टीम की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है, इस धनराशि से प्रत्येक टीम के अल्पाहार की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इसके अन्तर्गत सघन कुष्ठ रोगी खोज एवं निगरानी अभियान की योजना बनाये जाने एवं उसके सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

1.3 एफ0एम0आर0 मद संख्या NDCP.3.69.IEC&Case detection and Management- IEC & Printing-इस मद में जनपदों को कुल धनराशि रू0 232.93 लाख का आवंटन किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक टीम हेतु हाउस होल्ड जांच रजिस्टर, रेफरल स्लिप एवं सर्टिफिकेट इत्यादि की प्रिन्टिंग हेतु व्यय किये जायेंगे। उक्त सभी प्रिन्टिंग मैटेरियल उच्च क्वालिटी के होंगे। रजिस्टर आगामी तीन वर्षों तक उपयोग में लाये जाने योग्य होने चाहिए। हाउस होल्ड रजिस्टर के कवरिंग पेज पर अन्दर दांयी तरफ संलग्न प्रश्नोत्तरी भी अनिवार्य रूप से चिपकायी जाये। समस्त व्यय नियमानुसार किये जायेंगे।

2. **Support to institute for RCS- (NDCP.3.70.OOC- DPMR Services: Reconstructive surgeries-Other Operating Cost) (Allocated Budget Rs 10000.00)**- किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में रिकान्स्ट्रक्टिव सर्जरी करने के निमित्त औषधि, मरहम पट्टी एवं एड एण्ड एपलायन्स आदि के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को वहन करने हेतु रू0 5,000/– प्रति रोगी (कुल 5 रोगी हेतु) की दर से संस्था को जिला कुष्ठ अधिकारी, लखनऊ धनराशि उपलब्ध करायेंगे एवं कार्य का नियमित मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, समीक्षा करेंगे तथा भौतिक प्रगति एवं इस मद में प्रत्येक माह होने वाले व्यय का विवरण राज्य स्तर पर प्रत्येक माह भेजा जायेगा।

3. **Welfare allowance for RCS patients-(NDCP.3.70.DBT- DPMR Services: Reconstructive surgeries-DBT)- @Rs.8000/- per patient (Allocated Budget Rs 776000.00) :-** जनपद आगरा, लखनऊ, अयोध्या एवं प्रयागराज जहॉ रिकान्स्ट्रक्टिव सर्जरी केन्द्र स्थित है। अतः जनपद आगरा, लखनऊ, अयोध्या एवं प्रयागराज में आर0सी0एस0 कराने वाले कुष्ठ रोगियों के लिए Loss of Wages मद में धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

   रिकान्स्ट्रक्टिव सर्जरी कराने वाले प्रत्येक रोगी को चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो (irrespective of their financial status) प्रति रोगी को रू0 8000.00 तीन किश्तों में जिस जनपद में आर0सी0एस0 संस्थान स्थित है, वहॉ के जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना है। प्रथम किस्त डिस्चार्ज के समय रू0 4000.00, उसके पश्चात् फॉलोअप हेतु एक माह उपरान्त रोगी के उपस्थित होने पर द्वितीय किस्त रू0 2000.00, तृतीय किस्त रोगी के तीन माह पश्चात् रोगी के उपस्थित होने पर रू0 2000.00 प्रदान किया जायेगा।

4. **Incentive to ASHA-(NDCP.3.69.ASHA.1- Case detection and Management- ASHA Incentive) Detection (Allocated Budget Rs 314250.00)** - नये कुष्ठ रोगी जिनमें विकलांगता के लक्षण नहीं हो, को आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति (Volunteer) द्वारा जॉच हेतु सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सालय में लाने पर एवं कुष्ठ रोग की पुष्टि होने पर रू0 250/– मानदेय दिया जायेगा, और यदि ऐसे रोगी में विकलांगता परिलक्षित है, तो मानदेय धनराशि रू0 200/– दी जायेगी। इस योजना का प्रचार–प्रसार आई0ई0सी0 मद के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाये। आशा (कुल 5028 आशाओं हेतु) इन रोगियों को नियमित औषधि सेवन के लिए प्रेरित एवं सहयोग करेंगी ।

   आशाओं की सहभागिताः– क्षेत्र में जन सम्पक एवं महिला मण्डल आदि की बैठकों में जनता को

कुष्ठ रोग के लक्षण एवं उपचार आदि की जानकारी आशाओं द्वारा दिया जाना है। संदिग्ध कुष्ठ रोगी मिलने पर आशा उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र (जिला चिकित्सालय, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0, हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर आदि) पर जॉच एवं उपचार हेतु ले जायेंगी। क्षेत्र में उपचार ले रहे कुष्ठ रोगियों से सम्पर्क स्थापित करके उन्हें नियमित औषधि सेवन हेतु प्रेरित भी करेंगी। आशा कुष्ठ रोगियों के निकट सम्पर्क में रहने वाले व्यक्तियों को कुष्ठ के प्रारम्भिक लक्षण की जानकारी देगी।

5. **PB (Treatment Completion)- (NDCP.3.69.ASHA.2-Case detection and Management- ASHA Incentive) (Allocated Budget Rs 301500.00)–** आशा द्वारा कुष्ठ रोगियों को निर्धारित तिथि पर उपचार हेतु सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सालय में नियमित रूप से जॉच एवं उपचार कराने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी द्वारा कुष्ठ रोगी को निर्धारित अवधि में रोग मुक्त (आर0एफ0टी0) घोषित किये जाने पर **केवल आशा को ही**प्रति पॉसी बैसीलरी कुष्ठ रोगी के लिए रू0 400/– मानदेय दिया जायेगा। **कुष्ठ रोगी के केस कार्ड एवं ट्रीटमेन्ट रजिस्टर पर प्रेरक के नाम का अंकन अवश्य किया जाये।** (अधिकतम कुल 3015 रोगियों हेतु)
6. **MB (Treatment Completion)- (NDCP.3.69.ASHA.3-Case detection and Management- ASHA Incentive) (Allocated Budget Rs 302000.00)–** आशा कुष्ठ रोगियों को निर्धारित तिथि पर उपचार हेतु सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सालय में नियमित रूप से जॉच एवं उपचार कराने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी द्वारा कुष्ठ रोगी को निर्धारित अवधि में रोग मुक्त (आर0एफ0टी0) घोषित किये जाने पर केवल आशा को ही प्रति मल्टी बेसीलरी के लिए रू0 600/– मानदेय दिया जायेगा। कुष्ठ रोगी के केस कार्ड एवं ट्रीटमेन्ट रजिस्टर पर प्रेरक के नाम का अंकन अवश्य किया जाये। (अधिकतम कुल 2013 रोगियों हेतु)
7. **MCR Protective Footwear:(NDCP.3.70.EQ.1- DPMR Services: Reconstructive surgeries-Equipment) (Allocated Budget Rs 1137750.00)-** कुष्ठ प्रभावित पैर में सुन्नता वाले व्यक्तियों को अल्सर से बचाने हेतु एम0सी0आर0 फुट वियर के क्रय हेतु रू0 400/–प्रति पेयर धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। उनमें से कुछ संस्थाएं जो एम0सी0आर0 फुटवियर तैयार करती हैं, उनसे वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त क्रय किया जा सकता है–
   1. The Leprosy MissionNaini, Allahabad, (Phone No. 0532 2697267)
   2. ALERT- INDIA, Association for Leprosy Education, Rehabilitation and Treatment- India, B-9, Mira Mansion, Sion (W), Mumbai- 400 022 email ID: alert@bom5.vsnl.net.in, alertmcr03@rediffmail.com (Phone No. 022 24033081-2, 022 24072558)
   3. Sant Ravidas Charm Shilp Vikash avam Anushandhan Kendra Gawalior, Kambal Kendra Parisar, Gol Paharian Lashkar Gawalior, M.P. Fax 0751-2455454
   4. Bhim leather Company, address- 102/97 Gajjupurwa jajmau, Kanpur-08010 Phone No.- 09415153923, 09454949637 , email- bhimleathercompany@gmail.com
   5. Arise Global Health Care (Hitanshu: 9810307159, 9811647920) Email: ariseglobalhealthcare@gmail.com
   6. Aristotal Medical Incorporation, Shop No.2, Kashi Parekh Flats: Near Panchshil Bus Stop-18, Shantinagar, Vishvakosh Marg, Usmanpura, Ahmedabad-380013,
      Email: aristotalmedicalinc@gmail.com, M-9327068607, 9925872375
   7. PROFOMA (A Unit of GLRA India) Buliding No. D-375, 4th Floor, Near Vivekanand School, Anand Vihar., New Delhi-110092, Tel 011-43060990, (Ravi Krishnan-9773587500, 8118877195, Email: ravi.profoma@gmail.com)
   8. BALAJI CORPORATION , 102/97, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur- 208010 (UP) Mobile No. 9170007814, 7309228777,
      Email ID: balajicorporationmcrfootwear@gmail.com
   9. TLM COMMUNITY HOSPITAL AYODHYA, Moti Nagar, Ayodhya, 224201 U.P. Phone No. 9336323212, email Id : bino.berry@leprosymission.in, faizabad@leprosymission.in, website: www.leprosymission.in

8. **Supportive Drugs lab Reagent-(NDCP.3.69.DI-Case detection and Management-Daignostics) (Allocated Budget Rs 3600000.00)-** वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस मद में कुल धनराशि रू0 36,00,000/–का आवंटन जनपदों को किया गया है। कुष्ठ रोगियों में होने वाली विभिन्न प्रकार की जटिलताओं के लिए निम्न औषधियों का क्रय किया जाना है– Rifampicin, Prednisolone, Clofazimine,Asprine, Acriflavin Powder, Cotton, Roller bandage , Scissors, Adhesive plaster, Zinc Tapes, Vaseline, Splints of various types Antibiotic ointment, Atropine

eye ointment, Chloramphenicol eye applicaps, Antibiotic Eye drops, Prednisolone eye drops, pumice stone etc.

9. **Printing Works-(NDCP.3.72.IEC.2- Other NLEP Components - IEC & Printing) (Allocated Budget Rs 375000.00)** - इस मद में एन0एल0ई0पी0 के एस0आई0एस0 एवं डी0पी0एम0आर0 के आवश्यक प्रपत्रों एव अभिलेखों के प्रकाशन हेतु धनराशि रू0 20000/– प्रति जनपद आवंटित की गयी है–

• Patients Case Card	• Identity Card-For Patients
• Sensory Assessment Card	• Monthly Progress Report Page-1 And 2 (Annexure)
• Disability Assessment Card	• MDT Stock Indent Forms
• Prednisolone Card	• MDT Stock Register
• Disability Register	• Patient Treatment Register
• Lepra Reaction & Neuritis Register	• ANM/ASHA Referral Slip Booklet
• Referral Slips	• ASHA Payment Slip
• Referral Register	• Asha Case Detection Register
• Register For Other Cases	• Any Other As Required.

10. **Any other (MDT drug warehouse)- (NDCP.3.72.OOC-Other NLEP Components -OOC) (Allocated Budget Rs 150000.00)** एम0डी0टी0 के रख रखाव हेतु जनपद बाराबंकी में संचालित एम0डी0टी0 ड्रग हाउस के लिये 12 माह हेतु किराये की कुल धनराशि रू0 6,00,000/– का प्राविधान है।
11. **Mobility Support: District Cell-(NDCP.3.72.PME.5-Other NLEP Components -Planning & M&E) (Allocated Budget Rs 2812500.00)** - जनपद स्तर पर एक वाहन के संचालन हेतु वाहन अनुरक्षण (रख–रखाव) एवं डीजल क्रय मद में रू0 75,000/– की धनराशि प्रत्येक जनपद को आवंटित की गयी है।
12. **Office operation & Maintenance - District Cell–(NDCP.3.72.PME.9-Other NLEP Components -Planning & M&E) (Allocated Budget Rs 656250.00)** कार्यालय का रेन्ट, दूरभाष, इन्टरनेट डाक व्यय आदि, मद में व्यय हेतु रू0 26,250/– की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जनपद को आवंटित की गयी है।
13. **District Cell- Consumables-(NDCP.3.72.PME.10-Other NLEP Components -Planning & M&E) (Allocated Budget Rs 562500.00)** इस मद में रू0 30,000/– की धनराशि लेखन सामग्री, कार्यालय उपयोग समाग्री एवं अन्य कंज्यूमेबिल के क्रय हेतु समस्त जनपद को आवंटित की गयी है।
14. **Review meeting- (NDCP.3.72.PME.1-Other NLEP Components -Planning & M&E) (Allocated Budget Rs 1925000.00)** इस मद में रिव्यू बैठक हेतु चालू वित्तीय वर्ष में रू0 25,000/– प्रति बैठक की दर से 02 बैठकों हेतु प्रत्येक जनपद को रू0 50,000 की धनराशि आवंटित की गयी है। बैठक में जिलाधिकारी अथवा नामित प्रतिनिधि एवं मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में जिला कुष्ठ अधिकारी, जिला कुष्ठ सलाहकार, चिकित्साधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट, एन0एम0ए0, एन0एम0एस0 एवं कुष्ठ कार्यक्रम में कार्यरत पैरामेडिकल स्टाफ प्रतिभाग करेंगे तथा प्रत्येक बैठक की कार्यवृत्ति राज्य कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

संविदा मानव संसाधन (Human Resource)–राज्य एवं जनपद स्तर पर कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु संविदा कर्मियों की सेवायें भारत सरकार के टर्म आफ रेफरेन्स के आधार पर संचालित रहेंगी।

District Leprosy Consultant-(HSS.9.184.C.P291)

उच्च प्राथमिकता वाले निम्नलिखित 45 चयनित जनपदों मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के दिशा निर्देशानुसार संविदाधीन District Leprosy Consultant के एक वर्ष सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत का इन्क्रीमेन्ट वित्तीय वर्ष 2023–24 में देय होगा।

1–प्रयागराज (इलाहाबाद), 2–अम्बेडकर नगर, 3–अमरोहा, 4– औरैया, 5– आजमगढ़, 6–बदायूँ, 7–बहराइच,8–बलिया, 9–बलरामपुर, 10–बाराबंकी, 11–बरेली, 12–बस्ती, 13–बिजनौर, 14–चंदौली, 15–देवरिया, 16–अयोध्या(फैजाबाद), 17–फतेहपुर, 18–गाजीपुर, 19–गोरखपुर, 20–हमीरपुर, 21–हरदोई, 22–जालौन (उरई), 23–जौनपुर, 24–कन्नौज, 25–कानपुर देहात, 26–कानपुर नगर,

27–कौशाम्बी, 28–लखीमपुर खीरी, 29–कुशीनगर, 30–लखनऊ, 31–महराजगंज, 32–महोबा, 33–मऊ, 34–मिर्जापुर, 35–मुरादाबाद, 36–पीलीभीत, 37–रायबरेली, 38–रामपुर, 39–संतरविदास नगर, 40–शाहजहॉपुर, 41–श्रावस्ती, 42–सिद्धार्थ नगर 43–सीतापुर, 44–सोनभद्र, 45–उन्नाव।

उपरोक्त जनपदों में से 34 जनपदों में कार्यरत संविदा District Leprosy Consultant के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 171.61 लाख आवंटित की गयी है।

Physiotherapist-(HSS.9.184.C.S0086)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के दिशा निर्देशानुसार एक वर्ष सेवा पूर्ण होने पर Physiotherapist को प्रत्येक वर्ष की भॉति इस वित्तीय वर्ष 2023–24 में भी एक वर्ष सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत का इन्क्रीमेन्ट देय होगा :–

1–प्रयागराज (इलाहाबाद), 2–अम्बेडकर नगर, 3–अमरोहा, 4–औरैया, 5–आजमगढ़, 6–बदायूँ, 7–बहराइच, 8–बलिया, 9–बलरामपुर, 10–बाराबंकी, 11–बरेली, 12–बस्ती, 13–बिजनौर, 14–चंदौली, 15–देवरिया, 16–अयोध्या (फैजाबाद), 17–फतेहपुर, 18–गाजीपुर, 19–गोरखपुर, 20–हमीरपुर, 21–हरदोई, 22–जालौन (उरई), 23–जौनपुर, 24–कन्नौज, 25–कानपुर देहात, 26–कानपुर नगर, 27–कौशाम्बी, 28–लखीमपुर खीरी, 29–कुशीनगर, 30–लखनऊ, 31–महराजगंज, 32–महोबा, 33–मऊ, 34–मिर्जापुर, 35–मुरादाबाद, 36–पीलीभीत, 37–रायबरेली, 38–रामपुर, 39–संतरविदास नगर, 40–शाहजहॉपुर, 41–श्रावस्ती, 42–सिद्धार्थ नगर 43–सीतापुर, 44–सोनभद्र, 45–उन्नाव।

उपरोक्त 45 चयनित जनपदों में से 38 जनपदों में कार्यरत Physiotherapist के मानदेय हेतु डैप में कुल धनराशि रू0 167.34 लाख आवंटित की गयी है।

Others (PMW)-(HSS.9.184.C.S0099)

SN	Name of District	Sanctioned Positions of PMW	SN	Name of District	Sanctioned Positions of PMW
1	Agra	2	38	Siddharth Nagar	6
2	Mainpuri	1	39	Sant Kabir Nagar	1
3	Mathura	1	40	Gonda	1
4	Firozabad	1	41	Bahraich	14
5	Aligarh	2	42	Shravasti	1
6	Hathras	1	43	Balrampur	5
7	Etah	1	44	Barabanki	14
8	Kasganj	2	45	Amethi	1
9	Allahabad	3	46	Faizabad	3
10	Kaushambi	8	47	Ambedkarnagar	4
11	Fatehpur	9	48	Sultanpur	1
12	Pratapgarh	2	49	Lucknow	6
13	Banda	2	50	Sitapur	19
14	Chitrakoot	0	51	Raebarely	10
15	Hamirpur	1	52	Kheri	15
16	Mahoba	2	53	Unnao	12
17	Jhansi	2	54	Hardoi	19
18	Lalitpur	0	55	Bulandshahr	1
19	Jalaun	9	56	Ghaziabad	2
20	Kanpur Nagar	9	57	Gautam Buddha Ng.	1
21	Kanpur Dehat	8	58	Meerut	1
22	Etawah	1	59	Bagpat	1
23	Auraiya	5	60	Saharanpur	1
24	Farrukhabad	1	61	Muzaffamagar	1
25	Kannauj	7	62	Deoria	12
26	Rampur	5	63	Maharajganj	12
27	Moradabad	12	64	Kushinagar	11
28	Amroha	6	65	Gorakhpur	10
29	Bijnor	8	66	Mirzapur	7
30	Azamgarh	2	67	Sonbhadra	3
31	Ballia	13	68	St. Ravidas Nagar	2
32	Mau	7	69	Jaunpur	9
33	Bareilly	14	70	Ghazipur	14
34	Badaun	17	71	Chandauli	5
35	Pilibhit	6	72	Varanasi	2
36	Shahjhanpur	14	73	Sambhal	1
37	Basti	4	74	Hapur	1
			75	Shamli	1
				District Total	**418**

नोट :–

1. उपरोक्त समस्त मदों के व्यय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के वित्तीय दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. व्यय की जाने वाली समस्त धनराशियों का अनिवार्य रूप से FAMS पर व्यय इंगित कराना तथा वार्षिक उपभोग प्रमाण पत्र राज्य मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

नोटः– यह पृष्ठ टीम को दिये गये हाउस होल्ड रजिस्टर के कवरिंग पेज पर अन्दर बांयी तरफ चिपकाया जायेगा।

सघन कुष्ठ रोगी खोज एवं नियमित निगरानी (ACD&RS) **गतिविधि के अन्तर्गत घर–घर जाने वाली टीम (आशा, पुरूष कार्यकर्ता) द्वारा संदिग्ध कुष्ठ रोगी की** ***पहचान हेतु पूंछे जाने वाले प्रश्न–***

1.	क्या आपकी त्वचा पर दाग–धब्बे जिनमें आंशिक या पूर्ण रूप से सुन्नपन हैं ?
2.	क्या आपकी कोहनी, घुटने या टखने में दर्द और झंझनाहट है ?
3.	क्या आपको गर्म या ठण्डे का ऐहसास होता है ?
4.	क्या आपकी हथेली अथवा पैर के तलवे या दोनो में सुन्नपन है ?
5.	क्या आपके हाथ अथवा पैर या दोनो में सुन्नपन है ?
6.	क्या आपको किसी भी वस्तु को हाथों से पकडने व उठाने पर कमजोरी अथवा किसी वस्तु को पकडने व उठाने पर छूट जाता है ?
7.	क्या आपके हाथ अथवा पैर की उंगलियों में झंझनाहट है ?
8.	क्या आपके पैरों में कमजोरी अथवा चलते समय जूतों या चप्पलों का निकल जाते हैं ?
9.	क्या आपकी शरीर में कहीं नसे मोटी या महसूस होती हैं ?

नोटः–यह पृष्ठ टीम को दिये गये हाउस होल्ड रजिस्टर के कवरिंग पेज पर अन्दर दांयी तरफ चिपकाया जायेगा।

सघन कुष्ठ रोगी खोज एवं नियमित निगरानी (ACD&RS) **गतिविधि के अन्तर्गत घर–घर जाने वाली टीम (आशा, पुरूष कार्यकर्ता) द्वारा संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पहचान के लिए जो संदिग्ध के** ***शरीर/ देह का परीक्षण*** **किया जाना है–**

1.	त्वचा के रंग में कोई भी परिवर्तन (त्वचा पर लाल या फीके रंग का धब्बा) साथ ही उसमें पूर्ण रूप से सुन्नपन अथवा सुन्नपन का अहसास होता है।
2.	चमकीली व तैलीय त्वचा।
3.	कर्ण पल्लव का मोटा होना/ कर्ण पल्लव पर गांठे/त्वचा पर गांठे।
4.	नेत्रों को बन्द करने में दिक्कत या नेत्रों से पानी आना ।
5.	भौहों का खत्म होना।
6.	हाथों में घाव या दर्द रहित घाव अथवा हथेली पर छाले।
7.	कमीज या जैकेट के बटन बन्द करने में असमर्थता।
8.	हाथ या पैर की उंगलियाँ मुड तो नहीं गई हैं।
9.	फूट ड्रोप अथवा चलते समय पैर घसिटते तो नहीं हैं।

FMR 1.1.5.4 Case detection & Management-Specific -plan for Early case detection ACDRS 2023-24 Budget sheet (Rural + Urban blocks)

S.No.	Name of District	No. of Teams	M/F FLW @ Rs. 1000/- for each member of team (If PR > 1 activity will be two time in a year and PR < 1 activity will be 1 time in a year)	ASHA Supervisor (10% of Total ASHA incentive)	TOTAL (Incentive M/F FLW and Supervisor)	100 Rs/ Team training	(House Hold level screening registers, referral slips and Certificates) @Rs.400 / Team	Total Amount in Rupees
FMR			NDCP.3.69.ASHA.4			NDCP.3.69.CB	NDCP.3.69.IEC	
	Total Amount		132355375			5824000	23292800	161472175
1	2	3	4	5	Total (4 +5)	6	7	8
1	AGRA	1293	2587000	129350	2716350	129350	517200	3362900
2	ALIGARH	831	1795000	89750	1884750	83100	332400	2300250
3	AMBEDKAR NAGAR	708	1417000	70850	1487850	70850	283200	1841900
4	AMETHI	413	918000	45900	963900	41325	165200	1170425
5	AURAIYA	406	812000	40600	852600	40600	162400	1055600
6	AYODHYA	672	1345000	67250	1412250	67250	268800	1748300

FMR 1.1.5.4 Case detection & Management-Specific -plan for Early case detection ACDRS 2023-24 Budget sheet (Rural + Urban blocks)								
S.No.	Name of District	No. of Teams	M/F FLW @ Rs. 1000/- for each member of team (If PR > 1 activity will be two time in a year and PR < 1 activity will be 1 time in a year)	ASHA Supervisor (10% of Total ASHA incentive)	TOTAL (Incentive M/F FLW and Supervisor)	100 Rs/ Team training	(House Hold level screening registers, referral slips and Certificates) @Rs.400 / Team	Total Amount in Rupees
FMR			NDCP.3.69.ASHA.4			NDCP.3.69.CB	NDCP.3.69.IEC	
	Total Amount		132355375			5824000	23292800	161472175
1	2	3	4	5	Total (4 +5)	6	7	8
7	AZAMGARH	1364	2727500	136375	2863875	136375	545600	3545850
8	BAGHPAT	384	768500	38425	806925	38425	153600	998950
9	BAHRAICH	1027	2610500	130525	2741025	102750	410800	3254575
10	BALLIA	952	1993500	99675	2093175	95250	380800	2569225
11	BALRAMPUR	635	1270000	63500	1333500	63500	254000	1651000
12	BANDA	531	1063000	53150	1116150	53150	212400	1381700
13	BARABANKI	962	2186000	109300	2295300	96250	384800	2776350
14	BAREILLY	1319	2764000	138200	2902200	131950	527600	3561750
15	BASTI	727	1454500	72725	1527225	72725	290800	1890750
16	BIJNOR	1088	2175500	108775	2284275	108775	435200	2828250
17	BUDAUN	1096	2193000	109650	2302650	109650	438400	2850700
18	BULANDSHAHAR	1033	2066500	103325	2169825	103325	413200	2686350
19	CHANDAULI	577	1207500	60375	1267875	57700	230800	1556375
20	CHITRAKOOT	293	621000	31050	652050	29275	117200	798525
21	DEORIA	916	1930500	96525	2027025	91575	366400	2485000
22	ETAH	521	1124000	56200	1180200	52075	208400	1440675
23	ETAWAH	416	832500	41625	874125	41625	166400	1082150
24	Farrukhabad	557	1114500	55725	1170225	55725	222800	1448750
25	FATEHPUR	778	1660000	83000	1743000	77850	311200	2132050
26	FIROZABAD	554	1108000	55400	1163400	55400	221600	1440400
27	Gautam Buddha Nagar	494	988500	49425	1037925	49425	197600	1284950
28	GHAZIABAD	886	1772000	88600	1860600	88600	354400	2303600
29	GHAZIPUR	1070	2140500	107025	2247525	107025	428000	2782550
30	GONDA	1013	2027000	101350	2128350	101350	405200	2634900
31	GORAKHPUR	1311	2622000	131100	2753100	131100	524400	3408600
32	HAMIRPUR	292	584000	29200	613200	29200	116800	759200
33	HAPUR	568	1137000	56850	1193850	56850	227200	1477900
34	HARDOI	1209	2546000	127300	2673300	120875	483600	3277775
35	HATHRAS	410	820500	41025	861525	41025	164000	1066550
36	JALAUN	494	1173000	58650	1231650	49425	197600	1478675
37	JAUNPUR	1299	2597500	129875	2727375	129875	519600	3376850
38	JHANSI	591	1182000	59100	1241100	59100	236400	1536600
39	Amroha (JP Nagar)	543	1230000	61500	1291500	54325	217200	1563025
40	KANNAUJ	490	980000	49000	1029000	49000	196000	1274000
41	KANPUR DEHAT	531	1211500	60575	1272075	53100	212400	1537575
42	KANPUR NAGAR	1350	2989000	149450	3138450	134975	540000	3813425
43	KASGANJ	399	799000	39950	838950	39950	159600	1038500
44	KAUSHAMBI	472	1051500	52575	1104075	47175	188800	1340050
45	Kushinagar	1052	2103500	105175	2208675	105175	420800	2734650
46	Lakhimpur Kheri	1186	3511000	175550	3686550	118575	474400	4279525
47	LALITPUR	360	794000	39700	833700	35975	144000	1013675
48	LUCKNOW	1354	2842000	142100	2984100	135375	541600	3661075
49	MAHARAJGANJ	787	2330000	116500	2446500	78725	314800	2840025
50	MAHOBA	259	518000	25900	543900	25900	103600	673400
51	MAINPURI	546	1092000	54600	1146600	54600	218400	1419600
52	MATHURA	735	1470000	73500	1543500	73500	294000	1911000
53	MAU	651	1302500	65125	1367625	65125	260400	1693150
54	MEERUT	1018	2624500	131225	2755725	101850	407200	3264775
55	MIRZAPUR	737	1541000	77050	1618050	73750	294800	1986600
56	MORADABAD	819	2265500	113275	2378775	81875	327600	2788250
57	MUZAFFAR NAGAR	632	1263500	63175	1326675	63175	252800	1642650
58	PILIBHIT	601	1332000	66600	1398600	60150	240400	1699150
59	PRATAPGARH	937	1875000	93750	1968750	93750	374800	2437300
60	PRAYAGRAJ	1760	3519500	175975	3695475	175975	704000	4575450
61	RAEBARELI	1006	2011500	100575	2112075	100575	402400	2615050
62	RAMPUR	690	1379500	68975	1448475	68975	276000	1793450
63	SAHARANPUR	1023	2045500	102275	2147775	102275	409200	2659250
64	SAMBHAL	524	1412500	70625	1483125	52400	209600	1745125

FMR 1.1.5.4 Case detection & Management-Specific -plan for Early case detection ACDRS 2023-24 Budget sheet (Rural + Urban blocks)								
S.No.	Name of District	No. of Teams	M/F FLW @ Rs. 1000/- for each member of team (If PR > 1 activity will be two time in a year and PR < 1 activity will be 1 time in a year)	ASHA Supervisor (10% of Total ASHA incentive)	TOTAL (Incentive M/F FLW and Supervisor)	100 Rs/ Team training	(House Hold level screening registers, referral slips and Certificates) @Rs.400 / Team	Total Amount in Rupees
FMR			NDCP.3.69.ASHA.4			NDCP.3.69.CB	NDCP.3.69.IEC	
	Total Amount		132355375			5824000	23292800	161472175
1	2	3	4	5	Total (4 +5)	6	7	8
65	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	459	918000	45900	963900	45900	183600	1193400
66	SANT KABIR NAGAR	506	1012500	50625	1063125	50625	202400	1316150
67	SHAHJAHANPUR	886	2682500	134125	2816625	88650	354400	3259675
68	Shamli	590	1180500	59025	1239525	59025	236000	1534550
69	Shrawasti	329	904500	45225	949725	32900	131600	1114225
70	SIDDHARTH NAGAR	755	1509750	75475	1585225	75400	302000	1962625
71	SITAPUR	1322	3877000	193850	4070850	132175	528800	4731825
72	SONBHADRA	550	1487500	74375	1561875	55050	220000	1836925
73	SULTANPUR	677	1355000	67750	1422750	67750	270800	1761300
74	UNNAO	919	2123000	106150	2229150	91925	367600	2688675
75	VARANASI	1087	2174000	108700	2282700	108700	434800	2826200
Total		58232	126052750	6302625	132355375	5824000	23292800	161472175

Sparsh Leprosy Elimination Campaign

Post Exposure Prophylaxis गाइड लाइन (यह गतिविधि सभी जनपदों में की जानी है। उक्त गतिविधि कराये जाने के लिये धनराशि व्यय किये जाने हेतु पृथक से निर्देश प्रेषित किये जायेंगे।)

पृष्ठभूमि

हैनसेन बेसीलस (मायकोबैकटीरियम लेप्रे) को उच्च संक्रामकता और कम रोग जनकता और विषैला सूक्ष्म जीव माना जाता है। यह संक्रमित रोगियों के Nasal oropharyngeal स्त्राव और त्वचा में दरार के माध्यम से संक्रमण फैलाता है। इसलिए इसके संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा इन रोगियों के साथ रहने वालों को होता है। यह अनुमान है कि अधिकांश व्यक्तियों में मायकोबैकटीरियम लेप्रे के लिए एक प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता होती व जिनमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। वही लोग इस बिमारी के गम्भीर रूप को विकसित करने की सम्भावना रखते हैं। जैसे कि मल्टी बेसिलरी (एम0बी0) से प्रभावित व्यक्ति, अति संवेदनशील व्यक्ति जो एम0बी0 रोगियों के सम्पक में रहने पर संक्रमित हो जाते हैं।

Post Exposure Chemoprophylaxis (PEC)

पी0ई0पी0 एक निवारक चिकित्सा उपचार है जोकि रोगी के संपर्क में आने के तुरन्त बाद शुरू किया जाता है। यह रोग कारक के द्वारा होने वाले रोग के संक्रमण के रोकथाम के उद्देश्य से किया जाता है। कुष्ठ रोग के संक्रमण से बचने के लिए मुख्यतः उन लोगों जोकि रोगी के साथ सीधे सम्पक में रहते हैं उन्हें निवारक रणनीति के अन्तर्गत दवाई दी जाती है। वर्ष 2015 में दादरा और नागर हवेली में Rifampicin का परीक्षण कुष्ठ रोगियों के सम्पक में आने वाले व्यक्तियों में Chemoprophylaxis के रूप में किया गया था जोकि अत्यन्त प्रभावकारी रहा।

कुष्ठ रोग से संक्रमण मुख्यतः नये व अनुपचारित रोगियों के सम्पक में आने से होता है। नये कुष्ठ रोगी सामान्यता जनसंख्या की तुलना में नये कुष्ठ रोगियों के घरेलु सम्पर्कों में 10 गुना अधिक है और विभिन्न श्रेणियों के पडोसियों और सामाजिक संपर्कों में कुष्ठ रोग की सम्भावना तीन और पांच के बीच है इसलिए भविष्य में कुष्ठ रोग नियंत्रण रणनीति पर मुख्य ध्यान केन्द्रीत होनी चाहिए।

Post Exposure Chemoprophylaxis किसी भी निवारक चिकित्सा उपचार को नये रोगी से सम्पक के तुरन्त बाद शुरू किया जाता है, ताकि रोगी और रोग के संक्रमण को रोका जा सके। कुष्ठ रोग में प्रतिरक्षात्मक रणनीति में बीमारी से संक्रमित होने वाले लोगों में एम0 लेप्रे द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए Rifampicin दवा दी जाती है। 2015 में दादरा और नागर हवेली में किए गए कुष्ठ

रोगियों के कान्टेक्स के लिए Rifampicin का इस्तेमाल में Chemoprophylaxis के रूप में प्रयोग किया था। जो अत्यन्त प्रभावकारी रहा।

एक मेटा विश्लेषण में कुल 66311 प्रतिभागियों के साथ आर.सी.टी. के सारांश में यह निष्कर्ष निकाला गया कि बीमारियों का निदान करने वाले रोगियों के सम्पर्कों में कुष्ठ रोग की घटनाओं को कम करने में Chemoprophylaxis प्रभावी है। Chemoprophylaxis ने कुष्ठ रोग के खिलाफ 60 प्रतिशत सुरक्षा प्रदान की।

प्रदेश के समस्त जनपदों में जितने भी नये कुष्ठ रोगी खोजे जा रहे हैं, उनके सभी हेल्दी कान्टेक्टस (03 घर सामने, 03–03 घर दायें–बायें एवं रोगी का स्वयं का घर कुल 10 घरों में) को पोस्ट एक्पोजर प्रोफाइलेक्सिस के अन्तर्गत नीचे दिये गये Inclusion & Exclusion Criteria के आधार पर Rifampicin की एकल खुराक अपने सामने दी जानी है। दी जाने वाले डोज निम्नलिखित है :–

- 35 किलो से अधिक वजन हेतु 600 एम0जी0
- 20 से 35 किलो से अधिक वजन हेतु 450 एम0जी0
- 20 किलो से कम वजन हेतु 10 से 15 एम0जी0 प्रति किलोग्राम

पात्रता मानदंड

जिन्हें Rifampicin **दी जानी है** (Inclusion Criteria)] विवरण निम्नवत् है–

1. एक व्यक्ति जो पिछले 1 वर्ष में कुष्ठ रोग के नए खोजे गये कुष्ठ रोगी के साथ तीन माह से अधिक और 20 घण्टे प्रति सप्ताह के लिए सामाजिक गतिविधियां रखता/रह रहा है।
2. 02 वर्ष से अधिक आयु के कान्टेक्ट को ही Rifampicin दी जानी हैं।

जिन्हें Rifampicin **नहीं दी जानी है** (Exclusion Criteria) विवरण निम्नवत् है–

1. गर्भवती महिलाओं (पीईपी डिलीवरी के बाद दी जा सकती है)
2. पिछले दो वर्षों में किसी भी कारण से Rifampicin थेरेपी प्राप्त करने वाले लोग (उदाहरण के लिए तपेदिक (टी0बी0) या कुष्ठ उपचार या किसी दूसरे इन्डेक्स केस के संपर्क के रूप में Rifampicin ली हो।
3. यकृत विकारों के इतिहास वाले लोग (जिन्हें पीलिया, दांए तरफा पेट में दर्द और सूजन, पैरों और टखनों में सूजन, पीली रंग की मल) गुर्दे संबंधी विकार (जिनकें मूत्र उत्पादन में गिरावट, पैरों से सूजन और एंकल, जिनको उच्च बीपी हो)।
4. कुष्ठ रोगों के संभावित लक्षण या लक्षण वाले लोग।
5. क्षय रोग से ग्रसित व्यक्तियों जोकि उपचार ले रहे हों और जिन लोगों में टी0बी0 के सम्भावित लक्षण हों (जिन रोगियों में निम्न लक्षण हैं उनकी टी0बी0 के लिए जांच की जानी चाहिए– दो हफ्ते से अधिक समय तक खांसी, रात में पसीना, अस्पष्टीकृत बुखार, बजन का घटना।
6. तीव्र बुखार (बीमारी) के साथ व्यक्ति।

पोस्ट एक्स्पोजर प्रोफिलेक्सिस Rifampicin के साथ (डायरेक्ट ऑर्ब्जेड Rifampicin सुपरवाइज्ड (DORS)

एलसीडीसी के दौरान पाए गऐ मामले की पुष्टि के बाद, पी0एच0सी0 एम0ओ0उक्त सबसेंटर से सम्बंधित एमपीडब्ल्यू को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचित करेगा।

⇩

पी0एम0डब्लू0 आशा के साथ पुष्टि किये गये रोगी के घर का भ्रमण करेगा।

⇩

रोगी के घरेलू और करीबी सम्पर्कों को पहचान लिया जाएगा और कुष्ठ रोग के लिए जांच की जाएगी, किसी भी संदिग्ध को पुष्टि के लिए एम0ओ0 के पास भेजा जाएगा।

⇩

कुष्ठ रोग के संदिग्ध लोगों के अलावा सभी सम्पर्कों को किसी भी Exclusion criteria के आधार परचुना जायेगा।

⇩

Inclusion criteriadks पूरा करने वाले सम्पर्कों को रिफाम्पिसिन Chemoprophylaxis की एकल खुरादा दी जाएगी।

⇩

अगर संदिग्ध मामलों की पुष्टि हो जाती है तो उन्हें कुष्ठ रोगी के रूप में माना जाएगा और उन्हें एम.डी.टी. दिया जाएगा और उनके भी सम्पर्कों को पीईपी के लिए चिन्हित किया जायेगा।

⇩

यदि घर पर कोई सम्पक उपलब्ध नहीं है तो Exclusion criteria का मूल्यांकन पी0एम0डब्लू0 द्वारा पारिवारिक सदस्यों की सहायता से किया जायेगा और उसकी Prophylatic खुराक आशा को सौंप दी जायेगी। सभी मामलों में पीईपी की खुराक अपने सामने दी जायेगी।

सम्पर्क स्क्रीनिंग यदि Index case एक बच्चा है।

यदि Index case एक बच्चा (≥ 2 yrs और <14yrs) है, तो Eligibility Criteria for PEP (पी0ई0पी0 के लिए पात्रता मानदण्ड) में दिये गये सभी बिन्दुओं (Inclusion Criteria & Exclusion Criteria) पर अमल किया जायेगा। लेकिन इसके पहले रोगी बच्चे के साथ स्कूल में पढने वाले सहपाठियों जो उसके मोहल्ले में रहने वाले हैं उनके घर का भ्रमण किया जायेगा और कुष्ठ रोग के लिए उनकी जांच की जायेगी और पी0ई0पी0 के लिए उनकी पात्रता की जांच की जायेगी।

यदि घर पर सम्पक उपलब्ध नहीं है, तो व्यक्ति की पात्रता की जांच पी0एम0डब्लू0 द्वारा परिवार के सदस्यों से की जायेगी उसके बाद उस व्यक्ति से सम्बंधित पात्रता प्रारूप व Rifampicin की एकल खुराक आशा को दे दी जायेगी और आशा यह सुनिश्चित करेगी कि वह एकल खुराक उस व्यक्ति को दे दी जाये और उसका पात्रता प्रारूप भर दिया जाये और भरा हुआ प्रारूप पी0एम0डब्लू0 को जमा कर दिया जायेगा।

यदि किसी संदिग्ध को कुष्ठ रोग होने का संदेह है तो उस सम्पक को उसके निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा जाएगा।

यदि सम्पक को कुष्ठ रोग की पुष्टि होती है तो दिशा–निर्देशों के अनुसार मरीज का एम0डी0टी0 के साथ इलाज किया जाएगा। यदि कुष्ठ रोग नहीं है तो उसे सम्पर्क पी0ई0पी0 दिया जायेगा।

सुरक्षा/प्रतिकूल घटना प्रबन्धन (Adverse event management)

Rifampicin की एकल खुराके बाद प्रतिकूल घटनाएं शायद ही कभी होती हैं। सम्भवतः प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाएं पेट का खराब होना, सीने में जलन, उल्टी, सिरदर्द, उनींदापन, या चक्कर आना है तो मानक उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार प्रबंधित की जानी है। पी0एम0डब्लू0, अपने भ्रमण के दौरान लोगों को यह अवश्य बतायेगें कि इस दवा के कारण उनके मूत्र, पसीने, लार या आंसू का रंग लाल हो सकता है और इससे कोई हानि नहीं होती है।

एक प्रतिकूल घटना के मामले में प्रक्रिया

Rifampicin देने के उपरान्त यदि ऊपर बताये गये लक्षणों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया दिखायी देती है तो वह व्यक्ति पी0एच0सी0 के एम0ओ0 को रिपोर्ट करेगा। जोकि उसका प्रबन्धन करेगा या निकटतम अस्पताल में संदर्भित करेगा।

निगरानी और पर्यवेक्षण

कुष्ठ रोग के लिए Contact की स्क्रीनिंग चिकित्सा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में होगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि कान्टेक्ट के स्क्रीनिंग के दौरान Exclusoion and Incusion Criteria को उपयोग उचित ढंग से किया जा रहा है।चिकित्सा अधिकारीब्वदजंबज थ्वतउको स्वीकार और हस्ताक्षर करेगा और प्रतिकूल घटना प्रबन्धन के लिए जिम्मेदार होगा।

Rifampicin की खरीद

1. Rifampicin की खरीद जनपद स्तर पर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित/प्राविधानित धनराशि से नियमानुसार की जायेगी।
2. Rifampicin आवश्यक मात्रा की गणना एल0सी0डी0सी0 के दौरान खोजे गये रोगियों के अनुसार की जायेगी। (20 कान्टैक्ट प्रति केस)
3. स्टाक की गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना सबसे कम बोलीदाता के आधार पर आपूर्तिकर्ता का चयन करें।
4. आपूर्तिकर्ता को एक लिखित अनुरोध करें।
5. मात्रा की जांच करें, प्राप्त हुई औषधि की समाप्ति (Expiry) की जांच करें।
6. Rifampicin का रिकार्ड बनाए रखें।
7. औषधि को जनपद स्तर पर वितरित करें।

रिपोर्टिंग

फील्डस्तर पर पी0एम0डब्लू0 द्वारा डेटा संग्रह किया जायेगा और भरे हुए प्रारूप प्रत्येक दिन फील्ड या सबसेन्टर से पी0एच0सी0 पर जमा किये जायेंगे। पी0एच0सी0 के मेडिकल ऑफिसर द्वारा भरे गये प्रारूप की जांच की जायेगी और जिले से राज्य को सभी डेटा संकलित कर भेजे जायेगें।राज्य के स्तर पर डीईओ द्वारा एक्सेल प्रारूप में डेटा संकलित किया जायेगा। इसके अलावा, एस0एल0ओ0, सलाहकार– एन0एल0ई0पी0, फिर से 10 प्रतिशत Random (क्रम रहित) जांच से डेटा की सटीकता और पूर्णता की जांच करेंगे। इसके अलावा डेटा सीएलडी को निम्न बिन्दुओं के आधार पर प्रेषित करेंगे–

1) कुल संख्या सूचकांक के मामलों की।
2) कुल संख्या सम्पर्कों की जांच।
3) कुल संख्या के सम्पर्कों में कुष्ठ रोग के रूप में निदान किया गया।
4) कुल संख्या पी0ई0पी0 के लिए योग्य सम्पर्कों की।
5) कुल संख्या पी0ई0पी0 के डी0ओ0आर0एस0 के रूप में प्रशासित।

Annexure I

Operational Definitions	
Chemoprophylaxis	Post- exposure prophylaxis with one or more antibiotics given to contacts of an infectious disease case. A single dose of rifampicin is used to reduce the risk of developing leprosy in contacts of leprosy patients (index cases)
Contact	Someone who has had prolonged regular or interrupted contact with an index case during the last one year. The time period of contact will be 3 months (cumulative) and 20 hrs/wk.
Contact category	This is based on physical proximity to the index case. The categories are family contacts, household contacts, neighbour contacts and social contacts.
	Family contact comprise of all family members. However, if a family member has been away due to reasons eg work or education during the last 1 year, then he will not be included among contacts.
	Household contacts would comprises of are all people living in 3 houses on either side and 3 houses across the street from the index case.
	Neighbour contacts would comprise of are all people living in 3 houses on either side and 3 houses across the street from the index case.
	Social contacts are all people with whom the index case is in contact for more than 20 hrs per week for a cumulative of 3 months or more.
Contact screening	Examination of a contact having been in physical proximity to the index case to determine if they have signs or symptoms of leprosy.
Leprosy patient	A leprosy patient is defined as someone who has one of three cardinal signs and has not completed a course of MDT. A new case of leprosy is defined as someone who has one of three cardinal signs and has not consumed even a single dose of MDT/ started a course of MDT.
	This definition is in the national guidelines and based on the WHO definition.
Single-dose rifampicin prophylaxis	Post-exposure prophylaxis in which a single dose of rifampicin, with dosage based on weight, is given to contacts of an index case. In this document single dose rifampicin, with dosage based on weight, is given to contacts of an index cases. In this document single dose rifampicin prophylaxis is referred as Post-Exposure- Prophylaxis(PEP).
	> 35 kg- 600 mg
	20-35 kg- 450 mg
	<20kg-10-15 mg/kg
Index case	Any confirmed case diagnosed for the first time as leprosy case.

Annexure II

Human Resources: role and responsibilities

S.No.	Staff Involved	Roles and Responsibilities
1	MPW/PMW/ASHA	• Find index leprosy patient • Carry out house visit • Confirm the start of MDT for index case • Inform about leprosy prevention and chemoprophylaxis • List 10 neighbourhood contacts on contact form • Collect data on contact form • Screen for leprosy • Bring contacts suspected for leprosy to MO • Record referral in contact form

		• Check eligibility for PEP(PMW/MPW) • Give PEP if eligible (PMW/MPW) • Record eligibility and SDR in contact form • Refer to PHC in case of adverse events
2	NMS/PHN	Supervision of field activity of MPW/PMW/ASHA
3	MO PHC	• Examine contacts suspected of leprosy or TB • Responsible for distribution of rifampicin • Management of adverse reactions
4	DLO/State Leprosy Officer (NLEP)	• Leprosy expert supervision of field level staff and Mos. • Give training

Annexure III

SAMPLE FORMATS

INDEX CASE INFORMATION :

Name: DOB:

Gender:

Date of Diagnosis:

Registration number:

Type of leprosy (PB-MB):

Disability : Y/N

Date of start of MDT :

Annexure IV

CONTACT FORM:

Name: DOB:

Gender:

Registration No. of contact:

Registration number of index case:

Date of contact screening:

Type of contacts: relative/ neighbour/ social temporary

Inclusion criteria for rifampicin:

Person has been living/working/ having social activities for more than three months

Y/N

1. Age≥ 2 years. Y/N

Exclusion criteria:

1. Pregnancy Y/N
2. Rifampicin therapy for any reason in the last two years (e.g. for tuberculosis (TB) or leprosy treatment, or as a contact from another index case) Y/N
3. History of liver disorder (ask for H/o jaundice, right side abdominal pain and swelling, swelling in legs and ankles, pale coloured stool)Y/N
4. History of renal disorders (ask for H/o decreased urine output, swelling in legs and ankles, H/o high BP)Y/N
5. Possible signs and/ or symptoms of leprosy Y/N
6. Presence of acute febrile illness. Y/N

Whether eligible for chemoprophylaxis:

Date of Rifampicin administered- __/ __/ __

	Name:_____
	Sign of MPW/PMW:_____

Reporting format for PEP

S.No.	Particulars	No.
1.	Total no. of index cases	
2.	Total no. of contacts screened	
3.	Total no. of contacts diagnosed as leprosy	
4.	Total no. of contacts found eligible for PEP	
5.	Total no. of PEP administered as DORS	

1. जिन जनपदों में कुष्ठ रोगी खोजी अभियान का संचालन किया गया है, उन जनपदों को छोड़कर प्रदेश के अन्य शेष जनपदों में इस गतिविधि का संचालन किया जाना है।

A. **Focused Leprosy Campaign for Hot Spot Area-** जिसके अन्तर्गत जहां पर एक भी कुष्ठ रोग से हुई विकलांगता का केस निकलता है, तब उस ग्रामीण क्षेत्र के उस ग्राम में सभी घरों के सभी सदस्यों का परीक्षण एवं शहरी क्षेत्र में आस–पास के 300 घरों में सभी हाउस होल्ड का परीक्षण किया जाये तथा प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर सूचना महानिदेशालय को प्रेषित की जाये। रिपोर्टिंग प्रपत्र पेज नम्बर–16 पर संलग्न है। (जहाँ पर एक भी विकलांग कुष्ठ रोगी निकलता है वह क्षेत्र **Hot Spot Area** कहलाता है) प्रत्येक विकलांग कुष्ठ रोगी का साक्षात्कार लेकर प्रपत्र जल्द से जल्द अधिकतम 15 दिन तक भरा जाना है, इसके लिए प्रपत्र पेज संख्या–26 एवं 27 पर उपलब्ध है।

B. **Special Plan for Hard to Reach Area-** इसके अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र जहां पर पहुंचा जाना अत्याधिक कठिन है उन स्थानों पर जागरूकता लाने के लिए माइकिंग एवं लीफलेट (बुकलेट, हैंडबिल, हैंडआउट, फोल्डर इत्यादि) के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाये तथा प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर सूचना महानिदेशालय को प्रेषित की जाये।

C. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत हार्ड टू रीच एरिया (एच0टी0आर0ए0) एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां कुष्ठ रोग के लिए एक अच्छा निगरानी तन्त्र स्थापित करना मुश्किल होता है। वहां की भौगोलिक प्रशासनिक राजनीतिक व अन्य कारणों से ऐसे स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मी का पहुंचना व कार्य करना कठिन होता है और इसके अलावा उस समुदाय के सदस्य भी स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधा नहीं उठा पाते हैं।

D. **योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन**

एच0टी0आर0ए0 हेतु योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन युनिट के लिए ग्राम या शहरी यूनिट का निर्धारण किया जायेगा। जो कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत को पहचानेगी व चिन्हित करेगी और उन्हीं जरूरतों के आधार पर योजना बनायी जायेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए ऐसी सभी युनिटों जिनकी एक जैसी विशेष जरूरतें होगी उनका एक समूह बनाया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित चरणों में किया जायेगाः–

- प्रत्येक एच0टी0आर0ए0 युनिट के लिए नोडल व्यक्ति की पहचान की जायेगी।
- नोडल व्यक्ति के परामर्श से समुदाय के सदस्यों का नामांकन और एच0टी0आर0ए0 टीम का निर्धारण किया जायेगा।

E. सभी एच0टी0आर0ए0 टीम का एक समुह में अनौपचारिक योजना संवेदनीकरण कम ट्रेनिंग वर्कशाप का सम्पादन किया जायेगा जिसमें निम्नवत् बिन्दुओं को प्रमुखता देनी हैं :–

- संदिग्ध कुष्ठ रोगी की परिभाषा के अनुसार संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पहचान, उपचार, आई0ई0सी0 और अन्य एन0एल0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवायें।
- कुष्ठ रोग से सम्बंधित जानकारियां, एम0डी0टी0 दवाईयों तथा अन्य सामाग्रियों का वितरण।
- संदिग्ध कुष्ठ रोगी की परिभाषा के आधार पर (कार्यक्रम के अनुसार) संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पहचान।
- संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पुष्टि वहां के स्थानीय चिकित्सक द्वारा की जायेगी।
- सभी पुष्टि किये हुए कुष्ठ रोगियों का पूर्ण उपचार तुरन्त किया जायेगा।
- रिएक्शन अथवा किसी भी प्रकार की अन्य जटिल स्थिति से निपटने के लिए संदर्भन तंत्र की स्थापना।
- सम्वर्ती निगरानी

- किसी अन्य उद्देश्य से जो भी सर्वे एच0टी0आर0ए0 टीम में उनके द्वारा डेटा का एकत्रीकरण।
- हेल्थ केयर डिलेवरी सिस्टम द्वारा (तृतीय लेवल सहित) डेटा का एकत्रीकरण।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निगरानी भ्रमण।
- राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत हार्ड टू रीच एरिया (एच0टी0आर0ए0) एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां कुष्ठ रोग के लिए एक अच्छा निगरानी तन्त्र स्थापित करना मुश्किल होता है। वहां की भौगोलिक प्रशासनिक राजनीतिक व अन्य कारणों से ऐसे स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मी का पहुंचना व कार्य करना कठिन होता है और इसके अलावा उस समुदाय के सदस्य भी स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधा नहीं उठा पाते हैं।
- योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन
- एच0टी0आर0ए0 हेतु योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन युनिट के लिए ग्राम या शहरी युनिट का निर्धारण किया जायेगा। जो कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिश्ट स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत को पहचानेगी व चिन्हित करेगी और उन्हीं जरूरतों के आधार पर योजना बनायी जायेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए ऐसी सभी युनिटों जिनकी एक जैसी विशेष जरूरतें होगी उनका एक समूह बनाया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित चरणों में किया जायेगा–
  - ✓ प्रत्येक एच0टी0आर0ए0 यूनिट के लिए नोडल व्यक्ति की पहचान की जायेगी।
  - ✓ नोडल व्यक्ति के परामर्श से समुदाय के सदस्यों का नामांकन और एच0टी0आर0ए0 टीम का निर्धारण किया जायेगा।

F. सभी एच0टी0आर0ए0 टीम का एक समुह में अनौपचारिक योजना संवेदनीकरण कम ट्रेनिंग वर्कशाप का सम्पादन किया जायेगा जिसमें निम्नवत् बिन्दुओं को प्रमुखता देनी हैं :–

- संदिग्ध कुष्ठ रोगी की परिभाशा के अनुसार संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पहचान, उपचार, आई0ई0सी0 और अन्य एन0एल0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवायें।
- कुष्ठ रोग से सम्बंधित जानकारियां, एम0डी0टी0 दवाईयों तथा अन्य सामग्रियों का वितरण।
- संदिग्ध कुष्ठ रोगी की परिभाशा के आधार पर (कार्यक्रम के अनुसार) संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पहचान।
- संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पुष्टि वहां के स्थानीय चिकित्सक द्वारा की जायेगी।
- सभी पुष्टि किये हुए कुष्ठ रोगियों का पूर्ण उपचार तुरन्त किया जायेगा।
- रिएक्शन अथवा किसी भी प्रकार की अन्य जटिल स्थिति से निपटने के लिए संदर्भन तंत्र की स्थापना।

सम्वर्ती निगरानी

1. किसी अन्य उद्देश्य से जो भी सर्वे एच0टी0आर0ए0 टीम में उनके द्वारा डेटा का एकत्रीकरण।
2. हेल्थ केयर डिलेवरी सिस्टम द्वारा (तृतीय लेवल सहित) डेटा का एकत्रीकरण।
3. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निगरानी भ्रमण।

National Leprosy Eradication Program
Format for Focused Leprosy Campaign

(This format is to be filled by the Health worker during his/her field visits for case detection)

No. of Grade 2 Cases in the month of _____

No. of FLCs done against the above number _____

1. Name :
2. Age :
3. Sex :
4. Village/Urban Area:
5. Block :
6. District:
7. State:
8. Date of Detection of disability :
9. Date of FLC conducted :
10. Household Covered:
11. Population covered :
12. Suspects identified:
13. Suspects examined :
14. Total New Cases Detected:
15. Grade 2 cases:
16. Child cases:
17. Child grade 2 cases:

Kindly note : Data collected by you is very important to assess the quality of the campaign which in turn will help in determining if more patients are still hidden in the community or not. Hence, you are requested to maintain trustworthiness while following above mentioned instructions during the visits to sites.

Performa for New Leprosy Cases reported with
Grade-II disability

(Interview should be personal talk and not in public)
State:

Personal Details
1-Name of the Patient:
2-Mobile No. : **3- Age:** **4- Sex (M/F):**
5-Religion: **6- SC/ST:**
7-Education (1-Illiterate, 2-1st-5th standard, 3-Middle School (6th-8th), 4-High School(9th-10th), 5-Intermediate, 6-Post High School or Diploma/Graduate, 7- Post Graduate, 8- Professional) (Kindly write the no
8- Occupation (1-Unemployed, 2- Unskilled, 3-Semi-Skilled/Skilled, 4- Clerical, 5- Shop owner, 6-Farmer, 7-Semi- professional, 8- Professional, 9- Other(specify) : (Kindly write the n

Demographic Details

9- Rural/Urban Area:
10-Village/Urban Area Name:
11-Kutcha/Pakka house: 12- Block:
13-District: 14- Migratory/ non migratory:
15-No. of Family members: 16- Family Income (per annum)
17- Per Capita Income:

Case Details

18. History of contact with leprosy case (Y/N):
19. Relation, if yes (1- family, 2-relative, 3-friend, 4-neighbor, 5-known, 6-co-workers, 7- others (specify)) (Kindly write the no.) :
20. 1st observance of leprosy symptoms (month-year):
21. Date of diagnosis:
22. Diagnosed by (1-ASHA, 2-NMA, 3-MO, 4-Hakeem, 5-PP, 6-Doctor, 7- Others(specify) (Kindly write the no.) :
23. Duration of delay in starting treatment at Government Health Care System (after noticing the symptoms (in days):
24. Clinical Type (PB/MB) (to be filled by health worker):

25. First point of care (1- Hakeem, 2-Faith healer, 3-PP, 4-Govt. Health Centre, 5- Hospital, 6- Medical college, 7- other(specify)) Kindly write the no.):
26. Duration of delay (in weeks) from time of noticing symptoms to seeking treatment at first point of care:
27. Cost incurred, if any:
28. Second point of care (1- Hakeem, 2-Faith healer, 3-PP, 4-Govt. Health Centre, 5- Hospital, 6- Medical college, 7- other(specify)) Kindly write the no.):
29. Duration of delay (in weeks) between visiting first point of care to second point of care:
30. Cost Incurred, if any :
31. Third point of care (1- Hakeem, 2-Faith healer, 3-PP, 4-Govt. Health Centre, 5- Hospital, 6- Medical college, 7- other(specify)) Kindly write the no.):
32. Duration of delay(in weeks) between visiting second point of care to third pint of care.
33. Cost Incurred, if any :
34. Date of reporting in the present Health Care System(If different from first point of care):
35. Reasons for not reporting in Govt. Health Care System directly after noticing the symptoms (1- Lack of information about the disease, 2- Non- availability of doctor at the health facility, 3-Loss of wages, 4-Fear/Stigma, 5- Financial constraints, 6-Treated by multiple Practioners, 7- Treatment by faith healers, 8- Any other (specify) (Kindly write th):
36. From where the case came to know about Govt. Health Care System (1- News, 2- Neighbours, 3- Relatives, 4-Friends, 5- Others(specify)) (Kindly write the no.):
37. From where the case came to know about Leprosy (1- News, 2- Neighbours, 3- Relatives, 4-Friends, 5- Others(specify) (Kindly write the no.):
38. Is the case aware about anybody having the same symptoms in his/her locality/area:
39. If yes, how many such people does he/she know:
40. Recommendations made by him/her.

Observation of the interviewer and conclusion:
Signature and designation of the Interviewer:
(Date)

ABSULS

आशा द्वारा संदिग्ध कुष्ठ रोगियों की देख–रेख के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

(यह गतिविधि प्रदेश के सभी जनपदों में किया जाना है)

ASHA

BASED

SURVEILLANCE

LEPROSY

आशा द्वारा संदिग्ध कुष्ठ रोगियों की देख–रेख हेतु विवरणः–

"आशा द्वारा संदिग्ध कुष्ठ रोगियों की देख–रेख का उद्देश्य"

1. संदिग्ध कुष्ठ रोगियो की सक्रीय देख–रेख उन क्षेत्रों में भी हो जहाँ पर कुष्ठ रोगियों की सूचना NIL/शून्य हो ।
2. प्राथमिकता के आधार पर आशा द्वारा कुष्ठ रोगियों का खोजा जाना।
3. गाँव स्तर पर कुष्ठ रोगियों को खोजने हेतु संचालित गतिविधियों की निगरानी व पर्यवेक्षण मे सुधार लाना।

ABSULS (आशा द्वारा संदिग्ध कुष्ठ रोगियों की देख–रेख) हेतु निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी है।

आशा द्वारा मासिक बैठक मे स्वयं हस्ताक्षर कर ABSULS प्रारूप एस–1 (दो प्रतियों में भरा जायेगा) इस प्रारूप मे खोजे गये संदिग्ध कुष्ठ रोगियों की संख्या जिनको आशा द्वारा पूर्व माह मे संदर्भित किया गया है लिखा जायेगा।

ABSULS प्रारूप एस–1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी को दिया जायेगा और वह इसका संकलन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ABSULS प्रारूप एस–2 में करेंगे, जो दो प्रतियों में भरा जायेगा।

ABSULS प्रारूपएस–2 जिला कुष्ठ अधिकारी को विष्लेषण व विवेचना हेतु भेजे जायेगें और जिले के अनुसार रिर्पाट का संकंलन ABSULS प्रारूप एस–3 में करेंगे, जो दो प्रतियों मे भरा जायेगा।

ABSULS प्रारूप एस–3 राज्य कुष्ठ अधिकारी को विष्लेषण व विवेचना हेतु भेजा जायेगा और राज्य के अनुसार रिर्पाट का संकंलन ABSULS प्रारूप एस–4 में करेंगे, जो दो प्रतियों में भरा जायेगा।

ABSULS प्रारूपएस– 4 सी0एल0डी0 नई दिल्ली, को विष्लेषण व विवेचना हेतु भेजा जायेगा।

इन सभी प्रारूप ABSULS प्रारूप एस–1 (संलग्नक–1) ABSULS प्रारूप एस–2 (संलग्नक– 2) ABSULS प्रारूप एस–3 संलग्नक– 3) ABSULS प्रारूप एस–4 (संलग्नक –4) जोकि मुख्यतः इसी कार्य हेतु बनाये गये है। इन प्रारूपों को सख्ती से उस प्रारूप में नामित कर्मियों द्वारा भरा/संकलित किया जायेगा।

उदाहरण के लिये ABSULS प्रारूप एस–1 में पहले तीन कॉलम उस उपकेन्द्र की ए0एन0एम0 द्वारा तथा अन्तिम दो कॉलम आशा द्वारा भरा जायेंगे। प्रत्येक प्रारूप दो प्रतियों में भरे जायेंगे जिससे उसकी एक कॉपी ए0एन0एम0 के पास व दूसरी कॉपी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को जमा की जायेगी जिसमें की आशा का नाम ए0एन0एम0 द्वारा चिन्हित कर दिया जायेगा। जोकि उस गाँव के भ्रमण के लिये चुनी गई है।

अन्य सभी प्रारूप वह भी अत्यन्त सरल व स्वतः स्पष्ट हैं, उनको प्रत्येक स्तर पर नामित कर्मियों द्वारा दो प्रतियों मे भरा जायेगा। जिससे उसकी एक कॉपी उसी स्तर पर रहे तथा उसकी दूसरी कॉपी को उच्च स्तर पर आगे भेजा जा सके।

ABSULS की देख–रेख विभिन्न स्तरों पर तत्काल पर्यवेक्षकों द्वारा की जायेगी, जिसका क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जाना हैः–

स्तर 1–सर्वप्रथम ए0एन0एम0 द्वारा बिना चयन किये हुए आशा के गाँव को चिट की विधि द्वारा चुना जायेगा, जोकि उसके उपकेन्द्र में आता हो। (एक नाम की चिट को एक ही बार निकाला जायेगा जब तक उस ए0एन0एम0 के अन्तर्गत आने वाले सभी गांव में उसके द्वारा कम से कम एक बार भ्रमण न कर लिया जाये) ए0एन0एम0 द्वारा चुने गये गाँव के पाँच स्थान का भ्रमण किया जायेगा (यह भ्रमण प्रत्येक माह के **दसवे दिन** किया जायेगा) इसका उद्देश्य यह है कि –

1. आशा द्वारा प्रत्येक घर का एक महीने की अवधि मे भ्रमण किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी पुष्टि करने हेतु।
2. आशा के द्वारा दिये गये परिणाम अथवा खोज की पुष्टि हेतु।
3. अन्य रोगी की खोज हेतु यदि है।

यह सारी सूचनाये ए0एन0एम0 द्वारा चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ ABSULS प्रारूप एम–1 पर साझा की जायेगी।

स्तर 2–चिकित्साधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) द्वारा बिना चयन किये हुए चिट की विधि द्वारा किसी एक ए0एन0एम0 को चुना जायेगा। (एक नाम की चिट को एक ही बार निकाला जायेगा जब तक की सारी ए0एन0एम0 जोकि उस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे है कम से कम एक बार चिट विधि के द्वारा चुन न ली जाये) और उसके बाद चिकित्साधिकारी द्वारा उस गाँव का भ्रमण किया जायेगा जिसमें की

ए0एन0एम0 द्वारा भ्रमण किया गया है। (यह भ्रमण प्रत्येक माह के **बीसवे दिन** किया जायेगा) इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि–

1. ए0एन0एम0 द्वारा प्रत्येक घर का एक महीने की अवधि मे भ्रमण किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी पुष्टि करने हेतु।
2. ए0एन0एम0 के द्वारा दिये गये परिणाम अथवा खोज की पुष्टि हेतु।
3. अन्य रोगी की खोज हेतु यदि है ।

यह सारी सूचनायें चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा ABSULS प्रारूप एम–2 पर जिला कुष्ठ अधिकारी के साथ साझा की जायेगी।

स्तर 3–जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा बिना चयन किये हुए चिट की विधि द्वारा चिकित्साधिकारी, (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) को चुना जायेगा। (एक नाम की चिट को एक ही बार निकाला जायेगा जब तक की सारे चिकित्साधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) जोकि उस जनपद में है, कम से कम एक बार चिट विधि के द्वारा चुन न लिये जाये) और उसके बाद जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा **उस गाँव** का भ्रमण किया जायेगा जिसमें की चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा भ्रमण किया गया है। (यह भ्रमण प्रत्येक माह के **तीसवें दिन** किया जायेगा) इसका उद्देश्य यह है कि–

1. चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा प्रत्येक घर का एक महीने की अवधि मे भ्रमण किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी पुष्टि करने हेतु।
2. ए0एन0एम0 के द्वारा दिये गये परिणाम अथवा खोज की पुष्टि हेतु।
3. अन्य रोगी की खोज हेतु यदि है तो यह सारी सूचनायें जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा ABSULS प्रारूप एम–3 पर राज्य कुष्ठ अधिकारी के साथ प्रेषित की जायेगी।

स्तर 4–राज्य कुष्ठ अधिकारी एवं सी0एल0डी0 नई दिल्ली के अधिकारियो द्वारा अपने नियमित भ्रमण के दौरान उन गाँवो का भ्रमण किया जायेगा जोकि जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा पहले से ही भ्रमण किये जा चुके हैं। जिससे की जो जानकरी जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई है उसकी पुष्टि की जा सके।

जो भी जानकारियाँ प्रत्येक स्तर द्वारा जमा की गई है। उनकी पुनः जाँच व पुष्टि अत्यन्त आवश्यक है। अतः यहाँ कुल तीन देख–रेख प्रारूप है, ABSULS प्रारूप एम–1 ABSULS प्रारूप एम 2 ABSULS प्रारूप एम–3 जा कि मुख्यतः इसी कार्य हेतु बनाये गये हैं। जिसको प्रत्येक स्तर पर नामित कर्मियों द्वारा भ्रमण के पश्चात दिये गये प्रारूप की प्रतिलिपि पर भरा जायेगा। जिससे उसकी एक प्रतिलिपि उसी स्तर पर रहे तथा उसकी दूसरी प्रतिलिपि को उच्च स्तर पर आगे भेजा जा सके।

उदाहरण के लिये ABSULS प्रारूप एम–1 उस उपकेन्द्र की ए0एन0एम0 द्वारा बिना चयन किये हुए किसी भी गाँव का भ्रमण करने के पश्चात भरा जायेगा। उसकी एक कॉपी ए0एन0एम0 के पास व दूसरी कॉपी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अपने हस्ताक्षर से जमा करेगी।

सामान्ता अन्य देख–रेख प्रारूप, जोकि अत्यन्त सरल व स्वतः स्पष्ट है, उनको प्रत्येक स्तर पर नामित कर्मियों द्वारा दो प्रतियों मे भरा जायेगा। जिससे उसकी एक कॉपी उसी स्तर पर रहे तथा उसकी दूसरी कॉपी को उच्च स्तर पर आगे भेजा जा सके।

ABSULS एम–3 प्रारूप के आधार पर राज्य कुष्ठ अधिकारी अपनी रिपोर्ट संकलित करके प्रत्येक माह एम0पी0आर0 के साथ सी0एल0डी0 नई दिल्ली को प्रेषित करेगी।

यहाँ यह भी तथ्य संज्ञान में लाना है कि यह देख–रेख तन्त्र संदिग्ध कुष्ठ रोगियों हेतु बनाया गया है। जिससे की आशा द्वारा गाँवो में संदिग्ध कुष्ठ रोगियों की खोज बढ़ायी जा सके। जिसकी पुष्टि की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन और पुष्टि के पश्चात उपचार की प्रक्रिया राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के दिशा निर्देश के अनुसार बिना किसी बदलाव के किया जायेगा।

ABSULS को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिये अन्य गतिविधियांः–

1. **ABSULS** को क्रियान्वयन करने के पश्चात पहली मासिक बैठक मे संदिग्ध रोगियों के बारे में (जोकि संलग्नक **VIII** मे दिया गया है) आशा का संवेदीकरण (प्रशिक्षण) किया जाये।
2. **आशा के पास संदर्भन पर्ची की उपलब्धता व आशा के द्वारा** संदिग्ध रोगियों का संदर्भन उसी माह मे सुनिश्चित करें। (जोकि संलग्नक **IX** में दिया गया है)

प्रारूप–I

ABSULS S1

यह प्रारूप आशा के द्वारा मासिक बैठक मे भरा जायेगा

ए0एन0एम0 का नाम:..... सब सेन्टर.....	रिर्पोट का माह:.....
यह ए0एन0एम0 के द्वारा भरा जायेगा	यह आशा के द्वारा भरा जायेगा

क0 सं0	आशा का नाम	गाँव/क्षेत्र	पहचाने गये संदिग्ध रोगी और उसको संदर्भित करने का माह	हस्ताक्षर

ए0एन0एम0 के द्वारा उस आशा का नाम चिन्हित किया जायेगा जिसका क्षेत्र/गाँव अनियमित कम मे भ्रमण के लिए चुना गया है।

प्रारूप–II

ABSULS S2

यह प्रारूप चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा ABSULS S1 के आधार पर जोकि उसके अधिकार क्षेत्र मे है भरा जायेगा

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम:.....
चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम: .....
रिर्पोट का माह: .....

पहचाने गये संदिग्ध रोगी और उसको संदर्भित करने का माह	हस्ताक्षर

प्रारूप–III

ABSULS S3

यह प्रारूप जिला कुष्ठ अधिकारी के द्वारा ABSULS S2 के आधार पर जोकि उसके अधिकार क्षेत्र मे है भरा जायेगा

जिले का नाम का नाम:.....
जिला कुष्ठ अधिकारी का नाम: .....
रिर्पोट का माह: .....

पहचाने गये संदिग्ध रोगी और उसको संदर्भित करने का माह	हस्ताक्षर

प्रारूप–IV

ABSULS S4

यह प्रारूप राज्य कुष्ठ अधिकारी के द्वारा ABSULS S3 के आधार पर जोकि उसके अधिकार क्षेत्र मे है भरा जायेगा

राज्य का नाम:.....

राज्य कुष्ठ अधिकारी का नाम: .....

रिर्पोट का माह: .....

पहचाने गये संदिग्ध रोगी और उसको संदर्भित करने का माह	हस्ताक्षर

प्रारूप–V

ABSULS M1

यह प्रारूप ए0एन0एम0 के द्वारा निरिक्षण भ्रमण के दौरान भरा जायेगा

ए0एन0एम0 का नाम:.....

सब सेन्टर.का नाम: .....

रिर्पोट का माह: .....

भ्रमण की तिथि:.....

भ्रमण किये गये गाँव का नाम	आशा का नाम	कुष्ठ रोग के लिये आशा द्वारा किये गये भ्रमण की पुष्टि	पहचाने गये संदिग्ध रोगी की पुष्टि व संर्दभन	पहचाने गये अन्य संदिग्ध रोगी	हस्ताक्षर

प्रारूप–VI

ABSULS M2

यह प्रारूप चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा निरिक्षण भ्रमण के दौरान भरा जायेगा

चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम:.....

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका नाम: .....

रिर्पोट का माह: .....

भ्रमण की तिथि:.....

भ्रमण किये गये गाँव का नाम	ए0एन0एम0 का नाम	कुष्ठ रोग के लिये ए0एन0एम0 द्वारा किये गये भ्रमण की पुष्टि	पहचाने गये संदिग्ध रोगी की पुष्टि व संर्दभन	पहचाने गये अन्य संदिग्ध रोगी	हस्ताक्षर

प्रारूप–VII

ABSULS M3

यह प्रारूप जिला कुष्ठ अधिकारी के द्वारा निरिक्षण भ्रमण के दौरान भरा जायेगा

जिला कुष्ठ अधिकारी का नामः.....
जिले का नामः .....
रिर्पोट का माहः .....
भ्रमण की तिथिः.....

भ्रमण किये गये गाँव का नाम	चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	कुष्ठ रोग के लिये चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा किये गये भ्रमण की पुष्टि	पहचाने गये संदिग्ध रोगी की पुष्टि व संर्दभन	पहचाने गये अन्य संदिग्ध रोगी	हस्ताक्षर

प्रारूप–IX

संर्दभन पर्ची का प्रारूप जोकि आशा के द्वारा संदिग्ध रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे संर्दभन के दौरान भरा जायेगा

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम संदिग्ध रोगी संर्दभन पर्ची	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम संदिग्ध रोगी संर्दभन पर्ची
माह/वर्षः.....	माह/वर्षः.....
माह का क0 सं0:.....	माह का क0 सं0:.....
दिनाँकः.....	दिनाँकः.....
संदिग्ध का नामः.....	संदिग्ध का नामः.....
उम्रः.....	उम्रः.....
लिंग (महिला/पुरूष).....	लिंग (महिला/पुरूष).....
पिता/पति का नामः.....	पिता/पति का नामः.....
पताः.....	पताः.....
मोबाईल नम्बरः.....	मोबाईल नम्बरः.....
सब सेन्टरः.....	सब सेन्टरः.....
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रः.....	.
आशा का नाम व हस्ताक्षरः.....	आशा का नाम व हस्ताक्षरः.....

सघन कुष्ठ रोगी खोज एवं नियमित निगरानी के दिशा–निर्देश 2023–24

(ए) पृष्ठ भूमिका–राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित एक योजना है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि कुष्ठ रोगी को शीघ्र प्रारम्भिक अवस्था में खोजकर उसका निःशुल्क समुचित उपचार कराना, जिससे कि कुष्ठ रोग से होने वाली विकलांगता को रोका जा सके व समुदाय में कुष्ठ रोग के प्रसार को भी रोका जा सके। इस कार्यक्रम का यह भी उद्देश्य हैं कि कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता फैलायी जा सके एवं इससे जुड़े हुए कलंक को समाप्त किये जा सके। हालांकि, कुष्ठ रोग अभी भी भारत के कुछ राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के कुछ स्थानों में व्याप्त है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में कुष्ठ रोगियों के बढ़ने से शहरी जनसंख्या को कुष्ठ रोगी सम्बंधी सेवा प्रदान करने में अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मुख्य रूप से शहरी गरीब व्यक्तियों को जो कि मलिन बस्तियों में निवास करते हैं या बाहर से आये हैं।

अतः सम्पूर्ण जनसंख्या की प्रारम्भिक अवस्था में जांच एवं सघन निगरानी को राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सुदृढ़ करने हेतु यह आवश्यक है कि सघन कुष्ठ रोगी खोज नियमित तौर पर चरणों के रूप में हर वर्ष हो न कि कभी–कभी अभियान के रूप में। इस दिशा निर्देश में खण्ड के रूप में व्याख्या इस प्रकार की गयी है जिससे हर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सघन कुष्ठ रोगी खोज की गतिविधियों की योजना इस प्रकार बना सके, जिससे कोई भी अति संवेदनशील जनसंख्या कुष्ठ रोग की जांच एवं निगरानी से न छूटने पाये।

(बी) जाँच की कार्य प्रणालीः–

1. **किसके द्वारा जांच की जानी है–** समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति (ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के) जांच नियमित तौर पर सघन कुष्ठ रोगी खोज गतिविधि के अन्तर्गत, आशा/एन0एम0एस0/प्रशिक्षित पुरूष या महिला स्वास्थ्य सेवकों/प्रशिक्षित सामुदायिक सेवकों/प्रशिक्षत पी0ए0एल0/प्रशिक्षित महिला आरोग्य समिति के सदस्यों द्वारा (पुरूष/महिला फ्रन्ट लाइन वर्कर–M/F FLW) द्वारा की जायेगी। सबसे उपयुक्त पुरूष/महिला फ्रन्ट लाइन वर्कर–M/F FLW के चुनाव व उस क्षेत्र में उसकी उपलब्धता एवं उसकी जांच की तैनाती के लिए जिला कुष्ठ अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
2. **किसकी जांच की जानी है–** दो साल से ऊपर आयु के सभी व्यक्तियों में कुष्ठ रोग से सम्बंधित लक्षणों की जांच की जायेगी।
3. **कैसे जांच की जानी है–** आपसी बातचीत द्वारा (आई0पी0सी0) और पर्याप्त जानकारी शिक्षा एवं संचार से सम्बंधित रणनीतियों के द्वारा समुदाय को कुष्ठ रोग की प्रकृति से जागरूक करने एवं उनको कुष्ठ रोग के लक्षणों की प्रारम्भिक अवस्था में जांच की महत्ता को समझाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जांच करने से पहले उनकी सहमति अवश्य प्राप्त करनी होगी। यदि किसी अवस्था में किसी व्यक्ति द्वारा जांच के लिए M/F FLW से अनिच्छा जाहिर की जाती है तो उस व्यक्ति के निकटतम पारिवारिक सदस्यों का जांच में सहयोग लिया जायेगा।
4. **जांच की चरणों की समयावधि–** किसी भी दिये गये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की समस्त जनसंख्या की जांच छः महिने या बारह माह की समयावधि में पूरी करनी है यह समयावधि एक साल में जांच के चरणों के संख्या पर निर्भर करेगा। जांच की चरणों की संख्या (1 या 2) का निर्धारण राज्यों/जनपदों द्वारा उस क्षेत्र के मापदण्ड पर निर्भर करेगा। यह मापदण्ड ''जांच के लिए मापदण्ड एवं आवृत्ति'' शीर्षक के अन्तर्गत समझाया गया है। यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि किसी भी दिये गये घर में दिये हुए समय में सभी व्यक्ति जांच के लिए उपस्थित नहीं मिल सकते हैं, इस आधार पर जांच की समयावधि में लचिलापन प्रदान किया गया है। यह जांच अवधि छः माह से एक वर्ष तक की होगी। यह भी तथ्य ध्यान में रखा गया है कि हो सकता है M/F FLW एक साथ घरों की जांच न कर पायें या एक समय पर या एक ही दिन में न कर सके। अतः इस दिशा निर्देश में घरों में सभी सदस्यों की उपलब्धता, M/F FLW की सुविधा के आधार पर जांच की समयावधि में लचिलापन प्रदान किया गया। यह लचिलापन जांच की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दिया गया है। अतः इतनी लम्बी समयावधि में M/F FLW को कुष्ठ रोग के लिए जांच मानक दिशा–निर्देशों के आधार पर की जानी चाहिए। इस प्रकार के जांच के मॉडल द्वारा M/F FLW एक ही घर का कई बार दौरा कर सकते हैं, जब तक की उस घर के प्रत्येक व्यक्ति की जांच न हो जाये। यह सभी M/F FLW द्वारा सुनिश्चित करना है कि घर का भी कोई सदस्य दिये गये समयावधि में जांच से न छूटने पाये। समयावधि में दिये गये लचिलेपन से गांव की सम्पूर्ण जनसंख्या की जांच के साथ–साथ M/F FLW को प्रर्याप्त समय मिल रहा है, जिससे वह अपनी जांच की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, और तो और इस पर्याप्त समय में दिये गये प्रारूपों को भरकर रिकार्ड प्रबंधन कर सकेंगे। इस समयावधि से आशा फैसीलिटेटर/सी0एच0ओ0/उपखण्ड की ए0एन0एम0/यू0पी0एच0सी0, चिकित्सा अधिकारी पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0 या अन्य उच्च स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे वह इन जांच सम्बंधी गतिविधियों का गुणवत्ता प्रधान निरीक्षण एवं परीक्षण कर सकेंगे।

(सी) जाँच के चरणों हेतु मापदण्ड और चरणों की आवृत्तिः–

क– कम व्यापकता दर वाले विकास खण्डों के दिये गये गांव/शहरों की जनसंख्या की जांच 12 माह में की जानी है, जिससे की एक वर्ष में सम्पूर्ण जनसंख्या की जांच पूर्ण कर लेनी है। अधिक व्यापकता दर वाले विकास खण्डों में जांच दो चरणों में इस प्रकार की जानी है जिससे की सम्पूर्ण जनसंख्या की जांच एक वर्ष में दो बार पूरी की जा सके। जांच के चरणों के बीच लगभग 06 माह का अन्तराल होना है। इस प्रकार कम व्यापकता दर वाले क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की साल में एक बार और अधिक व्यापकता दर वाले क्षेत्रों में साल में दो बार जांच होनी है।

ख– निर्धारित वित्तीय वर्ष में जांच के चरणों को पूरा कर लिया जायेगा। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में जांच के चरणों (1 या 2 मापदण्ड के आधार पर) 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच में पूर्ण कर लिया जाना है।

जांच के चरणों की संख्या निर्धारण हेतु मापदण्ड–

क्रमांक	व्यापकता की स्थिति	मापदण्ड	जांच की आवृत्ति
1.	कम व्यापकता दर वाले विकास खण्ड	व्यापकता दर <**1/10000** जनसंख्या और Annual new cases detected (ANCD) 20 केस तक **या** ग्रेड–2 विकलांगता < **2** प्रति दस लाख **या** ग्रेड–2 विकलांगता प्रतिशत < **2:** खोजे गये नये केसों में	साल में एक बार
		कम व्यापकता दर वाले कोई गांव या शहरी क्षेत्र यह सूचना देते हैं कि नये खोजे गये केसों में एक भी बच्चा केस निकलता है या नये खोजे गये केसों में एक भी बच्चा विकलांग निकलता है या नये खोजे गये केसों में यदि को वयस्क ग्रेड–2 विकलांग केस निकलता है	वर्ष में दो बार केवल उसी विशेष ग्राम या शहरी क्षेत्र में
2.	अधिक व्यापकतादर वाले विकास खण्ड	व्यापकता दर >**1/10000** जनसंख्या और Annual new cases detected (ANCD) 20 केस से अधिक या ग्रेड–2 विकलांगता > **2** प्रति दस लाख या ग्रेड–2 विकलांगता प्रतिशत > **2:** खोजे गये नये केसों में	*साल में दो बार*
3.	शहरी क्षेत्र	ऐसे जनपद जहां शहरी क्षेत्र में कुष्ठ रोगी निकले हैं ऐसे क्षेत्र की रहने वाली जनसंख्या की जांच पर विशेष ध्यान देना है । यह क्षेत्र विशेष रूप से मलिन बस्ती, निर्माण क्षेत्रों, ऐसे कालोनियां जहां प्रवासी निवास करते हैं, खुदायी वाले क्षेत्र, ईंट भटठे पर काम करने वाले लोग इत्यादि हैं। सभी जनपदों को ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना है, जिससे वहां सघन कुष्ठ रोगी खोज एवं निगरानी की जा सके।	ऐसे क्षेत्र में यदि एक भी कुष्ठ का केस या विकलांगता ग्रेड–2 का केस निकलता है तो वहां कम से कम एक चरण में जांच की जानी है। यदि यह क्षेत्र अधिक व्यापकता दर वाले मापदण्ड को पूरा करता है तो वहां पर दूसरा जांच का चरण भी किया जायेगा। इसके आलावा राज्य / जनपदों द्वारा अपने स्तर से पहली जांच के चरण के परिणाम के आधार पर दूसरी जांच के चरण के बारे में तय करेंगे।
4.	विशेष ध्यान देने वाले क्षेत्र	विशेष ध्यान देने वाले क्षेत्र जैसे हार्ड टू रीज ऐरिया/भौगौलिक रूप से अधिक व्यापक क्षेत्र/ऐसे दूरस्थ क्षेत्र जहां M/F FLW निवास नहीं करते हैं। ऐसे क्षेत्रों की 100 प्रतिशत जांच सुनिश्चित करने के लिए राज्यों /जनपदों द्वारा विशेष रणनीति बनायी जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय महिला/पुरूष सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा उसके साथ ही उस क्षेत्र के पी0ए0एल0 नियमित रूप से कुष्ठ रोगी खोजने के लिए प्रशिक्षित किये जा सकते हैं। यदि जहां पर इनमें से कोई भी विकल्प नहीं हो तो वहां जनपद अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके जांच के चरण को पूर्ण करने की समयावधि का निर्धारण कर सकते हैं।	विशेष ध्यान देने वाले स्थानों में जांच की शुरूआत और समाप्ती मुख्य रूप से वहां की परिस्थितियों को देखते हुए जल्द समाप्त किया जा सकता है। जब तक 100 प्रतिशत जनसंख्या की जांच न हो जाये तब तक जांच नहीं रोकनी है। यह सुनिश्चित करना है कि समुदाय का एक भी सदस्य जांच से छूटने न पाये।

नोटः जांच के चरणों की संख्या का निर्धारण करने हेतु लिए जाने वाले मापदण्ड की आखिरी तिथि बीते हुए साल की तिथि 31 दिसम्बर होगी। दिनांक 31 दिसम्बर तक राज्य/जनपदों द्वारा सांख्यकी सूचना

जिसको उनके द्वारा अन्तिम रूप दिया गया है, उसी के अनुसार जांच के चरणों की संख्या का निर्धारण उस विकास खण्ड/गांव/शहरी क्षेत्र हेतु किया जाना चाहिए।

उदाहरणार्थ –वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए जांच चरणों की संख्या का निर्धारण दिनांक 31.12.2019 तक की संख्याकी सूचना के आधार पर किया जायेगा।

(डी) जांच के चरणों की संख्या तय करने के लिए दी गयी छूट–

यद्यपि विकास खण्ड स्तर के मापदण्ड टेबल–1 में दिये गये हैं पर राज्य/जनपद यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि दिये गये विकास खण्ड के सभी ग्रामों /शहरी क्षेत्रों में जांच की जानी है कि नहीं। इसका यह मतलब है कि ग्रामों/शहरी क्षेत्रों के आंकड़ों के आधार पर राज्य/जनपद अपने स्तर से यह चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है कि उक्त ग्रामों/शहरी क्षेत्रों में जांच की जानी है कि नहीं। इसी प्रकार से जांच के चरणों की संख्या का निर्धारण (01 या 02) उक्त ग्रामों/शहरी क्षेत्रों के आंकड़ों के आधार पर राज्य अपने स्तर से करने के लिए स्वतंत्र है। अन्य शब्दों में कहा जाये तो दिये ग्रामों/शहरी क्षेत्रों में समुचित संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य/जनपद यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि उक्त ग्रामों/शहरी क्षेत्रों में जांच की जानी है अथवा नहीं या फिर वहां कितनी बार जांच के चरण किये जाने हैं। यह निर्णय उक्त ग्रामों/शहरी क्षेत्रों के आंकडो पर निर्भर करेगा न की विकास खण्ड स्तर के आंकड़ों पर।

2. ऐसे गांव/गावों/शहरी क्षेत्रों में जहाँ पिछले तीन सालों में एक भी केस नहीं निकला है ऐसे स्थानों को जांच से दूर रखा जा सकता है परन्तु M/F FLW को वहां की निगरानी रखनी चाहिए और संदिग्ध मिलने पर उसे सम्बंधित सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर संदर्भित किया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों में M/F FLW को मौजूदा नीति के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। जैसे– यदि कुष्ठ रोग की पुष्टि बिना विकलांगता के साथ होती है तो उसे 250 रूपये और अगर विकलांगता के साथ होती है तो 200 रूपये दिये जायेगें। पी0बी0 रोगियों का उपचार पूरा कराने पर 400 रूपये की प्रोत्साहन राशि और एम0बी0 रोगी का उपचार पूरा कराने पर 600 रूपये की प्रोत्साहन राशि M/F FLW को दी जायेगी परन्तु ऐसे ग्रामों/शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या की नियमित तौर पर जांच करने के लिए M/F FLW को कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी जायेगी।

(इ) संदिग्ध की पहचान के लिए लक्षण/परिभाषाः–

यदि किसी व्यक्ति में दिये गये लक्षण अकेले या संयुक्त रूप से उपस्थित हैं तो–

क्र स	कुष्ठ के संदिग्ध रोगी के पहचान के लिए चिन्ह् एवं लक्षण
1.	त्वचा के रंग में कोई भी परिवर्तन (त्वचा पर लाल या फीके रंग का धब्बा) साथ ही उसमें आभासी या पूर्ण रूप से सुन्नपन।
2.	धब्बों पर त्वचा का मोटा होना।
3.	चमकीली व तैलीय त्वचा।
4.	त्वचा पर गांठे।
5.	कर्ण पल्लव का मोटा होना/ कर्ण पल्लव पर गांठे/ त्वचा पर गांठे।
6.	नेत्रों को बन्द करने में दिक्कत/नेत्रों से पानी आना ।
7.	भौहों का खत्म होना।
8.	नाक से श्राव (सैडल नोज डिर्फोमिटी)।
9.	परिधीय तंत्रिका तंत्र का मोटा होना।
10.	कोहनी, घुटने या टखने में दर्द और झंझनाहट।
11.	गर्म या ठण्डे का ऐहसास न होना।
12.	हथेली में सुन्नपन ।
13.	हाथ/पैर में सुन्नपन।
14.	हाथों में घाव / दर्द रहित घाव या हथेली पर छाले।
15.	किसी भी वस्तु को हाथों से पकडने व उठाने पर कमजोरी/ किसी वस्तु को पकडने व उठाने में असमर्थता।
16.	कमीज या जैकेट के बटन बन्द करने में असमर्थता।
17.	हाथ/पैर की उंगलियों में झंझनाहट।
18.	हाथों/पैरों में झंझनाहट।
19.	पैर के घाव/ दर्द रहित घाव या छाले।
20.	हाथ या पैर की उंगलियों का मुडना।
21.	पैर के तलवे में सुन्नपन।
22.	पैरों में कमजोरी/ चलते समय जूतों या चप्पलों का निकल जाना।
23.	फूट ड्रोप/ चलते समय पैरों का घसिटना।

(एफ) किसी भी संदिग्ध के अन्तिम निदान के लिए संदर्भित करने की प्रक्रिया– यदि किसी M/F FLW द्वारा किसी संदिग्ध रोगी की पहचान होती है तो उसे वह संदर्भन पर्ची देगा व उसे तुरन्त पास की पी0एच0सी0 पर जाने के लिए कहेगा, जिससे सम्बंधित एम0ओ0 द्वारा रोग की पुष्टि की जा सके। उसी संदर्भन पर्ची की एक कॉपी M/F FLW द्वारा उस उप खण्ड/एच0डब्लू0सी0/यू0पी0एच0सी0 के सी0एच0ओ0 या ए0एन0एम0 को संदिग्ध की जांच वाले दिन ही दे दी जायेगी।

संदर्भन प्रक्रिया हेतु प्रवाह चित्र

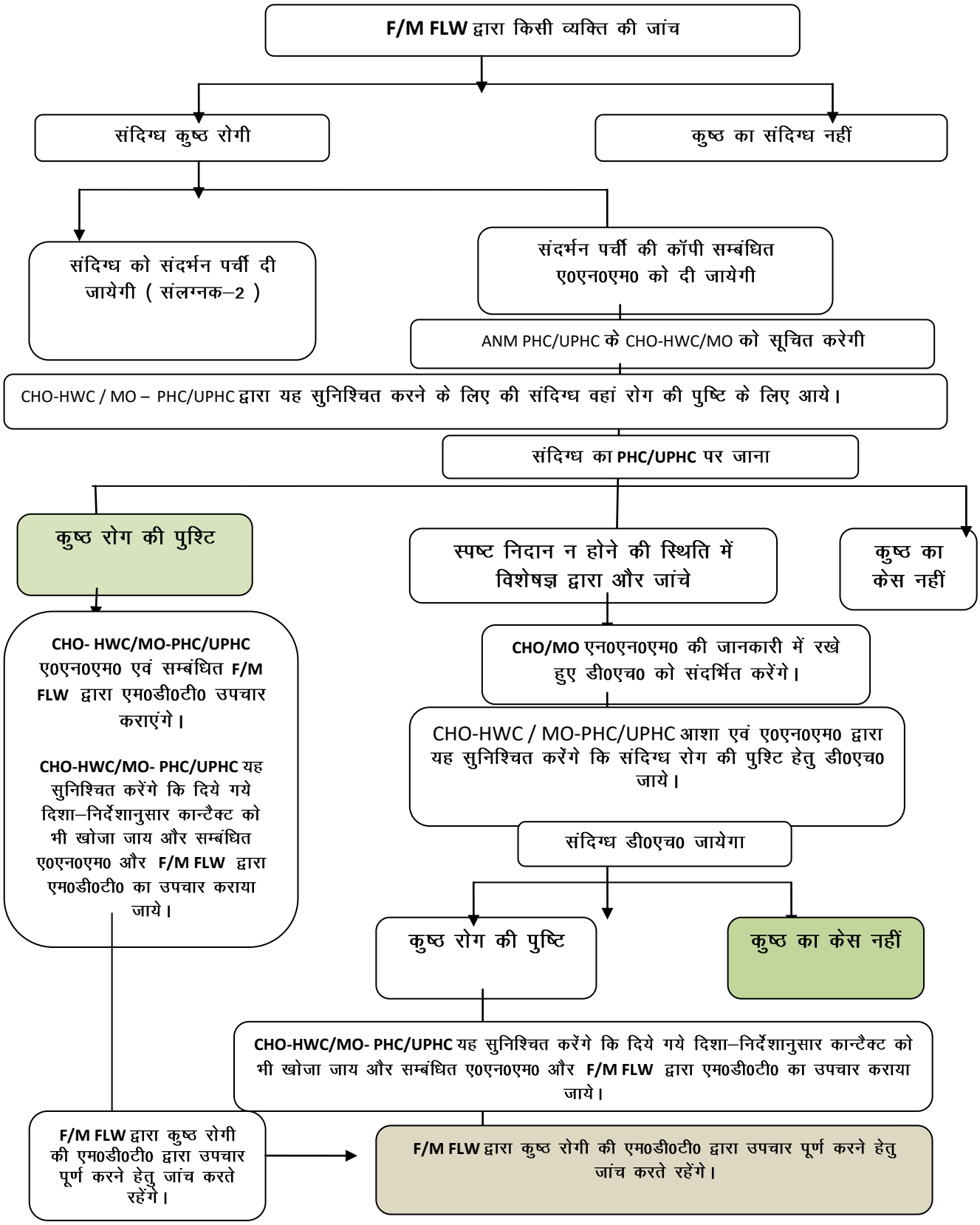

(जी) कान्टेक्ट की जांच एवं अनुरक्षण–

कुष्ठ रोग की पुष्टि के उपरान्त पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0 के चिकित्सा अधिकारी द्वारा सी0एच0ओ0/ए0एन0एम0 और M/F FLW को सूचित किया जायेगा कि वह कुष्ठ रोगी के निकट रहने वाले कान्टेक्टस की जांच कर लें, जिससे पी0ई0पी0 की प्रक्रिया जिसके दिशा–निर्देश सभी राज्यों/जनपदों को दिया जा चुका है के अनुसार करेंगे। सभी कुष्ठ रोगी के निकटतम कान्टेक्ट का एक नियमित प्रशिक्षित कर्मचारी द्वारा कुष्ठ रोग के लक्षणों हेतु जांचा जायेगा। यह भी कार्य सी0एच0ओ0–एच0डब्लू0सी0/चिकित्सा अधिकारी–पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0 के सुपरविजन में होगा। यदि कुष्ठ का एक भी रोगी मिलता है तो उसका एम0डी0टी0 द्वारा उपचार तत्काल शुरू किया जायेगा। अन्य कान्टेक्ट को रिफैम्पसिन की एकल डोज पी.ई.पी. के अन्तर्गत दी जायेगी। एम0डी0टी0 व पी.ई.पी. के लिए दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा। यदि कुष्ठ रोगी का निकटतम कान्टेक्ट घर से दूर है और जांच के लिए उपस्थित नहीं है तो ऐसे अनुपस्थित घर के सदस्य के लिए क्या करना है पैराग्राफ–एच में बताया गया है। सी0एच0ओ0–एच0डब्लू0सी0/चिकित्सा अधिकारी–पी0एच0सी0/ यू0पी0एच0सी0 नये कुष्ठ रोगी के सभी निकटतम कान्टेक्टस की जांच एवं उनकी पी0ई0पी0 सुनिश्चित करवाने हेतु (दिशा–निर्देशानुसार) उत्तरदायी होंगे।

(एच) किसी भी घर के अनुपस्थित सदस्य के लिए दिशा–निर्देशः–

यदि घर का कोई भी सदस्य लगातार जांच के दौरान (छह माह/एक साल) घर से दूर रहता है तो इस अवस्था में M/F FLW उस व्यक्ति का पूरा विवरण उसके तत्कालीन निवास स्थान के साथ साथ उसका फोन/मो0 नम्बर लें और उसका पता व फोन संबंधित सी0एच0ओ0/ए0एन0एम0 के साथ साझा करें। सी0एच0ओ0/ए0एन0एम0 यह सूचना विवरण पर्ची पर अंकित करेंगे और यह विवरण/सूचना चिकित्सा अधिकारी–पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0 के साथ साझा करेंगे। चिकित्सा अधिकारी–पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0 यह विवरण विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी के साथ साझा करेंगे और विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी यह विवरण सम्बंधित जिला कुष्ठ अधिकारी के साथ साझा करेंगे। जिला कुष्ठ अधिकारी यही सूचना राज्य कुष्ठ अधिकारी के साथ–साथ अन्य राज्य/जिला के अधिकारियों के साथ साझा करेंगे जहां पर वह व्यक्ति वर्तमान में निवास कर रहा है। अन्तिम चरण में राज्य कुष्ठ अधिकारी यह सूचना अन्य राज्य के राज्य कुष्ठ अधिकारी द्वारा जहां पर परिवार का यह अनुपस्थित सदस्य रह रहा है से समन्वय स्थापित करते हुए यह सूचना साझा करेंगे तथा अन्य राज्य/जिले द्वारा जांच आख्या संदर्भित करने वाले राज्य/जिला द्वारा साझा की जायेगी। तद्पश्चात राज्य कुष्ठ अधिकारी यह जांच आख्या सी0एल0डी0 को भेजेंगे।

Table 2: घर के अनुपस्थित सदस्य के सम्बन्ध में सूचना साझा करने हेतु प्रवाह चित्र–

सूचना का प्रवाह	M/F FLW द्वारा कुश्ठ रोग हेतु घर के सदस्यों की जांच	सूचना का प्रवाह
	यदि घर का कोई भी सदस्य घर से जांच के दौरान पूरे समय अनुपस्थित है तो	
	M/F FLW इस घर के सदस्य का पूर्ण पता व मो0 नम्बर सम्बंधित सी0एच0ओ0/ए0एन0एम0 से साझा करेंगे।	
	सी0एच0ओ0/ए0एन0एम0 यह सूचना सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0 से साझा करेंगे।	
	चिकित्सा अधिकारी पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0 यह सूचना विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी से साझा करेंगे।	
	विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी यह सूचना जिला कुष्ठ अधिकारी को देंगे।	
	जिला कुष्ठ अधिकारी यह सूचना राज्य कुष्ठ अधिकारी के साथ–साथ अन्य राज्य या जिले के जिला कुष्ठ अधिकारी से जहां वह व्यक्ति निवास कर रहा है, से साझा करेंगे।	
	राज्य कुष्ठ अधिकारी यह सूचना अन्य राज्य के राज्य कुष्ठ अधिकारी से जहां पर वह परिवार का सदस्य रह रहा है से साझा करेंगे।	
	राज्य कुष्ठ अधिकारी/जिला कुष्ठ अधिकारी अन्य राज्य के राज्य कुष्ठ अधिकारी एवं जिला कुष्ठ अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए उस परिवार के सदस्य की जांच सुनिश्चित करेंगे।	
	अन्य राज्य के राज्य कुष्ठ अधिकारी/जिला कुष्ठ अधिकारी जांच आख्या संदर्भित करने वाले राज्य के राज्य कुष्ठ अधिकारी/जिला कुष्ठ अधिकारी से साझा करेंगे।	
	दोनो राज्य कुष्ठ अधिकारी अपनी जांच आख्या सी0एल0डी0 से साझा करेंगे।	

A. प्रोत्साहन राशि की संरचना–

Table 3 रू M/F FLW की भूमिकायें एवं जिम्मेदारियाँ	
महिला FLW	पुरूष FLW
I. परिवार की सभी महिला सदस्यों की जांच पूरी करना और उनका रिकार्ड हाउस होल्ड जांच रजिस्टर में अंकित करना।	I. परिवार की सभी पुरूष सदस्यों की जांच पूरी करना और उनका रिकार्ड हाउस होल्ड जांच रजिस्टर में अंकित करना।
II. यदि किसी भी परिवार में कोई भी संदिग्ध मिलता है तो उसे चिकित्सा अधिकारी, पी0एच0सी0 के पास जांच एवं रोग की पुष्टि हेतु संदर्भित किया जायेगा।	II. यदि किसी भी परिवार में कोई भी संदिग्ध मिलता है तो उसे चिकित्सा अधिकारी, पी0एच0सी0 के पास जांच एवं रोग की पुष्टि हेतु संदर्भित किया जायेगा।

नोटः– दोनों M/F FLW जो जांच प्रक्रिया में शामिल हैं अपना अलग–अलग हाउस होल्ड जांच रजिस्टर बनायेंगे तथा परिवारों का समस्त विवरण अंकित करेंगे।

(आई) प्रोत्साहन राशि का विवरणः–

1. कुष्ठ रोग की जांच में शामिल M/F, FLW को रू. 1000/– प्रति FLW प्रति जांच के चरणों की संख्या के आधार पर और प्रत्येक जांच के चरणों की समस्त रिपोर्टिंग के बाद ही दिया जायेगा। कम व्यापकता दर वाले क्षेत्रों में जांच के एक चरण के बाद और अधिक व्यापकता दर वाले क्षेत्रों में जांच के दो चरणों के उपरान्त ही प्रोत्साहन राशि उस वित्तीय वर्ष में दी जायेगी। यह भुगतान आशा, सुपरवाइजर/ए0एन0एम0 द्वारा सम्बंधित राज्य/केन्द्र शासिक प्रदेश की प्रक्रियानुसार कार्य के सत्यापन के पश्चात किया जायेगा। ऐसे गांव जहां पर पिछले तीन सालों में एक भी कुष्ठ रोगी न निकला हो वहां के M/F FLW को जांच के लिए कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी जायेगी।
2. हर जांच के चरणों के अन्त में आशा सुपरवाइजर/फैसीलीटेटर 10 प्रतिशत प्रति आशा की दर से प्रोत्साहन राशि के हकदार होंगे। यह प्रोत्साहन राशि आशा सुपरवाइजर/फैसीलीटेटर को तभी दी जायेगी जब उसके द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत गांव/ग्रामों के प्रत्येक घर की कुष्ठ रोग के लिए जांच आशा द्वारा कर ली गयी है और संदिग्धों को आशा द्वारा संदर्भित किया जा चुका है और सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी–पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/डी0एच0 द्वारा रोग की पुष्टि की गयी हो और इसके सम्बंध में प्रमाण–पत्र (संलग्नक–9ए) आशा सुपरवाइजर/फैसीलीटेटर द्वारा भरकर सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी पी0एच0सी0 को दिया जायेगा। इसके पश्चात ही आशा सुपरवाइजर/फैसीलीटेटर को 10 प्रतिशत प्रति आशा की दर से धनराशि का भुगतान किया जायेगा। ***उदाहारणार्थ–*** यदि एक जांच के चरण दौरान किसी एक आशा सुपरवाइजर/फैसीलीटेटर के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत यदि 20 आशायें कार्य कर रही हैं तब वहां की आशा सुपरवाइजर/फैसीलीटेटर को रू. 2000/– की प्रोत्साहन राशि पूर्ण जांच के उपरान्त देय होगी। यदि 10 गांवों में केवल 10 आशाओं द्वारा किसी आशा सुपरवाइजर/फैसीलीटेटर के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है तो उसे रू. 1000/– की प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी।

   उक्त के अतिरिक्त नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि किसी भी M/F FLW को केवल उसी स्थिति में दी जायेगी जबके द्वारा संदर्भित संदिग्ध कुष्ठ रोगी में रोग की पुष्टि होती है तब उसे रू. 250/– विकलांग विहिन कुष्ठ रोगी हेतु देय होगा। यदि कुष्ठ रोगी विकलांगता सहित है तब उसे रू. 200/– दिये जायेंगे।

   उक्त के अतिरिक्त नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत यदि M/F FLW पी0बी0 कुष्ठ रोगी का उपचार पूरा कराता है तो रू. 400/– और रू. 600/– एम0बी0 कुष्ठ रोगी का उपचार पूर्ण होने पर दिया जायेगा।

   नोटः– कोई भी कर्मचारी जो राज्य सरकार से वेतन प्राप्त करता है, उन्हें कोई भी धनराशि का भुगतान इस गतिविधि के अन्तर्गत नहीं किया जायेगा।

प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु जरूरी दशाऐंः–

एक महिला FLW को तभी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा जब वह परिवार की सभी महिला सदस्यों की जांच कर लेती है और यदि उसे महिला संदिग्ध कुष्ठ रोगी मिलती है तो उसकी जांच एवं रोग की पुष्टि सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी, पी.एच.सी. द्वारा हो गयी हो। इसी तरह पुरूष को

तभी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा जब वह परिवार के सभी पुरूष सदस्यों की जांच कर लेता है तथा यदि उसे पुरूष संदिग्ध कुष्ठ रोगी मिलता है तो उसकी जांच एवं रोग की पुष्टि सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी, पी.एच.सी. द्वारा हो गयी हो। दोनो के कार्यों की जांच एक दूसरे से अलग पृथक–पृथक की जायेगी।

1. जब सारी उचित जानकारियाँ हाउस कोल्ड जांच रजिस्टर में सम्बंधित FLW द्वारा भर दिया जाता है और उसका सत्यापन आशा फैसीलीटेटर/ए0एन0एम0 के द्वारा कर लिया जाता है केवल तभी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।
2. यदि घर का कोई सदस्य पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रहता है तो FLW द्वारा उस सदस्य पता व फोन नम्बर विवरण/सूचना पर्ची पर भरकर सम्बंधित सी0एच0ओ0/ए0एन0एम0 को दिया जायेगा और यदि उन्होंने घरों में उपस्थित सभी महिला एवं पुरूष सदस्यों की जांच पूरी कर ली हो तथा विवरण पर्ची को भरकर दे दिया गया है। इसी के पश्चात ही वह प्रोत्साहन राशि के हकदार होंगे।
3. यदि ऊपर दी गयी सारी परिस्थितियों को FLW द्वारा पूर्ण किया जाता है तभी वह राज्य के द्वारा दी गयी प्रक्रिया के आधार पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए आशा फैसीलीटेटर/ए0एन0एम0 के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
4. आशा फैसीलीटेटर/सुपरवाइजर/ए0एन0एम0/एन0एम0एस0/चिकित्साधिकारी, पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0 द्वारा राज्य द्वारा दी गयी प्रक्रिया के आधार पर कार्य के सत्यापन के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा।
5. हाउस होल्ड जांच रजिस्टर जो कि FLW द्वारा प्रबंधित किया गया है इसके साथ ही संदर्भन पर्ची और पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0–ओ0पी0डी0/संदर्भन रजिस्टर की जांच सी0एच0ओ0/ए0एन0एम0/आशा फैसीलीटेटर/सुपरवाइजर द्वारा आशा/FLW के कार्य का निरीक्षण/सत्यापन किया जायेगा, जिस कार्य हेतु भुगतान के लिए वे दावा प्रस्तुत कर रहे हों।

(जे) पर्वेक्षण एवं निरीक्षण–

1. जांच के चरण के पूर्ण होने के पश्चात जब कोई आशा/प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत करती है तो सर्व प्रथम आशा फैसीलीटेटर/सुपरवाइजर द्वारा उसके दावा की पड़ताल हाउस होल्ड जांच रजिस्टर जोकि आशा द्वारा प्रबन्धन किया गया है व संदर्भन पर्ची की जांच करके किया जायेगा। वे आशा द्वारा जांच पूर्ण करने पर प्रमाणित करेंगे।
2. जब भी कोई M/F FLW द्वारा कुष्ठ रोग की जांच के लिए प्रोत्साहन राशि की भुगतान हेतु दावा प्रस्तुत किया जाता है तो सम्बंधित सी0एच0ओ0 (एच0डब्लू0सी0)/ए0एन0एम0 द्वारा 10 प्रतिशत व्यक्तियों जिनकी जांच M/F FLW द्वारा की गयी है उनका सत्यापन स्वतंत्र रूप से उनके द्वारा किया जायेगा। चिकित्सा अधिकारी पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कम से कम 10 प्रतिशत व्यक्तियों जिनकी जांच हो चुकी हो, उनकी पड़ताल एवं सत्यापन यकायक एवं स्वतंत्र रूप से करेंगे।
3. जांच के चरण को किसी भी गांव/शहरी क्षेत्र में बन्द करने से पहले सी0एच0ओ0/ए0एन0एम0 (एस0सी0/एस0डब्लू0सी0/यू0पी0एच0सी0) को अपने हस्ताक्षर के अन्तर्गत यह सत्यापित करना होगा कि दिये गये गांव/शहरी क्षेत्र की 100 प्रतिशत जनसंख्या की कुष्ठ रोग हेतु जांच हो गयी है और उनमें से 10 प्रतिशत जनसंख्या की पड़ताल उनके द्वारा की जा चुकी हो ओर किसी भी अनुपस्थित व्यक्ति की सारी सूचना सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 को जमा की जा चुकी है।
4. चिकित्सा अधिकारी–पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0) को यह सत्यापित करना होगा कि उसके अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0 के समस्त क्षेत्रों की 100 प्रतिशत जनसंख्या की कुष्ठ रोग हेतु जांच हो गयी है और उनमें से 10 प्रतिशत जनसंख्या की पड़ताल उनके द्वारा की जा चुकी हो ओर किसी भी अनुपस्थित व्यक्ति की सारी सूचना सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी सी0एच0सी0/यू0सी0एच0सी0 को जमा की जा चुकी है।
5. चिकित्सा अधिकारी सी0एच0सी0/यू0सी0एच0सी0 को यह सत्यापित करना होगा कि उसके अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सी0एच0सी0/यू0सी0एच0सी0 के समस्त क्षेत्रों की 100 प्रतिशत जनसंख्या की कुष्ठ रोग हेतु जांच हो गयी है और उनमें से 10 प्रतिशत जनसंख्या की पड़ताल उनके द्वारा की जा चुकी हो ओर किसी भी अनुपस्थित व्यक्ति की सारी सूचना सम्बंधित जिला कुष्ठ अधिकारी को जमा की जा चुकी है।

6. जिला कुष्ठ अधिकारी को यह सत्यापित करना होगा कि उसके अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सी0एच0सी0/यू0सी0एच0सी0 के समस्त क्षेत्रों की 100 प्रतिशत जनसंख्या की कुष्ठ रोग हेतु जांच हो गयी है और किसी भी अनुपस्थित व्यक्ति की सारी सूचना सम्बंधित राज्य कुष्ठ अधिकारी को जमा की जा चुकी है।
7. राज्य कुष्ठ अधिकारी को यह सत्यापित करना होगा कि उस राज्य की 100 प्रतिशत जनसंख्या की कुष्ठ रोग हेतु जांच हो गयी है और किसी भी अनुपस्थित व्यक्ति की सारी सूचना सम्बंधित राज्य कुष्ठ अधिकारी/जिला कुष्ठ अधिकारी को जमा की जा चुकी है। राज्य कुष्ठ अधिकारी द्वारा अंतिम रूप कार्य पूर्ण हो जाने पर राज्य स्तर से प्रमाण पत्र सी0एल0डी0 को भेजा जायेगा।
8. सम्बंधित राज्य कुष्ठ अधिकारी एवं जिला कुष्ठ अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत जांच की हुई जनंसख्या की पड़ताल सायकायक एवं स्वतंत्र रूप से की जायेगी और जांच के दावे की सच्चाई का पता लगाकर वह अपने को संतुष्ट करेंगे।

(क) सूचनाओं का प्रबन्धनः–

कुष्ठ हेतु हाउस होल्ड जांच रजिस्टर– प्रत्येक M/F FLW जोकि कुष्ठ रोग की जांच कार्य में सम्मिलित हैं उन्हें दिये गये प्रारूप पर हाउस होल्ड जांच रजिस्टर बनाना होगा। (संलग्नक–1)

यह रजिस्टर स्थाई रिकार्ड के रूप में बनाना चाहिए, जिससे यह कई वर्षों तक इस्तेमाल किया जा सके। दोनो M/F FLW द्वारा जो जांच प्रक्रिया में शामिल है अपना–अपना अलग–अलग रजिस्टर बनायेंगे और दिये गये प्रारूप पर रजिस्टर के समस्त कालम भरे जायेंगे। समस्त जानकारियां जो कि रजिस्टर में अंकित की जानी है, टेबल–4 में दी गयी हैं।

Table **रू 4** समस्त जानकारियां जो कि हाउस होल्ड जांच रजिस्टर में अंकित की जानी है।

मुख्य पृष्ठ का विवरण	परिवार का विवरण
1. राज्य का नामः 2. जिले का नामः 3. विकास खण्ड/वार्ड का नामः 4. गांव/शहरी क्षेत्र का नामः 5. गांव/शहरी क्षेत्र की जनसंख्याः 6. Sub- Centre/HWC/UPHC का नामः 7. CHO/MO/ANM का नामः 8. गांव या शहरी क्षेत्र के पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0 के इन्चार्ज का नामः 9. आशा/प्रशिक्षत कार्यकर्ता महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/एम0ए0एस0 का सदस्य (कुष्ठ रोग की जांच के लिए प्रशिक्षत) 10. पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता/एन0एम0एस0/प्रशिक्षत पुरूष कार्यकर्ता (कुष्ठ रोग की जांच के लिए प्रशिक्षित) 11. आशा फैसीलीटेटर/आशा सुपरवाइजर का नाम 12. ए0एन0एम0 (एस0सी0) का नामः	1. परिवार के सदस्यों की संख्याः _____ 2. पताः _____ 3. टेलीफोन नम्बर– (मुख्य रूप से तीन)_____ 4. परिवार के सभी सदस्यों का नाम, आयु, लिंग 5. जांच की तिथि : 6. यदि परिवार का सदस्य कहीं और रहता है तो उसका पता एवं मो0 नम्बरः 7. क्या वह कुष्ठ का उपचार ले रहा है/क्या वह कुष्ठ का पुराना और जानकार केस हैः 8. कुष्ठ का संदिग्ध (हां/नहीं) 9. कुष्ठ रोगी (हां/नहीं) : 10. एम0डी0टी0 उपचार शुरू करने की तिथिः 11. एम0डी0टी0 द्वारा उपचार पूरा करने की तिथिः

अन्य दस्तावेज

1. संदर्भन पर्ची, परिवार की जांच के दौरान पाये गये, संदिग्ध कुष्ठ रोगी हेतु विवरण/सूचना पर्ची, किसी भी परिवार के अनुपस्थित सदस्य/कान्टेक्ट के लिए गांव/शहरी क्षेत्र के स्तर की मासिक रिपोर्ट फार्म, सघन कुष्ठ रोगी खोज से सम्बंधित गतिविधियों के विवरण हेतु जोकि चिकित्सा अधिकारी पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0 को सी0एच0ओ0/ए0एन0एम0– उप खण्ड/एच0डब्लू0सी0/यू0पी0एच0सी0 द्वारा जमा किया जायेगा।
2. PHC/UPHC स्तर की मासिक रिपोर्ट फार्म जिस पर सघन कुष्ठ रोगी के खोज के विवरण को भरा जायेगा, वह चिकित्सा अधिकारी– PHC/UPHC द्वारा विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी को जमा किया जायेगा।

3. विकास खण्ड स्तर की मासिक रिपोर्ट फार्म जिस पर सघन कुष्ठ रोगी के खोज का विवरण को भरा जायेगा वह विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिला कुष्ठ अधिकारी को जमा किया जायेगा।
4. जिले स्तर की मासिक रिपोर्ट फार्म जिस पर सघन कुष्ठ रोगी के खोज का विवरण को भरा जायेगा वह जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा राज्य कुष्ठ अधिकारी को जमा किया जायेगा।
5. जिलेवार संकलित मासिक रिपोर्ट फार्म, जिस पर सघन कुष्ठ रोगी के खोज का विवरण को भरा जायेगा वह राज्य कुष्ठ अधिकारी द्वारा सी0एल0डी0 को जमा किया जायेगा।
6. जांच के चरणों को समाप्त करने हेतु प्रमाण पत्र–

a) हर आशा का जांच पूरा करने का प्रमाण पत्र आशा सुपरवाइजर/फैसीलीटेटर द्वारा हस्ताक्षर करकर सी0एच0ओ0–एच0डब्लू0सी0/चिकित्सा अधिकारी–पी0एच0सी0 को जमा किया जायेगा।
b) गांव/शहरी क्षेत्र की जांच पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र सी.एच.ओ. (एच.डब्लू.सी.)/ए.एन.एम. को हस्ताक्षर कर सम्बंधित पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0 में जमा किया जाये।
c) पी0एच0सी0 स्तर का जांच के चरण को पूरा करने हेतु प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी पी0एच0सी0 के हस्ताक्षर सहित सी0एच0सी0 पर जमा किया जायेगा।
d) यू0पी0एच0सी0 स्तर का जांच के चरण को पूरा करने हेतु प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी यू0पी0एच0सी0/पीच0एच0सी0 द्वारा सम्बंधित यू0सी0एच0सी0 पर जमा किया जायेगा। विकास खण्ड सी0एच0सी0/यू0सी0एच0सी0 स्तर का जांच चरण को पूरा करने हेतु प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी सी0एच0सी0/यू0सी0एच0सी0 द्वारा हस्ताक्षर करके सम्बंधित जिला कुष्ठ अधिकारी को जमा किया जायेगा।
e) जिले स्तर पर जांच चरण को पूरा करने हेतु प्रमाण पत्र जिला कुष्ठ अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर करके राज्य कुष्ठ अधिकारी को जमा किया जायेगा।
f) राज्य स्तर का जांच चरण को पूरा करने हेतु प्रमाण पत्र राज्य कुष्ठ अधिकारी द्वारा सी0एल0डी0 को जमा किया जायेगा।

Table: 5 सघन कुष्ठ रोगी खोज और नियमित निगरानी की मासिक रिपोर्टिंग निम्नलिखित चरणों में की जानी है–

↓	M/F FLW द्वारा हाउस होल्ड रजिस्टर का प्रबन्धन करेंगे और सम्बंधित उप खण्ड/शहरी क्षेत्र के सी0एच0ओ0/ए0एन0एम0/आशा फैसीलीटेटर को मासिक आधार पर दिखाया जायेगा और साथ ही में प्रोत्साहन राशि के लिए दावा प्रस्तुत किया जायेगा।
	सी0एच0ओ0/ए0एन0एम0 उप खण्ड/एच0डब्लू0सी0/शहरी क्षेत्र द्वारा ग्राम/शहरी क्षेत्र स्तर की मासिक रिपोर्ट दिये गये प्रारूप पर संबंधित चिकित्साा अधिकारी पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0 को जमा किया जायेगा।
	दिये गये प्रारूप पर चिकित्सा अधिकारी पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0 द्वारा पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0 की संकलित मासिक सूचना सम्बंधित विकास खण्ड स्वास्थ्य कार्यालय में जमा की जायेगी।
	विकास खण्ड की संकलित मासिक रिपोर्ट विकास खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिये गये प्रारूप पर सम्बंधित जिला कुष्ठ अधिकारी को जमा करेंगे।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आवंटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 पोर्टल के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।

- संविदा पर मानव संसाधन मद में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तर पर कार्यरत/वास्तविक मानव संसाधन/पदों को ही नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

20.8 मलेरिया कार्यक्रम

संविदा मानव संसाधन का मानदेय–

1. **Districts VBD Consultant (FMR-HSS.9.184.C.P294)** - वर्तमान में कुल 14 **Districts VBD Consultant** कार्यरत है। प्रति संविदा **Districts VBD Consultant** हेतु **@** रू0 **38810/Month** की दर से इस मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी है। जनपद में कार्यरत 14 संविदा **Districts VBD Consultants** हेतु जिन दरों पर मानदेय जो वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत (लॉयल्टी बोनस सम्मिलित करते हुये) उसी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु धनराशि 5 प्रतिशत की वेतनवृद्धि की धनराशि आवंटित किया जा रहा है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतनवृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनकपूर्ण कर लिया हो।

नोटः– कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में रिक्त पदों पर नियुक्ति राज्य स्तर से किया जायेगा।

2. **ASHA Incentive/ Honorarium for Malaria (NDCP.2.64.ASHA)**

भारत सरकार के पत्र संख्या V-11011/1/2022-NHM-II दिनांक 07.10.2022 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन स्टेरिंग ग्रुप (MSG) के कार्यवृत्त के एजेण्डा–15.जी0 के अनुसार रेडिकल उपचार पूर्ण कराने हेतु आशा को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि प्रति मलेरिया कनफर्म केस रू0 75 को बढ़ा कर रू0 200 प्रति मलेरिया कनफर्म केस कर दिया गया है। तत्क्रम में आशाओं को मलेरिया की रक्त पट्टिका बनाने अथवा आर0डी0टी0 किट से मलेरिया जांच करने पर रू0 15 प्रति जांच तथा रू0 200 प्रत्येक मलेरिया केस के पूर्ण आमूल उपचार एवं फालो–अप हेतु दिये जायेंगे। इस मद में कुल धनराशि रू0 68,00,500.00 का आवंटन ASHA Incentive/ Honorarium for Malaria का भुगतान करने हेतु जनपदों को आवंटित किया गया है।

3. **A- Monitoring, Evaluation and Supervision and epidemic preparedness (only mobility expences) (NDCP.2.64.PME)-**

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में इस मद के अन्तर्गत वेक्टर बॉर्न डिजीज कन्ट्रोल कार्यक्रम के सफल मॉनीटरिंग, सुपरविजन एवं इवैलुएशन एवं एपीडेमिक प्रिप्रेयर्डनेस हेतु जनपदीय अधिकारियों यथा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, वेक्टर बॉर्न एवं जिला मलेरिया अधिकारी व अन्य सम्बन्धित स्टॉफ को, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित मासिक दर (अधिकतम रू0 33,000.00 प्रति माह) के अनुसार, किराये पर एक वाहन (टैक्सी कोटे के अन्तर्गत) लिये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 99,00,000.00 आवंटित की गयी है।

B- Monitoring, Evaluation and Supervision and epidemic preparedness (only mobility expences) for Zonal Entomological units under MVCR (NDCP.2.64.PME)-

इस मद के अंतर्गत प्रत्येक सम्बन्धित मण्डलीय जनपद के जिला स्वास्थ्य समिति को रू0 132000.00 मण्डलीय कीट विज्ञान टीम के मोबिलिटी सपोर्ट, के लिये किराये पर एक वाहन (टैक्सी कोटे के अन्तर्गत) लिये जाने हेतु, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित मासिक दर (अधिकतम रू0 33000.00 प्रतिमाह) के अनुसार आवंटित की गयी है। इस मद में कुल धनराशि रू0 1188000.00 का आवंटन जोनल एण्टोमोलोजिकल यूनिट के मोबिलिटी सपोर्ट हेतु सम्बन्धित मण्डलीय 9 जनपदों–आगरा, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ झांसी, मेरठ, एवं वाराणसी को किया गया है।

4. **Printing of recording and reporting forms/registers for Malaria (NDCP.2.64.IEC.2)-** इस मद में रू0 5,62,500.00 का आवंटन 75 जनपदों को किया गया है। इस मद के अन्तर्गत जनपदों को रू0 7,500.00 की धनराशि Printing of recording and reporting forms/registers for Malaria हेतु आवंटित की गई है। जनपदों को आवंटित की गई धनराशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

5. A- Training / Capacity Building (Malaria) (NDCP.2.64.CB.1)-

इस मद में धनराशि रू0 31,60,125.00 का आवंटन Training/ Capacity Building (Malaria) हेतु 75 जनपदों को किया गया है, मलेरिया/वी0बी0डी0 कन्ट्रोल कार्यक्रम में ग्रामीण एवं अरबन आशाओं, ए0एन0एम0/स्वास्थ्य कार्यकर्ता के संवेदीकरण एवं दक्षता स्तर में सुधार हेतु प्रशिक्षण के लिये जनपदों को प्रदान की गई धनराशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

प्रत्येक बैच में लगभग 20–25 प्रतिभागी रहेंगे जिनमें 20–22 आशाओं तथा 2 से 3ए0एन0एम0/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रत्येक बैच के लिए रू0 4,500.00 की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें प्रशिक्षक को रू0 500.00 मानदेय देय होगा तथा प्रत्येक आशा को आने–जाने एवं प्रशिक्षण मानदेय हेतु रू0 100.00 की धनराशि उसके खाते में देय होगी तथा रू0 50.00 की धनराशि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के जलपान व्यवस्था में व्यय की जायेगी।

B- Training/Capacity Building (Malaria) for Zonal Entomological units under MVCR (NDCP.2.64.CB.1)--

इस मद के अंतर्गत रू0 1,57,500.00 धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में प्रत्येक सम्बन्धित मण्डलीय 9 जनपद–आगरा, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ झांसी, मेरठ, एवं वाराणसी को धनराशि रू0 17,500.00, स्टाफ यथा–एल0टी0, एस0एल0टी0, एम0आई0, एफ0आई0, एच0आई0 इत्यादि की 01 दिवसीय एण्टोमोलॉजिकल ओरिएन्टेशन ट्रेनिंग हेतु स्वीकृत की गयी है। इस 1 दिवसीय एण्टोमोलॉजिकल ओरिएन्टेशन ट्रेनिंग हेतु व्यय आर0सी0एच0 गाइड लाईन के अनुसार किया जायेगा।

5. IEC/BCC for malaria (NDCP.2.64.IEC.1)-

इस मद में कुल धनराशि रू0 8,65,000.00 का आवंटन जनपदों को किया गया है। जनपदों को आवंटित धनराशि का उपयोग मलेरिया व अन्य वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु एकीकृत रूप से जनहित में व्यापक जनजागरूकता लाने के लिये प्रचार–प्रसार (बैनर, पोस्टर, होर्डिंग माइकिंग इत्यादि द्वारा) एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा, जिससे जनसामान्य को मलेरिया व अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोक–थाम व उन्मूलन हेतु समुचित उपाय अपनाने के लिए जागरूक किया जा सके।

6. Zonal Entomological units (NDCP.2.64.OOC.1)-

इस मद के अंतर्गत प्रत्येक क्रियाशील/स्थापित जोनल एण्टोमोलॉजिकल यूनिट को जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में प्रत्येक सम्बन्धित मण्डलीय जनपद–आगरा, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ झांसी, मेरठ, एवं वाराणसी को रू0 25000.00 की धनराशि मण्डलीय कीट विज्ञान टीम के प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है। एन्टोमोलॉजिकल किट एवं कन्टिंजेन्सी इत्यादि पर व्यय वित्तीय नियमानुसार किया जायेगा। इस मद में रू0 225000.00 का आवंटन सम्बन्धित मण्डलीय 9 जनपद आगरा, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ झांसी, मेरठ, एवं वाराणसी को किया गया है–

Zonal Entomological Units (in RS)					
SN	**Districts**	**Training Budget (1 Day Training of around 70 staff- SLT/LT/IC/MI/FI/HI etc. @Apox. Rs.1000/head)**	**For POL/ Hiring of Vehicles @ Rs. 33000/ Month/Units Max or @ approved by DHS for 12 month)**	**Entomological Kit and Contingency (Rs.50000 /Unit)**	**Entomological Budget Total**
1	Agra	17500	132000	25000	174500
2	Prayagraj	17500	132000	25000	174500
3	Bareilly	17500	132000	25000	174500
4	Ayodhya	17500	132000	25000	174500
5	Gorakhpur	17500	132000	25000	174500
6	Jhansi	17500	132000	25000	174500
7	Lucknow	17500	132000	25000	174500
8	Varanasi	17500	132000	25000	174500
9	Meerut	17500	132000	25000	174500
Total Budget		**157500**	**1188000**	**225000**	**1570500**

7. Grant for decentralized commodities (NDCP.2.64.DS)- इस मद से औषधियाँ, आर0डी0टी0 किट मलेरिया, कीटनाशक आदि का क्रय भारत सरकार/उ0प्र0 शासन के नियमानुसार क्रय करें। डी–सेन्ट्रेलाइज्ड कमोडिटीज़ की सूची निम्नवत है। किसी भी प्रकार की अनियमितता की दशा में जनपदीय अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे–

List of decentralized commodities	Approved Budget (U.P.)
✓ Chloroquine phosphate tablets – For Malaria (NDCP.2.64.DS.01)	रू0 403750.00 का आवंटन
✓ Primaquine tablets 2.5 mg – For Malaria (NDCP.2.64.DS.02)	रू0 201875.00 का आवंटन
✓ Primaquine tablets 7.5 mg – For Malaria (NDCP.2.64.DS.03)	रू0 403750.00 का आवंटन
✓ Pyrethrum extract 2% for space spray (for 14 urban malaria units-Agra, Aligarh, Prayagraj, Badaun, Bulandshahar, Ghaziabad, Jhansi, Kanpur Nagar, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffar Nagar, Varanasi) (NDCP.2.64.DS.05)	रू0 350000.00 का आवंटन
RDT Malaria- bi-valent (Antigen based) (For Non Project states)-For Malaria. (NDCP.2.64.DS.04)	253.50 Lac (Kind grant) भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त मदों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक जनपद को आवंटित की गयी धनराशि से उक्त तालिका में (✓) माक्र की गयी कमोडिटीज का क्रय वित्तीय नियमों का पालन करते हुए शासन के नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।

8. Operational cost for spray wages (NDCP.2.64.OOC.2)-

वर्ष 2023 में होने वाले आई0आर0एस0 जनपदों को इस मद के अंतर्गतरू0 83,47,187.00 की धनराशि Operational cost for spray wages हेतु आवंटित की गई है। वर्ष 2023 के लिए कुल मजदूरी मद में भुगतान करने हेतु आई0आर0एस0 हेतु जिलों का चयन के आधार पर, मजदूरी मद का भुगतान डैप के अनुसार जनपदों द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

20.9 ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के समुचित संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 की राज्य कार्य योजना में विभिन्न मदों में आवंटित धनराशि के उपयोग से सम्बंधित वित्तीय दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1. ASHA Incentive for referral of AES/JE cases (NDCP.2.66.ASHA)

इस मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू0 5.10 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसे वर्ष 2022 में रिपोर्ट किए गए ए0ई0एस0 रोगियों की संख्या के आधार पर यह मानते हुए की सभी 100 प्रतिशत केस आशाओं द्वारा संदर्भित हैं, जनपदों को धनराशि आवंटित की जा रही है जिसका विवरण निम्नवत है–

Asha Incentive for referral of AES/JE Cases			
Old FMR 3.1.1.3.A.S04		New FMR-NDCP.2.66.ASHA	
S.No.	District	No. of AES/JE cases reported in 2022	Asha Incentive@ Rs.300 per case considering 100% referral from ASHA (Rounded Off) Rs
1	Gorakhpur	97	29000
2	Deoria	137	41000
3	Kushinagar	146	44000
4	Maharajganj	88	26000
5	Basti	50	15000
6	Siddharthnagar	75	23000
7	Sant Kabir Nagar	67	20000
8	Baharaich	28	8000
9	Shrawasti	56	17000
10	Gonda	58	17000
11	Balrampur	26	8000
12	Azamgarh	5	2000
13	Mau	3	1000
14	Lucknow	29	9000
15	Sitapur	30	9000
16	Raebareli	41	12000
17	Unnao	16	5000
18	Hardoi	93	28000
19	Lakhimpurkheri	30	9000
20	Ayodhya	13	4000
21	Barabanki	16	5000
22	Ballia	3	1000
	Total	**1107**	**333000**

आशा द्वारा ए0ई0एस0/जे0ई0 के संभावित रोगियों को निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय अथवा मेडिकल कॉलेज को सन्दर्भित करने पर यदि आशा द्वारा सन्दर्भित कोई रोगी ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगी के रूप में निदानित, पंजीकृत एवं उपचारित किया जाता है तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित रू0 300/– प्रति ए0ई0एस0 रोगी की दर से सम्बन्धित आशा को प्रोत्साहन राशि का

भुगतान किया जाये। आशा के खाते में यह प्रोत्साहन धनराशि समय से हस्तान्तरित की जाये। आशा को प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब ना किया जाये तथा ए0ई0एस0 रोगियों के सन्दर्भन हेतु आशा को प्रेरित किया जाये।

2. ICU Establishment in Endemic Districts-Other Operating Cost (NDCP.2.66.OOC):-

इस मद के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का जनपदवार विवरण निम्नवत है–

Other including Operating Costs (OOC)/Operational Cost of PICU, Mini PICU & ETC								
Old FMR-5.3.13					New FMR- NDCP.2.66.OOC			
S. No.	**District**	**No. of PICU**	**No. of MINI PICU**	**No. of ETC**	**PICU operational exp @Rs. 25000/Unit/ PM for 6 months**	**MINI PICU operational exp @Rs. 10000/Unit/PM for 6 months**	**ETC @ Rs. 1000/Unit/PM for 6 Months for Blood Sample Collection, Packaging & Transportation from ETC to DH**	**Total (Rs)**
1	Gorakhpur	1	3	18	150000	180000	108000	438000
2	Maharajganj	1	2	9	150000	120000	54000	324000
3	Kushinagar	1	2	13	150000	120000	78000	348000
4	Deoria	1	1	15	150000	60000	90000	300000
5	Basti	2	3	10	300000	180000	60000	540000
6	St. Kabir Nagar	1	2	6	150000	120000	36000	306000
7	Siddharthnagar	1	2	10	150000	120000	60000	330000
8	Behraich	1	0	10	150000	0	60000	210000
9	Lakhimpur Kheri	1	0	11	150000	0	66000	216000
10	Gonda	1	0	9	150000	0	54000	204000
11	Azamgarh	1	0	0	150000	0	0	150000
12	Mau	1	0	0	150000	0	0	150000
13	Rae-barili	1	0	9	150000	0	54000	204000
14	Sitapur	1	0	12	150000	0	72000	222000
15	Hardoi	1	0	8	150000	0	48000	198000
16	Shrawasti	0	0	6	0	0	36000	36000
17	Balrampur	0	0	10	0	0	60000	60000
18	Unnao	0	0	11	0	0	66000	66000
19	Lucknow	0	0	3	0	0	18000	18000
20	Barabanki	0	0	7	0	0	42000	42000
	District Total	**16**	**15**	**177**	**2400000**	**900000**	**1062000**	**4362000**

उपरोक्त तालिकानुसार 15 जनपदों में स्थापित समस्त 16 पी0आई0सी0यू0 हेतु रू0 25,000.00 प्रतिमाह प्रति पी0आई0सी0यू0 की दर से एवं समस्त 15 मिनी पी0आई0सी0यू0 हेतु रू0 10,000.00 प्रतिमाह प्रति मिनी पी0आई0सी0यू0 की दर से 06 माह हेतु धनराशि आवंटित की गई है, जिसका उपयोग प्रशासनिक व ऑपरेशनल व्यय यथा टेलीफोन/मोबाइल बिल, इण्टरनेट/डोंगल, वीकली एलर्ट/एनुवल डिजीज सर्विलेंस रिपोर्ट हेतु रिव्यू मीटिंग, कार्यालय व्यय, आफिस स्टेशनरी इत्यादि के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ई0टी0सी0 को सैम्पल कलेक्सन, पैकिंग एवं सैम्पल को ई0टी0सी0 से जिला अस्पताल भेजने हेतु रू0 1000 मासिक की दर से 06 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। यह धनराशि सम्बंधित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ब्लाक ई0टी0सी0 को निर्गत की जाएगी।

3. Monitoring and Supervision (NDCP.2.66.PME)-

Operational Expenses- ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए रू0 8000/– प्रतिमाह की दर से **06 माह** के लिए धनराशि आवंटित की गयी है, जिसका उपयोग कार्यालय उपयोगार्थ स्टेशनरी के क्रय, प्रिन्टिंग, टेलीफोन, इन्टरनेट बिलों के भुगतान इत्यादि हेतु नियमानुसार किया जायेगा।

Monitoring and Supervision				
Old FMR 16.1.2.2.7		New FMR-NDCP.2.66.PME		
S. No.	**Districts**	**Operational Cost @ 8000/M for 6 Months**	**Mobility @ 33000 for 4 Months**	**Total (Rs)**
1	AZAMGARH	48000	132000	180000
2	BAHRAICH	48000	132000	180000
3	BALLIA	48000	132000	180000
4	BALRAMPUR	48000	132000	180000
5	BARABANKI	48000	132000	180000
6	BASTI	48000	132000	180000
7	DEORIA	48000	132000	180000
8	AYODHYA	48000	132000	180000
9	GONDA	48000	132000	180000
10	GORAKHPUR	48000	132000	180000
11	HARDOI	48000	132000	180000
12	KANPUR DEHAT	48000	0	48000
13	LAKHIMPUR KHERI	48000	132000	180000

14	KUSHINAGAR	48000	132000	180000
15	LUCKNOW	48000	132000	180000
16	MAHARAJGANJ	48000	132000	180000
17	MAU	48000	132000	180000
18	RAEBARELI	48000	132000	180000
19	SAHARANPUR	48000	0	48000
20	SANTKABIR NAGAR	48000	132000	180000
21	SHRAWASTI	48000	132000	180000
22	SIDDHARTH NAGAR	48000	132000	180000
23	SITAPUR	48000	132000	180000
24	UNNAO	48000	132000	180000
	District Total	1152000	2904000	**4056000**

Mobiltiy- इस मद के अन्तर्गत ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम के अनुश्रवण, मूल्यांकन, रिपोर्टिंग एवं आउटब्रेक की स्थिति में भ्रमण हेतु जनपद/ब्लॉक स्तर पर मोबिलिटी, ट्रैवलकॉस्ट आदि के लिए जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित मासिक दर (अधिकतम रू0 33,000/– प्रति माह) की दर से **4 माह** हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है। वाहन का उपयोग जनपद/ब्लॉक स्तर पर तैनात ए0ई0एस0/जे0ई0 कन्सलटेन्ट अथवा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, वी0बी0डी0 के द्वारा ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम से सम्बंधित कार्यों के निर्वहन हेतु किया जायेगा।

आवंटित धनराशि का उपयोग डी0पी0एम0यू0 यूनिट की भॉति/जनपद स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित एजेन्सी से नियमानुसार टैक्सी परमिट वाहन को मासिक आधार पर अनुबन्धित कर किया जाना है। शासकीय वाहन उपलब्ध होने की स्थिति में उक्त मद से वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था की जायेगी।

4. District AES/JE Consultant (HSS.9.184.C.P293):-

डिस्ट्रिक ए0ई0एस0/जे0ई0 कन्सल्टेन्ट के स्वीकृत 15 पदों के सापेक्ष 6 जनपदों (गोरखपुर, बस्ती, मऊ, गोण्डा, श्रावस्ती एवं रायबरेली) में कार्यरत पदों हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस (यदि देय है) सम्मिलित करते हुए **09 माह** के लिए एवं जनपद कानपुर देहात हेतु मूल मानदेय रू0 40,000/– मासिक की दर से **6 माह** के लिये वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए धनराशि आवंटित की गयी है। 05 प्रतिशत की वेतन वृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 1 वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लिया हो। उपरोक्तानुसार जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है–

District AES JE Consultant (16.4.2.2.2.S04)- New FMR-HSS.9.184.C.P293									
S.No.	**Name of District**	**Approved Positions**	**In-Position**	**Vacant Position**	**Current Salary (F.Y. 2022-23)**	**Increment @5%**	**Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)**	**Total Monthly Salary for F.Y. 2023-24**	**Total Annual Salary (for existing HR 9 Months & for Vacant Zero) (Rs)**
1	Gorakhpur	1	1	0	61505	3075	0	64580	581220
2	Kushinagar	1	0	1	40000	0	0	40000	0
3	Basti	1	1	0	61505	3075	0	64580	581220
4	Sant Kabir Nagar	1	0	1	40000	0	0	40000	0
5	Siddharthnagar	1	0	1	40000	0	0	40000	0
6	Azamgarh	1	0	1	40000	0	0	40000	0
7	Mau	1	1	0	61505	3075	0	64580	581220
8	Gonda	1	1	0	61505	3075	0	64580	581220
9	Shrawasti	1	1	0	58576	2929	0	61505	553545
10	Balrampur	1	0	1	40000	0	0	40000	0
11	Lakhimpur Kheri	1	0	1	40000	0	0	40000	0
12	Rae-barili	1	1	0	61505	3075	0	64580	581220
13	Sitapur	1	0	1	40000	0	0	40000	0
14	Hardoi	1	0	1	40000	0	0	40000	0
15	Kanpur Dehat	1	0	1	40000	0	0	40000	240000
District Total		**15**	**6**	**9**	**726101**	**18304**	**0**	**744405**	**3699645**

5. Technical Assistant (HSS.9.184.C.P295) :-

इस मद के अन्तर्गत कुल 20 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 17 जनपदों (महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोण्डा, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई एवं कानपुर देहात) में कार्यरत टेक्निकल असिस्टेंट हेतु मानदेय वित्तीय वर्ष 2022–23 के मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि, लॉयल्टी बोनस (यदि देय है) एवं पी0एफ0 की धनराशि सम्मिलित करते हुए **09 माह** के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन वृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 1 वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

Program Assistant/District Technical Assistant (16.4.2.2.3.S01) New FMR-HSS.9.184.C.P295										
S.No.	Name of District	Approved Positions	In-Position	Vacant Position	Current Salary (F.Y. 2022-23)	Increment @5%	Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)	PF@ 13.36 %	Total Monthly Salary for F.Y. 2023-24	Total Annual Salary (for existing HR 9 Months & for Vacant Zero) (Rs)
2	Maharajganj	1	1	0	19019	951	0	2004	21974	197766
3	Kushinagar	1	1	0	23064	1153	0	2004	26221	235989
4	Deoria	1	1	0	19019	951	0	2004	21974	197766
5	Basti	1	1	0	23064	1153	0	2004	26221	235989
6	St. Kabir Nagar	1	1	0	23064	1153	0	2004	26221	235989
7	Siddharthnagar	1	1	0	19019	951	0	2004	21974	197766
8	Azamgarh	1	1	0	19019	951	0	2004	21974	197766
9	Mau	1	1	0	19019	951	0	2004	21974	197766
10	Ballia	1	1	0	23064	1153	0	2004	26221	235989
12	Gonda	1	1	0	23064	1153	0	2004	26221	235989
13	Shrawasti	1	1	0	21966	1098	0	2004	25068	225612
14	Balrampur	1	1	0	23064	1153	0	2004	26221	235989
15	Lakhimpur Kheri	1	1	0	19019	951	0	2004	21974	197766
16	Rae-barili	1	1	0	23064	1153	0	2004	26221	235989
17	Sitapur	1	1	0	23064	1153	0	2004	26221	235989
18	Hardoi	1	1	0	23064	1153	0	2004	26221	235989
19	Kanpur Dehat	1	1	0	23064	1153	0	2004	26221	235989
	District Total	**20**	**17**	**3**	**411720**	**18334**	**0**	**40080**	**470134**	**3772098**

6. Data Entry Operator (HSS.9.184.C.P365) :-

इस मद के अन्तर्गत जे0ई0 सेन्टिनल प्रयोगशालाओं हेतु डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के कुल 19 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 11 जनपदों (गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्वार्थनगर, मऊ, बहराईच, बलरामपुर एवं सीतापुर) में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन वृद्वि तथा नियमानुसार पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं अन्य वैधानिक देयता सम्मिलित करते हुए **09 माह** के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। 05 प्रतिशत मानदेय की वृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 1 वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

D.E.O. (16.4.3.1.9.S18) New FMR- HSS.9.184.C.P365													
S.No.	Name of District	Approved Positions	In- Position	Vacant Position	Current Salary (F.Y. 2022-23)	Increment@5 %	Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)	PF@ 13.36%	ESI@3.25%	Agency Service Charge@10% (Maximum)	GST@18%	Total Monthly Salary for F.Y. 2023-24	Total Annual Salary (for existing HR 9 Months & for Vacant Zero) (Rs)
1	Gorakhpur	1	1	0	11898	595	0	1669	406	1249	2874	18691	168219
2	Maharajganj	1	1	0	15377	769	0	2004	0	0	0	18150	163350
3	Kushinagar	1	1	0	15377	769	0	2004	0	0	0	18150	163350
4	Deoria	1	1	0	11898	595	0	1669	406	1249	2874	18691	168219
5	Basti	1	1	0	15377	769	0	2004	0	0	0	18150	163350
6	St. Kabir Nagar	1	1	0	15377	769	0	2004	0	0	0	18150	163350
7	Siddharthnagar	1	1	0	11331	567	0	1590	387	1190	2712	17777	159993
8	Azamgarh	1	0	1	11316	0	0	1512	368	1132	2579	16907	0
9	Mau	1	1	0	11898	595	0	1669	406	1249	2874	18691	168219
10	Ballia	1	0	1	11316	0	0	1512	368	1132	2579	16907	0
11	Behraich	1	1	0	15377	769	0	2004	0	0	0	18150	163350
12	Gonda	1	0	1	11316	0	0	1512	368	1132	2579	16907	0
13	Shrawasti	1	0	1	11316	0	0	1512	368	1132	2579	16907	0
14	Balrampur	1	1	0	12679	634	0	1779	0	0	0	15092	135828
15	Lakhimpur Kheri	1	0	1	11316	0	0	1512	368	1132	2579	16907	0
16	Rae-barili	1	0	1	11316	0	0	1512	368	1132	2579	16907	0
17	Sitapur	1	1	0	11316	566	0	1512	368	1188	2681	17631	158679
18	Hardoi	1	0	1	11316	0	0	1512	368	1132	2579	16907	0
19	Ayodhya	1	0	1	11316	0	0	1512	368	1132	2579	16907	0
	Total	**19**	**11**	**8**	**238433**	**7397**	**0**	**32004**	**4917**	**15181**	**34647**	**332579**	**1775907**

नोटः कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में रिक्त पदों पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदित एजेन्सी द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से बजट की उपलब्धता के अनुसार की जायेगी।

7. **Microbiologist (HSS.9.184.C.S0548):-** इस मद के अन्तर्गत जे0ई0 सेन्टिनल प्रयोगशालाओं हेतु माइक्रोबॉयोलाजिस्ट के कुल 19 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 4 जनपदों (आजमगढ़, बलिया, गोण्डा एवं सीतापुर) में कार्यरत माइक्रोबॉयोलाजिस्ट के लिये वित्तीय वर्ष 2022–23 के स्वीकृति मानदेय में 5

प्रतिशत की वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस (यदि देय है) सम्मिलित करते हुए **09 माह** हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 1 वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

Microbiologist (8.1.13.4.S01) New FMR- HSS.9.184.C.S0548									
S.No.	**Name of District**	**Approved Positions**	**In-Position**	**Vacant Position**	**Current Salary (F.Y. 2022-23)**	**Increment @5%**	**Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)**	**Total Monthly Salary for F.Y. 2023-24**	**Total Annual Salary (for existing HR 9 Months & for Vacant Zero) (Rs)**
1	Gorakhpur	1	0	1	55000	0	0	55000	0
2	Maharajganj	1	0	1	55000	0	0	55000	0
3	Kushinagar	1	0	1	55000	0	0	55000	0
4	Deoria	1	0	1	55000	0	0	55000	0
5	Basti	1	0	1	55000	0	0	55000	0
6	St. Kabir Nagar	1	0	1	55000	0	0	55000	0
7	Siddharthnagar	1	0	1	55000	0	0	55000	0
8	Azamgarh	1	1	0	73221	3661	3661	80543	724887
9	Mau	1	0	1	55000	0	0	55000	0
10	Ballia	1	1	0	73221	3661	3661	80543	724887
11	Behraich	1	0	1	55000	0	0	55000	0
12	Gonda	1	1	0	73221	3661	3661	80543	724887
13	Shrawasti	1	0	1	55000	0	0	55000	0
14	Balrampur	1	0	1	55000	0	0	55000	0
15	Lakhimpur Kheri	1	0	1	55000	0	0	55000	0
16	Rae-barili	1	0	1	55000	0	0	55000	0
17	Sitapur	1	1	0	73221	3661	3661	80543	724887
18	Hardoi	1	0	1	55000	0	0	55000	0
19	Ayodhya	1	0	1	55000	0	0	55000	0
District Total		**19**	**4**	**15**	1117884	14644	14644	1147172	2899548

8. **Paediatricians-:(HSS.9.184.C.S0126)** 15 जनपदों में स्थापित 16 पी0आई0सी0यू0 एवं 7 जनपदों मे स्थापित 15 मिनी पी0आई0सी0यू0 हेतु वर्ष 2022–24 की आर0ओ0पी0 में बालरोग विशेषज्ञों के कुल 67 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में 5 जनपदों (गोरखपुर, कुशीनगर, संतकबीर नगर, मऊ एवं सीतापुर) में ऑन–लाईन बिडिंग माडल के माध्यम से तैनात 09 बालरोग विशेषज्ञों को **09 माह** हेतु मानदेय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के दिशा–निर्देश पत्रांक सं0 18B/SPMU/DAP-HR/Appt./2018-19/2257, दिनांक 07.06.2018 के अनुसार देय होगा, जिसका विवरण निम्नवत है–

Paediatricians (8.1.2.2.S03) New FMR- HSS.9.184.C.S0126									
S.No.	**Name of District**	**Approved Positions**	**In-Position**	**Vacant Position**	**Current Salary (F.Y. 2022-23)**	**Increment @5%**	**Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)**	**Total Monthly Salary for F.Y. 2023-24**	**Total Annual Salary (for existing HR 9 Months & for Vacant Zero) (Rs)**
1	Gorakhpur	1	1	0	150000	0	0	150000	1350000
		2	2	0	120000	0	0	120000	2160000
		6	0	6	120000	0	0	120000	0
2	Maharajganj	7	0	7	120000	0	0	120000	0
3	Kushinagar	2	2	0	250000	0	0	250000	4500000
		4	0	4	120000	0	0	120000	0
4	Deoria	5	0	5	120000	0	0	120000	0
5	Basti	11	0	11	120000	0	0	120000	0
6	St. Kabir Nagar	1	1	0	180000	0	0	180000	1620000
		5	0	5	120000	0	0	120000	0
7	Siddharthnagar	7	0	7	120000	0	0	120000	0
8	Azamgarh	2	0	2	120000	0	0	120000	0
9	Mau	1	1	0	210000	0	0	210000	1890000
		1	1	0	201000	0	0	201000	1809000
10	Behraich	2	0	2	120000	0	0	120000	0
11	Gonda	2	0	2	120000	0	0	120000	0
12	Lakhimpur Kheri	2	0	2	120000	0	0	120000	0
13	Rae-barielly	2	0	2	120000	0	0	120000	0
14	Sitapur	1	1	0	245000	0	0	245000	2205000
		1	0	1	120000	0	0	120000	0
15	Hardoi	2	0	2	120000	0	0	120000	0
	District Total	**67**	**9**	**58**	3036000	**0.00000**	**0.00000**	3036000	15534000

9. **Medical Officer (HSS.9.184.C.S0280)** वर्ष 2022–24 की आर0ओ0पी0 में 15 जनपदों में स्थापित 16 पी0आई0सी0यू0 हेतु मेडिकल ऑफिसर के कुल 48 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष वर्तमान में 07 जनपदों (गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, रायबरेली एवं सीतापुर) में

कार्यरत 11 मेडिकल ऑफिसर्स हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत मानदेय में नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि एवं अर्ह कर्मियों का लॉयल्टी बोनस सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु **09 माह** के लिए धनराशि आवंटित की गयी है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन वृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो। उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का जनपदवार विवरण निम्नवत् है–

Medical Officer (8.1.5.S01) New FMR-HSS.9.184.C.S0280									
S.No.	**Name of District**	**Approved Positions**	**In-Position**	**Vacant Position**	**Current Salary (F.Y. 2022-23)**	**Increment@5%**	**Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)**	**Total Monthly Salary for F.Y. 2023-24**	**Total Annual Salary (for existing HR 9 Months & for Vacant Zero) (Rs)**
1	Gorakhpur	1	1	0	79877	3994	3994	87865	790784
		2	0	2	60000	0	0	60000	0
2	Maharajganj	1	1	0	92257	4613	0	96870	871830
		1	1	0	69458	3473	0	72931	656379
		1	1	0	66150	3308	6615	76073	684657
3	Kushinagar	1	1	0	92257	4613	0	96870	871830
		2	0	2	60000	0	0	60000	0
4	Deoria	3	0	3	60000	0	0	60000	0
5	Basti	2	2	0	87864	4393	0	92257	1660626
		4	0	4	60000	0	0	60000	0
6	St. Kabir Nagar	1	1	0	63000	3150	0	66150	595350
		1	1	0	60000	3000	0	63000	567000
		1	0	1	60000	0	0	60000	0
7	Siddharthnagar	3	0	3	60000	0	0	60000	0
8	Azamgarh	3	0	3	60000	0	0	60000	0
9	Mau	3	0	3	60000	0	0	60000	0
10	Behraich	3	0	3	60000	0	0	60000	0
11	Gonda	3	0	3	60000	0	0	60000	0
12	Lakhimpur Kheri	3	0	3	60000	0	0	60000	0
13	Rae-barili	3	1	2	63000	3150	0	66150	0
14	Sitapur	3	1	2	63000	3150	0	66150	0
15	Hardoi	3	0	3	60000	0	0	60000	0
	District Total	**48**	**11**	**37**	**1456863**	**36844**	**10609**	**1504316**	**6698456**

10. **Staff Nurse (HSS.9.184.C.S0013)** वर्ष 2022–24 की आर0ओ0पी0 में कुल स्वीकृत 1138 स्टाफ नर्स में से वर्तमान में विभिन्न जनपदों में पी0आई0सी0यू0, मिनी पी0आई0सी0यू0 एवं ई0टी0सी0 पर कार्यरत 590 स्टाफ नर्सों को वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि एवं अर्ह कर्मियों का लॉयल्टी बोनस सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु **09 माह** के लिए धनराशि आवंटित की गयी है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन वृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो। उपरोक्त मद में जनपदवार आवंटित की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है–

Staff Nurse (8.1.1.2.S03) New FMR-HSS.9.184.C.S0013									
S.N	**Name of District**	**Approved Positions**	**In-Position**	**Vacant Position**	**Current Salary (F.Y. 2022-23)**	**Increment @5%**	**Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)**	**Total Monthly Salary for F.Y. 2023-24**	**Total Annual Salary (for existing HR 9 Months & for Vacant Zero) (Rs)**
1	Gorakhpur	14	14	0	32290	1615	0	33905	4272030
		24	24	0	26626	1331	1331	29288	6326208
		76	0	76	20000	0	0	20000	0
2	Maharajganj	19	19	0	30752	1538	0	32290	5521590
		38	38	0	26626	1331	1331	29288	10016496
		17	0	17	20000	0	0	20000	0
3	Kushinagar	10	10	0	32290	1615	0	33905	3051450
		5	5	0	30752	1538	0	32290	1453050
		1	1	0	29288	1464	0	30752	276768
		36	36	0	26626	1331	1331	29288	9489312
		28	0	28	20000	0	0	20000	0
4	Deoria	19	19	0	30752	1538	0	32290	5521590
		47	47	0	26626	1331	1331	29288	12388824
		28	0	28	20000	0	0	20000	0
5	Basti	36	36	0	32290	1615	0	33905	10985220
		1	1	0	30752	1538	0	32290	290610
		29	29	0	26626	1331	1331	29288	7644168
		36	0	36	20000	0	0	20000	0
6	St. Kabir Nagar	16	16	0	32290	1615	0	33905	4882320
		29	29	0	26626	1331	1331	29288	7644168
		7	0	7	20000	0	0	20000	0

7	Siddharthnagar	17	17	0	30752	1538	0	32290	4940370
		50	50	0	26626	1331	1331	29288	13179600
		11	0	11	20000	0	0	20000	0
8	Azamgarh	11	11	0	26626	1331	1331	29288	2899512
		9	0	9	20000	0	0	20000	0
9	Mau	7	7	0	26626	1331	1331	29288	1845144
		2	2	0	30752	1538	0	32290	581220
		11	0	11	20000	0	0	20000	0
10	Behraich	18	18	0	30752	1538	0	32290	5230980
		42	0	42	20000	0	0	20000	0
11	Gonda	17	17	0	26626	1331	1331	29288	4481064
		1	1	0	32290	1615	0	33905	305145
		20	20	0	20000	1000	0	21000	3780000
		18	0	18	20000	0	0	20000	0
12	Lakhimpur Kheri	12	12	0	30752	1538	0	32290	3487320
		4	4	0	26626	1331	1331	29288	1054368
		24	24	0	20000	1000	0	21000	4536000
		24	0	24	20000	0	0	20000	0
13	Rae-barili	4	4	0	26626	1331	1331	29288	1054368
		12	12	0	20000	1000	0	21000	2268000
		40	0	40	20000	0	0	20000	0
14	Sitapur	2	2	0	26626	1331	1331	29288	527184
		1	1	0	25358	1268	0	26626	239634
		26	26	0	20000	1000	0	21000	4914000
		39	0	39	20000	0	0	20000	0
15	Hardoi	4	4	0	26626	1331	1331	29288	1054368
		14	14	0	20000	1000	0	21000	2646000
		34	0	34	20000	0	0	20000	0
16	Balrampur	40	0	40	20000	0	0	20000	0
17	Barabanki	28	0	28	20000	0	0	20000	0
18	Lucknow	12	0	12	20000	0	0	20000	0
19	Shrawasti	24	0	24	20000	0	0	20000	0
20	Unnao	20	20	0	20000	1000	0	21000	3780000
		24	0	24	20000	0	0	20000	0
	District Total	**1138**	**590**	**548**	**1354876**	**47745**	**18634**	**1421255**	**152568081**

11. **Ancillary Staff (HSS.9.184.C.S0460)-** एन्सिलेरी स्टाफ के वर्ष 2022–24 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत 64 पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 32 पदों हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि तथा नियमानुसार पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं अन्य वैधानिक देयता सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु **09 माह** के लिए धनराशि आवंटित की गयी है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतनवृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो। उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत है–

Ancillary Staff (8.1.9.6.S01) New FMR-HSS.9.184.C.S0460

S.No.	Name of District	Approved Position	In- Position	Vacant Position	Current Salary (F.Y. 2022-23)	Increment@5%	PF@ 13.36%	ESI@3.25%	Agency Service Charge@10% (Maximum)	GST@18%	Total Monthly Salary for F.Y. 2023-24	Total Annual Salary (for existing HR 9 Months & for Vacant Zero) (Rs)
1	Gorakhpur	2	2	0	12155	608	1705	415	1276	2909	19068	343224
		1	1	0	11576	579	1624	395	1216	2770	18160	163440
		1	1	0	11025	551	1547	376	1158	2638	17295	155655
4	Deoria	4	4	0	11576	579	1624	395	1216	2770	18160	653760
5	Basti	3	3	0	14775	739	2073	504	1551	3536	23178	625806
		2	2	0	14071	704	1974	480	1478	3367	22074	397332
		1	1	0	13401	670	1880	457	1407	3207	21022	189198
		1	1	0	12155	608	1705	415	1276	2909	19068	171612
		1	1	0	11025	551	1547	376	1158	2638	17295	155655
6	St. Kabir Nagar	3	3	0	14775	739	2073	504	1551	3536	23178	625806
		1	1	0	13401	670	1880	457	1407	3207	21022	189198
7	Siddharthnagar	2	2	0	14775	739	2073	504	1551	3536	23178	417204
		2	2	0	13401	670	1880	457	1407	3207	21022	378396
9	Mau	4	4	0	10607	530	1488	362	1114	2538	16639	599004
10	Behraich	4	4	0	12763	638	1790	436	1340	3054	20021	720756
	District Total	**64**	**32**	**32**	**272297**	**9575**	**37663**	**9157**	**28186**	**64238**	**421116**	**5786046**

20.10 कालाजार कार्यक्रम

IEC/BCC/Advocacy for Kala-azar (NDCP.2.65.IEC)

उपरोक्त मद में प्रचार–प्रसार हेतु आई0ई0सी0 तैयार करने के लिये जनपदवार दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

1. **Banners-** इस मद में प्रति बैनर अधिकतम रू0 150/– की दर से प्रत्येक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/प्रभावित गांव हेतु बैनर बनवाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप 6X3 फिट के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर में कराया जाना अनिवार्य है।
2. **Posters-** इस मद में प्रति पोस्टर अधिकतम रू 5.25/– की दर से प्रत्येक प्रभावित गांव में पोस्टर चिपकाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप 30X20 इंच के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर में कराया जाना अनिवार्य है। उक्त धनराशि में पोस्टर को चिपकायें जाने की दर भी सम्मिलित है।
3. **Sticker-** इस मद में प्रति स्टिकर अधिकतम रू 0.50/– की दर से प्रत्येक कालाजार प्रभावित ब्लाक में प्रति आशा हेतु 100 स्टिकर बनवाकर चिपकाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप A4/4 प्रन्टिंग में कराया जाना अनिवार्य है।
4. **Wall Writing-** सूचना विभाग की दरों पर वॉल राइटिंग कराना सुनिश्चित करे।
5. नुक्कड़ नाटक, ड्रम बीटिंग एवं अन्य प्रचार–प्रसार साधनों के माध्यम से कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम को स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रचार–प्रसार को गति प्रदान करे।

Case search/Camp Approach (NDCP.2.65.OOC.1)

केस सर्च कैम्प का मुख्य उद्देश्य कालाजार के नए/छिपे हुए रोगियों का पता लगाकर उनको पूर्ण रुप से उपचारित कर रोग के स्त्रोत को समाप्त करना है। इस धनराशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों पर करें। इस कार्य को अपने निर्धारित क्षेत्र/गांव में कराने की समस्त जिम्मेदारी ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की होगी। इसका पर्यवेक्षण जनपदीय वी0बी0डी0 एवं जे0ई0 कन्सल्टेण्ट (वी0बी0डी0 एवं जे0ई0 कन्सलटेण्ट न होने की स्थिति में जिला मलेरिया अधिकारी–VBD staff) द्वारा किया जाएगा, जिस हेतु जनपद स्तर से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

1. जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य कार्यक्रम अधिकारियों का कालाजार रोग के प्रति संवेदीकरण/प्रशिक्षण।
2. जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में प्रत्येक प्रभावित ब्लॉक से 02 सदस्य, जो प्रशिक्षण देने में कुशल हो, प्रतिभाग करेंगे एवं ब्लॉक स्तर पर आशाओं के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे जनपद स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षक को ब्लॉक पर ए0सी0डी0 के प्रशिक्षण हेतु (प्रति बैच–40 से 50 आशाओं) धनराशि रू0 500/– देय होगा।
3. जनपद के सी0डी0ओ0/बी0डी0ओ0/पंचायती राज/शिक्षा/आई.सी.डी.एस. इत्यादि विभागों के अधिकारियों/निजी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक सेण्टरों के प्रतिनिधियों का संवेदनीकरण।
4. आंगनबाड़ी कार्यकत्री/आशा को रोग के लक्षणों से परिचित कराकर कालाजार के संदिग्ध रोगी चिन्हित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षित सदस्य अपने कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य कैम्प के माध्यम से अथवा घर–घर जाकर करेंगें–
   - बुखार के रोगी जो 02 सप्ताह से अधिक अवधि से ज्वर से ग्रसित है उनका निकटतम पी0एच0सी0 पर सन्दर्भन करेंगे स्वयंसेवी संस्थाओ के कार्यकर्ताओ को भी प्रशिक्षण देकर खोज अभियान में प्रतिभागी बनायें।
   - पूर्व में कालाजार से ग्रसित रोगी के शरीर अथवा चेहरे पर चकत्ते दाग इत्यादि होने पर उनके पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमेनियासिस (PKDL) की पुष्टि हेतु निकटतम पी0एच0सी0 पर संदर्भन करेंगे
   - ब्लाक स्तर पर आशा को केस सर्च के आयोजन से पूर्व प्रशिक्षण कराया जाए, जिस हेतु प्रत्येक प्रशिक्षार्णी को मानदेय के रूप में रू0 100/– की धनराशि उसके खाते में देय होगी। केस सर्च के दौरान ए0सी0डी0 हेतु आशा को रू0 100/– प्रत्येक 50 घरों के भ्रमण के उपरान्त ए0एन0एम0/सुपरवाइजर द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि आशा के बैंक खाते में देय होगी। एक्टिव केस सर्च (ए0सी0एस0) वर्ष में 04 बार, फरवरी–मार्च, मई–जून, अगस्त–सितम्बर एवं नवम्बर–दिसम्बर माह में की जाएगी।
   - आशा द्वारा प्रत्येक कालाजार रोगी (VL&PKDL) को चिकित्सालय ले जाने तथा उसकी पुष्टि के उपरान्त प्रोत्साहन राशि के रूप में रू0 500.00 दिया जाएगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एम0एस0जी0 की पंचम बैठक दिनांक 27.02.2018 में लिए गए

निर्णय के क्रम में पत्रांक–03-94/2014-NVBDCP(KA)NHM /EPC/MSG Dated 03-07-2018 के अनुपालन में अप्रैल 2018 से प्रभावी माना जाए।

- कालाजार प्रभावित ग्रामों तथा उनके सीमावर्ती ग्रामों में कालाजार रोगी की खोज के उपरान्त प्रत्येक 03–04 ग्रामों के मध्य कैम्प का आयोजन किया जाए, जिससे क्षेत्र में खोजे गए रोगी की RK-39 kit से पुष्टि की जा सके तथा रोगी को ट्रीटमेंट सेन्टर पर संदर्भित किया जाए। कैम्प आयोजन हेतु ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा टीम बनाकर वाहन से क्षेत्र में भेजी जाएगी। प्रत्येक कैम्प के आयोजन हेतु अधिकतम धनराशि रू0 10000/– की व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत टीम की यात्रा एवं कैम्प की प्रगति के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु किराए पर वाहन (vehicle hire) लिया जा सकेगा, जिसकी दरें एन0एच0एम0 की अनुमोदित दरों के अनुसार होगा।
- प्रत्येक कालाजार धनात्मक केस की सी0आई0एफ0 चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरी जाएगी एवं PKDL केस का इलाज प्रारम्भ करने से पहले आई एग्जामिनेशन जेकलिस्ट भरा जायेगा। जिस हेतु उसे धनराशि रू0–200/– देय होगी। प्रत्येक धनात्मक रोगी के 01 माह, 06 माह एवं 12 माह पर फ्लोअप का दायित्व चिकित्सा अधिकारी का होगा।
- विगत 03 वर्षो में जिन गांवों में कालाजार रोगी पाये गये है, उनकी सूची बनाकर उन गांवों एवं उनसे समीपवर्ती ग्रामों में अवश्य खोज अभियान चलायें। कालाजार रोगी का गांव जिस उपकेन्द्र (Sub Center) के अन्तर्गत आता हो, उस उपकेन्द्र को ईकाई मानकर संपूर्ण उपकेन्द्र में खोज अभियान का संचालन किया जाए।

5. कालाजार प्रभावित जनपद के प्रत्येक पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 एवं जिला चिकित्सालयों में RK-39 रैपिड डायग्नोस्टिक किट की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे एवं जॉच किये संभावित रोगियों का विवरण सर्वेलेन्स रजिस्टर पर अंकित करेंगे।
6. इस मद के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु पठन–पाठन सामग्री pamphlet, booklet, patient identity card, referral slip, register, reporting formats, transportation of logistics आदि पर नियमानुसार व्यय किया जाये।
7. खोज अभियान के दौरान व्यापक प्रचार–प्रसार करायें।
8. सभी कालाजार रोगियों की HIV& TB की जांच करायी जाए तथा धनात्मक पायी जाने की दशा में यथोचित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से राज्य मलेरिया/वी.बी0डी0 मुख्यालय, उ0प्र0 को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। HIV& TB की जांच की रिपार्ट सी0आई0एफ0 के साथ लगाा कर रखें।

Spray Pumps and accessories (NDCP.2.65.EQ) इस मद मे आवंटित धनराशि का उपयोग अवशेषी कीटनाशक छिडकाव हेतु आवश्यक स्प्रे–पम्प रिपेयर, स्पेयर पार्ट की खरीद, बाल्टी, मग, छोटी/कम वजन तौलने की डिजिटल मशीन आदि सामग्री की व्यवस्था नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सुनिश्चित की जायेगी।

Operational cost for spray including spray wages (NDCP.2.65.OOC.2)

इस मद में आवटित धनराशि का उपयोग, छिडकाव कराने वाले मजदूरों को कीटनाशी के छिड़काव की मजदूरी के (रू0 403/– प्रतिदिन की दर से) भुगतान हेतु किया जायेगा। वर्ष में 02 चक्र में छिड़काव किया जायेगा–मार्च–अप्रैल एवं अगस्त–सितम्बर। प्रत्येक आई.आर.एस. स्प्रे राउण्ड में संबंधित आशा को जनजागरण एवं आई.आर.एस. में सहयोग हेतु रू 200.00 देय होगा।

प्रत्येक नये कालाजार अथवा पी.के.डी.एल. के रोगी की पुष्टि होने पर उसके ग्राम अथवा मोहल्ले में फोकल आई.आर.एस. स्प्रे किया जाएगा।

Monitoring and Evaluation (NDCP.2.65.PME.1)

मूल्याकंन एवं अनुश्रवण की गतिविधियों में गुणात्मक सुधार हेतु जिला स्तर से कार्ययोजना बनाकर राज्य स्तर पर प्रेषित की जाए। ए0सी0एम0ओ0, वी0बी0डी0/जिला मलेरिया अधिकारी/सहायक मलेरिया अधिकारी/मलेरिया निरीक्षक/फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी/जीव विज्ञानी/फाइलेरिया निरीक्षक/वी0बी0डी0 कन्सल्टेण्ट गतिविधियों के दौरान माह में कम से कम 15 दिन क्षेत्र का भ्रमण करेंगे एवं अपनी भ्रमण आख्या संबंधित प्रपत्रों के साथ राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे

एण्टोमोलॉजिकल टीम के द्वारा एण्टोमोलॉजिकल सर्वे करने हेतु हुए व्यय का भुगतान भी इसी मद के द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्पन्न होने वाली कार्यशाला में प्रतिभाग

करने पर होने वाले व्यय का भुगतान इस मद से किया जा सकेगा। ए0सी0डी0 एवं आई0आर0एस0 के दौरान एन0एच0एम0 की दरों के अनुरूप चार पहिया किराए पर लिया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम मासिक दर धनराशि रू0 3,5000/– होगी।

Training for spraying (NDCP.2.65.OOC)

इस मद के अंतर्गत धनराशि का उपयोग राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय टी0ओ0टी0 एवं आई.आर.एस. छिड़काव कराने वाले कर्मचारी/आशा के प्रशिक्षण एव छिड़काव की गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु कार्य पर नियमानुसार किया जाये। जनपद स्तरीय प्रशिक्षक (02), जो राज्य स्तर पर आहूत टी0ओ0टी0 में प्रशिक्षित किए गए है, को प्रशिक्षण हेतु धनराशि रू0 500/– देय होगा एवं प्रशिक्षण में प्रति प्रतिभागी के भोजन एवं जलपान हेतु धनराशि रू0 200/– अनुमन्य होगा।

Kala-azar loss of wages (NDCP.2.65.DBT)

कालाजार के रोगी को रोग की पुष्टि के उपरान्त उपचार पूर्ण होने पर रू 500.00 एवं पी.के.डी. एल. की पुष्टि होने पर रू 4,000.00 Loss of wages के रूप में दिया जाएगा, जिसका भुगतान दो सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करे। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एम0एस0जी0 की पंचम बैठक दिनांक 27.02.2018 में लिए गए निर्णय के क्रम में पत्रांक–03-94/2014-NVBDCP (KA) NHM/ EPC/MSG dated 03-07-2018 के अनुपालन में अप्रैल 2018 से प्रभावी माना जाए।

20.11 फाइलेरिया कार्यक्रम

State Task Force, State Technical Advisory Committee meeting, district coordination meeting – (NDCP.2.68.PME.3) जनपद के District Coordination Committee की बैठक में सूक्ष्म जलपान एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन किया जायेगा। मैपिंग करने वाले non endemic जनपदों के लिये धनराशि रू0 10,000.00 एवं एम0डी0ए0 और TAS वाले जनपदों के लिये धनराशि रू0 25,000.00 अनुमन्य है। एम0डी0ए0 कार्यक्रम के पूर्व 02 बैठकें, मध्य में 01 बैठक अन्त में 01 बैठक करनी है जिससे कार्यक्रम संबंधी समस्त समस्याओं का निराकरण समयान्तर्गत किया जा सके। TAS कार्यक्रम के पूर्व 01 बैठक, 01 बैठक, NBS, PRE TAS, TAS के उपरान्त की जानी है। मैपिंग करन वाले non endemic जनपदों में कार्यक्रम के पूर्व 01 बैठक अन्त में 01 बैठक करनी है। समस्त आयोजन गाइड लाइन्स के अनुसार संम्पादित कराये जाये।

डी0सी0सी0 की प्रत्येक बैठक के लिए धनराशि रू. 5000/ अनुमन्य है। इस मद में उपलब्ध शेष धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर मीडिया संवेदीकरण (प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी, अन्य स्थानीय रेडियो एवं टी0वी0 चैनल) हेतु आयोजित कार्यशाला में किया जाए तथा यह कार्यशाला कार्यक्रम के 02–04 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से करा ली जाए।

Printing of forms/registers for Lymphatic Filariasis (NDCP.2.68.IEC.1) इस मद में आवंटित धनराशि को जनपद में एम0डी0ए0 अभियान के अंतर्गत प्रपत्रों एवं परिवार–पंजिका इत्यादि में वहन किया जायेगा। परिवार–पंजिका को जेम–पोर्टल से क्रय किया जाए (यदि परिवार–पंजिका जेम–पोर्टल पर उपलब्ध न हो तो उत्तर प्रदेश सरकार की क्रय नियमावली का अनुपालन करते हुये मुद्रण कराया जाये जिसके लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अधिकतम धनराशि रू0 15.00 अनुमन्य है।

आई0डी0ए0 हेतु चयनित जनपदों में औषधि आइवरमेक्टिन की निर्धारित/उचित खुराक देने के लिए आवश्यक फ्लैक्स मेजरिंग टेप (रंगीन प्रिंट) को छपवाकर तैयार कराने के लिए इस मद में आवंटित बजट का उपयोग करे।

Flex Measuring Tape- (आई0डी0ए0 जनपदों हेतु) फ्लैक्स मेजरिंग टेप 12 सेमी0 चौड़ा एवं 180 सेमी0 लम्बा (रंगीन प्रिंट 04 कलर) में होगा, जिसका अधिकतम मूल्य रूपया 25/– होगा।

परिवार पंजिका एवं फ्लैक्स मेजरिंग टेप को मुद्रित कराने के उपरान्त, शेष धनराशि से फाइलेरिया रोग संबंधी विवरण पुस्तिका (Brochure) छपवाकर प्रत्येक ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को 10 ब्रोशर/लीफलेट जन प्रतिनिधियों (ग्राम प्रधान इत्यादि) को जागरूक कराने के उददेश्य से उपलब्ध करवायी जाए।

परिवार पंजिका मुद्रण संबंधी आवश्यक निर्देश– प्रत्येक परिवार पंजिका को 250–300 व्यक्तियों के नामों के अंकन के लिए पर्याप्त होना चाहिए एवं 01 पेज पर 25 से अधिक नामों के अंकन की व्यवस्था न हो (अधिकतम 25 लाईन प्रति 1–4 पेज अर्थात् प्रत्येक परिवार पंजिका में 12 पेज या 06 पन्ने व्यक्तियों के नामों के अंकन के लिए एवं 02 पेज 04 कलर में लिम्फोडिमा एवं हाइड्रोसील के चित्रों के लिए तथा 04

पेज दिशा–निर्देशों के लिए)। परिवार पंजिका का कवर पेज एवं 02 रंगीन पेज (फाइलेरिया रोग के चित्रों हेतु) 190 जी0एस0एम0 के तथा शेष पेज 70 जी0एस0एम0 का होना अनिवार्य है।

अर्बन आर0आई0 प्लानिंग यूनिट गैर सरकारी डी0ए0 एवं सुपरवाइजर के लिये आई0डी0 कार्ड की छपाई का प्राविधान रखा गया है जो कि एम0डी0ए0 राउण्ड के दौरान तक ही वैध रहेगा। आई0डी0 कार्ड 190 जी0एस0एम0 का होना अनिवार्य है एवं प्लास्टिक होल्डर और रिबन के साथ होगा।

इसके अतिरिक्त डी0ए0 प्रशिक्षण मॉडयूल की छपाई के लिये सभी 50 जी0एस0एम0 जनपदों के 758 ब्लाक/अर्बन आर0आई0 प्लानिंग यूनिट में रू0 500.00 प्रति ब्लाक अर्बन आर0आई0 प्लानिंग यूनिट के दर को संज्ञान में लेते हुये धनराशि रखी गयी है।

Monitoring & Evaluation (Post MDA assessment by medical colleges (Govt.&private) /ICMRinstitutions)(@Rs.35000 each MDA district)-(NDCP.2.68. SRRE.4)-

इस मद में जनपदों को रू0 35,000.00 की धनराशि आवंटित की जा रही है। उक्त कार्य मेडिकल कालेज (सरकारी एवं प्राइवेट)/आई0सी0एम0आर0 इन्स्टीट्यूशन द्वारा किया जायेगा। एम0डी0ए0 कार्यक्रम सम्पन्न होने के एक माह बाद इसे कराया जायेगा तथा दो माह की अवधि के अंदर पूर्ण कराना होगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का होगा। गत वर्ष में कार्यक्रम के लिये भी भुगतान इसी मद से सुनिश्चित करें।

Morbidity Management (NDCP.2.68.IEC.2)

इस मद के अर्न्तगत मॉरबिडिटी मैनेजमेन्ट के कार्य संपादित किए जाएंगे, जिसमें–

- लिम्फोडिमा मैनेजमेंट के लिए रू0 500.00 प्रति रोगी (बाल्टी, टब, मग, साबुन, छोटी तौलिया व एन्टी बैक्टिरियल या एन्टीफंगल क्रीम)तथा फाइलेरिया क्लीनिक के लिए न्यूमैटिक पम्प, लिम्फोडिमा मैनेजमेंट हेतु विशेष कम्प्रेशन बैण्डेज आदि के क्रय हेतु निर्धारित है। फाइलेरिया एम0एम0डी0पी0 किट को जेम–पोर्टल से क्रय किया जाए (यदि फाइलेरिया एम0एम0डी0पी0 किट जेम–पोर्टल पर उपलब्ध न हो तो उक्त किट की उपलब्धता हेतु जेम पोर्टल पर उसकी मांग अनिवार्य रूप से डाल दी जाए)।
- हाइड्रोसील ऑपरेशन कैम्प में एम0डी0ए0 अभियान के दौरान चिन्हित एवं लाइन लिस्ट किये गये हाइड्रोसील रोगियों को शल्य चिकित्सा प्रदान करने के लिए अधिकतम रू0 750.00 प्रति रोगी निर्धारित है। रू0 750.00 में से चिकित्सक/सर्जन का मानदेय रू0 250.00 स्टाफ नर्स का मानदेय रू0 50.00, दो अटेन्डेट प्रत्येक को मानदेय रू0 25.00, रोगी की औषधि हेतु रू0 300.00 एवं रोगी की ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था हेतु रू0 100.00 दिया जाना है। एम0डी0ए0 कार्यक्रम के दौरान लाइन–लिस्ट किए गए समस्त हाइड्रोसील केसेस का ऑपरेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि जनपद के सरकारी चिकित्सालयों में शल्य चिकित्सक न हो तो निजी चिकित्सालयों से शल्य चिकित्सकों को बुलाकर, कैम्प आयोजित करते हुए रोगियों का ऑपरेशन कराया जाए एवं चिकित्सकों को भुगतान उक्त मापदड़ों के अनुसार उनके बैंक खाते में किया जाए।
- इस मद में आवटित धनराशि को फाइलेरिया से ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु सामग्री, उपकरण तथा समुचित देखभाल (हॉस्पिटल बेस्ड एवं सेल्फ केयर) एवं हाइड्रोसील के रोगियों की शल्य–चिकित्सा पर व्यय किया जाना है।

Mobility support for Rapid Response Team (NDCP.2.68.PME.1)

इस मद में आवटित धनराशि को जनपद में एम0डी0ए0 अभियान के अंतर्गत जनपद के रैपिड रिस्पॉस टीम के वाहन व्यवस्था/पी0ओ0एल0 पर व्यय किया जाना है।

Monitoring & supervision-Lymphatic Filariasis (NDCP.2.68.PME.2)

इस मद में आवंटित धनराशि को जनपद में एम0डी0ए0/NBS/Pre TAS/TAS अभियान के दौरान जनपदीय ब्लाक स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु वाहन व्यवस्था/पी0ओ0एल0 पर व्यय किया जाए।

Micro filaria Survey (@Rs. 13200 each Block/ Urban RI Planning Unit) (NDCP.2.68. SRRE.3)-

एम0डी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत फाइलेरिया प्रभावित प्रत्येक जनपद को माइक्रो फाइलेरिया सर्वे हेतु धनराशि रू0 13200.00 आवंटित की गई है। माइक्रो फाइलेरिया सर्वे/नाइट ब्लड सर्वे हेतु प्रत्येक ब्लाक एवं आर0आई0 प्लानिंग यूनिट में 01 सेण्टीनल एवं 01 रैण्डम स्थलों का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक स्थल 04 व्यक्तियों (पैरामेडिकल, टेक्नीशियन एवं सहायक) के लिए प्रति स्थल 06 दिन के लिए रू0 150.00 प्रतिदिन के आधार पर मानदेय एवं प्रति व्यक्ति प्रति स्थल रू0 225.00 यात्रा भत्ता

तथा प्रति स्थल रू0 300.00 स्लाइड जांच (रू 1.00 प्रति स्लाइड की दर से) हेतु एवं रू0 3600.00 प्रत्येक ब्लाक एवं अर्बन ब्लाक एवं अर्बन आर0आई प्लांनिग यूनिट कन्टीजेन्सी भुगतान हेतु निर्धारित है। कन्टीजेन्सी भुगतान से आवश्यक स्लाइड, कॉटन, स्प्रिट, स्टेन एवं लैन्सेट आदि पर व्यय होना है। माइक्रोफाइलेरिया सर्वे एम0डी0ए0 गतिविधि पूर्व, Pre TAS पूर्व एवं मैपिंग हेतु किया जाना है। यह सर्वे 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगो में ही किया जायेगा। माइक्रो फाइलेरिया सर्वे में पाये गये एम0एफ0 धनात्मक रोगियों की सूची बनवाते हुये single dose therapy (DEC+ALB+IVR) से उपचार कराना सुनिश्चित कराये।

Microfilaria survey budget details-

S.no	NBS Budget Details (Bold)	NBS at 2 sites with 600 slides (300 at each site)
1	TA Rs.225 x 4 Persons x 2 Sites.	1800
2	Honorarium Rs.150 x4 Persons x 6 Days x 2 Sites.	7200
3	Honorarium for examination of Slides to Technician.	600
4	Replenishment of slides, stain, cotton swab, lancet, pencil marker etc. (Contingency)	3600
Total		**13200**

Additional MF Survey (NDCP.2.68.SPPE.1)

जो भी ब्लॉक अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट माइक्रो फाइलेरिया सर्वे में पास हो जाते हैं यानी प्रत्येक साइट पर MF Rate <1 आता है वह ICT/TAS सर्वे की एक्टिविटी में जाने से पूर्व अपने यहां एडिशनल MF survey सर्वे करवायेंगे। अगर FTS की उपलब्धता होती है तो यह सर्वे FTS के द्वारा किया जाएगा अन्यथा सर्वे की गतिविधि नाइट ब्लड सर्वे के माध्यम से की जाएगी। एडिशनल माइक्रो फाइलेरिया सर्वे हेतु प्रत्येक ब्लॉक एवं अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट में 02 सेन्टीनल एवं 01 रैण्डम स्थलों का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक स्थल 04 व्यक्तियों (पैरामेडिकल, टेक्नीशियन एवं सहायक) के लिए प्रति स्थल स्थल 06 दिन के लिए रू0 150.00 प्रतिदिन के आधार पर मानदेय एवं प्रति व्यक्ति प्रति स्थल रू0 225.00 यात्रा भत्ता एवं रू0 7000.00 प्रत्येक ब्लॉक एवं अर्बन आर0आई0 प्लानिंग यूनिट पर कन्टीजेन्सी भुगतान हेतु निर्धारित है। कन्टीजेन्सी भुगतान से आवश्यक कॉटन, स्प्रिट, स्टेन एवं लैन्सेट आदि पर व्यय होना है। यह सर्वे 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में ही किया जाएगा। सर्वे में पाये गये FTS positive लोगों में नाइट ब्लड सर्वे के माध्यम से एम0एफ0 जांच की जाएगी। एम0एफ0 धनात्मक रोगियों को सूची बनवाते हुए single dose therapy (DEC + ALB + IVR) से उपचार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

Table 2: Block wise implementation of Pre TAS activity budget table:

SN	Pre TAS Budget Details	Pre TAS at 3 sites with 900 valid samples. (300 at each site)
1	TA Rs.225 x 4 Persons x 3 Sites.	3060
2	Honorarium Rs.150 x4 Persons x 6 Days x 3 Sites.	10800
3	Replenishment of marker pen cotton swab, lancet, pencil, gloves etc. (Contingency)	7000
Total		**20860**

ICT Survey / TAS Activity: (NDCP.2.68.SPPE.1)

जो भी ब्लॉक/अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट एडिशनल माइक्रो फाइलेरिया सर्वे में पास हो जाते हैं यानी प्रत्येक साइट पर एम0एफ0 रेट < 1 आता है वह ICT/TAS सर्वे की एक्टिविटी करवाएंगे। सभी पास हुए ब्लॉक/अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट जो कि आस–पास हो, उनको जोड़कर एक यूनिट के रूप में बनाते हुए 5,00,000 की जनसंख्या वाले समूह के EU (Evaluation Unit) बनायेंगे। TAS गतिविधि में पास होने के उपरांत एम0डी0ए0 की गतिविधि बंद करते हुए सर्विलांस जारी रखेंगे अन्यथा एम0डी0ए0 की तैयारी करेंगे TAS की गतिविधि के सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक EU के लिए धनराशि रू0 2,62,500.00 (IDA जिले के लिये) एवं रू0 1,50,000.00 (MDA जिले के लिये) अनुमन्य है।

Post-MDA surveillance (NDCP.2.68. SRRE.5)

जो जनपद सम्पूर्ण TAS गतिविधि पूर्ण कर चुके हो उनके यहां ब्लॉकवार नाइट ब्लड सर्वे की गतिविधि जारी रहेगी इस गतिविधि को सुचारु रुप से चलाने हेतु धनराशि रुपया 70,000.00 प्रति EU अनुमन्य है।

Training/Sensitization of district level officers on ELF & Drug administrator including Peripheral health workers- (NDCP.2.68.CB)

- इस मद में जनपदों को आवंटित धनराशि से जनपद स्तरीय अधिकारीगण/ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण/पैरामेडिकल कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों/ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के एक दिवसीय प्रशिक्षण में होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा।
- जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में प्रत्येक ब्लॉक से 02–03 सदस्य, जो प्रशिक्षण देने में कुशल हो, प्रतिभाग करेंगे एवं ब्लॉक स्तर पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे (अप्रशिक्षित प्रशिक्षक द्वारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा)। जनपद स्तरीय प्रशिक्षक (02), जो राज्य स्तर पर आहूत टी0ओ0टी0 में प्रशिक्षित किए गए है, को प्रशिक्षण हेतु धनराशि रू0 500/– देय होगा एवं प्रशिक्षण में प्रति प्रतिभागी के भोजन एवं जलपान हेतु धनराशि रू0 100/– अनुमन्य होगा।
- ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में अधिकतम 40 ड्रग एडमिनिस्ट्रेटरों का बैच बनाकर प्रशिक्षण दिया जाए। प्रत्येक ब्लॉक एवं अर्बन क्षेत्र में स्थापित प्रत्येक आर0आई0 यूनिट हेतु माइक्रोप्लान विकसित कराने हेतु मीटिंग कराने तथा रिपोर्ट तैयार कराये जाने के लिए प्रति ब्लॉक/आर0आई यूनिट (अर्बन क्षेत्र) धनराशि रू0 2000/– अनुमन्य है। यह धनराशि बी0सी0पी0एम0/अर्बन कोर्डिनेटर को देय होगी।
- माइक्रोप्लान एवं रिर्पोटिंग का प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक ब्लॉक/आर0आई0 यूनिट हेतु धनराशि रू0 2000.00 निर्धारित किया गया है, जिसमें माइक्रोप्लान एवं रिर्पोटिंग का प्रशिक्षण तथा माइक्रोप्लान बनाना तथा उसकी छायाप्रति (कुल 05 प्रति) कराया जाना सम्मिलित है।
- दवा सेवन हेतु बनायी गई 02 सदस्यीय टीम को प्रशिक्षित किया जाएगा एवं प्रत्येक टीम को प्रशिक्षित होने पर धनराशि रू0 100/– देय होगा एवं प्रशिक्षक (टी0ओ0टी0 द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षक) को प्रति बैच धनराशि रू0 500/– देय होगा।
- लाभार्थियों को दवा सेवन हेतु प्रेरित किए जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को फाइलेरिया रोग संबंधी विवरण पुस्तिका (Brochure) उपलब्ध करवायी जाए।
- MMDP गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण को सुचारू रूप से कराने के लिए सभी endemic जिलों को धनराशि रू0 100000.00 अनुमन्य है। इस धनराशि से सूक्ष्म जलपान एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन किया जायेगा। जिला एवं ब्लाक/अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट जहां भी फाइलेरिया के मरीज हो, वहां प्रशिक्षण को करवाना सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए धनराशि रू0 20,000.00 एवं प्रत्येक ब्लाक/अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट स्तरीय प्रशिक्षण के लिए रू0 5,000.00 अनुमन्य है। इस मद में उपलब्ध शेष धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर मीडिया संवेदीकरण (प्रिंट मीडिया, आकाशावाणी, अन्य स्थानीय रेडियों एवं टी0वी0 चैनल) हेतु आयोजित कार्यशाला में किया जाए तथा यह कार्यशाला, कार्यक्रम के 02–04 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से करा ली जाए।
- TAS की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण को सुचारू रूप से कराने के लिए सभी TAS करवाने वाले जिलों को धनराशि रू0 50,000.00 अनुमन्य है। NBS/Pre TAS/TAS सभी गतिविधियों से पूर्व प्रशिक्षण का होना अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण के लिए संबंधित लैब टेक्नीशियन, ब्लॉक सहायक स्टॉफ एवं समस्त वी0बी0डी0 स्टॉफ का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। इस धनराशि से सूक्ष्म जलपान, लॉजिस्टिक एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन किया जायेगा।
- मैपिंग करने वाले non endemic जिलों में कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण को सुचारू रूप से कराने के लिए सभी TAS करवाने वाले जिलों को रू0 25,000.00 धनराशि अनुमन्य है। इस प्रशिक्षण के लिए संबंधित लैब टेक्नीशियन, ब्लॉक सहायक स्टॉफ एवं समस्त वी0बी0डी स्टॉफ का होना सुनिश्चित करें। इस धनराशि से में सक्ष्म जलपान, लॉजिस्टिक एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिए संबंधित लैब टेक्नीशियन, ब्लॉक सहायक स्टॉफ एवं समस्त वी0बी0डी स्टॉफ की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

Honorarium for Drug Administrator including ASHA & Supervisors involved in MDA (NDCP.2.68.ASHA)-

- Drug Administrators, house-to-house भ्रमण कर लाभार्थियों की रजिस्टर में सूची अनुसार डी0ई0सी0 एवं अल्बेन्डाजॉल औषधियॉ, एम0डी0ए0 के दिशानुसार मात्राओं मे सेवन करायेंगे। औषधि का सेवन कराने से पूर्व बैच नम्बर अवश्य नोट कर लें।
- प्रत्येक टीम में 02 Drug Administrator होंगे, जिनका कार्य 01 दिन में 125 लाभार्थियों (लगभग 25 घर) को अपने सामने औषधि सेवन कराना है, जिस हेतु प्रत्येक 125 लाभार्थियों को दवा सेवन से आच्छादित करने पर प्रत्येक टीम को धनराशि रू0– 250 मानदेय देय होगा। प्रत्येक पर्यवेक्षक (Supervisor) को प्रत्येक दिन के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए प्रति टीम धनराशि रू0– 50 देय होगा। (यदि आशा के क्षेत्र में 1250 जनसंख्या से कम है तो 10 दिन से कम का ही माइक्रोप्लान बनाए।) ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाना अनिवार्य है। 01 पर्यवेक्षक द्वारा 01 दिन में अधिकतम 06 टीमें ही पर्यवेक्षित की जाएगी।
- जनपद के द्वारा फाइलेरिया मद में उपलब्ध कराये गये बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय विवरण में फाइलेरिया मद में आवंटित धनराशि के सोपक्ष अलग–अलग कार्यकलापों का उल्लेख कर उन पर व्यय की गई राशि के साथ साक्ष्य स्वरूप भुगतान के वाउचर/रसीद की हस्ताक्षरित छाया प्रतियॉ, भ्रमण के दौरान भारत सरकार एवं राज्य मुख्यालय स्तर से आपके जनपद में आने वाली टीमों को भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जायें। फाइलेरिया कार्यक्रम से सम्बन्धित जनपदों में विगत वर्षो की कितनी राशि अवशेष है, का भी विवरण उपलब्ध करायें।

Specific IEC/BCC for Lymphatic Filariasis at State, District, PHC, Sub-centre and village level including VHSC/Gks for community mobilization efforts to realize the desired durg compliance of 85% during MDA-(NDCP.2.68.IEC.3)
आई0ई0सी0 तैयार करने हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

- **Banners-** इस मद में प्रति बैनर अधिकतम रू0 150/– (एक सौ बीस रूपया मात्र) की दर से प्रत्येक उपकेन्द्र हेतु 02 बैनर बनवाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप 6X3 फिट के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में कराया जाना अनिवार्य है। बस स्टैंड, बाजार अन्य एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों के लिये 25 प्रतिशत अतिरिक्त बैनर बनवायें।
- **Posters-** इस मद में प्रति पोस्टर अधिकतम रू0 5.25 (पॉच रूपया पच्चीस पैसे मात्र) की दर से प्रत्येक आशा हेतु 10 पोस्टर बनवाकर चिपकाना सुनिश्चित करें। यह पोस्टर मेपलिथो पेपर (80 जी0एस0एम0) पर होंगे, जिसकी न्यूनतम माप 30X20 इंच के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में कराया जाना अनिवार्य है, जिसमें रू0 5/– (पांच रूपया मात्र) प्रिन्टिंग मूल्य एवं रू0 0.25 (पच्चीस पैसे मात्र) चस्पा करने का मूल्य है। (200 पोस्टर्स का पैकेट तैयार किया जाए)
- **Brochure-** यह विवरण पंजिका A/4 साइज आर्ट पेपर 100 जी0एस0एम0 पर 03 फोल्ड में होगी तथा प्रिंटिग दोनो तरफ होगी। प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में होगी। इसका अधिकतम मूल्य रूपया 2.50 (दो रूपया पचास पैसे मात्र) होगा। 200 विवरण पंजिका का 01 पैकेट तैयार किया जाए।
- **Leaflet-** यह पत्रक A/4 साइड आर्ट पेपर 100 जी0एस0एम0 पर प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में होगा तथा प्रिंटिग दोनो तरफ होगी। इसका अधिकतम मूल्य रूपया 2.00 (दो रूपया मात्र) होगा। 200 पत्रक का 01 पैकेट तैयार किया जाए।
- ग्राम प्रधान के सहयोग से डुग्गी पिटवाना एवं अन्य प्रचार–प्रसार साधनों के माध्यम से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रचार–प्रसार को गति प्रदान करे।

Contingency support (NDCP.2.68.PME.4)

- इस मद से स्टेशनरी क्रय (चॉक, indelible माक्रर पेन, रस्सी गोद, पेन इत्यादि) तथा औषधियों को राज्य मलेरिया मुख्यालय से लाने एवं जनपदीय मुख्यालय से ब्लॉक स्तर तक आपूर्ति हेतु परिवहन संबंधी व्यय का भुगतान किया जा सकता है।

- मैपिंग करने वाले non endemic जिलों कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए धनराशि रू0 25,000.00 अनुमन्य है। इस धनराशि से लॉजिस्टिक का आवागमन, फॉर्मेट की छपाई एवं प्रचार–प्रसार सामग्री की छपाई के लिए किया जाना है। इसके अतिरिक्त हर ब्लॉक/अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट में नाइट ब्लड सर्वे के प्रचार–प्रसार के लिए धनराशि रू0 1000.00 अनुमन्य है।
- TAS की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए धनराशि रू0 50,000.00 अनुमन्य है। इस धनराशि से लॉजिस्टिक का आवागमन, फॉर्मेट की छपाई एवं प्रचार–प्रसार सामग्री की छपाई के लिए किया जाना है। इसके अतिरिक्त हर ब्लॉक/अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट मे नाइट ब्लड सर्वे के प्रचार–प्रसार के लिए धनराशि रू0 1000.00 अनुमन्य है। नाइट ब्लड सर्वे में उत्तीर्ण होने के बाद PRE TAS और TAS गतिविधि के प्रचार–प्रसार के लिए धनराशि रू0 10,000.00 अनुमन्य है।

नोट– मुद्रण कार्य हेतु टेण्डर करते समय दिए गए मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए व मानकों के साथ किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। समस्त सामग्री के मुद्रण उपरान्त उसकी प्राप्ति की सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाए, जिससे राज्य स्तर पर गठित टीम द्वारा उसका भौतिक सत्यापन किया जा सके। भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही सामग्री का वितरण कराया जाए।

20.12 डेंगू एवं चिकनगुनियां कार्यक्रम

NDCP.2.67 (NVBDCP) (Dengue & Chikungunya)

1. Dengue and Chikunguny case management (NDCP.2.67.OOC.1)

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में इस मद में प्रति जिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय हेतु रू0 10000/– की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। जिला चिकित्सालय एवं जिला संयुक्त चिकित्सालय में चिन्हित डेंगू/संचारी रोग वार्डों को मच्छर/वेक्टर रोधी बनाया जायेगा, जिस हेतु इस मद के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का उपयोग खिड़कियों पर जाली लगाने, वार्ड में उपलब्ध सभी बेड हेतु LLIN (मच्छरदानी) लगाने एवं मच्छर को भगाने/मारने वाली मशीन हेतु किया जाना है।

2. Other incentive to ASHAs (for Dengue & Chikungunya) in urban (NDCP.2.67.ASHA.1) and Asha incentive for Dengue & Chikungunya (NDCP.2.67.ASHA.2)-

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में उपरोक्त दोनों मद Asha incentive for Dengue & Chikungunya (ग्रामीण आशाओं हेतु) एवं Other incentive to ASHAs for Dengue & Chikungunya (शहरी आशाओं) हेतु पांच उच्च संचरण (High Transmission Season) वाले महीनों के लिए हेत रू0 200/– प्रति माह प्रति आशा की दर पर धनराशि स्वीकृत की गयी है।

डेंगू संक्रमण के खिलाफ कोई एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध ना होने की दशा में, सोर्स रिडक्शन (स्रोत कटौती) ही डेंगू उन्मूलन का मुख्य आधार है। हालाँकि, मानव संसाधन की कमी और सीमित संसाधनों की उपलब्धता के कारण लार्वा स्रोत में कमी की गतिविधियाँ आवश्यकतानुसार नहीं की जाती हैं। इसलिए, डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी आवश्यक है। अतः आशा कार्यकत्रियों से लगभग 5 महीने (जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर) तक चलने वाले उच्च संचरण के मौसम के दौरान घरेलू प्रजनन जाँच और लार्वा स्रोत कटौती के रूप में कार्य कराया जाएगा। आशा द्वारा घर–घर भ्रमण कर घरेलू प्रजनन जाँच एवं लार्वा स्रोत कटौती में मदद करने के साथ समुदाय में वेक्टर बार्न डिजीज नियंत्रण उपायों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने की कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए लिए उन्हें प्रोत्साहन के रूप में रू0 200/– प्रति माह प्रति आशा की दर पर धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

सभी 75 जिलों में 5 माह हेतु माइक्रोप्लान बनाकर आशा कार्यकत्री द्वारा घर–घर भ्रमण कर निम्न गतिविधियाँ सम्पादित की जाएंगी–

1. मच्छरों के प्रजनन की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु जैसे पानी की टंकी, डेजर्ट पानी कूलर, रेफ्रिजरेटर के नीचे कन्डेनसेशन प्लेट, और एयर कंडीशनर्स, फूलों के गुलदस्ते और चींटी–ट्रैप, टिन्स, बोतलें, बाल्टी या अन्य निश्प्रयोज्य सामान जैसे प्लास्टिक कप इत्यादि की जांच करना एवं लार्वा स्रोत कटौती (सोर्स रिडक्शन) की कार्यवाही सम्पादित किया जाना।
2. समुदाय को वेक्टर बार्न डिजीज नियंत्रण उपायों के बारे में जागरूक करना।

3. Support for implementation of NVBDCP (NDCP.2.67.OOC.3)

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में ''वेक्टर नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन'' के तहत घरेलू ब्रीडर चेकर्स **दैनिक आधार** पर अधिकतम 100 दिनों के लिए हायर करने के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोग राज्य में वास्तविक श्रम मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। **उक्त कार्य हेतु अर्बन आशा व डी0बी0सी0 को कार्य योजना में एक क्षेत्र में एक साथ ना लगाया जाये अर्थात दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग निर्धारित किया जाये जिससे किसी प्रकार की डुप्लीकेसी ना हो सके।** न्यून्तम अर्हता हाई स्कूल विज्ञान वर्ग अथवा इन्टरमीडियेट जीव विज्ञान वर्ग को प्राथमिकता देते हुये दैनिक मजदूरी के आधार पर डी0बी0सी0 हायर कर यह कार्य कराया जाये।

एक सफल एडीज एजिप्टी वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिरता प्राप्त करने के लिए लार्वा स्रोत कमी गतिविधियों पर ध्यान देना आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में स्रोत कटौती गतिविधियों को करने के लिए घरेलू ब्रीडर चेकर्स (Domestic Breeder Checkers) को दैनिक आधार पर अधितम 100 दिनों (20 दिन प्रति माह कुल 5 माह हेतु) के लिए हायर किया जाना है जिनके द्वारा माइक्रोप्लान के अनुसार घर–घर जाकर Aedes aegypti लार्वा की Breeding के प्रमुख स्रोत जैसे पानी के ओवर हैड एवं अण्डर ग्राउण्ड टेंक, फायर फाइटिंग हेतु जल भणडराण टैंक, डेजर्ट पानी कूलर, रेफ्रिजरेटर के नीचे कन्डेनशेशन प्लेट, और एयर कंडीशनरस, फूलों के गुलदस्ते और चींटी–ट्रैप, टिन्स, बोतलें, बाल्टी या अन्य निष्प्रयोज्य सामान जैसे–प्लास्टिक कप इत्यादि की जांच कर उनसे रुके हुए पानी को हटाए जाने के साथ–साथ स्रोत कटौती (सोर्स रिडक्शन) की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

4. Dengue NS1 antigen kit (NDCP.2.67.DS)-

इस मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग प्रदेश में स्थापित/क्रियाशील एस0एस0एच0 लैब हेतु 1 से 5 दिन तक के डेंगू के संभावित बुखार के मरीजों की जांच एलाइजा विधि द्वारा कराये जाने के लिये आवश्यक **एनएस 1 एलाइजा किट्स के क्रय हेतु** नियमानुसार किया जायेगा।

5. Apex Referral Labs recurrent (NDCP.2.67.SRRE .1)

एपेक्स रेफरल लैब एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ हेतु रू0 3,00,000.00 (रू0 तीन लाख) एवं एपेक्स रेफरल लैब के0जी0एम0यू0, लखनऊ हेतु रू0 3,00,000.00 (रू0 तीन लाख) की धनराशि आवंटित की गयी है, जिसका व्यय **इंगित एपेक्स** लैब द्वारा किया जायेगा। यह धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से व्यय की जायेगी। अतः इसे एपेक्स रेफरल लैब को शीघ्र ही स्थानान्तरित कर दिया जाये एवं धनराशि के व्यय होने के उपरान्त सम्बन्धित से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त की जाये।

6. Sentinel surveillance Hospital recurrent (NDCP.2.67.SRRE .2)

इस मद के अंतर्गत प्रदेश में डेंगू एवं चिकनगुनिया की जांच हेतु स्थापित 68 सेन्टीनल सर्विलेन्स हॉस्पिटल लैब हेतु रू0 1.00 लाख प्रति सेन्टीनल सर्विलेन्स हॉस्पिटल की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। इस धनराशि का उपयोग कन्ज्यूमेबल के क्रय, उपकरणों की मरम्मत एवं कन्टीजेन्सी पर किया जायेगा। यह धनराशि एस0एस0एच0 लैब के उपयोगार्थ है और यह धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से व्यय की जायेगी। अतः इसे सी0एम0एस0 को शीघ्र ही स्थानान्तरित कर दिया जाये एवं धनराशि के व्यय होने के उपरान्त सम्बन्धित से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त की जाये।

District wise name of SSH lab – 2022

S.N.	District	S.N.	Name of SSH Labs	Linked Districts
1	Agra	1	S.N Medical College, Agra	AGRA
		2	District Hoshpital, Agra	AGRA
2	Aligarh	3	J.N. Medical College, Aligarh	ALIGARH
		4	District Hospital, Aligarh	ALIGARH
3	Ambedkarnagar	5	MMR Govt. Medical College, Ambedkarnagar	AMBEDKAR NAGAR, SULTANPUR
4	Amethi	6	District Hospital, Amethi	AMETHI, SULTANPUR
5	Ayodhya	7	District Hospital, Ayodhya	AYODHYA
		8	Govt. Medical College Ayodhya	AYODHYA
6	Azamgarh	9	District Hospital, Azamgarh	AZAMGARH
7	Badaun	10	District Hospital, Badaun	BADAUN
		11	Govt. Medical College Badaun	BADAUN
8	Baghpat	12	District Hospital, Baghpat	BAGHPAT
9	Bahraich	13	CMS, Distt. Hospital, Bahraich	BAHRAICH
10	Ballia	14	District Hospital, Ballia	BALLIA
11	Balrampur	15	District Hospital, Balrampur	BALRAMPUR
12	Banda	16	District Hospital, Banda	BANDA
13	Bareilly	17	District Hospital Bareilly	BAREILLY, PILIBHIT

S.N.	District	S.N.	Name of SSH Labs	Linked Districts
14	Basti	18	District Hospital, Basti	BASTI
15	Bijnor	19	District Hospital, Bijnor	BIJNOR
16	Chitrakoot	20	District Hospital, Chitrakoot	CHITRAKOOT
17	Deoria	21	District Hospital, Deoria	DEORIA
18	Etawah	22	Rural P.G.I Safai, Etawah	ETAWAH
19	Etah	23	District Hospital, Etah	ETAH
20	Firozabad	24	District Hospital, Firozabad	FIROZABAD
21	GB Nagar	25	Authority Hospital, G.B.Nagar (NOIDA)	G. B. NAGAR
		26	Govt. Medical College, GB nagar	G. B. NAGAR
22	Ghaziabad	27	District Hospital, Ghaziabad (M.M.G Govt.)	GHAZIABAD, HAPUR
23	Gonda	28	District Hospital Gonda	GONDA
24	Gorakhpur	29	District Hospital, Gorakhpur	GORAKHPUR
		30	RMRC Gorakhpur	GORAKHPUR
25	Hamirpur	31	District Hospital, Hamirpur	HAMIRPUR, MAHOBA
26	Hardoi	32	District Hospital Hardoi	HARDOI
27	Hathras	33	Govt. Medical College Hathras	HATHRAS
28	Jalaun	34	Govt. Medical College Jalaun	JALAUN
29	Jaunpur	35	District Hospital, Jaunpur	JAUNPUR
30	Jhansi	36	MLB Govt. Medical College, Jhansi	JHANSI
31	Kannauj	37	Govt. Medical College, Kannauj	KANNAUJ
32	Kanpur Nagar	38	GSVM Medical College, Kanpur Nagar	KANPUR NAGAR, KANPUR DEHAT, FARRUKHABAD, AURAIYA, FATEHPUR
		39	U.H.M. Hospital, Kanpur Nagar	KANPUR NAGAR
33	Kasganj	40	District Hospital Kasganj	KASGANJ
34	Kushinagar	41	District Hospital, Kushinagar	KUSHINAGAR
35	Lalitpur	42	District Hospital, Lalitpur	LALITPUR
36	L. Kheri	43	District Hospital, Lakhimpur Kheri	L. KHERI
37	Lucknow	44	Regional Lab, Swasthya Bhawan, Lucknow	LUCKNOW, ANY OTHER DISTRICT
		45	PG RML Institute, Gomti nagar Lucknow	LUCKNOW, BARABANKI, UNNAO
38	Maharajganj	46	District Hospital, Maharajganj	MAHARAJGANJ
39	Mainpuri	47	District Hospital, Mainpuri	MAINPURI
40	Mathura	48	District Hospital Mathura	MATHURA
41	Mau	49	District Hospital, Mau	MAU
42	Meerut	50	L.L.R.M Medical College Meerut	MEERUT, BULANDSAHAR
		51	District Hospital Meerut	MEERUT
43	Moradabad	52	District Hospital Moradabad	MORADABAD, AMROHA
44	Muzaffarnagar	53	District Hospital, Muzaffarnagar	MUZAFFARNAGAR
45	Partapgarh	54	District Hospital, Partapgarh	PRATAPGARH
46	Prayagraj	55	MLN Medical College, Prayagraj	PRAYAGRAJ, KAUSHAMBI
47	Raebareli	56	District Hospital, Raebareli	RAEBARELI
48	Rampur	57	District Hospital, Rampur	RAMPUR, SAMBHAL
49	St. Kabeer Nagar	58	District Hospital, St. Kabir Nagar	S. K. NAGAR
50	Saharanpur	59	Distt. Hospital Saharanpur	SAHARANPUR
		60	Govt. Medical College, Saharanpur	SAHARANPUR
51	Shahjahanpur	61	District Hospital Shahjahanpur	SHAHJHANPUR
52	Shamli	62	District Hospital, Shamli	SHAMLI
53	Shravasti	63	District Hospital, Shravasti	SHRAWASTI
54	Siddharthnagar	64	District Hospital, Siddharthnagar	SIDDHARTHNAGAR
55	Sitapur	65	District Hospital, Sitapur	SITAPUR
56	Sonbhadra	66	District Hospital, Sonbhadra	SONBHADRA
57	Varanasi	67	Instt. of Medical Sciences, BHU Varanasi	VARANASI, CHANDAULI, GHAZIPUR, BHADOHI, MIRZAPUR
		68	District Hospital, Varanasi (Pt. Deen Dayal Hosp)	VARANASI

7. **IEC/BCC for Social mobilization (NDCP.2.67.IEC)** इस मद के अंतर्गत प्रदेश में डेंगू एवं चिकनगुनिया के बचाव हेतु प्रचार–प्रसार के लिए रू0 20,000/– प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। इस मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि का व्यय डेंगू व चिकनगुनिया के संबंध में जानकारी व जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रचार–प्रसार में किया जायेगा और यह एक्टिविटी अन्य वेक्टर बार्न डिजीज के साथ इन्टीग्रेट की जायेगी।
8. **Inter-sectoral convergence (NDCP.2.67.OOC.2)** इस मद के अंतर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित की जा रही है, जिसका व्यय डेंगू व चिकनगुनिया से बचाव एवं नियन्त्रण हेतु

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों एवं संगठनों की बैठक कर डेंगू से बचाव एवं नियन्त्रण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने हेतु किया जायेगा।

9. **Monitoring/supervision and Rapid response (NDCP.2.67.PME.1)** इस मद के अंतर्गत जनपदों द्वारा आवंटित धनराशि का उपभोग क्षेत्र भ्रमण हेतु मोबिलिटी सपोर्ट एवं रिपोर्टिंग के सुदृढ़ीकरण इत्यादि हेतु किया जायेगा। जनपद एवं परिधिगत स्तर पर मल्टी डिस्प्लीनरी रैपिड रिस्पान्स टीम द्वारा सेन्टीनल लैब से प्राप्त डेंगू धनात्मक रोगियों के सत्यापन एवं केस आधारित निरोधात्मक कार्यवाही की जानी है। साथ ही वेक्टर नियन्त्रण कार्यवाही कार्य योजना 2023 एवं **NVBDCP guidelines** के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इसके साथ ही प्राथमिक उपचार, समय पर सन्दर्भन तथा सूचना संग्रहण एवं सूचना संप्रेषण सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद में कार्यरत एसीएमओ वी0बी0डी0/जिला मलेरिया अधिकारी व अन्य हेतु कार्ययोजना के अनुसार कार्य सम्पादन, क्षेत्र भ्रमण के लिए आवश्यक्तानुसार **उक्त मद से वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था की जायेगी। यदि राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं है तो उपरोक्त कार्य हेतु इस मद में उपलब्ध धनराशि का उपयोग वाहन को कार्य दिवस के हिसाब से नियमानुसार किराये पर लेने हेतु किया जा सकता है।**

10. **Epidemic preparedness (NDCP.2.67.PME.2)** इस मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग की रोकथाम एवं महामारी की दशा में आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी, रैपिड रिस्पान्स टीम एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के संवेदीकरण हेतु NVBDCP की दिशा–निर्देश के अनुसार उपयोग की जायेगी तथा डेंगू एवं चिकनगुनियां कार्ययोजना 2023 के अनुसार कार्य सम्पादित कराते हुये आशा/आई0एफ0डब्ल्यू0/एस0एफ0डब्ल्यू0/हायर्ड घरेलू ब्रीडर चेकर्स का संवेदीकरण कराया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर डेंगू संभावित रोगियों के सीरम सैंपल जांच हेतु नजदीकी एस0एस0एच0 लैब में भेजने पर होने वाले व्यय का भुगतान राजकीय मापदण्ड/नियमानुसार इस मद से किया जा सकता है।

20.13 ए0ई0एस0–जे0ई0 रोग की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के JE /AES Ward 12 and Ward 100 में कार्यरत् संविदा मानव संसाधन (New FMR code-HSS.9.184.C.S0760)

- ए0ई0एस0–जे0ई0 रोग की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के JE /AES Ward 12 and Ward 100 में संविदा मानव संसाधन के लिये आर0ओ0पी0 2022–23 में अनुमोदित धनराशि एवं मानव संसाधन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा वर्ष 2021–22 में उपलब्ध कराये गये बजट भार के अनुसार जनपद स्तर हेतु धनराशि रू0 446.00 लाख जिला स्वास्थ्य समिति, गोरखपुर को अवमुक्त/आवंटित की गयी है।
- मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को निर्देशित किया जा रहा है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के JE /AES Ward 12 and Ward 100 में संविदा मानव संसाधन के लिये आवंटित की जा रही धनराशि अविलम्ब सम्बन्धित मेडिकल कालेज को उपलब्ध कराया जाये।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आवंटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंग।
- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 पोर्टल के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेसिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- संविदा पर मानव संसाधन मद में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तर पर कार्यरत/वास्तविक मानव संसाधन/पदों को ही नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

21. गैर संचारी रोग कार्यक्रम

21.1 National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE)

प्रदेश के समस्त जनपदों में National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम को चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूर्व की भांति संचालित किया जाना है–

1. National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार के स्तर से निर्गत Operational Guidelines of NPHCE के अनुसार ही किया जायेगा।
2. जनपदों में कार्यक्रम का संचालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित जिला एन0सी0डी0सेल के द्वारा की जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अधीन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 नामित करेंगे। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जनपद में सुनिश्चित करें।
3. जिला 10 बेडेड जीरियाटिक यूनिट एवं ओ0पी0डी0 क्लीनिक में प्रशासनिक/वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से एवं क्लीनिकल कार्यो पर नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी Operational Guidelines of NPHCE में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines of NPHCE में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेंगे तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेंगे।
5. National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में जिला–स्वास्थ्य–समिति को जारी की गयी धनराशि का मदवार एवं जनपदवार विवरण संलग्न है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

जिला अस्पताल हेतु :–

- प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु एफ0 एम0 आर0 कोड NCD.3.99.EQ Machinery & Equipments For DH मद पर जनपदों–आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अम्बेडकरनगर, अमरोहा, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, चन्दौली, एटा, इटावा, अयोध्या, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, लखीमपुर–खीरी, ललितपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर एवं वाराणसी हेतु रू0 1.50 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड संख्या– NCD.3.99.CB CGA Module Training of M.O., SN & Physiotherapist under NPHCE मद पर जनपद वाराणसी में प्रशिक्षण सम्पादित कराये जाने के लिये प्रशिक्षण हेतु रू0 60.00 लाख की आवंटित धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति, वाराणसी द्वारा सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज/संस्थान को प्रतिशक्षण हेतु स्थानान्तरित की जायेगी।
- प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु एफ0 एम0 आर0 कोड NCD.3.102.IEC.2 Celebration of Days:- ie International day for older persons पर रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है, जिस हेतु भारत सरकार द्वारा RoP- 2022-24 में निम्न निर्देश दिये गये है– "IEC activities & celebration of IDOP at all districts by conducting multispecialty camps (with provision of geriatrician, Orthopedic, Ophthalmology, ENT, Dental, Neuro & Psychiatry etc.) for comprehensive geriatric assessment for 15 days in the month of October at DH level. State has 10.2% population of elderly above 60 year of age"
- प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु एफ0 एम0 आर0 कोड NCD.3.102.IEC.1 Public Awareness & IEC for NPHCE पर रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है, अवमुक्त धनराशि का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार ही प्रचार–प्रसार के मुद्रण हेतु किया जायेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु :–

- एफ0एम0आर0 कोड NCD.3.100.EQ Machinery & Equipments For CHC मद पर भारत सरकार द्वारा कुल 37 ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु धनराशि अनुमोदित की गई है, जहाँ पर फिजीयों से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान की जा रही है, अतः रू0 0.50 लाख प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की धनराशि आवंटित की गयी है, जिसका विवरण आवंटन शीट पर उपलब्ध है।

6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस तथ्य का विशेष ध्यान देना है कि मदवार आवंटित धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जाये।
7. National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में जिला–स्वास्थ्य–समिति को जारी की गयी धनराशि का उपभोग कार्यक्रम के हित में 31 मार्च, 2024 के पूर्व कर लिया जाये।

अन्य निर्देश–

8. जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत इपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेषित की जाने वाली मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट का इपिडिमियोलॉजिकल स्टडी करते हुए उक्त रिपोर्ट को राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगे।
9. जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा इपिडिमियोलॉजिस्ट/जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार को सहयोग प्रदान करने के साथ–साथ जनपद में कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनपद स्तरीय भ्रमण एवं समस्त रिपोर्टिंग इत्यादि का कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
10. जिला एन0सी0डी0सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा एन0पी0एच0सी0ई0 कार्यक्रम का समस्त वित्तीय कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. जिला एन0सी0डी0 सेल/क्लीनिक में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा जिला एन0सी0डी0 सेल से सम्बन्धित समस्त रिपोर्ट (मासिक/त्रैमासिक) समसय राज्य एन0सी0डी0 सेल को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

मानव संसाधन

- **FMR Code- HSS.9.184.C.S0194** में जनपदों में Consultant Medicine हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है।
- **FMR Code- HSS.9.184.C.S0085** जनपदों में कार्यरत Physiotherapist हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है।
- **FMR Code- HSS.9.184.C.S0019** में जनपदों में कार्यरत Staff Nurse हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है।
- **FMR Code - HSS.9.184.C.S0560** में जनपदों में कार्यरत Rehabilitation Worker हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है।
- **FMR Code - HSS.9.184.C.S0805** में जनपदों में कार्यरत Hospital Attendant हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है।
- **FMR Code - HSS.9.184.C.S0810** में जनपदों में कार्यरत Sanitary Attendant हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय PF,ESI,Services Charge, GST एवं 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है।

21.2 नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर कार्यक्रम (2023–24)

वित्तीय वर्ष 2023–24 में के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित 30 जनपद एवं निम्नलिखित 15 नये जनपदों में नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के संचालन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है–

1–अमेठी	2–बलिया	3–बलरामपुर	4–चन्दौली
5–बदायूं	6–हमीरपुर	7–श्रावस्ती	8–अमरोहा
9–कानपुर नगर	10–कानपुर देहात	11–लखनऊ	12–मैनपुरी
13–गाजियाबाद	14–मिर्जापुर	15–औरैया	

National Programme for Palliative Care (NPPC) कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार के स्तर से निर्गत Operational Guidelines of NPPC के अनुसार ही किया जायेगा।

a. जनपदों में कार्यक्रम का संचालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित जिला एन0सी0डी0 सेल के द्वारा की जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अधीन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 नामित करेंगे। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जनपद में करायें।
b. जनपद में उक्त कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रशासनिक/वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से एवं क्लीनिकल कार्यो पर नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी Operational Guidelines of NPPC में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
c. मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines of NPPC में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेंगे तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेंगे।
d. समय में कोविड–19 वैश्विक माहमारी के दृष्टिगत् भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर कोविड–19 माहमारी हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियाँ सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

NCD.9.119.IC–Non-Recurring (Renovation of PC unit/OPD/beds/miscellaneous equipments etc.)

उक्त मद में जिला चिकित्सालय (पुरूष) में Renovation of PC unit/OPD/beds/ miscellaneous/equipments हेतु रू0 15.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद की दर से नये 15 जनपदों क्रमशः अमेठी, बलिया, बलरामपुर, चन्दौली, बदायूं, हमीरपुर, श्रावस्ती, अमरोहा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, मैनपुरी, गाजियाबाद, मिर्जापुर एवं औरैया हेतु आवंटित की गयी है, जिस हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत् है, जिसका उपभोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाये–

राज्य स्तर पर निदेशक, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से जनपदीय चिकित्सालयों में पैलिऐटिव केयर वार्ड की स्थापना हेतु उपकरणों तथा वार्ड में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं सम्बन्धी सामग्री एवं व्यवस्था हेतु अनुमोदित सूची निम्नवत् है–

Sl. No.	Indicative list of Equipments
1	Ordinary fowlers beds
2	Regular mattresses
3	1-2/ward bed (to prevent pressure sores) or air mattresses
4	Couch for the caregivers
5	Side Table
6	Moveable green curtain
7	Bed Cardiac Trolley
8	Examination couch
9	Wheel Chair
10	Walker 01 or 02 number
11	Basic Gynae Examination setup
12	Basic ENT Examination setup
13	Nursing Station- Tables & Chairs
14	Oxygen pipe line
15	Dressing trolly
16	Commode chair
17	Medicine trolly
18	Oxygen concentrator
19	Oxygen cylinder with trolly
20	First aid kit including small cut open sets etc
21	Intravenous stands
22	Sphygmomanometer (B.P. Instrument)
23	Examination light
24	Torch (Battery Operated)
25	Suction Machine
26	Pulse oximeter
27	Television & Computer

28	Weighing Machine
29	Thermometer
30	Surgical Drums

जनपदों द्वारा 10 बेडेड पैलिऐटिव केयर वार्ड की स्थापना/सुदृढ़िकरण हेतु उपरोक्त उपकरणों/सामग्री का आवश्यकतानुसार क्रय किया जा सकता है।

पैलिऐटिव केयर वार्ड में भर्ती मरीजों की स्थिति के दृष्टिगत् मरीजों हेतु उक्त वार्ड में चौड़े दरवाजे का स्नानघर एवं शौचालय की भी व्यवस्था की जाये, जिससे कि व्हील चेयर के मरीजों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

वार्ड के पास रोगियों के परिवार के सदस्यों हेतु 01 रसोईघर, स्नानघर एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था भी किया जाये।

NCD.9.119.CB–Training of PHC Medical officers, Nurse, Paramedical workers, & other Health Staff at State Level

उक्त मद में मेडिकल ऑफिसर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य हेल्थ वर्कर के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण हेतु जनपद–लखनऊ को रू0 66.00 लाख की आवंटित धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज/संस्थान को स्थानान्तरित की जायेगी।

NCD.9.119.IEC.1–IEC for District:-

उक्त मद में प्रचार–प्रसार हेतु रू0 1.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद की दर से कार्यक्रम से आच्छादित समस्त 45 जनपदों हेतु आवंटित की गयी है, अवमुक्त धनराशि का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार ही प्रचार–प्रसार के मुद्रण हेतु किया जायेगा।

NCD.9.119.PME–Misc. Travel / POL/ Stationery / Communication etc:-

उक्त मद में Misc.Travel/POL/Stationery/Communication हेतु जनपदों–1–आगरा, 2–अम्बेडकरनगर, 3–आजमगढ़, 4–अमेठी, 5–बलिया, 6–बाराबंकी, 7–बरेली, 8–बस्ती, 9–बलरामपुर, 10–बुलन्दशहर, 11–चन्दौली, 12–बदायूं, 13–गोण्डा, 14–गोरखपुर, 15–हमीरपुर, 16–हरदोई, 17–श्रावस्ती, 18–झांसी 19–अमरोहा, 20–कानपुर देहात, 21–कानपुर नगर, 22–लखीमपुर–खीरी, 23–ललितपुर, 24–लखनऊ, 25–मैनपुरी, 26–गाजियाबाद, 27–मिर्जापुर, 28–मुरादाबाद, 29–प्रयागराज, 30–शाहजहापुर, 31–सीतापुर, 32–औरैया, 33–वाराणसी हेतु रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

NCD.9.119.DS–Drugs for NPPC:-

उक्त मद में जनपदों–1–आगरा, 2–अम्बेडकरनगर, 3–आजमगढ़, 4–अमेठी, 5–बलिया, 6–बाराबंकी, 7–बरेली, 8–बस्ती, 9–बलरामपुर, 10–बुलन्दशहर, 11–चन्दौली, 12–बदायूं, 13–गोण्डा, 14–गोरखपुर, 15–हमीरपुर, 16–हरदोई, 17–श्रावस्ती, 18–झांसी 19–अमरोहा, 20–कानपुर देहात, 21–कानपुर नगर, 22–लखीमपुर–खीरी, 23–ललितपुर, 24–लखनऊ, 25–मैनपुरी, 26–गाजियाबाद, 27–मिर्जापुर, 28–मुरादाबाद, 29–प्रयागराज, 30–शाहजहापुर, 31–सीतापुर, 32–औरैया, 33–वाराणसी हेतु रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है, जिसके क्रम में पैलिऐटिव केयर के मरीजों को उपचार हेतु मॉरफीन औषधि अत्यंत आवश्यक है, जिसकी उपलब्धता प्रत्येक दशा में किया जाना अनिवार्य है, अतः कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा समस्त क्रय एवं अन्य लागू नियमों एवं उपनियमों का पालन करते हुये औषधियों का क्रय किया जायेगा तथा उक्त औषधि के भण्डार, वितरण इत्यादि एवं गलत इस्तेमाल को रोकन हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा 01 चिकित्साधिकारी को नामित किया जायेगा।

अन्य निर्देशः–

1. भारत सरकार स्तर से प्रदत्त ऑपरेशनल गाइडलाइन में दिये गये त्रैमासिक प्रारूप पर ससमय राज्य पैलिएटिव केयर सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 की ई–मेल state.nodal.nppc@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
2. जिला नोडल अधिकारी कार्यक्रम के अर्न्तगत मदवार एवं गतिविधिवार आवंटित धनराशि का नियमानुसार प्रत्येक दशा में मार्च, 2024 तक शत–प्रतिशत व्यय कराना सुनिश्चित करेंगे
3. जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत इपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा एन0पी0पी0सी0 की प्रेषित की जाने वाली मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट का इपिडिमियोलॉजिकल स्टडी करते हुए उसकी मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगे।
4. जिला एन0सी0डी0सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा एन0पी0पी0सी0 कार्यक्रम का वित्तीय कार्य सम्पादित किया जायेगा।

5. (प्रत्येक जनपद में नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर (एन0पी0पी0सी0) हेतु एक ई मेल बनाने का कष्ट करें यथा– nppc(Name of District)@gmail) उदाहरण के लिए– nppcfaizabad@gmail.com
6. जिला एन0सी0डी0 सेल द्वारा प्रत्येक तिमाही प्रेषित की जाने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट अगले माह की 05 तारीख कोई मेल– state.nodal.nppc@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

नेशनल पैलिऐटिव केयर प्रोग्राम कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन

- FMR Code- HSS.9.184.C.S0017 में जनपदों में Staff Nurse हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है।
- FMR Code- HSS.9.184.C.S0800 जनपदों में कार्यरत Multi Task Worker हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय PF, ESI, Services Charge, GST एवं 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है।

21.3 राष्ट्रीय बधिरता बचाव व रोकथाम कार्यक्रम (एन0पी0पी0सी0डी0)

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम (एन0पी0पी0सी0डी0) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृतियों के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित किया जायेगा। राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त/अनुमोदित धनराशि का प्रयोग संगत एफ0एम0आर0 कोड के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु प्रयोग किया जायेगा जिसका विवरण निम्न है–

1. FMR- HSS.9.184.C.S0555, HSS.9.184.C.S0620 तथा HSS.9.184.C.S0625 में जनपद स्तरीय संविदा कर्मियों हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 का मानदेय स्वीकृत है। कार्यक्रम से सम्बन्धित उपरोक्त सभी जनपदों के चयनित 01 जिला चिकित्सालय स्तर पर निम्नलिखित तीन संविदाकर्मी अनुमोदित हैं–

Audiologist, FMR- HSS.9.184.C.S0555 में आडियोलाजिस्ट– 01 पद प्रति जनपद 30,000 प्रति माह मानदेय पर।

Audiometric Assistant, FMR- HSS.9.184.C.S0620 में आडियोमेट्रिक असिस्टेंट –01 पद प्रति जनपद 15,000 प्रति माह मानदेय पर।

Instructor for Hearing Imapired Children, FMR- HSS.9.184.C.S0625 में इन्सट्रक्टर फार द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन–01 पद प्रति जनपद 15,000 प्रति माह मानदेय पर।

उपरोक्त तीनों पदों पर संविदा कर्मियों की भर्ती रिक्तियों के अनुसार राज्य स्तर से राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा की जायेगी। पूर्व से कार्यरत उपरोक्त संविदा कर्मियों का मानदेय 01 वर्ष पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत वृद्धि एवं नियमानुसार लोयल्टी बोनस के साथ भुगतान किया जायेगा।

2. FMR- HSS.9.184.C.S0214–जनपद रामपुर में कार्यक्रम संचालन हेतु चयनित जिला चिकित्सालय में संविदा पर एक ई0एन0टी0 सर्जन 80,000 हजार रूपये प्रति माह के मानदेय पर अनुमोदित है। ई0एन0टी0 सर्जन का मानदेय 01 वर्ष पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ भुगतान किया जायेगा।

ई0एन0टी0 सर्जन के पद पर भर्ती मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या–179/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0 /वाक्–इन/2020–21/4106 दिनांक 16.10.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार DHS द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। यह पद जिला चिकित्सालय पर नियमित ई0एन0टी0 सर्जन के नियुक्ति होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा।

3.. Screening of Deafness (Equipment (Including Furniture, Excluding Computers)), FMR- NCD.11.121.EQ– वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यक्रम संचालन हेतु 19 नये जनपद (एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कौशाम्बी, पीलीभीत, महोबा, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, सन्तकबीर नगर, महाराजगंज, औरय्या, हापुड़, शामली, सम्भल, अमरोहा एवं चित्रकूट) के चयनित 01 जिला चिकित्सालय के लिए उपकरण/औजारों के क्रय हेतु रू0 20 लाख एवं प्रति सीएचसी एवं पीएचसी किट क्रय हेतु रू0 20 हजार एवं जनपद कानपुर देहात के लिए रू0 27.80 लाख, मुरादाबाद के लिए रू0 04 लाख अनुमोदित हैं। जिला चिकित्सालय सम्वर्धन में उपकरण क्रय के अन्तर्गत एक इण्डिजिनस डिजिटल आडियोमीटर, दो माइक्रोड्रिल सेट, दो सेट माइक्रोसर्जरी औजार, एक सर्जिकल आपरेटिंग माइक्रोस्कोप, एक इम्पिडैस आडियोमीटर और एक ओ0ए0ई0 एनालाइजर एवं सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 किट का राज्य स्तर पर UPMSCL द्वारा नियमानुसार क्रय कर जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त उपकरणों की क्रय प्रक्रिया UPMSCL के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। **सीएचसी किट हेतु आडियोमीटर का क्रय नहीं किया जाना है।**

4. <u>Screening of Deafness(Capacity building incl. training), FMR- NCD.11.121.CB</u>– इस मद के अन्तर्गत कार्यक्रम से सम्बन्धित बजट फॉट के अनुरूप जनपदों में भारत सरकार की आपरेशनल गाइडलाईन के अनुसार जनपद के बाल रोग एवं महिला रोग विशेषज्ञ का एक दिवसीय, स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारी का दो दिवसीय, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाइजरों का एक दिवसीय, ग्रास रूट लेवल स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, आंगनवाणी कार्यकर्ता, ट्रेन्ड बर्थ अटेन्डेन्ट इत्यादि का एक दिवसीय और प्राइमरी स्कूल टीचर तथा बधिरता से ग्रसित बच्चों के अभिभावकों का एक दिवसीय सेन्सीटाइजेशन ट्रेनिंग अनुमोदित है। आपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार अभी तक छूटे हुए प्रशिक्षण को पूर्ण कर लिया जाये। बाल रोग एवं महिला रोग विशेषज्ञ एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण जनपद के ई0एन0टी0 सर्जन द्वारा जिला चिकित्सालय में एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सुपरवाइजरों, ग्रास रूट लेवल स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, आंगनवाणी कार्यकर्ता, ट्रेन्ड बर्थ अटेन्डेन्ट, प्राइमरी स्कूल टीचर तथा बधिरता से ग्रसित बच्चों के अभिभावकों का सेन्सीटाइजेशन प्रशिक्षण स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5. <u>Management of Deafness (IEC & Printing), FMR- NCD.11.122.IEC</u>- सम्बन्धित 75 जनपदों के लिए प्रति जनपद रू0 2.00 लाख की धनराशि अनुमोदित है, जो जनपद स्तर पर आई0ई0सी0/बी0सी0सी0 गतिविधि में भारत सरकार की आपरेशनल गाइड लाईन के अनुसार व्यय की जायेगी।

कार्यक्रम की आपरेशनल गाइडलाईन, संविदाकर्मी भर्ती हेतु टी0ओ0आर0, ट्रेनिंग माड्यूल, साउण्ड प्रूफ रूम एवं उपकरणो के मानक इत्यादि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के वेवसाइट **www.mohfw.nic.in** पर **Major Programme > Non-Communicable diseases, Injury and Trauma > Non Communicable diseases- 1 > NPPCD > Operational Guideline for 12th Plan** के लिंक पर भी उपलब्ध है।

<u>21.4 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम</u>

भारत सरकार द्वारा पूर्व की ही भांति वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में चलाये जाने संबंधी अनुमोदन प्रदान किया गया है। जिसके क्रम में राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे है।

- प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारीगण एवं समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकगण अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित नियमों/उपनियमों के अनुसार करेंगे तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की क्रय–प्रक्रिया के अनुसार करेंगे।
- मुख्य चिकित्साधिकारीगण राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का सफल संचालन किये जाने हेतु एक अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करेंगे, जिनका यह उत्तरदायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ती हेतु कार्यवाही करते हुये कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु अपना सहयोग प्रदान करेंगे।
- चूँकि प्रदेश के समस्त 75 जनपद कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित है अतः प्रत्येक जनपद के जिला चिकित्सालय स्तर पर सप्ताह में 03 कार्यदिवसों में मानसिक स्वास्थ्य ओ0पी0डी0 की सुविधा एवं प्रत्येक जनपद में एक मन–कक्ष (जिला–काउंसलिंग–केन्द्र) स्थापित करते हुये समस्त प्रकार की काउंसलिंग सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय में एन0एम0एच0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत ओ0पी0डी0 एवं काउंसलिंग (मन–कक्ष) की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जनपद चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग (अथवा अन्य समुचित स्थान) में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 शैय्याओं (10 शैय्या पुरूषों हेतु एवं 10 शैय्या महिलाओं हेतु) का चिन्हीकरण भी करेंगे। शैय्याओं के चिन्हिकरण से तात्पर्य यह है कि शैय्याओं के इंचार्ज एम.डी./फिजिशियन ही रहेंगे परन्तु उनके मरीज/रोगी जोकि हिस्टीरियॉ, अवसाद एवं अन्य मनोविकार से पीड़ित होंग, उन्हे वह उन चिन्हित शैय्याओं पर ही भर्ती करेंगे जिससें उन रोगियों को मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक को बुलाकर दिखाया जा सकें।

- मन–कक्ष में जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों में कार्यरत् काउंसलर की रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाई जाएं एवं यह सुनिश्चित किया जाएं कि मन–कक्ष द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस में अपनी सेवाएं प्रदान की जाएं। आवश्यकता के आधार पर जनपद में कार्यरत् अन्य काउंसलरों, जिनकों मनोरोग विधा में एक माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, की सेवाएं भी ली जा सकती है।
- मन–कक्ष द्वारा मेराइटल एवं फैमिली काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, रिहैबिलीटेशन काउसंलिंग, बिहेवियरल काउंसलिंग, नशा उन्मूलन संबंधी काउंसलिंग इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जायेगी। साथ ही कृत कार्यवाहियों की मासिक रिपोर्ट राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आवश्यकता के आधार पर चयनित चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को मन–चेतना दिवस के रूप में मनाया जायेगा। जिसमें मनोरोग विधा में एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकें चिकित्सकों का सहयोग लिया जायेगा। मनचेतना दिवस कार्यक्रम की मासिक रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिरी कार्यालय द्वारा संकलित कर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।
- मुख्य चिकित्साधिकारी चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शिविरों के आयोजन, एवं अन्य गतिविधियों की कार्ययोजना राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ को शीघ्र उपलब्ध करायें, जिनसे समय–समय पर कार्यक्रमों का निरीक्षण कर गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा सके।
- जिला अधिकारी महोदय के नेतृत्व में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता हेतु ग्राम प्रधान की सहभागिता सुनिश्चत किये जाने हेतु एक लिखित संदेश प्रत्येक ग्राम प्रधान एवं ग्राम सभा के सदस्यों तक पहुँचाया जाये। जिसमें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित 08 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नाम, मन–चेतना दिवस हेतु चयनित 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को नाम, जिला चिकित्सालय पर ओ0पी0डी0 के दिवस एवं समय का विवरण, मन–कक्ष का कक्ष संख्या, टेली मानस हेल्प लाइन नंबर इत्यादि संबंधी विवरण उपलब्ध हो।
- मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित पत्राचार हेतु एक ईमेल आई0डी0 बनायें यथा– dmhp (name of District)@..... और राज्य स्तर पर अपना ईमेल आई.डी. उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- कार्यक्रम से संबंधित पत्राचार, मासिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट का प्रेषण राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ की ईमेल आई0डी0– statenmhp.up@gmail.com पर किया जायेगा।
- कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0/एम0आई0एस0/2019–20/70–VOL–6/5607, दिनांक–27/09/2019 का अनुपालन करते हुये समस्त रिपोर्ट माह की 05 तारिख तक राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ को हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त की गयी धनराशि का गतिविधिवार एवं मदवार विवरण निम्नवत् हैः–

FMR- NCD.2.97.OOC -Targeted interventions at community level Activities & interventions targeted at schools, colleges, workplaces, out of school adolescents, urban slums and suicide prevention. पर रूपये **12.00** लाख (रूपये बारह लाख मात्र) प्रति जनपद की धनराशि आवंटित की जा रही है, जिस हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं :–

(अ) मुख्य चिकित्सा अधिकारीगण अपने जनपद की **08** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन करते हुए प्रत्येक चयनित सी0एच0सी0 पर प्रतिवर्ष 01 वृहद शिविर का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे, जिस हेतु प्रति शिविर **रू0–50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र)** की धनराशि का प्राविधान किया गया है। इस धनराशि से शिविर के आयोजन के 02 दिवस पूर्व से शिविर आयोजन होने की सूचना एवं प्रचार–प्रसार किया जायेगा। शिविर के दिन रोगियों के लिये समुचित बैठने एवं जल इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी। दिव्यांग बच्चों को स्वास्थ्यवर्द्धक स्वअल्पाहार वितरित किया जा सकता है। शिविर में मानसिक मन्दित बच्चों को मानसिक विकलॉगता प्रमाण–पत्र भी निर्गत किये जाने के प्रयास, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के प्रयास एवं उपचार किया जायेगा। शिविर का उद्घाटन अति विशिष्ट/विशिष्ट अतिथियों द्वारा कराये जाने के प्रयास किये जायें, जिससे जनभागीदारी सुनिश्चित हो सकें। अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी रू0–50,000.00/(रूपया पचास हजार मात्र) चिन्हित सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के

प्रभारी को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें, जिससे कार्यक्रम हित में धनराशि का समयान्तर्गत सदुपयोग किया जा सके। **(8x50000= 4,00,000.00)**

(ब) मुख्य चिकित्साधिकारी अपने जनपद में आवश्यकता के आधार पर उपरोक्त के अलावा 08 अन्य चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेष मानसिक स्वास्थ्य दिवसों पर वृहद शिविरों का आयोजन अधिकतम् रूपये 50,000.00/शिविर की दर से करेंगे। शिविरों का आयोजन निम्नलिखित 12 दिवसों में से अथवा जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आवश्यकता के आधार पर नियत किसी 01 अन्य दिवस पर किया जायेगा :–

1. उत्तर प्रदेश मन–चेतना दिवस – जनवरी माह के प्रथम बृहस्पतिवार को।
2. चिल्ड्रेन मेंटल हेल्थ सप्ताह दिनांक–04/02/2024 से दिनांक–11/02/2024 फरवरी तक।
3. 30, मार्च – विश्व बाइपोलर दिवस।
4. 02, अप्रैल – विश्व ऑटिस्टिक दिवस।
5. 24 मई – स्कीजोफ्रेनिया दिवस।
6. 26, जून – इन्टरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एण्ड इलिसिट ट्रैफिकिंग।
7. 10, सितम्बर– सुसाइड प्रिवेंशन दिवस।
8. 21, सितम्बर – अल्ज़ाइमर दिवस एवं सप्ताह।
9. 02, अक्टूबर – नेशनल एण्टी ड्रग एडीक्शन दिवस।
10. नवम्बर के प्रथम बुधवार को – स्ट्रेस अवेयरनेस दिवस।
11. 17, नवम्बर – नेशनल इपिलेप्सी दिवस।
12. 03, दिसम्बर – इन्टरनेशनल डे आफ परसरन विद डिएबिलिटी।

(स) प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 विशाल जागरूकता शिविर का आयोजन **10 अक्टूबर (विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस)** के अवसर पर जिला स्तर पर किया जायेगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी हेतु प्रयास किया जाये। इस शिविर के लिये अधिकतम् **रू0–1.00/लाख** (रूपया एक लाख मात्र) की धनराशि का प्राविधान किया जाता है, जिस हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं :–

1. शिविर से एक माह पूर्व ही प्रचार–प्रसार की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाये। और शिविर से 02 दिन पूर्व माईक/ई–रिक्शा इत्यादि माध्यम से आमजन को शिविर के आयोजन की सूचना दी जाये।
2. शिविर में आने वाले मरीजों एवं आमजनों के बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, मंदबुद्धि बच्चों के लिये स्वास्थ्यवर्द्धक स्वअल्पाहार इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
3. मानसिक मन्दित बच्चों को मानसिक विकलॉगता प्रमाण–पत्र मुख्य अतिथि के माध्यम से वितरित कराने का प्रयास किया जाये।

(द) विद्यालय कार्यक्रम –

विद्यालय कार्यक्रम में निम्नानुसार गतिविधियों का संचालन किया जायेगाः–

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वप्रथम जिला विद्यालय निरीक्षक के सहयोग से जनपद के 24 विद्यालयों (कक्षा–9 से कक्षा–12 तक) का चयन किया जायेगा। जिसमें कक्षा–09 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।
- जिला विद्यालय निरीक्षक के सहयोग से चयनित 24 विद्यालयों से एक–एक शिक्षक (प्रति विद्यालय एक) को नामित कराते हुये उनका प्रशिक्षण कराया जायेगा।
- इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को मानसिक रोगों के लक्षण, उनकी पहचान एवं उपचार संबंधी जानकारियॉ प्रदान की जाऐंगी एवं उन्हें एक किट प्रदान की जायेगी, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य पुस्तिका और विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने हेतु बैनर (जिस पर टेलीमानस हेल्पलाइन नम्बर, मनकक्ष का हेल्प–लाइन नम्बर एवं ओ0पी0डी0 कक्ष संख्या एवं पूर्ण पता अंकित हो) भी प्रदान किया जायेगा।
- जिसके उपरान्त प्रत्येक चयनित विद्यालय में विद्यार्थियों हेतु लाइफ स्किल/कोपिंग स्किल सीखाने हेतु प्रति विद्यालय एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। (24 कार्यशाला)
- कार्याशाला के उपरान्त विद्यार्थियों से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछे जायेंगे एवं सही उत्तर देने वाले प्रति कक्षा पॉच विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जायेगा (एक विद्यालय में अधिकतम 20 विद्यार्थी)।
- साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक के सहयोग से यह सुनिश्चित कर लिया जायें कि समस्त चयनित विद्यालयों में समुचित स्थान पर टेलीमानस हेल्पलाइन नम्बर एवं मनकक्ष का हेल्पलाइन

नम्बर चस्पा किया गया हो। जिससे आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार के सहयोग हेतु हेल्पलाइन नम्बर पर फोन कर सहयोग प्राप्त किया जा सके।

- उक्त कार्यक्रम के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक के सहयोग से समस्त आच्छादित 24 विद्यालयों के कक्षा अध्यापक/अध्यापिका द्वारा चिन्हित विद्यार्थियों हेतु रू0–5000.00/प्रति शिविर की दर से स्क्रिनिंग कैम्प का आयोजन किया जायेगा। यह शिविर जिला चिकित्सालय अथवा निकट के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित किया जा सकता है। जहां चिन्हित विद्यार्थियों का आई0क्यू0 अससमेंट/काउंसलिंग/उपचार एवं संदर्भन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी। (रू0–5000.00 प्रति शिविर की दर से कुल 05 शिविर)
- प्रशिक्षित शिक्षकों का यह दायित्व होगा कि वह विद्यार्थियों को आवश्यकता के आधार पर काउंसलिंग/उपचार हेतु जिला चिकित्सालय स्थित मन–कक्ष संदर्भित करेंगे।
- प्रशिक्षित शिक्षक पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक कक्षा से एक छात्र एवं एक छात्रा को मन–दूत एवं मन–परी नामित करेंगे। जिनकी प्रति विद्यालय अधिकतम संख्या–20 होगी।
- विद्यालय कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 कुल रू0–2,40,000.00/की धनराशि अनुमोदित है। जिसका उपभोग निम्नानुसार किया जायेगा :–

Teacher's Training			
Particulars	**Activity/No. of participant**	**Rate per unit (in Rs.)**	**Budget (in Rs.)**
Training Kit (writing pad, pen, mental health booklet, Banner for school)	24	250/Kit	Rs. 6000.00/
Refreshment (24 for participants & 06 extra for trainers and others	30	350	Rs. 10500.00/
	Total amount		**Rs. 16500.00/**

School Workshop and Camp			
Particulars	**Activity/No. of participant**	**Rate per unit (in Rs.)**	**Budget for 24 schools**
Prize & Certificate	20	300	Rs. 144000.00/
Man-Pari, Man-doot badge	20	40	Rs. 19200.00/
Screening Camp	05	5000	Rs 25000.00/
Miscellaneous	-	-	Rs. 35300.00/
	Total amount		**Rs. 223500.00/**

अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम

1. अरबन स्लम क्षेत्रों में जागरूकता एवं उपचार शिविर का आयोजन। **(अधिकतम् रूपया–5,000.00 प्रति शिविर)**
2. वर्क प्लेसेस स्ट्रेस मैनेजमेंट शिविर का आयोजन। **(अधिकतम् रूपया–5,000.00 प्रति शिविर)**
3. प्रत्येक जनपद में ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण करना है जहां झाड़–फूंक होती हो यथा–मज़ार इत्यादि। जहां के प्रभारी से लिखित अनुमति के उपरान्त वहां भी चिकित्सकीय शिविर लगाया जाए। ऐसे स्थानों पर लगने वाले बैनर पर ''दुआ से दवा तक'' लिखवाया जायेगा। **(अधिकतम् रूपया–5,000.00 प्रति शिविर)**

क्रम सं0	गतिविधि का नाम	प्रति गतिविधि दर (रूपया)	कुल धनराशि	कुल धनराशि
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वार्षिक वृहद शिविर	50,000.00	50,000.00X 8=400000.00	400000.00
2	मानसिक स्वास्थ्य दिवसों पर	50,000.00	50,000.00X 8=400000.00	400000.00
3	मानसिक स्वास्थ्य दिवस	1,00,000.00	1,00,000.00 X 1 = 100000.00	100000.00
4	विद्यालय कार्यक्रम	10,000.00	10,000.00 X24=240000.00	240000.00
5	अरबन स्लम शिविर	5,000.00	60000.00	60000.00
6	दुआ से दवा तक	5,000.00		
7	स्ट्रेस मैनेजमेंट एट वर्क प्लेसेस	5,000.00		
8	उच्चाधिकारियों हेतु जन स्वास्थ्य एवं जनहित में आयोजित किये जाने वाले अन्य मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	5,000.00		

नोट– कोविड–19 के दृष्टिगत उक्त कार्यक्रमों के आयोजन में उ0प्र0 शासन/महानिदेशालय/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों का पूर्ण ध्यान रखा जाये।

FMR- NCD.2.97.CB -Training of PHC Medical Officers, Nurses, Paramedical Workers & Other Health Staff working under NMHP- मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा–29 एवं धारा–31 के अनुपालन में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु इस मद में जनपद **आगरा** को रू0–**1,15,000,00.00**/ (रूपये एक करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) तथा जनपद **वाराणसी** को रू0–**70,000,00.00**/(सत्तर लाख़ मात्र)

एवं जनपद **बरेली** को को रू0–**1,15,000,00.00**/(रूपये एक करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि आवंटित की जा रही है। जनपद आगरा को आवंटित धनराशि को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय, आगरा को, जनपद वाराणसी को आवंटित धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी द्वारा मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी तथा जनपद बरेली को आवंटित धनराशि को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली द्वारा मानसिक चिकित्सालय, बरेली को प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु स्थानान्तरित किया जायेगा। जिससे उक्त संस्थानों द्वारा पी0एच0एम0एस0 चिकित्साधिकारियों, उपचारिकाओं, पैरामेडिकल स्टाफ इत्यादि को मानसिक स्वास्थ्य विधा में एक माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में उपभोग किया जायेगा।

FMR- NCD.2.97.PME.3- Operational expenses of the district centre : rent, telephone expenses, website etc. इस मद पर वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू0–10,000.00/जनपद की धनराशि का प्राविधान किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के अनुपालन एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट पीटिशन सिविल वाद सं0–924/2019 गौरव बंसल बनाम भारत सरकार में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद में मानसिक स्वास्थ्य हेतु हेल्प–लाईन सेवाएं आरम्भ किया जाना है। अतः मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के अनुपालन एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में आपसे से अपेक्षा की जाती है कि आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित नियमों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण हेतु उक्त मद में आवंटित धनराशि से मन–कक्ष में एक हेल्प लाइन नम्बर आरम्भ करवाना सुनिश्चित करें तथा हेल्प लाइन नंबर का व्यापक प्रचार–प्रसार करें।

FMR- NCD.2.97.PME.4– Miscellaneous/Travel/Contingency इस मद पर वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू0 05.00 लाख प्रति जनपद का प्राविधान किया गया है। इस मद में आवंटित धनराशि का निम्नानुसार उपयोग किया जा सकता है–

(अ) मिसलेनियस एवं कंटिनजेंसी मद से जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु आवश्यक सामग्री का क्रय एवं अन्य अत्यन्त आवश्यक कार्यों का निष्पादन किया जा सकता है।

(ब) ट्रैवल मद में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यावेक्षक/फील्ड विजिट हेतु वाहन की उपलब्धता के लिए धनराशि आवंटित की गई है। आउट–रीच कार्यक्रम एवं सामुदायिक–केन्द्र शिविर हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्राविधानित नियम/उपनियमों के अनुसार ही वाहन की उपलब्धता मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराई जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आउट–रीच कार्यक्रम एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शिविर के आयोजन हेतु वाहन उपलब्ध कराना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही पी0आई0एल0–4112/2018 इन द मैटर आफ रिगार्डिंग एब्यूज आफ गर्ल इन ए वूमेन शेल्टर होम इन देवरियॉ बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–आर–1950/60–1–18, दिनांक–20/09/2019, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–ए.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एन.सी.डी./2018–19/6908–2, दिनांक –26/09/2018 एवं महानिदेशालय के पत्र सं0– 9फ/मा0स्वा0/2018–19/2189, दिनांक– 27/09/2018, के अनुपालन में जनपद में उपस्थित किशोर–किशोरी एवं बाल–महिला गृहों में मानसिक परीक्षण/काउंसलिंग एवं उपचार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

FMR- NCD.2.97.IEC.1 , एवं FMR- NCD.2.97.IEC.2 - Translation of IEC material and distribution & Awareness generation activities in the community, school, workplaces with community involvement

उक्त मद में रू0–4,00,000/(रूपये चार लाख मात्र) प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। जिसके अन्तर्गत Translation of IEC material and distribution मद में 02.00 लाख प्रति जनपद तथा Awareness generation activities in the community, school, workplaces with community involvement मद में रू0 02.00 लाख प्रति जनपद का आवंटन किया गया है। जिसके उपभोग से आई0ई0सी0 संबंधित गतिविधियों यथा समाचार पत्रों में विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर्स, पम्पलेट्स, बिल–बोर्ड, लोकवाहनों पर बोर्ड, पैम्फलेट, स्टीकर्स इत्यादि विकसित करना एवं स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य स्थानों पर लगवाये जाने संबंधी कार्यवाही की जा सकती है। इस मद में आवंटित धनराशि से जागरूकता हेतु विद्यालयों, समुदाय एवं कार्यालयों में जनभागीदारी से जागरूकता लाने संबंधी कार्यवाही/कार्यक्रम आदि हेतु किया जा सकता है। अवमुक्त धनराशि का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार ही प्रचार–प्रसार/मुद्रण हेतु किया जायेगा। प्रचार–प्रसार

संबंधी प्रोटोटाईप राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व में ही जनपदों को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा चुका है।

1. मनोचिकित्सक द्वारा संपादित किया जाने वाला कार्य :–

1. जिला चिकित्सालय में **सप्ताह में 03 दिवसों पर** ओ0पी0डी0 का कार्य संपादित किया जायेगा तथा **02 दिवसों पर** मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर ओ0पी0डी0 के कार्यो तथा **01 दिन** विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों/''दुआ से दवा तक'' आदि कार्यक्रमों का नैदानिक मनोवैज्ञानिक एवं साईकिएट्रिक सोशल वर्कर के सहयोग से संपादन किया जायेगा।
2. 20 (10 महिल एवं 10 पुरूष) चिन्हित शैय्याओं पर भर्ती रोगियों के उपचार में सहयोग करना।
3. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0ई0सी0 कार्यक्रम का सफल संचालन करवाना।
4. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मनोरोगों से संबंधित समुचित औषधियों की व्यवस्था करवाना एवं अपनी देख रेख में औषधियों के समुचित रख–रखाव हेतु व्यवस्था करवाना।
5. सप्ताह में होने वाले विकलांग बोर्ड/ऑटिज्म प्रमाणन बोर्ड में सहयोग करना एवं मानसिक विकलांगता/मंदबुद्धि का प्रमाण पत्र निर्गत करवाने में सहयोग प्रदान करना।
6. जुवेनाइल जस्टिस कामेंटी (उच्च न्यायालय) के निर्देशों का अनुपालन में साप्ताहिक राज्य किशोर/किशोरी/बाल/बालिका एवं शिशु गृहों(बाल एवं महिला कल्याण विभाग के) का भ्रमण एवं उनका मानसिक उपचार किया जाना।
7. जिला चिकित्सालय में स्थापित मन–कक्ष के सफल संचालन हेतु काउसंलर एवं साईकोलॉजिस्टों की क्षमतावर्द्धन करना।

2. नैदानिक मनोवैज्ञानिक :–

1. जिला चिकित्सालय में **सप्ताह में 03 दिवसों पर** ओ0पी0डी0 में मनोचिकित्सक के निर्देशों का अनुपालन करतें हुए मरीजों की मानसिक जांच एवं मनोवैज्ञानिक उपचार/काउंसलिंग सेवाएं प्रदान करना। सप्ताह में **02 दिवसों** को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर ओ0पी0डी0 में मनोचिकित्सक को मेंटेल असिसमेंट इत्यादित में सहयोग तथा सप्ताह में 01 दिन स्कूल/विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों/दुआ से दवा आदि कार्यक्रमों में सेवाएं प्रदान करना।
2. चयनित शैय्याओं/चिन्हित मानसिक रोगियों की आवश्यकतानुसार काउन्सलिंग एवं अन्य मनोवैज्ञानिक उपचार (मनोचिकित्सक के मार्गदर्शन में) प्रदान करना।
3. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0ई0सी0 कार्यक्रम का सफल संचालन करवाना।
4. सप्ताह में होने वाले विकलांग बोर्ड/आजिटज़्म प्रमाणन बोर्ड में भागीदारी सुनिश्चित करतें हुयें मानसिक विकलांगता/मंदबुद्धि का प्रमाण पत्र निर्गत करवाने में सहयोग प्रदान करना।
5. जुवेनाइल जस्टिस कामेंटी(उच्च न्यायालय) के निर्देशों का अनुपालन में साप्ताहिक राज्य किशोर/किशोरी/बाल/बालिका एवं शिशु गृहों (बाल एवं महिला कल्याण विभाग के) का भ्रमण एवं उनका मानसिक उपचार/काउंसलिंग सेवाएं प्रदान करना।
6. जनपद में समय–समय पर जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रमों मे साईक्रेटिक सोशल वर्कर के साथ आवश्यकतानुसार कार्यक्रम को सफल बनाना जैसें कि विभागीय/अर्न्तविभागीय/स्कूल/विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/शहरी–क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों/मलिन बस्तियों भ्रमण करते हुए जागरूकता एवं उपचार प्रदान करना।
7. चयनित विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। केन्द्र
8. मन–कक्ष में निर्धारित दिवसों पर अपनी सेवाएं प्रदान करना एवं विभिन्न कार्यक्रमों में कार्यरत् काउंसलरों एवं साइकोलॉजिस्टों की क्षमतावर्द्धन किये जाने में सहयोंग करना।
9. यहॉ उल्लेखनीय है कि जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्यूनिटी लेविल साईकोलॉजिस्ट की नियुक्ति होगी उन स्वास्थ्य केन्द्रों पर भ्रमण के दौरान क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट उन केन्द्रों पर नहीं जायेगी एवं पूर्व निर्धारित अन्य कार्यो का सम्पादन करेंगी।
10. कार्यक्रम के अन्तर्गत मनोविज्ञान विभाग वाले चयनित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय में विद्यार्थियों को चरणबद्ध रूप में प्रशिक्षण प्रदान करना।
11. जनपद मानसिक स्वास्थ्य के हित में उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त अन्य कार्य।

3. साईकियाट्रिक सोशल वर्करः–

1. समाज में मानसिक रोगों से संबंधित भ्रान्तियों को दूर करने हेतु आई0ई0सी0 के माध्यम से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित स्थलो पर शिविर लगवाना। जैसें कि विभागीय/अर्न्तविभागीय/स्कूल/विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/शहरी क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों/मलिन बस्तियों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करवाना।

2. जनपद स्तरीय/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से आई0ई0सी0 गतिविधियों का संचालन करना।
3. सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 भ्रमण के दिवसों पर संबधित क्षेत्र के आशा, ए.एन.एम., ग्राम प्रधान इत्यादि से संपर्क कर क्षेत्र के मनोरोगियों की सूचनाओं का संकलन एवं उनके परिवारजन के संवेदीकरण करना। जनपद में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों का चिन्हिकरण करते हुऐ उनका मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में सहयोग लेना।
4. स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से मानसिक रोगियों के कल्याण एवं सहायता हेतु समय–समय पर कार्यक्रमों का आयोजन करवाना।
5. जो मनोरोगी स्वस्थ होनें के उपरान्त बेघर एवं बेरोजगार रहते है उनके जीवन उपार्जन हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करनें का प्रयत्न करना। इस हेतु जनपद में कार्यरत स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग लेने का प्रयत्न करना।
6. विद्यालय/विश्वविद्यालयों इत्यादि के प्रधानाचार्यों से संपर्क स्थापित करनें के उपरान्त वहां पर जागरूकता शिविर का आयोजन करना।
7. साइक्याट्रिक सोशल वर्कर द्वारा योजनाबद्ध रूप में साईक्याट्रिक नर्स के सहयोग से वर्क–प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, अर्बन स्लम शिविरों, सुसाइड प्रिवेंशन शिविर आदि का आयोजन किया जायेगा।
8. जनपद के समस्त ऐसे स्थानों का चिन्हिकरण करना जहॉ झॉड़–फूंक के माध्यम से मानसिक रोगों का उपचार किया जाता है। तद्पोरान्त वहॉ के प्रभारी का संवेदीकरण करते हुये वहां दुआ से दवा तक शिविरों का आयोजन करवाना।
9. अर्बन स्लम स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों से संपर्क करने के उपरान्त शिविरों का आयोजन करना।
10. अन्य समस्त बिन्दु, जो कि मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट के क्रम सं0 जे–2.3.2.3 (टारगेटेड इण्टरवेंशन प्रोग्राम) से संबंधित है, का सफल संचालन करना/करवाना।
11. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त अन्य कार्य।

4. **साइकियाट्रिक नर्स :–**
1. ओ0पी0डी0के समय कम्यूनिटी नर्स के साथ मिलकर मरीज की हिस्ट्री लेना एवं केस सीट तैयार करना।
2. ओ0पी0डी0 में कम्यूनिटी नर्स के साथ मरीजों दवा देना तथा दवाई खाने का तरीका एवं परहेज के बारे में जानकारी प्रदान करना।
3. ओ0पी0डी0 में एवं सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में देखें गयें मरीजों का रिकार्ड व्यवस्थित करते हुऐ रोगों का वर्गीकरण करनें के उपरान्त मरीजों की गणना करना, ताकि भविष्य में शोध हेतु एवं अवश्यकतानुसार सुविधाओं को प्रदान किया जा सके।
4. चिन्हित शैय्याओं पर भर्ती मानसिक रोगियों का वार्ड में जाकर समुचित आवश्यकतानुसार उपचार प्रदान किये जाने में सहयोग प्रदान करना।
5. समाज में मानसिक रोगों से संबंधित भ्रान्तियों को दूर करने हेतु आई0ई0सी0 के माध्यम से समाज के हर स्तर पर शिविर लगाये जाने में सहयोग करना।
6. मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करवाये जाने में सहयोग प्रदान करना।
7. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त अन्य कार्य।

5. **कम्यूनिटी नर्स/केस मैंनेजर के कार्य :–**
1. ओ0पी0डी0/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 भ्रमण में आवश्यकतानुसार योगदान देना।
2. ओ0पी0डी0 में मरीजों को दवा वितरण करना।
3. ओ0पी0डी0 एवं सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में देखें गयें मरीजों का रिकार्ड व्यवस्थित करते हुऐ रोगों का वर्गीकरण करनें में सहयोग देना।
4. सोशल वर्कर के सहयोग से समाज में मानसिक रोगों से संबंधित भ्रान्तियों को दूर करने हेतु आई0ई0सी0 के माध्यम से चिन्हित स्थनों पर शिविर लगाना जैसें कि कि विभागीय/अर्न्तविभागीय/स्कूल/विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/शहरी क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों/मलिन बस्तियों में शिविर आयोजित करते हुए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करवाना।
5. सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 भ्रमण के दौरान आशा, ए.एन.एम. आदि के सहयोग से गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के परिजनों का संवेदीकरण करनां एवं उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानें के उपरान्त उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करना। इस कार्य में साइकिएट्रिक सोशल वर्कर उनके साथ रहेंगे एवं मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे।
6. साइकिएट्रिक सोशल वर्कर के साथ जाकर मानसिक मंदित बच्चों की शिक्षा, एवं सरकार द्वारा मानसिक मंदित व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही अन्य योजनओं की जागरूकता शिविरों में सहयोग करना।
7. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त अन्य कार्य।

6. <u>केस रजिस्ट्री असिस्टेन्ट :–</u>

1. सी0आर0ए0 का कार्य एम0एण्ड0ई0 ऑफिसर के सहायक के रूप में कार्य निष्पादित करना है।
2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं का लाभ लें रहे मरीजों एवं मन–कक्ष में सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विवरण रजिस्टर से नोट कर रिपोर्ट तैयार करने में एम0एण्ड0ई0 ऑफिसर का सहयोग करना।
3. कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन में साइकिएट्रिक सोशल वर्कर एवं क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट को सहयोग प्रदान किया जायेगा।
4. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यो का सम्पादन करना।

7. <u>वार्ड असिस्टेन्ट/आर्डली–</u>

1. ओ0पी0डी0/सी0एच0सी/पी0एच0सी0 भ्रमण वाले दिन मनोचिकित्सक साथ रहना और मरीजों को क्रमवार देखने मे सहायता करना।
2. समस्त आउटरीच कार्यक्रमों में क्लीनिकल साईकोलाजिस्ट एवं साईकिएट्रीक सोशल वर्कर को सहयोग प्रदान करना।
3. मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के हितार्थ उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त अन्य समस्त कार्यों का सम्पादन करना।

<u>मानिटरिंग एवं ईवैलुएशन आफिसर</u> :–

1. एम0एण्ड0ई0 ऑफिसर का कार्य जनपद में सी0एम0ओ0/जिला नोडल ऑफिसर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/मानसिक रोग विशेषज्ञ इत्यादि के मध्य समाजस्य (कोऑर्डिनेशन) स्थापित करना एवं राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देश, पत्र, अन्य आदेशों एवं मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम समस्त सूचनाए एवं गाइडलाइन्स उच्चाधिकारियों एवं डी.पी.एम.यू. को उपलब्ध कराना।
2. जनपद मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित डाटा एवं प्रोग्राम रिपोर्ट इत्यादि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ को ससमय प्रेषित करना।
3. कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण एवं मुल्यांकन करतें हुए उच्चाधिकारियों को सतत अवगत कराते रहना।
4. जिला लेखा प्रबंधक ईकाई के समन्वय से कार्यक्रम की भौतिक प्रगति की अद्यतन सूचनाओं से उच्चाधिकारियों को अवगत कराना तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति बढ़ाने हेतु कार्यक्रम में कार्यरत् अन्य सदस्यों के समन्वय से योजना बनाकर नोडल अधिकारी को अवगत कराना।
5. समस्त डी.एम.एच.पी. टीम के सामन्जस्य से डी.एम.एच.पी. के अन्तर्गत सम्पादित होने वाले विभिन्न गतिविधियों की कार्ययोजना बनाकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराना एवं कार्ययोजनानुसार कार्यवाहियां सम्पादित करवाना।
6. कम्यूनिटी लेवल साईकोलॉजिस्ट द्वारा एकत्रित डाटा को संकलित कर जनपद के मानसिक रोगियों के डाटा की रिपोर्ट बनाना।
7. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का समयान्तर्गत उपभोग किये जाने हेतु अन्य डी.एम.एच.पी. टीम के सहयोग से कार्ययोजना बनाना।

<u>कम्यूनिटी लेवल साईकोलॉजिस्ट</u>

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानसिक रोग की समस्या लेकर आने वाले व्यक्तियों की काउंसलिंग एवं आवश्यकतानुसार जनपद चिकित्सालय रेफर करना।
2. मरीजों का आवश्यकतानुसार मेंटल असिसमेंट करना एवं वर्गीकरण करना।
3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य शिविर के दिवसों पर चिकित्सक का सहयोग करना एवं शिविर के आयोजन के पूर्व शिविर के आयोजन हेतु प्रचार–प्रसार करना।
4. क्षेत्र की आशा, ए.एन.एम., आंगनवाड़ी एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को का संवेदीकरण करना एवं उनके सहयोग से मानसिक रोगियों का पता लगाना एवं उनका डाटा एकत्रित करना।
5. मनोरोग विधा की औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु उच्चाधिकारियों को औषधी की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहना।
6. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम से समन्वय स्थापित कर उनके सहयोग से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग करना एवं आवश्यकतानुसार रेफर करना।
7. तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की टीम से समन्वय स्थापित कर संबंधित सामुदायिक केन्द्र के अन्तर्गत आयोजित होने वाली एफ0जी0डी0 (फोकस ग्रुप डिश्कशन) कार्यक्रम में सहयोग करना एवं एन.टी.सी.पी. टीम द्वारा आयोजित शिविरों में आवश्यकतानुसार काउसंलिग सेवाएं प्रदान करना।

8. असंचारी रोग (एन0सी0डी0) नियंत्रण हेतु एन.पी.सी.डी.सी.एस. कार्यक्रम की टीम के साथ समन्वय स्थापित कर काउंसलिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना।
9. जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त है, उसके अन्तर्गत आने वाले समस्त हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर विजिट करते हुये मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना।

21.5 राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (2023–24)

सामान्य जनता को तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007–2008 (11वी पंचवर्षिय योजना) में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम 21 राज्यो के 42 जनपदों में प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में चलाया जा रहा है।

तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंर्तगत मुख्य्तः निम्न पांच गतिविधियों पर अधिक बल दिया गया है–

- तम्बाकू नियंत्रण कानून का अनुश्रवण, प्रवर्तन एवं रिपोर्टिग की गतिविधियॉ।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार की गतिविधियॉ।
- विद्यालय गतिविधियां।
- प्रशिक्षण/जागरूकता की गतिविधियॉ।
- तम्बाकू नशा उन्मूलन की गतिविधियॉ

कार्यक्रम के अर्न्तगत अच्छादित प्रदेश के समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में एक जिला तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ की स्थापना किया जाना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 को जिला नोडल अधिकारी, एन0टी0सी0पी0 नामित किया जायेगा। जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के संचालन हेतु योजना बनाने, क्रियान्वित करने, मानिटरिंग करने और भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी होगा। जहॉ जनपद सलाहकार, साइकोलॉजिस्ट, समाजिक कार्यकर्ता एवं आउटर्सोसिंग के माध्यम से डाटा इन्ट्री आपरेटर कार्यरत् होंगे। प्रत्येक जनपद के जनपद चिकित्सालय में एक तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र की स्थापना की जायेगीं, जहॉ कार्यक्रम के अन्तर्गत् साईकोलॉजिस्ट/काउंसलर कार्यरत् होंग।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0)के अन्तर्गत जनपदों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ

एफ0एम0आर मद सं0 NCD.4.104.CB.1– Training/Sensitization Programme–

1. जनपद स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं तम्बाकू नियंत्रण हेतु उनकी क्षमता का विकास करना DTCC की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।
2. तम्बाकू नियंत्रण हेतु संबंधित जनपद के समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण का आयोजन (यथा– जनपद प्रशासन, चिकित्सक, नर्स, आशा, पुलिस, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, विद्यालय के शिक्षक, स्वयं सेवी संगठनों, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, नगर महापालिका आदि) करना।
3. जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में तम्बाकू प्रयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, तम्बाकू के प्रकारों, तम्बाकू प्रयोंग से आर्थिक–सामाजिक कारण, तम्बाकू छोड़ने के लाभ, आदि को रखना चाहिए।
4. प्रशिक्षण हेतु रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की धनराशि आवंटित की गई है, जिसका विवरण निम्नवत् है–
   - सी0ओ0टी0पी0ए0 अधिनियम, 2003 को भली–भॉति लागू करने हेतु सम्बंधित विभागों यथा–रेल विभाग, खेल, नगर–निगम/परिषद, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के विभिन्न कार्मिकों का Orientation of Stakeholder Organizations के अन्तर्गत 02 उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। जिस हेतु एफ0एम0आर0 संख्या–NCD.4.104.CB.1 पर रू0 40,000.00 (रूपये चालीस हजार) की धनराशि आवंटित की गई है।
   - तम्बाकू नियंत्रण एवं सी0ओ0टी0पी0ए0 अधिनियम, 2003 के सम्बध में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ ए0एन0एम0 आदि का Training of Health Professionals के अन्तर्गत 02 उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिस हेतु एफ0एम0आर0 संख्या–NCD.4.104.CB.2 पर प्रति जनपद रू040,000.00 (रूपये चालीस हजार) की धनराशि आवंटित की गई है।

- जनपद प्रशासन के अधिकारियों यथा, पुलिस विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नगर पालिका/निगम, कर विभाग, शिक्षा विभाग आदि का Orientation of Law Enforcers के अन्तर्गत 02 प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाना है, जिस हेत एफ0एम0आर0 संख्या–NCD.4.104.CB.3 पर प्रति जनपद रू0 60,000 (साठ हजार) की धनराशि आवंटित की गई है।

एफ0एम0आर मद सं0 NCD.4.104.CB.4 –Training of PRI's representatives/Police Personnel/ Transport Personnel/Teacher/ NGO personnel/other stakeholders

उक्त मद के अन्तर्गत प्रतिभागियों के रूप में विभिन्न विभागों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों यथा जनपद प्रशासन, एन0एस0एस0, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0ओ0, आई0एम0ए0, आई0डी0ए0, शिक्षक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, ग्राम पंचायत, पंचायती राज, लोकपरिवहन, पुलिस विभाग आदि को प्रशिक्षित किया जाना है, जिस हेतु रू0 30000.00 की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर से प्रशिक्षण मद में आवंटित धनराशि में से उपरोक्त निर्धारित प्रशिक्षण कराने के उपरान्त यदि धनराशि शेष रह जाती है तो आप द्वारा कार्यक्रम हित एवं जनहित में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।

एफ0एम0आर मद सं0 NCD.4.104.CB.5–Other Trainings/Orientations - sessions incorporated in other's training-

उक्त मद के अन्तर्गत प्रतिभागियों के रूप में विभिन्न विभागों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों यथा जनपद प्रशासन, एन0एस0एस0, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0ओ0, आई0एम0ए0, आई0डी0ए0, शिक्षक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, ग्राम पंचायत, पंचायती राज, शिक्षा विभाग, लोकपरिवहन, पुलिस विभाग आदि में आयोजित कार्यशाला में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को तम्बाकू नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाना है, जिस हेतु रू0 3.30 (रूपये तीन लाख तीस हजार) प्रति जनपद की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर से प्रशिक्षण मद में आवंटित धनराशि में से उपरोक्त निर्धारित प्रशिक्षण कराने के उपरान्त यदि धनराशि शेष रह जाती है तो आप द्वारा कार्यक्रम हित एवं जनहित में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।

एफ0एम0आर0 मद सं0–NCD.4.104.IEC.2–(SBCC/IEC for NTCP)–

- जन सम्पक एवं जन जागृति हेतु जनपदवार एवं मदवार रू0–7,00,000.00 (रूपये सात लाख) प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गई है। अवमुक्त धनराशि का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार ही प्रचार–प्रसार के मुद्रण हेतु किया जायेगा।
- जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को सामान्य जनता की जागरूकता हेतु जन जागरूकता के मिश्रित माध्यमों का उपयोग करना चाहियें। तम्बाकू सेवन से होनें वालें दुष्प्रभावों पर सन्देश हेतु स्वास्थ्य मेला, होर्डिंग, हाथ विल, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, पारम्परिक/लोक मीडिया, रेडियों आदि का प्रयोग करना चाहियें।
- जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ राष्ट्रीय स्तर की मीडिया के साथ समन्वय स्थापित कर सकतें है।
- जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ पोस्टर एवं स्टैण्डी का प्रयोग करके मोबाइल प्रदर्शनी किट विकसित कर सकती है। जिसमें कुछ आडियों विजुअल माध्यमों का प्रयोग करकें इसे ंऔर आकर्षक बनाया जा सकता है। इस मोबाइल प्रदर्शनी किट को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये जा सकता है।
- साईनेज पर चित्रों के माध्यम से सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के विभिन्न प्राविधानों को दर्शाया जा सकता है।
- स्वयं सेवी संगठनों, आशा, स्वंय सहायता समूहों, एवं यूथ क्लब आदि को तम्बाकू नियंत्रण हेतु आयोजित की जानें वाली गतिविधियों में प्रतिभाग करनें के लियें प्रेरित किया जाना चाहियें जिससें तम्बाकू नियंत्रण की जागरूकता अधिक से अधिक लोगों मे हो।
- जिला सलाहकार के सहयोग से समाज में तम्बाकू सेवन से होने वाली हानियों के विषय में जागरूकता हेतु सॉइकोंलॉजिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता को हर सप्ताह दो बार क्षेत्रीय भ्रमण करना अनिवार्य होगा।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या कोड संख्या–NCD.4.104.IEC.1– Printing of Challan Books

एफ0एम0आर0 कोड संख्या कोड संख्या–NCD.4.104.IEC.1 चालान बुक का मुद्रण (Printing of Challan Books) मद के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम, 2003 के प्रवर्तन हेतु 350 प्रतियॉ प्रति जनपद जुर्माने की रसीद एवं चालान बुक की छपाई हेतु प्रति चालान एवं जुर्माना बुक 60 रू0 का बजट

उपलब्ध है। वर्णित रसीद बुक एवं चालान बुक विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराते हुयें अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना आपेक्षित है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या NCD.4.106.OCC.1 to 5–School Programme

विद्यालय कार्यक्रम हेतु प्रति जनपद रू0–7.00 लाख की धनराशि आवंटित की गई है। तम्बाकू नियंत्रण हेतु जनपद में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के जागरूकता हेतु कार्यक्रम कराया जाना है।

विद्यालय कार्यक्रम के अन्तर्गत निबन्ध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, आदि का आयोजन किया जाना चाहिये। वृत्त चित्र/ फिल्मों, कठपुतली के खेल आदि से विद्यार्थियों को जागरूक किया जाना चाहियें। विद्यालय कार्यक्रम हेतु निम्नानुसार धनराशि का आवंटन किया गया है–

1. 20 पब्लिक विद्यालय हेतु रू0 5,000.00 प्रति विद्यालय।
2. 40 प्राइवेट विद्यालय हेतु रू0 5,000.00 प्रति विद्यालय।
3. 20 पब्लिक विद्यालय में विद्यालय की अन्य गतिविधियों के साथ तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु रू0 5,000.00 प्रति कार्यक्रम।
4. 20 प्राइवेट विद्यालय में विद्यालय की अन्य गतिविधियों के साथ तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम रू0 5,000.00 प्रति कार्यक्रम।
5. 40 संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन कालेज एवं विश्वविद्यालय हेतु रू0–5,000.00 प्रति कार्यक्रम।

   विद्यालय कार्यक्रम–2023–24 के सम्बन्ध में राज्य स्तर से पृथक से दिशा–निर्देश प्रेषित किये जायेंगे।

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (NCD.4.105.OCC.1):–

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत एफ0एम0आर0 संख्या–NCD.4.105.OCC.1 पर रू0 3.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद अनुमोदित की गयी है, जिसमें अधिकतम रू0 5000/– प्रति विद्यालय के अनुसार प्रति जनपद न्यूनतम 60 विद्यालय कार्यक्रम किया जाना है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में विद्यालय कार्यक्रम हेतु चिन्हित विद्यालयों के अतिरिक्त विद्यालयों को लिया जायेगा। जिसे जनपद स्तर पर शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (Tobacco Free Educational Institution (ToFEI)) हेतु प्रदत्त ऑपरेशनल गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करते हुए मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की जानी है।

1–18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों को न बेंचना।

2–शैक्षणिक संस्थानों की 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद की दुकानें नहीं होनी चाहिए।

3–विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों में धूम्रपान प्रतिबन्धित होना चाहिए।

4–सभी विद्यालयों में सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 की धारा–4 एवं 6 का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

प्रत्येक जनपद के जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की यह जिम्मेदारी होगी कि वह शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग के सहयोग से उक्त बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही करवाते हुए प्रत्येक तिमाही महानिदेशालय को प्रेषित की जाने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ पृथक से उक्त की प्रगति रिपोर्ट महानिदेशालय स्तर पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

''तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान'' गाइडलाइन के अनुपालन हेतु प्रस्तावित विद्यालय कार्यक्रम के सम्बन्ध में राज्य स्तर से पृथक से दिशा–निर्देश प्रेषित किये जायेंगे।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या– NCD.4.106.PME.1–District level Coordination Committee meeting–

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.1 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष जनपद स्तरीय समन्वय समिति की 2 बैठक कराया जाना अनिवार्य है, जिस हेतु रू0 2,000.00 (दो हजार मात्र)/बैठक के अनुसार प्रति जनपद रू0–4,000.00 धनराशि का आवंटन किया गया है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.2–Monitoring Committee meeting on Section 5–

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.2 के अन्तर्गत सी0ओ0टी0पी0ए0 अधिनियम, 2003 की धारा–5 हेतु गठित अनुश्रवण समिति की 04 बैठक कराया जाना अनिवार्य है, जिस हेतु रू0 15,00.00 (पन्द्रह सौ रूपये मात्र) की धनराशि प्रति बैठक के अनुसार रू0– 6,000.00 धनराशि का आवंटन किया गया है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या, NCD.4.106.PME.3– Enforcement Squad Meeting–

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.3 के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रवर्तन हेतु गठित इन्फोर्समेन्ट स्क्वायड (सचल/प्रवर्तन दल) की 1 बैठक प्रति तिमाही कराया जाना है, जिस हेतु रू0 20 ,000.00 (बीस हजार मात्र) की धनराशि उपलब्ध है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या, NCD.4.106.PME.4–Misc./Office Expences for District Tobacco Cell–

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.4–Misc./Office Expences के अर्न्तगत रू0 5.00 लाख (पांच लाख मात्र) प्रति जनपद की धनराशि आवंटित की गई है, जिसका उपभोग कार्यालयोपयोगी सामग्री, स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री का क्रय अथवा अन्य सेवाओं हेतु किया जा सकता है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या NCD.4.106.PME.5 – Mobility Support For DTCC–

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.5 Mobility Support For DTCC मद के अर्न्तगत मोबिलिटी सपोर्ट हेतु रू0 35000.00 प्रति माह की दर से 12 माह हेतु कुल 4.20 लाख/जनपद की धनराशि आवंटित की गई है, जिसका उपभोग राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के मूल्याकंन एव अनुश्रवण हेतु वाहन किराये पर लेने के लिए किया जा सकता है। वाहन का प्रयोग प्रवर्तन, छापेमारी एवं कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य गतिविधियों में भी किया जा सकता है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या NCD.4.106.PME.6 – Monthly meeting with the hospital staff –

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.6 Monthly meeting with the hospital staff मद के अन्तर्गत प्रत्येक माह चिकित्सक, नर्स एवं चिकित्सालयों के कर्मचारियों के साथ तम्बाकू नियंत्रण हेतु बैठक किया जाना है, जिस हेतु रू0 4000.00/माह की दर से 12 माह हेतु कुल रू0 48000.00 की धनराशि आवंटित की गई है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या NCD.4.106.IEC.1 –Weekly FGD with the tobacco users–

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.IEC.1 Weekly FGD with the tobacco users मद के अन्तर्गत तम्बाकू का प्रयोग करनें वालों के साथ साप्ताहिक फोकस ग्रुप डिस्कशन हेतु बैठक किया जाना है, जिस हेतु रू0 1000.00/सप्ताह की दर से 12 माह हेतु कुल रू0 52000.00 की धनराशि आवंटित की गई है।

अन्य व्यय (Contingency/Miscellaneous)–

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.7 Mobility Support for TCC के अन्तर्गत तम्बाकू उन्मूलन की गतिविधियॉ यथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार हेतु भ्रमण, एफ0जी0डी0 के आयोजन हेतु भम्रण तथा उन्मूलन संबधी अन्य गतिविधियों में आवागमन हेतु रू0 5000.00/माह की दर से 12 माह हेतु रू0 60000.00 की धनराशि आवंटित की गई है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या– NCD.4.106.PME.8 Office Expenses for TCC के अन्तर्गत कार्यालय व्यय मद हेतु जनपदवार रू0 1.00 लाख/जनपद की धनराशि आवंटित की गई है। तम्बाकू नियंत्रण हेतु उक्त मद द्वारा विविध व्यय जैसे– संचार, कार्यालयोपयोगी सामग्री, (Office Consumables) आदि पर व्यय किया जा सकता है।

मानव संसाधन,(Manpower Support)–

जिला सलाहकार,(District Consultant)–HSS.9.184.C.P324

जनपदों में कार्यरत जिला सलाहाकार अपने तैनाती जनपद के साथ ही आवंटित जनपदों में जिला नोडल अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करके सभी विभागों समन्वय स्थापित करते हुए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का सफल संचालन कराते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति करना एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रति संवेदीकृत कराना तथा जनपद के समस्त विभागों में सी0ओ0पी0टी0ए0–2003 के समस्त प्राविधानों/धाराओं एवं जे0जे0सी0 एक्ट–2015 की धारा–77 का जनपद में अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही सप्ताह में एक दिन होने वाली एफ0जी0डी0 कार्यक्रम मे प्रतिभाग करेंगे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 स्तर से कार्यक्रम के अर्न्तगत आवंटित बजट, राज्य स्तर से प्रेषित संक्षिप्त दिशा–निर्देशों तथा भारत सरकार स्तर से प्रदत्त गाइडलाइन का अवलोकन करते हुए नियमानुसार एवं समयार्न्तगत सम्बन्धित गतिविधियों को सम्पन्न कराते हुए आवंटित बजट का शत–प्रतिशत उपभोग कराना सुनिश्चित करेंगे साथ ही आवंटित जनपदों के सम्बन्धित जिला नोडल अधिकारी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

सामाजिक कार्यकर्ता, (Social Worker)–HSS.9.184.C.S0570

सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का उचित क्रियान्वयन करना है। उक्त के अतिरिक्त सप्ताह में एक दिन होने वाले एफ0जी0डी0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन तथा साइकोलॉजिस्ट को सहायता प्रदान करेंगे। जिला सलाहकार से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम संचालन एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों में सहयोग करेंगे। कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रस्तावित निर्धारित विद्यालय कार्यक्रम को कार्ययोजना तैयार कर गाइडलाइन में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्पन्न करेंगे तथा ससमय रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों/बैठकों को आयोजित कराने में सहयोग तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर अन्य कार्यक्रमों अथवा विभागीय कार्याशालाओं/बैठकों में तम्बाकू नियंत्रण से सम्बन्धित सेशन रखना तथा बैठक/कार्यशाला में उपस्थित लोगों को जागरूक करने का कार्य।

साइकोलाजिस्ट/काउन्सलर–HSS.9.184.C.S0529

जनपद में कार्यरत साइकोलॉजिस्ट/काउन्सलर द्वारा Tobacco Cessation Centre एवं टी0बी0–टोबैको गाइडलाइन का प्रभावी संचालन कराया जायेगा तथा उक्त से सम्बन्धित भौतिक प्रगति रिपोर्ट ससमय प्रेषित की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त जिला अस्पताल में तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र में कार्य करना एवं जो व्यक्ति तम्बाकू का उपयोग कर रहे है, उन्हे तम्बाकू छोड़ने हेतु प्रेरित/काउंसलिग करना तथा तम्बाकू छोड़ने हेतु उन लोगों को भारत सरकार के टोल फ्री नं0–1800112356 पर पंजीकरण कराने के लिए भी प्रोत्साहित किये जाने का कार्य।

सप्ताह में एक दिन जिला सलाहकार एवं सोशल वर्कर की सहायता से ग्राम स्तर पर एफ0जी0डी0 किया जाना, जिसकी प्रगति रिपोर्ट सोशल वर्कर के द्वारा तैयार कर निर्धारित प्रारूप ससमय प्रेषित की जाये।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के अर्न्तगत साइकोलाजिस्ट/काउन्सलर पद का नाम एक ही है।

अन्य निर्देशः–

1. जनपद सलाहकार जनपद के सभी विभागों के समन्वय स्थापित करते हुए कार्ययोजना बनाकर नोडल अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम/विद्यालय कार्यक्रम में स्वयसेवी संस्था के सहयोग एवं अन्य गतिविधियों को सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. जनपद सलाहकार समस्त विभागों में सी0ओ0पी0टी0ए0–2003 के समस्त प्राविधानों/धाराओं एवं जे0जे0सी0 एक्ट–2015 की धारा–77 का जनपद में अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही सप्ताह में एक दिन होने वाली एफ0जी0डी0 कार्यक्रम मे प्रतिभाग करेंगे।
3. जनपद सलाहकार एवं सोशल वर्कर के द्वारा शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ''तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान'' ऑपरेशनल गाइडलाइन एवं महानिदेशालय द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 02.09.2021 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा, जिसकी प्रगति रिपोर्ट त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ पृथक से प्रेषित की जायेगी।
4. सोशल वर्कर विद्यालय कार्यक्रम का क्रियान्वयन/अनुश्रवण जनपद सलाहकार के सहयोग एवं दिशा–निर्देशानुसार करना/करवाना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रत्येक वर्ष 31 मई को ''विश्व तम्बाकू निषेध दिवस'' के अवसर पर जनपदों द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की प्रदत्त थीम के अनुसार निम्न गतिविधियां संचालित की जाये–

- जनपद स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति तथा ब्लॉक स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन कर 01 माह का कैम्पेन के माध्यम से तम्बाकू नियंत्रण हेतु अभियान की कार्ययोजना तैयार करना।
- प्रति सप्ताह स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी एवं चालान गतिविधि सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 एवं इलेक्ट्रानिक सिगरेट के प्रतिबन्ध एवं हानियों के प्रति प्रचार–प्रसार एवं इन्फोर्समेंट किया जाना।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर दिनांक 31 मई, 2023 को ''तम्बाकू मुक्त उत्तर प्रदेश'' हेतु शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाये।

- एन0टी0सी0पी0, एन0पी0सी0डी0सी0एस0 एवं एन0एम0एच0पी0 कार्यक्रमों के अर्न्तगत कार्यरत काउन्सलर/साइकोलॉजिस्ट द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिविरों के माध्यम से तम्बाकू का सेवन कर रहे व्यक्तियों की काउन्सलिंग।
- ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में तम्बाकू उपभोग से होने वाली हानियों के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार के माध्यम से जानकारी दी जाये।
- जनप्रतिनिधियों के सहयोग से व्यापक प्रचार–प्रसाार।
- प्रिंट/इलेक्ट्रानिक/सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियों विजुअल व अन्य व्यापक प्रचार–प्रसार।
- शिक्षा विभाग के सहयोग से समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित करवाना एवं उनकी मॉनीटरिंग करना।
- आकाशवाणी एवं अन्य स्थानीय एफ0एम0 रेडियो चैनल के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार।
- नगर/ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कूड़ा वाहनों में ऑडियो क्लिप के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार।
- जिला/उप जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलेक्ट्रानिक स्क्राल के माध्यम से तम्बाकू निषेध सम्बन्धित सूचना प्रसारण।
- जनपद/ब्लॉक स्तर पर रैली/गोष्ठी/कार्यशाला/नुक्कड़ नाटक/पोस्टर/निबंध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार।
- आशा–आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्राम स्तर पर प्रचार–प्रसार।
- ग्राम पंचायत स्तर पर गठित VHSNC के माध्यम से ग्राम स्तर तक जागरूकता अभियान आयोजित करना।
- VHND/AHD/JAS आदि के माध्यम से गर्भवती महिलाओं व किशोर–किशोरियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना।
- एन0टी0सी0पी0/आर0बी0एस0के0/आर0के0एस0के0 टीम के द्वारा स्कूल कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली बच्चों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना।

6. सोशल वर्कर द्वारा साइकोलॉजिस्ट की सहायता से ग्रामीण स्तर पर सप्ताह में एक दिन होने वाले एफ0जी0डी0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन जनपद सलाहकार के सहयोग एवं दिशा–निर्देशानुसार करेंगे।
7. जिला नोडल अधिकारी द्वारा कार्यक्रम के अर्न्तगत मदवार एवं गतिविधिवार आवंटित धनराशि का व्यय नियमानुसार प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक शत–प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें।
8. जिला एन0सी0डी0सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा कार्यक्रम का वित्तीय कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके क्रम में जिला नोडल अधिकारी के दिशा–निर्देश में जिला सलाहकार द्वारा कार्यक्रम की कार्ययोजना बनाकर जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. जनपद सलाहकार आपरेशनल गाइडलाइन्स एवं समय–समय पर राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों पर आवश्यक कार्यवाही एवं जिन जनपदों में वर्तमान समय तक DLCC/इन्फोर्समेन्ट स्कवायड, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर समन्वय समिति का गठन नहीं किया गया है, का गठन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
10. जनपद सलाहकार यलो लाइन कैम्पेन के माध्यम से समस्त सरकारी कार्यालय एवं शैक्षिण संस्थानों में यलो लाइन सम्पादन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
11. जनपद सलाहकार अपने आवंटित जनपद के साथ–साथ अन्य जनपद का कार्य जोकि पूर्व में आवंटित किये गये है, उसी के अनुसार आवंटित जनपद में DLCC/इन्फोर्समेन्ट स्कवायड का गठन, प्रशिक्षण एवं ससमय रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करेंगे।
12. वर्तमान समय में कोविड–19 वैश्विक माहमारी के दृष्टिगत् भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर कोविड–19 माहमारी हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियाँ सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

21.6 राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP)

24 एंडमिक जनपदों (आगरा, अलीगढ, आजमगढ, बुलन्दशहर, बहराइच, बरेली, बस्ती, बिजनौर, देवरिया, अयोध्या, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, जौनपुर, लखीमपुर–खीरी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सुल्तानपुर, वाराणसी, शाहजहॉपुर, रामपुर, सहारनपुर एवं पीलीभीत) में संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) उत्तर प्रदेश में संचालित है, जिसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं अन्य व्यक्तियों को आयोडीनयुक्त नमक का उपयोग, उसकी कमी से होने वाले दुष्परिणाम एवं आयोडीन की कमी दूर करने के उपाय के बारे में जागरूक करना है। इसी संदर्भ में प्रदेश के 24 एंडमिक जनपदों में आशाओं द्वारा नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच करना निर्धारित किया गया है।

आयोडीन एक आवश्यक पोषक तत्व है, जो हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। आयोडीन की कमी से घेंघा ही नहीं वरन बहरापन, गूँगापन, मानसिक विकृतियाँ तथा अपंगता जैसी व्याधियाँ भी होती है, जिनका निदान सम्भव नहीं है। उपरोक्त विकृतियों के बचाव हेतु नमक का सार्वभौमिक आयोडीनीकरण (USI-Universal Salt Iodisation) सर्वाधिक व्यवहारिक, प्रभावी एवं सस्ता उपाय है। सार्वभौमिक आयोडीनीकरण (USI) 1986 से कुछ क्षेत्रों में शुरू किया गया। भारत सरकार द्वारा 15 मई, 2006 से आयोडीनरहित नमक की बिक्री एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गयी है।

उपभोक्ता स्तर पर प्रयोग किये जाने वाले नमक में आयोडीन की मात्रा कम से कम 15 पी0पी0एम0 होना आवश्यक है, अतः प्रयोग किये जाने वाले नमक में आयोडीन की मात्रा की जॉच किया जाना अनिवार्य है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैः–

1– आशा को अपने कार्य क्षेत्र में नमक की जॉच हेतु दिशा निर्देश :–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है।

- प्रत्येक आशा को प्रतिमाह एक साल्ट टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके द्वारा **50 घरों के नमक के नमूनों की जॉच की जायेगी,** जिससे आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग हेतु जागरूकता एवं आयोडीनयुक्त नमक की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा सके। उक्त जाँचे सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर, आँगनबाडी केन्द्र, स्कूल तथा घरों में उपयोग किये जाने वाले नमक में की जायेगी।
- प्रत्येक आशा को माह में कम से कम **50 घरों के नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच** करना अनिवार्य है तथा उसके उपरान्त ही **रू. 25/= प्रतिमाह की दर** से भुगतान किया जायेगा।
- उपकेन्द्रो/प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो की सम्बन्धित आशा संगिनी/ए0एन0एम0 के द्वारा प्रतिमाह आशा द्वारा किये गये नमक की जाँच के नमूनों का सत्यापन करने के पश्चात ही आशाओं को भुगतान किया जायेगा।
- आशाओं द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप पर नमक के नमूनों की जॉच की मासिक रिपोर्ट उपकेन्द्र की आशा संगिनी/ए0एन0एम0 के माध्यम से प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिले के नोडल अधिकारी (आई0डी0डी0) को प्रेषित की जायेगी, जो संकलित रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगे।
- जनपद के नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) द्वारा मासिक रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम अधिकारी (अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0, अलीगंज, लखनऊ) को ई–मेल adshi1972@gmail.com पर प्राप्त कराते हुए हार्ड कॉपी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. आशाओं द्वारा नमक में आयोडीन की मात्रा की जाँच की विधि हेतु दिशा निर्देश :–

नमक में आयोडीन की मात्रा की जाँच ''साल्ट टेस्टिंग किट'' से होती है। इस किट का उपयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् है :–

- सर्वप्रथम एक से दो चम्मच नमक लेना है, जिसमें बडी सफेद रंग की शीशी से 1–2 बूँद टेस्ट घोल को मिलाना है।
- इसके उपरान्त नमक में उपलब्ध आयोडीन की मात्रा के अनुसार, नमक का रंग हल्का नीला से गहरा स्याही में परिवर्तित हो जायेगा।
- किट बाक्स पर उपलब्ध चार्ट के अनुसार नमक के रंग की तुलना करते हुए उसमें उपलब्ध आयोडीन की मात्रा राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ द्वारा प्राप्त कराये गये रिपोर्टिंग प्रारूप पर लिखें।
- न्यूनतम् स्वीकार योग्य आयोडीन की मात्रा उत्पादक स्तर पर 30 पी0पी0एम0 एवं उपभोक्ता स्तर पर 15 पी0पी0एम0 होनी चाहिए।

- नमक अगर क्षारीय है या उसमें कोई क्षारीय केमिकल का मिश्रण है तो नमक में टेस्ट घोल को मिलाने के उपरान्त भी नमक के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जबकि उस नमक में आयोडीन मिला हो सकता है। इस स्थिति में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :–
- 1–2 चम्मच नमक लें, उसमें 1 बूँद अम्लीय द्रव (पुनःजाँच) घोल छोटी शीशी से मिलायें।
- 1–2 बूँद टेस्ट घोल (सफेद बडी शीशी) मिलायें।
- किट बाक्स पर उपलब्ध चार्ट से नमक के रंग में आये बदलाव की तुलना करें।

3–किट की आपूर्ति :–(एफ0एम0आर0 कोड RCH.8.62.DS)

आशाओं को प्रतिमाह जनपदीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) के अर्न्तगत नियुक्त नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नमक के नमूँनों में आयोडीन की मात्रा की जाँच हेतु एक साल्ट टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक साल्ट टेस्टिंग किट से लगभग 100 नमक के नमूनों की जाँच हो सकती हैं। अतः प्रत्येक आशा को प्रतिमाह एक साल्ट टेस्टिंग किट दी जायेगी जिससे कि कार्य बाधित न हो और ससमय नमक के नमूनों की जाँच करने के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित की जा सके।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0, मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन सूडाभवन, 7/23 सेक्टर–7 गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ द्वारा साल्ट टेस्टिंग किट क्रय एवं वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

4– आशा प्रतिपूर्ति धनराशि / ASHA incentives (एफ0एम0आर0 कोड RCH.8.62.ASHA)

आशा द्वारा किये जा रहे कार्यो के आधार पर उक्त अनुमोदित गतिविधि में प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा। प्रतिपूर्ति राशियों कें ससमय भुगतान किये जाने से आशाओं के उत्साह, मनोबल एवं कार्य क्षमता में बढोत्तरी होगी, जिससे वह अपने कार्यो को और सक्रिय रूप से कर पाने में सक्षम हो पायेगी तथा राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) को गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करेंगी।

आशाओं को उनके द्वारा किये जाने वाले नियमित गतिविधि (नमक नमूनों का परीक्षण) के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में **रू. 25=00 प्रतिमाह (50 घरों के नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच)** दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(आशा प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एफ0एम0आर0 कोड RCH.8.62.ASHA में निर्गत की गयी धनराशि से किया जायेगा)

आशा द्वारा विगत माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक की गयी गतिविधि (नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच) का विवरण आशा पेमेण्ट वाउचर में अंकित (अन्य कालम) /अथवा इस हेतु चिन्हित कालम में किया जायेगा।

5–अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :–

- क्लस्टर बैठक में आशाओं को साल्ट टेस्टिंग किट से नमक के नमूनों की जाँच हेतु समस्त जानकारी दी जायेगी एवं जिन आशाओं द्वारा अच्छा कार्य किया जायेगा उनको प्रोत्साहित किया जायेगा।
- भ्रमण के दौरान ब्लाक, जनपद एवं राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा ए0एन0एम0 से आशाओं की नमक के नमूने की रिपोर्ट प्राप्त करके उनके द्वारा किये गये कार्य का समय–समय पर सत्यापन किया जायेगा।

6–प्रचार–प्रसार मद/IEC & Printing में अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश (एफ0एम0आर0 कोड RCH.8.62.IEC)

वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) के अन्तर्गत **एफ0एम0आर0 कोड RCH.8** में प्रचार–प्रसार मद में अनुमोदित धनराशि 24 जनपदों को **रू0 25,000=00** की दर से धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि का उपयोग **ग्लोबल आई0डी0डी0 दिवस (21st October, 2023)** पर अधिक से अधिक विभागों के अधिकारियों एव मीडिया प्रभारियों, एन0जी0ओ0 इत्यादि की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन करेंगे जिससे जनपद के मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागरूकता बढाई जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कार्य भी इसी धनराशि से कराया जा सकते हैं।

7–प्रति माह जॉच हेतु नमक के नमूने एकत्र कर कार्यालय अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0 को भेजने हेतु दिशा–निर्देश

- सीलबन्द प्लास्टिक के लिफाफे में नमक (पाउडर/बडगरा) के नमूनों को ग्रामीण एवं शहरी घरों एवं फुटकर विर्केताओं से प्रतिमाह 50 नमूनों एकत्रित कर संस्थान में जॉच हेतु प्रेषित किये जायेगें तथा यह भी सुनिश्चित कर ले कि जनपद के अधिकांश भागो से नमूँने सम्मिलित कर लिये जाये।

- प्रत्येक नमक नमूनों की मात्रा 100 ग्राम होनी चाहिए।
- एकत्र किये गये नमूनों में से 25 ग्रामीण क्षेत्र से,15 शहरी क्षेत्र के घरों से, 07 ग्रामीण फुटकर विर्केता से एवं 03 शहरी फुटकर विर्केता से होने चाहिए।
- नमक नमूनों के लिफाफे को सीलन एवं धूप से दूर रखना आवश्यक है अन्यथा नमक में आयोडीन की मात्रा कम हो जायेगी।
- विवरण प्रपत्र से मिलान करते हुए ही नमक के नमूनों के लिफाफे पर नमक का ब्रान्ड एवं क्रम संख्या डालें।
- एकत्र किये गये नमक के नमूनों का विवरण,दिये गये प्रपत्र पर बिन्दुवार विस्तृत रूप से अंकित किया जाये।
- **जनपद का नाम ..... माह .....**

क्रम संख्या	नमूना एकत्र करने वाले कर्मचारी का नाम व पदनाम	नमूना एकत्र करने का दिनॉक	नमक के ब्रान्ड का नाम	ग्रामीण/शहरी		राशन वितरण केन्द्र का नाम व पता	नमक का प्रकार (पाउडर अथवा बडगरा)
				परिवार के मुखिया का नाम (यदि नमूना घर से लिया गया हो)	फुटकर विर्केता का नाम व पता		
01							

8- Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport) एफ0एम0आर0 कोड RCH.8.62.DI

नमक का नमूना एकत्र करने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पत्र वाहक अथवा कोरियर से संस्थान में प्राप्त कराना सुनिश्चित करे। जनपदो को नमक के नमूने कोरियर द्वारा भेजने हेतु **रु0 500/प्रतिमाह/प्रति जनपद की दर से (6000/वर्ष)** Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport) एफ0एम0आर0 कोड RCH.8.62.DI मे निर्गत की गई है।

संस्थान का पता– अपर निदेशक,राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,सेक्टर–सी,अलीगंज,लखनऊ–226024

- कार्यक्रम के क्रियान्यवयन में किसी प्रकार की कठिनाई/समस्या होने पर दूरभाष सं–9648418514 पर सम्पक कर सकते है।
- संस्थान का ई–मेल पता- **adshi1972@gmail.com**

9 – वित्तीय व्यवस्था

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दिया जायेगा।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासना देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- उपयफ्रक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे

21.7 राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम

फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वर्ष 2016–17 में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान मे कार्यक्रम जनपद आगरा, सोनभद्र, झाँसी, वाराणसी, गाजीपुर, मथुरा, उन्नाव, प्रतापगढ, रायबरेली, फिरोजाबाद में संचालित है। इस कार्यक्रम के वर्ष 2023–24 में संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं।

1–जनपद में फ्लोरोसिस उपचार केन्द्र की स्थापना

i. मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद स्तर पर पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा नोडल अधिकारी के साथ बैठक कर चिकित्सालय में फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम हेतु एक कक्ष चिन्हित करेंगे जिसके बाहर **फ्लोरोसिस उपचार केन्द्र** नाम का एक बोर्ड लगाया जायेगा तथा फ्लोरोसिस से सम्बन्धित समस्त जानकारियों को पोस्टर एवं बैनर

के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा। चिकित्सालय में तैनात एक फिजीशियन/ बालरोग चिकित्सक को राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम चिकित्सा प्रभारी नामित किया जायेगा।

ii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर के अधिकारी को जनपदीय नोडल अधिकारी नामित करेंगे

iii. जनपदों में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चिकित्सालय में स्थान चिन्हित कर लें एवं प्रयोगशाला स्थापित कर कार्य करना सुनिश्चित करें।

iv. प्रभारी चिकित्सक इस कार्यक्रम का अलग से एक ओ0पी0डी0 रजिस्टर रखेंगे तथा सभी सम्भावित फ्लोरोसिस प्रभावितों को पुष्टि हेतु मूत्र जाँच के लिए लैब में भेजेंगे।

v. प्रयोगशाला में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन द्वारा फ्लोरोसिस प्रभावितों के मूत्र नमूनों तथा क्षेत्र से प्राप्त जल नमूनों की जाँच आयनमीटर से की जायेगी।

vi. रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रभावितों को आवश्यक उपचार तथा स्वास्थ्य शिक्षा दी जायेगी।

vii. सभी प्रभावितों की मासिक रिपोर्ट "फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम" के परामर्शदाता तथा लैब टेक्नीशियन के सहयोग से चिकित्सालय से प्राप्त कर नामित चिकित्सा अधिकारी अथवा जनपदीय नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रतिमाह राज्य स्तर पर अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करेंगे रिपोर्टिंग प्रारूप संलग्नक **(प्रारूप–1ख)**

2–प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की स्क्रीनिंग

i. मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी के माध्यम से समस्त अधीक्षक/एम0ओ0आई0सी0 के साथ एक बैठक आहूत कर उन्हें अपने क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों की सूची (ए0एन0एम0 के क्षेत्रवार) बैठक में लाने के निर्देश देगें तथा इस कार्यक्रम के सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

ii. प्रत्येक ब्लाक पर कार्यरत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/एच0वी0 को कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली बच्चों की स्क्रीनिंग व आई0ई0सी0 का प्रभारी बनाया जायेगा। यह जिला परामर्शदाता के साथ मिलकर अपने ब्लाक के 10 प्राथमिक पाठशाला प्रतिमाह के दर से रोस्टर बनायेंगें। प्रत्येक तीन माह के इस रोस्टर को सभी ब्लाकों से प्राप्त कर जिला नोडल अधिकारी को प्राप्त कराना जिला परामर्शदाता का उत्तरदायित्व होगा।

iii. तीन माह का यह रोस्टर सम्बन्धित ए0एन0एम0 तथा एच0वी0 को भी उपलब्ध कराया जायेगा जिससे वह आशा आदि को पूर्व से सूचित कर स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था करवा सके। एक माह में यथा सम्भव 10 अलग–अलग ए0एन0एम0 के क्षेत्रों के स्कूल आच्छादित किये जायें।

iv. प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 100 बच्चों की फ्लोरोसिस के लक्षणों हेतु जाँच की जायेगी जिसके रिकार्ड के लिये रजिस्टर बनाया जायेगा। प्रभावित बच्चों को जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय पर उपचार हेतु संदर्भित किया जायेगा।

v. जिस स्कूल में टीम स्क्रीनिंग करेगी उसी क्षेत्र के न्यूनतम 4 हैण्डपम्प से पानी के नमूने भी एकत्र कर जनपद पर स्थापित लैब में भिजवाये जायेगें।

vi. ब्लाक के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ए0एन0एम0 तथा एच0वी0 से संलग्नक प्रारूप–1घ पर रिपोर्ट प्राप्त कर माह की 25 तारीख तक परामर्शदाता को प्राप्त करायेगें जिससे परामर्शदाता सभी ब्लाकों से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर माह की 30 तारीख तक नोडल अधिकारी के माध्यम से राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0 लखनऊ को **ई–मेल (adshi1972@gmail.com)** पर प्रेषित करेंगे। इसी प्रकार NPPCF उपचार केन्द्र की उपलब्धि की रिपोर्ट भी परामर्शदाता प्रतिमाह संकलित करेंगे।

3–जल निगम से समन्वय

जिला नोडल अधिकारी तथा जिला परामर्शदाता जलनिगम के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर ब्लाकवार/ग्राम सभावार क्षेत्र के सभी हैण्ड पम्पों के विषय में सूचना एकत्र करेंगे एवं फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था हेतु की जाने वाली कार्यवाही की अद्यतन जानकारी लेगें तथा प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह राज्य स्वास्थ्य संस्थान को प्रेषित करेंगे।

4– वित्तीय स्वीकृतियाँ

i. **Drugs Implimenation of NPPCF (Drugs & Supplise)** – प्रति जनपद रू0 27500.00 की दर से रू0 275000.00 की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

ii. **ड्रग्स (Recurring Grant–in-Aid Medical Management including treatment surgery & rehabilitation) FMR code NCD.10.120.DS** – प्रति जनपद रू0 12500.00 की दर से **रू0 125000.00** की धनराशि एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है, जिससे दंत चिकित्सा, विकृत हड्डियों के सुधारात्मक उपचार, पुनर्वास इत्यादि पर व्यय किया जा सकेगा।

iii. **Planning & M&E (NPPCF Quaterly coordination meeting) FMR code NCD.10.120.PME** के अन्तर्गत प्रति जनपद रू0 10,000 हजार की दर से **रू0 100000.00** की धनराशि एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

iv. **IEC & Printing FMR code NCD.10.120.IEC** भारत सरकार द्वारा **FMR code NCD.10.120.IEC** के अन्तर्गत समस्त 10 जनपदों हेतु प्रति जनपद रू0 55000.00 की दर से **रू0 550000.00** की धनराशि एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त की गयी है।

5–प्रशिक्षण

मानव संसाधन रिक्त जनपदों में परामर्शदाता एवं एल0टी0 की नियुक्ति होते ही राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0, लखनऊ को सूचित करें जिससे भारत सरकार द्वारा NIN Hyderabad में उनका प्रशिक्षण कराया जा सके। आप अवगत ही है कि फ्लोरोसिस प्रभावितों का इलाज कठिन है। अतः रोकथाम ही सर्वोपरि है। उसके लिये क्षेत्र में प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार विज्ञापन दिये जायें एवं ग्राम सभाओं में वॉल पेंटिंग के माध्यम से अपील करें कि वे अपने गाँव में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के लिये गम्भीर प्रयास करें।

6– वित्तीय व्यवस्था

i. आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।

ii. सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दिया जायेगा।

iii. किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

iv. प्राविधानित धनराशि का व्यय आबंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।

v. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।

vi. उपयफ्रक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे

मानव संसाधन

- FMR Code- **HSS.9.184.C.P323** में जनपदों में **District Consultant** हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है।
- FMR Code- **HSS.9.184.C.S0047** जनपदों में कार्यरत **Lab Technician** हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है।

21.8 National Oral Health Programme

भारत सरकार द्वारा पूर्व की ही भॉति वित्तीय वर्ष 2023–24 में नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम प्रदेश के समस्त जनपदों में चलाये जाने सम्बन्धी अनुमोदन प्रदान किया गया है। जिसके विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे है।

1. कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार स्तर से निर्गत Operational Guidelines of NOHP के अनुसार ही किया जायेगा, जो कि आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
2. National Oral Health Programme के अर्न्तगत प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश राज्य स्तर से जारी किये जायेंगे उक्त प्रशिक्षण में जनपद के Dental surgeon एवं Dental Hygenist द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

3. मद सं0 **NCD.8.115.DI** पर Diagnostics/ Consumables हेतु जनपद के जिला चिकित्सालयों एवं सी0एच0सी0 हेतु प्रति जनपद रू0 3.75 लाख की दर से समस्त जनपदों को धनराशि अनुमोदित की गई है। उक्त के सम्बन्ध में जनपदों में स्थापित ORAL Unit में उपयोग में लिए जा रहे उपकरणों को क्रियाशील रखने एवं Cosumables की उपलब्धता ससमय पूर्ण करना आवश्यक है जिससे कार्यक्रम का संचालन सफलतापूर्वक हो सके, साथ ही यह सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी जनपदीय नोडल अधिकरी की होगी कि ORAL Unit के उपकरण क्रियाशील हो एवं Cosumables उपलब्धता भी पूर्ण रहें।
साथ ही क्रय सम्बन्धित कार्य जिला–स्वास्थ्य–समिति के अनुमोदन उपरान्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय नियमो के अनुसार ही करें।
4. मद सं0 **NCD.8.115.OCC.3** पर Other Operating Cost/Equipment /Instrument हेतु नये 39 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में रू0 5.25 लाख की दर से भारत सरकार स्तर से निर्गत Operational Guidelines of NOHP के निम्नतालिकानुसार–

SN	Items
1	Electronic Dental Chair with adequate accessories (headpieces, compressor, three way syringe)
2	Autoclave (electronic)
3	Instruments for manual cleaning of teeth
4	Ultrasonic Scaler& Polishing Kit
5	Dental X-ray Unit with developer
6	Light Cure Gun
7	Extraction Forceps
8	Restorative (filling) Instrument
9	Impression Trays for RPDs and CDs
9	Root Canal Instrument Set (manual)
10	Additional Dental Material & Instruments and consumables for the clinic

Equipment /Instrument क्रय हेतु धनराशि अनुोदित की गई है। क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में Equipment /Instrument उपलब्धता के आधर पर किया जायेगा साथ ही क्रय–प्रक्रिया जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेंगे।

5. National Oral Health Programme के अन्तर्गत Dental surgeon द्वारा निम्न सेवाएं प्रदान की जाती है जो कि निम्नवत है–

S.no	Services
1	OPD service to patients
2	Extractions
3	Minor Surgeries
4	Root Canal Treatment
5	Oral Prophylaxis
6	Dentures Provided(RPD, CD)
7	Restorations (only permanent)
8	Pit & Fissure Sealant
9	Fracture reduced
10	Precancerous patients treated
11	Cases referred to Higher Centers

साथ ही Dental surgeon एवं Dental Hygenist द्वारा ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग कर मरीजों की सूचना ई–कवच पोर्टल पर अपलोड कराना एवं ओरल हेल्थ कार्यक्रम के रिर्पोटिंग प्रपत्र पर सूचना राज्य स्तर पर उपल सुनिश्चित करें ।

6. जनपदों में कार्यक्रम का संचालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित जिला ओरल हेल्थ सेल/जिला एन0सी0डी0 सेल के द्वारा की जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 द्वारा उक्त कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रम का सफलता पूर्वक क्रियान्वयन जनपद में करायें।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला–स्वास्थ्य–समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines of NOHP में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेंगे तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया वित्तीय नियमो के अर्न्तगत जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेंगे।
8. वर्ष 2023–24 में प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु एफ0एम0आर0 कोड–**NCD.8.11.IEC.1** पर रु0 3.75 लाख की धनराशि National Oral Health Programme हेतु प्रचार–प्रसार सामग्री के मुद्रण के लिए अनुमोदित की गई है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि National Oral Health Programme में होने वाली IEC/BCC activity निम्नवत है–

a) जनपदों हेतु प्रचार–प्रसार सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर, पैम्पलेटस, फ्लैक्स आदि के मुद्रण हेतु रू0 1.50 की धनराशि प्रति जनपद की दर से आवंटित की गई है।

b) National Oral Health Programme के अर्न्तगत जनपद एवं ब्लाक स्तर पर कैम्प का आयोजन कराया जाना है जिससे जनमानस को Oral Health से सम्बंधी सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा सकें साथ ही कैम्प की रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ upncd2019@gmail.com & dgmncdnhm@gmail.com में उपलब्ध कराये, उक्त गतिविधि हेतु रू0 0.90 लाख की धनराशि प्रति जनपद 0.10 लाख की दर से 9 माह के लिए अनुबन्ध की गई है।

c) विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवश का आयोजन समस्त जनपदों द्वारा दिनांक 24 मार्च 2024 में किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए 0.37 लाख की सीमा अनुबन्ध की गई है।

d) कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार लोकल चैनल, रेडियो, एफ0एम0, ई–रिक्शा के माध्यम से डिजिटल प्रचार–प्रसार वित्तीय नियमों के दृष्टिगत किया जाना सुनिश्चित किया जायें। जिाके लिए 0.98 लाख की सीमा अनुबन्ध की जाती हैं।

उपरोक्त IEC/BCC activity को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विताय नियमो के अर्न्तगत जिला–स्वास्थ्य–समिति के अनुमोदन के उपरान्त व्यय किया जाऐगा अन्यथा की स्थिति में वित्तीय अनियमितता की जिम्मेदरी सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं नाडल अधिकारी ओरल हेल्थ की होगी।

9. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा इस तथ्य का विशेष ध्यान दिया जाये कि मदवार आवंटित धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जाये।
10. National Oral Health Programme के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में जिला स्वास्थ्य समिति को जारी की गयी धनराशि का उपभोग कार्यक्रम के हित में 31 मार्च, 2024 के पूर्व कर लिया जाये।
11. जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा National Oral Health Programme का समस्त वित्तीय कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. जनपदों द्वारा कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रति माह इस कार्यालय एवं महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. National Oral Health Programme के प्रभावी संचालन हेतु भविष्य में किसी भी प्रकार के परिर्वतन एवं परिर्वधन मिशन स्तर से पृथक से जारी किये जाऐंगे।

21.9 राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आर0ओ0पी0 2023–24 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक– 25/04/2023 की बैठक में प्राप्त अनुमोदन के सापेक्ष कार्यक्रम में 09 माह के बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

वर्ष 2023–24 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में होने वाली निम्न गतिविधियों में होने वाले व्यय की दरों को निम्नानुसार पूर्व वर्षो की भांति अनुमोदित किया है जिनके अनुसार ही कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश निम्नवत् हैं:–

क्र0स0	Old FMR CODES	NEW FMR CODE	मद का नाम	भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु निर्धारित दर प्रति इकाई (रूपयें में)
1	15.4.2	NCD.1.88.OOC.1	Cataract Operations in NGO & PVT. sector.	Rs.2000/per oprt
2	6.2.4.1	NCD.1.87.DI.1	Cataract Operations in Govt Sector	Rs.1000/per oprt
3	15.4.3.1	NCD.1.89.OOC.1	Diabitic Retinopathy (1181 cases)	2000/per oprt
4	15.4.3.2	NCD.1.89.OOC.2	Childhood Blindness (1173 cases)	2000/per oprt
5	15.4.3.3	NCD.1.89.OOC.3	Glaucoma (1167 cases)	2000/per oprt
6	15.4.3.4	NCD.1.89.OOC.4	Keratoplasty (352 cases)	7500/per oprt
7	15.4.3.5	NCD.1.89.OOC.5	Vitreoretinal Surgeary (352 cases)	10000/per oprt
8	2.3.3.2	NCD.1.93.EQ.1	Free Spectacles School Childrens	350/per Spec
9	2.3.3.3	NCD.1.94.EQ.1	Free Spectacles to Old Persons in govt. hospitals	350/per Spec
10	2.3.2.4	NCD.1.92.OOC	Cornea Collection by Eye Banks	2000/Pair of Cornea
11	6.1.5.1	NCD.1.95.EQ.2	For New Vision Centre on PHC/CHC	100000/ Centre.

- उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियां कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक–25/04/2023 को प्राप्त की जा चुकी है।

- FMR Code No–**NCD.1.88.OOC.1** (Old FMR- 15.4.2)में एन0जी0ओ0/प्राईवेट क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतुरू0 2000/ऑपरेशन की दर से धनराशि का भुगतान किया जाना है।
- FMR Code- **NCD.1.87.DI.1** (Old FMR- 6.2.4.1) में राजकीय क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु रू0 1000/ऑपरेशन की अधिकतम दर से आपरेशनों में प्रयोग होने वाली सामग्री का क्रय किया जाना है।
- FMR Code-**NCD.1.89.OOC.1** (Old FMR-15.4.3.1)में Diabitic Retinopathy वाले नेत्र रोगो के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा हेतु चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों को रू0 2000.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।
- FMR Code- **NCD.1.89.OOC.2** (Old FMR-15.4.3.2)में Childhood Blindness होने वाले नेत्र रोगो के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों को रू0 2000.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जानाहै।
- FMR Code-**NCD.1.89.OOC.3** (Old FMR-15.4.3.3)में Glaucoma के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओ0/प्राईवेट चिकित्सालयों को रू0 2000.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।
- FMR Code-**NCD.1.89.OOC.4** (Old FMR-15.4.3.4)में Keratoplasty के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालय कों रू0 7500.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।
- FMR Code- **NCD.1.89.OOC.5** (Old FMR-15.4.3.5) में Vitreoretinal Surgery के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों रू0 10,000.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।
- FMR Code- **NCD.1.93.EQ.1** (Old FMR-2.3.3.2)में स्कूलों मे छात्रों के नेत्र परीक्षण व निःशुल्क चश्मों का वितरण रू0 350.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में आवंटित की जा रही है जिसके अन्तर्गत एन0पी0सी0बी0 एण्ड वी0आई0 एवं आर0बी0एस0के0 के समस्त आयुवर्ग के बच्चों को चश्मा वितरित करने हेतु धनराशि उपलब्ध है।
- FMR Code- **NCD.1.94.EQ.1** (Old FMR-2.3.3.3) में राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग (रिफ्रैक्टिव एरर के कारण दृष्टिबाधित) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःशुल्क चश्मा वितरण रू0 350/चश्में प्रति लाभार्थी की दर से आवंटित की जा रही हैं।
- FMR Code- **NCD.1.92.OOC** (Old FMR-2.3.2.4) में नेत्र बैंको द्वारा कॉर्निया दान में प्राप्त कर प्रत्यारोपण रू0 2000.00 प्रति जोड़ी की दर से किया जाना है।
- FMR Code-**NCD.1.95.EQ.2** (Old FMR-6.1.5.1)में प्रदेश के 75 जनपदों में विज़न सेन्टरों पर उपकरणों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रति केन्द्र रू0 1,00,000.00 की व्यवस्था की गयी है, नियमानुसार उपकरणों का क्रय किया जाना है।
- FMR Code- **HSS.9.184.C.S02** (Old FMR-8.1.3.5)में जनपदों में नेत्र कार्यरत शल्यकों हेतु मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है।
- FMR Code- **HSS.9.184.C.S0610**(Old FMR-8.1.13.16)जनपदों में कार्यरत Ophth Assistant हेतु कार्यरत पदों पर मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है।
- **FMR Code-HSS.9.184.C.S0520**(Old FMR-8.1.13.1)में जनपदों में कार्यरत ग्रीफ काउंसलर हेतु कार्यरत पदों पर मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है ।
- **FMR Code -HSS.9.184.C.P360**(Old FMR-16.4.3.1.9)जनपदों में पूर्व से कार्यरत संविदा डाटा इंट्री आपरेटर हेतु कार्यरत पदों पर मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है। प्रदेश में जनपदों के आउटसोर्स एजेंसी डाटा इंट्री आपरेटर को अनुमन्य मानदेय में जी0एस0टी0, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं अन्य कर देय होगा यदि किसी जनपद में संविदा/एजेंसी डेटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा पद रिक्त हुआ है तो जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी से नियमतः डेटा ऑपरेटर की सेवा प्राप्त की जायेगी।
- **FMR Code- NCD.1.96.PME.1**(Old FMR-16.1.5.3.16)में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कार्यालय व्यय (स्टेशनरी, कन्ज्यूमेटिल्स, टेलीफोन एवं इन्टरनेट रेन्ट, कन्ज्यूमेबिल्स, कन्टिन्जेन्सी, मीटिग, बैठक

व अन्य कार्यालय व्यय, आदि) हेतु रू0 100000.00 तक की धनराशि वित्तीय नियमों के दृष्टिगत व्यय किया जाना है।

- **NCD.1.96. IEC - IEC of EDF, WSD,World Glaucoma day @ Rs 1.00 lacs for district- के अन्तर्गत जनपदों द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम हेतु पक्की वॉल राईटिग जिला चिकित्सालय, पुरूष/महिला, मुख्य चिकित्साधिकारी–प्रांगण, जिलाधिकारी कार्यालय–प्रांगण, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय–प्रांगण एवं सम्बन्धित आई0एल0ओ0 नेत्र चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने वाले सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियमानुसार वॉल राईटिग करायी जायेगी। कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष में निम्नवत् दिवसों में बैठक आयोजन में धनराशि नियमतः व्यय की जायेगी–**

जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु एक वर्ष में तीन महत्वपूर्ण दिवस मनाये जाने हैंः–

- नेत्रदान पखवाडा (दिनांक 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक)
- विश्व दृष्टि दिवस (अक्टूबर माह के दूसरे बृहस्पतिवार को)
- विश्व ग्लूकोमा डे (12 मार्च प्रति वर्ष)

उक्त दिवसों को मनाये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये, इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा धनराशि जनपद स्तर के लिए अनुमोदित नहीं की गई है। धनराशि प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जायेगी, जिसको भारत सरकार द्वारा दिशा–निदेर्शो को **npcbvi.gov.in** से अपलोड किया जा सकता है, जिसका शत–प्रतिशत अनुपालन जनपद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

मोतियाबिन्द ऑपरेशन राजकीय क्षेत्र – FMR Code- NCD.1.87.DI.1(Old FMR-6.2.4.1) **एवं स्वैच्छिक संस्था– FMR Code-NCD.1.88.OOC.1** (Old FMR-15.4.2)

- निर्धारित लक्ष्य से अधिक एन0जी0ओ0 द्वारा किये जाने वाले आपरेशन की पूर्व अनुमति राज्य स्तर से लेकर ही भुगतान प्रक्रिया के लिए अग्रसारित किया जाये।
- जनपद स्तर पर श्रेष्ठ एवं उच्च तकनीकि से लैस सर्जिकल स्वयंसेवी संस्थाओं को चिन्हित कर दो वर्ष हेतु हस्ताक्षरित किये गये एम0ओ0यू0 के आधार पर ही जनपद को प्राप्त एन0जी0ओ0 मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक ही आपरेशनों हेतु प्रोत्साहित किया जाये।
- स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये आपरेशनों के भुगतान तभी किये जा सकेगें जबकि वे किये गये आपरेशन एवं उपलब्ध कराई गई सभी निःशुल्क सुविधाओं का पूर्ण विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध करायेंगे। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये केसों के भुगतान के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वे आपरेशन के अधिकतम 45 दिनों के भीतर एम0आई0एस0 डाटा फीडिंग कर भुगतान की सभी औपचारिकताएं पूर्णकर अपना दावा/बिल भुगतान हेतु 120 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराये, इसके उपरान्त कोई भी दावा भुगतान योग्य नहीं माना जायेगा तथा देर से प्राप्त बिल भुगतान हेतु अनुमन्य नहीं होंगें। भुगतान से पूर्व 5 प्रतिशत केसों का जनपद स्तर से भौतिक सत्यापन कराये जाने के निर्देश भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं।
- स्वैच्छिक संस्थाओं को दिनांक 01.04.2012 के उपरान्त किये गये आपरेशन के भुगतान तभी किये जायेगें जबकि वे भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये एम0आई0एस0 सिस्टम में उक्त आपरेशनों का डाटा कम्प्यूटर द्वारा भारत सरकार की वेबसाईट पर लोड करेंगे। जिसका प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जा चुका है। किसी भी दशा में एम0आईएस0 सिस्टम पर आपरेशनों का डाटा फीड किये बिना एन0जी0ओं0 का भुगतान नहीं किया जायेगा यदि ऐसे किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
- ग्राम्य स्तर पर आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा आशा, पंचायत सदस्य, ए0एन0एम0, अथवा पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सहायता से अन्धता से ग्रस्त लोगों का विवरण अंधता रजिस्टर में अंकित कराये तथा आरम्भिक परीक्षण कर स्क्रीनिंग कैम्प, बेस कैम्प अथवा चिकित्सालय मे जांच व उपचार हेतु रेफर करें। नेत्रशल्यक द्वारा ऑपरेशन हेतु उपयुक्त केसों का चयन कर शल्यक्रिया की जाये तथा आपरेशन के उपरान्त मिलने वाली सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाये तथा अंधता रजिस्टर में अंकित किया जाये। समय–समय पर अंधता रजिस्टर में आपरेशन के उपरान्त मरीजों का मूल्यांकन कर अपडेट किया जाये।
- मोतियाबिन्द ग्रसित अन्धता के मरीजों के सभी आपरेशन सरकारी/एन0जी0ओं0 के बेस चिकित्सालय के मानकानुसार विसंक्रमित ओ0टी0 में आई0ओ0एल0 विधि द्वारा किये जाये तथा ऑपरेशन के लिए अनुमन्य निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

- जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थापित आई0ओ0एल0 केन्द्रों, स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों पर मोतियाबिन्द ऑपरेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- लक्ष्य के सापेक्ष अनुमानतः 20 प्रतिशत ऑपरेशन सरकारी इकाईयों द्वारा, 20 प्रतिशत कार्यक्रम द्वारा वित्तपोशित स्वयंसेवी संस्थाओ द्वारा तथा शेष 60 प्रतिशत स्ववित्त पोषित संस्थाओं तथा निजी इकाईयों के शल्यकों द्वारा सम्पादित किया जायेगा। जनपद द्वारा उपरोक्त अनुपात मंद परिवर्तन नहीं कर सकते है, यदि जनपद द्वारा मंद परिवर्तन पाया जाने कि स्थिति में उसे वित्तीय अनियमियता की श्रेणी में माना जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जनपद की होगी।

मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगों के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा–FMR Code-NCD.1.89.OOC.1 (Old FMR-15.4.3.1) **से NCD.1.89.OOC.5**(Old FMR-15.4.3.5) **तक**

- वर्ष 2009–10 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मोतियाबिन्द आपरेशनों के अतिरिक्त नेत्रों में होने वाले अन्य रोगों जैसे (डायबेटिक रेटिनोपैथी में लेज़र ट्रीटमेन्ट, ग्लूकोमा आपरेशन, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जरी तथा ट्रीटमेन्ट आफ चाईल्डहूड ब्लान्डनेस) के इलाज हेतु लक्ष्य प्राप्त हो रहे है। वर्ष 2022–23 हेतु रोगानुसार प्राप्त लक्ष्यों को प्रदेश के मंडलीय/अधिक आबादी वाले/ऐसे जनपद जहां पर अन्य नेत्ररोगों का इलाज सम्भव हो उन्हें स्वीकृत धनरशि नियमतः आवंटित किया जा रहा है।
- उपरोक्त रोगों के इलाज हेतु अलग से एक रजिस्टर बनाये जायें जिसका प्रारूप भारत सरकार की नई गाइड लाईन में उपलब्ध है।

  उपरोक्त रोगो के इलाज में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित अभिलेख एम0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर फीड हो जाने के उपरान्त प्रदान की जानी है। इस सम्बन्ध में किये गये आपरेशनों का बीमारीवार विवरण तथा उन पर व्यय धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह एन0जी0ओ0 वार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- मोतियाबिन्द हेतु स्क्रीनिंग कैम्प में सरकारी चिकित्सक एवं एन0जी0ओ0 चिकित्सको द्वारा अन्य नेत्ररोगो के मरीजों को चिन्हित किया जाना है तथा उनका इलाज हेतु निर्धारित दिन प्रति सप्ताह सुनिश्चित कर इलाज/आपरेशन हेतु चयनित एन0जी0ओ0/प्राईवेट चिकित्साकों से एम0ओ0यू0 कराकर डाटा फीडिंग किये जाने के उपरान्त नियमानुसार भुगतान कराया जाये।
- उक्त के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दिशा–निदेर्शो को **npcbvi.gov.in** पर अपलोड किया जाता है, तो उनका शत–प्रतिशत अनुपालन जनपद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

स्कूलों मे नेत्र परीक्षण व चश्मों का वितरण FMR Code-NCD.1.93.EQ.1(Old FMR- 2.3.3.2)

- प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के (ब्लाक एवं अतिरिक्त) के अन्तर्गत स्कूलों मे 1–19 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों की नजर की स्क्रीनिंग की जायेगी। जिन बच्चों की नजर कमजोर पायी जायेगी उन्हे जांच हेतु ब्लाक स्तरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नेत्र परीक्षण हेतु रेफर किया जायेगा तथा जांचोपरान्त मुफ्त चश्मे की आपूर्ति की जायेगी।
- ब्लाक स्तर पर नियुक्त आप्टोमेट्रिस्टों द्वारा नजर की जांच कर चश्मे का नम्बर निर्धारित किया जायेगा ।
- भारत सरकार द्वारा बच्चों के निःशुल्क चश्मे वितरण हेतु प्रति केस रू0 350.00 की अधिकतम धनराशि प्राविधानित की गई है।
- सभी स्कूलों की दो–दो अध्यापक/अध्यापिकाओं को नेत्र परीक्षण करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। जिन बच्चों को कम रोशनी है उन्हे नजदीक के सरकारी विज़न सेन्टर (जहां पर नेत्रपरीक्षण का कार्य आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा किया जाता है) में अध्यापक के माध्यम से या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्कूलों में जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा भेजे गये बच्चे के निःशुल्क चश्मा वितरण कार्ड पर राजकीय नेत्र परीक्षण अधिकारी द्वारा किये गये नेत्र परीक्षणोपरान्त दिये गये सही नम्बर का चश्मा जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा टेन्डर के माध्यम से चयनित दुकान के द्वारा कार्ड लेकर निःशुल्क प्रदान किया जाये तथा कार्ड के एक भाग को पूर्व निर्धारित दर पर भुगतान हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धक अंधता के पास उपलब्ध कराया जाये। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक नेत्र दुकान द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कार्ड बिल के साथ प्राप्त करने पर नियमानुसार भुगतान एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करेंगे।
- बच्चों एवं बुजुर्गो को प्रदान किये जाने वाले चश्मों की अधिकतम स्वीकृति रू0 350 की सीमा के भीतर क्रय हेतु नियमतः टेन्डर कराया जाये, जिससे कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

लक्ष्यो के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 में बच्चों एवं बुजुर्गो के चश्मो का लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि जनपद स्तर से शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाये।

- स्कूली बच्चों को उपयफ्रक्त नम्बर के चश्मों को आवश्यकतानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी/ जिला स्वास्थ्य समिति में निर्णय लेकर दृष्टिदोष से ग्रसित सभी स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जा सकता है। दृष्टिमितिज्ञों को इस बात का निर्देश पहले से ही दे दें। इस कार्य के परिवेक्षण हेतु जिले को जनपद में उपलब्ध नेत्र शल्यको के माध्यम से इस प्रकार विभक्त कर दिया जाये और उन्हे निर्देशित किया जाये कि वे स्कूल स्क्रीनिंग के इस कार्यक्रम को गुणवत्ता पूर्वक निरीक्षण करें।
- जनपद का हर आप्टोमेट्रिस्ट अपने स्तर पर स्कूली बच्चों के नेत्रपरीक्षण तथा दिये गये चश्मो का एक रजिस्टर अलग से बनाये तथा अपडेट करते रहें जिसे निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जायें।
- सी0एच0ओ0 द्वारा, बी0एस0डब्ल्यू, हेल्थ सुपरवाइजर एवं आशा बहुओं द्वारा फिगर काउटिग के माध्यम से नेत्र रोगियों को प्राथमिक रूप से चिन्हित करते हुये सूची बनाकर ब्लाक स्वास्थ्य इकाई पर संदर्भित किया जायेगा तद्उपरान्त ब्लाक स्वास्थ्य इकाई पर राजकीय नेत्र सहायक, संविदा नेत्र सहायक एवं प्रत्येक शनिवार को आर0बी0एस0के0 में तैनात नेत्र सहायकों का भी सहयोग प्राप्त करते कन्फ्रममेट्री नेत्र परीक्षण करते हुये मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु लाभार्थी एवं चश्मा लाभार्थियों को चिन्हित कर नेत्र चिकित्सा सेवा प्रदान की जायेगी।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/नोडल, नेत्र द्वारा प्रत्येक ब्लाक इकाई पर मानकों के अनुसार ब्लाईड रजिस्टर पर समस्त सूचनायें अंकित की जायेगी साथ ही साथ राजकीय, एन0जी0ओ0 एवं प्राईवेट चिकित्सालयों में मोतियाबिन्द ऑपरेशन की नेत्र सुविधा एवं प्रगति रिपोर्ट को मानकों के अनुसार सम्पादित कराये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/नोडल, नेत्र द्वारा राष्ट्रीय दृश्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियेत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत डेटा ऑपरेटर के सहयोग से HMIS पोर्टल परराजकीय, एन0जी0ओ0 एवं प्राईवेट चिकित्सालयों द्वारा सम्पादित मोतियाबिन्द ऑपरेशन की प्रगति रिपोर्ट का प्रबन्धन प्रतिमाह मॉनिटर किया जायेगा।
- राजकीय, एन0जी0ओ0 एवं प्राईवेट चिकित्सालयों द्वारा सम्पादित समस्त मोतियाबिन्द ऑपरेशनों को HMIS पोर्टल पर शत–प्रतिशत प्रगति सूचना प्रतिमाह अंकित की जायेगी।

राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग (निकट दृष्टि दोष) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःशुल्क चश्मा वितरण–FMR Code- NCD.1.94.EQ.1 (Old FMR- 2.3.3.3)

वर्ष 2013–14 से नई गतिविधि के रूप में भारत सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में नेत्र ज्योति की जांच कराने आने वाले निकट दृश्टिदोश से ग्रसित 45 वर्ष आयु से अधिक के मरीजों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त सही नम्बर का निःशुल्क चश्मा वितरण किये जाने हेतु भी वर्ष 2023–24 में 1 लाख चश्में रू 350.00 प्रति चश्मे की दर से बांटने का लक्ष्य प्रदान किया हैं। अतः लक्ष्य एवं धनराशि का वितरण जनपदों को किया जा रहा है। उक्त हेतु राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों की नज़र की जांच कर नेत्रपरीक्षण अधिकारी तथा नेत्र शल्यक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन के उपरान्त जरूरत मंद बुजुर्ग मरीजों को निःशुल्क चश्में प्रदान किये जायें। इस गतिविधि की रिपोर्ट भी स्कूली बच्चों हेतु निर्धारित रिर्पोटिंग प्रारूप पर महानिदेशालय को उपलब्ध कराई जाये।

नेत्रदान/नेत्रबैंको हेतु रिकरिंग ग्रान्ट FMR Code- NCD.1.92.OOC (Old FMR- 2.3.2.4)

जिन जनपदों मे नेत्र बैंक पंजीकृत है, उनके लिए ही लक्ष्य निर्धारित किये गये है। आई कलेक्शन हेतु नेत्र बैंक को रू0 2000.00 प्रति जोड़ी जिसमें से नेत्र बैक द्वारा रू0 1000.00 प्रति जोड़ी नेत्रदान केन्द्र को देय होगा। उक्त का भुगतान भी एम0ओ0यू0 तथा एम0आई0एस0 डाटा फीडिंग के उपरान्त ही देय होगा।

प्रदेश के जनपदों में प्रति जनपद एक विज़न सेन्टर्स की स्थापना

- वित्तीय वर्ष 2023–24 प्रदेश में प्रत्येक जिले में एक चयनित विजन सेंटर को गुणवत्ता एवं प्रभावी संचालन के लिये सम्बन्धित व्यवस्था के अनुरूप निम्नवत् उपकरणों के नियमतः क्रय कर विजन सेन्टर को क्रियान्वित किया जायेगा।
- प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे स्थापना के समय ही आवश्यक उपकरण प्रदान किये गये थे व इनके प्रतिस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इनमे से कई केन्द्रों पर उपकरण बहुत पुराने हो गये है जिनके प्रतिस्थापन की कार्यवाही इस मद से की जानी है।

- नेत्र उपचार को प्राथमिकता देते हुए विज़न सेन्टर हेतु धनराशि प्राप्त होते ही जिन प्रा0स्वा0केन्द्रों पर आप्टोमेट्रिस्ट उपलब्ध हो तुरन्त उपकरण क्रय कर विजन सेन्टरों की स्थापना की जाये तथा नेत्र परीक्षण अधिकारी के अलग से बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।
- प्रदेश में इस वर्ष प्रति जनपद 01 नवीन विजन सेन्टरों की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त हुई हैं। जनपदों मे चयनित प्रा0/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा स्वैच्छिक संस्था के विजन सेन्टर का चिन्हिकरण कर आवश्यकतानुसार स्थापित करने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया जाता हैं।
- उपकरणों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रति केन्द्र रू0 1,00,000.00 की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से भारत सरकार की गाईड लाईन्स के अनुसार निम्न तालिका में प्रदर्शित किट क्रय की जानी है।

Equipment/Furnishing					
1	**Tonometers(Schiotz)**	4	**Trail Lens Sets with Trail Frames**	7	**Furnishing & Fixtures**
2	**Direct Ophthalmoscope**	5	**Snellen & Near Vison Charts**	8	**Slit Lamp**
3	**Illuminated Vision Testing Drum**	6	**Battery Operated Torch(2)**	9	**EPilation Forceps Xylocaine Eye Drops 4%**
Maximum Assistance = Rs. 100000					

- उपरोक्त सामग्री का क्रय एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाये।

मोतियाबिन्द आपरेशन हेतु आवंटित धनराशि का प्रयोग

राजकीय क्षेत्र में कल्ज्यूमेबिल्स, माईनर उपकरण/औज़ार का क्रय (भारत सरकार की अनुमोदित सूची के अनुसार), पी0ओ0एल0, गाड़ियों का रख–रखाव कल पुर्जे, किराये के वाहनो, ग्राम अंधता रजिस्ट्री, नेत्रबैकों तथा आई डोनेशन सेन्टरों द्वारा एकत्र की जाने वाले नेत्रों हेतु आवर्ती सहायता, प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय इस कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गाइड लाइन जो www.npcbvi.gov.in and mohfw.nic.in के अनुसार देय होंग। सभी जनपदों से यह अपेक्षा की जाती है कि नेट पर उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध भारत सरकार की नई गाईड लाईन की प्रति डाउनलोड कर कार्यालय में रखें तथा कार्यक्रम की अनुमोदित मदों एवं दरों के अनुसार ही संचालन सुनिश्चित करायें।

- राजकीय क्षेत्र में होने वाले आपरेशनों में प्रयोग होने वाली सामग्रियों का क्रय उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी नवीनतम क्रय नियमों तथा भारत सरकार की उक्त वेबसाईट पर जारी गाईड लाईन में उल्लिखित क्रय प्रक्रिया के अनुसार कर चिकित्सालयों को समय से उपलब्ध करा दिये जायें, ताकि आपरेशनों के समय चिकित्सालयों में प्रयोग होने वाली सामग्री (कल्ज्यूमेबिल्स, लेन्स, दवायें, माईनर उपकरण/औज़ार का क्रय एवं अन्य कन्ज्यूमेबिल्स) की कमी के कारण चिकित्सालयों में नेत्रशल्यकों/मरीजों को परेशानी न हो।
- नेत्रबैंको को केवल राजकीय मेडिकल कालेजों एवं सरकारी चिकित्सालयों में ही स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाये तथा उनका नाम एवं पता भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 में DHAPके सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से राष्ट्रीय दृश्टिविहीनता एवं दृश्टिदोश नियंत्रण कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के अन्तर्गत मुख्य बिन्दु–

- राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टरों (HWC) के माध्यम से मोतियाबिन्द से ग्रसित मरीजो की प्राथमिक स्क्रीनिंग सम्पादित करायी जायेगी।
- राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के अन्तर्गत ब्लाक इकाईयों द्वारा प्राथमिक स्क्रीनिंग नेत्र मरीजों को नेत्र सहायक के सहयोग से मरीजों की पुष्टिकरण स्क्रीनिंग एवं पंजीकरण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्त प्रकार से होने वाले ऑपरशनों हेतु सम्पूर्ण जनपद को मेडिकल कॉलेजों, राजकीय चिकित्सालयों, एन0जी0ओ0 तथा प्राईवेट चिकित्सालयों के मध्य क्षेत्रवार इस प्रकार आवंटन किया जाये कि सम्पूर्ण जनपद के सभी ब्लाकों में चिन्हित मरीजों के ऑपरेशन कर सम्बन्धित क्षेत्र को मोतियाबिन्द बैकलॉग मुक्त किया जा सकें।

- प्रदेश के आकांक्षी जनपदों (स्प्रेशनल)/जनजाति क्षेत्र/असेवित क्षेत्रों के लिए विशेषकार्ययोजना बना कर नेत्र स्क्रीनिंग एवं बैकलॉग मोतियाबिन्द ऑपरेशन सम्पादित किये जायें।
- जनपदों द्वारा जनपद के अन्दर एवं जनपद के बाहर मोतियाबिन्द ऑपरेशनों के दौरान होने वाले साईट थ्रेटनिंग सर्जिकल कम्प्लीकेशनों के दौरान प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्र के रेफरल सेन्टरों की सेवाओं को आपसी समन्वय से अतिसंवेदनशील एवं मजूबत बना कर प्रभावी रूप से बैकलॉग मोतियाबिन्द ऑपरेशनों को सम्पादित किया जाना है।
- उपरोक्तानुसार मिशन मोड में चलाये गये मोतियाबिन्द बैकलॉग मुक्त अभियान के अन्तर्गत प्रवैधानित मानकों के अनुसार जनपदों द्वारा अर्जित की गयी उपलब्धि के अनुरूप सी0एच0सी0, जिला/संयुक्त चिकित्सालय स्तर पर कार्यरत नेत्र सर्जनों एवं नेत्र सहायकों को बैकलॉग मुक्त होने के उपरान्त प्रमाणपत्र, पुरस्कार आदि प्रदान कर राज्य स्तर पर सम्मानित किया जायेगा।
- प्राईवेट चिकित्सालयों में प्रतिमाह मोतियाबिन्द ऑपरेशन की प्रगति रिपोर्ट को जनपद द्वारा संकलित करते हुये मासिक रिपोर्ट में अंकित कर प्रगति सूचना राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी, कतिपय कारणों से राज्य स्तर की समीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि प्रदेश में किसी जनपद द्वारा प्राईवेट चिकित्सालयों की मोतियाबिन्द की सम्पूर्ण रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को प्रेषित नहीं किये जाने की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी जनपद की मानी जायेगी।
- राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय में कार्यरत डेटा ऑपरेटर के सहयोग से अपेक्षित सूचनाओं के संकलन में शत–प्रतिशत सहयोग लिया जायें। नेत्र ज्योति अभियान के अन्तर्गत जनपद से सूचना संकलन की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुये डेटा ऑपरेटर, एन0पी0सी0बी0एण्डवी0आई0 को अन्य कार्यो से कार्यमुक्त करते हुये अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की प्रत्येक प्रकार की सूचना एवं मासिक रिपोर्ट संकलन कार्य में लगाया जाना सुनिश्चित किया जायें।

<u>वित्तीय प्रबन्धन</u>

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- जनपद स्तर से सम्पादित होने वाले राजकीय/प्राईवेट/एन0जी0ओ0 क्षेत्र के मोतियाबिन्द ऑपरेशन की प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार के पोर्टल पर शत–प्रतिशत अंकित कराया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- राजकीय/एन0जी0ओ0 क्षेत्र में होने वाले मोतियाबिन्द ऑपरेशन के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार के पोर्टल पर लाभार्थियों की सूचना शत–प्रतिशत अंकित हो तद्उपरान्त ही जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन के प्राप्त कर भुगतान/व्यय की स्वीकृति प्रदान की जायें, अन्यथा की दृश्टि में भुगतान को वित्तीय नियमों के विरूद्ध माना जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद की होगी।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा।उपयफ्रक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

21.10 National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke "NPCDCS" (NP-NCD)

भारत सरकार के प्रेषित अर्द्व शासकीय पत्र सं0 202215/52/2023–एन0सी0डी0 दिनॉक 03 मई 2023 के क्रम में NPCDCS कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके NP-NCD कर दिया गया है। उक्त पत्र के क्रम में NPCDCS कार्यक्रम को NP-NCD के नाम से जाना जायेगा।

जनपद स्तर पर NP-NCD कार्यक्रम के अर्न्तगत गतिविधियों के सुलभ संचालन हेतु नवीन दिशा–निर्देश जनपदों को कार्यक्रम हित में निम्नवत प्रेषित किये जा रहे है।

- प्रदेश के 75 जनपदों में जिला एन0सी0डी0 सेल एवं जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक अनुमोदित है।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अधीन 01 अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी, एन0पी0–एन0सी0डी0 नामित करेंगे। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रमों का वित्तीय एवं भौतिक दिशा–निर्देश के अनुसार जनपदों मे सफलता पूर्वक क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद में अपने अधीन जिला एन0सी0डी सेल एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अधीन जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक को संचालित करायें।
- जनपद स्तर पर जिला एन0सी0डी0 सेल मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन क्रियाषील रहेगी, प्रशासनिक/वित्तीय नियंत्रण गतिविधियॉ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से सम्पादित की जायेगी। जिला पुरूष चिकित्सालय में संचालित एन0सी0डी क्लीनिक में क्लीनिकल के कार्यो पर नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका का होगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपयोग **DHAP** में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेंगे तथा क्रय/मुद्रण, निविदा, टेन्डर एवं जेम सम्बन्धित कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा–निर्देश के अनुसार एवं वित्त नियमों के अनुसार कार्यक्रम हित में अवमुक्त धनराशि की अधिकतम सीमा तक उपयोग नियमानुसार करेंगे। धनराशि का व्यय करने पूर्व जिला स्वास्थ्य समिति का बजट एवं गतिविधि के अनुसार अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
- कोविड–19 जैसी वैष्विक माहमारी/अन्य महामारी के दृष्टिगत् भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश के अनुरूप ही कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियॉ सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।
- NP-NCD कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में जिला–स्वास्थ्य–समिति को जारी की गयी धनराशि का मदवार एवं जनपदवार विवरण अधिकत्म अनुमान्य सीमा तक व्यय किये जाने हेतु पृथक से प्रेषित किये जायेगा।

जिला एन0सी0डी0 सेलः–

1. एफ0 एम0 आर0 कोड–**NCD.5.110.PME.1 Monitoring Evaluation & Supervision** मद पर प्रत्येक जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन संचालित जिला एन0सी0डी0 सेल हेतु रू0 2.00 लाख प्रति जनपद, प्रतिवर्ष की दर से धनराशि अनुमोदित है। **09 माह हेतु कुल अनुमोदित धनराशि रू1.50 लाख प्रति जनपद, की दर से धनराशि आवंटित की गई है।** सहयोगात्म पर्यावेक्षक के लिए जेम/दैनिक वाहन प्रक्रिया/जनपद में पूर्व से अनुमान्य टेन्डर दर की गणना दैनिक आधार पर करते हुए, 01 टैक्सी वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। यह वाहन NP-NCD कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला एन0सी0डी0 नोडल एवं जिला एनसीडी सेल में तैनात जिला कार्यक्रम समन्वयक/इपिडिमियोलॉजिस्ट/जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार एवं अन्य कर्मचारी के भ्रमण हेतु अधिकृत किया जायेगा। प्रत्येक माह की 01 से 05 तारीख तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदित भ्रमण प्लान जनपद की समस्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 एन0सी0डी0 क्लीनिक, मण्डल एवं राज्य स्तर पर साझा किया जायेगा, आगामी माह 05 से 10 तक तारीख को संकलित भ्रमण आख्या **(जिसमें चिकित्सा इकाईवार अपेक्षित सुधारों एवं विगत भ्रमण के सापेक्ष अब तक हो चुके सुधारों की सूचना आवश्यक रूप में अंकित की गयी हो, NPCDCS कार्यक्रम में सहयोगात्मक भ्रमणकर्ता द्वारा आच्छादित समस्त चिकित्सा इकाईयों पर तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों को दस्तावेजों प्रबन्धन, रिर्पोटिगं प्रपत्र एवं रिपोर्ट सम्प्रेषण के सम्बन्ध में अभिमुखीकरण व क्षमता बर्धन किया जायेगा)** से जनपद की नामित चिकित्सा इकाईयों, मण्डल एवं राज्य स्तर पर अवगत कराया जायेगा। **प्रत्येक माह जिला एन0सी0डी0 नोडल द्वारा 05 भ्रमण** एवं जिला एन0सी0डी0 सेल के

कर्मचारियों द्वारा भी न्यून्तम 05 भ्रमण कुल 10 कराना आवश्यक होगा। वाहन के भुगतान के साथ लॉग बुक पर भ्रमण कर्ता के हस्ताक्षर, भ्रमण का स्थान एवं भ्रमण का उद्देश्य आवश्यक रूप से अंकित किया गया हो एवं भ्रमण कर्ता द्वारा भ्रमण चैक लिस्ट व भ्रमण आख्या की प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत की जाये, साथ ही यह भी संज्ञानित रखा जाये कि NP-NCD कार्यक्रम के अर्न्तगत आच्छादित समस्त चिकित्सा इकाईओं का भ्रमण आवश्यक रूप से किया जाये। डाटा एन्ट्री ऑपरेटर द्वारा NP-NCD कार्यक्रम **के अर्न्तत संचालित समस्त गतिविधियों की सूचनाऐं एवं भ्रमण आख्या की उपलब्धियॉ (ई–कवच पोंटल पर ऑन लाइन अपलोड की जायेंगी) सूचना सम्प्रेषण हेतु प्रारूप एवं दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेगें।**

2. एफ0 एम0 आर0 कोड–**NCD.5.110. PME.3TA/DA/POL** मद पर प्रत्येक जनपद के जिला एन0सी0डी0 सेल हेतु रू0 2.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि अनुमोदित है। **09 माह हेतु कुल अनुमोदित धनराशि रू1.50 लाख प्रति जनपद, की दर से धनराशि आवंटित की गई है।**
3. एफ0 एम0 आर0 कोड–**NCD.5.110.PME.2 Contingency** मद पर प्रत्येक जनपद के जिला एन0सी0डी0 सेल हेतु **रू0 2.00 लाख प्रति, प्रतिवर्ष जनपद की दर** से धनराशि अनुमोदित है। **09 माह हेतु कुल अनुमोदित धनराशि में से रू 1.50 लाख प्रति जनपद, की दर से धनराशि आवंटित की गई है।** यह धनराशि जिला एन0सी0डी0 सेल में आवश्यकता अनुसार **मॉग पत्र के आधार पर वित्तीय नियमानुसार सामग्री के क्रय हेतु व्यय की जायेगी। उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा।**
4. एफ0 एम0 आर0 कोड–**NCD.5.110.IEC.1IEC/BCC** मद पर प्रत्येक जनपद हेतु रू0 3.00 लाख प्रति जनपद, प्रतिवर्ष की दर से धनराशि अनुमोदित है, अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश ों के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया का प्रचार–प्रसार/मुद्रण आदि गतिविधियों हेतु किया जायेगा। जिस हेतु समय–समय पर गतिविधियों के अयोजन हेतु पृथक से दिशा–निर्देश प्रेषित किये जायेंगे। **09 माह हेतु कुल अनुमोदित धनराशि रू2.25 लाख प्रति जनपद, की दर से धनराशि आवंटित की गई है।**
5. एफ0एम0आर0 कोड–**NCD.5.110.CB.1Training at District Level** मद पर प्रत्येक जनपद हेतु रू0 1. 50 लाख प्रति जनपद, प्रतिवर्ष की दर से धनराशि अनुमोदित है। इस धनराशि का प्रयोग NP-NCD कार्यक्रम के अर्न्ततग कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रषिक्षण/अभिमुखिकरण एवं क्षमता बर्धन हेतु राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार किया जायेगा। **09 माह हेतु कुल अनुमोदित धनराशि रू 1.125 लाख प्रति जनपद, की दर से धनराशि आवंटित की गई है। (जनपद–लखनऊ को उक्त जनपद स्तरीय धनराशि के अतिरिक्त, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण हेतु रू0 112.50 लाख की अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया गया है। जिसे भविष्य में जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज/संस्थान में प्रषिक्षण हेतु स्थानान्तरित किया जायेगा, 09 माह हेतु कुल अनुमोदित धनराशि रू 85.50 लाख प्रति जनपद लखनऊ हेतु रक्षित है।)**

जिला एन0सी0डी0 क्लीनिकः–

6. एफ0 एम0 आर0 कोड–**NCD.5.107.DIDrugs & Supplies** मद पर प्रत्येक जनपद हेतु **रू0 2.40 लाख प्रति जनपद की दर** से धनराशि अनुमोदित है। **09 माह हेतु कुल अनुमोदित धनराशि रू 1.80 लाख प्रति जनपद, की दर से धनराशि आवंटित की गई है।** यह धनराशि NP-NCD कार्यक्रम में जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक के उपयोगार्थ है। यहॉ यह भी अवगत कराना है कि रोगी भार के अनुसार उक्त धनराशि का व्यय रीजेन्टस, कैमिकल एवं आवश्यकता अनुसार औषधियों का क्रय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार एवं वित्तीय नियामानुसार किया जायेगा। सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आपेक्षित गतिविधियॉ सम्पादित की जायेगी।
7. एफ0 एम0 आर0 कोड–**NCD.5.107.PMEMiscellaneous cost for communication, monitoring, T.A, DA, POL, Contingency etc.** मद पर प्रत्येक जनपद हेतु **रू0 1.00 लाख प्रति जनपद, प्रतिवर्ष की दर** से धनराशि अनुमोदित है। **09 माह हेतु कुल अनुमोदित धनराशि रू 0.75 लाख प्रति जनपद, की दर से धनराशि आवंटित की गई है।**

सी0एच0सी0 एन0सी0डी0 क्लीनिकः–

8. एफ0 एम0 आर0 कोड–**NCD.5.108.DI Drugs & Consumables for CHC NCD Clinic** मद पर जनपद स्तर से नामित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को **रू0 0.40 लाख प्रति इकाई, प्रतिवर्ष की दर** से धनराशि अनुमोदित है। **09 माह हेतु कुल अनुमोदित धनराशि रू 0.30 लाख प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, की दर से धनराशि आवंटित की गई है।** यह धनराशि NP-NCD कार्यक्रम में सी0एच0सी एन0सी0डी0 क्लीनिक के उपयोगार्थ है। यहॉ यह भी अवगत कराना है कि रोगी भार के अनुसार उक्त धनराशि का व्यय रीजेन्टस, कैमिकल एवं आवश्यकता अनुसार अनुसार औषधियों का क्रय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार एवं वित्तीय नियामानुसार किया जायेगा।

9. एफ0 एम0 आर0 कोड–**NCD.5.108.PMEMiscellaneous cost for communication, monitoring, T.A, DA, POL, Contingency etc.for CHC NCD Clinic** मद पर **रू0 1.00 लाख प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, प्रतिवर्ष की दर** से धनराशि अनुमोदित है। **09 माह हेतु कुल अनुमोदित धनराशि रू 0.75 लाख प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, की दर से धनराशि आवंटित की गई है।** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र में असेवित क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए तैयार माइक्रो प्लान के आधार पर ग्रामीण असेवित क्षेत्रों में स्क्रीनिंग एवं उपचार सुविधाऐं जनमानस तक उपलब्ध करायी जायेगी।

10. एफ0 एम0 आर0 कोड–**NCD.5.110.IEC.3 Patient Referral card at PHC level** मद पर जनपद स्तर से नामित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को **रू 2500/–(दो हजार पॉच सौ), कुल 500 पेशेन्ट रेफरल कार्ड के मुद्रण हेतु, प्रति इकाई, प्रतिवर्ष की दर से धनराशि अनुमोदित है। 09 माह हेतु कुल अनुमोदित धनराशि रू 1875/–(एक हजार आठ सौ पच्हत्तर) की दर से धनराशि आवंटित की गई है।** जिसका मुद्रण एवं आपूर्ति मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से नियमानुसार कराया जायेगा। NP-NCD **प्रारूप भारत सरकार की ऑपरेषनल गाइड लाइन के पृष्ठ सं0 52 पर वर्णित Annexure –I के अनुरूप ही किया जायेगा।**

11. एफ0 एम0 आर0 कोड–**NCD.5.110.IEC.4,Patient Referral card at SC level** पर **रू 2500/–(दो हजार पॉच सौ), कुल 500 पेषेन्ट रेफरल कार्ड, प्रति इकाई, प्रतिवर्ष की दर** से धनराशि अनुमोदित है। **प्रति पेषेन्ट रेफरल कार्ड हेतु अधिकतम धनराशि रू 05.00 की दर स्वीकृत है।** जिसका मुद्रण एवं आपूर्ति मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से नियमानुसार कराया जायेगा। **09 माह हेतु कुल अनुमोदित धनराशि रू 1875/–(एक हजार आठ सौ पच्हत्तर) की दर से धनराशि आवंटित की गई है।** NP-NCD **प्रारूप भारत सरकार की ऑपरेशनल गाइड लाइन के पृष्ठ सं0 52 पर वर्णित Annexure –I के अनुरूप ही किया जायेगा।**

गतिविधियों के सुगम सम्पादन हेतु सम्बन्धित में दिशा–निर्देश

Quantity for Printing All units District NCD Cell, Distract NCD Clinic, CHC,PHC & Sub Center As Allowed in Attach list

(Print Activity)

S.No.	Print Activity	Material Specification	Size (Approx)	Quantity @ /- per Units as per Attach list	Print Prototype Source	Per Unit Cost (Rs)	Total Cost In RS
1	Referral Card	75 gsm Size (Half of A4) color print (Two A4 referral slips will be printed side by side on A4 sheet with perforation	(Half of A4)	500 For PHC & SC	Page no. 52 of GOI Guide lines	05.00	2500.00
2	All Reporting Performa	A4 Size, 80 gsm black and white internal page with Carbon copy 15 Rows in Each Page	A4	Distrct NCD Cell, District NCD Clinic, CHC NCD Clinic & Sub center	Page no. 53,54,55,56,57,58,59 & 60 of GOI Guide lines	01.00	As per use

12. भारत सरकार से जारी (Revised Operational Guideline 2013-17) के क्रम में पृष्ठ सं0 37 पर उल्लेखित किया गया है कि NP-NCD कार्यक्रम के अन्तर्गत (30 वर्ष से अधिक वर्ष वर्ग के व्यक्तियों एवं गर्भवती महिलाओं की मधुमेह की स्क्रीनिंग किये जाने हेतु) प्रति व्यक्ति रू 10/– के अनुसार धनराशि प्रावधानित है। मधुमेह की स्क्रीनिंग किये जाने हेतु 15वे वित्त, कम्युनिटी प्रोसेस एवं मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत धनराशि अवमुक्त किया जाना

उल्लेखित है। अतः 30 वर्ष से अधिक वर्ष वर्ग के व्यक्तियों की स्क्रीनिंग हेतु विन्दु सं0 13 एवं 14 के क्रम में निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

13. मधुमेह की स्क्रीनिंग किये जाने हेतु जनपदों को Cost of Consumables for each center @ 80950 (FMR Code-FR3.1) पर उल्लेखित किया गया है। जिस हेतु दिशा–निर्देश पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/कम्यु0प्रो0/15वें वित्त आयोग/2022–23/124/4598–75 दिनॉक 27.09.2022 को जनपदों को प्रेषित किये गये है।
14. मधुमेह की स्क्रीनिंग किये जाने हेतु जनपदों को मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत (FAMS Code-RCH.1.4.DI.1) के माध्यम से अवमुक्त किये जाने के निर्देश प्रेषित किये गय है।

वित्तीय एवं अन्य निर्देश–

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीाक्षक, चिकित्सा अधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को इस तथ्य का विशेष ध्यान देना है कि जनपदवार एवं मदवार आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दषा में नहीं किया जाये।
- NP-NCD कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में जिला–स्वास्थ्य–समिति को जारी की गयी धनराशि का उपभोग कार्यक्रम के हित में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाये।
- आवंटित धनराशि का व्यय एन0एच0एम0 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। कार्यक्रम/मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 में DHAP के सापेक्ष NP-NCD कार्यक्रम में वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से NP-NCD कार्यक्रम में ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, फाइनेन्ष कम लॉजिस्टिक मैनेजर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नोडल अधिकारी NP-NCD/एन0सी0डी0) एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिषत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा। उपयफ्रक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत इपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा NP-NCD एवं PBS गतिविधियों की प्रेषित की जाने वाली मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट का इपिडिमियोलॉजिकल स्टडी करते हुए उसकी मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगें साथ ही साथ एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम के अर्न्तगत दिये गये स्क्रीनिंग लक्ष्य को हासिल करते हुए भौतिक प्रगति सुनिश्चित करेंगे।
- जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला कार्यक्रम समन्वयक/इपिडिमियोलॉजिस्ट/जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार एवं अन्य कर्मचारी अपने समस्त कार्यो के साथ–साथ जनपद में कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्रषिक्षण कार्यक्रम, जनपद स्तरीय भ्रमण एवं समस्त रिर्पोटिंग इत्यादि का कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। गतिविधियों के आयोजन एवं सूचनाओं के सम्प्रेषण में किसी प्रकार से अनियमित्ता होती है, तो अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नोडल अधिकारी NP-NCD) के साथ–साथ जिला एन0सी0डी सेल में कार्यरत समस्त अधिकारी को उत्तरदायी माना जायेगा।
- **जिन जनपदों में NP-NCD के अर्न्तगत जिला कार्यक्रम समन्वयक/इपिडिमियोलॉजिस्ट/जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार तैनात नहीं है, उन जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से अन्य एन0सी0डी कार्यक्रमों में तैनात कार्यक्रम सम्वयकों/कर्मचारी को नामित करते हुए गतिविधियों का ससमय सम्पादन एवं सूचना सम्प्रेषण का कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**
- **<u>जिला एन0सी0डी0 सेल एवं जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक की सक्रीयता, क्रियान्वयन एवं रिर्पोटिंग हेतु अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नोडल अधिकारी–एन0सी0डी0) सीधे रूप से उत्तरदायी होगें।</u>**

- जिला एन0सी0डी0 सेल द्वारा प्रमुख रूप से NP-NCD कार्यक्रम की मुख्य एवं पी0बी0एस0 गतिविधियों के कार्यों को ससमय सम्पादित किया जायेगा।
- जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार का दायित्व होगा कि NP-NCD कार्यक्रम के अर्न्तगत आयोजित होने वाली समस्त गतिविधियों के आयोजन से पूर्व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी NP-NCD से समन्वय कर कार्यक्रम हित में समिति एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय स्वीकृति हेतु आहारण वितरण अधिकारी को पत्रावली अग्रसारित करें। अन्यथा की अवस्था वित्तीय अनियमित्ता हेतु सम्बन्धित कार्यक्रम में तैनात कर्मचारी, जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार एवं नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- इपिडिमियोलॉजिस्ट/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा समस्त भौतिक एवं जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा समस्त वित्तीय कार्यो का निर्वाहन किया जायेगा। जनपदों में रिक्त पद के सापेक्ष (एन0सी0डी0 अनुभाग के समस्त कार्यक्रमों में से जनपद में तैनात जिला समन्वयक को नामित करते हुए) प्रभारी अधिकरी/कर्मचारी द्वारा कार्यों का निर्वाहन किया जायेगा। उक्त के अनुसार NP-NCD कार्यक्रम के अर्न्तगत आयोजित होने वाली समस्त गतिविधियों की सूचना राज्य स्तर पर ससमय नोडल अधिकारी NP-NCD को ससमय ई मेल – npcdcsup@gmail.com पर करना सुनिश्चित करें।
- जिला एन0सी0डी0 सेल/क्लीनिक में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा जिला एन0सी0डी0 सेल से सम्बन्धित समस्त रिपोर्ट समसय राज्य एन0सी0डी0 सेल को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
- एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम के अर्न्तगत तैनात समस्त मानव संसाधन के कार्य एवं दायित्वों हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश शीघ्र प्रेषित किये जागेंयें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का उत्तर दायित्व होगा कि वे एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम के अर्न्तगत तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी को दिशा–निर्देशों के सापेक्ष निर्धारित कार्य एवं दायित्वों के अनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित करेगें एवं समय–समय पर उनके कार्यो का अवलोकन करेंगे।
- उपरोक्त दिशा–निर्देश इस आषय के साथ प्रेषित है कि कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचार द्वारा दिशा–निर्देशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है, यदि उक्त में किसी भी प्रकार की स्थिलता या लापरबाही परिलक्षित होती है तो ऐसी अवस्था/स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।
- राज्यकारी समिति से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में कार्यक्रम गतिविधियों के आयोजन के सापेक्ष FAMS पोर्टल पर 09 माह हेतु बजट आवंटित किया गया है। **जनपदों में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों हेतु प्रथम किश्त के रूप में 03 माह हेतु लिमिट अवमुक्त की जा रही है। शेष धनराशि समय–समय पर प्रेषित की जायेगी।**
- उपरोक्त दिशा–निर्देश के अतिरिक्त यह भी अवगत होना चाहें कि भारत सरकार के स्तर से दिनॉक 17 मई 2023 भारत सरकार के स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया है कि NP-NCD कार्यक्रम में विगत में प्रचलित ऑपरेसनल गॉईड लाईन 2013–2017 के क्रम में भारत सरकार द्वारा नवीन ऑपरेशनल गाईड लाईन 2023–30 अतिषीघ्र जारी किया जाना प्रस्तावित है। अतः भारत सरकार स्तर से नवीन ऑपरेषनल गाईड लाईन 2023–30 जारी किये जाने के उपरान्त एवं प्राप्त निर्देशानुसार संषोधित विस्तृत दिशा–निर्देश NP-NCD कार्यक्रम एवं PBS गतिविधियों हेतु को पुनः पृथक से प्रेषित किये जायेगें।

22. वित्तीय

22.1 वित्तीय प्रबन्धन, लेखांकन, अंकेक्षण एवं वित्तीय आन्तरिक नियन्त्रण के दिशा–निर्देश

ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट

भारत सरकार द्वारा जारी ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट को राज्य स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय द्वारा अंगीकृत किया जा चुका है। ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के प्राविधान उसी प्रकार से लागू है, जैसा कि उसमें वर्णित है, जब तक किसी प्राविधान के लिए अन्यत्र दिशा निर्देश जारी न किये जायें।

मैनुअल लेखा पुस्तकों का रख–रखाव

ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट में निर्धारित वित्तीय लेखा अभिलेखों का रख– रखाव जिला स्वास्थ्य समिति, सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0, सब सेन्टर, वी0एच0एस0एन0सी0 एवं अन्य चिकित्सा / प्रशासनिक इकाई स्तर पर किया जाये।

जिला स्वास्थ्य समितियों, सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0, जिला अस्पताल एवं अन्य चिकित्सा इकाईयों में हस्तलिखित कैश / बैंक बुक एवं PFMS Log /Cheque Issue Register तैयार किया जाना अनिवार्य है। साथ ही अन्य मूल वित्तीय प्रपत्र एवं रजिस्टर जैसे– बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त की पत्रावली / रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, बिल / बाउचर, टेण्डर / कोटेशन पत्रावली, स्थायी सम्पत्ति रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर इत्यादि का सम्मुचित रूप से रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है तथा निम्नानुसार निर्धारित समयान्तराल पर वित्तीय अभिलेख तैयार कर सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षर करवाते हुए अभिरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

क्रम	विवरण	समयान्तराल	प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी व्यक्ति
1.	चेक निर्गत रजिस्टर / पी0एफ0एम0एस0 लॉग रजिस्टर	प्रतिदिन	पी0एफ0एम0एस0 मेकर / चेकर आई0डी0 यूजर
2.	मैनुअल रोकड बही एवं बैक बही (जिला स्वास्थ्य समिति के समस्त कार्यक्रम)	प्रतिदिन	लेखा लिपिक
3.	जिला स्वास्थ्य समिति का लिमिट रजिस्टर	प्रतिदिन	जिला लेखा प्रबन्धक
4.	मैनुअल रोकड बही एवं बैक बही / लिमिट रजिस्टर (सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 / जिला अस्पताल)	प्रतिदिन	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक / जिला अस्पताल का लेखाकार
5.	ई0पी0एफ0 बैंक खाता की मैनुअल रोकड बही एवं बैक बही	प्रतिदिन	जिला डॉटा कम लेखा सहायक
6.	बैंक समाधान विवरण (एफ0एम0ए0एस0)	मासिक	जिला डॉटा कम लेखा सहायक / ब्लॉक लेखा प्रबन्धक / जिला अस्पताल का लेखाकार
7.	पत्रावली / सर्पोटिंग बिल वाउचर्स् / अन्य सम्बन्धित प्रपत्र का तैयार करना (जिला स्वास्थ्य समिति)	प्रतिदिन	लेखा लिपिक
8.	पत्रावली / सर्पोटिंग बिल वाउचर्स् / अन्य सम्बन्धित प्रपत्र का तैयार करना (डी0पी0एमयू0)	प्रतिदिन	जिला डॉटा कम लेखा सहायक
9.	पत्रावली / सर्पोटिंग बिल वाउचर्स् / अन्य सम्बन्धित प्रपत्र का तैयार करना (सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0)	प्रतिदिन	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक
10.	पत्रावली / सर्पोटिंग बिल वाउचर्स् /अन्य सम्बन्धित प्रपत्र का तैयार करना (जिला अस्पताल)	प्रतिदिन	जिला अस्पताल का लेखाकार

वित्तीय वर्ष 2020–21 तक जिला स्वास्थ्य समितियों, जिला अस्पताल एवं सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 द्वारा Tally ERP-09 का डेटा बैकअप स्वयं सम्बन्धित इकाई के द्वारा तथा जनपद की समस्त इकाईयों का टेली डॉटा डी0पी0एम0यू0 द्वारा अभिरक्षित किया जायेगा। राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति के टैली डॉटा का बैकअप अभिरक्षित किया जायेगा।

भारत सरकार के निर्देशानुसार केन्द्रीयकृत वित्त प्रबन्धन हेतु सिंगल नोडल एजेंसी (एस0एन0ए0) के लिए सिंगल नोडल अकाउन्ट (एस0एन0ए0) तथा अन्य इम्लीमेटिंग एजेसियों हेतु (ZBSA) व्यवस्था लागू की गयी है। जिसके अनुसार राज्य स्तर से लिमिट जारी की जायेगी जिसके सापेक्ष जनपदों द्वारा व्यय किया जा सकेगा। उक्त के क्रम में पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / लेखा / 2020–21 / 12–टी0सी0 / 3869–75 दिनांक 28.09.2021 के माध्यम से अतिरिक्त निम्न लेखा – अभिलेखों को तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है–

जिला स्वास्थ्य समिति	सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 तथा अन्य स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक इकाई
1. मुख्य लिमिट कन्ट्रोल रजिस्टर 2. पी0एफ0एम0एस0 / चेक इशु रजिस्टर 3. प्रोग्राम वाईज लिमिट कन्ट्रोल रजिस्टर 4. आई0ए0 बैंक बुक 5. प्रोग्राम वाईज सब्सीडियरी लिमिट बुक 6. आई0ए0 बैंक खाते का बैंक समाधान विवरण 7. पी0एफ0एम0एस0 एवं एफ0ए0एम0एस0 व्यय का समाधान विवरण	1. मुख्य लिमिट कन्ट्रोल रजिस्टर 2. पी0एफ0एम0एस0 / चेक इशु रजिस्टर 3. प्रोग्राम वाईज लिमिट कन्ट्रोल रजिस्टर 4. आई0ए0 बैंक बुक 5. प्रोग्राम वाईज सब्सीडियरी लिमिट बुक 6. आई0ए0 बैंक खाते का बैंक समाधान विवरण 7. पी0एफ0एम0एस0 एवं एफ0ए0एम0एस0 व्यय का समाधान विवरण

उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट ग्रुप (एफ0एम0जी0)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के वित्तीय प्रबन्धन, लेखाकंन, अकेंक्षण एवं आन्तरिक नियंत्रण की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति एवं जनपद की अन्य स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक ईकाइयों पर वित्त एवं लेखाकंन से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती की गयी है। जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए जनपद में वित्त एवं लेखाकंन से सम्बन्धित तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों से वित्त एवं लेखाकंन तथा ऑडिट का कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में डॉटा कम लेखा सहायक (एन0यू0एच0एम0) द्वारा निष्पादित किया जायेगा। जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में जिला डॉटा कम लेखा सहायक द्वारा निष्पादित किया जायेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज् के अन्तर्गत आच्छादित कार्यक्रमों के वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में फाईनेन्स कम लाजिस्टिक कन्सलटेन्ट द्वारा निष्पादित किया जायेगा। कम्युनिकेबल डिजीज् के आच्छादित कार्यक्रमों का वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में लेखाकार (एन0टी0ई0पी0) द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

पत्र संख्या – एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / लेखा / 2014–15 / 210 / 7108–2 दिनांक 05.10.2015 एवं 174–75 दिनांक 12.04.2017 के माध्यम से जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों में वित्तीय एवं लेखांकन कार्य हेतु संविदा पर कार्यरत लेखाधिकारी / लेखाकार द्वारा जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा आबंटित वित्तीय / लेखांकन कार्य निष्पादित किया जायेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपद के जिला महिला चिकित्सालय एवं जिला कम्बाइन हास्पिटल में लेखाकार की तैनाती की गयी है तथा जिला महिला चिकित्सालय में कार्यरत जिला हास्पिटल लेखाकार द्वारा जिला पुरूष अस्पताल का वित्तीय कार्य भी किया जाना है। जिसके लिए किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

जनपद में क्रियाशील नॉनब्लाक सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 स्तरीय जनआरोग्य समिति का वित्त एवं लेखाकंन का कार्य सम्बन्धित ब्लाक के ब्लाक लेखाप्रबन्धक द्वारा किया जाना है।

22.2 लेखाकार (जनपदीय चिकित्सालय)

जिला अस्पताल में वित्तीय अभिलेखों के रख–रखाव के लिए जिला अस्पताल में लेखाकारो की तैनाती की गयी है। जनपदों के जिला अस्पताल मे तैनात लेखाकारों का मानदेय, एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.P275 में डी0एच0ए0पी0 के माध्यम से आवंटित धनराशि से आहरित की जायेगी। वार्षिक वृद्धि एवं लॉयेल्टी का भुगतान राज्य स्तर से निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा। नियुक्ति की तिथि / कार्यावधि / मूल्यांकन के आधार पर वास्तविक मानदेय का निर्धारण करते हुए मानदेय का भुगतान किया जायेगा। डी0एच0ए0पी0 में आवंटित मानदेय बजट मात्र है। जिला हास्पिटल लेखाकार की तैनाती जनपद के जिला महिला चिकित्सालय एवं जिला कम्बाइन हास्पिटल में की गयी है तथा जिला महिला चिकित्सालय में कार्यरत जिला हास्पिटल लेखाकार द्वारा जिला पुरूष अस्पताल का वित्तीय कार्य भी किया जाना है। जिसके लिए किसी तरह अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

पत्रांक संख्या–एन0एचम0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / लेखा / बैम / 2014–15 / 213 / 3923–75 दिनांक 17.07.2013 के अन्तर्गत जिला हास्पिटल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये नियुक्त लेखाकार के कार्य एवं दायित्व को निर्धारित किया गया है।

लेखाकार (जनपदीय चिकित्सालय) के कार्य एवं दायित्वः–

1. जिला चिकित्सालय से संबंधित समस्त लेखांकन मैनुअल एवं कम्प्युटराइज्ड कार्य।
2. पी0एफ0एम0एस0 में मेकर आई0डी0 का प्रयोग करके समस्त भुगतान तैयार करना।
3. पी0एफ0एम0एस0 लॉग / चेक ईशु रजिस्टर तैयार करना।
4. मैनुअल कैशबुक तैयार करना तथा एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर तैयार कैशबुक का प्रिन्टआउट निकाल कर अभिरक्षित करना।
5. लिमिट रजिस्टर तैयार करना।
6. एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर मासिक बैंक समाधान विवरण तैयार करना।
7. एफ0एम0आर0, कमिटेड रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अन्य वित्तीय रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराएं।
8. एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर पर कार्य किया जायेगा।

22.3 फाईनेन्शियल एण्ड एकाउन्टिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन एवं लेखा पुस्तकों के रख–रखाव हेतु Finance and Account Management System (FAMS) सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से Accounting, Auditing, ROP/DHAP/BHAP, Expenditure & Release इत्यादि व्यवहारित किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक स्तर पर ऑन लाईन समस्त रिपोर्ट उपलब्ध रहेगी।

एफ0ए0एम0एस0 में निम्नलिखित Modules को सम्मिलित किया गया हैः–

1- Budget Module
2- Account Module
3- Audit Module
4- MIS Module
5- User Management Module (Utility Module)
6- Beneficiary Employee/Vendors Management Module
7- Master Module
8- Help desk Module
9- Integration Module

एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर जनपदों के स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक इकाईयों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण निम्नवत है–

1. जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा जनपद की एकाउन्टिंग एव ंनान एकाउन्टिंग इकाईयों का पंजीकरण करना है।
2. जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा जनपद के स्टाफ का पंजीकरण करना है।
3. वित्त एवं लेखा से सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी द्वारा लाभार्थी एवं आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण करना है।
4. जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा जनपद के अन्य यूजरर्स की आई0डी0 बनाना है।
5. जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / कार्यक्रम सलाहकार द्वारा बी0एच0ए0पी0 (बैप) तैयार करना है।
6. जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / कार्यक्रम सलाहकार द्वारा कमिटेड (Past Liability) का प्रस्ताव तैयार किया जाना।
7. पत्रावली प्रचालित करने वाले अधिकारी / कर्मचारी द्वारा Purchase Order अपलोड़ किया जाना है।
8. पत्रावली प्रचालित करने वाले अधिकारी / कर्मचारी द्वारा बिल / इन्वोईस् को अपलोड़ किया जाना है।
9. जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा लिमिट का वाउचर की प्रविष्ट करना है।
10. पत्रावली प्रचालित करने वाले अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्रपोजल फार पेमेन्ट तैयार किया जायेगा तथा प्रिन्टआउट निकाल कर पत्रावली पर रक्षित किया जाना है, यह कार्य ब्लाक स्तर ब्लाक लेखा प्रबन्धक द्वारा किया जाना है।

11. वित्त एवं लेखा से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रपोजल फार पेमेन्ट का प्रयोग करते हुए पेमेन्ट वाउचर बनाया जायेगा, तथा एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर तैयार एक्सल शीट को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड करके भुगतान किया जाना है तथा प्रिन्टआउट निकाल कर पत्रावली पर किया जाना है।
12. वित्त एवं लेखा से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से तैयार प्रिन्ट पेमेन्ट एडवाईज् की संख्या एवं दिनांक एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर अंकित किया जायेगा।
13. वित्त एवं लेखा से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा टी0डी0एस0/ जी0एस0टी0/ ई0पी0एफ0 इत्यादि जिनका भुगतान चेक/नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है। भुगतान पश्चात्, भुगतान विवरण एवं दिनांक एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर अंकित की जायेगी।
14. वित्त एवं लेखा से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बैंक समाधान विवरण एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किया जाना है।
15. जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के समस्त खातो की कैश बुक FAMS पोर्टल से प्रिन्टआउट निकाल कर सक्षम प्राधिकारी से हस्ताक्षर कराया जाना है।
16. जिला डाटा कम लेखा सहायक द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के खातो की कैश बुक FAMS पोर्टल से प्रिन्टआउट निकाल कर सक्षम प्राधिकारी से हस्ताक्षर कराया जाना है।
17. जिला अस्पताल के लेखाकार द्वारा जिला अस्पताल के समस्त बैंक खाते की कैश बुक FAMS पोर्टल से प्रिन्टआउट निकाल कर सक्षम प्राधिकारी से हस्ताक्षर कराया जाना है।
18. ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 स्तरीय सम्बन्धित जन आरोग्य समिति के समस्त खातो की कैश बुक FAMS पोर्टल से प्रिन्टआउट निकाल कर सक्षम प्राधिकारी से हस्ताक्षर कराया जाना है।
19. वित्त एवं लेखा से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अन्य स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक इकाई (जो उपरोक्त में शामिल नहीं है) के समस्त खातो की कैश बुक FAMS पोर्टल से प्रिन्टआउट निकाल कर सक्षम प्राधिकारी से हस्ताक्षर कराया जाना है।
20. जनपद के स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक इकाई के सम्बन्धित अधिकारी /कर्मचारी द्वारा एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर तैयार विभिन्न रिपोटर्स का प्रिन्टआउट निकाल कर सक्षम प्राधिकारी से हस्ताक्षर करा कर पत्रावली पर रक्षित किया जाना है।

22.4 केन्द्रीयकृत वेतन/मानदेय तथा ई0पी0एफ0

पत्र संख्या एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/लेखा/रख–रखाव/2014–15/206/175–4 दिनांक 12.04.2017, 1787–4 दिनांक 01.06.2017 एवं 4230–4 दिनाक 31.07.2017 के माध्यम से केन्द्रीयकृत वेतन/मानदेय तथा ई0पी0एफ0 के भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

- प्रत्येक माह का देय मानदेय /वेतन का भुगतान आगामी माह की 07/10 तारीख तथा ई0पी0एफ0 का भुगतान 15 तारीख तक किया जाना होता है इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के मार्च माह का देय वेतन/मानदेय एवं ई0पी0एफ0 का भुगतान 31 मार्च तक कर दिया जाएगा।
- कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदित कार्यक्रम के बैंक खातों से जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के बैंक खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा, तद्पश्चात् ई0पी0एफ0ओ0 को कारपोरेट इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से इस बैंक खाता के संयुक्त हस्ताक्षरी द्वारा अपना–अपना आई0डी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग करके भुगतान किया जायेगा।
- जनपद के अर्न्तगत मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन आने वाली स्वास्थ्य ईकाइयों (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/उपकेन्द्र इत्यादि) पर कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी के मानदेय/वेतन का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति से किया जायेगा।
- मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालयों, जिला अस्पतालों, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों एवं मेडिकल कालेजों एवं अन्य संस्थान जोकि मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन नहीं आते हैं, उन ईकाइयों में कार्यरत एन0एच0एम0 संविदा कर्मियों जिनका वेतन 15000.00 प्रति माह तक है, या/एवं ई0पी0एफ0 की देयता है, उनका मानदेय भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति से ई0पी0एफ0 की कटौती नियमानुसार करते हुए किया जायेगा एवं शेष कर्मियों जिन पर ई0पी0एफ0 लागू नहीं है, के मानदेय/वेतन का भुगतान उनकी तैनाती इकाईयों/संस्थाओं से किया जायेगा।

- जनपद के अन्दर कार्यरत कर्मियों जिनके मानदेय/वेतन का नियमानुसार भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति स्तर से किया जाएगा, का वेतन रजिस्टर जिला स्वास्थ्य समिति स्तर पर तैयार किया जायेगा।
- पत्र संख्या–एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/लेखा/बुक कीपिंग/2022–23/484/8805 दिनांक 20.02.2023 के माध्यम से विभिन्न मेडिकल कालेजों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान जनपद स्तर से मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

22.5 पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (Public Financial Management System)

वित्तीय व्यवहार, लेनदेन एवं भुगतान में पारदर्शिता लाने आनलाईन ससमय वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने हेतु भारत सराकर द्वारा जारी पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी0एफ0एम0एस0) वेव पोर्टल के माध्यम से राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय इकाईयों (उपकेन्द्र एवं वी0एच0एन0सी0 को छोडकर) द्वारा समस्त धनराशियों का भुगतान/अवमुक्त/स्थानान्तरण (राज्य एवं केन्द्र सरकार के ट्रेजरी को भुगतान किये जाने वाली धनराशि जैसे–आयकर, व्यापार कर, अन्य कटौतिया/वैधानिक देयताओं एवं लोक निर्माण विभाग, आर0ई0एस0 एवं अन्य सरकारी विभाग को छोडकर) पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0एन0आर0एच0एम0 /2012–13 /लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/5067 दिनांक 04.02. 2015 एवं 08.04.2015 के अनुरूप किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा इस पोर्टल को लागू करने का उद्देश्य मध्यस्थ को भुगतान न करके सीधे सम्बन्धित लाभार्थी, अधिकारी/कर्मचारी एवं आपूर्तिकर्ता एवं सेवा प्रदाता के खाते में भुगतान पी0एफ0एम0एस0 वेव पोर्टल के माध्यम से ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के द्वारा किया जाना है। इस सम्बन्ध में पत्र संख्या–एस.पी.एमयू./एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/1380–ए दिनांक 11.06.2015 एव पत्र संख्या–एस.पी.एमयू./एन0आर0एच0एम0/लेखा/पी0एफ0 एम0एस0/187/2017–18 /1787–6 दिनांक 28.05.2018 के द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

उपकेन्द्र तथा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति एवं महिला आरोग्य समिति एवं जन आरोग्य समिति का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल पर किया जाना अनिवार्य है। जब तक उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति एवं महिला आरोग्य समिति का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 वेव पोर्टल पर नहीं किया जाता है, तब तक इनको धनराशि का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा। उपकेन्द्र स्तरीय जन आरोग्य समिति, उपकेन्द्र तथां ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति एवं महिला आरोग्य समिति द्वारा अपने व्यय का भुगतान चेक या नियमानुसार अन्य माध्यम से किया जा सकता है।

पी0एच0सी0 स्तरीय जन आरोग्य समिति का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल एजेन्सी के रूप में पंजीकृत किया जाना है।

पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर जिला स्वास्थ्य समिति एवं अन्य स्वास्थ्य प्रशासनिक इकाईयों द्वारा अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि का ससमय समायोजन भी किया जाना है। टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 एवं अन्य वैधानिक कटौती को भी पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर ससमय अद्यतन किया जाना है।

पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल की यूजर्स आई0डी0 एवं पासवर्ड तथा डिजिटल सिग्नेचर के सम्बन्ध में निम्नलिखित सावधानी रखी जानी आवश्यक है–

1. पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के एडमिन, मेकर, चेकर यूजर्स द्वारा आई0डी0 पासवर्ड किसी के साथ साझा न किया जाए। आई0डी0 एवं पासवर्ड व्यक्तिगत होता है, इसलिए स्थानांतरण/कार्यमुक्त किये जाने की स्थिति में तत्काल एड़मिन द्वारा आई0डी0 को डिसिबल किया जाए।
2. पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के एडमिन, मेकर, चेकर यूजर्स द्वारा प्रत्येक सप्ताह या उससे कम समय पर आवश्यकता अनुसार पासवर्ड बदला जाए।
3. पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के एडमिन यूजर्स द्वारा प्रत्येक सप्ताह या उससे कम समय पर आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित एजेन्सी के मेकर/चेकर की स्थिति की समीक्षा किया जाए।
4. डिजिटल सिग्नेचर धारक द्वारा डिजिटल सिग्नेचर एवं पिन किसी के साथ साझा नहीं किया जाए।
5. जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा प्रत्येक माह जनपद के समस्त बैंक खातों के बैंक समाधान विवरण तैयार किये जाने की समीक्षा मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से करायी जाए।

6. इंप्लीमेन्टी एजेन्सी के बैंक खाता के प्रथम एवं द्वितीय हस्ताक्षरी द्वारा नियमित अन्तराल पर आवश्यकतानुसार बैंक समाधान विवरण की विश्लेषण एवं आवश्यक कार्यवाही किया जाए।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य स्कीमों के बैंक खातों के संचालन हेतु समय–समय पर संयुक्त हस्ताक्षर के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित बैंक खाते के संयुक्त हस्ताक्षरी (प्रथम एवं द्वितीय) द्वारा Class Type-3, User Type-Organizational, Certificate Type-Both डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल का प्रयोग की जाए।

22.6 आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था (इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम)

आन्तरिक नियंत्रण हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत मण्डलीय/जनपद स्तर पर वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है। जिनके कार्य एवं दायित्व निम्न हैः–

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय लेन देनों में आन्तरिक नियंत्रण एवं पारदर्शिता लाने के लिये शासनादेश संख्या–637/सेक –5–पांच– 2016–320/2011 टी0सी0 दिनांक 17.05.2016 के अन्तर्गत जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालयों में तैनात वित्त एवं लेखा अधिकारियों के माध्यम से निम्नवत् कार्य दायित्व निर्धारित किया गया है।

(क) मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में समस्त वित्त एवं लेखा अधिकारियों से एन0एच0एम0/राज्य बजट से सम्बन्धित समस्त लेखा सम्बन्धी कार्य लिये जायें, क्योकि वित्त लेखा अधिकारियें को उक्त कार्यों की विशिष्टता प्राप्त है और वे विभाग में वित्तीय अनुशासन को सुदृढ करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते है। समस्त जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यो में सहायता करने, लेखा–अभिलेखों को पूर्ण कराने, प्रत्येक माह एफ0एम0आर0 भेजने, वित्तीय मामलों में परामर्श देने के लिये जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में जिला लेखा प्रबन्धक की नियुक्ति की गयी है। जिला लेखा प्रबन्धक जनपदों में एन0एच0एम0 से सम्बन्धित धनराशि के व्यय एवं उनका लेखा–जोखा रखने के लिए उत्तरदायी होंग। वर्तमान में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में वित्तीय परामर्श से सम्बन्धित पत्रावलियां जिला लेखा प्रबन्धक के पास नहीं आती है, जिसके कारण वित्तीय नियंत्रण शिथिल रहता है।

(ख) एन0एच0एम0 से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियाँ सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारियों के लिपिकों द्वारा तैयार कराकर सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी व डी0ए0एम0 के माध्यम से वित्त एवं लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करें, जो मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे यह प्रक्रिया प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु की जाये।

(ग) राज्य बजट की समस्त पत्रावलियां जिसमें वित्तीय उपाशय निहित हो, सम्बन्धित अधिकारी द्वारा वित्त एवं लेखा अधिकारियों के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रस्तुत की जाए, जिससे वित्तीय उपाशयों में वित्त एवं लेखा अधिकारियों का मंतव्य अवश्य लिया जाए तथा क्रय एवं टेण्डर सम्बन्धित समस्त कार्य वित्त एवं लेखा अधिकारियों की सहभागिता से कराये जाये। यह प्रक्रिया प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु की जाये।

(घ) वित्त एवं लेखा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय के लेखों के रख–रखाव, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी, व्यय विवरण तैयार करना एवं समय से महानिदेशालय को भेजना, बचत–व्ययाधिक्य का विवरण तैयार करना इत्यादि समस्त कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे

(च) उपरोक्त समस्त उत्तरदायित्व वित्तीय हस्तपुस्तिका–5, अध्याय–18 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित वित्त एवं लेखा अधिकारियों के उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय में वही होंगे, जो विभागाध्यक्ष स्तर पर वित्त नियंत्रक के होते हैं।

बैकिंग व्यवस्था एवं बैक खातों का संचालन

वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार द्वारा निर्देशित नवीन बैंकिंग व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या–1252/पाँच–9–2014–9(32)/07 दिनांक 09.10.2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बैक खातों का संचालन किया जाये। इस सम्बन्ध में जारी पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0 /लेखा/2014–15/3867–75 दिनांक 02.12.2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर नवीन बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि स्थानान्तरित/अवमुक्त की जाये। नेशनल अरबन हेल्थ मिशन के बैक खातों का संचालन पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2015–16/6589 दिनांक 07.09.2015 के अनुसार किया जाये।

पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0 /लेखा/2017–18/10229–3 दिनांक 03.02.2018 के माध्यम से सम्बन्धित मेड़िकल कॉलेज के भिन्न–भिन्न विभागों के विभिन्न बैंक खातो के स्थान पर एन0एच0एम0 का एकल बैंक खाता के संचालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ताकि सम्बन्धित मेंड़िकल कॉलेज के प्रधानाचार्य /उप–कुलपति तथा वित्त नियन्त्रक स्तर पर प्राप्त धनराशि एवं व्यय की सूचना उपलब्ध रहे। उक्त के सम्बन्ध में जिला स्वास्थ्य समिति को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित मेड़िकल कॉलेज हेतु एन0एच0एम0 का संचालित एकल बैंक खाता में धनराशि अवमुक्त की जायेगी तथा प्रधानाचार्य/उप–कुलपति एवं वित्त नियंत्रक के संयुक्त हस्ताक्षर से मासिक व्यय विवरण कराया जाना है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार लागू की एस0एन0ए0 व्यवस्था के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति एवं अन्य स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक इकाईयों हेतु खोले गये Zero Balance Subsidary Account कोई भी धनराशि जमा नहीं की जायेगी।

जिला स्वास्थ्य समिति को निविदा शुल्क/परफारमेन्स सिक्योरिटी/अन्य सिक्योरिटी/बान्ड इत्यादि/ अन्य आय होती है तो उसे जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा खोले गये ऐसे बैंक खाता में जमा की जानी है जिसमें राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

रोगी कल्याण समिति का वैधानिक अंकेक्षण

प्रदेश की समस्त रोगी कल्याण समिति का पंजीकरण समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। चूंकि रोगी कल्याण समिति अलग से पंजीकृत संस्था है, अतः अलग से वैधानिक आडिट कराया जाना आवश्यक है। राज्य ऑडिट कमेटी द्वारा आर0के0एस0 ऑडिट हेतु देय अधिकतम् ऑडिट फीस का निर्धारण किया गया है, जो कि निम्नवत् हैः–

वित्तीय वर्ष (जिसका ऑडिट किया जाना है)	राज्य ऑडिट कमेटी की बैठक की तिथि	रोगी कल्याण समिति का स्तर	फीस (प्रतिवर्ष /प्रति आर0के0एस0)
31.03.2016 तक	28.05.2015	ब्लॉक स्तरीय	रु0 500.00
		जनपद स्तरीय	रु0 1500.00
2016–17	14.01.2016	ब्लॉक स्तरीय	रु0 1000.00
		जनपद स्तरीय	रु0 2000.00
2017–18 2018–19 2019–20 2020–21 2021–22 2022–23	25.01.2017	ब्लॉक स्तरीय	रु0 2000.00
		जनपद स्तरीय	रु0 3000.00

राज्य ऑडिट कमेटी की बैठक में जनपद/ब्लाक रोगी कल्याण समिति की वैधानिक अंकेक्षण वार्षिक अधिकतम सीमा तक निर्धारित की गई है। ऑडिट रिपोर्ट में पर यू0डी0आई0एन0 अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

कान्करेन्ट आडिट

भारत सरकार द्वारा जारी ''ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट'' में कॉन्करेन्ट आडिट सिस्टम की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के खातों की मासिक जाँच जिला स्वास्थ्य समिति से नियुक्त कान्करेन्ट आडीटर द्वारा की जाती है तथा कान्करेन्ट आडिट की रिपोर्ट मासिक रुप से जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जाती है, जिसकी एक प्रति जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जाती है।

जिला आडिट कमेटी के सदस्यों का विवरणः–

Person	**Designation in Committee**
District Magistrate	Chairman
Chief Medical Officer	Member-Secretary
Senior Finance & Account Officer / Finance & Account Officer	Member
District Accounts Manager	Member
Representative from NDCP (at least one)	Member

जिला आडिट कमेटी के प्रमुख कार्यः–

- Monitoring timely audits at the district level and timely submission of audit reports
- Discussing the key audit findings with district concurrent auditor and District Accounts Manager and suggest appropriate actions
- Monitoring whether adequate follow up action is being taken by the District Accounts Manager on the audit observations

- Monitor whether ATR has been prepared by the DAM/ CMO and given to the auditor and whether the same has been vetted and sent by the auditor within the requisite time limit
- Carrying out an assessment of the audits in case the auditors are being considered to be reappointed with intimation to State Audit Committee (SAC).
- Renewal of the auditors' contracts with intimation to SAC.

कान्करेन्ट ऑडिट रिपोर्ट

जनपदों द्वारा कान्करेन्ट आडीटर के टी0ओ0आर0 में दर्शाये गये समस्त कार्य कराए जायें। कान्करेन्ट ऑडिटर द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायेगा। जनपद द्वारा अगले माह की 15 तारीख तक मासिक कान्करेन्ट आडिट रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध करायी जाये या टी0ओ0आर0 एवं अनुबन्ध में निर्धारित समय सीमा के अनुसार रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराया जाये।

जिला ऑडिट कमेटी की बैठकः–

जिला ऑडिट कमेटी की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निम्नानुसार कम से कम 6 बैठके आयोजित किया जाना है–

क्र0सं0	विवरण (बैठक)	माह
1	प्रथम	अप्रैल, मई
2	द्वितीय	जून, जुलाई
3	तृतीय	अगस्त, सितम्बर
4	चतुर्थ	अक्टूबर, नवम्बर
5	पंचम	दिसम्बर, जनवरी
6	षष्टः	फरवरी, मार्च

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी ऑपरेशल गाईडलाईन फॉर फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट को वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रदेश में लागू किया गया है, जिसके अनुपालन में राज्य स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय द्वारा अपनी बैठक दिनांक 06.06.2012 में अनुमोदनानुसार पत्रांक– एन0आर0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/कॉन ऑडिट/2012.13/174/583–11 दिनांक 25.06.2012 के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला ऑडिट कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी सहित वित्त एवं लेखाधिकारी तथा जिला प्रबन्धक (लेखा) सम्मिलित है। जिला ऑडिट कमेटी की बैठक कम से कम साल में 06 बार की जानी है, जिसमें कान्करेन्ट ऑडिट में की गयी संस्तुतियों और खामियों पर त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

जिला ऑडिट कमेटी की बैठक के मुख्य एजेण्डा बिन्दु

जिला ऑडिट कमेटी का सदस्य सचिव होने के नाते मुख्य चिकित्साधिकारी का यह दायित्व है कि नियमित अन्तराल पर जिला ऑडिट कमेटी की बैठक आहूत करायें। जिला ऑडिट कमेटी की बैठक में एजेन्डा में निम्न बिन्दुओं को आवश्यक रूप से शामिल किया जाए–

1. जिला कान्करेन्ट ऑडिटर के चयन एवं परफॉरमेन्स 1–ऑडिट कार्य की समीक्षा।
2. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ऑडिट रिपोर्ट को प्रेषित किये जाने की समीक्षा।
3. जनपद की समस्त इकाईयों के लेखा पुस्तकों के रख–रखाव की समीक्षा।
4. ऑडिट आपत्तियों पर कृत कार्यवाही की समीक्षा।
5. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ए0टी0आर0 प्रेषित किये जाने की समीक्षा।
6. बड़े कार्य/सेवाएं के टेन्डर की समीक्षा भी की जाए।
7. दस लाख से अधिक के टेण्डरों की प्रक्रिया एवं वैधता का कान्करेन्ट ऑडिटर से परीक्षण कराकर ही क्रय आदेश जारी करने की समीक्षा की जाए और अनियमित प्रक्रिया होने पर क्रय आदेश निर्गत न किये जाए। अविलम्ब प्रशासनिक कार्यवाही करें।
8. ''कान्करेन्ट ऑडिट में यह अवश्य देख लिया जाए कि जी0एफ0आर0 प्रक्रिया/सी0वी0सी0 गाईडलाईन/वित्त पथ/क्रय मैनुअल का पालन हो रहा है या नहीं Fair Competetion Allow और किया गया है, इस प्रक्रिया से सम्भावित जिलाधिकारी/मिशन निदेशक–एन0एच0एम0/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को सूचित किया जाए, जिससे अग्रिम प्रभावी कार्यवाही हो सके।''
9. अन्य बिन्दु आवश्यकतानुसार।

कान्करेन्ट ऑडिट रिपोर्ट के सापेक्ष एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाये जाने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों का कार्यदायित्व–

पत्र संख्या–एन0आर0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/कां0ऑडिट/2019–20/386/87–3 दिनांक 17.04.2020 के माध्यम से जनपद स्तर पर कान्करेन्ट ऑडिट के सापेक्ष एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाये जाने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्यदायित्व निर्धारण एवं नियमित अन्तराल पर समीक्षा बैठक किये जाने हेतु निम्नवत् निर्देशित किया गया है–

क्र०सं०	किये जाने वाले कार्य	उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी
1.	ऑडिटर द्वारा दी गयी मासिक ऑडिट टिप्पणी को **'Material' audit observations** एवं **'Non-Material' audit observations** में बांटा जाना।	जिला लेखा प्रबंधक।
2.	**Audit Observations** पर अनुपालन आख्या बनाने के लिए संबंधित प्रोग्राम अधिकारी/यूनिट वार विवरण बनाकर सम्बंधित को प्रेषित किया जाना।	जिला लेखा प्रबंधक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी।
3.	**Audit Observations की अनुपालन आख्या बनाना।**	1. **मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय** के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम हेतु सम्बंधित पटल सहायक/प्रोग्राम अधिकारी/नोडल अधिकारी/ जिला लेखा प्रबंधक/ जिला कम्युनिटी प्रबंधक/ जिला कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त लेखाधिकारी/ अपर मुख्य चिकित्साधिकारी /मुख्य चिकित्साधिकारी। 2. **जिला (महिला/पुरुष/संयुक्त) अस्पताल स्तर** पर संचालित कार्यक्रम हेतु पटल सहायक/प्रोग्राम अधिकारी/नोडल अधिकारी / एन०एच०एम० लेखाकार /सी०एम०एस०। 3. **अपर निदेशक कार्यालय** के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम हेतु सम्बंधित पटल सहायक/प्रोग्राम अधिकारी/नोडल अधिकारी /अपर निदेशक। 4. **ब्लाक स्तर पर** एम०ओ०आई०सी०/द्वितीय हस्ताक्षरी/ब्लाक लेखा प्रबंधक/ ब्लाक कम्युनिटी प्रबंधक/ ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक। 5. **अन्य इकाइयाँ :–** पटल सहायक/लेखाकार /प्रोग्राम अधिकारी/नोडल अधिकारी /प्रभारी अधिकारी।
4.	विभिन्न प्रोगाम/यूनिट से प्राप्त अनुपालन आख्या को समेकित करना।	**जिला लेखा प्रबंधक**
5.	अनुपालन आख्या पर **आपरेशनल गाइड लाइन फार फाईनेन्सिअल मैनेजमेंट में दिए गए प्रावधानों, वित्त पथ, जी0एफ0आर0 प्रक्रिया/सी0वी0सी0 गाईडलाईन/क्रय मैनुअल एवं Fair Comptition allow** के परिपेक्ष्य में राय देना। अनुपालन आख्या स्वीकृत/अस्वीकृत की टिप्पणी, कारणों को अंकित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। ***"Noted for future"*** जैसी अनुपालन आख्या स्वीकार न की जाए, एन एच एम में प्रारंभ से ऑडिट कॉम्पलायंस के नाम पर यही उत्तर दिया जाता है। इस प्रकार के जवाब स्वीकार कर लेने से लोगों में वित्तीय अनियमितता करने की प्रवृति बढ़ती जा रही है।	जिला लेखा प्रबंधक/वित्त लेखाधिकारी
6.	अनुपालन आख्या के सापेक्ष एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार कर जिला ऑडिट कमेटी के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाना। जिला ऑडिट कमेटी की बैठक में गबन /गंभीर वित्तीय अनियमितता के प्रकरण पर जांच कराकर दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करना।	मुख्य चिकित्साधिकारी
7.	जिला ऑडिट कमेटी द्वारा कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देश का अनुपालन कराना।	मुख्य चिकित्साधिकारी/ अपर निदेशक/जिलाधिकारी
8.	एक्शन टेकन रिपोर्ट को कान्करेन्ट आडिटर से वेटिंग कराकर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय को प्रेषित करना।	जिला लेखा प्रबंधक/मुख्य चिकित्साधिकारी

कान्करेन्ट आडिट **observations** एवं अनुपालन आख्या/एक्शन टेकन रिपोर्ट समय से करवाने/ऑडिट में आ रही समस्यों पर विचार – विमर्श हेतु नियमित अंतराल पर समीक्षा बैठक करवाने हेतु निम्नलिखित अवधि निर्धारित की गयी है।

क्र०सं०	प्राधिकारी	बैठक का अंतराल (न्यूनतम)
1.	मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव जिला आडिट कमेटी	मासिक
2.	अपर निदेशक	मासिक
3.	जिला आडिट कमेटी	दो माह के अंतराल पर
4.	जिला स्वास्थ्य समिति (जिला ऑडिट कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही तथा ऑडिट से सम्बंधित अन्य समस्याओं की समीक्षा हेतु)	मासिक अंतराल पर
5.	मिशन निदेशक, एन०एच०एम० की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर जनपदीय अधिकारियों एवं जनपदीय ऑडिटर के साथ समीक्षा बैठक	त्रैमासिक
6.	राज्य आडिट कमेटी	त्रैमासिक

नोट –जिन जनपदों में जिला लेखा प्रबंधक नियुक्त नहीं है वहां उपरोक्त कार्यों को डी०डी०ए०ए०/डी०पी०एम०/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।

ऑडिट फीस का भुगतान

जिला स्वास्थ्य समिति के वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 हेतु चयनित कान्करेन्ट आडीटर की आडिट फीस भुगतान राज्य स्तर से किया जायेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा विभाग की अन्य योजनाओं में वित्तीय अनुशासन लागू किया जानाः–

आम जनता को लाभ पहॅचाने के उद्देश्य से योजनाओं के संचालन में शासन/एन0एच0एम0 का बहुत बड़ा बजट जनपद को निर्गत किया जाता है। जिसका उपयोग मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति की देख रेख में किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन तथा बजट के व्यय में वित्तीय अनुशासन बना रहे तथा किसी तरह का भ्रष्टाचार /गबन इत्यादि न हो इसके लिये प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 /एन0एच0एम0/कॉ0ऑडिट/ 2019–20/412/6111–2 दिनांक 16 अक्टूबर 2019 के माध्यम से योजना क्रियान्वयन/क्रय प्रक्रिया के सम्बन्ध दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है ।

1. जिला ऑडिट कमेटी द्वारा बड़े कार्य/सेवाएं के टेण्डर की समीक्षा भी की जाये।
2. 10 लाख से अधिक मूल्य के टेण्डरों की प्रक्रिया एवं वैधता का कांकरेन्ट ऑडिट में परीक्षण कराकर ही क्रय आदेश जारी करने की समीक्षा करना तथा अनियमितता पाये जाने क्रय आदेश निर्गत न करना। ऑडिटर द्वारा प्रत्येक परीक्षण/सत्यापन रिपोर्ट के लिए अलग–अलग यू0डी0आई0एन0 अंकित किया जायेगा।
3. कांकरेन्ट ऑडिट द्वारा जी0एफ0आर0 प्रक्रिया/सी0वी0सी0 की गाइडलाईन पालन किया जाये तथा Fair completion allow किया जाए को ध्यान रखते हुए, निविदा प्रक्रिया का परीक्षण किया जाये तथा ऑडिट किया जाए, ताकि अनियमितता एवं कदाचार पर रोक लग सकें।
4. किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो उनका त्वरित गति से परीक्षण करते हुए आवश्यक सुधारात्मक निर्णय लिया जाये।
5. जिला ऑडिट कमेटी की नियमित बैठक कराते हुए जनपदीय कांकरेन्ट आडिटर द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर निराकरण एवं सुधारात्मक कार्यवाही कर ए0टी0आर0 राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन को ससमय उपलब्ध कराया जाना।
6. जिला ऑडिट समिति की बैठक की कार्यवृत्त एन0एच0एम0 की वेबसाइट पर 01 सप्ताह के भीतर अपलोड करना।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि का भुगतान विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों/वेन्डर्स के खाते में न करके अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनियमित रूप से अपने **व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित की जा रही है जो कि गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।**
8. नियमित अन्तराल पर क्रय न करते हुए बिना मांग निर्धारण के **मार्च माह के अंतिम सप्ताह में वृहद् मात्रा मे क्रय किया जाना।**
9. राज्य के वित्तीय नियमों के अनुसार सेवाएं/कार्य को ई–टेन्डरिंग/टेंडर/कोटेशन प्रक्रिया एवं जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा कराये जाने का प्रावधान है, परन्तु जनपदों में

ई–टेंडर/टेंडर/कोटेशन प्रक्रिया एवं जेम पोर्टल से बचने के लिए बिलों को टुकड़ो में विभाजित करते हुए क्रय किया जा रहा है, **जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।** जेम पोर्टल से क्रय किये जाने हेतु सम्बन्धित इकाईयों का जेम पोर्टल पंजीकरण किया जाना है।

10. टेंडर के माध्यम से चयनित फर्मो से अर्नेस्ट मनी डिपोजिट, सिक्योरिटी धनराशि, परफॉर्मेंस गारंटी को एफडी/एन०एस०सी०/डी०डी० के रूप में प्राप्त नहीं किया जा रहा है। टेंडर फीस को जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में जमा नहीं किया जा रहा है।
11. ऑडिट रिपोर्ट से संज्ञान में आया है कि टेंडर प्रक्रिया में फर्मो के पास तकनीकी योग्यता न होने के बावजूद चयनित कर लिया जा रहा है।
12. जनपदों द्वारा फर्मों (बिडर) के मध्य कम्पटीशन को कम करने के लिए टेंडर का विज्ञापन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में नहीं निकाला जा रहा है तथा टेंडर नियमों का अनुपालन न करते हुए बहुत कम अवधि में टेंडर को खोल दिया जाता है।
13. जनपदों में बिना बिल/वाउचर/सपोर्टिंग पेपर के अनियमित रूप से धनराशि भुगतान कर दी जा रही है, **जो कि गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।**
14. वित्तीय वर्ष में नया टेंडर नहीं करके पांच से छः वर्ष पुराने टेंडर को नवीनीकरण कर दिया जा रहा है।
15. **जनपदों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत किराये पर ली गयी कारों के स्थान पर मोटर साइकिल/स्कूटर/ट्रैक्टर के नंबर पर भुगतान कर दिया है, जो कि गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।**
16. आर0बी0एस0के0 एवं सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम के अंतर्गत बिना टैक्सी परमिट के वाहन, बहुत पुराने वाहन जो कंडम स्थिति में है तथा जिनका फिटनेस प्रमाण पत्र भी नहीं है उनके नम्बरों पर भुगतान कर दिया जा रहा है।
17. ऑडिट के दौरान परिलक्षित हुआ है कि जनपदों द्वारा कमिटेड लायबिलिटी के अन्तर्गत धनराशि रक्षित कराये बिना गत वर्षों का भुगतान किया जा रहा है।
18. पेट्रोल पंप से जनरेटर के लिए डीजल प्राप्त किया जाता है, **परन्तु डीजल प्राप्त करने तथा उसकी लॉग बुक में इंट्री की प्रक्रिया उचित नहीं है। सी०ए० फर्म द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि डीजल प्राप्त करने के पश्चात उसकी मात्रा की जाँच के लिए एक प्रणाली बनाई जाए। जनरेटर की लॉग बुक में डीजल की खरीद एवं खपत का कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया जा रहा है।**
19. जे0एस0वाई0 तथा नसबंदी लाभार्थियों के खाते में एक ही वित्तीय वर्ष में तीन से चार माह के अन्तराल पर, एक से अधिक बार रू0 1,400.00/1,000.00 की धनराशि का अनियमित भुगतान किया जा रहा है, **जो कि गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता है।**
20. जे0एस0वाई0 तथा नसबंदी लाभार्थियों के खाते में भुगतान न करके आशा के खाते में जे0एस0वाई0 की धनराशि हस्तांतरित कर दी जा रही है।
21. स्टाफ द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बावजूद अनियमित रूप उसके खाते में वेतन का भुगतान किया गया है।
22. बैंक समाधान विवरण में लम्बित चेक/पी0एफ0एम0एस0 एड्वाइस जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है। उनका समाधान नहीं किया जा रहा है, जबकि बैंकिंग गाईडलाईन के अनुसार तीन माह से अधिक पुरानी चेकों तथा दस दिन पुरानी पी0एफ0एम0एस0 एड्वाइस का समाधान हो जाना चाहिए, जिससे सही बैंक बैलेन्स ज्ञात किया जा सके।
23. विभिन्न इकाईयों पर अनस्पेन्ट बैलेन्स के अन्तर्गत अत्यधिक धनराशि अवशेष है, जिसके व्यय की समीक्षा नहीं की जा रही है।
24. विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को दी गयी अग्रिम की धनराशि की समीक्षा नहीं की जा रही है संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर या रिफंड प्राप्त कर अग्रिम का समायोजन किया जाना चाहिए।
25. एक ही फर्म से अलग–अलग प्रकृति के कार्यो को बिना उनके रजिस्ट्रेशन को चेक किये कराया जा रहा है। फर्म द्वारा मध्यस्थ की तरह कार्य किया जा रहा है, जिससे सेवाएं/कार्य को मार्केट दर से अधिक दर पर कराया जा रहा है।
26. फर्म के बीजक एवं वाउचर को प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किये बिना ही भुगतान कर दिया जा रहा है। "paid & cancel" की स्टैम्प नहीं लगायी जा रही है।
27. कांकरेन्ट आडिटर के समक्ष ऑडिट के दौरान वित्तीय रिकॉर्ड को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जा रहा है।
28. फर्म के खाते में भुगतान न करके प्रोपराइटर के खाते में भुगतान कर दिया गया है।

29. जी०एस०टी०एन० बिल प्राप्त न होने के बावजूद जी०एस०टी० का भुगतान किया गया है।
30. कोटेशन में कोट की गयी दर बाजार मूल्य से अधिक है।
31. अनरजिस्टर्ड फर्म को अनियमित भुगतान किया गया है।
32. जनपद द्वारा आयुष औषधि का क्रय एनएचएम के अंतर्गत सूचीबद्ध की गयी फर्म से न करके अनधिकृत फर्म से किया गया है। उक्त फर्म से गुणवत्ता टेस्ट रिपोर्ट को प्राप्त नहीं किया गया था।
33. राज्य ऑडिट कमेटी द्वारा निर्धारित की गयी आर0के0एस0 ऑडिट फीस से अधिक दर पर भुगतान किया जा रहा है, जो कि गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता है।
34. आर०के०एस० सोसायटी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया है। आर0के0एस0 सोसायटी का पैन नम्बर प्राप्त नहीं किया गया है और प्रारंभ से अब तक का आयकर रिटर्न भी सोसायटी द्वारा फाइल् नहीं किया गया है।
35. आयकर/जीएसटी नियमों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, टी0डी0एस0 काटने के पश्चात समय से जमा नहीं किया जा रहा है। त्रैमासिक/मासिक टी0डी0एस0 रिटर्न को फाइल नहीं किया जा रहा है।
36. पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2017–18/10229–3 दिनांक 03.02.2018 के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्तर पर एक बैंक बचत खाता रखने का प्राविधान किया गया है, जिसके क्रम में बैंक खाता का प्रचलन सुनिश्चित करें।
37. पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2017–18/9461–75 दिनांक 08.12.2017 के माध्यम से भुगतान/धनराशि अवमुक्त किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। तदनुसार ब्लॉक एवं इकाइयों को फण्ड ट्रान्सफर तथा सेवाएं/कार्य के भुगतान की पत्रावली को वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी के माध्यम से अग्रसारित किया जाना सुनिश्चित करें।
38. पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/1782–6 दिनांक 28.05.2018 के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 संचालन में चेकर/मेकर एवं उनके कार्य व दायित्वों का निर्धारण किया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत कार्यक्रमों की वैधानिक सम्प्रेक्षा

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति तथा जिला स्वास्थ्य समिति के वैधानिक आडिट के उपरान्त भारत सरकार को आडिट रिपोर्ट, ऑडिटेड बैलेन्स शीट एवं आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाये। वैधानिक अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित कार्यवाहियॉ अपेक्षित हैः–

1. आडिट टीम के पहुँचने के पूर्व ही जनपद/ब्लाक एवं अन्य कार्यालयों में रखे अभिलेखों को अद्यतन करा लें तथा आडिट टीम के पहुँचने पर टीम के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करायें।
2. जनपद के लेखों के रख–रखाव हेतु जनपद के जिला लेखा प्रबन्धक (DAM) को पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाते हुये समस्त अभिलेख प्राप्त करवा दें।
3. आडिट टीम के 'रफनोट' (मेमो) में अंकित आपत्तियों को स्थल पर ही दूर करायें, उन्हें कदापि अनुत्तरित न छोड़ें।

लेखा पुस्तकों के अन्तिमीकरण के दिशा–निर्देश

1. कैश एवं बैंक बुक को ससमय पूर्ण किया जाना।
2. सभी कार्यक्रमों के खाता बही ससमय तैयार किया जाना।
3. सभी कार्यक्रमों के जर्नल, खाता बही बनाया जाना चाहिए एवं सभी प्रारंभिक अवशेष के साथ ही साथ समायोजन प्रविष्टियों और अग्रिम प्रविष्टियों का लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार समायोजन कर पूर्ण किया जाना।
4. वाउचर क्रमानुसार संख्या में होना चाहिए।
5. बैंक समाधान विवरण ससमय तैयार किया जाय तथा सभी असंगत बैंक प्रविष्टियों को पहचान कर ससमय समाधान किया जाय।
6. त्रैमासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण एवं मासिक ट्रायल बैलेंस Concurrent ऑडिटर के द्वारा प्रमाणित कराना।
7. वैधानिक आडिट के प्रारंभ से पहले प्रत्येक स्तर पर प्राप्ति, भुगतान एवं आय और व्यय खाते बैलेंस शीट में अंगीकृत कर ले।

8. फंड प्राप्त एवं अन्तरण का विवरण ससमय तैयार कर मिलान कर ले।
9. वैधानिक अंकेक्षण के प्रारंभ से पूर्व राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से प्रेषित अनुदेश के अनुसार कृत कार्यवाही तैयार कर वैधानिक (स्टेच्यूटरी) अंकेक्षण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. एन0एच0एम0 के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
11. अग्रिम धनराशि का विश्लेषण कर उसका समाधान ससमय कराना सुनिश्चित करें।
12. एन.एच.एम. के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों की पी0एफ0एम0एस0 लॉग रजिस्टर/चेक बुक रजिस्टर बैंक खाता के हस्ताक्षरी से सत्यापित कराना।
13. एन0एच0एम0 के अन्तर्गत अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन करना।
14. महत्वपूर्ण अनुबंध/सहमति, ज्ञापन रजिस्टर में पंजीकृत कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना ।
15. स्टॉक रजिस्टर वैधानिक (स्टेच्यूटरी) अंकेक्षण के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
16. टी०डी०एस० की कटौती की धनराशि एवं रिटर्न को ससमय जमा किया जाना चाहिए।
17. एफ.एम.आर./स्टेटमेंट ऑफ़ फंड पोजीशन का मिलान कर Concurrent ऑडिटर से प्रमाणित कर लें।
18. समस्त जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय इकाइयों के खाता बहियों का रख–रखाव फैम्स पर कराना सुनिश्चित करें।
19. वी0एच0एस0एन0सी0 एवं उपकेन्द्रों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ ब्लॉक स्तरीय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर अभिरक्षित रखें।
20. रोगी कल्याण समिति से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र को जिला स्वास्थ्य समिति एवं ब्लॉक स्तरीय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर अभिरक्षित रखें।
21. रोगी कल्याण समिति की वैधानिक आडिट रिपोर्ट की एक प्रति जिला स्वास्थ्य समिति को अभिरक्षित रखें।
22. कांकरेंट आडिट रिपोर्ट की एक प्रति जनपद स्तर पर अभिरक्षित रखें तथा कोई भी रिपोर्ट बिना यू0डी0आई0एन0 के नहीं होनी चाहिए।

कमिटेड बजट धनराशि को फैम्स पोर्टल के माध्यम से व्यय हेतु दिशा–निर्देश –

पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू/एन0यू0एच0एम/लेखा/2022–23/264/1211–30 दिनांक 12.05.2023 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बजट कमिट कराये जाने तथा व्यय के जाने के सम्बन्ध में निम्नवत दिशा–निर्देश जारी किया गया है।

1. वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु फैम्स पोर्टल पर कमिटेड के रूप में रक्षित कराये जाने के पश्चात् भुगतान करना सुनिश्चित किया जाये।
2. भारत सरकार के ऑपरेशनल गाईडलाईन फॉर फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट के अध्याय–2 प्रस्तर 2.4.4 एवं कमिटेड धनराशि के प्राविधानों के अनुरूप कमिटेड धनराशि का निर्धारण किया गया हो तथा जनपद में उपलब्ध बजट के सापेक्ष फैम्स पोर्टल से कमिटेड बजट के रूप में रक्षित कराया गया हो।
3. गतिविधियों हेतु धनराशि को कमिटेड कर लिया जाना मात्र भुगतान हेतु स्वीकृत नहीं है, मात्र उन्हीं दायित्वों का भुगतान किया जाए जिनके व्यय के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से व्यय हेतु स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गयी हो। जनपदों द्वारा उपलब्ध धनराशि से कमिटेड धनराशि का व्यय किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय के सापेक्ष भुगतान कदापि मान्य नहीं होगा तथा भुगतान हेतु स्थापित नियमों तथा समय–समय पर प्रेषित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. मानव संसाधन में स्वीकृत पद के सापेक्ष नियुक्त एवं कार्यरत संविदाकर्मी जिनका भुगतान संगत वर्ष में नहीं किया जा सका है, का भुगतान प्राप्त बजट से वर्ष 2022–23 में किये गये भुगतान को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि की सीमा तक ही किया जाये।
5. वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु जारी डैप/कमिटेड/आर0ओ0पी0/एस0आर0ओ0पी0 एवं जारी स्वीकृति आदेश के अतिरिक्त किसी अन्य मद में कमिटेड धनराशि का भुगतान मान्य नहीं है तथा किसी भी मद में अवशेष बजट से अधिक कमिटेड धनराशि अनुमन्य नहीं है। अतः फैम्स सॉफ्टवेयर में उपलब्ध बजट की सीमा तक धनराशि कमिटेड हेतु रक्षित है।
6. कमिटेड धनराशि का व्यय फैम्स पोर्टल के माध्यम से उन्हीं गतिविधियों (एफ0एम0आर0 कोड) में किया जाए, जिस गतिविधि (एफ0एम0आर0 कोड) में धनराशि कमिटेड हेतु रक्षित करायी गयी है।
7. **जनपदों द्वारा किसी ऐसी गतिविधि का कमिटेड धनराशि के रूप में रक्षित कराया गया हो जिसका वाद मा0 न्यायालय के अधीन प्रकरण लम्बित है। उक्त धनराशि का व्यय मा0**

न्यायालय के निर्णयानुसार धनराशि का समायोजन/भुगतान किया जायेगा। मात्र कमिटेड के रूप में रक्षित कराया जाना उक्त गतिविधि हेतु स्वीकृति नहीं मानी जायेगी और न ही मात्र कमिटेड कराया जाना देयता का आधार होगा।

8. कमिटेड के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि बिन्दु–1 से 7 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप न होने की स्थिति में उक्त व्यय वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में आयेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का होगा।
9. कमिटेड के रूप में रक्षित करायी गयी धनराशि का मदवार व्यय भुगतान वास्तविक देयता के आधार पर ही होगा। भुगतान फैम्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जायेगा तथा बिल बाउचर भविष्य के लिये सुरक्षित रखा जायेगा, जिससे वैधानिक/कान्करेन्ट/सी0ए0जी0/ए0जी0 ऑडिट के समक्ष सम्प्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

आयकर एवं जी0एस0टी0 से सबंधित दिशा –निर्देश

- राज्य स्तर से प्रेषित पत्र संख्या –एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/टैक्स ऑडिट/2020–21 /258 /5802 दिनांक 14.11.2022 में जिला स्वास्थ्य समितियों के आयकर अधिनियम की धारा 12A के अंतर्गत पंजीकरण कराते हुए प्रत्येक वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया हैं।
- आयकर एवं जी0एस0टी0– टी0डी0एस0 की कटौती किये जाने के उपरांत चेक को आगामी माह के 07 कार्यदिवसो के अंदर बैंक में जमा कराना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति का मासिक जी0एस0टी0– टी0डी0एस0 एवं त्रैमासिक आयकर रिटर्न निर्धारित समयावधि में फाइल किया जाना सुनिश्चित करे।

अन्य वित्तीय दिशा–निर्देश

- धनराशि व्यय/अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0 एन0आर0एच0एम0/2013–14/3367–75 दिनांक 3.11.2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाये। जिस कार्यकम/मद में जितनी धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अनुमति के बिना स्वीकृत मद का पुनर्विनियोग (re-appropriation) कदापि न किया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न हो।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण करायें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के सापेक्ष व्यय की गई धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ.एम.आर में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार के आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये Operational Guidelines for Financial Management (As amended) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये Operational Guidelines for Financial Management (As amended) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

आपसे अनुरोध है कि कृपया दिये गये दिशा–निर्देशों की प्रति समस्त जनपदीय ए0सी0एम0ओ0 / कार्यक्रम अधिकारियों, जनपदीय चिकित्सालयों के एस0आई0सी0 / सी0एम0एस0 व सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करा दें तथा दिये गये निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे एवं योजनाओं को ससमय निर्धारित मानकानुसार प्रत्येक स्तर पर संचालित किया जा सके। आवंटित धनराशि का व्यय एन0एच0एम0 की ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट के अनुसार किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनाओं / गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय हो। किसी भी दशा में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में न किया जाये। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमित्ता पाई जाती है तो आप व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीया,

Pinky 21/7/23

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या – एस0पी0एम0यू0 / नियोजन / 17 / 2023–24 / **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (एन0एच0एम0), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक, यू0पी0–टी0एस0यू0, लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इंदिरा नगर, लखनऊ।
10. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक / अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
13. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मण्डलीय / जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये Operational Guidelines for Financial Management (As amended) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

आपसे अनुरोध है कि कृपया दिये गये दिशा–निर्देशों की प्रति समस्त जनपदीय ए0सी0एम0ओ0/कार्यक्रम अधिकारियों, जनपदीय चिकित्सालयों के एस0आई0सी0/सी0एम0एस0 व सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करा दें तथा दिये गये निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे एवं योजनाओं को ससमय निर्धारित मानकानुसार प्रत्येक स्तर पर संचालित किया जा सके। आवंटित धनराशि का व्यय एन0एच0एम0 की ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट के अनुसार किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनाओं/गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय हो। किसी भी दशा में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में न किया जाये। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमित्ता पाई जाती है तो आप व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीया

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या – एस0पी0एम0यू0/नियोजन/17/2023–24/ 3338–14 **तद्दिनांक**
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (एन0एच0एम0), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक, यू0पी0–टी0एस0यू0, लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इंदिरा नगर, लखनऊ।
10. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
13. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।

Pinky 21/7/

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक